22 अगस्त, 1995

श्रावण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौदहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 5.7.96

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

दिनांक 22 अगस्त, 1995 के लोकसभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

कालम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)	16, 19, 20 और 22	अन्त में "-प्रस्तुत" प्रतिस्थापित किया जाए ।	
(ii)	21	अन्त में "-स्वीकृत" प्रतिस्थापित किया जाए ।	
(iii)	नीचे से 4, 7 और 11	श्री एम॰बी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति	श्री एम॰वी॰चन्द्रशेखर मूर्ति
1	3	लोक सभा 11 बजे म॰पू॰ पर समवेत हुई में "बजे" शब्द का लोप कीजिए ।	
55	5	पर्यावरण और वन मंत्री	पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री
147	2	श्री रमेश चेन्नितला	श्री रमेश चेन्नित्तला
191	2	श्री रामदेव राय	श्री रामदेव राम
211	2	श्री गुमान मल लोढ़ा	श्री गुमान मल लोढा
212	2	श्री एस॰एम॰आर॰राजेन्द्र कुमार	श्री एस॰एस॰आर॰राजेन्द्र कुमार
330	11	श्री राजवीर सिंह(आंवला)	श्री राजवीर सिंह (आंवला)
364	20	श्री वल्लभ पाणिग्राही	श्री बल्लभ पाणिग्राही
409 और नीचे से 16			
411	नीचे से 14, 17 व 20	श्री एस॰वी॰चव्हाण	श्री एस॰बी॰चव्हाण

विषय-सूची

दशम माला, खंड 44, चौदहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 12, मंगलवार, 22 अगस्त, 1995/31 श्रावण, 1917 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	261-265	1—28
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या :	266-280	28-56
अतारांकित प्रश्न संख्या :	2628-2857	56—301
लोक सभा में दिनांक 1 अगस्त, 1995 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या : 216 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण		301
धनबाद के निकट दुगदा में धरना देते समय छः खनिकों की कथित हत्या के बारे में		301—305
सी एन एन का दूरदर्शन के साथ हुए समझौते के बारे में		307—315
सभा पटल पर रखे गये पत्र		324—326
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		
तैंतालीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही—सारांश		326
याचिका समिति		
इक्कीसवां प्रतिवेदन		326
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति		
सोलहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही—सारांश		327
कार्य-मंत्रणा समिति के चौवनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव		327
लोक लेखा समिति		
एक सौ छठा प्रतिवेदन		327
नियम 377 के अधीन मामले		328—332
(एक) पूर्वोत्तर क्षेत्र का शीघ्र बहुमुखी विकास किये जाने की आवश्यकता		
श्री बालिन कुली		328
(दो) कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में खनन कार्य रोके जाने की आवश्यकता		
श्री के.जी. शिवप्पा		328—329
(तीन) उड़ीसा के राउरकेला रेलवे स्टेशन पर अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता		
कुमारी फ्रिडा तोपनो		329
(चार) चंडीगढ़ में विज्ञान संग्रहालय और तारामंडल स्थापित किये जाने की आवश्यकता		
श्री पवन कुमार बंसल		329—330
(पांच) कालका और पटना के बीच बरास्ता चंडीगढ़-अम्बाला-मुरादाबाद-बरेली-लखनऊ एक नई रेलगाड़ी शुरू करने की आवश्यकता		
श्री राजवीर सिंह		330

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कालम

(छः) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में शुक्लागंज और गंगाघाट नगरों में और अधिक डाकघर खोलने की आवश्यकता
श्री देवी बक्स सिंह 330
(सात) नगरकोइल - मुम्बई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सप्ताह में तीन दिन चलाये जाने और तूतीकोरिन और दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी शुरू किये जाने की आवश्यकता
श्री एम.आर.कादम्बूर जनार्दनन 331
(आठ) केरल के मालापुरम जिले में अनक्कायम में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता
श्री ई. अहमद 331—332

जम्मू और कश्मीर बजट - अनुदानों की मांगें 332—417
श्री अटल बिहारी वाजपेयी 336—344
श्री उमराव सिंह 344—347
श्री सोमनाथ चटर्जी 348—356
श्री मोहन रावले 361—364
श्री बल्लभ पाणिग्रही 364—368
प्रो. प्रेम धूमल 368—372
श्री इन्द्रजीत गुप्त 372—378
श्री चन्द्रजीत यादव 378—384
श्री पी.जी. नारायणन 385—386
श्री अर्जुन सिंह 386—390
श्री चित्त बसु 390—392
श्री मणि शंकर अय्यर 392—396
श्री प्रमथेश मुखर्जी 396—397
श्री याइमा सिंह युमनाम 397—399
श्री ई. अहमद 399—402
श्री इन्द्र जीत 402—406
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 406—408
श्री हन्नान मोल्लाह 408—409
श्री एस.बी. चव्हाण 409—414
श्री एम.बी.चन्द्रशेखर मूर्ति 414—417

जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक 417—418
विधेयक पुरःस्थापित
विचार करने के लिए प्रस्ताव 417
श्री एम.बी. चन्द्रशेखर मूर्ति 417
खंड 2, 3, और 1
पारित करने के लिए प्रस्ताव 418
श्री एम.बी. चन्द्रशेखर मूर्ति 418

धनबाद के निकट दुगदा में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के हड़ताल कर रहे कुछ श्रमिकों के दुर्घटना में मारे जाने के बारे में वक्तव्य
श्री अजित पांजा 418—420

लोक सभा

मंगलवार, 22 अगस्त, 1995/31, श्रावण, 1917 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

दलहन/तिलहन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र

+

*261. श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री बलराज पासी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दलहन एवं तिलहन की खेती के अंतर्गत राज्यवार अलग-अलग कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दलहनों और तिलहनों को खेती के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में निरन्तर कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन फसलों की और अधिक क्षेत्र में खेती करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष कदम उठाये जाने का विचार है?

[अनुवाद]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) अनुबंध संलग्न है।

(ख) और (ग). दलहनों के अन्तर्गत क्षेत्र 1992-93 के 224 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1994-95 में 247 लाख हैक्टेयर हो गया है। तिलहनों के मामले में क्षेत्र 1992-93 के 252 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1994-95 में 269 लाख हैक्टेयर हो गया है।

(घ) दलहनों और तिलहनों का क्षेत्र और उत्पादन बढ़ाने के लिये देश में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

अनुबन्ध

1994-95 के दौरान भिन्न क्षेत्रों में दलहनों और तिलहनों की खेती हुई

क्षेत्र '000 हे.

राज्य		क्षेत्र	
		दलहन	तिलहन
1.	आन्ध्र प्रदेश	1500	3065
2.	असम	131	327
3.	बिहार	1064	299
4.	गुजरात	946	3167
5.	हरियाणा	518	665
6.	हिमाचल प्रदेश	58	58
7.	जम्मू और कश्मीर	42	73
8.	कर्नाटक	1611	2583
9.	केरल	29	19
10.	मध्य प्रदेश	4826	4813
11.	महाराष्ट्र	3613	2612
12.	उड़ीसा	2166	991
13.	पंजाब	108	208
14.	राजस्थान	3560	3642
15.	तमिलनाडु	1085	1553
16.	उत्तर प्रदेश	3072	2080
17.	पश्चिम बंगाल	325	646
	अन्य	59	78
	अखिल भारतीय	24733	26899

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न था कि इस समय दलहन और तिलहन की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में निरन्तर कमी आ रही है लेकिन मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट सदन के पटल पर रखा है, उसमें बताया गया है कि दलहन और तिलहन की खेती का क्षेत्र 1992-93 के 224 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 1994-95 में 269 लाख हैक्टेयर हो गया। कुल मिलाकर 17 लाख हैक्टेयर अधिक क्षेत्र में दलहन और तिलहनों की खेती बढ़ी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब 17 लाख हैक्टेयर अधिक क्षेत्र में दलहन और तिलहनों की खेती बढ़ी है फिर दाल के भावों में बढ़ोत्तरी क्यों हो रही है? पिछले साल जो दाल 19-20 रुपये किलो मिलती थी, आज उसके दाम 35 रुपये हो गये हैं। हमें खाने का तेल भी विदेश से आयात करना पड़ रहा है। मैं यहां सरकारी आंकड़े कोट करना चाहता हूं। सरकार के कृषि और सहकारिता विभाग की जो रिपोर्ट है,

उसमें बताया गया है कि खरीफ की फसल का 1992-93 में 465 किलोग्राम पर हैक्टेयर उत्पादन था वह 1993-94 में घटकर 476 किलोग्राम पर-हैक्टेयर रह गया है। इससे मुझे मंत्री जी की बात समझ नहीं आ रही है। इसी तरह मैं और आंकड़े भी दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आंकड़े नहीं, आप सीधे प्रश्न पर आईये।

श्री फूलचन्द वर्मा : इसलिये में इनके विभाग की रिपोर्ट यहां कोट करना चाहता हूं जिसमें इन्होंने कहा है कि दलहन और तिलहन की फसलों का उत्पादन निरन्तर घट रहा है। दूसरी ओर मंत्री जी कह रहे हैं कि दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिये.... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अपका प्रश्न क्या है, वह पूछिये।

श्री फूलचन्द वर्मा : वही मैं कर रहा हूं, सर, कि केन्द्रीय प्रयोजन के साथ ही एक दलहन विकास बोर्ड का इन्होंने निर्माण किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वह दलहन विकास बोर्ड क्या कर रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुद्दे पर नहीं आते है; तो मैं आपका प्रश्न अस्वीकृत कर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि 17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में जब दलहन तिलहन की खेती बढ़ी है तो आज देश में इन वस्तुओं पर महंगाई क्यों बढ़ रही है? हर दाल की कीमतें बढ़ गयी हैं। जहां तक गरीब आदमी का सवाल है, उसकी दाल पतली हो रही है। जो दाल पहले 19-20 रुपये किलो थी, वह आज 35 रुपये किलो, मिल रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब 17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खेती बढ़ी है लेकिन उत्पादन कितना बढ़ा, मंत्री जी इसके आंकड़े बतायें।

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, हम मुख्य प्रश्न में इसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं कि दालों और तिलहनों का उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। हम इससे सहमत हैं कि इसमें वर्ष दर वर्ष घट-बढ़ होती रही है। दालों के मामले में क्षेत्र में घट-बढ़ 21 और 25 मिलियन हैक्टेयर के बीच और उत्पादन के मामले 10 और 18 मिलियन टन के बीच रही है।

इस घटा-बढ़ी के अनेक कारण हैं। दालों के संबंध में एक यह समस्या है कि खाद्य फसलें यथा गेहूं और चावल के लिये चूंकि अधिक लाभकारी मूल्य दिये जा रहे हैं, अत: अब किसान इन फसलों का उत्पादन अधिक लाभकारी पाते हैं और दालों का मामला अधिक नाजुक है। वे वर्षा पर अधिक निर्भर हैं और कृषि के क्षेत्र में उनकी स्थिति विविध रूप से संदेहास्पद है। यह एक कारण है। हमने तिलहन विकास कार्यक्रम और दाल विकास कार्यक्रम चलाया है। इन कार्यक्रमों के विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। ये उच्च प्राथमिकता के क्षेत्र हैं और उत्पादन बढ़ाने के लिये दालों के मामले में किसानों को विविध आदान प्रदान किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने गोलमोल जवाब दिया है कि इसमें उतार-चढ़ाव आता है। एक बात समझ में जरूर आती है कि कभी मानसून के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन मंत्री महोदय कह रहे हैं कि किसान को जिस में लाभ होता है वही फसल वह बोता है और जो समर्थन मूल्य दिया जाता है उसके कारण उसको जिस फसल में लाभ रहता है वह वही फसल बोता है, तो आपने गेहूं का समर्थन मूल्य 360 रुपए निर्धारित किया है, लेकिन बाजार में गेहूं 400 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है, परन्तु फिर भी किसान गेहूं बोता है, तो आपकी इस बात में विरोधाभास है।

मैं अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि मध्यप्रदेश देशभर में सोया-प्रदेश के नाम से जाना जाता है क्योंकि भारत में सबसे अधिक सोयाबीन वहां पैदा होता है और क्या मंत्री महोदय को इस बात की भी जानकारी है कि सोयाबीन और दूसरी तिलहन और दलहन की फसलों के लिए यह जरूरी है कि नींदा-नाशक और कीट-नाशक दवाओं का इनके ऊपर छिड़काव किया जाना चाहिए और यदि यह नहीं किया गया, तो जो फसल दुगनी होने वाली होती है वह आधी रह जाती है और क्या मंत्री महोदय के ध्यान में यह बात भी है कि इस फसल के लिए भारत सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया जाता था वह बन्द कर दिया गया है क्योंकि मध्यप्रदेश में 50 लाख 53 हजार छोटे काश्तकार हैं, वे सभी सोयाबीन बोते हैं। और उस पर उनको जो अनुदान मिलता था वह करीब 5 से 6 करोड़ रुपए मिलता था, लेकिन भारत सरकार ने यह अनुदान बन्द कर दिया है जिसके कारण सोयाबीन, दलहन और तिलहन की फसलें मध्यप्रदेश में प्रभावित हुई हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार सोयाबीन पर मध्यप्रदेश में जो अनुदान देती थी और जिसे देना अब बन्द कर दिया गया है उसे पूरे भारत में पुन: देने पर विचार करेगी, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य महोदय को बतलाना चाहता हूं कि यदि आंकड़ा देखने की बात है, तो वह उत्पादन घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है और इस साल उम्मीद है कि शायद 15 लाख टन के करीब हो जाएगा। पहले से तो हमारे पास दालें साढ़े 10-11 लाख टन के करीब थी, लेकिन मांग बढ़ी है और उसके अनुसार इसका उत्पादन इतना नहीं बढ़ पाया। हमारे पास सिर्फ यही एक चीज यानी दाल की कमी है।

जहां तक प्रश्न तिलहन का है, इसमें हम साढ़े 12 से साढ़े 22 मिलियन टन तक पहुंच गए हैं और तकरीबन हमारी आवश्यकता की

पूर्ति इससे हो जाती है। जो ओ.जी.एल. की बात हम करते हैं वह सिर्फ इसलिए करते हैं कि कुछ लोग प्राफीटियरिंग के कारण भाव न बढ़ा दें। इसलिए आज हम इसको बाहर से मंगाते है। जो हमें एवरेज हिसाब से तेल चाहिए उतना उत्पादन हमारे पास है।

जहां तक आप सोयाबीन की बात करते हैं, आप बिल्कुल उचित बात करते हैं। सोयाबीन का उत्पादन मध्यप्रदेश में खूब हुआ है और खूब होगा और 47 लाख टन तक पहुंच गया है, तो उसमें यह उचित नहीं है कि हम कुछ और करें। उसकी बढ़ोत्तरी के लिए हम सारे काम कर रहे हैं। हम अच्छे बीज की सप्लाई कर रहे हैं, अच्छी तकनीक की सप्लाई कर रहे हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं वह हम कर रहे हैं।

जो हम पल्सेस की कमी महसूस कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि नये बीज का उत्पादन किया जाए। ये सारी रेनफेड फसलें हैं। ये सिर्फ सिंचित भूमि पर आधारित नहीं होती है। ये वर्षा पर आधारित होती हैं और वर्षा पर आधारित होने के कारण इनका उत्पादन उतना नहीं होता जितना दूसरी फसलों का होता है।

आपने जैसा कहा कि गेहूं का हमने समर्थन मूल्य ज्यादा दे दिया या कम दिया है, हम अगर 360 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का समर्थन मूल्य नहीं देते, तो जब फसल आई थी, तो उस वक्त यदि गवर्नमेंट नहीं खरीदती, तो ढाई सौ रुपए प्रति क्विंटल गेहूं बिकता। यह समर्थन मूल्य तो इसलिए दिया जाता है कि किसान मजबूरी में नुकसान उठाकर अपनी फसल को नहीं बेचे और उसको फायदा हो और उस मूल्य से कम यदि उसे खुले बाजार में मिले, तो वह सरकार को बेचे और यदि उससे ज्यादा मूल्य मिलता है, तो उसे वह खुले बाजार में बेचे। सरकार किसान को बाध्य नहीं करती कि वह अपनी उपज को सरकार को ही बेचे। इसलिए आप निश्चिन्त रहिए, जो किसान के हित की बात है वह अवश्य की जाएगी।

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैंने बिल्कुल स्पेसिफिक पूछा है माननीय मंत्री महोदय से कि जो आप अनुदान देते थे और मध्यप्रदेश को कुल 5 से 6 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में नींदा और कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लिए मिलता था, उसके कारण सोयाबीन और तिलहन की फसल बरसात में होती है, उसका उत्पादन डबल हो जाता है। आपने उसे 1994 मे बंद कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको ऐलाऊ किया है तो आप उसको शार्ट में पूछिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अनुदान दे रहे थे, क्या आप उसे बाद में देने वाले हैं?

श्री फूलचन्द वर्मा : आपने अनुदान देना क्यों बंद कर दिया है। दूसरा यह बताइये कि जो दाल पहले 21 रुपये किलो थी, वह अब 35 रुपये किलों में मिल रही है। यह जो दाल की मंहगाई है, उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं?

श्री बलराम जाखड़ : ऐसा है, दाल का हमने जितना भी आयात किया है, वह एक मिलियन टन से ज्यादा कभी नहीं हुआ है। इस समय.....

अध्यक्ष महोदय : जो अनुदान दे रहे थे।

श्री बलराम जाखड़ : 6 मिलियन का हुआ है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जो अनुदान दे रहे थे, वह क्या आप देने वाले हैं या नहीं।

श्री फूलचन्द वर्मा : मैं कह रहा था कि आप 1994 में जो अनुदान दे रहे थे।... (व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : मैं अनुदान की ही बात करने जा रहा हूं। आप मेरी बात तो सुनिये। अनुदान जिन-जिन चीजों पर दिया जाता है, उसे हम प्लानिंग कमीशन के साथ बैठकर, उस पर सलाह करके देते हैं। जिन चीजों पर दिया जाता है, वह आज भी दिया जा रहा है लेकिन जो चीज प्लानिंग में नहीं आती, उनको नहीं दिया जाता है।...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द वर्मा : अध्यक्ष जी.....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री बलराज पासी : अध्यक्ष महोदय, 1952 में दाल की प्रति व्यक्ति दैनिक खपत 75 ग्राम थी जो 1995 में घटकर 35 ग्राम रह गयी। निश्चित रूप से मंत्री जी कह सकते हैं कि जनसंख्या बढ़ने के कारण यह स्थिति पैदा हुई, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि इस समय किसानों को दाल का जो समर्थन मूल्य दिया जा रहा है, वह 800 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि बाजार में उसकी कीमत 25 रुपये से लेकर 35 रुपये प्रति किलो तक है। यह जो 16 रुपये प्रति किलो बीच का लाभ है, वह किसानों को मिलना चाहिए लेकिन वह उनको नहीं मिल रहा है। इस कारण से भी उत्पादन कम हो गया है। मेरे प्रश्न का पहला भाग यह है कि क्या मंत्री महोदय उस समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए कोई निर्णायक भूमिका अदा करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : इसी प्रश्न का जवाब इन्होंने अभी दिया है। आप दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री बलराज पासी : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैं पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं और पर्वतीय क्षेत्र में दाल का व्यापक उत्पादन होता है किन्तु किसानों को उन्हें बेचने के लिए कोई भी स्थान उपलब्ध नहीं है। ऐसे दूर-दराज के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में क्या सरकार किसानों से दाल खरीदने के लिए कोई क्रय केन्द्र खोलने का विचार कर रही है? क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में दाल का व्यापक उत्पादन होता है।

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बलराम जाखड़ : यह इंतजाम तो हर जगह फूड कार्पोरेशन इंडिया के अधीन होता है और उनकी शाखायें हर जगह है।

श्री बलराज पासी : पर्वतीय क्षेत्र में कोई शाखा नहीं है। आप ही बता दीजिये कि वहां शाखा कहां पर है।

श्री बलराम जाखड़ : आप जवाब तो सुनिये। अगर नहीं है तो आप हमको बताइये। हम भी बात करेंगे और इसके लिए विशेष बंदोबस्त करेंगे।

श्री बलराज पासी : मैं तो बता ही रहा हूं। पूरे पर्वतीय क्षेत्र में कहीं पर भी कोई शाखा नहीं है।

[अनुवाद]

श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : महोदय, विवरण में यह कहा गया है कि दालों और तिलहनों के अन्तर्गत क्षेत्र में 1992-93 से 1994-95 में हैक्टेयर क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

किन्तु, मैं यह कहना चाहूंगा कि देश के कुछ भागों में वर्षा की कमी के कारण किसानों को फसल दुबारा बोनी पड़ी क्योंकि पहली फसल उपज नहीं पाई। विशेष कर, वर्षा की कमी के कारण महाराष्ट्र में दुबारा बुवाई की गई है।

यद्यपि क्षेत्र में हैक्टेयर-वार बढ़ोत्तरी हुई है, तथापि मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह विचार है कि दालों और तिलहनों का उत्पादन भी बढ़ेगा।

मैं जो कहना चाहता हूं, वह यह है कि महाराष्ट्र में विशेषकर दालों के बीजों की बुवाई दुबारा की गई है। आपने बताया कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की बहुत अधिक फसल होगी। चूंकि महाराष्ट्र में दुबारा बुवाई की गई थी, मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि दालों के अन्तर्गत क्षेत्र में कितने हैक्टेयर वृद्धि हुई है। कितने क्षेत्र में दुबारा बुवाई की गई है और इस दुबारा बुवाई का अन्ततोगत्वा क्या परिणाम निकलेंगे मैं महसूस करता हूं कि इस प्रकार फसल उत्पादन बढ़ेगा। इसलिये, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इसकी कोई जानकारी है।

श्री बलराम जाखड़ : मैं इस संबंध में राज्य सरकार से आंकड़े प्राप्त कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दलहन और तिलहन दोनों चीजें कम पानी से पैदा होती हैं। जहां पानी की सिंचाई बढ़ रही है वहां उनका उत्पादन घटता जा रहा है। चना और गेहूं के मामले में पहले यह होता था कि गरीब आदमी चना खाता था और अमीर आदमी गेहूं खाता था क्योंकि गेहूं और चना साथ-साथ बोया जाता है तथा कम पानी से गेहूं पैदा होता था। अब जो हाई ईल्डिंग रीडिंग वैरायटी आई है, वे ज्यादा पानी लेती है। इसके कारण चना इन क्षेत्रों में नहीं हो पा रहा है।

क्या मंत्री महोदय मुझे यह बतायेंगे कि ऐसे बहुत से क्षेत्र जहां पानी का अभाव है, जहां सिंचाई कम करने से काम हो सकता है, वहां पर दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रयास या योजना बनायेंगे?

श्री बलराम जाखड़ : आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। हम उनके लिए बीजों का कोई नया उत्पादन करना चाहते हैं जिससे कम पानी होते हुए भी ज्यादा उत्पादन हो सके। हमने अरहर का एक नया बीज निकाला है, उसमें संकर और ड्वार्फ वैरायटी है जिससे ज्यादा पैदा होगा और अच्छा भी होगा। जहां कम पानी होता है वहां तो लाजमी है कि यही चीज करना चाहते हैं।

श्री राजवीर सिंह : उन एरियाज में, जहां सिंचाई का अभाव है, क्या कर रहे हैं?

श्री बलराम जाखड़ : उन्हीं की बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री अनादि चरण दास : महोदय, यह बहुत अच्छा समाचार है कि दलहनों और तिलहनों के कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुई है। विवरण में यह कहा गया है कि :

"दलहनों और तिलहनों का क्षेत्र और उत्पादन बढ़ाने के लिये देश में केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना तथा तिलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।"

क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि वे कौन-कौन सी योजनायें हैं, और राज्य स्तर पर कौन-कौन सी एजेंसियां उन्हें कार्यान्वित कर रही है। इस सूचना से हमें यह पता लगेगा कि वास्तव में कौन-कौन सी एजेंसियां उन्हें कार्यान्वित कर रही है और तदनुसार हम किसानों को केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम से सम्पर्क करने के लिये कह सकेंगे।

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, हमारे पास राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम है। ये केन्द्रीय प्रायोजित परियोजनाएं है। इसका 75 प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार तथा 25 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करती है। ये योजनायें राज्य कृषि विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम 224 जिलों को शामिल करके 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम 337 जिलों को शामिल करके 23 राज्यों में कार्यान्वित किया गया है।

कार्यक्रम के विभिन्न संघटक है; यथा आदान प्रदान करना, कृषि विस्तार, विविध प्रकार की राज सहायता आदि देना, इत्यादि। मेरे पास उसकी पूरी सूची है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भूमि असिंचित है, उसमें दलहन और तिलहन की

उपज पैदा हो सके, इसके लिए क्या कोई नए बीज तैयार करने की व्यवस्था की गई है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी उन्होंने राजवीर सिंह जी के प्रश्न के जवाब में यही बताया है।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : नहीं, नहीं। जिस बीज का आपने नाम लिया है, उसको बोने से एक विशेष प्रकार के कीटाणु पैदा होते हैं। क्या उसकी रक्षा के लिए आपने कोई कीटाणुनाशक दवाईयां बनाने की कोई योजना बनाई है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अस्वीकृत है।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : मंत्री जी के उत्तर में स्टेटवाइज फिगर है जिसमें बिहार में दलहन का 1064 और तिलहन का 299 दिया है। बिहार ऐसा राज्य है जहां दलहन और तिलहन की अत्यधिक भूमि पाई जाती है लेकिन राज्य सरकार और केन्द्र सरकार का समायोजन न होने के कारण किसानों को पर्याप्त सुविधा मुहैया नहीं करवाई जाती जिससे आज तक उनके उत्पादन में कमी होती रही। यदि राज्य सरकार और केन्द्र सरकार मिलकर उत्पादन लक्ष्य करें तो मैं समझता हूं कि बिहार की भूमि से पूरे देश के लिए दलहन और तिलहन में भारत आत्मनिर्भर हो सकता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे उपयुक्त राज्य के लिए आपकी कोई विशेष योजनाएं है जिससे राज्य सरकार से समायोजन करके वहां उत्पादन में वृद्धि करें?

श्री बलराम जाखड़ : हम तो हाथ जोड़कर कहते हैं कि हमारे साथ सहायता करें जिससे हम उत्पादन को और बढ़ा सकें और बिहार से तो मुझे खास उम्मीद है, यदि आप करना चाहें और हमारा साथ दें तो हम पता नहीं क्या-क्या कर दें।

[अनुवाद]

श्री लाईता उम्बे : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर अपूर्ण प्रतीत होता है। प्रश्न पूछा गया था कि सभी राज्यों में दलहनों और तिलहनों के अन्तर्गत कुल कितना उत्पादन क्षेत्र है किन्तु यहां केवल सत्तरह राज्यों के ही आंकड़े दिये गये हैं। हो सकता है कि दलहनों और तिलहनों के अन्तर्गत कुछ राज्यों में क्षेत्र कम हो किन्तु सभी राज्यों के आंकड़े दिये जाने चाहिये थे। उदाहरण के तौर पर मेरे राज्य अरुणाचल प्रदेश को लिया जा सकता है। मुझे अपने नगर के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है, जिसका दौरा कृषि मंत्री ने किया था, हमारे यहां बड़ी मात्रा में तिलहन का उत्पादन होता है। दालों, वस्तुतः कम मात्रा में पैदा होती है। इसलिये, उत्तर में जो आंकड़े दिये गये हैं, मेरे विचार से वे अधूरे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को, जहां भूमि उपजाऊ है, जलवायु अच्छी है और पानी उपलब्ध है, सभी बुनियादी सुविधाओं सहित उन्नत फसल देने वाले विविध बीज उपलब्ध करायेगी।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न शीघ्र पूछिये। हम एक प्रश्न पर दी 20 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं।

श्री लाईता उम्बे : महोदय, मैं केवल प्रश्न ही पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री पूर्वोत्तर राज्यों में तिलहनों और दालों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये कोई कार्यक्रम लेकर आने वाले हैं।

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, इस संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों का योगदान बहुत ही कम है अतः सांख्यीय प्रयोजनों के लिये उन्हें अन्य राज्यों के साथ सम्मिलित कर लिया गया है। किन्तु प्रत्येक राज्य लाभान्वित होने के लिये हकदार हैं। हम अवश्य ही उनकी सहायता करेंगे।

[हिन्दी]

चीनी का फैक्ट्री बाह्य मूल्य

+

***262. डा. महादीपक सिंह शाक्य :**
श्री जगमीत सिंह बराड़ :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी का फैक्ट्री बाह्य मूल्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो 1992-93 से जुलाई, 1995 के दौरान कितना मूल्य निर्धारित किया गया;

(ग) क्या सरकार का इन मूल्यों में संशोधन करने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह बढ़ी हुई राशि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश की गरीब जनता से वसूल किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता पर मूल्य वृद्धि का कितना भार पड़ेगा?

[अनुवाद]

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) मूल्य का विवरण संलग्न अनुबंध पर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च). लेवी चीनी का खुदरा निर्गम मूल्य 1.2.1994 को निर्धारित किया गया था और यह मूल्य अभी भी जारी है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

अनुबन्ध

वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए मूल्य जोनों के लिए औसत ग्रेड के चीनी के निकासी मूल्य।

क्र.सं.	जोन	1991-92 26 रु. प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के लिए	1992-93 31 रु. प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के लिए	1993-94 34.5 रु. प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के लिए (16.4.94 को अधिसूचित)	1993-94 34.5 रु. प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के लिए (16.9.94 को यथा संशोधित)	1994-95 39.1 रु. प्रति क्विंटल के सांविधिक न्यूनतम मूल्य के लिए (27.5.95 को अधिसूचित)
1	2	3	4	5	6	7
1.	पंजाब	586.77	683.99	732.46	696.35	773.90
2.	हरियाणा	571.08	674.05	725.26	719.52	762.56
3.	राजस्थान	702.29	790.52	900.13	849.98	903.16
4.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	611.92	709.36	759.79	734.67	796.80
5.	मध्य उत्तर प्रदेश	605.83	695.07	756.45	737.04	795.62
6.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	629.68	728.34	789.98	755.78	846.30
7.	उत्तरी बिहार	635.77	704.43	794.96	767.54	840.92
8.	दक्षिणी बिहार	733.12	810.22	887.97	862.65	942.25
9.	गुजरात (दक्षिणी)	562.34	639.78	698.87	649.55	746.68
10.	सौराष्ट्र	580.98	658.81	760.26	667.33	778.05
11.	मध्य प्रदेश	648.39	717.34	801.49	716.21	812.70
12.	महाराष्ट्र (दक्षिणी)	534.13	628.70	709.80	684.24	804.75
13.	महाराष्ट्र (उत्तर)	580.92	652.52	736.15	695.55	801.51
14.	महाराष्ट्र (मध्य)	-	-	706.63	670.35	763.60
15.	*कर्नाटक	558.16	655.80	722.04	676.81	*
16.	आंध्र प्रदेश	587.14	655.80	722.04	676.81	800.81
17.	तमिलनाडु एवं पांडिचेरी	604.71	721.78	764.23	736.36	782.46
18.	असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नागालैण्ड	670.94	765.76	879.20	760.15	815.67
19.	केरल एवं गोवा और तटीय कर्नाटक	667.18	774.31	792.76	684.76	805.62
	(फसल कटाई प्रभार रहित)	-	-	-	-	792.58

*15 (क) उत्तर पश्चिम कर्नाटक (फसल कटाई खर्च सहित) रुपये 778.36

*15 (ख) उत्तर पश्चिम कर्नाटक (फसल कटाई खर्च रहित) रुपये 773.52

*15 (ग) शेष कर्नाटक (फसल कटाई खर्च सहित) रुपये 752.25

*15 (घ) शेष कर्नाटक (फसल कटाई खर्च रहित) रुपये 747.18

[हिन्दी]

डा. महादीपक सिंह शाक्य : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, मेरा प्रश्न चीनी के सम्बन्ध में पांच खण्डों में था, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के खण्ड एक में यह स्वीकार किया है कि यह समय-समय पर संशोधित किया जाता है और खण्ड दो में मूल्य निर्धारण की सूची भी इन्होंने दी है। उसमें तो मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन खण्ड तीन में इन्होंने यह कहा है कि यह संशोधित नहीं किया जाता है, यह विरोधाभास है। मैं जानना चाहूंगा कि आप यह जो मूल्य संशोधित करते हैं, क्या आपने इसे अभी एक वर्ष पहले संशोधित किया था? क्या वह कारण अभी विद्यमान नहीं हैं, जिनपर मूल्य संशोधित किया जाता है? अगर वह कारण विद्यमान नहीं है तो कौन-कौन सी कठिनाइयां आपके सामने आ रही हैं? कृपया बतायें कि किन कारणों से अभी तक, एक साल बाद भी आपने मूल्य संशोधित नहीं किया है?

श्री अजित सिंह : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या इस समय कोई प्रस्ताव संशोधन करने का है, जवाब में कहा है कि इस समय कोई प्रस्ताव इसके संशोधन करने का नहीं है। यह मतलत नहीं है वह समय-समय पर संशोधित नहीं होते हैं। पिछली बार फरवरी, 1994 में चीनी का दाम तय किया गया था और अभी तक वही दाम चल रहा है। चीनी का जो लेवी प्राइस तय किया जाता है, उसमें सरकार जो यहां से मिनिमम प्राइस केन के लिए निर्धारित करती है, उसके ऊपर आधारित है, गन्ने से चीनी बनाने में जितनी कास्ट लगती है, वह है, जितनी उसपर एक्साइज ड्यूटी है, सैस है, डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट है, उन सब को लेकर चीनी का दाम तय किया जाता है।

डा. महादीपक सिंह शाक्य : अध्यक्ष जी, मैं दूसरे स्पलीमेंटरी में माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा पूछना चाहूंगा, अन्तिम खण्ड में मैंने पूछा था कि वितरण प्रणाली के द्वारा उपभोक्ताओं पर इसका कितना भार पड़ेगा, आपने इसे अस्वीकार किया है और कहा है कि भार नहीं पड़ेगा। मैं जानना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि चीनी के सम्बन्ध में अभी आपने भी कहा है कि चीनी का सम्बन्ध मुख्यतः तीन व्यक्तियों से, तीन संस्थानों से है, एक तो उपभोक्ता से, दूसरा मिल मालिक से और तीसरा गन्ना उत्पादकों से। आपकी चीनी की नीति इतनी डिफैक्टिव है कि यह तीनों संस्थान ठीक ढंग से नहीं चल रहे। उपभोक्ताओं को ठीक चीनी नहीं मिलती हैं, ठीक रेट पर नहीं मिलती है, और मिल मालिकों का यह हाल है कि वे अपनी मिल्स को बंद कर रहे हैं। किसानों का यह हाल है कि उनको गन्ने का मूल्य समय पर नहीं दे रहे हैं इसलिए आपकी नीति डिफेक्टिव है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो नीति आपने बनाई है उसके अलावा क्या एक समन्वयकारी नीति बनायेंगे जिसमें उपभोक्ता भार से बचे, किसान को उचित मूल्य मिले ओर मिल मालिकों को भी लाभ मिले?

अध्यक्ष महोदय : बनाने वाले हैं तो बतायें, नहीं बनाने वाले तो बताने की जरूरत नहीं है।

श्री अजित सिंह : उपभोक्ता को, प्रोड्यूसर को और मिल मालिकों को ध्यान में रखकर हम समय-समय पर नीति में परिवर्तन करते रहते हैं। जो भी सुझाव माननीय सदस्यों के मिलते हैं, 'इस्मा' से मिलते हैं उस पर भी विचार करते हैं। अभी ज्ञान प्रकाश कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उस पर भी विचार कर रहे हैं। आप जो नीति की बात कर रहे हैं, उसका इससे बहुत सम्बन्ध नहीं है। आप तो पूरी चीनी नीति के बारे में सवाल पूछ रहे हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : अध्यक्ष जी, देश में चीनी के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। उस भारी बढ़ोत्तरी को देखते हुए क्या सरकार चीनी का नियंत्रण मूल्य से परे रखने पर विचार कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं। यह एक बड़ा प्रश्न है। इसकी अनुमति नहीं है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या यह सच है कि लेवी चीनी के मूल्य की घोषणा में बहुत अधिक देरी हो रही है। घोषणा की वास्तविक तिथि से दो से पांच महीनों के लगभग विलंब हुआ है। इससे फैक्ट्रियों को मूल्य निर्धारित करने में भारी परेशानी हो रही है। मैं आपको यह भी सूचित करना चाहूंगा कि गत पांच दशकों के दौरान अपनाई गई नीति अर्थात अधिक वसूली क्षेत्रों और कम वसूली क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करने के लिए इस वर्ष लेवी चीनी मूल्य की घोषणा करने में असमानता रही है। तमिलनाडु का उदाहरण लीजिये। इस वर्ष आपने 46 रुपये बढ़ाने की अनुमति दी है जबकि औसतन उत्पादन मूल्य 73 रुपये है। यह इसीलिय है कि उनकी वसूली 9 रुपये है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या तमिलनाडु के उत्पादकों के हित को भी ध्यान में रखते हुए इस विसंगति को न्यूनतम किया जा सकता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप भार्गव फार्मूला के अनुसार उस एल-फेक्टर' की अविलम्ब घोषणा करेंगे जिससे कि गन्ना उत्पादकों को उचित समय पर अतिरिक्त लाभों से उन्हें उनका हिस्सा मिल सके।

श्री अजित सिंह : सर्वप्रथम, मैं भार्गव फार्मूला के बारे में बताना चाहूंगा। वस्तुतः एक या दो राज्यों को उस 'एल-फेक्टर' की आवश्यकता है। इसका कारण यह है कि अधिकांश राज्य 'एल-फेक्टर' द्वारा कम्प्युटरीकृत मूल्य से अधिक मूल्य अदा करते हैं। दक्षिण भारत में केवल एक या दो राज्यों में इसका उपयोग किया है। 'एल-फेक्टर' फार्मूले की गणना सभी फैक्टरियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर की जाती है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : दो या तीन वर्षों की देरी हो रही है।

श्री अजित सिंह : कभी-कभी देरी होती है। इसका कारण यह है कि इस वर्ष भी आंध्र प्रदेश ने सूचना नहीं दी है। हमें सभी राज्यों से 'एल-फेक्टर' के संबंध में सूचना प्राप्त हो गई है। हम इसे शीघ्र ही अधिसूचित करेंगे।

लेवी चीनी के मूल्यों में विसंगतियां होने के संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि 'सी.ए.सी.पी.' 'एस.एम.पी.' के बारे में निर्णय लेती है। उन्होंने निर्णय लिया है कि 8.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की वसूली पर निश्चित रूप से प्रोत्साहन होगा और 10 प्रतिशत से ऊपर कोई प्रोत्साहन नहीं होगा। इससे ऐसी कुछ समस्यायें हुई है। सी.ए.सी.पी. समय-समय पर इसकी समीक्षा करती रहती है। यहां तक कि हाल ही में, सी.ए.सी.पी. ने विभिन्न राज्यों से सभी फैक्टरी मालिकों की समस्या पुनः सुनी है और यदि तमिलनाडु की कोई समस्या है तो उन्हें अभ्यावेदन देना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्षजी, जो चीनी का रेट तय होता है वह सारी फैक्टरीज के लिए एक होता है। भारत सरकार की 800 से 1200 टन की जितनी फैक्टरीज थीं उनसे रिकवरी कम होती है और रेट शासन सब पर बराबर रखता है। इसके पूर्व सरकार की 800 से 1200 टन की जितनी फैक्टरीज थीं उन सबको सब्सिडी दे दी थी?

वह सब्सिडी 25,30 लाख के रूप में हर लगह दी जाती थीं, वह कुछ दिनों से बन्द कर दी गई है। इसके कारण सारी फैक्टरियां बैठ गई हैं। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पहले जो सब्सिडी 800, 1200 टन की छोटी फैक्टरियो को भारत सरकार द्वारा दी जाती थी वह सब्सिडी क्या आप पुनः देंगे जिससे वे जीवित रहें।

श्री अजित सिंह : सब्सिडी तो भारत सरकार किसी भी फैक्टरी को डायरेक्ट नहीं देती है। लेकिन मिनिमम जो साइज हम कह रहे हैं कि 2500 टन होना चाहिये, उसको 2500 टन तक बढ़ाने के लिए कम इंट्रेस्ट पर एस डी एफ लोन दिये जाते हैं और सहायता भी दी जाती है लेकिन कोई डॉयरेक्ट सब्सिडी हम नहीं देते।

श्री राम नगीना मिश्र : इसके 5-7 साल पहले सब्सिडी दी जाती थी। मैं सबूत दूंगा कि दी जाती थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अजित सिंह : मौडर्नाइजेशन के लिए एस डी एफ से लोन दिये जाते हैं।

श्री प्रकाश वी. पाटील : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो लेवी शुगर प्राइज 74 से 79 में फिक्स कर दिया है और जो सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया हुआ है कि सरकार ने प्राइज फिक्स कर दिये हैं क्या वे फिक्स्ड हैं? दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि सरकार लोगों के एरियर्स कब देगी?

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : एरियर्स गवर्नमेंट को देना है या फैक्टरी को देना है?

श्री अजित सिंह : मैं फार्मर्स की बात नहीं कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला था, उसके बारे में फैक्टरी ओनर्स को एरियर्स देने के बारे में बात कर रहा हूं कि सरकार इस बारे में विचार कर रही है क्योंकि उसमें इंट्रेस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। जो जजमेंट आया है वह सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

श्री अमल दत्त : महोदय, गन्ने से चीनी बनती है इससे अनेक उप-उत्पादक उपलब्ध होते हैं। शीरे को नियंत्रण मुक्त किये जाने के बाद हाल ही में इसका मूल्य बढ़ा है। इससे अल्कोहल उत्पादित किया जाता है; पेय अल्कोहल तथा ऐसा अल्कोहल जो उद्योग अर्थात् विभिन्न रसायनों के लिये आधार उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा खोई को कागज या बोर्ड में प्रसंस्कृत किया जा सकता है। दूसरे देशों में यह होता है कि चीनी मिलों को जिन उप-उत्पादनों से आय होती है, उसे गन्ना उत्पादकों को ही दे दिया जाता हे और चीनी स्वयं ही एक उप-उत्पाद बन जाती है। इसलिये, चीनी को भारत की तुलना में बहुत कम मूल्य पर बेचा जा सकता है। क्या सरकार चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय इन बातों को ध्यान में रखेगी।

श्री अजित सिंह : महोदय, माननीय सदस्य का कथन सही है और अनेक फैक्टरियां विद्युत का सह-उत्पादन कर रही है, वे कागज का उत्पादन कर रहे हैं और मद्य निर्माण शालायें खोली जा रही है। वस्तुतः अब मद्य निर्माण शालायें आरम्भ करने के लिये केन्द्र से कोई लाइसेंस जारी नहीं किया जाता है। अतः इन सभी कारकों को उस समय ध्यान में रखा जाता है जबकि औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा मूल्य निर्धारित करता है... **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : क्या वे इसको ध्यान में रखते हैं? वे उसे ध्यान में नही रख रहे हैं... **(व्यवधान)**

श्री अजित सिंह : वे शीरे के मूल्य को ध्यान में रखते हैं.... **(व्यवधान)**

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : नियंत्रण मुक्त होने का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है **(व्यवधान)**.

श्री अमल दत्त : उन्हें लाभ मिलना चाहिए।..... **(व्यवधान)**

श्री के.पी. रेड्डय्या यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय खाद्य मंत्री से एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि दक्षिण में कुछ फैक्टरियां हैं जिन्हें 'एल-फेक्टर' पर निर्धारित मूल्य अदा करना होता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, 1993-94 का समस्त ब्यौरा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया था। धनराशि 37 रुपये प्रति टन परिगणित की गई थी और वह अभी भी किसानों को नहीं दी जा रही है। के.सी.पी लि. नामक फैक्टरी को लगभग 4 करोड़ रुपया अदा करना पड़ा है।

दूसरे, इस सभा में, माननीय वित्त मंत्री ने, शीरे को नियंत्रण मुक्त करते समय, इस सभा को स्पष्ट रूप से आश्वासन दिया था कि नियंत्रण मुक्त आदेश के कारण जो भी अतिरिक्त लाभ होगा उसका हिस्सा किसानों को भी दिया जायेगा...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : तीस प्रतिशत **(व्यवधान)**

श्री के.पी. रेड्डय्या यादव : प्रतिशतता जो भी हो, किसानों को एक समुचित प्रतिशतता देनी होगी। अब तक एक भी फैक्टरी ने नियंत्रण मुक्त आदेश से प्राप्त लाभ अदा नहीं किया है। यहां जो भी आश्वासन दिया गया था, उसे भविष्य में कार्यान्वित करने के संबंध में माननीय मंत्री महोदय उत्पादकों को इस देश के किसानों को आश्वस्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री अजित सिंह : जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का संबंध है, किसानों को बकाया धनराशि का भुगतान करने को सुनिश्चित करने का प्रश्न, राज्य सरकारों से संबंधित है। यह निश्चित करना उनका अधिकार है कि किसानों को बकाया राशि का भुगतान किया जाये।

श्री के.पी. रेड्डय्या यादव : बकाया धनराशि नहीं। यह 'एल-फेक्टर' है।

श्री अजित सिंह : उसे भी आप बकाया राशि ही कह रहे हैं। उन्हें भुगतान नहीं किया गया है। बकाया राशि से क्या तात्पर्य है? जो कुछ बकाया है, उन्हें उसे अदा करना चाहिये और उन्होंने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। राज्य सरकारों के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि फैक्टरियां बकाया राशि का भुगतान करें।

जहां तक उनके प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, सपरिवर्तन लागत का निर्धारण करते समय और मूल्य निर्धारित करते समय बी. आई.सी.पी. मूल्यों को ध्यान में रखता है। वे शीरे के मूल्य को भी ध्यान में रखते हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता हुई, मंत्री जी का जवाब सुनकर कि वे एल्कोहल का उत्पादन कराने जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, वे इथाइल एल्कोहल बनाने जा रहे हैं या मिथाइल एल्कोहल बनाना जा रहे हैं?

श्री अजित सिंह : इन्डस्ट्रियल एल्कोहल।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को खबर है, जो क्वालिटी शुगर की राशन की दुकानों और सुपर बाजारों में सप्लाई की जा रही है, वह कितनी गन्दी और मैली है। आज सुबह की जो शक्कर मेरे सामने आई, वह इतनी गन्दी थी कि उसका इस्तेमाल करना नामुमकिन था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, क्या आप कोई ऐसा स्टैप लेने जा रहे हैं कि जो शुगर डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की पाबन्दी में राशन शाप्स और सुपर बाजार में दी जा रही है, उसकी क्वालिटी ऐसी हो कि वह काबिले इस्तेमाल हो।

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम लोग पी.जी.एस. के लिए स्टेट गवर्मेंट को चीनी सप्लाई करते हैं और पब्लिक को स्टेट गवर्मेंट के द्वारा दी जाती है।...**(व्यवधान)**

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम : स्टेट गवर्मेंट उसमें धूल मिला देती है।...**(व्यवधान)**

श्रीमती लवली आनंद : माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत अफसोस और दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र वैशाली की गोरौल चीनी मिल, मोतीपुर चीनी मिल तथा पूर्णियां जिला की बनमनखी चीनी मिल, इन मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है, जो राज्य सरकार भुगतान नहीं कर रही है। यह सवाल मैंने पहले भी उठाया है, लेकिन केन्द्रीय सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं, ऐसा क्यों हो रहा है? मैं यह भी जानना चाहती हूं, क्यों नहीं अभी किसानों को भुगतान नहीं किया जा रहा है और मिल को चालू नहीं किया जा रहा है?

श्री अजित सिंह : अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर प्रदेश सरकारों को हम लिखते हैं कि इतना एरियर्स हैं और आप इसमें कदम उठाइए और किसानों के पे करें...**(व्यवधान)** पावर्स स्टेट गवरमेंट के हाथ में है, कौन से कानून के अधिकार में वे क्या एक्शन ले सकते हैं। मेरे ख्याल में माननीय सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि प्रदेश सरकार की ताकत को खत्म करके सैन्ट्रल गवर्मेंट अपने हाथ में ले ले।... **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह : अपनी ताकत खत्म करके और प्रदेश सरकार के हाथ में चीनी मिलों के निर्माण का काम दे दीजिए।

रेल इंजन और यात्री डिब्बे

***263. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल इंजनों और यात्री डिब्बों का निर्माण निजी क्षेत्र में भी किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कितने ऐसे कारखाने हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं?

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) निजी क्षेत्र में रेल इंजनों का निर्माण किया जा रहा है परन्तु सवारी डिब्बों का निर्माण नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग). निजी क्षेत्र में निम्नलिखित तीन यूनिट रेल इंजनों का निर्माण कर रहे हैं :

1. मैसर्स सैन इंजी. एवं लोकोमोटिव कं. लि.,
पो. बाक्स नं. 4802, व्हाइटफील्ड रोड, बैंगलूरू-560 048.

2. मैसर्स वेन्ट्रा लोकोमोटिव्स लि.,
10-5-3/ए/1 (पहला तल),
अजंता अपार्टमेन्टस के पीछे
मासब टैंक, हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश-500 028.

3. ओविस इक्विपमेंट प्रा. लि.
ओम वेंकटेश्वर इंडस्ट्रियल सिस्टम शेड
43 आई.डी.ए. फेज-II, चार्लापल्ली,
हैदराबाद-500 051.

जहां तक रेल मंत्रालय को ज्ञात है इन्होंने केवल शंटिंग रेल इंजनों का निर्माण किया है और उन्हें आंतरिक संचलन हेतु बिजलीघरों, सीमेंट संयंत्रों, इस्पात संयंत्रों और अन्य उद्योगों को सप्लाई किया है।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि रेल इंजनों का निर्माण नीजि क्षेत्र में किया जा रहा है और उन्होंने तीन कम्पनियों के नाम दिए हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि यात्री डिब्बों की मांग दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है, ऐसा होते हुए भी यात्री डिब्बों का उत्पादन नीजि क्षेत्र में क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं यह भी जानना चाहता हूं, सरकारी क्षेत्र में इनका उत्पादन पर्याप्त है और मांग के अनुसार है यानी जितनी मांग है, उत्पादन हो रहा है तथा 1992-93, 1993-94, 1994-95 में यात्री डिब्बों का उत्पादन कितना हुआ है और उनकी मांग कितनी है?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, जहां तक कोचों का प्रश्न है, उनका उत्पादन या निर्माण गैर सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं किया जाता है। उनका उत्पादन हमारे अपने ही उत्पादन एककों द्वारा किया जाता है। उनमें से एक है दि इन्टेगरल कोच फैक्टरी और दूसरी है दि रेल कोच फैक्टरी। दोनों की सम्मिलित क्षमता लगभग 2080 या उसके आस-पास है। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र में दो कंपनियां हैं, एक है जेसोप और दूसरी है दि भारत अर्थ मूवर्स लि. जहां दोनों का उत्पादन होता है। कोचों के निर्माण के लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है क्योंकि रेलवे की आवश्यकता हमारे अपने सरकारी क्षेत्र के एककों से ही पूरी हो जाती हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : महोदय, मैंने 1992-93 के आंकड़े मांगे थे, वे नहीं मिले हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह इसे आपको बाद में भेज देंगे।

[हिन्दी]

श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि रेल वैगन की जो बहुत भारी कमी देश में महसूस होती है तो क्या उसका उत्पादन पर्याप्त है? अभी रेल वैगन की कमी की वजह से महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में खाद की बहुत कमी हुई है तो क्या सरकार वैगन सप्लाई करने के बारे में कुछ विचार कर रही है कि वे पर्याप्त मात्रा में हो सकें?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : वैगनों की जितनी भी आवश्यकता हो, उनकी भी खरीद की जाती है और इनमें से अधिकांश वैगनों का निर्माण स्वतः ही निजी क्षेत्र में किया जाता है। वैगनों की मांग को पूरा करने के लिये कोई भी कमी नहीं है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी यह जानना चाहूंगा, हमारा अनुभव रहा है कि वैगन की शार्टेज के कारण कितना सारा माल एक्सपोर्ट के लिए सभी जगहों पर बंदरगाहों के आसपास स्टेशनों पर पड़ा है। हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि 1994-95 और 1995-96 में वैगन की कितनी मांग थी और कितनी मांग की आपूर्ति की गई?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : वस्तुतः प्रश्न इंजनों और डिब्बों के उत्पादन से संबंधित है, ने कि वैगनों से ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : महोदय, हम जब-जब अधिकारियों से कहते हैं तब-तब वे कहते हैं कि वैगन की शार्टेज है। हमने जीएम से भी बात की थी।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : मैं आपको उत्तर दूंगा।

श्री हरिन पाठक : मैंने स्वयं पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक से बात की थी।

श्री मल्लिकार्जुन : आपने बात की होगी। आपको हर समय बोलने की स्वतंत्रता है। किन्तु प्रश्न क्या है और मुझे क्या उत्तर देना पड़ रहा है? प्रश्न यह है।

जहां तक वैगनों के उत्पादन का प्रश्न है, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि यातायात परिवहन के लिये वार्षिक लक्ष्य क्या है, क्या यह निर्यात के लिये है अथवा स्वदेशीय खपत के लिये। 1995-96 के लिये मेरा वार्षिक लक्ष्य 390 मिलियन टन है। अब तक, जितना परिवहन होना था, उतना परिवहन हो चुका है और वित्त

वर्ष के अंतिम कुछ महीनों में परिवहन पर और अधिक ध्यान दिया जायेगा।

श्री हरिन पाठक : मेरा मूल प्रश्न यह था कि क्या वैगनों की कमी है?

श्री मल्लिकार्जुन : परिवहन के लिये निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिये वैगनों की कोई कमी नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : महोदय, पूरा देश जानता है कि वैगन की शार्टेज के कारण माल पड़ा है और एक्सपोर्ट नहीं होता है। ... **(व्यवधान)** सारा हाउस जानता है।

[अनुवाद]

वैगनों की भारी कमी है।

श्री मल्लिकार्जुन : यदि आप अनुमति दें, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि संसद के बाहर और भीतर निरंतर मांग किये जाने के कारण 7000 अतिरिक्त वैगनों की खरीद की जानी है।

श्री उमराव सिंह : मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि मुझे बताया जाये कि क्या यह सच है कि देश में कपूरथला फैक्टरी द्वारा न केवल देश में अपितु एशिया में सर्वोत्तम कोचों का उत्पादन किया जा रहा है और यदि ऐसा है, तो इसकी क्षमता का समुचित उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह पाया गया है कि इसकी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं किया जा रहा है। यह आरोप है कि कोच उपलब्ध नहीं है। इस सभा में वाद-विवाद का उत्तर देते समय माननीय मंत्री ने कहा है कि और अधिक रेलगाड़ियों के लिये और अधिक कोच उपलब्ध हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने अच्छा प्रश्न पूछ लिया है कि पूरी केपेसिटी क्यों इस्तेमाल नहीं हो रही है। अब आप बैठ जाइए और उनको जवाब देने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक कपूरथला कोच फैक्टरी का संबंध है, इसकी क्षमता 1038 कोचों के उत्पादन की है और इसकी सम्पूर्ण क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक कोच फैक्ट्री लातूर और शोलापुर के मध्य लगाने का निश्चय किया था, लेकिन किसी कारण से उस फैक्टरी को पंजाब में लगाया गया। क्या सरकार दोबारा लातूर और शोलापुर के पास कोच कारखाना लगाने पर विचार कर रही है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह : अध्यक्ष महोदय, रेल इंजन और यात्री डिब्बों का निर्माण के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि रेल इंजन प्राइवेट सेक्टर में नही बनवाए जा रहे हैं और विदेशों से इंजन आयात करने की योजना बनाई गई है। इन इंजनों को विदेशों से आयात ने करना पड़े, इसके लिए क्या कोई कार्य योजना सरकार के पास है ताकि देश में ही वर्तमान कारखानों के अंदर रेल इंजनों का निर्माण किया जा सके और विदेशों से इंजन आयात करने की आवश्यकता न पड़े।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : विदेशों से कम शक्ति वाले इंजनों का आयात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में हम निर्यात करने की स्थिति में है। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा।

जहां तक निजी क्षेत्र में इंजनों के निर्माण का संबंध है, इन इंजनों की अश्व शक्ति 330 से 480 अश्व शक्ति है, जिनका निर्माण एक कम्पनी द्वारा किया जा रहा है। ये सेंटिंग करने के प्रयोजन के लिये है। इनकी आपूर्ति विद्युत संयंत्र, सीमेंट संयंत्र आदि के लिए की जा रही है। **(व्यवधान)**

उत्तर प्रदेश में उत्खनन कार्य

***264. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में कोई उत्खनन कार्य आरम्भ किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उत्खनन कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1970-71 से 1976-77 तक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में पिपरहवा, गनवारिया और सालारगढ़ के प्राचीन टीलों की खुदाई की। इनके परिणाम महत्वपूर्ण थे क्योंकि इनसे कपिलवस्तु सहित एक स्थल का पता चला जो साक्य कुल का महत्वपूर्ण सिंहासन था, जिसके राजा छठी-पांचवी शताब्दी ईसापूर्व में बुद्ध के पिता सुद्धोदन थे। पिपरहवा में एक स्तूप मिला जिससे अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त मंजुषा प्राप्त हुई जिनमें महत्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्तियों की अस्थियां थी। गनवारिया टीले से मठों के अवशेषों का पता चला जो पहले के खण्डहरों पर बने हुए थे जिनके बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये साक्यों के राजकुल से संबंधित हैं। सालारगढ़ से कुषाण काल के एक मठ के खण्डहरों का

पता चला। उत्खनन कार्य पूरा हो गया था और अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, 1977 के पहले बस्ती और सिद्धार्थ नगर एक ही जिला था। गोरखपुर विश्वविद्यालय और काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने गोरखपुर में सोहगौरा धुरिया पार नरहन में एक उत्खनन कार्य कराया था। वहां पर तामरण काल के 2000 ईसा पूर्व के उसी प्रकार के पुरावशेष मिले हैं। बूढ़ी राप्ती, घाघरा, कुवानों और राप्ती के किनारे ऐसे तमाम स्थल हैं जो बौद्ध धर्म स्थान के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। मैंने नियम 377 के माध्यम से धर्म सिंहवा कोपिया, तामेश्वर नाथ आदि कई स्थानों के विकास के लिए बात उठाई थी। माननीय मंत्री जी ने और अपर महा निदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मुझे बताया था कि जुलाई माह में एक टीम जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी टीम केन्द्र से और प्रदेश से गई थी, जिसे बूढ़ी राप्ती, घाघरा, कुवानो तथा राप्ती के आसपास के उन स्थानों का सर्वेक्षण किया है, और जिनका उत्खनन कराना आवश्यक मानते हुए क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव दिया है?

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष महोदय, एक टीम बनाई गई थी, जिसने 13 साइट्स एक्सप्लोर की थीं, जहां जहां एक्सकेवेशन होना है या नहीं, यह पता लगाया जाना था। इसके अंदर भारत सरकार के तथा उत्तर प्रदेश सरकार के आर्किओलाजिस्ट्स शामिल थे। उन 13 स्थानों के मैं नाम बता सकती हूं, उनमें माननीय सदस्य द्वारा बताए गए नाम शामिल हैं या नहीं, वे देख लें। यदि वे स्थान शामिल नहीं हैं तो हम उन स्थानों को दोबारा दिखवा सकते हैं। कुछ इसमें हैं, जैसे सिसवानिया है, ओरई है, और भी स्थानों को सिद्धार्थ नगर जिले में देखा जा चुका है। 13 साइट्स हैं जहां आर्किओलाजिस्ट जाकर देख चुके हैं। अभी भी यह काम जारी है। यदि कोई और साइट नजर में आती है, जहां पर एक्सकेवेशन की जरूरत है तो उसको अवश्य लिया जाएगा।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष जी, मुझे जानकारी है कि केवल 13 स्थान नहीं है। कुल मिलाकर उन्होंने 103 स्थानों का सर्वेक्षण किया है।

कुमारी शैलजा : बिल्कुल हो सकते हैं।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : अध्यक्ष जी, यह जो उत्खनन में पुरावशेष मिले हैं इनको भारतीय पुरातत्व-सर्वेक्षण विभाग ने अपने स्टोर में रखा है। आपकी रिपोर्ट में ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध का जन्म-स्थान वहीं है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन पर्यटक और बाकी के लोग वहां जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जापान सरकार ने बौद्ध स्थलों के विकास के लिए पर्यटकों और तीर्थ-यात्रियों की सुविधा के लिए धन देने का वायदा किया है। गोरखपुर में रामगढ़ परियोजना पर करोड़ों रुपया व्यय हो गया और वह परियोजना अधूरी पड़ी है। मेरा आपसे कहना यह है कि एक तो योजना है पिपरहवा में म्यूजियम बनाकर वहां पर रखने के साथ-साथ धर्मसिंडयां, कुपिया, पामेश्वरनाथ और रामगढ़ परियोजना के विकास के लिए जापान सरकार के द्वारा जो धन उपलब्ध कराया जा रहा है क्या इस परियोजना में....(व्यवधान) इस प्रकार के विकास कार्य कराएंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह पर्यटन विभाग के लिये है। जो भी हो, मंत्री उत्तर दे सकती हैं।

[हिन्दी]

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : इसका नयी टेक्नोलोजी से कंसर्न है।

कुमारी शैलजा : सर, जो जापान सरकार दे रही है वह शायद ह्यूमन डिपार्टमेंट को दे रही है। लेकिन जो आपने साइट म्यूजियम की बात कही है उसके बारे में हम यू.पी. गवर्नमेंट से तालमेल रखे हुए हैं। हम डिजाइन देंगे और वह साइट-म्यूजियम को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि वहां पर एग्जीबिशन कर सकें।

श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : इनसे ज्यादा जानकारी अध्यक्ष जी को रहती है।

अध्यक्ष महोदय : पुरानी स्कीम्ज हैं वे।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : अध्यक्ष जी, हमारे देश के चप्पे-चप्पे पर आथारे-कदीमा हैं। किसी ने कहा है कि "दफन होगा न कहीं इतना खजाना हरगिज"। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पूरे आर्किलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का टोटल एक्सकावेशन बजट पूरे देश भर के लिए कितना है? मैं समझता हूं कि थोड़ा है। जहां तक मुझे याद है 50 लाख से कम है। तो 50 लाख रुपये में आप कहां-कहां खुदाई करेंगी?...(व्यवधान) किस-किस चप्पे को जांचेंगी? यही वजह है कि आप बड़ा प्रोग्राम बनाती हैं - मसलन, डिपार्टमेंट ने आर्किलोजी ऑफ रामायण साइट के नाम से आज से 30 वर्ष पहले एक बड़ा प्रोग्राम बनाया, जो आज तक कम्प्लीट नहीं हुआ। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या गवर्नमेंट आर्किलोजी डिपार्टमेंट को एक्सकावेशन ऑफ हिस्टोरिक साइट्स कुछ ज्यादा रिसोर्सिज मुहैया करेगी या नहीं करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह एक अच्छा प्रश्न है। वह आपका समर्थन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

कुमारी शैलजा : मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय सदस्य ने इसमें हमारी सपोर्ट की है। ऐसा हम खुद चाहते है लेकिन डिपार्टमेंट का बजट ही हमारा लिमिटिड है। हम खुद ही कोशिश करते हैं ज्यादा पैसा ए.एस.आई. को देने की और आगे भी कोशिश करेंगे कि और ज्यादा दें।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : हम सब फाइनेंस मिनिस्टर से सिफारिश करेंगे सर।

[अनुवाद]

पर्यावरण संबंधी राष्ट्रीय नीति

+

***265. श्री आनन्द रत्न मौर्य :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इन्डस्ट्री ऑफ इंडिया ने पर्यावरण संबंधी एक ऐसा राष्ट्रीय नीति बनाने को कहा है, जो उद्योग की आवश्यकताओं तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाये रखें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : पर्यावरण का मामला बड़ा गंभीर है। इस बार पूरे देश में जितनी भीषण गर्मी पड़ी है वह पूरा सदन जानता है।

अध्यक्ष महोदय : देखिये, प्रश्न अच्छा है उसे अच्छे ढंग से कीजिए, भाषण में मत जाइये। अगर उन्होंने मांग नहीं की है तो आप करने जा रहे हैं.... **(व्यवधान)** पूछिये।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : इसमें राष्ट्रीय नीति कितनी बनी है वह नहीं मालूम है.. **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : पूछिये।

(व्यवधान)

श्री आनन्द रत्न मौर्य : वह कितनी कारगर है यह तक नहीं मालूम है, सदन नहीं जानता। उसका उदाहरण है इस बार की इतनी भीषण गर्मी। अध्यक्ष जी, इतना पॉल्यूशन पूरे देश में हो गया है कि उसको पूरी देश भुगत रहा है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन देश के अंदर 58 प्रतिशत था और वह घटकर 29 प्रतिशत पर तो आया है। लेकिन देश के अंदर जिस तरीके से वाहन बढ़े हैं, अकेले दिल्ली में 20 लाख से ऊपर हो गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुद्दे पर आइये।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : देखिये, मैं उसी पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप पूछिये कि क्या आप नेशनल पॉलिसी बनाने जा रहे हैं... **(व्यवधान)** इससे ज्यादा पूछने की ...

(व्यवधान)

श्री आनन्द रत्न मौर्य : वाहन के द्वारा जो पॉल्यूट्रेंस निकाला जा रहा है... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिये, अब टाइम नहीं है, टाइम खराब हो जायेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप का एक अच्छा प्रश्न है और आपको एक अच्छा उत्तर मिलेगा।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं वही पूछ रहा हूं। क्या सभी वाहनों में धुएं को रोकने के लिए कैटेलिटिक कनवर्टर लगाने की योजना है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है कृपया प्रश्न पर आइये।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत रैलेवेंट क्वश्चन है... **(व्यवधान)** इसकी क्वालिटी बता दें।

अध्यक्ष महोदय : यह पूछे कि क्या नैशनल पालिसी है?

श्री आनन्द रत्न मौर्य : फिर नैशनल पालिसी बता दें।

श्री कमल नाथ : खास करके बड़े शहरों में वाहनों का जो प्रदूषण लोड है वह करीब ... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसको डिसएलाऊ किया है और आप ही इसका जवाब दे रहे हैं। आप नैशनल पालिसी के बारे में बतायें।

श्री कमल नाथ : वाहनों से हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिये राष्ट्रीय नीति बनायी गई है। दो साल पहले हमने टू व्हिलर, थ्री व्हिलर और फोर व्हिलर के लिये इमीशन स्टैंडर्ड प्रदूषण नॉम्स बनाये। अगले साल फस्ट अप्रैल से इसका फस्ट फेज लागू होगा और सन् 2000 से इसका सैकिंड फेस लागू होगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या आपकी नैशनल एनवायनमैंट पालिसी है? अगर है तो क्या है?

श्री कमल नाथ : राष्ट्रीय पर्यावरण नीति मैंने इस सदन में पेश की थी। माननीय सदस्य लाइब्रेरी में जाकर पढ़ सकते हैं।

श्री आनन्द रत्न मौर्य : अध्यक्ष महोदय, प्रदूषण कंट्रोल के लिए जगह-जगह पर चैकिंग होती है लेकिन जो वाहन पौल्यूशन कंट्रोल के

लिय काम कर रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है कि उनका इतना ज्यादा इमीशन पौल्यूशन है कि उसे देखकर आश्चर्य होता है कि वह पौल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : संसद में वातावरण खराब न करें।

[हिन्दी]

श्री आनन्द रत्न मौर्य : मैं बिजली घरों का मामला उठाना चाहता हूं। भारत में जितने भी बिजली घर हैं, वे लगभग 700 लाख टन से ज्यादा फ्लाई ऐश वातावरण में डालते हैं। अनुमान है कि लगभग एक हजार टन फ्लाई ऐश वातावरण में जाता है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ऐसे कितने थर्मल पावर स्टेशन हैं जिन में इलैक्ट्रो स्टैटिक प्रैसीपिटेटर लगाये गये हैं और कितने ऐसे हैं जिन में ये लगाये नहीं गये हैं? यदि नहीं लगाये गये हैं तो क्या उनको लगाये जाने की योजना है?

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि जो पुराने थर्मल स्टेशन हैं, उनमें से कइयों में इलैक्ट्रो स्टैटिक प्रैसीपिटेटर नहीं है लेकिन प्रदूषण को रोकने के लिये जो नॉम्स बनाये गये हैं, उस आधार पर उनमें यह लगाने की आवश्यकता है। प्रश्न केवल लगने का नहीं है। ऐसे भी हमारे थर्मल पावर स्टेशन है जैसे कि दिल्ली में राजघाट थर्मल पावर स्टेशन है जहां इलैक्ट्रो स्टैटिक प्रैसीपिटेटर लगाया भी गया है लेकिन वह फिर भी सही ढंग से कार्य नहीं जो आज एस.पी.एम यानी कि ससपैंडिड पर्टिकुलेटर मैअर के नाम्स हैं, उनका पालन हो सकता है या नहीं? इलैक्ट्रो स्टैटिक प्रैसीपिटेटर केवल एक माध्यम है। हमने जो नीति बनायी है, उसमें आवश्यकता इस बात की है कि इलैक्ट्रो स्टैटिक प्रैसिपिटेटर का उपयोग किया जाये।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा है कि यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि 'एसोकम' ने कुछ नहीं दिया है। किन्तु यू.एन.आई. ने एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिये 'एसोकम' द्वारा आह्वान किये जाने के बारे में एक समाचार परिचालित किया गया है। इसे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से, उनको उन लोगों से जो भी समाचार प्राप्त हुए हों, उन पर विचार करने का अनुरोध करूंगी क्योंकि उनमें से कुछ बहुत अच्छे हैं। चूंकि समय नहीं है अतः मैं विस्तार में नहीं जा सकती।

अध्यक्ष महोदय : आपको मंत्री द्वारा सभा में जो कुछ उत्तर दिया गया है, उस पर विश्वास करना पड़ेगा न कि उन पत्रों पर जो आपके हाथ में है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, मैं इसे भली भांति समझती हूं। यह यू.एन.आई द्वारा परिचालित किया गया है और उसमें अनेक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप सुझावों पर प्रश्न पूछ सकती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं वही कर रही हूं। अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिय गये हैं क्योंकि शहरी योजना को विभिन्न प्रकार से लिया जा रहा है। कुछ उद्योगों को दिल्ली से बाहर ले जाये जाने के बारे में सुझाव है। इसके अलावा और भी सुझाव हैं जैसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास विशेषज्ञ होने चाहिये जो मंत्रालय को समुचित प्रौद्योगिकी आदि अपनाने के बारे में सलाह दे सके।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन मुद्दों के संबंध में कोई नीति है?

श्रीमती गीता मुखर्जी : किन किन बातों को ध्यान में रखा गया है।

श्री कमल नाथ : पर्यावरण और विकास के बीच समुचित संतुलन बनाये रखने के लिये पहले ही एक नीति है। 'एसोकम' ने इस पर चर्चा की है। माननीय सदस्य से प्रश्न प्राप्त होने पर हम उनकी जांच करेंगे। उन्होंने अभी तक यह नीति नहीं बनाई है। उनके द्वारा जो नीति बनाये जाने की आशा है उसके तथ्यों के बारे में सरकार को पहले से ही जानकारी है। उस प्रयोजन के लिये हमने नियम, विनियम और विधान नहीं बनाये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गेहूं का निर्यात

***266. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री श्रीकान्त जेना :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल के निर्यात संबंधी पहलुओं और उक्त निगम द्वारा इनकी बिक्री की जांच करने हेतु गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है;

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम अभी तक गेहूं और चावल का निर्यात करने, यहां तक कि लाभ रहित आधार पर निर्यात करने में असफल रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार ने गेहूं और चावल के निर्यात हेतु निजी व्यापारियों को भी आमंत्रित किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) से (ग). केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का निर्यात करने, भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्यात किए जाने वाले गेहूं और चावल के मूल्य तय करने और/अथवा निर्यात के प्रयोजन के लिए जाने वाले गेहूं और चावल की बिक्री करने संबंधी मामलों की जांच करने के लिए अप्रैल, 1995 में अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह उच्च-स्तरीय समिति आवधिक रूप से बैठक करती है और जहां कहीं आवश्यक होता है सरकार के अनुमोदन से निर्णय लेती है।

(घ) जी, नहीं। यद्यपि भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं और चावल का सीधे निर्यात नहीं किया है परन्तु भारतीय खाद्य निगम से खरीदारी करके अब तक राज्य व्यापार निगम, खनिज तथा धातु व्यापार निगम और प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया (पी.ई.सी.) ने चावल की निम्नलिखित मात्राएं निर्यात की हैं :

राज्य व्यापार निगम	35,000 मीटरी टन
खनिज तथा धातु व्यापार निगम	57,000 मीटरी टन
प्रोजेक्ट्स एण्ड इक्विपमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया	86,000 मीटरी टन

चूंकि भारतीय गेहूं के मूल्य प्रतिस्पर्धी नहीं रहे हैं इसलिए 1995-96 के दौरान राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अभी तक गेहूं का निर्यात नहीं किया है।

(ङ) और (च). जी, हां। निजी व्यापारी खुले बाजार से अथवा भारतीय खाद्य निगम से गेहूं/चावल खरीदने और निर्यात करने के लिए स्वतंत्र है।

[हिन्दी]

दुर्घटनाओं के दावों संबंधी मामले

***267. श्री शिवराज सिंह चौहान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1995 को प्रत्येक जोन में दुर्घटनाओं के दावों संबंधी कितने मामले दावा न्यायाधिकरणों के पास लम्बित थे;

(ख) न्यायाधिकरणों द्वारा ऐसे मामलों के निपटान में औसतन कितना समय लगता है;

(ग) एक से लेकर तीन वर्षों तक से भी अधिक समय से कितने मामले लम्बित हैं; और

(घ) इन मामलों को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जायेंगे?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मामलों के निपटान तथा लंबित मामलों से संबंधित स्थिति पीठ-वार रखी जाती है न कि जोन-वार। 30.6.1995 को रेल दावा अधिकरण की विभिन्न पीठों में दुर्घटना के दावों से संबंधित 752 मामले लंबित हैं, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है :--

पीठ का नाम	दुर्घटना से संबंधित दावों के लंबित मामलों की संख्या
दिल्ली (दो पीठें)	06
लखनऊ	82
चंडीगढ़	05
गोरखपुर	55
जयपुर	29
मद्रास	19
सिकन्दराबाद	33
एर्णाकुलम	54
बेंगलूरू	22
बंबई	100
नागपुर	16
भोपाल	135
अहमदाबाद	22
कलकत्ता (दो पीठें)	12
गुवाहटी	28
भुवनेश्वर	01
पटना	133
	752

(ख) $6\frac{1}{2}$ महीने।

(ग) 161 मामले एक वर्ष से अधिक, 114 मामले 2 वर्ष से अधिक तथा 120 मामले तीन वर्ष से अधिक की अवधि से लंबित हैं।

(घ) दावा मामलों को अंतिम रूप देने में निम्नलिखित कारणों से विलंब हुआ है/था:

1. आवेदकों या उनके वकील का निर्धारित तिथि को न्यायालय में हाजिर न होना;
2. दावाकर्ताओं या उनके वकीलों द्वारा स्थगन की मांग करना;
3. दावाकर्ताओं के पास वैध उत्तराधिकार की अनुपलब्धता;
4. 1993 और 1994 के दौरान कुछ अवधियों के लिए सदस्यों के पद रिक्त रहना।

दुर्घटना दावा मामलों के निपटान को प्राथमिकता दी जाती है। इन मामलों को उस संबंधित पीठ में दायर करना अपेक्षित है, जिसका दुर्घटनास्थल पर क्षेत्राधिकार होता है। तथापि, आवेदक के अनुरोध पर मामलों को दावाकर्ता के निवास के समीप की पीठ में हस्तांतरित करने

की अनुमति दी जाती है, ताकि अधिकरण में उनकी उपस्थिति में सुविधा हो।

शीघ्र निपटान के लिए पीठों के मुख्यालयों से इतर स्थानों पर सर्किट पीठें भी आयोजित की जाती हैं। जब कभी कोई सदस्य किसी पीठ में उपलब्ध नहीं होता, सूचीबद्ध मामलों के तत्काल निपटान के लिए अन्य पीठों से सदस्य तैनात किए जाते हैं।

जनवरी से जून, 1995 तक पिछले छः महीनों के दौरान प्राप्त किए गए 253 मामलों की तुलना में 349 दुर्घटना दावा मामलों का निपटान किया गया है। प्रत्येक पीठ में लगभग सभी सदस्य तैनात किए जाने से आशा है कि लंबित दावा मामलों को शीघ्र निपटा लिया जाएगा।

[अनुवाद]

उपभोक्ता अदालतों के समक्ष मामले

***268. श्री शंकरसिंह वाघेला :**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता द्वारा उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों को निर्णय हेतु अधिक संख्या में मामले भेजे जाने को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों में और अधिक ऐसे मंच गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में कार्यभार को देखते हुए अतिरिक्त जिला मंच स्थापित करने की व्यवस्था है। तथापि, अतिरिक्त जिला मंच सृजित करने की जिम्मेदारी केवल राज्य सरकारों पर है। केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस समय देश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 31 राज्य आयोग और 457 जिला मंच कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर राज्य में जम्मू और कश्मीर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत एक राज्य आयोग और दो प्रभागीय मंच कार्य कर रहे हैं। राज्यवार सूचना विवरण में दी गई है।

विवरण

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के कार्यान्वयन की स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य आयोग की स्थिति	जिला मंचों की स्थिति
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	कार्यरत	22 कार्यरत
अरुणाचल प्रदेश	कार्यरत	12 कार्यरत
असम	कार्यरत	23 कार्यरत
गुजरात	कार्यरत	20 कार्यरत
बिहार	कार्यरत	39 कार्यरत
गोवा	कार्यरत	2 कार्यरत
हरियाणा	कार्यरत	16 कार्यरत
हिमाचल प्रदेश	कार्यरत	12 कार्यरत
कर्नाटक	कार्यरत	20 कार्यरत
केरल	कार्यरत	14 कार्यरत
मध्य प्रदेश	कार्यरत	45 कार्यरत
महाराष्ट्र	कार्यरत	31 कार्यरत
मणिपुर	कार्यरत	8 कार्यरत
मेघालय	कार्यरत	7 कार्यरत
मिजोरम	कार्यरत	3 कार्यरत
नागालैंड	कार्यरत	7 कार्यरत
उड़ीसा	कार्यरत	13 कार्यरत
पंजाब	कार्यरत	13 कार्यरत
राजस्थान	कार्यरत	30 कार्यरत
सिक्किम	कार्यरत	4 कार्यरत
तमिलनाडु	कार्यरत	22 कार्यरत
त्रिपुरा	कार्यरत	3 कार्यरत
उत्तर प्रदेश	कार्यरत	63 कार्यरत
पश्चिम बंगाल	कार्यरत	17 कार्यरत
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	कार्यरत	2 कार्यरत
चण्डीगढ़	कार्यरत	1 कार्यरत
दादरा और नगर हवेली	कार्यरत	1 कार्यरत
दिल्ली	कार्यरत	2 कार्यरत
दमण और दीव	कार्यरत	2 कार्यरत
लक्षद्वीप	कार्यरत	1 कार्यरत
पांडिचेरी	कार्यरत	1 कार्यरत

कार्य कर रहे राज्य आयोगों की संख्या : 31,
कार्य कर रहे जिला मंचों की संख्या : 457

इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर राज्य, जहां एक अलग जम्मू और कश्मीर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1987 अधिनियमित किया गया है, में एक राज्य आयोग और दो प्रभागीय मंच कार्य कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता का दुरूपयोग

***269. श्री राम टहल चौधरी :** क्या कृषि मंत्री 23 मई, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 680 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने 1993 के दौरान नियंत्रण मुक्त उर्वरकों की बिक्री पर रियायत के रूप में आवंटित धनराशि के दुरूपयोग संबंधी विस्तृत रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी पाए गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का विचार है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग). बिहार और पश्चिम बंगाल को अनुस्मारक भेजने के बावजूद उनसे विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इन राज्य सरकारों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आगे कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नदी संरक्षण नीति

***270. श्रीमती प्रतिमा देवीसिंह पाटील :**
श्री वसुदेव आचार्य :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नदी संबंधी गतिविधियों, जिनका नदी में रहने वाले जीव-जन्तुओं और प्रजातियों पर प्रभाव पड़ सकता है, के संबंध में राष्ट्रीय नदी संरक्षण नीति और मार्ग निर्देश बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण बनाने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां तो, इसके गठन और कृत्यों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने "प्रदूषण के उपशमन के लिए नीति विवरण" और राष्ट्रीय संरक्षण नीति और पर्यावरण एवं विकास पर नीति विवरण नामक दो दस्तावेज प्रकाशित किए हैं जिसमें नदियों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले कार्यों का विवरण शामिल है। इन दस्तावेजों की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रखी हुई हैं।

उपर्युक्त के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने 10 राज्यों की 18 नदियों के अभिनिर्धारित प्रदूषित क्षेत्रों के प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना को अनुमोदित कर दिया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन और कार्य-कलाप संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन

1.	प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	पर्यावरण एवं वन मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	सदस्य
4.	जल संसाधन मंत्री	सदस्य
5.	शहरी विकास मंत्री	सदस्य
6.	सम्बंधित राज्यों के मुख्य मंत्री	सदस्य
7.	प्रत्येक सम्बंधित राज्य से एक संसद सदस्य	सदस्य
8.	पर्यावरण क्षेत्र के तीन विशिष्ट विशेषज्ञ	सदस्य
9.	सचिव, पर्यावरण एवं वन	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण के कार्यकलाप

1. उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयुक्त नीति और कार्यक्रम (दीर्घ अवधि और अल्पावधि) तैयार करना, बढ़ावा देना और अनुमोदन करना।
2. राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की प्राथमिकताओं की जांच करना और अनुमोदन करना।
3. आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाना।
4. अनुमोदित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करना और संचालन समिति को आवश्यक निर्देश देना।
5. उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यथावश्यक सभी उपाय करना।

उर्वरकों की मांग/आवंटन

***271. श्री हरिन पाठक :**
श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की राज्यवार और मौसम-वार अनुमानित मांग और आवंटन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गत दो वर्षों की तुलना में प्रत्येक राज्य को किया गया उर्वरकों का वर्तमान आवंटन कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा मांग के अनुसार उर्वरकों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार उर्वरकों पर कितनी राजसहायता दी गई है अथवा दी जायेगी?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) खरीफ, 1995 मौसम के लिये यूरिया की अनुमानित आवश्यकता और आवंटन तथा अन्य उर्वरकों की सम्भावित आवश्यकता का एक राज्यवार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। रबी, 1995-96 मौसम के लिये यूरिया सम्बन्धी अनुमान और अन्य विनियंत्रित उर्वरकों को संभावित आवश्यकता अगस्त, 1995 के अन्त तक आंकी जाएगी।

(ख) से (घ). खरीफ, 1993 तथा खरीफ, 1994 के दौरान किये गये आवंटनों की तुलना में खरीफ, 1995 मौसम के दौरान यूरिया का राज्यवार आवंटन का ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है। केरल, त्रिपुरा, मणिपुर, तथा नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों को खरीफ, 1995 में यूरिया का आवंटन पिछले दो मौसमों में किए गये आवंटन की तुलना में अधिक था। इन चार राज्यों के मामले में उनके द्वारा खरीफ, 1995 के लिये मांगी कई पूरी मात्रा आवंटित कर दी गई थी।

(ङ) वर्ष 1995-96 के लिये, उर्वरकों पर राजसहायता का भुगतान करने के लिये 5900 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजसहायता का राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता।

विवरण-I

खरीफ, 1995 मौसम के लिये यूरिया की आवश्यकता और आवंटन के अनुमान तथा अन्य विनियंत्रित रासायनिक उर्वरकों की संभावित आवश्यकता

(हजार मीटरी टन में)

क्र.सं.	राज्य	अनुमानित आवश्यकता	यूरिया आवंटन	डी.ए.पी.	एम.ओ.पी.	एस.एस.पी. और एक फास्फेट	योग	अन्य नाइट्रोजन की कम मात्रा वाले उर्वरक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश	840.00	922.85	300.00	50.00	100.00	549.00	143.70
2.	कर्नाटक	430.00	464.04	172.13	63.60	45.00	387.00	43.00
3.	केरल	66.23	65.15	2.10	66.73	40.45	85.60	11.90
4.	तमिलनाडु	240.00	252.34	90.00	155.00	34.80	271.00	49.00
5.	गुजरात	480.00	528.00	250.00	34.00	195.00	460.00	380.00
6.	मध्य प्रदेश	610.00	682.89	225.00	35.00	400.00	107.00	16.00
7.	महाराष्ट्र	980.00	1,068.10	175.00	100.00	275.00	497.00	51.00
8.	राजस्थान	390.00	429.00	140.00	2.50	60.00	57.00	11.00
9.	गोवा	3.50	3.85	1.30	0.60	—	4.55	—
10.	हरियाणा	490.00	547.00	85.00	1.00	14.00	17.50	12.00
11.	पंजाब	1,050.00	1,144.00	115.00	14.80	150.00	31.30	58.80
12.	उत्तर प्रदेश	1,840.00	2,013.00	254.00	50.00	160.00	98.00	45.30
13.	हिमाचल प्रदेश	30.00	33.00	—	0.20	1.00	1.80	15.25
14.	जम्मू व कश्मीर	65.00	65.37	15.00	2.00	—	—	—
15.	दिल्ली	8.00	8.80	2.00	0.05	0.05	0.20	0.90
16.	बिहार	570.00	626.05	100.00	50.00	100.00	38.00	125.00
17.	उड़ीसा	200.00	216.96	32.00	34.33	32.00	62.00	43.90
18.	पश्चिम बंगाल	380.00	403.94	50.00	71.00	132.20	117.00	23.00
19.	असम	30.00	32.89	6.10	8.50	12.50	—	1.00
20.	त्रिपुरा	7.78	8.56	0.50	2.78	8.23	8.50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	मणिपुर	18.50	19.64	5.80	1.00	4.76	—	—
22.	मेघालय	2.50	2.75	0.50	0.30	2.08	—	—
23.	नागालैंड	0.40	0.44	0.50	0.15	0.05	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.30	0.33	0.18	0.07	0.02	0.02	—
25.	मिजोरम	0.45	0.50	0.35	0.27	—	—	—
26.	सिक्किम	1.00	1.10	0.40	0.05	—	—	—
	अन्य	32.92	35.87	2.35	16.21	21.12	4.88	6.86
	समस्त भारत	8766.58	9576.42	2025.21	760.14	1,787.48	2,789.35	1,037.61

विवरण–II

यूरिया का पिछले दो खरीफ मौसमों के दौरान किए गए आवंटनों की तुलना में खरीफ 1995 में किया गया आवंटन

हजार मीटरी टन में

क्र.सं.	राज्य	खरीफ, 1993	खरीफ, 1994	खरीफ, 1995
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	836.55	907.04	922.85
2.	कर्नाटक	372.56	421.55	464.04
3.	केरल	68.68	73.08	65.15
4.	तमिलनाडु	236.53	214.50	252.34
5.	गुजरात	354.64	367.82	528.00
6.	मध्य प्रदेश	522.50	600.82	682.89
7.	महाराष्ट्र	927.40	1,008.70	1,068.10
8.	राजस्थान	313.50	363.00	429.00
9.	गोवा	3.04	3.08	3.85
10.	हरियाणा	446.60	462.00	547.00
11.	पंजाब	887.85	878.42	1,144.00
12.	उत्तर प्रदेश	1,605.80	1,765.50	2,013.00
13.	हिमाचल प्रदेश	18.41	20.93	33.00
14.	जम्मू व कश्मीर	54.33	58.15	65.37
15.	दिल्ली	8.24	8.67	8.85
16.	बिहार	540.50	569.88	626.05
17.	उड़ीसा	200.74	214.89	216.96
18.	पश्चिम बंगाल	288.48	337.77	403.94
19.	असम	23.91	25.34	32.89
20.	त्रिपुरा	8.80	6.35	8.56
21.	मणिपुर	16.46	19.80	19.64
22.	मेघालय	1.30	2.42	2.75
23.	नागालैंड	0.55	0.33	0.44
24.	अरुणाचल प्रदेश	0.22	0.25	0.33
25.	मिजोरम	0.33	0.44	0.50
26.	सिक्किम	1.10	1.10	1.10
	समस्त भारत	7,775.83	8,381.14	9,576.42

वृक्षारोपण

***272. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने रेलवे की भूमि पर वनरोपण तथा वृक्षारोपण का कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम लागू किये गये तथा वास्तविक खर्च और वास्तविक उपलब्धियों के रूप में इसके क्या परिणाम निकले और आठवीं योजना अवधि के दौरान लागू किये जाने वाले कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम को अधिक सफल और कम खर्चीला बनाने के लिए तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों/फलदायी वृक्षों को योजनाबद्ध तरीके से लगाने का है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे भूमि पर लगभग 23 करोड़ रुपए की लागत पर लगभग 368 लाख पौधे लगाए गए हैं।

वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम आठवीं योजना के शेष वर्षों में वृक्षारोपण के अंतर्गत अधिक क्षेत्र लाने के लिए जारी रखा जाएगा बशर्ते कि ऐसा करना व्यावहारिक हो।

(ग) जी, हां।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी उपसमिति

***273. श्री राम कापसे : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे** कि :

(क) क्या खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में कमी लाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी कोई मंत्रिमंडलीय उपसमिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ग) इस समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने इन सिफारिशों को लागू कर दिया है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

ताल छप्पर अभयारण्य

***274. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के ताल छप्पर अभयारण्य में कौन-कौन से और कितने वन्यजीव हैं;

(ख) क्या उक्त अभयारण्य में देश और विदेशों के पक्षी भी अस्थाई रूप से ठहरते हैं;

(ग) यदि हां, तो इनकी अनुमानित संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस अभयारण्य की उपेक्षा तथा कुप्रबन्धन के कारण इन वन्य जीवों की प्रजाति के विलुप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या वन्य जीव संस्थान, देहरादून, ने इस अभयारण्य के प्रबन्धन में सुधार लाने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(च) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में क्या उपाय सुझाये गये हैं और इन सुझावों को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). राज्य सरकार द्वारा की गई 1995 की गणना के अनुसार राजस्थान के ताल छप्पर अभयारण्य में वन्य जीव जन्तुओं की 7 प्रमुख प्रजातियां पाई गई हैं, यद्यपि देशी पक्षी अभयारण्य में स्थायी रूप से रहते हैं, सर्दी के महीनों के दौरान प्रवासी पक्षियों की लगभग 10 से 12 प्रजातियां अल्पावधि के लिए अभयारण्य में आती हैं। वन्य जीव जन्तुओं और उनकी अनुमानित संख्या का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ). जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राजस्थान सरकार से प्राप्त 1995 की गणना रिपोर्ट के अनुसार ताल छप्पर अभयारण्य में पाए गए वन्य जीवों के नाम और उनकी संख्या निम्नानुसार है :—

वन्य जन्तु/पक्षी का नाम	संख्या
काली बतख	1418
सियार	35
लोमड़ी	26
खरगोश	22
मोर	73
तीतर	110
नीलगाय	16

अभयारण्य में आने वाले प्रवासी पक्षियों की सही संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल है क्योंकि वे बहुत कम अवधि के लिए ठहरते हैं। तथापि, डेमोइसेले सारसें बारहेडेड गीज जैसे प्रवासी पक्षियों की प्रमुख प्रजातियों की संख्या क्रमशः 1500 तथा 50 होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

कामकाजी महिला होस्टल

***275. श्री हरि सिंह चावड़ा :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय प्रत्येक राज्य में कितने कामकाजी महिला होस्टल हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य से गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसे होस्टलों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ग) इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है और इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) शेष प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ). बच्चों के लिये दिवस देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल भवन के निर्माण/विस्तार के लिये सहायता की स्कीम के अन्तर्गत 49,591 कामकाजी महिलाओं को आवास प्रदान करने के लिये 741 होस्टल मंजूर किये गये हैं, जिसमें से 264 होस्टलों में 6852 बच्चों के लिये दिवस देखभाल की सुविधायें हैं। इन परियोजनाओं का राज्यवार वितरण दर्शाने वाला विवरण-I के रूप में संलग्न है। वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 (आज तक) के दौरान 214 प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

वर्ष 1992-93, 1993-94, 1994-95 और 1995-96 (आज तक) के दौरान स्वीकृत कामकाजी महिला होस्टलों की संख्या और अनुमोदित कुल अनुदान इस प्रकार है।

क्र.सं.	वर्ष	स्वीकृत होस्टलों की सं.	स्वीकृत क्षमता	कुल अनुमोदित अनुदान
1.	1992-93	30	2182	रु. 481 लाख
2.	1993-94	30	2069	रु. 494 लाख
3.	1994-95	53	4594	रु. 1360 लाख
4.	1995-96	1	84	रु. 26 लाख
	(आज तक)	114	8929	रु. 2361 लाख

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या और कुल अनुमोदित अनुदान दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

बकाया प्रस्ताव कब तक अनुमोदित हो जायेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्कीम के अन्तर्गत सभी अपेक्षाएं कब तक पूरी हो जाती हैं।

विवरण-I

22.8.1995 तक स्वीकृत कामकाजी महिला होस्टलों का राज्य/संघ राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	होस्टलों की संख्या	कामकाजी महिलाएं	होस्टलों की संख्या	बच्चों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	37	2078	6	150
2.	अरुणाचल प्रदेश	9	341	2	45
3.	असम	11	677	1	20
4.	बिहार	8	482	4	105
5.	गोवा	2	120	—	—
6.	गुजरात	25	1129	5	150
7.	हरियाणा	15	997	7	210
8.	हिमाचल प्रदेश	13	472	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	5	352	2	40
10.	कर्नाटक	57	4068	17	501
11.	केरल	118	10182	66	1776
12.	मध्य प्रदेश	65	3307	13	355
13.	महाराष्ट्र	102	7031	40	930
14.	मणिपुर	10	430	6	170
15.	मेघालय	3	214	1	15
16.	मिजोरम	2	60	—	—
17.	नागालैंड	6	376	1	20
18.	उड़ीसा	25	1606	8	140
19.	पंजाब	12	1278	4	110

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	35	1641	13	300
21.	सिक्किम	2	144	1	30
22.	तमिलनाडु	87	5563	38	960
23.	त्रिपुरा	1	50	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	34	2495	8	230
25.	पश्चिम बंगाल	32	1822	14	386
	योग	716	46915	257	6643
संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	36	—	—
2.	चण्डीगढ़	5	480	1	30
3.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—
4.	दमन और दीव	—	—	—	—
5.	दिल्ली	16	2037	6	179
6.	लक्षद्वीप	—	—	—	—
7.	पांडिचेरी	3	123	—	—
	योग	25	2676	7	209
	कुल योग	741	49591	264	6852

विवरण-II

वर्ष 1992-93,1993-94, 1994-95 और 1995-96 (22.8.95 तक) के दौरान कामकाजी महिलाओं के लिये होस्टल भवन के निर्माणार्थ सहायता की स्कीम के अन्तर्गत सहायतानुदान के लिये प्राप्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार प्रस्तावों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	2	3	—	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	3	—	5
3.	असम	—	1	3	—	4
4.	बिहार	—	—	-	5	5
5.	गोवा	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	1	1	3	—	5
7.	हरियाणा	—	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	1	—	1
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	5	—	5
10.	कर्नाटक	5	5	15	1	26
11.	केरल	5	7	8	1	21
12.	मध्य प्रदेश	—	2	2	2	6
13.	महाराष्ट्र	9	14	22	—	45

1	2	3	4	5	6	7
14.	मणिपुर	1	—	—	1	2
15.	मिजोरम	—	—	—	—	—
16.	मेघालय	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	1	—	2	—	3
18.	उड़ीसा	1	1	1	1	4
19.	पंजाब	—	1	1	1	3
20.	राजस्थान	3	1	1	—	5
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	1	12	29	—	42
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	—	2	5	2	9
25.	पश्चिम बंगाल	—	3	4	1	8
	राज्यों का योग	34	53	108	15	210
	संघ राज्य क्षेत्र					
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—
2.	चण्डीगढ़	—	1	—	—	1
3.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—
4.	दमन और दीव	—	—	—	—	—
5.	दिल्ली	1	—	2	—	3
6.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—
7.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—
	संघ राज्य क्षेत्र योग	1	1	2	—	4
	कुल योग	35	54	110	15	214

विवरण-III

वर्ष 1992-93,1993-94 और 1994-95 के दौरान स्वीकृत कामकाजी महिला होस्टलों की संख्या तथा आवंटित राशि का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93			1993-94			1994-95		
		होस्टलों की संख्या	स्वीकृत क्षमता	अनुमोदित कुल अनुदान	होस्टलों की संख्या	स्वीकृति क्षमता	अनुमोदित कुल अनुदान	होस्टलों की संख्या	स्वीकृति क्षमता	अनुमोदित कुल अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							(रुपये लाखों में)			
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	378	77.18	1	80	21.75	2	130	32.72
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	22	6.45	1	30	8.69	1	60	20.80
3.	असम	—	—	—	1	50	11.89	2	124	37.74
4.	बिहार	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	गोवा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	1	50	12.41	1	48	12.49	2	90	23.89
7.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	—	—	3	181	72.40
10.	कर्नाटक	5	452	100.53	4	272	73.79	6	489	141.47
11.	केरल	4	437	79.73	5	453	73.34	3	218	49.33
12.	मध्य प्रदेश	—	—	—	2	84	22.47	—	—	—
13.	महाराष्ट्र	8	592	139.83	9	583	142.74	5	318	73.87
14.	मणिपुर	1	34	10.26	—	—	—	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	नागालैंड	1	52	14.63	—	—	—	—	—	—
18.	उड़ीसा	1	50	9.14	—	—	—	1	66	21.13
19.	पंजाब	—	—	—	1	96	28.03	1	75	15.13
20.	राजस्थान	1	35	7.93	—	—	—	—	—	—
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	—	—	—	1	50	9.60	23	2279	644.21*
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	1	66	15.16	1	52	13.51
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	2	155	43.32	2	138	39.27
	राज्य उप-योग	29	2102	458.09	29	1967	463.27	52	4230	1185.47
	संघ राज्य क्षेत्र									
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	चण्डीगढ़	—	—	—	1	102	30.37	—	—	—
28.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	दमन और दीव	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	दिल्ली	1	80	23.15	—	—	—	1	364	174.89
31.	लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	संघ राज्य क्षेत्र योग	1	80	23.15	1	102	30.37	1	364	174.89
	कुल योग	30	2182	481.24	30	2069	493.64	53	4594	1360.36

* वर्ष 1995-96 में, तमिलनाडु में 84 महिलाओं के लिये एक कामकाजी महिला होस्टल और 26 लाख रुपये का अनुदान अनुमोदित किया गया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय नीति

***276. श्री जार्ज फर्नान्डीज : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय नीति पर सरकार द्वारा निर्णय लेने में "अनावश्यक रूप से अधिक समय" लेने पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सबंध में कोई राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्णय कर लिया है; और

(ग) इस समिति द्वारा की गई टिप्पणियों पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं :

"समिति चिन्ता व्यक्त करती है कि सरकार ने एक राष्ट्रीय नीति के रूप में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवर्तन लाने के प्रश्न पर निर्णय लेने में अत्यधिक लम्बा समय लिया है।"

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय नीति" के बारे में मंत्रियों की समिति ने अपनी रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एकसमान पद्धति को सख्ती से लागू नहीं किया जा सकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद ने मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर राज्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय विकास परिषद के मंच पर और विचार-विमर्श करने की सिफारिश की है। केन्द्रीय सरकार ने इस मामले को पहले मंत्रियों के एक दल को भेजने का निर्णय किया था। संसदीय स्थाई समिति ने अपनी आठवीं रिपोर्ट में टिप्पणी की थी कि मंत्रियों के दल का अभी तक गठन नहीं किया गया है। मंत्रियों के दल का अब गठन किया जा चुका है।

[हिन्दी]

दुग्ध और डेरी उत्पादों का निर्यात

***277. श्री लाल बाबू राय :**
श्री एस.एस.आर. राजेन्द्र कुमार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गत छः माह में दूध का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या दूध और अन्य डेरी उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार विदेशी मुद्रा अर्जन हेतु डेरी उत्पादों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश-वार कुल कितनी मात्रा में दूध और अन्य डेरी उत्पादों का निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) देश में दुग्ध उत्पादन के आंकड़े वार्षिक आधार पर संकलित किए जाते हैं। वर्ष 1994-95 के दौरान देश में दूध का कुल उत्पादन 1993-94 के 60.2 मी.टन की तुलना में अनन्तिम रूप से 63.5 मी. टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग). मौजूदा आयात निर्यात नीति के अन्तर्गत, तरल दूध तथा अन्य डेयरी उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर भी, दूध, शिशु दुग्ध आहार तथा जीवाणु रहित तरल दूध का निर्यात, निर्यात लाइसेंस प्रदान करने के अध्याधीन है। दुग्ध चूर्ण (स्किम्ड अथवा सम्पूर्ण मलाइयुक्त), सम्पूर्ण शिशु दुग्ध आहार, शुद्ध घी तथा मक्खन का निर्यात भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए जाने वाले मात्रात्मक परिसीमन तथा कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले पंजीकरण एवं आवंटन प्रमाणपत्र के अध्यधीन है।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए गए दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की मात्रा तथा उनके मूल्य को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

मात्रा कि.ग्रा. में
मूल्य रुपये में

देश	1991-92		1992-93		1993-94	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बंगलादेश	1561796	59820524	140536	9257617	777447	40984334
यू.ए.इ.	736924	34019364	356133	31924408	498881	32947486
रुस	-	—	386660	23748774	197568	13043235
श्रीलंका	125980	4197000	—	—	251625	10026952
बहराइन	28000	2679115	40740	3957658	63113	5955799
नेपाल	130856	7353365	38038	2227340	78436	5143918
कुवैत	—	—	12000	1317087	50000	4932253
यू.एस.ए.	—	—	—	—	74485	4475081
नाइजेरिया	—	—	—	—	66384	4036732
मॉरिसस	—	—	—	—	23400	1370959
नीदरलैंड	2	200	—	—	10000	44782
जर्मनी	—	—	—	—	2071	376000
सिंगापुर	300	11313	10062	1469388	3000	224094
फिलिपिन्स	—	—	—	—	2040	207320
हांगकांग	—	—	—	—	2400	173899
मेक्सिको	—	—	—	—	660	150980
वियतनाम	—	—	—	—	2040	148636
कनाडा	1015	34288	560	21996	1960	81875
रियुनियन	—	—	—	—	255	12855
जार्डन	—	—	—	—	90	4089
ओमान	24989	2111188	78900	8212982	50	2000
अफगानिस्तान	2600	87000	4800	375000	—	—
आस्ट्रेलिया	2200	173411	4757	210287		
भूटान	7989	950337	—	—	—	—
यू.के.	12440	489294	35	1725	—	—
लाव पेप. डेम. रेट.	—	—	8000	72599	—	—
मालदीव	—	—	275	27000	—	—
कटार	5451	181247	—	—	—	—
सऊदी अरब	—	—	1191	65207	—	—
सोमालिया	3000	334850	—	—	—	—
स्वीटजरलैण्ड	—	—	8404	450200	—	—
सैचेलीज	—	—	2238	344672	—	—
उप-समूह योग	2643542	112442496	1093329	83683940	2105905	124746309

फसल बीमा योजना

*278. **श्री राजवीर सिंह :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान व्यापक फसल बीमा योजना के अन्तर्गत भारी घाटा हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) जी, हां। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारों को व्यापक फसल बीमा योजना लागू करने में निम्नलिखित हानि हुई है :

(रुपये लाख में)

वर्ष	हानि
1991-92	18,443.12
1992-93	3,410.17
1993-94	18,094.53

(ख) पिछले वर्षों के दौरान हुई राज्यवार हानि को संलग्न विवरण में रख दिया गया है।

विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	हानि		
		1991-92	1992-93	1993-94
1.	आन्ध्र प्रदेश	2745.43	1101.28	—
2.	असम	—	1.78	—
3.	बिहार	378.41	1336.57	—
4.	गोवा	—	—	—
5.	गुजरात	13096.71	—	16875.64
6.	हिमाचल प्रदेश	—	4.33	2.69
7.	जम्मू और कश्मीर	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
8.	कर्नाटक	13.78	439.52	166.65
9.	केरल	11.72	—	18.27
10.	मणिपुर	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
11.	मध्य प्रदेश	436.57	43.46	—
12.	महाराष्ट्र	1745.72	—	—
13.	मेघालय	—	0.09	—
14.	उड़ीसा	16.78	380.19	—
15.	राजस्थान	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
16.	तमिलनाडु	—	102.95	1018.67
17.	त्रिपुरा	—	—	—
18.	उत्तर प्रदेश	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
19.	पश्चिम बंगाल	—	—	—
20.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—
21.	दिल्ली	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया	भाग नहीं लिया
22.	पांडिचेरी	—	—	12.61
	कुल	18443.12	3410.17	18094.53

[अनुवाद]

राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों आदि के अन्तर्गत भूमि

***279. श्री गुरुदास कामत :**
श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय उद्यानों, बाघ आरक्षित वन-क्षेत्रों और अभयारण्यों के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्र कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश के कुल भूक्षेत्र में से कितना आरक्षित वन-क्षेत्रों और अभयारण्यों के अन्तर्गत है;

(ग) ऐसी संरक्षित भूमि के क्षेत्र में कमी आने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्तमान परिस्थितियों में जल, ऊर्जा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए कोई अभियान शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के अंतर्गत कुल 148,849.03 वर्ग कि. मी. क्षेत्र है। यह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 4.52 प्रतिशत बनता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (च). गंगा, यमुना तथा गोमती नदियों के लिए चल रही कार्य योजना के अलावा 10 राज्यों में 18 नदियों के प्रदूषित भागों के लिए एक राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्य योजना मंजूर की गई है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना भी आरम्भ की जा रही है। काष्ठि ऊर्जा ईंधन के संरक्षण के लिए ईंधन की लकड़ी का वृक्षारोपण किया जा रहा है तथा ईंधन की बचत करने वाले चूल्हों तथा गोबर गैस के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईंधन और चारे के पौधरोपण को बढ़ावा देने और वनीकरण के संवर्द्धन के लिए अनेक परियोजनाएं और स्कीमें चल रही हैं। जागरूकता तथा शिक्षा कार्यक्रम सहित विभिन्न परियोजनाएं भी पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

नकदी फसलों में वृद्धि

***280. श्री मनोरंजन सुर :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश के कृषि क्षेत्र में गेहूं तथा चावल जैसी खाद्य फसलों के स्थान पर अधिक नकदी फसलें उगाने की नई प्रवृत्ति की ओर आकर्षित किया गया है जिसे बड़े औद्योगिक घरानों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बढ़ावा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख). 1991-92 और 1992-93 की तुलना में 1994-95 में चावल और गेहूं के अन्तर्गत क्षेत्र में कोई स्पष्ट कमी नहीं आई है। कृषि क्षेत्र में आय और रोजगार को बढ़ावा देने की दृष्टि से कृषि को विविधीकृत करने के लिए नकदी फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र को बढ़ाना सरकार की नीति का भाग है। कृषि का विविधीकरण और नकदी फसलों का बढ़ावा चावल और चावल और गेहूं की उपेक्षा करके नहीं किया जा रहा है। वास्तव में चावल और गेहूं दोनों के अधीन संयुक्त रूप से 1994-95 में 67.12 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र था जबकि 1992-93 और 1991-92 में दोनों के अधीन क्रमशः 66.37 मिलियन हैक्टेयर और 65.91 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र था।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे क्रासिंग

2628. श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 पर कितने रेलवे क्रासिंग हैं;

(ख) क्या मुरादाबाद के नजदीक रामपुर/काकाशीपुर तिहारा चौक पर एक रेलवे क्रासिंग है;

(ग) क्या इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की बहुतायात है;

(घ) क्या सरकार का विचार रामपुर/काशीपुर तिहारा चौक क्रासिंग पर एक उपरिपुल का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इस स्थान पर अक्सर यातायात जाम से बचने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 20।

(ख) और (ग). जी, हां।

(घ) और (ङ). राज्य सरकार ने कि.मी. 1392/9-10 पर समपार सं. 413-ए के कि.मी. 392/6-7 पर एक ऊपरी सड़क पुल द्वारा बदलाव का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव को भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा स्वीकार्य नहीं पाया गया है जिन्होंने प्रस्तावित बाईपास के संरेखण पर कि.मी. 1390/5 पर ऊपरी सड़क पुल का सुझाव दिया है। यह मामला मार्च, 92 में राज्य सरकार को प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच और अन्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए भेजा गया था। राज्य सरकार ने इस संबंध में अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

कृषि मानव संसाधन विकास परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक सहायता

2629. श्री एन.जे. राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विश्व बैंक द्वारा धन प्रदान किए जाने के लिए मंजूरी हेतु किन-किम राज्यों द्वारा प्रस्ताव भेजे गए हैं;

(ख) इन परियोजनाओं में से पिछड़े/ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाएं कितनी हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यावाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) चार राज्य नामतः आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु और कर्नाटक को विश्व बैंक की कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अभिज्ञात किया गया था। अंततः यह निर्णय लिया गया कि कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना केवल तीन राज्यों, नामतः आंध्र प्रदेश, हरियाणा और तमिलनाडु के साथ-साथ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में क्रियान्वित की जाए। कर्नाटक को छोड़ दिया गया क्योंकि कर्नाटक राज्य सरकार विश्व बैंक की कुछ शर्तों का अनुपालन नहीं कर सकी।

(ख) ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया गया क्योंकि यह परियोजना न तो क्षेत्र विशिष्ट है और न लक्ष्य समूह विशिष्ट परियोजना है।

(ग) कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना 59.5 मिलियन अमेरिकी डालर के विश्व बैंक ऋण से 4.8.1995 से पांच वर्ष के लिए प्रभावी हुई है।

[अनुवाद]

पर्यावरण कोष

2630. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल जैसी त्रासदी के लिए बनाया गया पर्यावरण कोष केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके प्रबंध को कोई दिशा निर्देश न दिए जाने के कारण ठप्प है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने में क्या कठिनाई है; और

(ग) उक्त कोष प्रबंध को दिशा निर्देश जारी करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि बीमा कम्पनियां इस कोष में पूंजी निवेश कर सकें?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). फिलहाल, सामान्य बीमा निगम और इसकी सहायक कंपनियां इस मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार पर्यावरण राहत निधि को अल्पावधि निक्षेपों में रख रही है। विस्तृत दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उनको पर्यावरण राहत निधि की स्थापना और रख-रखाव की स्कीम में प्रकाशित किया जाएगा। निधि के पुनर्निवेश के लिए कार्यविधियों को भी स्कीम में शामिल किया गया है।

आसनसोल में ठहराव

2631. श्री हाराधन राय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रैस के गया, इलाहाबाद और मधुपुर में शनैः शनैः ठहराव की व्यवस्था कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके आसनसोल स्टेशन पर ठहराव हेतु कुछ कदम उठाये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). नई दिल्ली-हवड़ा-भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस आसनसोल में पहले से ही ठहरती है। इसलिए नई दिल्ली-हवड़ा राजधानी एक्सप्रेस की आसनसोल में ठहराव देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दोहरी रेल लाइन

2632. प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उपनगरीय क्षेत्र के सभी सेक्शन दोहरी रेल लाइन से जोड़ दिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो अभी तक किन-किन सेक्शनों में दोहरी लाइन नहीं बिछाई गई है;

(ग) क्या कलकत्ता उपनगरीय क्षेत्र के सभी सेक्शनों में दोहरीकरण हेतु कुछ कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) निम्नलिखित खण्डों पर इकहरी लाइनें हैं :—

1. माइल-बजबज
2. सोनारपुर-केनिंग
3. बरईपुर डायमण्ड हार्बर
4. बरईपुर-करजली
5. कल्याणी-सिमानता
6. शेवड़ाफुली-तार्केश्वर
7. मछलंदपुर-बनगांव
8. मेट्रो

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) वहन क्षमता संतृप्त होने पर मौजूदा इकहरी लाइन खंडों का दोहरीकरण किया जाता है, ऐसा करते समय गहन माल गाड़ी खंडों को प्राथमिकता दी जाती है। इन खंडों पर यातायात के औचित्यपूर्ण स्तर तक पहुंचने पर इन खंडों के दोहरीकरण पर विचार किया जाएगा बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[हिन्दी]

ए सी 2-टीयर कोच

2633. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नई दिल्ली और गुवाहाटी के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस में कटिहार जंक्शन के लिए एसी 2-टीयर और 3-टीयर की आरक्षित बर्थों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). गाड़ी के प्रारंभिक स्टेशनों और कोटा धारक अन्य स्टेशनों पर कोटे का पूरा-पूरा उपायोग होने के कारण, 2423/2424 गुवाहाटी-नई दिल्ली-गुवाहाटी राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों में कटिहार स्टेशन का आरक्षण कोटा बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

एन.सी.सी.एफ.

2634. श्री प्रभू दयाल कठेरिया : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एन.सी.सी.एफ. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और सामान्य वर्गों की पदोन्नति के संबंध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए संवर्ग-वार और पद-वार कितने पद आरक्षित हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान संवर्ग-वार कितने पद रिक्त रहे हैं;

(घ) रोस्टर के हिसाब से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति पदोन्नत किए गए हैं; और

(ङ) विभागीय अभ्यर्थियों में से पदोन्नति के द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने पद भरे गए हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में भारत सरकार की नीति का अनुसरण करते हैं।

(ख) भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत पद अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं।

(ग) राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में 31.7.95 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए वर्ग-वार आरक्षित पदों और खाली पड़े पदों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने अतिरिक्त कर्मचारियों को कार्यमुक्त करने के लिए स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना शुरू की है। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहारी सहकारी संघ ने स्टाफिंग के पैटर्न का पुनर्गठन किया है और 668 कर्मचारियों की वर्तमान संख्या के मुकाबले कर्मचारियों की संख्या 593 रखने का अनुमोदन किया है।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ ने सूचित किया है कि उन सभी कर्मचारियों को जिन्होंने एक विशेष पद पर 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं, अगले उच्च पद पर पदोन्नत कर दिया गया है। इस प्रक्रिया के द्वारा 71 कर्मचारी, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी शामिल हैं, उच्च पदों पर पदोन्नत कर दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	पद का नाम	कुल स्वीकृत सं.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पद		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदस्थ कर्मचारियों की स्थिति	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की कमी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों का आधिक्य
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति			
1	2	3	4		5	6	7
1.	प्रबंध निदेशक	1	—	—	—	—	—
2.	अतिरिक्त प्रबंध निदेशक	1	—	—	—	—	—
3.	मुख्य परामर्शदाता	1	—	—	—	—	—
4.	महाप्रबंधक	2	—	—	—	—	—
5.	प्रबंधक/वरिष्ठ परामर्शदाता	6	1	—	—	1	—
6.	वरिष्ठ परामर्शदाता/संयुक्त प्रबंधक	4	1	—	—	1	—
7.	उप प्रबंधक/परामर्शदाता/वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/वरिष्ठ हिंदी अधिकारी	27	4	2	—	6	—
8.	सहायक प्रबंधक-I/वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी	36	5	3	1	7	—
9.	निजी सचिव	2	—	—	1	—	1
10.	सहायक प्रबंधक-II	17	3	1	3	1	—
11.	वैयक्तिक सहायक	10	2	—	—	2	—
12.	फील्ड अधिकारी	41	6	3	1	8	—
13.	वरिष्ठ आशुलिपिक	19	3	1	1	3	—
14.	फील्ड सहायक	25	4	2	18	—	12
15.	उच्च श्रेणी लिपिक	66	10	5	18	—	3
16.	कनिष्ठ आशुलिपिक	16	2	1	—	3	—
17.	अवर श्रेणी लिपिक	65	10	5	4	11	—
18.	टेलीफोन/टेलेक्स आपरेटर	16	2	1	—	3	—
19.	महाप्रबंधक (वित्त)	1	—	—	—	—	—
20.	प्रबंधक (वित्त)	1	—	—	—	—	—
21.	उप प्रबंधक (ए एंड एफ)	5	1	—	2	—	1
22.	सहायक प्रबंधक (लेखा)	10	2	1	1	2	—
23.	लेखाकार	29	4	2	—	6	—
24.	वरिष्ठ लेखा सहायक	9	1	1	—	2	—
25.	कनिष्ठ लेखा सहायक	8	1	1	7	—	5
26.	वरिष्ठ लेखा लिपिक	52	8	4	2	10	—
27.	कनिष्ठ लेखा लिपिक	9	1	1	—	2	—
28.	गेस्टेटनर आपरेटर	9	1	1	2	—	—
29.	रिकार्ड कीपर/स्टोर हेल्पर	6	1	—	4	—	3

1	2	3	4		5	6	7
30.	गैस्ट हाउस परिचर	—	—	—	—	—	—
31.	दफ्तरी/पैकर	14	2	1	12	—	9
32.	चपरासी/चौकीदार	70	11	5	—	16	—
33.	सफाई कर्मचारी	5	1	—	—	1	—
34.	आपरेटर/वाइन्डर	—	—	—	—	—	—
35.	ड्राइवर	10	2	1	1	2	—
36.	रसोइया		—	—	—	—	—
37.	कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी	—	—	—	—	—	—
38.	पर्यवेक्षक	—	—	—	—	—	—
39.	सहायक ओवरसीयर	—	—	—	—	—	—
40.	मिल कर्मचारी	—	—	—	—	—	—
	योग	593	89	42	78	87	34

नोट : राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ में 1984 के पश्चात्, अनुकंपा आधार की कुछ नियुक्तियों को छोड़कर, कोई भर्ती नहीं की गई है।

[हिन्दी]

पार्सल वैन

2635. श्री भोगेन्द्र झा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्व रेलवे में दरभंगा से मधुबनी, जयनगर, निर्मली, लौकहा बाजार तथा जनकपुर रोड स्टेशनों को जाने वाली मालगाड़ियां बन्द की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त मालगाड़ियों को बन्द करने के पश्चात् उपर्युक्त स्टेशनों में से किसी पर पार्सल वैन की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या रक्सौल और दरभंगा स्टेशनों से बड़ी रेलवे लाइन की मालगाड़ियों में पार्सल रखने की अनुमति दी जायेगी;

(ङ) क्या प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे गोदामों को पार्सल बुकिंग कार्यालयों में परिवर्तित करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन खंड के बड़ी लाइन में परिवर्तित हो जाने के बाद, इन अलग-थलग मी.ला. खंडों पर यातायात की दृष्टि से मालगाड़ियां चलाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ग) पार्सलों की बुकिंग तथा उनकी निकासी स्टेशनों पर आवश्यकता के अनुसार जारी रहेगी।

(घ) रक्सौल तथा दरभंगा में पार्सलों का लदान/यानांतरण जारी रहेगा।

(ङ) और (च). पर्याप्त पार्सल बुकिंग और निकासी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बड़े स्टेशनों पर स्थित रेल गोदामों को पार्सल बुकिंग कार्यालयों में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान में औद्योगिक प्रदूषण

2636. श्री कुन्जी लाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के विभिन्न जिलों में पैदा हो रहे औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। कुछ औद्योगिक एककों के विरूद्ध पर्यावरणीय प्रदूषण फैलाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें विनसम ब्रेवरीज लिमिटेड, जिला अलवर, मेसर्स गुप्ता सीमेंट फैक्ट्री, जिला झुंझरू और अपाली में वस्त्र एकक शामिल हैं।

(ग) राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विशिष्ट शिकायतों की जांच करने और उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

1. प्रदूषणकारी बड़े उद्योगों के लिए उत्सर्जन और बहिस्राव मानक अधिसूचित किए गए हैं।

2. उद्योगों को निर्धारित समयावधि में प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक उपकरण लगाने का निदेश दिया गया है और चूककर्ता एककों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है।

3. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 1994 लागू है जिसके अनुसार विकासात्मक परियोजनाओं के 29 विनिर्दिष्ट श्रेणियों का पर्यावरणीय मूल्यांकन किया जाता है।

4. छोटे पैमाने के उद्योगों के समूहों में एक साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए एक योजना शुरू की गई है; और

5. पाली में कपड़ा उद्योगों के समूह से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक विशिष्ट कार्य योजना तैयार की गई है।

[अनुवाद]

रेलवे पुल

2637. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में पुराने होलीफेन्टा तथा मेथुगड्डा पुलों पर अत्यधिक यातायात के कारण बहुत भीड़-भाड़ रहती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन पुलों को चौड़ा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). ओलिफैन्टा ब्रिज पर यातायात अवरूद्ध हो जाता है क्योंकि इसके नीचे से दो भारी वाहन एक साथ नहीं निकल सकते। ओलिफैन्टा ब्रिज पर यातायात के अवरोध के कारण, मैट्टुगुडा पुल के नीचे भी यातायात के निकलने में विलंब हो जाता है। ओलिफैन्टा ब्रिज को चौड़ा करने के कार्य को रेलवे निर्माण कार्यक्रम 1995-96 में 4.5 करोड़ रु. की लागत पर (रेलवे का भाग 1.8 करोड़ रु., राज्य सरकार का भाग 2.7 करोड़ रु.) मंजूरी दी गई है। मैट्टुगुडा ब्रिज को चौड़ा करना आवश्यक नहीं समझा जाता क्योंकि इसके नीचे से दो कतारों में यातायात गुजर सकता है।

(घ) और (ङ). ओलिफैन्टा ब्रिज को चौड़ा करने के लिए 1995-96 के बजट में 3 लाख रु. की व्यवस्था की गई है।

एक्जीक्यूटिव क्लास कोचिज

2638. श्री सुखेन्दु खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-बोकारो और हावड़ा-राउरकेला शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में "एक्जीक्यूटिव क्लास कोचिज" उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). प्रथम दर्जा वाता. कुर्सीयान के सवारी डिब्बों (एक्जीक्यूटिव श्रेणी) की अनुपलब्धता के कारण हवड़ा-बोकारो और हवड़ा-राउरकेला शताब्दी एक्सप्रेस में ऐसे सवारी डिब्बे लगाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

रेलवे के ठेके

2639. श्री राम नाईक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन द्वारा खुली निविदा प्रणाली तथा विशेष सीमित निविदा प्रणाली के आधार पर कई ठेके दिए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय रेल द्वारा आमान परिवर्तन हेतु दिए गए पूरे ठेका की जांच कराने हेतु मांग की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस

2640. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा सियालदाह और हल्दीबाड़ी और सियालदाह और नया अलीपुरद्वार के बीच अलग-अलग 3141/3142 तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस चलाने की मांग की गई है क्योंकि हल्दीबाड़ी के लोगों के लिए इस गाड़ी के सिवाय आने-जाने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) से (घ). तीस्ता तोरशार एक्सप्रेस को दो जोड़ी स्वतन्त्र गाड़ियों के रूप में चलाने की जांच की गई थी परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण ऐसा करना व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[हिन्दी]

रेल लाइनें

2641. श्री रामदेव राम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार विश्रामपुर को बारबाड़ीह रेल लाइन से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

टाटानगर से न्यू जलपाईगुड़ी तक रेलगाड़ी

2642. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य दक्षिण बंगाल से रेल से जुड़े हुए नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या आद्रा–आसनसोल, दुर्गापुर होते टाटानगर से न्यू जलपाईगुड़ी/गुवाहाटी तक एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दक्षिण बंगाल (कलकत्ता) पूर्वोत्तर राज्यों/उत्तर बंगाल से क्रमशः 3 जोड़ी/4 जोड़ी दैनिक गाड़ियों और 4 जोड़ी साप्ताहिक गाड़ियों से जुड़ा हुआ है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण पर बांधों का प्रभाव

2643. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांधों के निर्माण से विशेष रूप से बांधों के निर्माण से मानव निर्मित झीलों से टापू में वनस्पति और जीव जन्तुओं के मामले में पर्यावरण पर प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि ऐसा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है तो क्या सरकार की इस संबंध में अध्ययन कराने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). बांधों के निर्माण के संबंध में कोई कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सामान्य रूप से अध्ययन किए जाते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ इन अध्ययनों के तहत जलग्रहण क्षेत्र और कमान क्षेत्रों की स्थिति, वनस्पतिजात/प्राणिजात तथा उनके पुनर्वास की सीमा आते हैं। इन अध्ययनों से भौतिक और जैविक पर्यावरण को होने वाली क्षति की मात्रा का अनुमान लगता है। सर्वेक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर परियोजना के प्रतिकूल प्रभाव को कम से कम करने के लिए अपेक्षित पर्यावरणीय प्रबंध योजनाएं बनाई जाती हैं। जिनमें निर्मित होने वाले दीपों के वनस्पतिजात/प्राणिजात का प्रबंधन शामिल होता है।

[हिन्दी]

इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा

2644. श्री दाऊ दयाल जोशी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1991 से 1995 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की प्रवेश परीक्षा और 1990 से 1994 के दौरान ए.एम.आई.ई. की परीक्षा में आधुनिक भारतीय भाषाओं में परीक्षा माध्यम के रूप में चुनने वाले कितने प्रतिशत परीक्षार्थी सफल रहे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : वर्ष 1991–95 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सफल उम्मीदवारों की प्रतिशतता, जिन्होंने अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा को परीक्षा का माध्यम लिया था, 1.93 है। ए.एम.आई.ई. परीक्षा में उम्मीदवारों को एक ही समय में सभी विषयों में परीक्षा में बैठना तथा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होता। अतः विभिन्न विषय स्कीमों अथवा शाखाओं में सफल उम्मीदवारों की प्रतिशतता भी भिन्न है। कुल पंजीकृत उम्मीदवारों में से लगभग एक प्रतिशत उम्मीदवार अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा लेते हैं। अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा लेने वाले उम्मीदवारों सहित सफल उम्मीदवारों की समग्र प्रतिशतता सामान्यतया 10 प्रतिशत से कम होती है।

[अनुवाद]

प्लेटफार्म टिकटें

2645. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री से जोनवार कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) क्या रेलवे प्लेटफार्म के प्रवेश/निकास द्वार प्रबन्ध कार्य के निजीकरण संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री से हुई कुल राजस्व आमदनी इस प्रकार है :

रेलवे	राशि (करोड़ रुपयों में)
मध्य	5.15
पूर्व	2.09
उत्तर	4.44
पूर्वोत्तर	0.36
पूर्वोत्तर सीमा	0.18
दक्षिण	5.68
दक्षिण मध्य	2.43
दक्षिण पूर्व	1.37
पश्चिम	4.29

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आन्ध्र प्रदेश में अनुसंधान केन्द्र

2646. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान परिषदों, अनुसंधान केन्द्रों और अनुसंधान परियोजनाओं के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) इन परिषदों, केन्द्रों और परियोजनाओं पर गत तीन वर्षों के दौरान अलग-अलग कितना खर्च किया गया; और

(ग) इसका राज्य में कृषि उत्पादन संबंधी अनुसंधान कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). भा.कृ.अ.प. के तहत कार्यरत अनुसंधान संस्थानों, राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों, प्रायोजना निदेशालयों, अखिल भारतीय संमन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के नाम और पिछले तीन वर्षों 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान उनके लिए रिलीज की गई धनराशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) देश भर में भा.कृ.अ.प. प्रायोजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से किए गए अनुसंधानों के परिणामस्वरूप आशाजनक क्षमता वाली किस्में और प्रौद्योगिकी विकसित हुई हैं। बहु-स्थानिक किस्म परीक्षण, कीट-नाशक रसायनों, खरपतवारनाशक रसायनों आदि का परीक्षण परिषद द्वारा किया गया है। कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि उनके सामाजिक-आर्थिक स्तर में सुधार हो सके।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

(रु. लाख में)

संस्थान	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4
केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजामुन्द्री	397.97	526.00	512.45
केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद	199.37	236.88	256.93
राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी, हैदराबाद	195.58	260.09	261.41
राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र			
रा.अ.के.-सोयाबीन	82.48	78.62	117.49
रा.अ.के.-आयलपाम, पेडावेगु	0.00	0.00	6.28

1	2	3	4
प्रायोजना निदेशालय			
प्रा.नि., तिलहन, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	414.64	434.43	449.98
प्रा. नि., चावल, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	320.00	442.75	503.90
प्रा. नि., मुर्गीपालन, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद	175.20	186.67	185.96
अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना			
चुनी हुई फसलों में संकर बीजों का बढ़ाना	4.74	9.38	11.12
अ.भा.स.अ.प्रा.-राष्ट्रीय बीज प्रायोजना	3.95	16.46	21.89
अ.भा.स.अ.प्रा.-सब्जियां	5.70	7.88	0.00
अ.भा.स.अ.प्रा.-मक्का	19.06	31.62	17.26
अ.भा.स.अ.प्रा.-कोदों	7.03	8.53	6.09
अ.भा.स.अ.प्रा.-बाजरा	2.56	2.62	2.85
अ.भा.स.अ.प्रा.-गन्ना	4.68	4.80	4.37
अ.भा.स.अ.प्रा.-कपास	8.40	13.11	10.96
अ.भा.स.अ.प्रा.-पटसन	8.01	10.50	9.55
अ.भा.स.अ.प्रा.-सोयाबीन	1.28	2.26	2.80
अ.भा.स.अ.प्रा.-तम्बाकू	1.60	4.13	2.81
अ.भा.स.अ.प्रा.-कृन्तक नियंत्रण	0.85	3.33	2.24
अ.भा.स.अ.प्रा.-जैविक नियंत्रण	4.19	3.89	2.93
अ.भा.स.अ.प्रा.-मधु मक्खी	1.94	1.55	2.93
अ.भा.स.अ.प्रा.-इक्नोमिक ओमिथोलोजी	7.47	10.75	8.17
अ.भा.स.अ.प्रा.-कीटनाशक रसायनों के अवशेष, हैदराबाद	3.43	3.02	6.25
अ.भा.स.अ.प्रा.-उष्ण कटिबंधीय फल, कोव्वूर, तिरुपति	7.50	8.56	8.66
अ.भा.स.अ.प्रा.-उपोष्ण कटिबंधीय फल, हैदराबाद, सांगरेडे	11.94	10.59	8.20
अ.भा.स.अ.प्रा.-शुष्क फल, अनन्तपुर	1.96	2.80	1.25
अ.भा.स.अ.प्रा.-कन्दीय फसल, हैदराबाद	2.98	2.36	4.00
अ.भा.स.अ.प्रा.-पुष्प विज्ञान, हैदराबाद	1.29	2.07	2.02
अ.भा.स.अ.प्रा.-मसाले, चिंतापल्ली, जगतियाल और लाम	4.23	5.36	4.32
अ.भा.स.अ.प्रा.-काजू, बपतला	1.52	3.31	3.96
अ.भा.स.अ.प्रा.-ताड़, अम्बाजीपेट और विजयराई	3.98	11.30	12.91
अ.भा.स.अ.प्रा.-पान, चिंतालापुड़ी (गुन्टुर जिला)	1.96	5.49	9.65
अ.भा.स.अ.प्रा.-कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी (एच.सी.)	2.29	4.61	3.30
अ.भा.स.अ.प्रा.-मृदा परीक्षण फसल अनुक्रिया	5.52	2.62	1.99
अ.भा.स.अ.प्रा.-बारानी खेती	13.01	15.94	14.92
अ.भा.स.अ.प्रा.-सूक्ष्म पोषक तत्व	3.33	4.27	4.09
अ.भा.स.अ.प्रा.-कृषि मौसम विज्ञान	2.32	3.60	3.56
अ.भा.स.अ.प्रा.-लवण प्रभावित मिट्टियों का प्रबंध	3.42	5.66	0.58
अ.भा.स.अ.प्रा.-कृषि वानिकी	3.29	1.10	3.80

1	2	3	4
अ.भा.स.अ.प्रा.-खरपतवार नियंत्रण	3.96	4.81	3.96
अ.भा.स.अ.प्रा.-कटाई और कटाई के बाद की प्रौ.	1.62	1.08	2.95
अ.भा.स.अ.प्रा.-कृषि जल निकासी	4.08	6.16	5.68
अ.भा.स.अ.प्रा.-गुड़ का रख-रखाव और भंडारण	1.76	2.71	3.10
अ.भा.स.अ.प्रा.-गृह-विज्ञान	6.87	8.14	13.32
अ.भा.स.अ.प्रा.-भेड़	5.95	3.71	7.17
अ.भा.स.अ.प्रा.-सूअर	8.36	8.08	7.25
अ.भा.स.अ.प्रा.-जुताई की आवश्यकता	3.87	3.62	3.63
अ.भा.स.अ.प्रा.-ऊर्जा की आवश्यकता	0.48	0.14	2.04
अ.भा.स.अ.प्रा.-फार्म उपस्कर और मशीनरी	8.68	8.85	9.40
अ.भा.स.अ.प्रा.-अन्य	6.68	11.21	19.99
कृषि विज्ञान केन्द्र			
अनन्तपुर	11.34	21.09	12.94
अमदलवालसा श्री काकुलम	15.72	19.28	15.40
रास्ताकुन्तावाई विजयनगरम	13.34	19.68	11.40
मलयाज, वारगल	5.42	19.49	11.25
क्रीड़ा	11.31	16.37	25.61
सी.टी.आर.आई., राजामुन्द्री	32.08	21.86	28.00
गड्डीपाल्ली, नालगोंडा	33.10	35.66	30.13
यजनतिपल्ली, कुरनूल	20.89	19.21	23.57
मेडक	13.80	27.47	6.00
तिरूपति	23.22	37.78	33.83
करीम नगर	17.65	27.41	16.30
महबूबनगर	11.55	26.71	12.74
गुदूर	19.95	35.60	10.42
नग्याल	15.00	27.43	17.31

रा.अ.के.-राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र

प्रा. नि.-प्रायोजना निदेशालय

स.यू.-समन्वयन यूनिट

अ.भा.स.अ.प्रा.-अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना

शिक्षण सामग्री

2647. श्री विजय एन. पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना आधुनिक शिक्षण सामग्री तथा पाठ्यक्रम शुरू करने की है ताकि बच्चे रुचिपूर्वक विद्या ग्रहण कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार किया है। इस संशोधित पाठ्यक्रम

में आधुनिकीकरण, प्रासंगिकता तथा बाल केन्द्रित दृष्टिकोण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के बोझ को घटाने की आवश्यकता पर उचित ध्यान दिया गया है। आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों को मानचित्रों, चार्टों, स्कूल पुस्तकालय हेतु बाल पुस्तकों, खिलौनों तथा खेल-कूद के सामान और कार्य अनुभव के लिए कुछ उपकरणों सहित अनिवार्य पठन-पाठन सामग्री प्रदान की जाती है ताकि बच्चों को स्कूलों में आकर्षित किया जा सके और स्कूली कार्यकलापों को रूचिकर तथा उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। 5.23 लाख प्राथमिक स्कूलों में पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए 402 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई है।

सिक्किम में शैक्षिक विकास

2648. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्किम सरकार से सिक्किम में उच्च शिक्षा हेतु संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के विचाराधीन कितने प्रस्ताव हैं; और

(ग) क्या राज्य की असामान्य स्थिति और वहां उच्च शिक्षा हेतु किसी संस्था के नहीं होने को देखते हुए वहां कोई विशेष शैक्षिक योजना शुरू की गई है या की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार चिकित्सा, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंध विज्ञानों में एक उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करने के संबंध में सिक्किम सरकार का एक प्रस्ताव आयोग को प्राप्त हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार को सूचित कर दिया है कि प्रस्तावित संस्थान की स्थापना उनके द्वारा राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा की जा सकती है। राज्य सरकार को यह परामर्श भी दिया गया है कि वह राज्य में उच्च शिक्षा की विद्यमान सुविधाओं तथा भविष्य की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करें।

(ग) आयोग के पास, इस समय सिक्किम राज्य में कोई विशेष शिक्षा योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय

2649. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद और कोर्ट की विधान अनुसार नियमित रूप से बैठकें नहीं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कार्यकरण को मजबूत बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जामिया मिलिया इस्लामिया से प्राप्त सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद, अकादमिक परिषद तथा कोर्ट की विधान अनुसार वर्ष 1993 से नियमित रूप से बैठकें हो रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस विश्वविद्यालय के कार्यकरण में कोई भी ऐसी कमी नहीं पाई गई है, अतः ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

यात्री डिब्बों और वैगनों की आपूर्ति

2650. श्री मंजय लाल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में यात्री डिब्बों और वैगनों की मांग का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी आपूर्ति कितनी है और इनकी मांग को पूरा करने हेतु कुल कितने अतिरिक्त संसाधन की आवश्यकता है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इस कमी को पूरा करने के लिए इस कार्य को निजी क्षेत्र को सौंपने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). सवारी डिब्बों तथा माल डिब्बों की आवश्यकता जरूरत पर आधारित होती है। भारतीय रेलों का 1995-96 के दौरान बड़ी लाइन के 19000 माल डिब्बों (चौपहिया यूनिटों में) की खरीद करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, "माल डिब्बे के मालिक बनें" योजना के अंतर्गत 5000 माल डिब्बे (चौपहिया यूनिटों में) उपलब्ध होने की संभावना है। 1995-96 के दौरान 350 इ.एम.यू. सवारी डिब्बों तथा 1,600 अन्य सवारी डिब्बों की खरीद का लक्ष्य है।

इसके अलावा, निर्माण-स्वामित्व-पट्टा-अंतरण(बोल्ट) योजना के अंतर्गत 10,000 माल डिब्बे (चौपाहिया यूनिटों में) तथा 1000 सवारी डिब्बे प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

उपरि पुल

2651. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन के अंतर्गत प्रधानखुंटा स्टेशन पर एक उपरि पुल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या धनबाद डिवीजन में ऐसा कोई और जंक्शन भी है जहां पर कोई उपरि पुल नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जायेगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). प्रधानखुंटा रेलवे स्टेशन पर 20 लाख रु. की लागत वाले एक ऊपरी पैदल पुल के निर्माण के प्रस्ताव की मंजूरी के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च). प्रश्न नहीं उठता।

रोपवे का निर्माण

2652. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक राज्य के मैसूर स्थान पर स्थित चामुण्डी पर्वत माला के लिए रोपवे के निर्माण को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब दी गयी तथा इसके लिए क्या शर्तें रखी गयी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). केन्द्र सरकार को यह परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए प्राप्त नहीं हुई।

उपरि पुल

2653. श्री थाइल जान अंजलोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 47 पर अंबालापुसा में रेल उपरि पुल के कार्य में अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या इस परियोजना को चालू वर्ष की कार्य योजना में शामिल किया गया है अथवा किया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). कार्य की प्रगति अच्छी चल रही है।

(ग) यह एर्णाकुलम-अंबालापुझा-कायनकुलम नई लाइन परियोजना के भाग के रूप में स्वीकृत है, जिसकी लागत 53.57 करोड़ रु. है।

(घ) और (ङ). इस कार्य को नवंबर, 95 तक पूरा किये जाने की योजना है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों का आन्दोलन

2654. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ और दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षण समुदाय के अन्य सदस्यों ने लेक्चरारों/रीडरों के चयन हेतु विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित योग्यताओं में छूट तथा लेक्चरारों की रीडरों और रीडरों की प्रोफेसरों के रूप में प्रोन्नति करने के लिए गत शैक्षिक वर्ष के दौरान आन्दोलन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ लेक्चरारों/रीडरों के चयन के लिये और लेक्चरार से रीडर और रीडर से प्रोफेसर के पद पर प्रोन्नति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताओं में छूट देने के लिए लगातार मांग कर रहा है। इस मांग को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली विश्वविद्यालय में स्थायी/अस्थायी तदर्थ आधार पर लेक्चररों के रूप में कार्य कर रहे अनेक श्रेणियों के व्यक्तियों, एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्रीधारी व्यक्तियों, तथ ऐसे विषयों के पदों के लिए जिनके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कोई राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करते, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट देने के संबंध में तथा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में बैठने हेतु स्नातकोत्तर स्तर पर अपेक्षित

न्यूनतम अंकों की प्रतिशतता 55 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत करने के लिए विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सम्पर्क किया था।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों का समर्थन करते हुए उच्चतम न्यायालय के दिनांक 8.9.94 के निर्णय के अनुसरण में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा संबंधी उपर्युक्त मांगों पर 14.2.95 को हुई अपनी बैठक में विचार-विमर्श किया तथा निम्नलिखित निर्णय लिए :

(i) उन एम.फिल./पी.एच.डी. डिग्री वाले व्यक्तियों को जिन्होंने 31.12.92 तक एम.फिल. की डिग्री प्राप्त कर ली है या 31.12.93 तक पी.एच.डी. का शोध ग्रंथ प्रस्तुत कर दिया है, उन्हें पहले ही छूट दी जा चुकी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छूट आगे बढ़ाना वांछनीय नहीं समझा।

(ii) वेतनमानों के संशोधन से पहले नियुक्त स्थायी लेक्चररों के मामले में छूट पहले ही फरवरी, 1994 में दी जा चुकी है। 19 सितम्बर, 1991 से पहले अर्थात राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम लागू होने की तिथि से पहले स्थायी पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को भी छूट दी जानी चाहिए।

(iii) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम के लागू होने से पहले नियुक्त अस्थायी लेक्चररों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट दी जा सकती है बशर्ते कि उनकी नियुक्ति यथावत गठित चयन समिति की सिफारिश पर की गई हो।

(iv) तदर्थ नियुक्तियों के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छूट आवश्यक नहीं समझी।

(v) ऐसे विषयों के पदों के लिए जिनमें विश्वविद्यालय अनुदान अयोग वै.औ.अ. परिगद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित नहीं करती, प्रत्येक मामले में आयोग से पहले अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

(vi) जहां तक स्नातकोत्तर स्तर पर अंको की प्रतिशतता में 55 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की छूट का संबंध है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निर्णय लिया है कि छूट केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को दी जा सकती है :

(क) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वै.औ.अ. परिषद की पात्रता, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पर विश्वविद्यालाय अनुदान आयोग विनियम लागू होने से पहले उस अवधि में प्राप्त की थी जब न्यूनतम अर्हक अंक 50 प्रतिशत थे।

(ख) आयोग से पूर्व अनुमोदन से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, यदि आरक्षित सीटों के लिए 55 प्रतिशत अंकों के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की उपयुक्त संख्या उपलब्ध नहीं है, तथा

(ग) ऐसे व्यक्ति जो यथावत गठित चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्त किए जाते हैं तथा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम लागू होने की तारीख से पहले लेक्चरर के रूप में कार्यरत हैं। जैसा कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रस्ताव दिया था, आयोग ने उन सभी पी.एच.डी./एम.फिल. डिग्रीधारी व्यक्तियों को न्यूनतम प्रतिशतता में छूट देने का समर्थन नहीं किया था, जिन्होंने ऐसी डिग्रियां 12.5.93 तक प्राप्त कर ली थी।

शोधकर्ताओं को रियायत

2655. श्री मनोरंजन भक्त : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य कर रहे शोधकर्ताओं को छुट्टियों के दौरान अपने गृह नगर जाते समय अथवा अपने अनुसंधान कार्य से संबंधित स्वीकृत स्थानों पर जाते समय रेल टिकटों में रियायत प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी यात्रा रियायत प्रदान करने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). 35 वर्ष की आयु वाले शोध छात्र शोध कार्य के संबंध में यात्रा करते समय दूसरे और शयनयान दर्जे में 50 प्रतिशत रियायत के पात्र हैं। यह रियायत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार/सार्वजनिक संस्थान के निदेशक द्वारा दिया गया निर्धारित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर दी जाती है।

भारतीय खाद्य निगम में कथित घोटाला

2656. डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 27 जनवरी, 1995 को भारतीय खाद्य निगम के भण्डार में दो वर्ष के लिए भण्डारण किए गए चावलों हेतु निविदा आमंत्रित की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस निविदा प्रकरण में धांधली संबंधी कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस स्टाक को बाजार में लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारतीय खाद्य निगम को निविदाओं के माध्यम से उच्चतम निविदाकार को 2 वर्ष से अधिक पुराना चावल बेचने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

[हिन्दी]

पुरातत्व अवशेष

2657. श्री विश्वनाथ शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मध्य प्रदेश के ओरछा नगर में प्रसिद्ध पुरातत्व अवशेषों (सात सौ वर्ष पुराने गुम्बदों) के संरक्षण के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्थानीय प्रशासन ने ओरछा नगर में इन गुम्बदों और ऐतिहासिक कन्चनघाट के बीच के क्षेत्र में एक बड़े होटल के निर्माण हेतु निजी क्षेत्र को अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). राज्य पुरातत्व निदेशालय, मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश के ओरछा नगर में स्थित कुछ स्मारकों को राज्य संरक्षित स्मारकों के रूप में घोषित किया है। ये स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार-क्षेत्र में नहीं आते।

[अनुवाद]

तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस

2658. श्री अमर रायप्रधान : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों से मांग के बावजूद तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस गाड़ी की गति में अब तक वृद्धि नहीं की गई है तथा इस गाड़ी में वातानुकूलित शयनयान उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस गाड़ी में कब तक वातानुकूलित शयन उपलब्ध करा दिया जाएगा तथा इसकी गति में कब तक वृद्धि की जाएगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). फिलहाल तीस्ता तोरशा एक्सप्रेस गाड़ी की गति बढ़ाना परिचालनिक कठिनाइयों के कारण व्यावहारिक नहीं है। सवारी डिब्बों की कमी के कारण गाड़ी में वातानुकूल दूसरे दर्जे के शयनयान की व्यवस्था नहीं की जा सकी। अतिरिक्त सवारी डिब्बे उपलब्ध हो जाने पर वातानुकूल दूसरे दर्जे का शयनयान लगाने के बारे में विचार किया जायेगा।

बोधि मंदिर

2659. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार में गया के बोधि मंदिर का बौद्ध प्रबंध सुनिश्चित कराने के लिए बौद्धों द्वारा लंबे समय से चलाए जा रहे आन्दोलन तथा उनमें व्याप्त अशांति के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बौद्धों को इस मंदिर का प्रबंध सौंपने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). चूंकि बिहार में गया का बोधि मंदिर केन्द्रीय रूप से संरक्षित स्मारक नहीं है, अतः यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।

रेलगाड़ियों का रोका जाना

2660. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 29.6.95 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिल्ली-रोहतक सेक्शन के दैनिक यात्रियों ने कई गाड़ियों को रोक रखा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली स्टेशन पर 4086 डाउन, जो रेल इंजन की खराबी के कारण शिवाजी पुल पर रोक दी गई थी, की प्रतीक्षा कर रहे दैनिक यात्री वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक के कक्ष में घुस गए और उन पर हमला किया तथा उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और कानून एवं

व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर दी। इसके परिणामस्वरूप नई दिल्ली तथा निकटवर्ती स्टेशनों पर 21 गाड़ियों की रूकोनी हुई।

(ग) पुलिस के पास प्रथम सूचना रपट दर्ज की गई थी, जिसने शरारती व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

4085/4086 एक्सप्रेस के चालन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और इस गाड़ी का समय पालन काफी संतोषजनक है।

नई रेलगाड़ियां चलाना

2661. **श्री राजेश कुमार : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राउरकेला-रांची-बोकारो-गया-पटना-भागलपुर तथा राउरकेला-पटना-बरौनी-मुजफ्फरपुर सुपरफास्ट रेलगाड़ियों वैकल्पिक दिवसों पर चलाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण गाड़ियां चलाना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

टिकट वितरण एजेन्ट

2662. **श्री राम बदन : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे के कितने रेलवे हॉल्ट स्टेशनों पर टिकट वितरण सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं;

(ख) इन हॉल्ट स्टेशनों के लिए टिकट वितरण प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टिकट वितरण के लिए प्राधिकृत ठेकेदार अथवा ऐजेन्ट वेतनभोगी हैं अथवा कमीशन ऐजेन्ट;

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तरी रेलवे विभिन्न हॉल्ट स्टेशनों के ठेकेदारों/ऐजेन्टों को वेतन/कमीशन के भुगतान के लिए विभिन्न मानदण्ड अपना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). उत्तर रेलवे पर 301 हॉल्ट स्टेशन हैं जिन पर इच्छुक यात्रियों को टिकटें कमीशन आधार पर कार्यरत हाल्ट एजेन्टों के जरिए बेची जाती हैं;

(घ) से (ङ). हाल्ट एजेंटों के लिए कमीशन की दर रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए नीति विषयक मार्गनिदेशों के अनुसार क्षेत्रीय रेलवे द्वारा निर्धारित की जाती है। उत्तर रेलवे द्वारा भी इन मार्ग निदेशों का पालन किया जा रहा है।

राथोंगचु पन बिजली परियोजना

2663. **प्रो. प्रेम धूमल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार ने पश्चिम सिक्किम में राथोंगचु पन बिजली परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा निर्धारित शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं किया है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन/शिकायतें मिली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(च) क्या सरकार का इस परियोजना की समीक्षा करने का विचार है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). राथोंगचू पन बिजली परियोजना को जलग्रहण क्षेत्र का शोधन, रॅंगित घाटी का वाही क्षमता अध्ययन तथा एक निगरानी समिति गठन सहित शर्तें निर्धारित करके दिसम्बर, 1992 में पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी। वानिकी की दृष्टि से भी नवम्बर, 1991 में इस स्कीम को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति प्रदान की गई थी।

(ग) इस परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति देते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा वांछित, राज्य सरकार द्वारा अनेक अध्ययन किए गए।

(घ) और (ङ). प्राप्त हुए अभ्यावेदनों में उठाए गए मुद्दों में मुख्यतः परियोजना के समीप धार्मिक स्मारक पर और क्षेत्र की जैव विविधता पर उक्त परियोजना का प्रभाव, शामिल है। इस परियोजना के संबंध में अध्ययन शुरू करते समय इन मुद्दों पर विचार किया गया है।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

(ज) सुझाए गए सुरक्षात्मक उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने एक मानीटरी समिति का गठन किया है।

हाल्ट स्टेशन

2664. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एच.डी.ए./एच.एन.ए.ए. ने दक्षिण पूर्वी रेलवे के पंसकुरे-हल्दिया सेक्शन में रानीचक में हाल्ट स्टेशन खोलने हेतु वित्तीय सहायता की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). पांसकुडा-हल्दिया खण्ड में रानीचक में एक हाल्ट स्टेशन की स्थापना करने के लिए मिट्टी की भराई, प्लेटफार्म और टिकट काउंटर के निर्माण के लिए पूंजीगत लागत को वहन करने के लिए हल्दिया अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस सबके बावजूद प्रस्ता वित हाल्ट को खोलना वित्तीय दृष्टि से व्यावहारिक नहीं पाया गया क्योंकि इससे लगातार बहुत अधिक हानि होनी थी।

राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम

2665. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) राजस्थान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत किन-किन क्षेत्रों को शामिल किया गया है;

(ग) राजस्थान में इस प्रयोजनार्थ कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है; और

(घ) आठवीं योजना के दौरान राजस्थान में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) इस बारे में राज्य सरकारों से प्राप्त हो रहे प्रस्तावों के आधार पर दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए वर्षा सिंचित क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है।

(ख) और (ग). राजस्थान राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 189 ब्लाकों को शामिल किया गया है। राज्य में इस परियोजना के अंतर्गत कवर किये गये जिलों और ब्लाकों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राजस्थान में इस परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए आठवीं योजना के दौरान 131.20 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गयी है।

विवरण

जिले का नाम	ब्लाक का नाम
1	2
अजमेर	श्रीनगर
	अरेन
	पिसानगन
	सलौरा
	जावाजा
	भिनो
	केकरी
	मसौदा
टौंक	निवाई
	टौंक
	उनी
	तोधारीसिंह
	डिओल
	मलपुरा
जयपुर और दौसा	डूडू
	हागो
	सम्भर
	चकसू
	दौसा
अलवर	थानागाजी
	रामगढ़
	तिजारा
	बनसूर
	ढिमराना
सीकर	फतेहपुर
	नीम का थाना
	धौंड
	लक्ष्मणगढ़
	पिपरली
	दातारामगढ़
	खंडेला
झुनझुनू	उदयपुरवती
	नवालगढ़
	झुनझुनू

1	2
	अलसासर
	खेतरी
	चिरवाह
	सूरजगढ़
	भुहाना
भरतपुर	कामा
	डीग
	रूपवास
	बयाना
धौलपुर	बारी
	बसेर्दा
एस, माधोपुर	सवाईमाधोपुर
	बोनली
	बामनवास
	कन्धर
	हिन्डन
	करौली
	गंगापुर
	टोडाभीम
	नडोटो
	गंगापुर
	सपोत्रा
वूंदी	नैनवा
कोटा	चेतक
	संगोड
बरन	बरन
	साहबाद
	छबरा
	चिप्पाबारोड
	अतरू
झालावर	दुग
	पिरावा
	झलरापटन
	मनोहरथना
	कानपुर
	वकानी
उदयपुर	गिरवा
	बदगांव
	जन्दोल
	कुम्भलगढ़
	कोटरा
	गोगुडे
	भिंडर
	धारीवाल
	मावली
	सराडा
	सलूमबर
	खेरवाड़ा
राजसामन्द	खमनोर
	रेलमगरा
	राजसामन्द
	दियोगढ़
	भीम
	अमित
बंसवाड़ा	गड़ो
	आनन्दपुरी
	घंटोल
	पोपलकुड
	बांसवाड़ा
बांसवाड़ा	बागीडेरा
	सज्जनगढ़
	कुशलगढ़
डूंगरपुर	डूंगरपुर
	बिच्छीवाड़ा
	आसपुर
	सागवाड़ा
	सीमलवाड़ा
	साबडिया
फुलवाड़ा	मंडल
	रायपुर
	सुबना

1	2
	बनेरा
	सहदा
	मंडलगढ़
	आसिन्द
	जहाजपुर
	कोत्री
	साहपुर
	हरदा
चित्तौड़गढ़	डुगला
	भोपालसागाह
	बड़ोसाद्री
	कपासन
	भदेसर
	चित्तौड़गढ़
	निम्बाहेड़ा
	प्रतापगढ़
	छोटरी सादरी
	रसमो
	बन्सौरगढ़
	बेगुन
	गंगरार
पाली	पाली
	खर्चो
	सोजर
	बाली
	जैतारन
	रायपुर
	रानी
	दिसूरी
सिरोही	सिरोही
	सिवगंज
	पिंडवाड़ा
	रेवदार
	आबूरोड

1	2
बाड़मेर	बाड़मेर
	शिव
	चोहटन
	भोरीमन्ना
	सिंधारी
	सिवाना
	बलोत्रा
	बेटू
जैसलमेर	साम
	जैसलमेर
	शंकरा
जालौर	जालौर
	शायला
	आहोर
	भोमल
	रानीवाड़ा
	जसवन्तपुरा
	संचोर
नागौर	दिगाना
	पर्वतसर
	रियान
	मेरटा
	मुडवा
	जायेल
	नागौर
	दोदवाना
	मकराना
	कुचमनसिटी
	लाडनू
बीकानेर	कोलायट
	लुंकरनसर
	बीकानेर
	नोखा
चुरू व श्रीगंगानगर	भद्रा
	नोहर

1	2
	सुजानगढ़
	राजगढ़
	सरदारशहर
	तरनगढ़
	डुंगरगढ़
	रतनगढ़
जोधपुर	भोपालगढ़
	बिलाडा
	बलेसर
	शेरगढ़
	मंडोर
	लूनी
	ओसियान
	बाप
	फलोदी

[हिन्दी]

वर्षा सिंचित क्षेत्रों में उत्पादन

2666. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्षा सिंचित क्षेत्रों में की जाने वाली खेती में कृषि उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि दर्ज नहीं की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिंचाई वाले क्षेत्रों में की जाने वाली खेती (चावल और गेहूं) के संबंध में उत्तम बीजों के विकास हेतु अनुसंधान पर खर्च की जाने वाली धनराशि की तुलना में बरानी खेती हेतु कम धनराशि खर्च की जा रही है;

(घ) क्या सिंचाई वाले क्षेत्रों की फसलों के संबंध में कृषि अनुसंधान कार्य में लगे वैज्ञानिकों की संख्या बरानी खेती के लिए बीजों के अनुसंधान और विकास प्रक्रिया में लगे वैज्ञानिकों से बहुत अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो इन असमानताओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). वर्षा सिंचित ओर सिंचित क्षेत्रों के लिए कृषि उत्पादन के अनुमान अलग-अलग तैयार नहीं किये जाते हैं। हालांकि मोटे अनाज, दलहन, तिलहन और कपास जैसी फसलें जो अधिकांशतया वर्षा सिंचित स्थितियों में उगायी जाती है के उत्पादन में वृद्धि का रूख देखा गया है।

(ग) जी, हां। यह सही है कि और अधिक आदानों की जरूरतों/उपयोग के कारण बरानी खेती के प्रयोगों की तुलना में आश्वस्त जल आपूर्ति प्रणाली (सिंचित) के अंत किये जाने वाले प्रयोगों के अनुसंधान पर किया जाने वाला कुल खर्च अधिक है।

(घ) और (ङ). भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देशभर में फैले अपने अनुसंधान संस्थान के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर सभी फसलों के विकास से संबंधित अनुसंधान क्रियाकलापों में संलग्न है जिसमें वर्षा सिंचित देशों में उगाई जाने वाली फसलों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी

2667. श्रीमती डी.के. तारादेवी सिद्धार्थ : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी ने इनके मंत्रालय को कर्नाटक में नल्लिबीडू और गंगाडी कल्लू क्षेत्र में खनन कार्य करने हेतु स्वीकृति देने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो खनन कार्य के लिए किस क्षेत्र का प्रस्ताव किया गया है;

(ग) क्या सरकार को पर्यावरणविदों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि खनन कार्य से क्षेत्र में भूपरिस्थिति की का ह्रास होगा;

(घ) यदि हां, तो खनन कार्य से क्या समस्याएं खड़ी हो जाएंगी; और

(ङ) क्या सरकार का विचार खनन कार्य के कारण होने वाली भूपरिस्थितिकी की क्षति के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के लिए खनन क्षेत्र में एक दल भेजने का है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ङ). कुद्रेमुख लौह कम्पनी लिमिटेड द्वारा खनन हेतु कर्नाटक में नल्लिबीडू ओर गंगाडी कल्लू क्षेत्र में वन भूमि को उपयोग में लाने के लिए राज्य सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत अभी औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कुद्रेमुख लौह अयस्क कम्पनी लिमिटेड द्वारा चिकमगलूर जिले में 1224.85 है. से अधिक वन भूमि पर लौह अयस्क के पूर्वेक्षण की अनुमति देने का एक प्रस्ताव कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच करने के पश्चात पर्यावरणीय सुरक्षापायों की शर्त लगाने के बाद ही 310 है. से अधिक वन भूमि के पूर्वेक्षण के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अंतर्गत भविष्य में खनन के लिए वन भूमि को उपयोग में लाने

हेतु सर्वेक्षण, खोज या पूर्वेक्षण को स्वतः ही केन्द्र सरकार की वचनबद्धता नहीं माना जाएगा। अन्तर्निहित वन क्षेत्रों में विशेषज्ञों के एक दल भेजने का कोई प्रस्ताव फिलहाल मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

एनकैपसुलेटिड कैल्सियम कार्बाइड

2668. डा. छत्रपाल सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक कृषि वैज्ञानिक ने देश में नाइट्रीकरण रोधी एनकैप्सुलेटिड कैल्सियम कार्बाइड नामक एक नई प्रौद्योगिकी विकसित की है जोकि चावल में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करती है जिसके परिणामस्वरूप चावल की अधिक पैदावार मिलती है और पर्यावरणीय प्रदूषण को भी रोकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कम्पाउण्ड को वाणिज्यिक उपयोग हेतु इसे राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके "पेटेन्ट" और वाणिज्यिक उपयोग हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस प्रौद्योगिकी पर आगे अनुसंधान पर ध्यान दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां। पर्यावरण प्रदूषण पर इसके प्रभाव सहित आगे के पुष्टिकरण संबंधी परीक्षण में अभी भी प्रगति जारी हैं।

(ख) और (ग). जी, हां। यह सामग्री राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को दी गई थी। तथापि इसके व्याससायिक उपयोग तथा एकस्व प्राप्ति का कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है।

(घ) और (ङ). जी, हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इस प्रौद्योगिकी की जानकारी है तथा यह पुष्टिकरण संबंधी परिणामों की उपलब्धता के संबंध में आगे की नीति पर विचार करेगी।

रेल लाइन

2669. श्री धर्मभिक्षम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर और हैदराबाद के बीच रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

अतिक्रमण

2670. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खंडूरी :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकारों से इन क्षेत्रों में काफी बड़ी संख्या में प्राचीन स्मारक स्थलों (जिनमें सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा किए गए अतिक्रमण भी शामिल है) से अतिक्रमण हटवाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन अतिक्रमणों को हटाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार

(ग) अनधिकार प्रवेश से बेदखल करवाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के समुचित प्राधिकारियों से सम्पर्क किया गया है।

(घ) हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में अनधिकार प्रवेश के 18 मामलों में से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में एक-एक मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पक्ष में निर्णय दिया गया है।

विवरण

अनधिकार प्रवेश सहित स्मारकों की सूची

क्र.सं.	स्मारक का नाम	जिला	स्थान
1	2	3	4
हरियाणा			
1.	प्राचीन स्थल, खोखराकोट	रोहतक	खोखराकोट रोहतक
2.	गेटवे ऑफ मुगल सराय	करनाल	घरौंदा
3.	राजाकर्ण का टिला	कुरुक्षेत्र	मिर्जापुर
4.	पृथ्वीराज चौहान फोर्ट	हिसार	हांसी
5.	सरली गेट हांसी	हिसार	हांसी

1	2	3	4
6.	थेर मौंड सिरसा	सिरसा	सिरसा
7.	जल महल, नारनौल	महेन्द्रगढ़	नारनौल
पंजाब			
1.	नूर महल सराय	जालन्धर	नूरमहल
2.	प्राचीन स्थल सुनेत	लुधियाना	सुनेत
3.	प्राचीन स्थल रोपड़	रोपड़	रोपड़
4.	बारादरी अनारकली	गुरदासपुर	बटाला
5.	मिट्टी का किला	फिरोजपुर	अबोहर
6.	भटिन्डा फोर्ट	भटिन्डा	भटिन्डा
7.	शमशेर खां का मकबरा, बटाला	गुरदासपुर	बटाला
हिमाचल प्रदेश			
1.	गौरी शंकर मंदिर, दसाल	कुल्लू	दसाल
2.	गौरी शंकर मंदिर	नागर कुल्लू	नागर
3.	नूरपुर फोर्ट, नूरपुर	कांगड़ा	नूरपुर
4.	बिशेश्वर महादेव मंदिर	कुल्लू	बजौरा

[हिन्दी]

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा

2671. **डा. खुशीराम डूंगरोमल जेस्वाणी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक भारतीय शिशु को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिये कुल कितना परिव्यय रखा है;

(ख) वित्तीय सहायता का राज्य-वार तथा संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समय प्राइमरी शिक्षा पूरी कर चुके भारतीय बच्चों का प्रतिशत कितना है तथा लड़कों और लड़कियों का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). प्रारम्भिक शिक्षा के लिये आठवीं योजना में कुल परिव्यय 2880 करोड़ रु. का है। राज्य/संघशासित प्रदेश-वार विवरण इस मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं। इसे पहले ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, I से V तक की कक्षाओं में नामांकित बच्चों में से 63.68 प्रतिशत बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली है। प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेने वाले बच्चों में 64.95 प्रतिशत लड़के और 61.43 प्रतिशत लड़कियां हैं।

महिला समृद्धि योजना

2672. **श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिला समृद्धि योजना शहरों में लागू नहीं की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार शहरों में इस योजना को लागू करने के लिये क्या कदम उठा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन शहरों के नाम क्या हैं जिनमें यह योजना पहले ही लागू कर दी गई है और अब तक की प्रगति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) जी, हां। यह शहरों में कार्यान्वित नहीं की जा रही।

(ख) यह स्कीम विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं को शक्ति सम्पन्न बनाने के लिये है और शहरी क्षेत्रों के लिये नहीं बनाई गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिहार में बालिका शिशु भ्रूण हत्या

2673. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री सैयद शहाबुद्दीन :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में बालिका शिशु भ्रूण हत्या के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) देश के अन्य किन-किन राज्यों से बालिका शिशु-भ्रूण हत्या के मामलों की रिपोर्ट मिली है;

(ग) क्या इस संबंध में देशव्यापी सर्वेक्षण करवाने का कोई विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में और किन-किन सामाजिक वर्गों में ऐसी घटनाओं के अधिक होने की सूचना मिली है और वे किस स्तर की हैं;

(ङ) क्या ऐसे मामलों में शामिल माता-पिता डाक्टर तथा मिडवाइफस के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है; और

(च) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). महिला एवं बाल विकास विभाग ने बालिका शिशु हत्या समस्या की गहनता का मूल्यांकन करने के लिए आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश नाम के छः चुनिन्दा राज्यों में 'घटता हुआ महिला पुरूष अनुपात तथा बालिका शिशु हत्या' के सम्बन्ध में एक स्वतन्त्र अभिकरण के माध्यम से एक बहुकेन्द्रिक अध्ययन प्रायोजित किया है। अब तक आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु के सम्बन्ध में चार अभिकरणों से रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अब तक प्राप्त सर्वेक्षण रिपोर्टों का प्रमुख ब्यौरा इस प्रकार है :

आन्ध्र प्रदेश : कुर्नूल और प्रकाशम् जिलों के दो मण्डलों में दस गांवों में सर्वेक्षण कराया गया और यह पाया गया कि हालांकि बालिका शिशु हत्या की कुप्रथा यहां मौजूद नहीं है किन्तु बालिका भ्रूण हत्या के कुछ प्रमाण मिले हैं।

बिहार : सीतामढ़ी, पूर्णिया, भागलपुर और कटिहार नामक चार जिलों के आठ ब्लाकों में 15 गांवों में सर्वेक्षण कराया गया, जहां बालिका शिशु हत्या और भ्रूण हत्या की कुप्रथा मौजूद पाई गयी।

गुजरात : महसाना जिले के पांच गांवों में सर्वेक्षण कराया गया और यह पाया कि हालांकि बालिका शिशु हत्या की कुप्रथा वहां नहीं है किन्तु चार गांवों में भ्रूण हत्या की जाती है।

तमिलनाडु : सेलम जिले के तीन ब्लाकों के दस गांवों में सर्वेक्षण कराया गया। 10 गांवों में से 4 में बालिका शिशु हत्या किये जाने की रिपोर्ट मिली है।

बालिका शिशु हत्या/भ्रूण हत्या की कुप्रथा विभिन्न जातियों के लोगों में विद्यमान है।

(ङ) और (च). बालिका शिशु हत्या की कुप्रथा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत वध का अपराध माना जाता है। अपराध करने वाले और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की जाती है। भारत सरकार इन कुप्रथाओं के प्रति चिन्तित है और संबंधित राज्य सरकारों को लिखा गया है कि वे अत्यधिक सावधानी तथा कानूनों के कारगर कार्यान्वयन के जरिये इस आपराधिक प्रथा को रोकने तथा दोषियों को सजा देने के लिये उपयुक्त कार्रवाई तेज कर दें।

केरल में गेहूं की कमी

2674. श्रीमती सुशीला गोपालन :
प्रो. के.वी. थामस :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में गेहूं की कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और क्या राज्य सरकार द्वारा गेहूं का कोटा बढ़ाए जाने के लिए कोई मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा केरल में गेहूं की आपूर्ति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). यद्यपि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मासिक मांग को पूरा करने के लिए राज्य में गेहूं का पर्याप्त स्टाक है परन्तु प्रचालन संबंधी कारणों से माइक्रो स्तर पर कमी उत्पन्न हो जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं कि ऐसी कमियां कम से कम उत्पन्न हों। राज्य सरकार ने गेहूं के मासिक आवंटन में वृद्धि करने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) राज्य सरकार ने 60,000 मीटरी टन गेहूं आवंटित करने के लिए अनुरोध किया है जबकि औसत मासिक आवटंन 30,000 मीटरी टन है। राज्य सरकार के अनुरोध पर चार महीनों, अर्थात अगस्त, 1995 से नवम्बर, 1995 तक केरल को तदर्थ आधार पर 20,000 मीटरी टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा का आवंटन किया है इस प्रकार यह आवंटन 50,000 मीटरी टन हो जाता है। ओनम त्यौहार के अवसर पर राज्य को 15,000 मीटरी टन गेहूं अतिरिक्त आवंटित किया गया है जो अगस्त, 1995 के कोटे के प्रति है।

सिनार मास पल्प एंड पेपर यूनिट

2675. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिनार मास पल्प एंड पेपर (इंडिया) लिमिटेड से भिगवान (महाराष्ट्र) में एक कागज बनाने के एकक की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) मैसर्स सिनार मास पल्प एंड पेपर (इंडिया) लि. के भिगवान (महाराष्ट्र) में एक कागज विनिर्माण यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अप्रैल, 1995 में इस शर्त पर पर्यावरणीय मंजूरी दी गई कि वह निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का अनुपालन करेंगें।

बाढ़ नियंत्रण संबंधी उपाय

2676. श्री चित्त बसु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाढ़ और सूखा नियंत्रण उपायों को अपनाकर पूर्वोत्तर राज्यों में कृषि के सुधार के लिए विश्व बैंक से कोई विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए मांगी गई सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विश्व बैंक द्वारा प्रदत्त सहायता और सुझाये गए उपाय क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया और इसके द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

सुपर बाजार

2677. **श्रीमती भावना चिखलिया : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजार के कितने कर्मचारी आजतक श्रेणीवार निलंबित हैं;

(ख) उनके निलंबन के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके खिलाफ जांच चल रही है तथा उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि आज की तारीख तक दो पर्यवेक्षकों, 8 बिक्री सहायकों, 5 हेल्परों और एक-एक रोकड़िया, सहायक लेखाकार, सुरक्षा गार्ड और पल्लेदार को मिलाकर कुल 19 कर्मचारी निलंबित हैं।

(ख) इन कर्मचारियों के निलंबन के मुख्य कारण, निधियों का दुर्विनियोग, स्टॉक की कमी, दुर्व्यवहार, दहेज अधिनियम के तहत अपराध, और कर्तव्य निर्वाह में घोर असावधानी बरतना बताए गए हैं

(ग) जी, हां।

सड़क ऊपरी पुलों का निर्माण

2678. **डा. साक्षीजी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार के पास राज्य में ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण हेतु निजी निवेशकों के लम्बित आवेदनों का ब्यौरा क्या है, ये पुल कहां-कहां बनाए जायेंगे? इनमें से प्रत्येक पर कितनी लागत आएगी तथा प्रत्येक में निजी निवेशकों की भागीदारी की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन पुलों का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). वांछित सूचना, उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित/लंबित मामले के बारे में है। रेल मंत्रालय के पास इसके संबंध में कोई सूचना नहीं है।

भारतीय कपास निगम

2679. **श्री गुमान मल लोढा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कपास निगम की स्थापना के समय कपास का प्रति हैक्टेयर उत्पादन कितना था;

(ख) 1994-95 के दौरान देश में कपास का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन कितना रहा;

(ग) क्या भारत में कपास का प्रति हैक्टेयर औसत उत्पादन विश्व औसत उत्पादन से काफी कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विश्व में कपास का अनुमानतः औसत उत्पादन कितना है; और

(ङ) कपास के औसत उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भारतीय कपास निगम की स्थापना के समय सरकारी प्राक्कलन के अनुसार 1969-70 के दौरान कपास का प्रति हैक्टे. उत्पादन 122 कि. ग्रा. था।

(ख) 1994-95 के दौरान कपास की अनुमानित औसत उत्पादन दर 243 कि.ग्रा. प्रति हैक्टे. थी।

(ग) जी, हां।

(घ) 1994-95 के दौरान विश्व में कपास की अनुमानित औसत पैदावार दर 573 कि.ग्रा. प्रति हैक्टे. रही है।

(ङ) कपास की उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सभी 11 कपास उत्पादक राज्यों में गहन कपास विकास कार्यक्रम संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना जो 1971-72 में शुरू की गई थी, कार्यान्वित की जा रही है।

शिवलिंगम महाप्रभु भूसंदेश्वर

2680. **डा. कार्तिकेश्वर पात्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा के बलसौर जिले में स्वर्णरेखा नदी के मुहाने पर विशाल शिवलिंगम महाप्रभु भूसंदेश्वर के अस्तित्व की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्मारक की ऐतिहासिक और यहां पर्यटकों के आगमन के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस स्मारक के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां। उड़ीसा के राज्य पुरातत्वविदों ने इसके बारे में लिखा है।

(ख) जी, नहीं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कोई सर्वेक्षण नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस बात का सुनिश्चित करने के लिए, कि क्या इसे केन्द्रीय संरक्षण की जरूरत है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शीघ्र एक सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है।

कच्चे पटसन का उत्पादन

2681. डा. असीम बाला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन वर्षों में कच्चे पटसन के उत्पादन का राज्यवार विवरण क्या है;

(ख) क्या देश में कच्चे पटसन के रेशे की कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस कमी से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि में पटसन के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यवार दी गयी आर्थिक सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे पटसन के उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा विवरण-I पर दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। देश में कच्चे पटसन के रेशे का उत्पादन पिछले वर्ष (1993-94) की अपेक्षा 1994-95 के दौरान अधिक होने की सम्भावना है।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विशेष पटसन विकास कार्यक्रम संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे पटसन का राज्यवार उत्पादन

(प्रत्येक 180 कि.ग्रा. की हजार गांठें)

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन		
		1992-93	1993-94	1994-95 (सम्भावित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	491.4	485.2	494.0
2.	असम	1063.5	703.1	951.0
3.	बिहार	942.3	1045.1	1161.0
4.	मेघालय	55.6	58.5	—
5.	उड़ीसा	464.1	423.8	553.0
6.	त्रिपुरा	41.1	41.1	—
7.	उत्तर प्रदेश	1.3	2.1	2.0
8.	पश्चिम बंगाल	5437.9	5639.3	6004.0
9.	अन्य	91.9	82.5	99.0
	कुल	8589.6	8480.7	9330.0

विवरण-II

विशेष पटसन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त की गई राज्यवार धनराशि

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य	निर्मुक्त धनराशि		
		1992-93	1993-94	1994-95 (सम्भावित)
1.	आन्ध्र प्रदेश	27.806	19.118	38.13
2.	असम	84.76	24.80	45.86
3.	बिहार	निर्मुक्त नहीं	निर्मुक्त नहीं	निर्मुक्त नहीं*
4.	मेघालय	4.172	3.732	3.13
5.	उड़ीसा	19.871	18.34	26.045
6.	त्रिपुरा	0.819	18.004	10.27
7.	उत्तर प्रदेश	निर्मुक्त नहीं	17.996 *	20.67
8.	पश्चिम बंगाल	निर्मुक्त नहीं	79.303 *	17.03
	कुल	137.428	181.293	161.135

* खर्च न की गई शेष राशि की सीमा के कारण

आम का उत्पादन

2682. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में आम का राज्यवार अनुमानतः कितना उत्पादन हुआ है;

(ख) क्या किसानों को दिये गये मूल्य तथा उपभोक्ताओं द्वारा अदा किये गये मूल्य में भारी अंतर है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ताकि आम उत्पादकों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान देश में आम के उत्पादन का राज्यवार अनुमानित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) आम जैसी खराब होने वाली जिन्सों के मामले में उत्पादक तथा उपभोक्ता के मूल्यों के बीच का अन्तर सामान्यतया अधिक होता है।

(ग) उत्पादकों को उनके उत्पादों के लिये उचित मूल्य दिलाने के लिये राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड निम्नलिखित योजनायें क्रियान्वित कर रहा है।

(1) बागवानी फसलों की कटाई पश्चात को आधारभूत सुविधाओं के प्रबन्ध से सम्बन्धित समेकित परियोजना,

(2) उदार ऋण के द्वारा बागवानी उत्पादों के विपणन का विकास,

(3) बागवानी फसलों के लिये मण्डी आसूचना सेवा,

(4) आम के रस/फल पर आधारित पेय के विपणन के लिये वैकल्पिक व्यवस्था।

विवरण

(हजार टन में)

राज्य	1991-92	1992-93
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	2491.2	2701.5
अरुणाचल प्रदेश	0.2	0.2
असम	4.7	4.7
बिहार	1462.3	1764.7
गोआ	36.0	38.6
गुजरात	320.0	340.0
हरियाणा	20.6	26.8
हिमाचल प्रदेश	—	15.4
जम्मू और कश्मीर	13.6	14.9
कर्नाटक	677.7	698.5
केरल	241.0	246.0
मध्य प्रदेश	186.0	195.3
महाराष्ट्र	281.0	327.4
मणिपुर	0.4	0.5
मिजोरम	1.3	1.5
नागालैंड	नगण्य	नगण्य
उड़ीसा	291.8	300.0
पंजाब	72.8	79.9
राजस्थान	39.5	36.0
सिक्किम	नगण्य	नगण्य
तमिलनाडु	336.4	349.8
त्रिपुरा	37.2	37.0
उत्तर प्रदेश	1787.8	1876.1
पश्चिम बंगाल	440.5	162.3
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3.5	1.5
चंडीगढ़	0.9	0.3
दिल्ली	नगण्य	नगण्य
दमन और दीव	1.1	1.1
पाण्डिचेरी	4.6	3.3
अखिल भारत	8752.1	9223.3

सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्न

2683. श्री सुल्तान सलाहुद्दीन ओवेसी :
श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :
श्री सत्यगोपाल मिश्र :
श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं, चावल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करके उन्हें गरीब लोगों को पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्यमान मूल्यों से आधे मूल्यों पर या सस्ती दर पर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के कब तक लागू होने की संभावना है और योजना का क्या ब्यौरा है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). केन्द्रीय सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण हेतु चावल, गेहूं, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेल और सॉफ्ट कोक/सी आई एल कोक का केन्द्रीय निर्गम मूल्यों, को आमतौर पर इन वस्तुओं के खुले बाजार मूल्यों से कम होते हैं, पर थोक में आवंटन करती है। यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की केवल वही वस्तुएं जारी की जाएं जो निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का आन्तरिक वितरण करना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। किसी विशिष्ट श्रेणी के उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल और अन्य वस्तुएं इनके मौजूदा केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से आधी दरों पर मुहैया कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाए गए क्षेत्रों में वितरण हेतु जारी किए जाने वाले खाद्यान्नों पर विशेष राजसहायता में वृद्धि करने के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है। इस मामले में किसी निर्णय के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और उड़ीसा जैसी कुछ राज्य सरकारों ने चुनी हुई श्रेणियों के उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों का वितरण इन खाद्यान्नों के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों से कम दरों पर करने हेतु स्कीमें पहले से ही लागू कर दी हैं। इस खाते में अतिरिक्त राजसहायता की राशि स्वयं राज्य सरकारों द्वारा वहन की जा रही है।

विदेशों में उच्च शिक्षा

2684. श्री परसराम भारद्वाज :
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अध्ययन हेतु कितने व्यक्ति विदेश गये;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति अध्ययन पूरा किये बिना लौट आये;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार उन वैज्ञानिकों और शिक्षकों को कुछ प्रोत्साहन प्रदान करने का है जो विदेशों में अनेक रोजगार अवसरों के बावजूद भारत में रहना पसंद करते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न देशों में गये व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है :

वर्ष	अध्येताओं की संख्या
1992-93	166
1993-94	157
1994-95	105

(ख) कोई नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तकनीकी शिक्षा को ग्रामोन्मुख बनाना

2685. श्री एस.एम. लालजान बाशा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तकनीकी शिक्षा को ग्रामोन्मुख बनाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). ग्रामीण क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण को प्रौन्नत करने के लिए "सामुदायिक पालिटेक्निकों" की केन्द्रीय योजना के तहत चुनिन्दा पालिटेक्निक मुख्य बिन्दुओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। देश में तकनीकी शिक्षा के विकास को समन्वित करने के लिए अ.भा.त.शि.प. अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत गठित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई संस्थाओं के लिए अनुमोदन पर विचार करते समय राज्यों के ऐसे पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा के विकास को वरीयता देती है, जहां ऐसी सुविधाओं की कमी है।

येलेरू तथा पोलावरम परियोजनाएं

2686. श्री जी.एम.सी. बालयोगी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या येलेरू जलाशय परियोजना (चरण-I) तथा पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना पर्यावरण और वन मंत्रालय की मंजूरी हेतु सरकार के पास लंबित पड़ी हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) येलेरू जलाशय परियोजना तथा पोलावरम बहु-उद्देशीय परियोजना को अक्तूबर, 1987 में, पर्यावरणीय आंकड़े तथा प्रबंध योजनाओं के प्रस्तुत न किए जाने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से नामंजूर कर दिया गया था। वन भूमि के अंतरण के लिए प्राप्त प्रस्ताव का भी अनुमोदन नहीं किया गया है क्योंकि मांगे गए स्पष्टीकरण राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग

2687. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आटोमोबाइल क्षेत्र में संपीड़ित गैस के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यावरण सुविधा से सहायता प्राप्त करने हेतु किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). भारत सरकार ने अगस्त, 1994 में "पैट्रोल चालित वाहनों के लिए ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहन देकर ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों में कमी-बम्बई शहर के लिए एक प्रदर्शन परियोजना" नामक एक प्रस्ताव विश्व पर्यावरण सुविधा का सहायता पाने के लिए विचारार्थ भेजा था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बंबई द्वारा प्रतिपादित परियोजना का उद्देश्य मानवशक्ति, संस्थागत और संगठनात्मक विकास के जरिए सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस परिवर्तन प्रौद्योगिकी के पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों की जांच और मूल्यांकन करना तथा निष्कर्षों के विश्लेषण के आधार पर उक्त प्रणाली को अधिक कारगर बनाना है। प्रस्तावित परियोजना के अन्य उद्देश्य जागरूकता पैदा करना, मानव शक्ति कौशलों में सुधार, संस्थागत और संगठनात्मक विकास करना भी है। इस परियोजना के लिए 18.90 करोड़ रुपए अथवा 6.10 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व पर्यावरण सुविधा सहायता की मांग की गई है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन

2688. श्री चन्द्रेश पटेल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इन सदस्यों की नियुक्ति हेतु क्या मानदंड तथा प्रक्रिया अपनाई गई है;

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान बोर्ड की ओर से गुजरात तथा अन्य राज्यों कि कितनी संस्थाओं को अनुदान तथा अन्य सहायता प्रदान की गई और इस हेतु क्या मानदंड अपनाये गये;

(ङ) उन संस्थाओं की संख्या कितनी है जिन्होंने अनुदान और अन्य सहायता मांगी थी परन्तु उनके अनुरोध अस्वीकृत कर दिये गये अथवा उन्हें दिए जाने वाले अनुदान में कमी की गई; और

(च) अनुरोध अस्वीकृत करने और अनुदान कम करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की पहली आम सभा तथा कार्यकारी समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया था।

(ग) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के संगम अनुच्छेद के नियम 4 के अनुसार, सामान्य निकाय में 51 सदस्य हैं (अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, राज्य समाज कल्याण बोर्डों के 30 अध्यक्ष, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के 8 प्रतिनिधि, लोक सभा के 2 प्रतिनिधि, राज्य सभा का 1 प्रतिनिधि, 5 व्यावसायिक तथा 3 प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा बोर्ड के कार्यकारी निदेशक)। संगम अनुच्छेद के नियम 10 में कार्यकारी समिति का गठन निर्धारित है, जिसमें 15 सदस्य हैं (अध्यक्ष, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, 4 राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के अध्यक्ष, बारी-बारी से संघ राज्य क्षेत्र सलाहकार बोर्ड का एक अध्यक्ष, सरकार के विभिन्न विभागों के 6 प्रतिनिधि, सामान्य निकाय से 2 व्यावसायिक तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यकारी निदेशक)।

(घ) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा पात्र स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान स्वीकृत करने के लिए मापदण्ड स्कीमैटिक पद्धति तथा प्रत्येक कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं। तथापि, मोटे-तौर पर, संस्था सामान्य रूप से पिछले तीन वर्षों से पंजीकृत हो, राज्य बोर्ड द्वारा संस्तुत हो तथा कल्याण कार्यकलापों में संलग्न हो।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान गुजरात तथा अन्य राज्यों में जिन संस्थानों को अनुदान स्वीकृत किया गया, उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-I पर संलग्न है।

(ङ) जिन संस्थानों ने अनुदान के लिए आवेदन किया, परन्तु जिनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया, उनकी संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण-II पर दिया गया है।

(च) संगठनों से प्राप्त अनुरोध विभिन्न स्कीमों के तहत तभी अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जब उन्हें स्कीम में निर्धारित अपेक्षाओं तथा शर्तों को पूरा न करने पर गुणावगुण के आधार पर अस्वीकार कर दिया जाता है अथवा जब संसाधनों की कमी के कारण तथा इसके फलस्वरूप प्राथमिकता तय किये जाने के कारण सभी अनुरोधों को स्वीकार करना संभव नहीं होता।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	कामकाजी तथा बीमार माताओं के बच्चों लिए शिशुगृह		संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम		समाजिक आर्थिक कार्यक्रम		ग्रामीण एंव निर्धन महिलाओं के लिए जन जागृति कार्यक्रम		परिवार परामर्श केन्द्र		कामकाजी महिला होस्टल	
		1993-94	1994-95	1993-94	1994-95	1993-94	1994-95	1993-94	1994-95	1993-94	1994-95	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	420	413	68	64	32	55	122	136	18	18	4	4
2.	असम	86	79	62	45	27	34	45	69	9	13	2	3
3.	बिहार	13	13	177	134	8	17	108	142	17	24	-	-
4.	गुजरात	90	89	54	44	23	23	30	28	32	33	12	13
5.	हरियाणा	20	20	12	26	-	6	12	40	7	13	1	1
6.	हिमाचल प्रदेश	40	40	17	18	10	10	21	54	6	6	-	-
7.	जम्मू और कश्मीर	22	19	26	24	3	5	12	8	1	1	-	-
8.	कर्नाटक	207	204	57	56	14	20	47	107	19	18	6	8
9.	केरल	414	412	58	33	21	20	34	42	21	21	12	12
10.	मध्य प्रदेश	405	387	138	146	18	18	28	193	32	32	6	6
11.	महाराष्ट्र	256	255	76	73	15	43	50	69	35	36	-	15
12.	मणिपुर	209	208	56	30	24	32	33	40	7	7	2	2
13.	मेघालय	177	166	26	14	9	23	14	11	5	3	-	-
14.	नागालैण्ड	-	-	31	16	25	37	3	2	-	-	-	-
15.	उड़ीसा	343	344	29	38	4	6	61	107	16	17	4	4
16.	पंजाब	44	42	30	33	14	7	11	21	5	6	4	5
17.	राजस्थान	148	125	68	63	5	4	60	71	16	14	-	-
18.	सिक्किम	35	38	6	2	3	4	4	-	1	1	-	-
19.	तमिलनाडु	313	325	78	64	43	27	86	92	32	32	21	20
20.	त्रिपुरा	77	74	14	13	10	28	10	12	5	4	1	1
21.	उत्तर प्रदेश	353	346	172	171	30	16	123	156	28	27	-	-
22.	पश्चिम बंगाल	335	335	60	50	5	5	64	126	25	25	1	1
23.	अरुणाचल प्रदेश	10	8	7	5	3	1	2	4	-	-	1	2
24.	दिल्ली	27	23	20	14	-	1	6	27	17	17	-	1
25.	गोवा	17	14	4	3	11	3	1	-	-	-	1	1
26.	मिजोरम	135	135	18	15	42	23	4	3	3	3	2	2
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	51	49	7	4	2	4	1	4	3	3	-	1
28.	चण्डीगढ़	14	14	9	8	3	1	2	3	3	3	2	2
29.	लक्षद्वीप	3	3	3	2		-	6	7	-	-	-	-
30.	पाण्डिचेरी	68	68	10	7	6	3	7	11	2	2	1	1
	जोड़	332[illegible]	4248	1393	1215	411	476	1057	1585	363	379	100	103

विवरण-II

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	कामकाजी तथा बीमार माताओं के बच्चों लिए शिशुगृह		संक्षिप्त पाठ्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम		समाजिक आर्थिक कार्यक्रम		ग्रामीण एंव निर्धन महिलाओं के लिए जन जागृति कार्यक्रम		परिवार परामर्श केन्द्र		कामकाजी महिला होस्टल	
		1993-94	1994-95	1993-94	1994-95	1993-94	1994-95	1993-94	1994-95	1993-94	1994-95	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	2	2	4	7	4	1	-	-
2.	असम	-	-	-	2	2	-	-	6	2	1	-	-
3.	बिहार	-	-	-	-	-	2	-	82	6	9	-	-
4.	गुजरात	-	-	-	-	2	-	3	-	2	-	-	-
5.	हरियाणा	-	-	-	1	-	-	-	24	-	-	-	-
6.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-
7.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
8.	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	केरल	-	-	-	-	-	-	-	2		-	-	-
10.	मध्य प्रदेश	-	-	5	-	-	-	-	-		-	-	-
11.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	6	2	10	-	-
12.	मणिपुर	-	-	-	-	1	2	-	87	-		-	-
13.	मेघालय	-	-	-	-	16	-	-		-	-	-	-
14.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-	-	19	3	5	-	-
16.	पंजाब	-	-	-	-	-	-	-	18	2	-	-	-
17.	राजस्थान	-	-	3	-	1	-	-	14	4	3	-	-
18.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
19.	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	11	25	3	6	-	-
20.	त्रिपुरा	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	1	-	-	14	2	1	-	-
22.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	14	29	2	2	-	-
23.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25.	गोवा	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
26.	मिजोरम	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
27.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	चण्डीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
30.	पाण्डिचेरी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	8	4	25	6	32	352	33	42	-	-

आमान परिवर्तन

2689. श्री सूर्य नारायण यादव : क्या रेल मंत्री 14 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 252 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर रेलवे में मानसी-सहरसा-फारबिसगंज छोटी लाइन को बड़ी लाइन से बदलने के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह रिपोर्ट कब तक मिल जाने की संभावना है; और

(घ) इस कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी और यह कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 31.3.96 तक।

(घ) सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर ज्ञात होगी।

सड़क और रेल पुलों का निर्माण

2690. श्री मोहन सिंह (देवरिया) **: क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और बिहार को जोड़ने के लिए गण्डक नदी पर रेल और सड़क पुलों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) पूरी धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). इस कार्य की लागत 164.09 करोड़ रुपये है जिसमें रेलवे का हिस्सा 65.32 करोड़ रुपये था। जबकि रेल मंत्रालय द्वारा 86.50 करोड़ रुपयों की धनराशि पहले ही मुहैया करा दी गई है। यह रेलवे के हिस्से से पहले ही अधिक है, जिसे सह भागीदारों से बकाया राशि प्राप्त होते ही समायोजित किया जाना था और इस महत्वपूर्ण परियोजना पर कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए मुहैया कराया जाना था।

[अनुवाद]

ग्रेनाइट का खनन

2691. डा.वी. राजेश्वरन : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने खान सुरक्षा पारिस्थितिकी और पहलुओं के संदर्भ में ग्रेनाइट खनन उद्योग की समय-समय पर समीक्षा की थी;

(ख) इन ग्रेनाइट खनम उद्योगों, विशेषतः तमिलनाडु में, का ब्यौरा क्या है जिनका केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण किया था; और

(ग) सरकार ने ग्रेनाइट खनन उद्योगों में पारिस्थितिकी पहलुओं की सुरक्षा हेतु क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार का श्रम मंत्रालय के माध्यम से व्यावसायिक स्वास्थ्य सहित खान सुरक्षा उपायों की जांच करने के लिए खानों का नियतकालिक निरीक्षण करती है जिसमें तमिलनाडु की खानों भी शामिल है। ग्रेनाइट खनन के पारिस्थितिक पहलुओं की राज्य सरकारों द्वारा समीक्षा की जानी है।

(ग) खान मंत्रालय ने सूचित किया है कि ग्रेनाइट एक छोटा खनिज है इसलिए खनिज संरक्षण और पारिस्थितिक सुरक्षा के हित में वैज्ञानिक खनन के अनुकूल एक समान दिशा-निर्देशों का अनुसरण करने के लिए राज्य सरकार के साथ कदम उठाए गए हैं इसके अलावा, पट्टों के तहत आने वाले वन क्षेत्रों का उपयोग, यदि कोई हो, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुरूप करना होता है।

पश्चिमी गोदावरी जिले के आदिवासी

2692. डा. आर. मल्लू :
श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले में वन क्षेत्र से आदिवासियों को परेशान किए जाने और उन्हें वहां से निकालने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार को कुछ विशिष्ट निर्देश दिए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, राज्य सभा के सांसद श्री एम.एम. हासिम तथा वी. हनुमंत राव ने पश्चिम गोदावरी जिले के पोलावरम रेंज में सुन्नलगण्डी गांव के आदिवासियों को कथित रूप से परेशान किए जाने के बारे में केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। राज्य सरकार को पूर्ण ब्यौरे भेजने के लिए कहा गया है।

(ग) और (घ). इस मामले में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की वन भूमि

2693. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने जामनगर में मोती खावड़ी के निकट वाली भूमि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को देने और इसे अन-अधिसूचित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की अनुमति ले ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या रिलायंस इंडस्ट्रियल ग्रुप ने उक्त भूमि पर अपनी पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए सभी नियमों को उल्लघंन किया है; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जैसा कि गुजरात के मुख्य वन संरक्षक द्वारा सूचित किया गया है। वन भूमि को अनाधिसूचित करने या रिलायंस इंडस्ट्री को देने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (ङ). प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ). रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभयारण्य क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का प्रयास किया जिसके लिए राज्य वन विभाग द्वारा एक अपराध दर्ज किया गया है।

धनुर्धरों को प्रशिक्षण

2694. श्री भेरू लाल मीणा : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों से चुने गए धनुर्धरों को इन्दिरा गांधी इन्डोर स्टेडियम, नई दिल्ली में पुराने उपकरणों के साथ प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन खिलाड़ियों को अद्यतन उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तीरंदाजों को प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण के लिए नवीनतम आयातित तीरंदाजी उपकरण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

[अनुवाद]

समूह "घ" रेल कर्मचारी

2695. श्रीमती शीला गौतम : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिमी रेलवे मंडलों के अंतर्गत विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर समूह "घ" में काफी कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं; और

(ख) उनकी भर्ती के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

2696. श्री राम पूजन पटेल :
श्रीमती सरोज दुबे :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक घोषणा की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). इलाहाबाद विश्वविद्यालय को एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने से संबंधित प्रश्न विचाराधीन है। इस मामले की विस्तार से जांच करने के बाद उपयुक्त निर्णय लिया जाएगा।

[अनुवाद]

चीनी प्रौद्योगिकी मिशन

2697. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चीनी मिलों के विकास हेतु एक चीनी प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार द्वारा चीनी प्रौद्योगिकी मिशन परियोजना की स्थापना पहले ही अगस्त, 1993 में की जा चुकी है। परियोजना की स्थापना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा खाद्य मंत्रालय के घनिष्ठ सहयोग से हुई। कार्यान्वयन एजेन्सी, प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान तथा मूल्यांकन परिषद (टी.आई.एफ.ए.सी.) है जो कि विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन स्वायत्त निकाय है। परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं तीव्र तथा केन्द्रीकृत प्रौद्योगिकी उन्नयन, तथा अन्य बातों के साथ-साथ, चीनी उत्पादन की लागत को प्रभावोत्पादकता, ऊर्जा का कम प्रयोग, चीनी की गुणवत्ता में सुधार आदि तथा चयनात्मक अनुसंधान तथा विकास करना भी है। परियोजना की कुल अवधि पांच वर्ष है।

बिरसा मुण्डा समिति

2698. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास बिरसा मुण्डा पुरस्कार से संबंधित बिरसा मुण्डा प्रतिमा समिति, राउरकेला, उड़ीसा के पक्ष में 1995 के प्रति वर्ष एक लाख रुपये की अनुदान-राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त राशि को जारी करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ताकि समिति आगामी 15 नवम्बर, 1995 को बिरसा मुण्डा की 120वीं वर्षगांठ पर संबंधित पुरस्कार प्रदान कर सकें। और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). एक लाख रुपये के नकद पुरस्कार के रूप में, बिरसा मुण्डा पुरस्कार संस्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

महिलाओं की स्थिति

2699. श्री राम कृपाल यादव :
श्री छेदी पासवान :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गरीब बालिकाओं की सुरक्षा तथा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या-क्या हैं;

(ख) क्या इन योजनाओं की प्रभावकारिता का कोई आंकलन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बालिकाओं के प्रति भेदभाव समाप्त करने में सफलता मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) सरकार बालिकाओं सहित महिलाओं के विकास और बेहतरी के लिये किये जा रहे प्रयासों में सहायता प्रदान करने के लिये लगातार प्रयत्नशील हैं। इन कार्यक्रमों में रोजगार और आयोत्पादन स्कीमें, कल्याण और सहायता सेवाएं, जैण्डर संचेतना और जागरूकता विकास कार्यक्रम शामिल हैं। इन स्कीमों की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं। दक्षेस बालिका दशक 1990-2000 के लिये एक राष्ट्रीय कार्य योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कार्य योजना में बालिका की "उत्तर जीविता", "सुरक्षा" और "विकास" के तीन प्रमुख लक्ष्यों पर बल दिया गया है। अनेक राज्यों ने राज्य बालिका कार्य योजनाएं तैयार की है।

(ख) और (ग). बालिकाओं सहित महिलाओं और बच्चों से संबंधित विकास की स्कीमों की समय-समय पर समीक्षा, प्रबोधन और मूल्यांकन किया जाता है और जहां आवश्यक होता है, सुधार किया जाता है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास से संबंधित स्कीमों की योजना आयोग के साथ वार्षिक योजना विचार-विमर्श के दौरान भी समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त पंचवर्षीय योजनाओं की मध्यावधि मूल्यांकन के जरिये भी समीक्षा की जाती है।

(घ) और (ङ). जी, हां। बालिकाओं की और स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में अधिक ध्यान दिया जा रहा है; जैसाकि आंकड़ों में स्पष्ट हुआ है। बालिका की शिशु मृत्यु दर 1978 में 131 प्रति हजार से घटकर 1992 में 80 प्रति हजार रह गई है और शिशु मृत्यु दर में लड़के और लड़कियों के बीच का अन्तर भी समाप्त हो गया है। इसी प्रकार स्कूलों में बालिकाओं का नामांकन 1980-81 के दौरान 64.1 से बढ़कर 1993-94 में 92.9 हो गया है। अनुवर्ती कार्रवाई के एक हिस्से के रूप में भारत सरकार ने प्रसव-पूर्व चिकित्सकीय तकनीक (नियन्त्रण और दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 पारित करके

प्रसव पूर्व चिकित्सकीय तकनीकों के प्रयोग को नियन्त्रित किया है ताकि प्रसव से पूर्व लड़के या लड़की का पता लगाने, जिसके फलस्वरूप बालिका भ्रूण हत्या कर दी जाती है; के प्रयोजनार्थ इस तकनीक के दुरूपायेग को रोका जा सकता है। कुछ राज्यों में भी इसी प्रकार के विधेयक पारित किये गये हैं।

विवरण

निर्धन बालिकाओं के संरक्षण तथा महिलाओं के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए चलाई जा रही प्रमुख स्कीमों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

1. समेकित बाल सेवा स्कीम :—

इस स्कीम का उद्देश्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती तथा शिशुवती माताओं के पोषाहारीय तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है। इसके अन्तर्गत, सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्कूल पूर्व शिक्षा, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं तथा स्वास्थ्य एवं पोषाहार शिक्षा शामिल है।

2. समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम :—

इसका उद्देश्य लक्ष्य वर्ग जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, के चयनित परिवारों को आयोत्पादक स्कीमें चलाने के लिए सक्षम बनाना है चयनित लाभार्थियों में से 40 प्रतिशत महिलाएं होना अनिवार्य है।

3. ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं तथा बच्चों का विकास (ड्वाकरा) :—

इस स्कीम का उद्देश्य निर्धनता रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले महिला परिवारों की ओर ध्यान आकर्षित करना तथा दीर्घकालिक आधार पर आय उत्पादक अवसरों का सृजन करके उनके सामाजिक आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना है। इस स्कीम के अन्तर्गत समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है।

4. ग्रामीण युवा प्रशिक्षण तथा स्वरोजगार कार्यक्रम (ट्राइसेम) :—

इस स्कीम के अन्तर्गत स्वरोजगारोन्मुख प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाते हैं, प्रशिक्षित युवाओं का 40 प्रतिशत भाग महिलाएं होनी चाहिए।

5. जवाहर रोजगार योजना :—

ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने की इस स्कीम के अन्तर्गत, रोजगार के 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं।

6. महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रमों को सहायता :—

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रमों के लिए सहायता की स्कीम के अन्तर्गत कौशलों के उन्नयन तथा महिलाओं के लिए विभिन्न कार्योन्मुख परियोजनाओं के मार्फत ऐसे रोजगार जिनमें पारम्परिक क्षेत्रों में अधिक संख्या में महिलाओं की सतत् आधार पर नियुक्त किया जाता है, को प्रोत्साहन दिया जाता है।

7. प्रशिक्षण–सह–रोजगार–सह–उत्पादन केन्द्र (नोराड) :—

इस स्कीम के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थानों/निगमों/स्वायत्तनिकायों/स्वैच्छिक संगठनों की गैर पारम्परिक क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षित करने तथा उन्हें दीर्घकालिक आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

8. सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम :—

इस कार्यक्रम में अन्तर्गत जरूरतमंद महिलाएं जैसे निस्सहाय, विधवा, परित्यक्त, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई तथा विकलांग महिलाओं को काम तथा पारिश्रमिक उपलब्ध कराये जाते हैं।

9. राष्ट्रीय महिला कोष :—

इस कोष का उद्देश्य ऐसी निर्धनतम तथा सम्पत्ति विहीन महिलाओं तक पहुंचना है जिन्हें गैर सरकारी संगठनों/स्व. सहायता ग्रुपों के मार्फत ऋण की आवश्यकता है ताकि वे अपना वर्तमान रोजगार तथा सम्पत्ति सृजन प्रक्रिया को बनाए रख सकें।

10. नेहरू रोजगार योजना :—

इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले निर्धन बेरोजगारों तथा अल्पनियोजित व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार आधार पर कार्य तथा पारिश्रमिक के अवसरों का सृजन करना है।

11. वयस्क महिलाओं के लिये शैक्षिक पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण :—

वयस्क महिलाओं के लिये शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रमों तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की स्कीम जो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा 1958 में शुरू की गई थी, का उद्देश्य अनेक पात्र और जरूरतमन्द महिलाओं को रोजगार के नये अवसर प्रदान करना है।

12. संकटापन्न महिलाओं के लिये महिला केन्द्रों की स्थापना :—

विधवाओं, अविवाहित माताओं तथा अपहरण की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिये 1977 में एक स्कीम शुरू की गई। स्कीम के अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार तथा आवासीय देखभाल प्रदान की जाती है ताकि ये महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सके। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार इस स्कीम को राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दिया गया है।

13. महिला विकास निगम :—

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में महिला विकास निगम स्थापित करने की एक स्कीम 1986–87 में तैयार की गई। अलग–अलग महिलाओं अथवा दलों का अभिनिर्धारण, अर्थक्षम परियोजनाएं तैयार करना, प्रशिक्षण में सुविधा प्रदान करना, ऋण और विपणन की

सुविधाएं देना आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जो प्रस्तावित निगमों द्वारा किये जाने हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार इस स्कीम को राज्य क्षेत्र को अन्तरित कर दिया गया है।

14. किशोर बालिका स्कीम :—

किशोर बालिका स्कीम 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों की पोषाहारीय और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के एक विशेष घटक के रूप में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अनौपचारिक शिक्षा के जरिये साक्षरता और अंकीय कौशल प्रदान करना, गृह आधारित कौशलों में सुधार और उन्नयन के लिये किशोर बालिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना भी है। इस स्कीम की दो उप-स्कीमें हैं, अर्थात् 11 से 15 वर्ष की आयु वर्ग में किशोर बालिकाओं के लिये स्कीम I (गर्ल टू गर्ल एप्रोच) तथा 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में किशोर लड़कियों के लिये स्कीम II (बालिका मण्डल)।

15. बाल सेविका प्रशिक्षण कार्यक्रम :—

यह कार्यक्रम स्कूल पूर्व-बच्चों के लिये कल्याण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने वाली संस्थाओं के लिये प्रशिक्षत कार्मिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिये शुरू किया गया था। 25 बाल सेविका प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से इस कार्यक्रम को चलाने के लिये भारतीय बाल कल्याण परिषद, नई दिल्ली को शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

16. महिला समृद्धि योजना :—

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों के नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित महिला समृद्धि योजना केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजनागत स्कीम है। इस स्कीम के अन्तर्गत बचत को प्रोत्साहित किया जाता है ताकि ये महिला बचत शुरू करें, जिससे जरूरत के समय उन्हें सुरक्षा मिल सके।

17. राष्ट्रीय बाल कोष :—

इस कोष का प्रमुख उद्देश्य समुदाय से संसाधन एकत्र करना और संसाधनों के निवेश से प्राप्त ब्याज का उपयोग स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए करनी है ताकि ये संगठन बच्चों के कल्याण और विकास की स्कीमें चला सकें। राष्ट्रीय बाल कोष के अन्तर्गत बालिकाओं और किशोर बालिकाओं के लाभ के लिये चलाई जा रही स्कीमों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। दक्षेस बालिका वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल कोष के अन्तर्गत लड़कियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की एक विशेष स्कीम शुरू की गई।

[अनुवाद]

टिकटों पर प्रस्थान समय का अंकन

2700. श्री अन्ना जोशी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कम्प्यूटरीकृत रेलवे टिकट प्रभाग को टिकट पर निर्धारित प्रस्थान समय अंकित न करने संबंधी कोई निर्देश जारी किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). जी, नहीं। बहरहाल उत्तर रेलवे और पूर्व रेलवे ने नई समय सारणी में गाड़ियों की समय सारणी में किए गए परिवर्तनों को डेटा वेस में शामिल करने के उद्देश्य से टिकटों पर गाड़ियों का निर्धारित प्रस्थान समय अंकित करना अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया है।

रेल लाइन

2701. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का गडवाल (आंध्र प्रदेश) तथा गिणिगेरा (कर्नाटक) के बीच एक नई रेल लाइन बिछाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). गडवाल से रायचूर तक लाइन के भाग के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, और प्रस्ताव योजना आयोग को स्वीकृति हेतु भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

यशपाल समिति की रिपोर्ट

2702. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :
श्री अनन्तराव देशमुख :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रो. यशपाल समिति द्वारा दिये गये सुझावों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ कम करने के लिए कोई पहल नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं; और

(घ) इन दिशा निर्देशों का पालन न करने की दशा में क्या कार्यवाही की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ). दिनांक 2.3.94 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 50वीं बैठक में राज्य सरकारों ने यशपाल समिति की सिफारिशों पर मोटे तौर पर अपनी सहमति प्रकट की थी। ऐसे विचारों पर सर्वसम्मति निर्धारित की गई और राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली का उनको सुझाव दिया गया।

देश के अधिकतर स्कूल राज्य सरकारों के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन हैं जिन्हें अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है। राज्य स्कूली प्रणालियों में इन सिफारिशों का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समय-समय पर समीक्षा के लिए हाल ही में एक मानीटरिंग समिति गठित की गई है जिसका सचिवालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् में है।

[अनुवाद]

पर्यटकों हेतु प्रशिक्षण

2703. श्री श्रीकान्त जेना :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटकों हेतु वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में उनके प्रवेश से पूर्व उनके लिए प्रबोधन पाठ्यक्रम आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उन सुरक्षाकर्मियों और पर्यटक गाइडों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं जो पर्यटकों को आरक्षित वनों में पशु बिछाली (लीटर्स) फेंकने, आवाज करने और आग जलाने से मना करने की जगह इनकी अनुमति देते हैं; और

(घ) क्या राष्ट्रीय उद्यानों आदि में प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण की महत्वाकांक्षी योजना से पर्यटकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, क्षेत्र की वनस्पतिजात और प्राणिजात की विविधता का संक्षिप्त ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए पार्क इंटरप्रेटेशन सेन्टर स्थापित किए गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा वन रक्षकों और पर्यटकों गाइडों के कार्यों की बारीकी से निगरानी की जाती है और दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डीजल इंजन

2704. श्री पंकज चौधरी : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ने रेल इंजनों से अधिक अश्वशक्ति का "शक्ति" नामक एक नये प्रकार का इंजन बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस इंजन की क्षमता और गति कितनी है; और

(ग) इस नये इंजन "शक्ति" की लागत कितनी है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) इंजन 3100 अश्व शक्ति क्षमता वाला है तथा 69 कि.मी. प्रति घंटे की गति से अधिकतम 4700 मीट्रिक टन भार कर्षित करता है।

(ग) इंजन की अनंतिम लागत 245 करोड़ रुपये है।

केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त स्थान

2705. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के कई पद रिक्त पड़े हैं जिसके कारण छात्रों को बहुत असुविधा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.) ने सूचित किया है कि 1.4.95 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित पद रिक्त थे :—

प्रधानाचार्य	:	138
उप-प्रधानाचार्य	:	120
प्रधानाध्यापक	:	99
पी.जी.टी.	:	1045
टी.जी.टी./पी.आर.टी. और अन्य	:	3629

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नियुक्तियों के लिए, की गई पदोन्नतियां और चयन निम्न प्रकार से हैं :—

प्रधानाचार्य	119
उप-प्रधानाचार्य	120

प्रधानाध्यापक	:	99
पी.जी.टी.	:	256
टी.जी.टी./पी.आर.टी.	:	
और अन्य		3824

स्नाकोत्तर शिक्षकों के लिए सीधी भर्ती आरंभ कर दी गई है। नियमित शिक्षकों के अभाव में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा प्रधानाचार्यों को जहां कहीं आवश्यक हों, संविदा के आधार पर शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है।

[अनुवाद]

उर्वरकों को नियंत्रण मुक्त करना

2706. **श्री राजवीर सिंह :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार कुछ किस्म के उर्वरकों पर से नियंत्रण हटाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार यूरिया के "फार्म-गेट" मूल्य में बढ़ोत्तरी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इसके परिणामस्वरूप किसान लाभान्वित होंगे; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (च). ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

शेर

2707. **श्री लक्ष्मण सिंह :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने शेरों का अवैध शिकार किया गया;

(ख) क्या देश में शेरों के अवैध शिकार में कोई अंतर्राष्ट्रीय गिरोह सक्रिय है;

(ग) यदि हां, तो देश में इस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह द्वारा शेरों के अवैध शिकार को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस लुप्त होती प्रजाति के संरक्षण और सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कैदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गुजरात सरकार के मुख्य वन्य जीव वार्डन ने सूचना दी है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अवैध शिकारियों द्वारा 1992-93 में केवल एक शेर मारा गया। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान दो शेरों के मारे जाने की रिपोर्ट दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) शेरों के संरक्षण के लिए उठाए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) यह प्रजाति केवल गुजरात के गिर वनों में पाई जाती है। इस प्रजाति और इसके वास स्थलों की सुरक्षा के लिए 1412 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य घोषित कर दिया गया है।

(2) गिर अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(3) शेर को अधिनियम की अनुसूची-I में शामिल किया गया है जिस कारण उसको वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंध के तहत अधिकतम सुरक्षा प्राप्त है।

(4) शेर को वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के परिशिष्ट में शामिल किया गया है और इस प्रजाति और इससे बनी वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध है।

(5) इस प्रजाति की वैकल्पिक आबादी के लिए मध्य प्रदेश में कुनो-पालपुर अभयारण्य में शेरों को बसाने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कुछ प्राथमिक कार्य पहले ही शुरू कर दिया है।

रेल वैगन

2708. **श्री बृजभूषण शरण सिंह :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के अंतर्गत अनुसंधान डिजाइन प्रभाग ने मालगाड़ी के ऐसे वैगनों का निर्माण किया है जो द्रुतगति से चलने के साथ-साथ अधिक माल भी ढो सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वैगनों को कब से उपयोग में लाये जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा हाल ही में 25 टन धुरा भार वाले हॉपर मालडिब्बे का अभिकल्प तैयार किया गया है। यह माल गाड़ी के थ्रुपुट (प्रति रेक लदान भार) में बी ओ वी आर एन माल डिब्बे जिसका इस समय उपयोग किया जा रहा है, की तुलना में 422 टन अर्थात् 3235 टन से 3657 टन, की वृद्धि करेगा। यह मालडिब्बा 100 कि.मी. प्रति घंटे की गति से चलने में सक्षम होगा।

यदि अभिकल्प अनुमोदित हो जाता है तो प्रोटो टाइप मालडिब्बे का निर्माण किया जाएगा तथा इसे परीक्षण हेतु फील्ड में उतारा जाएगा। क्षेत्र परीक्षणों की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद नियमित निर्माण शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

"मेट्रो रेलवे" परियोजना

2709. श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार "मेट्रो रेलवे" परियोजना के अंतर्गत साल्ट लेक और रामराजतला को जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नागपुर-भुसावल सेक्शन में दुर्घटनाएं

2710. श्री अनन्तराव देशमुख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर-बम्बई रेल लाइन पर भुसावल और बडनेरा के बीच 1993 से कितनी रेल दुर्घटनाएं हुई;

(ख) इन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और इनसे कितनी क्षति हुई; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क)1993 से नागपुर-बम्बई रेल लाइन पर भुसावल और बडनेरा के बीच सात दुघटनाएं हुई।

(ख) (i) रेल कर्मचारियों की गलती (5 मामले) और उपस्कर की खराबी (2 मामले)

(ii) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप रेलवे को 7.51 करोड़ रु. की हानि हुई।

(ग) भारतीय रेलों के संरक्षा कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) 10 वर्ष से कम सक्रिय चालन सेवा वाले लगभग 17,000 चालकों और 40,000 स्टेशन कर्मचारियों की विशेष स्क्रीनिंग की गई है और जिन कर्मचारियों में कमी पाई गई है उन्हें त्वरित प्रशिक्षण दिया गया है।

(2) दो उच्च स्तरीय संरक्षा दल विस्तृत स्थल जांच और फील्ड संस्थापनाओं तथा पद्धतियों के निरीक्षण कर रहे हैं।

(3) जिन कर्मचारियों के कारण गंभीर गाड़ी दुर्घटनाएं होती हैं उन पर कड़ा दण्ड लगाया जाता है जिसमें सेवा से हटाना और बर्खास्तगी शामिल है।

(4) भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों के लिए टक्करें समाप्त करना एक लक्ष्य क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

(5) आरक्षित सवारी डिब्बों में अप्राधिकृत यात्रियों और ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ढो रहे यात्रियों के प्रवेश की रोकथाम के लिए कतिपय नामांकित गाड़ियों में त्वरित कार्यदल तैयार किए गए हैं।

(6) चल स्टाफ को सवारी और माल डिब्बा जांच को सशक्त और युक्ति-संगत बनाया गया है।

(7) राजधानी और शताब्दी मार्गों पर रेलपथ परिपथन कार्यों में तेजी लाई गई है।

(8) सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर रेलपथ नवीकरण कार्य पूरे किये जा रहे हैं।

(9) अधिकारियों, निरीक्षकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी सही नियमों और पद्धतियों का पालन करते हैं, नियमित निरीक्षण किए जाते हैं।

(10) संरक्षा में सुधार करने के लिए रेल पथ परिपथन, पेनल अंतर्पाशन, धुरा काउंटरों आदि जैसे आधुनिक संरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की गई है।

डाल्फिनों की संख्या

2711. श्री विजय कृष्ण हान्डिक :
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के जलाशयों में डाल्फिनों की संख्या के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यह प्रजातियां सबसे अधिक किन क्षेत्रों में देखी गई है;

(ग) क्या इन प्रजातियों के विनिष्ट होने का खतरा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) डाल्फिन को नष्ट होने से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। भारतीय प्राणि सर्वेक्षण द्वारा 1991 में किए गए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार डाल्फिन अधिकतर भारत की चम्बल, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाए जाते हैं। भारतीय प्राणि सर्वेक्षण का अनुमान है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों में डाल्फिनों की संख्या 500-700, चम्बल में 43-47 तथा नदी मुहाना बेल्ट में 3000-3500 है।

(ग) और (घ). किसी भी राज्य ने डाल्फिन के तत्काल विलुप्त होने के खतरे की रिपोर्ट नहीं दी है। तथापि, उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर, जिन स्थानों पर मछुआरों द्वारा अधिक मछलियां पकड़ी जाती हैं, वहां उनकी स्थानीय आबादी के विलुप्त होने के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है। कभी-कभी मछली पकड़ने वाले जाल में फंस जाने के कारण भी डाल्फिन मर भी जाते हैं।

(ङ) डाल्फिनों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) इस प्रजाति को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में रखा गया है और इसके शिकार पर कानूनी प्रतिबंध है।

(2) भारत से संबंधित रेंज राज्यों को निम्नलिखित सलाह दी गई है :

(क) नदी में रहने वाले डाल्फिनों की दुर्घटनावश मृत्यु न होने देने के लिए मत्स्य विभाग को मछली पकड़ने वाली जालियों के आकार को विनियमित करना चाहिए।

(ख) नदी के किसी भी हिस्से में मछली पकड़ने के लिए मच्छरदानी का उपयोग पर पूरा प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

(ग) मछुआरों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वे मछलियों को जाल में फंसाने के लिए आकर्षित करने हेतु डाल्फिन तेल का उपयोग न करें।

(घ) जागरूकता अभियान में तेजी लाई जाए।

(3) वन्यजीव प्राधिकारियों को डाल्फिनों को अवैध रूप से पकड़े जाने की सूचना मिलने पर उनके द्वारा छापे मारे जाते हैं।

दक्षिण पूर्व रेलवे में दुर्घटनाएं

2712. डा. कृपासिन्धु भोई : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के सम्भलपुर और चक्रधरपुर मंडलों में दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मंडलों में 1 जनवरी 1995 से जून, 1995 तक हुई दुर्घटनाओं की संख्या कितनी है; और

(ग) इन बढ़ती संख्या में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1995 के पहले छः महीनों के दौरान 1994 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में चक्रधरपुर मंडल में परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हुई है जबकि संबलपुर मंडल में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर तथा संबलपुर मंडल प्रत्येक में 1.1.1995 से 30.6.1995 की अवधि के दौरान परिणामी गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या 7 थी।

(ग) दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर तथा संबलपुर मंडल सहित भारतीय रेलों में दुर्घटनाओं की संख्या में कमी करने के लिए किए गए उपायों में से कुछ नीचे दिए गए हैं :—

1. 10 वर्ष से कम की सक्रिय ड्राइविंग सेवा वाले चालकों तथा स्टेशन कर्मचारियों की विशेष संवीक्षा की गई है तथा अकुशल पाए गए कर्मचारियों को क्रैश प्रशिक्षण दिया गया था।
2. दो उच्च-स्तरीय संरक्षा दल क्षेत्र संस्थापनाओं और पद्धतियों की स्थल पर गहन जांच और निरीक्षण करते रहे हैं।
3. उन कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्तगी या सेवा से हटाने की सीमा तक का कड़ा दंड दिया जा रहा है, जिनकी वजह से गंभीर गाड़ी दुर्घटनाएं हुई हों।
4. भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों के लिए टक्करें न होने देना एक मिशन क्षेत्र बना दिया गया है।

5. आरक्षित सवारी डिब्बों में अनाधिकृत यात्रियों और ज्वलनशील/विस्फोटक सामग्री ले जा रहे व्यक्तियों के प्रवेश की रोकथाम के लिए कतिपय नामांकित गाड़ियों में त्वरित कार्य दल बनाए गए हैं।

6. चल स्टाक की सवारी और मालडिब्बा जांच को सशक्त और युक्तियुक्त बनाया गया है।

7. सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर बकाया रेलपथ नवीकरण का कार्य किया जा रहा है।

8. अधिकारियों, निरीक्षकों और पर्यवेक्षकों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी सही नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हैं।

9. संरक्षा में सुधार करने के लिए रेलपथ परिपथन, पेनल अंतर्पाशन, धुरा काउंटरों आदि जैसे आधुनिक संरक्षा उपकरणों की व्यवस्था की गई है।

10. गाड़ियों में आग लगने की रोकथाम के लिए श्रव्य-दृश्य साधनों और समाचार-पत्रों के जरिए यात्री जनता को शिक्षित किया जाता है।

दक्षिण सिक्किम के मुंशीथेंग में वन भूमि

2713. श्री हन्नान मोल्लाह :
प्रो. प्रेम धूमल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण सिक्किम के मुंशीथेंग में आरक्षित वन भूमि का सेना द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया था और यह भूमि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन अधिग्रहित की जानी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि क्षेत्रीय वन संरक्षक ने मंत्रालय के आदेश के अधीन निजी व्यक्तियों द्वारा वन भूमि के गैर-कानूनी हस्तांतरण के आरोपों की जांच की है और उनके गैर-कानूनी हस्तांतरण की पुष्टि करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (च). क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भुवनेश्वर के माध्यम से इस मामले की जांच कराई गई जिसकी जांच रिपोर्ट को विस्तृत टिप्पणियों के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया है।

इस मंत्रालय को अभी तक राज्य सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन प्रश्नगत वनभूमि के उपयोग के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय, कलकत्ता

2714. डा. सुधीर राय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) यह क्षेत्रीय कार्यालय कब तक कार्य करना शुरू कर देगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कलकत्ता स्थित आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय ने अभी कार्य करना शुरू नहीं किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया है कि वे क्षेत्रीय कार्यालय को स्थित करने के लिए उपयुक्त भूमि और भवन प्रदान करें। राज्य सरकार ने इस प्रयोजन के लिए एक भवन पहले ही दे दिया है। क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक संयुक्त सचिव चुनने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है आयोग ने पद के लिए उपयुक्त नामांकन भेजने के लिए पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिक्किम की सरकारों तथा इन राज्यों में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लिखा है। संयुक्त सचिव का पद भरते ही केन्द्र कार्य करना शुरू कर देगा। उपयुक्त उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया सम्भवतः अक्तूबर-नवम्बर, 1995 तक पूरी हो जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि विज्ञान केन्द्र

2715. डा. लाल बहादुर रावल :
श्री सूरजभानु सोलंकी :
श्री प्रेमचंद राम :
श्री ओस्कर फर्नान्डीज :
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खोले गये कृषि विज्ञान केन्द्रों का ब्यौरा क्या है तथा वे कहां-कहां स्थित है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रतिवर्ष प्रत्येक राज्य को कितनी-कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान किन-किन स्थानों पर कृषि विज्ञान केन्द्र खोले जाएंगे;

(घ) क्या सरकार को कर्नाटक में ब्रहमावर उदुपी में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है और उस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) क्या सरकार ने अब तक खोले गये कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है; और

(छ) यदि हां, तो इन केन्द्रों के कार्यकलापों के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है;

(ख) सूचना संलगन विवरण-II में दी गई है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-III में दी गई है बशर्ते इसके लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध हो।

(घ) जी, हां। ब्रहमावर में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर से प्राप्त हुआ है।

(ङ) कृषि विज्ञान केन्द्र प्रायोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि प्राप्त होने पर ही उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

(च) और (छ). सूचमा संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्थान एवं जिला	स्वीकृति का वर्ष
1	2	3	4
1.	अण्डमान एवं निकोबार	पोर्टब्लेयर	1992-93
2.	आंध्र प्रदेश	जहीराबाद, मेडक	1992-93
		आर.ए.एस.एस.वनस्थली, तिरूपति	1992-93
		नन्दयाल, कुरनूल	1992-93
		जमीकुन्ता, करीमनगर	1992-93
		काऊर, गुंटूर	1992-93
		मदनपुर, महबूबनगर	1992-93
3.	असम	खुमताई, गोलाघाट	1994-95
		ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, कचार	1994-95
4.	बिहार	आरा, भोजपुर	1994-95
		बसथा-चानपुर, मधुबनी	1994-95
		खादी ग्राम, जमुई	1994-95
		सिन्द्री, धनबाद	1994-95
5.	दिल्ली	ऊजवा	1994-95
6.	गुजरात	भदरपुर, वडोदरा	1993-94,
		वैरा, सूरत	1993-94
		चासवाद, भरोच	1993-94
		मन्डवी, कच्छ	1992-93
		समौदा, मसाना	1992-93
		अमपेट वलसाद	1992-93
7.	हिमाचल प्रदेश	शिमला (रोहरू)	1994-95
		मंडी	1994-95
		सारबौ, किन्नौर	1994-95
		कांगड़ा	1994-95
		रामपुर, ऊना	1994-95
8.	हरियाणा	देवीगढ़, कैथल	1992-93
		जिन्द	1992-93
		कुरूक्षेत्र	1992-93
		सोनीपत	1992-93
		फरीदाबाद	1992-93
		डाबला, यमुना नगर	1992-93
		पानीपत	1994-95
		अम्बाला	1994-95
9.	जम्मू एवं कश्मीर	लेह	1994-95
		कालीबाड़ी, कठूवा	1994-95
10.	कर्नाटक	हगारी, बिल्लारी	1993-94
		रायचूर	1993-94
		तुक्कानथी, बैलगांव	1993-94
		चिक्काबल्लापुर, कोलर	1993-94
		मैसूर	1993-94
11.	केरल	सदानन्दपुरम, कौलम	1993-94
		थिरवल्ला, पट्ठानमथिता	1993-94
		ईदुक्की	1993-94
12.	महाराष्ट्र	डिघोलम्बा, बीद	1992-93
		कालवाडे, सतारा	1992-93
		शारदानगर, बारामती	1992-93
		बमलेश्वर, अहमदनगर	1992-93
		सांगली	1992-93
		जालना	1992-93
		लतूर	1992-93
		नासिक	1993-94
		परभनी	1993-94

1	2	3	4
		कोहलापुर	1993-94
		गोहा, रायगढ़	1993-94
		जलगांव (जमोद), गुलदाना	1993-94
		वाधी, नानदेद	1993-94
		हीराज, सोलापुर	1993-94
		कारदा, अकोला	1993-94
		सी.आई.सी.आर, नागपुर	1993-94
13.	मध्य प्रदेश	बालघाट	1992-93
		दुर्ग	1992-93
		सीधी	1992-93
		सादौल	1992-93
		बस्तर	1992-93
		विदिशा	1992-93
		सतना	1992-93
14.	मिजोरम	लुन्गलेई	1994-95
15.	मेघालय	पूर्वी, खासी, चेरापूंजी	1994-95
16.	उड़ीसा	गम्भारी पल्ली, समलालपुर	1992-93
		उदयगिरी, फुलबती	1992-93
		भवानी पटना, कालाहान्डी	1992-93
		विद्याधरपुर, कटक	1992-93
17.	पंजाब	लन्गराया, जालन्धर	1994-95
		खेड़ी संगरूर	1994-95
		फरीदकोट	1994-95
		अबोहर, फिरोजपुर	1992-93
18.	पाँडिचेरी	कराईकल	1993-94
19.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	1992-93
		सवाई माधोपुर	1992-93
		बोरखेड़ा फार्म, कोटा	1992-93
		जैसलमेर	1992-93
		नवगांव, अलवर	1992-93
		अमाणिआ फार्म, भीलवाड़ा	1992-93
		बून्दी	1992-93
		तबीजी फार्म, अजमेर	1992-93
		धौलपुर	1992-93
		डूंगरपुर	1992-93
		जालावर	1992-93
		नागौर	1992-93
		चोमू, जयपुर	1992-93
		टोंक	1992-93

1	2	3	4
		सोजत, पाली	1992-93
		सरदार शहर, चूरू	1992-93
		बाड़मेर	1992-93
		राजसमन्द	1993-94
		खेड़ा खुर्द, दौसा	1993-94
		अन्ता, बरन	1993-94
20.	तमिलनाडु	सन्धीयोर-मल्लूर, सलेम	1993-94
		धरमपुरी	1993-94
		आल्लीकुलम मुन्दराप्रपुर, कामराजर	1993-94
		नेल्लई, कोट्टाबोम्मन	1993-94
		कामात्चीपुरम, मदुरई	1993-94
21.	त्रिपुरा	नलकाटा, उत्तरी त्रिपुरा	1994-95
22.	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़	1992-93
		अफजलगढ़ नगीना, बीजनौर	1992-93
		उझायानी, बदायूं	1992-93
		गानीवन, बान्दा	1992-93
		इलाहाबाद	1992-93
		सीहनाओ सिद्धार्थ नगर	1992-93
		हस्तिनापुर, मेरठ	1992-93
23.	पश्चिम बंगाल	विवेकानन्दनगर, पुरूलिया	1992-93
		कलिमपोन्ग, दार्जिलिंग	1992-93
		दुर्गापुर, बर्धवान	1994-95
		श्रीनिकतन, बोलेपुर	1994-95

विवरण-II

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	अंडमान व निकोबार	13.17	18.01	28.18
2.	आंध्र प्रदेश	101.17	182.34	96.90
3.	असम	-	-	16.60
4.	बिहार	-	-	80.55
5.	दिल्ली	-	-	04.75
6.	गुजरात	20.12	42.98	62.785
7.	हरियाणा	28.70	100.48	12.73
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	19.00
9.	जम्मू व कश्मीर	-	-	12.67

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	–	–	47.60
11.	केरल	7.95	35.88	29.54
12.	महाराष्ट्र	100.42	142.02	189.09
13.	मध्य प्रदेश	40.14	74.59	84.65
14.	मिजोरम	–	–	6.53
15.	मेघालय	–	–	6.53
16.	उड़ीसा	15.24	17.32	27.32
17.	पंजाब	13.82	27.58	52.75
18.	पांडिचेरी	–	–	2.33
19.	राजस्थान	51.08	130.44	128.51
20.	तमिलनाडु	–	–	92.06
21.	त्रिपुरा	–	–	6.53
22.	उत्तर प्रदेश	84.80	104.60	209.27
23.	पश्चिम बंगाल	–	–	28.11

विवरण–III

क्र.सं.	राज्य का नाम	कृ.वि.केन्द्र का स्थान
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	लोहित
2.	असम	सिबसागर
3.	आन्ध्र प्रदेश	गुद्दाप्पाह अदिलाबाद कृष्णा खम्माम
4.	बिहार	किसनगंज पालमू
5.	गुजरात	जुनागढ़ सबर्कांठा
6.	कर्नाटक	बीजापुर
7.	केरल	कोट्टायम
8.	महाराष्ट्र	अमरावती सिंधदुर्ग
9.	मध्य प्रदेश	बेतुल रायगढ़ रतलाम
10.	तमिलनाडु	चितम्बरनार थंजापुर
11.	उत्तर प्रदेश	आजमगढ़ देवरिया फरूखाबाद मैनपुरी मुरादाबाद
12.	पश्चिम बंगाल	नाडिया

विवरण–IV

183 कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यों की मूल्यांकन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा दस पंचवर्षीय समीक्षा दलों का गठन किया गया है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

क्र.सं.	क्षेत्र	पंचवर्षीय समीक्षा दलों के अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम
1.	I(क)	उ.प्र., हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू व कश्मीर राज्य के पहाड़ी जिले।
2.	I(ख)	पंजाब
3.	II	असम तथा पश्चिम बंगाल
4.	III	उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य
5.	IV(क)	उत्तर प्रदेश के मैदान
6.	IV(ख)	बिहार
7.	V	पूर्वी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश
8.	VI	राजस्थान, गुजरात तथा हरियाणा
9.	VII	गोवा, महाराष्ट्र तथा पश्चिम मध्य प्रदेश
10.	VIII	कर्नाटक, केरल तमिलनाडु तथा पांडिचेरी संघ शासित राज्य

कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्य के मूल्यांकन के बाद इन समितियों ने यह पाया है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान किसानों खेतिहर महिलाओं तथा ग्रामीण युवाओं के लाभ के लिए इन कृषि विज्ञान केन्द्रों ने फसल उत्पादन, बागवानी, पशुधन उत्पादन, मात्स्यिकी, गृह विज्ञान तथा अन्य संबद्ध व्यवसायों में अल्पावधि के व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने में अपने प्रयास संकेन्द्रित किये हैं। इसके अलावा कई विस्तार कार्यक्रम जिनमें क्षेत्र प्रदर्शन भी शामिल हैं, जागरुकता पैदा करने तथा आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी को उपयोग में लाने के लिए चलाए गए। कई कृषि विज्ञान केन्द्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन एककों की स्थापना की है तथा एक ओर उन्होंने अनुसंधान संस्थानों के साथ तथा दूसरी तरफ कई विकास संगठनों के साथ सदभावनापूर्ण संबंध बनाया है।

समितियों ने कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्य के विभिन्न पहलुओं पर विशिष्ट सिफारिशें की हैं। इन पहलुओं के कृषि विज्ञान केन्द्रों के सौंपे गये कार्य, कृषि विज्ञान केन्द्रों के कार्यकरण, गांवों का सर्वेक्षण, प्रशिक्षण, तकनीकी कार्यक्रम, कृषि विज्ञान केन्द्रों के प्रभाव, सम्पर्क, स्थानीय प्रबंध समितियां, इन्सट्रकशनल फार्म, बिल्डिंग तथा प्रदर्शन एककों, कार्मिक प्रबन्ध (भर्ती तथा स्थानांतरण, प्रोत्साहन तथा सरकारी, कर्मचारी प्रशिक्षण आदि), वित्तीय प्रबन्ध, आवर्ती निधि, कृषि विज्ञान केन्द्रों का प्रबोधन, नये कृषि विज्ञान केन्द्रों आदि के लिए स्थान के चयन हेतु मार्गदर्शन आदि शामिल हैं।

इन सिफारिशों के प्रकाश में परिषद तथा मेजबान संस्थानों द्वारा उपयुक्त कार्यवाही करके कृषि विज्ञान केन्द्रों को पुनः सशक्त बनाया जा रहा है।

[अनुवाद]

कीटनाशक दवाइयां

2716. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एस्फेट को एक कीटनाशक बनाने के लिए कोई स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कीटनाशक दवाइयों का गहन परीक्षण किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे परीक्षणों के क्या परिणाम रहे; और

(ङ) क्या किसानों को यह कीटनाशक उपलब्ध कराए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) मेथेनोल के साथ थियोफोस्फोराई की प्रक्रिया द्वारा पहली बार एस्फेट तैयार किया गया ताकि मेथाइल फास्फोराइल डिक्लोराइडेट दिया जा सके। इसे फोस्फाराईल-डिक्लोराइडेट के एस-मिथाईल में अंतरित किया गया। मेथेनोल और अमोनिया के साथ और आगे प्रतिक्रिया होने पर इससे मेथामिडोफोस प्राप्त हुआ जिसे एसेटाईलशन करने पर एस्फेट प्राप्त हुआ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए लागू नहीं।

(ङ) जी, हां। कपास में बोलवर्म, जैसिड्स तथा व्हाइट फ्लाइ तथा कुसुम में ऐफिड्स के नियंत्रण के लिए एस्फेट एक व्यावसायिक पंजीकृत कीटनाशी है।

यात्री सुविधाएं

2717. श्री बीर सिंह महतो : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे में पुरूलिया कोटशिला लाइन के जयपुर, घुसु रोड, गौरीनाथधाम स्टेशनों पर प्लेटफार्म, प्रतिक्षालय, शौचालय, पेय जल एवं अन्य सुविधाएं पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सुविधाओं में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). पुरूलिया-कोटशिला खंड पर तीन रेलवे स्टेशन यथा गौरीनाथधाम, घास रोड तथा गढ़जोईपुर, हैं। गौरीनाथधाम रेलवे स्टेशन पर निचली सतह वाले प्लेटफार्म, पेय जल प्रबंध तथा शौचालय सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। घास रोड तथा गढ़जोईपुर हाल्ट स्टेशनों पर पटरी की सतह वाले प्लेटफार्म तथा पेय जल की व्यवस्था की गई है। ये सुविधाएं इन स्टेशनों पर सम्हाले जा रहे यातायात की कम मात्रा के अनुरूप है। इन सुविधाओं में आगे ओर वृद्धि तब की जाएगी, जब कभी यातायात की मात्रा में वृद्धि होने पर ऐसा करना अपेक्षित होगा बशर्ते की धन उपलब्ध हो और सापेक्ष प्राथमिकताएं हों।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का कोटा भरना

2718. श्री छेदी पासवान : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी रेलवे को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों को भरने के संबंध में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से कोई मार्ग-निर्देश अथवा पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन मार्ग-निर्देशों और पत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा धनराशि का उपयोग

2719. श्री अनिल बसु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने 1991 से 1994 तक आवंटित सारी धनराशि का उपयोग कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने धनराशि के आवंटन में वृद्धि करने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रस्ताव पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). वर्ष 1991 से 1994 की अवधि के दौरान कोष का उपयोग काफी हद तक बढ़ गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

वर्ष	आवंटन योजना + गैर योजना (रु. करोड़ में)	प्रतिशत औसत उपयोग
1991-92	335.91	95.86
1992-93	358.05	99.28
1993-94	442.72	99.84

(ग) से (ङ). जी, हां। विशेष रूप से गैर योजना के अंतर्गत कुछ अधिक व्यय हुआ था जिसे वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान विचार के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। इन प्रस्तावों के आधार पर वित्त मंत्रालय ने संशोधित आंकलन में वर्ष 1992-93 के दौरान 14.75 करोड़ रु. तथा वर्ष 1993-94 के दौरान 29.80 करोड़ रु. की वृद्धि कर दी।

स्टॉलों का आबंटन

2720. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के लोअर परेल, नालासोपारा तथा बांद्रा टर्मिनल रेलवे स्टेशनों पर रेलवे बोर्ड द्वारा चाय के स्टालों को आवंटित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये स्टाल्स किन्हें और किस आधार पर आबंटित किए गए हैं;

(ग) क्या ये आबंटन रेलवे बोर्ड के मार्ग-निर्देशों के अनुसार किये गये हैं;

(घ) क्या रेलवे बोर्ड को इन चाय स्टालों के आबंटियों के विरूद्ध शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन शिकायतों की जांच तथा कार्यवाही की गयी है; और

(च) यदि नहीं, तो जांच किस चरण में है तथा बिना शिकायतों के निपटान के ऐसे आबंटन किए जाने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). लोअर, परेल, नालासोपारा और बांद्रा स्टेशनों पर खानपान/वेंडिग सुविधाओं का आबंटन विशेष मामलें के रूप में क्रमशः श्री राजेन्द्र प्रसाद, श्री सुनील चन्द, मै. जे.एस. एसोसिएटस, श्रीमती मनीषा, श्री एम.के. जैन और श्री मसर्रत कांजी को किया गया है।

(घ) और (ङ). जी, हां। प्राप्त की गई शिकायतें छद्मनाम वाली पाई गई जिन्हें सिद्ध भी नहीं किया जा सका।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरणीय विपदा

2721. श्री रवि राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जुलाई, 1995 को "संडे स्टेटसमैन" में अपील टू सेव उड़ीसा कोस्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को जन-प्रतिनिधियों से उड़ीसा के तट को पर्यावरणीय विपदा से बचाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) ये अभ्यावेदन जल जीव पालने के साथ-साथ विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव के बारे में पहले के सरोकारों की पुनरावृत्ति हैं।

(घ) सरकार इनमें उठाए गए विभिन्न मुद्दों की जांच कर रही है।

नारियल की गिरी का प्रभाव

2722. श्री ए. चार्ल्स : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल विश्वविद्यालय के जीव रसायन विभाग द्वारा नारियल की गिरी के उपभोग से "सीरम लिपिड प्रोफाईल तथा थ्रोमबोसिस" पर होने वाले प्रभाव के अध्ययन की रिपोर्ट पूरी हो चुकी है तथा तत्संबंधी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम रिपोर्ट के कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) से (ग). नारियल विकास बोर्ड ने केरल विश्वविद्यालय के जीव रसायन विभाग को नारियल की गिरी के उपयोग से सीरम लिपिड प्रोफाइल और थ्रोमबोसिस पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए धन दिया है। मूल कार्यक्रम के अनुसार अध्ययन पूरा नहीं हुआ है। फिर भी, बोर्ड को अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। परियोजना अन्वेषक ने अतिरिक्त निधि की मांग की है ताकि परिवर्धित कार्यक्रम जिसे पहले मंजूरी नहीं दी गई थी, सहित परियोजना को पूरा किया जा सके। मूल रूप से मंजूर की गई वित्तीय सहायता से प्रारंभ में अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार परियोजन पूरी करने के लिए परियोजना अन्वेषक को बोर्ड के निर्णय से अवगत करा दिया गया है और यदि आगे अध्ययन की आवश्यकता हुई तो नया प्रस्ताव बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए।

[हिन्दी]

सोयाबीन की खेती

2723. श्री नरेश कुमार बालियान : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सोयाबीन की खेती हेतु भू-क्षेत्र में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु कितने अतिरिक्त क्षेत्र की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार अपारंपरिक क्षेत्रों में भी सोयाबीन उगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) तथा (ख). जी, हां। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के [illegible] अपनाई गई एक कार्यनीति मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्यों के झूम क्षेत्रों में खरीफ की परती भूमि में तिलहनों, विशेष रूप से सोयाबीन के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार करना है।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय तिलहन तथा वनस्पति तेल विकास बोर्ड (नोवोड बोर्ड) गैर पारम्परिक क्षेत्रों में सोयाबीन के साथ साथ तिलहनी फसलों की खेती के लिये सहायता दे रहा है जिसके परिणाम स्वरूप आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में सोयाबीन की खेती आरम्भ की गई है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

2724. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में गैर-सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति देने संबंधी प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार का निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को अनिवासी भारतीयों से भी इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या तकनीकी शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकने के लिए सरकार का कोई दिशा-निर्देश निर्धारित करने का विचार है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में आवश्यक कानून संसद में कब तक लाये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (छ). इस समय विश्वविद्यालय की स्थापना केवल संसद अथवा राज्य विधान मंडल के अधिनियम द्वारा की जा सकती है। अतः एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकती है। तथापि, उच्च शिक्षा की बढ़ती हुई जरूरत को ध्यान में रखते हुए, अन्य स्तरों की भांति सरकार यह महसूस करती है कि इसके निवेश उपयोग पूर्ण ढंग से गैर-सरकारी स्रोतों से निवेश द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। तदनुसार सरकार, मानकों के अनुरक्षण तथा राष्ट्रीय हितों की पर्याप्त सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए एक उपयुक्त विधायी कार्य ढांचे पर विचार कर रही है ताकि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा सके। विश्वविद्यालयों को शिक्षा तथा प्रबंध मुद्दों में लचीलापन सुनिश्चित करते हुए संबंधित विधान और इसके तहत नियमों में इन मामलों पर उपयुक्त ढंग से विचार

किया जाएगा। विधायी प्रस्ताव यथा समय संसद के विचारार्थ पेश किया जाएगा। अन्यथा सरकार का आशय तकनीकी शिक्षा में निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने का नहीं है।

पुरातत्व विज्ञान संस्थान

2725. श्री सूरज मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुरातत्व विज्ञान संस्थान पुरातत्व विज्ञान में व्यापक पाठ्यक्रम हेतु प्रतियोगिता के आधार पर पूरे भारत से स्नातकोत्तर छात्रों का चयन करता है;

(ख) यदि हां, तो पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है; और

(ग) प्रति-वर्ष पुरातत्व विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की डिग्री कितने छात्रों को दी जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) इस पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष है।

(ग) प्रतिवर्ष औसतन 11 छात्रों को पुरातत्व विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रदान किया जाता है।

विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा ऋण

2726. श्री शरत पटनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व बैंक तथा एशियाई विकास बैंक से अपनी यूनीगेज परियोजना के लिए ऋण मांग रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऋण देने वाली विदेशी एजेंसियों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

भूमि सुधार

2727. श्री प्रतापराव बी. भोंसले :
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार भूमि का कुल कितना क्षेत्र जलभराव समस्या से ग्रस्त हो गया है;

(ख) इस भूमि के सुधार हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता से कुछ राज्यों में कुछ भूमि सुधार परियोजनाएं शुरू की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी परियोजनाएं किन-किन राज्यों में शुरू की गई है; और

(च) उक्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यवार कितनी सहायता प्रदान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जल जमा होने से प्रभावित हुए क्षेत्रों के अनुमानों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ). जल संसाधन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किये जाने वाले केन्द्रीय प्रयोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खेतों से अतिरिक्त जल को निकालने तथा जल जमा होने की समस्या को दूर करने के लिये खेतों में जल निकासी नालियां बनाने पर जोर दिया गया है। लेकिन जल से भरे क्षेत्रों का सुधार करने की किसी विशेष योजना की जानकारी नहीं मिली है।

(ङ) तथा (च). ये प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

जल से भरे क्षेत्रों के राज्यवार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(क्षेत्र लाख हैक्टे. में)

क्र.सं.	राज्य	जल से भरे क्षेत्र
1.	आन्ध्र प्रदेश	3.39
2.	असम	4.50
3.	बिहार	7.07
4.	गुजरात	4.84
5.	हरियाणा	6.20
6.	हिमाचल प्रदेश	-
7.	जम्मू व कश्मीर	0.10
8.	कर्नाटक	0.10
9.	केरल	0.61
10.	मध्य प्रदेश	0.57
11.	महाराष्ट्र	1.11
12.	उड़ीसा	0.60
13.	पंजाब	10.90
14.	राजस्थान	3.48
15.	तमिलनाडु	0.18
16.	उत्तर प्रदेश	19.80
17.	पश्चिम बंगाल	21.80
18.	दिल्ली	0.01
	योग	85.26

पूंजी बाजार से धन जुटाना

2728. श्री रमेश चेन्नितला : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने चालू वर्ष के दौरान पूंजी बाजार से धन जुटाने का प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ निर्धारित लक्ष्य पूरा कर दिये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा पूंजी बाजार से धन किन प्रयोजनों हेतु जुटाया जा रहा था?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). भारतीय रेल वित्त निगम जो कि रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम है, जो चालू वित्त वर्ष के दौरान बाजार ऋण के जरिए 2250 करोड़ रु. जुटाने अपेक्षित है। बहरहाल, इस राशि को करमुक्त अथवा करयोग्य बाण्डों के जरिए जुटाने के लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी की प्रतीक्षा की जा रही है। बहरहाल, वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994-95 के कर-मुक्त बाण्डों से संबंधित 293 करोड़ रु. की मंजूरी का पुनः वैधीकरण कर दिया गया है। इस मंजूरी के संबंध में, भा.रे.वि.नि. द्वारा 290 करोड़ रु. के बाण्डों के निजी स्थापन के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपर्क किया गया था। बहरहाल, बाजार की विकट परिस्थितियों के कारण इन संस्थानों ने इस पेशकश का उत्तर नहीं दिया। इन बाण्डों को जुटाने के लिए पुनः प्रयास किए जा रहे हैं।

इन राशियों को चल स्टाक की खरीद के लिए भा.रे.वि.नि. द्वारा जुटाया जा रहा है जिसे बाद में रेलों को पट्टे पर दिया जाएगा।

मछली/झींगा उत्पादन

2729. श्रीमती दीपिका एच टोपीवाला :
श्री महेश कनोडिया :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान समुद्र और अन्तर्देशीय जल में राज्य-वार मछली/झींगा का कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ख) चालू वित्तीय वर्ष के लिए मछली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) सूचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) मात्स्यिकी के विकास के लिये कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 1995-96 के दौरान कुल 93.05 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं। मात्स्यिकी के विकास से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के लिए पहले से ही कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है। राज्यों से आने वाले प्रस्तावों तथा क्रियान्वित को जाने वाली योजनाओं की प्रगति के आधार पर धनराशि निर्मुक्त की जाती है। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भी विभिन्न योजनाएं चला रहा है जिसके लिए 1995-96 में 3.60 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

विवरण

वर्ष 1995-96 में मत्स्य/झिम्प के उत्पादन का राज्यवार लक्ष्य

(.000 मीटरी टन में)

		मत्स्य/झिम्प के उत्पादन का लक्ष्य		
क्र.सं.	राज्य	समुद्री	अन्तर्देशीय	योग
1.	आन्ध्र प्रदेश	165.60	185.00	350.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	2.00	2.00
3.	असम	0.00	152.00	152.00
4.	बिहार	0.00	202.00	202.00
5.	गोवा	110.00	6.00	116.00
6.	गुजरात	632.00	73.00	705.00
7.	हरियाणा	0.00	27.00	27.00
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00	6.70	6.70
9.	जम्मू व कश्मीर	0.00	16.50	16.50
10.	कर्नाटक	182.00	78.00	260.00
11.	केरल	625.00	50.00	675.00
12.	मध्य प्रदेश	0.00	55.00	55.00
13.	महाराष्ट्र	380.00	85.00	465.00
14.	मणिपुर	0.00	12.00	12.00
15.	मेघालय	0.00	4.20	4.20
16.	मिजोरम	0.00	3.00	3.00
17.	नागालैंड	0.00	2.30	2.30
18.	उड़ीसा	115.00	133.00	248.00
19.	पंजाब	115.00	133.00	248.00
20.	राजस्थान	0.00	25.00	25.00
21.	सिक्किम	0.00	15.00	15.00
22.	तमिलनाडु	0.00	0.10	0.10
23.	त्रिपुरा	350.00	122.00	472.00
24.	उत्तर प्रदेश	0.00	27.00	27.00
25.	पश्चिम बंगाल	0.00	140.00	140.00
26.	अन्य	147.00	694.00	841.00
		119.00	9.20	128.20
	योग	2825.00	2125.00	4950.00

जंगली जानवरों का निर्यात

2730. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत दूसरे देशों को चीते, बाघ और शेरों का निर्यात कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा राशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पटना और सूरत के बीच रेलगाड़ी

2731. श्री काशीराम राणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई रेलगाड़ियों को शुरू करने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने पटना और सूरत के बीच नई सीधी रेलगाड़ी चलाने के लिए संसद सदस्यों से प्राप्त अनुरोधों पर कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) यातायात औचित्य, परिचालनिक व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता।

(ख) और (ग). जांच की गई थी परन्तु परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

डिब्बाबंद जिंस

2732. श्री राम नरेश सिंह : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन डिब्बाबंद जिंसों को अधिकतम फुटकर मूल्य का उल्लेख करने से मुक्त रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की जाती है और उनसे अधिक मूल्य वसूल किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पैकेज में रखी जिन वस्तुओं को विनिर्माताओं/पैकरों द्वारा अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा के अंकन से इस समय छूट प्राप्त है, वे नीचे दी गई हैं :

(1) निम्नलिखित के गैर-डिब्बाबंद पैकेज : (क) सब्जियां (ख) फल (ग) आइसक्रीम (घ) मक्खन (ङ) मछली (च) गोश्त अथवा (छ) इन जैसी कोई अन्य वस्तु।

(2) कोई बोतल, जिसमें तरल दूध, तरल पेय, जिसमें एक घटक के रूप में दूध हो, जिसे पुनः भरने के लिए उपभोक्ता द्वारा वापिस किया जाना है।

(3) कोई बोतल, जिसमें मत्सारिक पेय हो अथवा स्पिरिट के गुण वाला मद्य हो।

(4) कोई पैकेज, जिसमें 15 कि.ग्रा. अथवा 15 लीटर से अधिक पशु आहार हो।

(5) कोई पैकेज, जिसमें ऐसी वस्तु हो, जिसके लिए तत्समय प्रवृत्त किसी कानून के द्वारा अथवा उसके तहत नियंत्रित मूल्य नियम किए गए हैं।

(6) छपाई की स्याही के पैकेज।

(ख) भाग (क) में उल्लिखित वस्तुओं को अधिकतम खुदरा मूल्य की घोषणा से छूट देने के विषय से संबंधित रिकार्ड तुरंत ट्रेसेबल नहीं है। तथापि, कुछ संभावित कारण क्रमवार इस प्रकार हो सकते हैं :

(1) वस्तुएं विनाशशील स्वरूप की हैं;

(2) बोतलों पर मूल्य अंकित करने की व्यावहारिक कठिनाइयां;

(3) मूल्य, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विनियमों के अधीन हैं;

(4) पैकेजों को खुदरा पैकेज नहीं समझा जाता है;

(5) नियामक नियंत्रणों की द्विरावृत्ति से बचना तथा

(6) केवल संबंधित व्यापार द्वारा क्रय किया जाता है।

(ग) और (घ). हालांकि विनिर्माताओं/पैकरों द्वारा पैकेज पर मूल्य की घोषणा किए जाने से छूट है, तथापि, खुदरा विक्रेताओं को उपभोक्ताओं की सूचना के लिए अपने परिसरों में उन्हें प्रदर्शित करना होता है। पैकेज में रखी वस्तु नियम, 1977 से संबंधित स्थायी समिति, कुछ वस्तुओं को छूट की पुनरीक्षा की समस्या से अवगत है।

[हिन्दी]

हिन्दी माध्यम से तकनीकी शिक्षा

2733. श्री रामपाल सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की विज्ञान तथा तकनीकी पाठ्यक्रमों की शिक्षा हिन्दी माध्यम से देने की योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). जी, नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्रवाई योजना, 1992 शिक्षण के माध्यम के रूप में सभी स्तरों पर आधुनिक भारतीय भाषाओं के उत्तरोत्तर प्रयोग का समर्थन करती है। स्कूल और तकनीकी संस्थाएं क्रमशः संबंधित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा विश्वविद्यालय, जो शैक्षिक मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, के शैक्षिक नियंत्रण/पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्य करती हैं। ये शैक्षिक निकाय शिक्षण के माध्यम से क्रमशः परिवर्तन करते हैं शिक्षण के माध्यम में परिवर्तन लाने की केन्द्रीय सरकार की कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

[अनुवाद]

कम दूरी के टिकटधारक

2734. श्री शिव शरण वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में कम दूरी के टिकटधारक लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में बलपूर्वक प्रवेश कर जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). छोटी दूरी के यात्रियों द्वारा उनके उपयोग में आने वाली लम्बी दूरी की गाड़ियों के आरक्षित डिब्बों में यात्रा करने के कुछ मामले ध्यान में आए हैं।

(ग) राजकीय रेलवे पुलिस/रेल सुरक्षा बल के समन्वय से अचानक और नियमित जांच की जाती है और अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले व्यक्तियों से रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाता है, इसके अलावा, आरक्षित सवारी डिब्बों में अनाधिकृत यात्रियों का प्रवेश रोकने के लिए, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से गुजरने वाली 9 जोड़ी गाड़ियों में त्वरित कार्रवाई दलों की शुरूआत की गई है।

वर्दराजन समिति

2735. श्री प्रमथेश मुखर्जी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जुलाई, 1995 के "द स्टेट्समेन" में "पोल्यूशन राइजिंग इन ताज ट्रेपीजियम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा ताज ट्रेपीजियम का सर्वेक्षण करने के लिए गठित वर्दराजन समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की विशेष बातें क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) वरदराजन समिति की प्रमुख सिफारिशें में मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं :

1. आगरा में परिवहन प्रणाली का विकास और पुनर्गठन।
2. पर्यावरण के अनुकूल भूमि प्रयोग की स्थापना।
3. स्मारकों का संरक्षण एवं परिरक्षण।
4. स्वच्छ ईंधन का प्रयोग।
5. निगरानी केन्द्रों की स्थापना और सूचना के प्रचार-प्रसार समेत उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन।
6. हरित पट्टी में वृद्धि।
7. ताजमहल के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की और कार्यालयों आवानों और उद्योगों को स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन देना; और
8. संरक्षण समेत पर्यावरण सम्बन्धी मानव संसाधन विकास की विद्यमान सुविधाओं को सुदृढ़ करना।

(घ) सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वरदराजन समिति गठित की गई थी। समिति के प्रतिवेदन को न्यायालय के आगे के आदेशों के लिए प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

इकोमार्क

2736. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण :
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को लेबलयुक्त करने संबंधी योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) किन-किन उत्पादों पर अब तक इकोमार्क लगाया गया है; और

(ग) इन योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले उत्पादों के नाम क्या हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को "इकोमार्क" लेबल लगाने के लिए मापदण्डों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उत्पादों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उन्हें अधिसूचित किया गया है : साबुन, कपड़े धोने का साबुन, डेटरजेन्ट्स, कागज, खाने की चीजें भाग-1 (खाद्य तेल, चाय काफी)।

(ख) एक उत्पाद (इको-इजी) को "इकोमार्क" लेबल लगाया गया है।

(ग) उत्पादों की निम्नलिखित श्रेणियों को इस स्कीम में पहले ही सम्मिलित किया जा चुका है : (1) प्लास्टिक (2) खाने की चीजे भाग-2 (3) टेक्सटाइल्स (4) कान्तिवर्द्धक (5) चिकने तेल (6) पैकेजिंग भाग-1 (7) पैकेजिंग भाग-2 (8) एयरोसोल (9) बिजली की वस्तुएं/एलैकट्रानिक वस्तुएं (10) लकड़ी का विकल्प (11) परिरक्षक और खाद्य योगज (12) बैटरी (13) कण्टकनाशक कीटनाशक, जीवनाशक और अपतृण नाशक (14) पेन्ट्स ओर (15) औषध।

[अनुवाद]

सोयाबीन के बीज

2737. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सोयाबीन की खेती में वृद्धि करने हेतु इसके बीजों की खरीद के लिए राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : देश में वर्धित सोयाबीन की खेती करने के लिए चरणबद्ध बीज बहुलीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादित सोयाबीन की अधिसूचित उन्नत किस्मों का प्रजनक बीज विभिन्न बीज उत्पादन संगठनों को आवंटित किया जाता है जो इसे आधारी बीज में बहुलीकृत करते हैं। ये संगठन चयनित किसानों के खेतों तथा सरकारी फार्म पर बीज उत्पादन करके आधारी बीज से प्रमाणित बीज का उत्पादन कराते हैं। इस प्रकार से उत्पादित प्रमाणित बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे वाणिज्यिक सोयाबीन फसल का उत्पादन कर सकें। केन्द्रीय प्रायोजित योजना-तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज उत्पादकों को सोयाबीन की खेती के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाता है।

रेलवे सेक्शन का विद्युतीकरण

2738. श्री केशरी लाल : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युतीकरण के प्रयोजन से कानपुर-झांसी रेलवे अनुभाग का सर्वेक्षण किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अनुभाग का विद्युतीकरण कार्य आरम्भ किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार कर लिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

2739. श्री एम. रमन्ना राय :
श्री सत्य गोपाल मिश्र :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि की दर कितनी रही; और

(ख) सरकार द्वारा मूल्यों पर नियंत्रण न कर पाने के क्या कारण हैं?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वर्ष 1991-92 से चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांको में प्रतिशत उतार-चढ़ाव दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सरकार मूल्यों को नियंत्रण में रखने में असफल नहीं हुई है। वास्तव में सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु कई दीर्घकालिक उपाय करने के अलावा सरकार द्वारा किए गए अन्य उपायों में ऐसी वस्तुओं का आयात करना और इसके द्वारा आवश्यक वस्तुओं की कुल उपलब्धता में वृद्धि करना शामिल है। इनमें से कुछ वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए भी बाजार मूल्यों से कम मूल्य पर सप्लाई की जा रही है। जमाखोरों, चोरबाजारियों और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आदि के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाती है।

विवरण

वर्ष 1991-92 से 1995-96 (जुलाई 1995 तक) चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में प्रतिशत उतार-चढ़ाव

वस्तु	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96 (जुलाई, 95 तक)
चावल	+30.4	Steady	+12.5	+9.2	+3.9
गेहूं	+16.8	-2.3	+20.7	-1.3	-5.6
चना	-4.1	+29.5	+43.1	-17.7	-12.7
अरहर	+12.3	-3.3	+14.0	+15.7	+40.6
आलू	+10.8	-1.4	+14.8	-5.1	+98.5
प्याज	-51.7	+146.7	-5.7	-38.0	+54.7
चाय	-3.6	+38.6	-30.0	+5.7	+36.5
चीनी	+19.6	+13.4	+17.7	-3.5	+1.2
नमक	+25.5	+4.4	+2.9	+9.3	+34.1
वनस्पति	+ 1.5	-17.7	+1.0	+17.0	-0.6
सरसों तेल	+1.4	-15.2	+7.2	+24.9	-7.1
मूंगफली तेल	-1.4	-21.8	+19.2	+32.0	+3.7
सभी वस्तुएं	+13.6	+7.1	+10.5	+10.6	+2.6

केन्द्रीय विद्यालयों में रिक्तियां

2740. श्री मुही राम सैकिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन में विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिये 1 अप्रैल, 1995 के अनुसार विभिन्न श्रेणी के निर्धारित और रिक्त पदों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस वर्ष सामान्य वर्ग तथा आरक्षित वर्ग दोनों में सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा भर गये पदों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) 1.04.95 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय विद्यालय में अध्यापकों की आरक्षित रिक्तियां निम्न प्रकार से है :

क्र.सं.	पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग
1.	प्रधानाचार्य	21	11	25
2.	उप प्रधानाचार्य	18	09	-
3.	प्रधानाध्यापक	15	07	-
4.	स्नाकोत्तर अध्यापक	157	78	188
5.	टी.जी.टी./पी.आर.टी./ विविध आदि	544	273	859

(ख) अध्यापकों की नियुक्ति के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा की गई पदोन्नतियां और चयन निम्न प्रकार से है :

क्र. सं.	पद	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़े वर्ग	गैर-आरक्षित
1.	प्रधानाचार्य	12	-	25	46
2.	टी.जी.टी./ पी.आर.टी./ विविध आदि	546	117	904	1922

क्र.सं.	पद	अनुसूचित जाति	पदोन्नतियां अनुसूचित जनजाति	गैर-आरक्षित
1.	प्रधानाचार्य	-	-	36
2.	उपप्रधानाचार्य	01	-	119
3.	प्रधानाध्यापक	-	-	99
4.	स्नाकोत्तर अध्यापक	32	01	223
5.	टी.जी.टी./पी.आर.टी./ विविध आदि	54	30	251

पुरातत्वविदों की नियुक्ति

2741. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सहायक पुरातत्वविद् के पदों की नियुक्तियों के विज्ञापन 1986 से नहीं दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ओर इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). तकनीकी सहायक तत्कालीन पद और सहायक पुरातत्वविद् के पुनः नामोदिष्ट पद न्यायालय में विचाराधीन मामले और सहायक पुरातत्वविद के पुनः नामोदिष्ट पद के लिए अलग से भरती नियम बनाने के कारण विज्ञापित/भरे नहीं जा सके।

(ग) सहायक पुरातत्वविद् के पद के लिए भरती नियमों को अब अन्तिम रूप दे दिया गया है और इन पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से कहा जा चुका है।

[हिन्दी]

रेलवे क्वार्टर और सड़कें

2742. **श्री दत्ता मेघे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महाराष्ट्र में स्थानीय रेल अधिकारियों द्वारा रेलवे कालोनी में क्वार्टरों और सड़कों की मरम्मत नहीं करवाई जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे कालोनियों में रेल क्वार्टरों तथा सड़कों की मरम्मत करना एक सतत् प्रक्रिया है तथा अपेक्षित होने पर यह कार्य नियमित आधार पर किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेब उत्पादक

2743. **श्री चिन्मयानंद स्वामी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विशेषकर चमोली जिले में, सेब उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए बाजार सुविधा के अभाव में अत्यधिक हानि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार सेब उत्पादकों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए "नाफेड" जैसे सरकारी उद्यमों द्वारा सेब खरीद हेतु कोई योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

संस्कृत और प्राचीन भाषा आयोग

2744. **श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "संस्कृत और प्राचीन भाषा आयोग" की स्थापना के संबंध में निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) इस संबंध में चतुर्वेदी समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त आयोग कब से कार्य शुरू कर देगा; और

(ङ) यदि इस संबंध में कोई विलम्ब हो रहा है तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). संस्कृत तथा प्राचीन भाषा आयोग की स्थापना के लिए एक सुझाव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उनकी जांच हेतु भेजा गया है। उनकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए श्री टी.एन.चतुर्वेदी की अध्यक्षता में गठित समिति की प्रमुख सिफारिश यह थी कि संसद अधिनियम के अन्तर्गत संस्कृत तथा अन्य प्राचीन भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जानी चाहिए।

(घ) कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता। मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

शताब्दी एक्सप्रेस की गति

2745. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के अंत तक शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों की गति को बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सभी प्रकार की तकनीकी आवश्यकताओं के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). रेलें, इस समय 160 कि.मी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पैसेंजर गाड़ियां चलाने के लिए अपेक्षित विभिन्न निवेशों की पहचान कर रही हैं।

[अनुवाद]

दुर्घटना के शिकार हुए व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

2746. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1993 में पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत मैखा में अवध-असम एक्सप्रेस की हुई दुर्घटना के शिकार हुए सभी व्यक्तियों को पूरी क्षतिपूर्ति प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो दी गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) दुर्घटना के शिकार हुए सभी व्यक्तियों को कब तक पूरा मुआवजा दे दिया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). दुर्घटना के तुरंत बाद मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि के रूप में 1,84,000 रुपये की धनराशि का भुगतान कर दिया था। अब तक क्षतिपूर्ति के 18 दावे दायर किये गये हैं। रेल दावा अधिकरण द्वारा मामलों पर निर्णय किये जाने पर रेल प्रशासन द्वारा दावाकर्ताओं की क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा।

नारियल की खेती

2747. **श्री हरिभाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के तटीय क्षेत्रों में नारियल के पेड़ों की उत्पादकता को बढ़ाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अनुसंधान केन्द्रों द्वारा गुजरात के तटीय क्षेत्रों में नारियल के पेड़ों की उत्पादकता को बढ़ाने हेतु क्या उपाय प्रस्तावित हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). गुजरात राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में नारियल उत्पादन की पर्याप्त क्षमता है और राज्य प्राक्कलनों के अनुसार राज्य में इस फसल के अन्तर्गत 15,000 हैक्टे. से अधिक के भू-क्षेत्र को शामिल किया गया है। नारियल विकास बोर्ड वर्तमान योजना के अन्तर्गत नई पौध लगाने के लिये सहायता दे रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) कृषि अनुसंधान केन्द्र, महुवा, जिला-भावनगर में किये जा रहे अनुसंधान कार्यों से नारियल की उत्पादकता में सुधार लाने के लिये श्रेष्ठ स्थानीय किस्मों की पहचान करने, अन्य किस्मों तथा संकर किस्मों का मूल्यांकन करने तथा सस्य वैज्ञानिक तथा पौध रक्षण पद्धतियों आदि का मानकीकरण करने में मदद मिलेगी जिसको कृषकों के बीच बढ़ावा दिया जा रहा है।

मालडिब्बे बनाने वाले एकक

2748. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में देश में मालडिब्बों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये गुजरात राज्य में मालडिब्बे बनाने वाले एककों की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य में ऐसे एकक किन-किन स्थानों पर लगाये जाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जहां तक रेल मतंत्रालय का संबंध है, अपने नियन्त्रणाधीन गुजरात राज्य में, किसी मालडिब्बा निर्माण इकाई की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलों के अंतर्गत मालडिब्बा निर्माण इकाई की स्थापना करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि रेलों तथा उद्योग में उपलब्ध क्षमता, रेलों की माल डिब्बा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

खोई सम्पत्ति व्यवस्था

2749. **श्री तरित बरण तोपदार** :
श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्राधिकारियों ने "खोई सम्पत्ति व्यवस्था" कार्य छोड़ दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विश्वविद्यालयों में छात्रवृत्ति

2750. श्री अनादि चरण दास : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूल्य वृद्धि के मद्देनजर खेलकूद प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना के तहत विश्वविद्यालयों के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह छात्रवृत्ति कितने खिलाड़ियों को प्राप्त होती है तथा इस छात्रवृत्ति की अदायगी में वार्षिक रूप से कुल कितनी राशि दी जाती है; और

(घ) छात्रवृत्ति में पिछली बार वृद्धि कब की गई थी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रत्येक वर्ष, विश्वविद्यालय/कालेज के खेलों मे प्रवीण छात्रों को 6,000/- रुपये प्रतिवर्ष की दर से 300 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा, कुछ पुराने छात्रों की छात्रवृत्तियों का नवीकरण भी किया जाता है बशर्ते कि उनका कार्यनिष्पादन अच्छा हो। वर्ष 1994-95 के दौरान, 300 नई छात्रवृत्तियों के अलावा, 173 पुरानी छात्रवृत्तियों का नवीकरण किया गया और इन छात्रवृत्तियों के भुगतान में कुल 28,38,000/- रुपये की रकम अंतर्ग्रस्त थी।

(घ) छात्रवृत्ति की राशि पिछली बार 300/- रुपये से बढ़ाकर 500/- रुपये प्रतिमाह की गई थी अर्थात् 01 अप्रैल, 1993 से (6,000/-रुपये प्रतिवर्ष)।

[हिन्दी]

आमान परिवर्तन

2751. श्री लक्ष्मी नारायण मणि त्रिपाठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे प्राधिकारियों ने पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा मैलानी मंडल में बहराइच और सीतापुर के बीच बड़ी रेल लाइन बिछाने के संबंध में किस तारीख को सर्वेक्षण किया था;

(ख) इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) यह कार्य कब तक शुरू किया जाएगा; और

(घ) इस कार्य पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). सीतापुर से बहराइच तक नई लाइन बिछाने से संबंधित सर्वेक्षण 31.12.1995 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) सर्वेक्षण के परिणामों तथा आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर पता चलेगी।

[अनुवाद]

कारोबार का अनुपात

2752. श्री अमर पाल सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने 1994-95 के दौरान 21 प्रतिशत कारोबार का अनुपात प्राप्त कर लिया है;

(ख) क्या 1995-96 के लिए कारोबार अनुपात लक्ष्य 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो कम लक्ष्य निर्धारित करने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलों ने वर्ष 1994-95 में 19 प्रतिशत का टर्न ओवर अनुपात प्राप्त किया है।

(ख) शुरू में 1995-96 के लिए टर्न ओवर अनुपात लक्ष्य 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया था। लेकिन, 1994-95 के दौरान बेहतर वस्तु सूची निष्पादन के कारण, अब यह लक्ष्य 17 प्रतिशत निर्धारित किया गया है।

(ग) टर्न ओवर अनुपात में कटौती वस्तु सूची प्रबंधन में सुधार दर्शाती है। सेवा स्तर को प्रभावित किए बिना सदैव निम्नतम संभावित टर्न ओवर अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रहा है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का विलंब से चलना

2753. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलगाड़ियों के विलंब से चलने के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान विलंब से चलने वाली सवारी गाड़ियों की संख्या कितनी है और इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार रेलगाड़ियों के विलंब से चलने के कारण यात्रियों को हुई क्षति की पूर्ति करती है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में बनाये गये नियमों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). रेल प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर गाड़ियों के विलंब से चलने के संबंध में शिकायतें विभिन्न स्रोतों से प्रायः प्राप्त होती हैं। इनकी उपयुक्त रूप से जांच की जाती है और जैसा व्यावहारिक पाया जाए, निवारक कार्रवाई हमेशा की जाती है। बहरहाल, इन शिकायतों के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) यात्री गाड़ियों के समय-पालन का आंकलन उनके आगमन समय के आधार पर किया जाता है और गाड़ियों के विलंब से चलने के संबंध में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता क्योंकि अधिकांश अवसरों पर प्रारम्भिक स्टेशनों से विलंब से चलने वाली गाड़ियां मार्ग में समय की कमी को पूरा कर लेती हैं और गंतव्य स्टेशनों पर निर्धारित समय पर पहुंच जाती हैं।

(घ) और (ङ). इस समय यदि गाड़ियां तीन घंटों से अधिक के विलम्ब से चलती हैं तो संबंधित गाड़ियों के चलने के वास्तविक समय से पूर्व, यदि यात्री चाहें तो उन्हें टिकटों पर धन-वापसी अनुमेय है।

[अनुवाद]

रेल मार्ग का विद्युतीकरण और दोहरीकरण

2754. प्रो. पी.जे. कुरियन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर-त्रिवेन्द्रम बड़ी लाइन के विद्युतीकरण और दोहरीकरण के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) परियोजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). मंगलौर-तिरूवनन्तपुरम लाइन में मंगलौर शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम-तिरूवनन्तपुरम खंड शामिल है। मंगलौर-शोरूवण्णूर खंड को विद्युतीकृत करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। शोरूवण्णूर-एर्णाकुलम खंड, जो ईरोड-एर्णाकुलम खंड का एक भाग है, विद्युतीकरण का कार्य प्रगति पर हैं तथा 1995-96 के दौरान 26 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। एर्णाकुलम तिरूवनन्तपुरम खंड के विद्युतीकरण के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है।

कुट्टीपुरम-कालीकट खंड का दोहरीकरण तथा कुट्टीपुरम-गुरूवायूर तक नई लाइन बिछाने से संबंधित कार्य पहले ही प्रगति पर है। कालीकट-मंगलौर खंड के दोहरीकरण के कार्य को 1995-96 के बजट में शामिल कर लिया गया है तथा इसे शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। शोरूण्णूर-एर्णाकुलम खंड पर दोहरी लाइन पहले ही मौजूद है। एर्णाकुलम से कायनकुलम तक अल्लेप्पी तथा कोट्टायम के रास्ते दो लाइनें उपलब्ध है जो दोहरीकरण के उद्देश्य को पूरा करती है। कायनकुलम कोल्लम तथा कोल्लम-तिरूवनन्तपुरम खंडों के दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है।

इन कार्यों के लिए 1995-96 में मुहैय्या की गई धनराशि इस प्रकार है :—

खंड	धन का आवंटन (करोड़ रु. में)
1. कुट्टीपुरम-कालीकट	5.00
2. कुट्टीपुरम-गुरूवायूर	5.00
3. कालीकट-मंगलौर	0.01
4. कायनकुलम-कोल्लम	18.00
5. कोल्लम-तिरूवनन्तपुरम	15.00

कपास का उत्पादन

2755. श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कपास के उत्पादन में अनुमानतः कितनी कमी होने की सम्भावना है;

(ख) अत्यधिक लम्बे रेशे वाली उत्तम कोटि की कपास की उपलब्धता पर कर्नाटक में वर्तमान भारी सूखे का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या अत्यधिक लम्बे रेशे वाली उत्तम कोटि की कपास की कमी मिश्र से इसके आयात द्वारा पूरी की जा सकती है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) राज्य सरकारों से अब तक मिली रिपोर्टों से इस वर्ष कपास के उत्पादन में कमी आने की सम्भावना का पता नहीं चलता है।

(ख) और (ग). उपलब्ध जानकारी के अनुसार कर्नाटक के किसी भी मौसम विज्ञान उप-प्रभार में कोई कमी नहीं है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मिश्र से कपास का आयात करने का अब तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

लादूर-मिराज रेल लाइन

2756. श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में लादूर-मिराज रेल लाइन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस कार्य को कब तक शुरू करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

खान-पान ठेकेदार

2757. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान खान-पान ठेकेदारों को "स्टोर रूम" के लिए स्थान के आवंटन संबंधी रेलवे बोर्ड की क्या नीति थी;

(ख) क्या उक्त नीति में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पश्चिम रेलवे को बिरार एवं बोरीवली रेलवे स्टेशनों पर "स्टोर रूम" के लिए स्थान के आवंटन हेतु कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ङ) कितने अनुरोधों को स्वीकार किया गया तथा कितने अनुरोधों को अस्वीकार किया गया और कितने अनुरोध अब भी लम्बित हैं; और

(च) लंबित अनुरोधों को कब तक स्वीकृति दी जाएगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). रेलवे बोर्ड द्वारा खान-पान ठेकेदारों को भण्डार कक्ष के आवंटन के लिए कोई अलग/विशिष्ट नीति संबंधी अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(घ) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली विश्वविद्यालय में लैक्चरर की भर्ती

2758. श्री राम विलास पासवान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में लैक्चरर/असिस्टेन्ट प्रोफेसर की भर्ती के लिए लागू की गई आरक्षण नीति केन्द्रीय सरकार की आरक्षण नीति से भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं, जिनके निर्णय लेने के संबंध में अपने-अपने तंत्र हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने केन्द्रीय सरकार की आरक्षण नीति को पूर्णतः अपनाने के बजाय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रूप में अनु. जातियों/अनु. जनजातियों के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए एक भिन्न आरक्षण नीति निर्धारित की है।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को सलाह दी है कि वे समय-समय पर यथा घोषित सरकार की आरक्षण नीति का पालन करें।

[हिन्दी]

वातानुकूलित टू टियर यात्री डिब्बे

2759. श्रीमती सरोज दुबे :
प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती :
क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय किन-किन रेलगाड़ियों में वातानुकूलित थ्री टीयर डिब्बे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार हावड़ा और सियालदाह से चलने वाली सभी लम्बी दूरी की रेलगाड़ियों में एक वातानुकूलित थ्री टियर डिब्बे लागने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार निर्धारित समय सीमा में बाकी प्रमुख रेलगाड़ियों में वातानुकूलित टू टियर डिब्बे लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 9 जोड़ी राजधानी एक्सप्रेस सहित 15 जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां।

(ख) फिलहाल नहीं। बहरहाल, 2311/2312 कालका मेल और 2841/2842 कोरोमण्डल एक्सप्रेस में वाता 3 टियर सेवा शीघ्र ही शुरू की जा रही है।

(ग) और (घ). अधिकतर मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में वाता. 2 टियर सवारी डिब्बे मुहैया करा दिए गए हैं। वाता. 2 टियर सवारी डिब्बे उपलब्ध होने पर इन्हें और मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में मुहैया कराया जायेगा।

[अनुवाद]

कृषि अनुसंधान संस्थान

2760. श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में नए कृषि अनुसंधान संस्थानों को स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो ये किन-किन स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे; और

(ग) ये कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं नहीं उठता।

दहानू तालुका के आसपास उद्योग

2761. श्री मोहन रावले : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा थाणे (महाराष्ट्र) जिले में स्थित दहानू तालुका के आसपास 25 किलोमीटर की दूरी उद्योगों पर प्रतिबंध हटाने हेतु महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर दिनांक 20 जून, 1991 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 416 (इ) की जांच और समीक्षा हेतु कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(घ) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। दहानू तालुका में एक बफर क्षेत्र 25 कि.मी. के अन्दर उद्योगों पर प्रतिबंध लगाने सहित दहानू अधिसूचना के विभिन्न उपबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकार ने एक समिति गठित की थी।

(ग) और (घ). समिति की सिफारिशों में बफर क्षेत्र को हटाना, गैर-प्रदूषक सेवा उद्योगों, दुकानों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, आवासीय घरों के संबंध में विद्यमान भूमि उपयोग का परमिट बदलना तथा मामला दर मामला आधार पर विद्यमान इकाइयों के आधुनिकीकरण और विस्तार के प्रस्तावों पर विचार करना शामिल हैं।

(ङ) इन सिफारिशों के बारे में सरकार ने अभी निर्णय नहीं लिया है।

पुयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना

2762. श्री के. मुरलीधरन :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल की पुयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस परियोजना से बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के दुर्लभ जीव जन्तुओं और वनस्पति का विनाश हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) पुयमकुट्टी और इसके आस-पास के क्षेत्र में अक्षत वन और विभिन्न प्रकार के जीव-जन्तुओं और वनस्पति के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). केरल में पुयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना को सरकार ने 3 जून, 85 को पर्यावरणीय स्वीकृति दी थी। तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत 300 है. वन के अंतरण के लिए केरल राज्य सरकार के प्रस्ताव को गुणदोष के आधार पर नामंजूर किया गया था। इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार के अनुरोध पर परियोजना क्षेत्र का स्थल निरीक्षण करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणियां प्राप्त हो गई हैं और इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च). उक्त क्षेत्र के जैव विविधता की सुरक्षा के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। सरकार द्वारा संचालित पुयमकुट्टी जल विद्युत परियोजना का दीर्घकालिक पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय अध्ययनों की एक रिपोर्ट केरल वन अनुसंधान संस्थान, पीची से प्राप्त हो गई है। इस अध्ययन में उक्त क्षेत्र के जैव विविधता और उसके संरक्षण हेतु उपायों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।

भू-स्खलन

2763. प्रो. एम. कामसन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1995 में मिजोरम में भू-स्खलन के कारण हुई क्षति के आंकलन के दौरान केन्द्रीय दल ने यह विचार व्यक्त किया था कि भू-स्खलन का मुख्य कारण वनों को काटकर और जलाकर खेती करने का अतिप्राचीन तरीका है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी इन परिस्थितियों के कारण भू-स्खलन होता है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कार्यवाही करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). मई, 1995 में भारी वर्षा और भू-स्खलन से पैदा होने वाली स्थिति का जायजा लेने के लिए मिजोरम के कुछ भागों का दौरा करने वाले केन्द्रीय दल ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की है कि ऐसा ही हो सकता है कि गहन झूम खेती अर्थात् खेती करने के लिए वनों को जलाये जाने भी मिट्टी पोथली हो गई हो जिससे भू-स्खलन की घटनायें हुई हों।

(ग) भू-स्खलन अनेक करणों से होता है, जिसमें पहाड़ियों और पर्वतों की मृदाओं की भौगोलिक स्थिति भी शामिल हैं।

(घ) और (ङ). मिजोरम सरकार ने झूम खेती को धीरे-धीरे समाप्त करने तथा उसके स्थान पर कन्टूर/सीढ़ीनुमा भूमि पर खेती शुरू करने के लिए एक नवीन भू-उपयोग नीति लागू की है।

सुपर बाजार में गुणवत्ता की जांच

2764. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री सुपर बाजार में गुणवत्ता जांच के बारे में 21 मार्च, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1160 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिक्री के लिए अनुमति दिये जाने से पूर्व दालें तथा डिब्बा बंद खाद्य उत्पादों का परीक्षण किया जाता है तब सूचीबद्ध मदों को बिक्री के लिये कैसे जारी किया गया;

(ख) निर्धारित मानदंडों के अनुरूप उत्पाद की गुणवत्ता न पाये जाने तथा घटिया किस्म के उत्पाद पाये जाने की स्थिति में वस्तुओं को बदल देने, उन्हें चेतावनी देने तथा वितरक को भी हटाने के अतिरिक्त सुपर बाजार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार में 1 मार्च, 1995 से 31 जुलाई, 1995 के बीच प्राप्त खाद्य वस्तुओं/डिब्बा बंद मदों के गुणवत्ता जांच का क्या परिणाम रहा; और

(घ) उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जो निर्धारित मानदंडों के अनुरूप नहीं पाये गये तथा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि सभी खाद्य वस्तुओं की सुपर बाजार के माध्यम से बिक्री शुरू किए जाने से पूर्व उनकी गुणवत्ता के बारे में जांच की जाती है। तथापि, सुपर बाजार द्वारा बिक्री के लिए अनुमोदित ब्रांड वाले खाद्य उत्पादों की यादृच्छिक नमूना लेने के आधार पर तथा उपभोक्ता से प्राप्त विशिष्ट शिकायतों पर भी जांच की जाती है, क्योंकि प्रत्येक ब्रांड वाली वस्तु की, उसे बिक्री के लिए रखने से पहले जांच करना सम्भव नहीं है। 21, मार्च, 1995 को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या 1160 के उत्तर में उल्लिखित सभी मदें ब्रांड वाले खाद्य उत्पाद हैं।

(ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि ऐसे मामले में वे त्रुटियों की गम्भीरता के आधार पर कार्रवाई करेंगे।

(ग) और (घ). केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि 1.4.95 से 31.7.95 की अवधि के दौरान 788 नमूनों का परीक्षण कराया गया और 12 नमूने विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाए गए। जो वस्तुएं विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई थीं वे हैं राजमा चित्रा, पापड़, चावल, लाल मिर्च पिसाई के लिए लौंग और छोटी इलायची। केन्द्रीय भण्डार ने सूचित किया है कि जांच के चरण में अस्वीकार की गई वस्तुओं को वापस कर दिया गया था और बदले में सही वस्तुएं प्राप्त कर ली गई थीं तथा अन्य मामलों में बिक्री को रोक दिया गया और वस्तुएं सप्लायरों को वापस कर दी गई थीं।

सुपर बाजार ने सूचित किया है कि इसी अवधि के दौरान 3016 नमूनों की गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी जांच की गई थी और 517 नमूनों को अस्वीकार कर दिया गया था। जिन वस्तुओं को अस्वीकार कर दिया गया था उनमें दालें, मसाले, चीनी, चावल, दलिया, पापड़, सूखमे मेवे, बेसन/मैदा और आटा शामिल हैं। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि मानकों से अन्तर होने की मात्रा पर निर्भर करते हुए उपयुक्त कार्रवाई की गई थी।

भारतीय ओलम्पिक संघ

2765. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीन अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं, अर्थात् ओलम्पिक, राष्ट्रमंडलीय और एशियाई खेलों के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिलाने की दृष्टि से अतिरिक्त धन के आवंटन हेतु कोई आवेदन भारतीय ओलम्पिक संघ से प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो संघ ने कितनी धनराशि की मांग की है और कितनी धनराशि अब तक मंजूर की गई है; और

(ग) शेष धनराशि कब तक मंजूर की जाएगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) से (ग). युवा कार्यक्रम और खेल विभाग, भारत सरकार को अटलांटा ओलम्पिक, 1996 और एशियाई खेल, 1998 के लिए खिलाड़ियों एवं टीमों को प्रशिक्षण देने हेतु 30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि आबंटित किए जाने से संबंध में उपाध्यक्ष, भारतीय ओलम्पिक संघ से एक अनुरोध इस विभाग में प्राप्त हुआ है। यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

फर्टीलाइजर और केमीकल ट्रावनकोर लिमिटेड का अमोनिया संयंत्र

2766. प्रो. के.वी. थामस : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने फर्टीलाइजर और केमीकल ट्रावनकोर लिमिटेड उद्योग मंडल, केरल को अमोनिया संयंत्र हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो मंजूरी हेतु क्या शर्तें निर्धारित की गईं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय को इस तथ्य की जानकारी है कि उद्योगमंडल से एफ.ए.सी.टी. को कोचीन डिवीजन को अमोनिया की ढुलाई वर्तमान जल परिवहन प्रणाली के बजाए सड़क पाइप लाइन या रेलवे द्वारा की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां। पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई थी। इनमें उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाना, परिसंकटमय पदार्थों का हथालन और ढुलाई से संबद्ध जोखिम को कम करने के उपाय, हरित पट्टी की व्यवस्था करना और वायु तथा जल गुणवत्ता की मानीटरी करना शामिल है।

(ग) और (घ). यद्यपि केन्द्रीय सरकार के ध्यान में इस मामले को लाया गया है परन्तु अमोनिया की ढुलाई के लिए वैकल्पिक प्रणाली का उपयोग करने तथा उक्त परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति की निर्धारित शर्त के अनुसार नौकाओं का उपयोग करके वर्तमान प्रणाली का परित्याग करते हुए एफ.ए.सी.टी से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में किसी प्रकार के पविर्तन का पुनः जांच करना और केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन तथा परिसंकटमय पदार्थों की ढुलाई से संबंधित नियमों का उद्योग द्वारा अनुपालन अपेक्षित होगा।

भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984

2767. डा. पी. वल्लल पेरूमान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने भारतीय पशुचिकित्सा अधिनियम, 1984 को पहले ही स्वीकार कर लिया है;

(ख) क्या भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् ने कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तमिलनाडु पशुचिकित्सा और पशुविज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा दी गई डिग्रियों को मान्यता नहीं देने और "तनूवाज" के स्नातकों को राज्य पशुचिकित्सा चिकित्सक/रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत नहीं करने के बारे में लिखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों जैसे केरल ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाकर भारतीय पशुचिकित्सा परिषद के निर्देशों पर "तनवाज" के स्नातकों को निलम्बित/बर्खास्त किया है अथवा कोई कठोर कार्यवाही की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार का भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा ऐसे पक्षतापूर्ण रवैये और असंवैधानिक तौर-तरीकों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् ने सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अन्य बातों के साथ-साथ सुझाव देते हुए यह लिखा था कि जिन व्यक्तियों के पास भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 की प्रथम तथा द्वितीय अनुसूची में उल्लिखित अर्हताएं नहीं है, उन्हें राज्य पशुचिकित्सा व्यवसाय रजिस्टर में शामिल न किया जाए। तमिलनाडु पशुचिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई उपाधि को उक्त अधिनियम की प्रथम अनुसूची में अभी शामिल किया जाना है।

(घ) और (ङ). जानकारी राज्यों से एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) भारतीय पशुचिकित्सा परिषद ने भारतीय पशुचिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 के उपबन्धों तथा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कार्रवाई की है।

[हिन्दी]

बीहड़ क्षेत्र का विकास

2768. श्री योगानन्द सरस्वती :
श्री सूरजभानु सोलंकी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग से चम्बल के बीहड़ क्षेत्र के विकास के संबंध में कोई परियोजना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में प्रस्तावित कार्य और उस पर होने वाले संभावित व्यय तथा विकास के लिए प्रस्तावित बीहड़ क्षेत्र के ब्यौरे सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार का निर्णय क्या है; और

(घ) इस परियोजना के कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख). जी, हां, चम्बल नदी के बीहड़ क्षेत्र में बीहड़ निवारण और

स्थायीकरण परियोजना हेतु समेकित पनधारा प्रबंध कार्यक्रम पर एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। दस वर्ष की अवधि में 158.58 करोड़ रुपये की लागत पर भिंड और मुरैना जिलों में एक लाख है. क्षेत्र का विकास करने का प्रस्ताव है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि में बीहड़ के विस्तार को रोकना और मृदा और जल संसाधनों का संरक्षण करने तथा लोगों की सामाजिक स्थितियों का सुधार करके कृषि और अन्य उत्पादक उपयोगों के लिए बीहड़ भूमि का सुधार करना है। प्रस्तावित मुख्य कार्यों में भूमि सुधार कृषि उत्पादन, पौध रोपण, वन रोपण, पशुधन विकास आदि शामिल हैं।

(ग) आर्थिक कार्य विभाग के जरिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय सहायता के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय ने परियोजना प्रस्ताव पर विचार किया है।

(घ) इस अवस्था में उल्लेख करना सम्भव नहीं है।

[अनुवाद]

इन्दिरा कुंज

2769. श्री बल्लभ पाणिग्रही : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा कुंज योजना शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार क्या प्रगति हुई है; और

(ग) अब तक इस पर राज्यवार कितना खर्च किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हजारीबाग में ठहराव

2770. श्री रतिलाल वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारीबाग रोड स्टेशन पर पूर्वा एक्सप्रेस, पुरी एक्सप्रेस, पुरूषोत्तम एक्सप्रेस इत्यादि गाड़ियों का ठहराव नहीं है;

(ख) क्या बम्बई से सूरत तक चलने वाली केवल बाम्बे मेल गाड़ी ही यहां ठहरती है तथा इस रेलगाड़ी में उपरोक्त स्टेशन से शायिकाओं का कोई आरक्षित कोटा नहीं है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार जनहित में कम से कम उपरोक्त गाडियों में से एक एक्सप्रेस गाड़ी को इस स्टेशन पर ठहरने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां, 3003 हवड़ा-बम्बई मेल द्वारा बम्बई की ओर यात्रा करने के लिए हजारीबाग स्टेशन पर शयनयान दर्जा आरक्षण कोटा उपलब्ध है।

(ग) से (ङ). जी, नहीं। क्योंकि हजारीबाग स्टेशन पर कालका मेल, हवड़ा-बंबई मेल, दून एक्सप्रेस, सियालदाह-जम्मू तवी एक्सप्रेस सहित 8 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां ठहरती हैं।

स्टेशनों का रख-रखाव और सौंदर्यीकरण

2771. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेलवे के सभी जोनों को उन स्टेशनों के रख-रखाव और सौंदर्यीकरण के निजीकरण में तेजी लाने के लिए कहा है जिन स्टेशनों पर निजीकरण किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यह कार्य किन-किन स्टेशनों पर आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है और ये स्टेशन जोन-वार कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ग) उन गैर-सरकारी पार्टियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने इस योजना में अपनी दिलचस्पी दिखाई है; और

(घ) इन स्टेशनों पर कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) उन स्टेशनों के रेलवे-वार नाम जिन पर यह योजना लागू किए जाने का प्रस्ताव है, इस प्रकार है :—

रेलवे	स्टेशनों के नाम
1	2
मध्य	दादर, मस्जिद, घाटकोपर, हबीबगंज
पूर्व	कोई नहीं
उत्तर	लखनऊ, गाजियाबाद, इलाहाबाद, चंडीगढ़ रेवाड़ी, दिल्ली, सराय रोहिल्ला, बरेली, अंबाला
पूर्वोत्तर	लखनऊ जंक्शन
पूर्वोत्तर सीमा	गुवाहटी, न्यु जलपाईगुड़ी

1	2
दक्षिण	बेंगलूरू सिटी, मैसूर, मंगलोर तिरूपुर उदग मंडलम, गुरूवायूर तिरूच्चिरापल्ली, तंजौर, मायावरम, चिदंबरम, विल्लुपुरम, तिरूवरूआ नागप्पट्टिणम, मद्रास बीच-तांबरम् खंड तथा मद्रास टर्मिनल एवम्बूर पर उपनगरीय स्टेशन।
दक्षिण मध्य	नांद्याल, तिरूपति, गुन्तकल, राजामुन्द्री, तेनाली, हुबली, मिराज, सांगली, कोल्हापुर, बेल्लारी, हौसपेट, काजीपेट, वारंगल।
दक्षिण पूर्व	पूर्व राउरकेला, कटक, रांची
पश्चिम	कोई नहीं।

(ग) इस योजना में रूचि दिखाने वाली पार्टियां इस प्रकार हैं :—

मैसर्स सैन्टी एडस, भोपाल।
मैसर्स आई यू पी एडस, बम्बई।
मैसर्स 4 ए सी सी एस बम्बई।
मैसर्स वीडियोकॉन, बंबई।
ट्रांसफयुजन आई एन सी, बम्बई, दादर।
मैसर्स लैंज एडवरटाईजिंग।
मैसर्स राप्ती ग्रुप ऑफ कम्पनीज।
मैसर्स पब्लिसिटी सैन्टर।
मैसर्स सिलबैल मीडिया सर्विसेज।
मैसर्स टाइटन इंडिया लिमिटेड।
मैसर्स दास एडवरटाईजिंग सर्विसेज।
मैसर्स राशिद् पी. बोलार।
मंथरा एडवरटाईजिंग।
मैसर्स टाइटनियम इक्युपमैंट एंड एनोड अफग कं. लिमिटेड।
मैसर्स हिन्दुस्तान पब्लिसिटी ब्यूरो।
मैसर्स आलविन एडवरटाईजिंग।
मैसर्स जूम विजुन
श्री के. बालाचन्द्रन
श्री वी. बालासुब्रह्मणियम
श्री वाई.एन. अहमद रशीद
मैसर्स प्रकाश आर्ट्स, विजयवाड़ा
मैसर्स कुमार, एंटरप्राइजेस, हैदराबाद
मैसर्स यू.एन.आई एडस, हैदराबाद
मैसर्स रमन क्रिएटिंग एंटरप्राइजेस, हैदराबाद
मैसर्स रांची डाटा सिस्टम
मैसर्स प्रदीप पात्र

(घ) प्रस्ताव निविदा आमंत्रित करने आदि जैसे विभिन्न चरणों में है तथा इस स्तर पर इन्हें अंतिम रूप देने में लगने वाला सही-सही समय बताना व्यावहारिक नहीं है।

राष्ट्रीय ग्रन्थालयों की समस्याएं

2772. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास और मुम्बई स्थित चार रिपोजिटरी पुस्तकालय पुस्तक आदान अधिनियम, 1954 के अंतर्गत प्रकाशकों से उनके प्रत्येक प्रकाशन की एक प्रति प्राप्त करने के हकदार हैं;

(ख) यदि हां, तो उन प्रकाशकों का ब्यौरा क्या है, जो उक्त अधिनियम के उपबंध का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप प्रायः सभी रिपोजिटरी पुस्तकालय और विशेष रूप से स्टेट सैन्ट्रल लाइब्रेरी, मुम्बई, और कन्नेमारा लाइब्रेरी मद्रास को नियमित रूप से सभी पुस्तकों की प्रतियां प्राप्त नहीं होती हैं;

(ग) क्या उक्त दो पुस्तकालयों को वित्तीय कमी का भी सामना करना पड़ता है, जिससे उनके विकास में बाधा उत्पन्न होती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनकी वित्तीय कमी को दूर करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या प्रकाशकों द्वारा रिपोजिटरी पुस्तकालयों को उनके द्वारा प्रकाशित किए गये सभी पुस्तकों की आपूर्ति न किये जाने को देखते हुए, सरकार का विचार उक्त अधिनियम में दंडात्मक प्रावधान करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) पुस्तक परिदान अधिनियम, 1954 के उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहे प्रकाशकों के ब्यौरे सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ). केन्द्रीय सरकार पुस्तक परिदान अधिनियम के अंतर्गत पुस्तकों के रख-रखाव में निहित व्यय को ही पूरा करने के लिए पुस्तकालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ङ) और (च). पचास रुपये अथवा पुस्तक के मूल्य के बराबर किसी राशि के अर्थदंड का दंडात्मक प्रावधान पहले से ही पुस्तक परिदान और "समाचार पत्र" (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 में विद्यमान है।

गुड़ उत्पादन

2773. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गुड़ के उत्पादन में कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 और 1994-95 के दौरान कितनी मात्रा में गुड़ का उत्पादन हुआ; और

(ग) गुड़ के कम उत्पादन के क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक एककों के चारों ओर वन लगाना

2774. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न जगहों पर स्थापित सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक एकक वन रोपण को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विद्यमान औद्योगिक एककों तथा नये औद्योगिक एककों को पर्यावरण के पहलू पर ध्यान देने तथा औद्योगिक क्षेत्रों के चारों और वन रोपन के संबंध में जारी किए गए/जारी किए जाने वाले दिशानिर्देश क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजी गई औद्योगिक परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी देते समय लगाई जाने वाली एक शर्त भूमि की उपलब्धता और मृदा परिस्थितियों के आधार पर पर्याप्त चौड़ाई और घनत्व की हरी पट्टी के विकास से संबंधित है। प्रति हैक्टेयर 1500 से 2000 वृक्षों का एक नाम विकसित किया गया है। इस शर्त का अनुपालन न किए जाने की रिपोर्ट नहीं मिली है।

शिक्षा का माध्यम

2775. श्री सत्यदेव सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय भाषाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा देने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) तथा (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्थाएं तथा शिक्षा के माध्यम से संबंध में निर्णय वे स्वयं शैक्षिणिक निकायों तथा संबंधित राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के परामर्श से, जैसी भी स्थिति हो, लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सिद्धांत इन संस्थाओं के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है।

[हिन्दी]

अरावली पर्वत श्रृंखला

2776. श्री अवतार सिंह भड़ाना : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला को पर्यावरणीय ह्रास से बचाने के लिए 860 करोड़ रुपए की जापानी सहायता से क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला में कई वर्षों से बदरपुर के अवैध खनन के कारण पर्यावरणीय ह्रास हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अवैध खनन को रोकने तथा पर्वत श्रृंखला को ह्रास से बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) हरियाणा में अरावली पर्वत श्रृंखला के वनीकरण के लिए 48.15 करोड़ रुपए की यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से 1990-91 में एक सात वर्षीय परियोजना शुरू की गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). अरावली पर्वत श्रृंखला में पर्यावरणीय अवक्रमण को दूर करने के उद्देश्य से सरकार ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) तथा 2(2) (V) के अंतर्गत 7 मई 1992 को एक अधिसूचना जारी की थी जिसके अनुसार हरियाणा के गुड़गांव जिले सहित विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में बिना पूर्व अनुमति के इस प्रकार की गतिविधियां निषिद्ध हैं।

वनीकरण के व्यापक कार्यक्रम के अलावा, सरकार ने पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और क्षेत्रीय वहन क्षमता अध्ययन शुरू किए हैं ताकि उपयुक्त प्रबंध कार्य योजनाएं तैयार की जा सकें।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

महिला प्रशिक्षण केन्द्र

2777. श्री सुरेशानंद स्वामी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महिला संगठनों को महिला प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए अनुदान प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे केन्द्र खोलने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

(ग) प्रत्येक राज्य में इस प्रयोजनार्थ कौन-कौन से क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(घ) वर्ष 1995-96 के दौरान महिला प्रशिक्षण केन्द्रों हेतु किन-किन क्षेत्रों का चयन किया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) से (घ). जी, हां। सरकार महिलाओं को प्रशिक्षण और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने के लिये महिला संगठनों को अनुदान देती हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख स्कीमों में महिलाओं के लिये आयोत्पादक एककों की स्थापना (नोराड), प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) तथा शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। इन स्कीमों के अन्तर्गत कृषि, पशु-पालन, मत्स्य-पालन, हस्तशिल्प, रेशम कीट पालन आदि जैसे पारम्परिक क्षेत्रों तथा इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर प्रोसैसिंग, मुद्रण एवं जिल्दसाजी, होटल प्रबन्धन इत्यादि गैर पारम्परिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इन संगठनों को अनुदान और सहायता प्रदान करने का मापदण्ड स्कीम की पद्धति पर आधारित होता है जो अलग-अलग स्कीमों में अलग-अलग होती है। तथापि, मुख्य रूप से संगठनों से अपेक्षा की जाती है कि वे पंजीकृत हों तथा पर्याप्त विपणन सम्पर्कों, महिलाओं के लिये प्रशिक्षण और सुनिश्चित सतत् रोजगार की क्षमता सहित कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हों। ये स्कीमें कार्यक्रम की आवश्यकता तथा स्वैच्छिक संगठनों की प्रतिक्रिया के आधार पर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में नाश्ता

2778. श्री हाराधन राय : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजकल आसन-सोल-धनवाद के यात्रियों को हावड़ा-बोकारो शताब्दी एक्सप्रेस में जाते समय और धनवाद-आसनसोल के यात्रियों को आते समय पूरा नाश्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सेक्शन को नजरअंदाज करते हुए सभी यात्रियों को नाश्ता देने हेतु अब तक क्या कदम उठाए गये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों में खानपान सेवाओं की व्यवस्था समय-निर्धारण, अनुसूची और मांग की प्रकृति के आधार पर की जाती है न कि खण्डवार आधार पर। गाड़ी में दी गई सेवाओं के लिए प्रभार यात्री किराए में शामिल होते हैं। हावड़ा-बोकारो शताब्दी एक्सप्रेस में, आसनसोल और धनबाद के बीच अप दिशा में नाश्ता और डाउन दिशा में स्नैक्स के साथ शाम की चाय दी जाती है, जिसके लिए यात्रियों से तदनुसार प्रभार लिया जाता है। दुर्गापुर और आसनसोल के बीच और वापसी यात्रा करने वाले यात्रियों को ये सेवाएं नहीं दी जाती हैं तथा उनसे प्रभारों की वसूली नहीं की जाती है।

[हिन्दी]

कोयले की चोरी

2779. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कठलबाड़ी (दरभंगा) गोमती में 20 जून, 1995 को कोयले की बड़ी मात्रा में चोरी की शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जाएगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). जी, हां। अंडाल (पूर्व रेलवे) से दरभंगा (पूर्वोत्तर रेलवे) तक बुक किए गए माल डिब्बे से दरभंगा में कोयले की चोरी की रिपोर्ट हुई थी जिसमें 20.6.1995 को 11.5 टन कोयले की कमी नोटिस में आई थी।

(ग) इस संबंध में ड्यूटी पर मौजूदा रे.सु. बल के कांस्टेबल को निलम्बित कर दिया गया है तथा उसके और दो अन्य रे.सु.ब. कार्मिकों के विरूद्ध, उनकी लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। इस संबंध में एक गाड़ी-गार्ड के विरूद्ध भी उसकी लापरवाही के लिए विभागीय कार्रवाई की गई है।

ऐसी उठाईगीरी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भेद्य स्थलों पर चौकीदार/पहरेदारी कोयला रेकों की सुरक्षा तथा अपराधियों के ठिकानों पर निरंतर छापा/तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। अपराधी आसूचना व्यवस्था को भी चुस्त-दुरूस्त किया गया है।

[अनुवाद]

मत्स्य पत्तन/ग्रहण केन्द्र

2780. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रमुख/लघु मत्स्य पत्तन और मत्स्य ग्रहण केन्द्रों के नाम क्या-क्या है;

(ख) क्या किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए कुछ और मत्स्य पत्तन और मत्स्य ग्रहण केन्द्र मंजूर किए गए है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रकार के पत्तनों/मत्स्य ग्रहण केन्द्रों की स्थापना हेतु सम्बद्ध राज्य सरकारों के कुछ प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग). ब्यौरा अनुबंध-I दिया गया है।

क. प्रमुख मत्स्य पत्तन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	चालू	निर्माणाधीन
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1. विशाखापटनम (चरण-I, II व III)	-
उड़ीसा	2. पारादीप	
केरल	3. कोचीन (I) चरण-I	(II चरण-II)
महाराष्ट्र	4. -	ससून डाक
तमिलनाडु	5. मद्रास (I) चरण-I	(II) चरण-II
पश्चिम बंगाल	6. राय-चौक	-
ख. छोटे मत्स्य पत्तन		
आन्ध्र प्रदेश	1. काकीनाडा	-
	2. निजामपट्टनम	-
	3. बावानापेटु	
गुजरात	1. वेरावल	1. जायु
	2. मंगरोल	2. गंगरोल-II
	3. पोरबन्दर	
केरल	1. विझिनजाम (चरण-I)	1. विझिनजाम (चरण-III)
	2. निन्दुकारा	
	3. विझिनजाम (चरण-I)	2. फतियप्पा
		3. थांगेसरी
		4. मुनाम्बम
		5. मोपला बाय
		6. चम्बल
		7. कायामकुलम
कर्नाटक	1. करवार	
	2. हानवार	-
	3. तादरी	
	4. मातपे-I	
	5. मंगालोर	
महाराष्ट्र	1. रतनागिरी	
उड़ीसा	1. धर्मा	
	2. गोपालपुर	
	3. नौगार (एस्ट्रांग)	
तमिलनाडु	1. तुतीकोरीन	1. चिन्नामुट्टम
	2. मालीपट्टनम	
	3. कोदीयाकराई	
	4. पाइयार	
	5. थाण्डी	
	6. वेल्लीनेकम	

1	2	3
पश्चिम बंगाल	1. दीगहा–I	–
	2. फरसेरगंज	
अण्डमान व निकोबार	1. फोनिक्स आई	–
पाण्डिचेरी	–	1. पाण्डिचेरी
ग. मत्स्य अवतरण केन्द्र		
गुजरात	1. नावापुर	1. पोर्ट अंजुल
	2. जाफराबाद	2. बाबाबान्दार
	3. अम्बर गांव	3. मागोद दुंगरी
	4. कोलाक	4. छोलाई
	5. हीराकोट	5. घारवेद
	6. जाखु	
	7. वंसी–बोरसी	
	8. कोसाम्बा	
	9. सचाना	
	10. सालया	
	11. मान्दवी	
	12. माधवाड़	
	13. सांजबेरी	
	14. जाखु–I	
	15. अबरसादी	
	16. राजपारा	
महाराष्ट्र	1. कारंजा 2. नवलगांव	1. सारजकोट
	3. बोली मण्डला 4. नन्दगांव	
	5. नौराद 6. थूरीन्दा 7. अजन्ता	
	8. अदे–उत्तमम्बर 9. एग्रो 10. बोरीन	
	11. दुरोन्दी 12. बागमन्दला 13. दातीवार	
	14. दाहनु 15. दाकती–दाहनु 16. खारन्दा	
	17. एक–दारा 18. मान्दवी 19. मुलागांव	
	20. नावापुर 21. ओन्नी–शस्ती 22. थुरनावादी	
	23. थाल 24. उत्तन 25. वशी 26. वादराई	
	27. राजपुरी 28. जीवन बुंदर	
	29. महिम कैसवाय	
कर्नाटक	1. कुन्दारपुर 2. भटकाल	1. कोडीबेंगर
	3. कागल हेनी 4. मूलकी	2. अल्वेकोवी
	5. गांगोली 6. सदासीवगाद	3. गांगोली–II
	7. बेलीकेरी 8. बेलाम्बर	
	9. केनी	

1	2	3
केरल	1. कासारगोड 2. पोनानी	1. पुन्नापारा
	3. कन्नानीड़ 4. बालीपट्टनम	2. क्विलाण्डी
	5. बेयापोर 6. नीलेश्वरम	3. कत्तुर पोलाथाई (वैकल्पिक स्थल के लिए समीक्षा की जा रही है)
	7. मुन्नाकडौउ 8. चैरांउथूर	
	9. पलकोडा 10. धर्मडन	
	11. थोटापली 12. साउथ परउल	
	13. न्यू माहो 14. विजिंगम साउथ	
	15. वेलइलविच 16. वालीकुनुम 17. विजिंगमनार	
	18. चतुए 19. चलीलगोपालटई 20. अर्थनंगल	
तमिलनाडु	1. कुडालोर 2. नागपटीनम 3. रामेश्वरम	
	4. पाकचेय 5. कोटालपटनम 6. इरवई	
	7. मुट्टम 8. पुनुपुवहार 9. वेलापलनम	
	10. कोटीमुनाई 11. वलवल्लाई	
आन्ध्र प्रदेश	1. कलिंगपट्टनम	1. मंगीपुदी
उड़ीसा	1. चांदीपुर 2. साबेलिया	1. चन्द्रबग्गा
	3. पथारा 4. चुदमानी	2. गन्साबंस
	5. नैरी 6. पंचुविशा	3. सोरान
	7. नैरी-2 8. टालसू	4. रूसीकोलया
		5. पालवर
		6. जम्बूर
		7. तांतीपाल
		8. खारनासी
		9. बहबलपुर
		10. सोराला
		11. बन्दारा
		12. खाण्डीपटना
		13. भूसंगपुर बाली-पटपुर
पश्चिम बंगाल	1. नामखांग 2. जालदा	
	3. न्यू जालदा 4. खारपाई	1. मदनगंज
	5. कालीनगर 6. वामनगर	2. बीजीभालवपुर
	7. गणेशपुर 8. अखोयांगर	
	9. जुनापुट 10. सरैला	
गोवा	1. कोटलिंग	-
पाण्डिचेरी	1. माहो	-
लक्षद्वीप	1. कवरपट्टी 2. मिनीकाय 3. अगाथी	-

सारांश

पत्तनों का वर्ग	चालू (सं.)	निर्माणाधीन (सं.)	कुल सं.
बड़े मत्स्य पत्तन	5	1	6
छोटे पत्स्य पत्तन	27	11	38
मत्स्य अवतरण केन्द्र	109	28	137

(घ) और (ङ)

मत्स्य पत्तन/अवतरण केन्द्र

क्र. सं.	प्रस्तावित/लम्बित मत्स्य पत्तन/ मत्स्य अवतरण केन्द्र	प्रस्तावित अनुमानित लागत (रु. लाख में)	वर्तमान स्थिति
1.	क. मालपे चरण-II मत्स्य पत्तन	1058.00	परियोजना प्रस्ताव के पूर्ण औचित्य के संबंध में अतिरिक्त जानकारी हाल ही में जुलाई 1995 में मिली है। तकनीकी संवीक्षा की गई है।
	ख. मंगलोर चरण-II पत्तन	30.00	चरण-I पत्तन के उपयोग के संबंध में अतिरिक्त जानकारी हाल ही में मई 1995 में मिली है। परियोजना प्रस्ताव की तकनीकी संवीक्षा की गई है।
	ग. हेजमीदीकोदी मत्स्य अवतरण केन्द्र	129.00	राज्य सरकार से परियोजना के लिये अपेक्षित भूमि की अधिप्राप्ति का कार्य पूरा करने के लिये दिसम्बर, 1994 में अनुरोध किया गया है।
	पश्चिम बंगाल		
2.	क. दीगहा चरण-II मत्स्य पत्तन	471.92	राज्य सरकार से अतिरिक्त जानकारी हाल ही में जुलाई, 1995 में मिली है। परियोजना प्रस्ताव की तकनीकी संवीक्षा की गई है।

खड़गपुर से रेलगाड़ियां

2781. श्री सुखेन्दु खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर से कुछ लम्बी दूरी की गाड़ियां शुरू करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधानों की तंगी के कारण।

[हिन्दी]

एशिया ब्राउन बावेरी से प्राप्त इंजन

2782. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक के ऋण पर एशिया ब्राउन बावेरी से भारत को कितने इंजन प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसे इंजनों की मुख्य विशेषता क्या है;

(ग) क्या इन इंजनों को उनकी पूरी क्षमता/गति से चलाने के लिए भारत में रेल पटरियों को बदला गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उन मार्गों/रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं जिन पर ये इंजन चलाए जायेंगे/ जोड़े जाएंगे?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) ए बीबी, स्विटजरलैंड से भारत में अभी तक कोई रेल इंजन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) ये रेल इंजन एसिंक्रोनस मोटरों, माइकोप्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणालियों ओर पुनर्योजित्र ब्रेकिंग प्रणाली सहित जी टी ओ थाइरिस्टर आधारित 3-फेज ड्राइव से लैस है।

(ग) और (घ). इन रेल इंजनों को चलाने के लिए रेल पथों का बदलाव करने की आश्यकता नहीं है।

(ङ) कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसका निर्णय रेल इंजन उपलब्ध को जाने के समय किया जाएगा।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र की लम्बित पड़ी परियोजनाएं

2783. श्री राम नाईक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि वन संरक्षण नियमों के कड़ाई से पालन किए जाने के फलस्वरूप महाराष्ट्र

में सिंचाई, सड़क निर्माण तथा विकास की अन्य कई परियोजनाएं रोक दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त परियोजनाओं को स्वीकृति देने में जुडुपी जंगल बाधा बन रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को स्वीकृति दिए जाने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ). 31 जुलाई, 1995 की स्थिति के अनुसार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास वानिकी मंजूरी के लिए 11 विकास परियोजनाएं लंबित हैं। 11 परियोजनाओं में से महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में केवल दो परियोजनाएं स्थित हैं जहां जुदपी जंगल भूमि शामिल है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पास लम्बित महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत राज्य सरकार को पूरे ब्यौरे प्राप्त होने पर प्रस्तावों पर निर्णय लेने के लिए शीघ्र कारवाई की जाती है।

विवरण

क्र.सं.	प्रस्ताव का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	धुले जिले के रानीपुर में लघु सिंचाई परियोजना	प्रस्ताव पर दिनांक 25.8.1995 को होने वाली सलाहकार समिति की अगली बैठक में चर्चा की जानी है।
2.	जलगांव जिले के टेमीबारखेड में लघु सिंचाई परियोजना	कार्रवाई की जा रही है।
3.	कोल्हापुर जिले में जाम्बरे मझौली सिंचाई परियोजना का निर्माण	कार्रवाई की जा रही है।
4.	धूले जिले में शाहने लघु सिंचाई टैंक	प्रस्ताव पर दिनांक 25.8.95 को होने वाली सलाहकार समिति की अगली बैठक में चर्चा की जानी है।
5.	जल गांव जिले में हरीपुरा लघु सिंचाई टैंक	क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
6.	भंडारा जिले में पुरकाबोडी लघु सिंचाई टैंक का निर्माण	कार्रवाई की जा रही है।
7.	यवतमल जिले में कुमराकमी लघु सिंचाई टैंक परियोजना के निर्माण के लिए इस भूमि का उपयोग	कार्रवाई की जा रही है।
8.	नागरपुर जिले में पेंथरीनाला मझौली सिंचाई परियोजना का निर्माण	कार्रवाई की जा रही है।
9.	भंडारा जिले में डांडोरी नई लघु सिंचाई (एल एस) टैंक	कार्रवाई की जा रही है।
10.	जलगांव जिले में मिलानी-I परकोलेशन टैंक	कार्रवाई की जा रही है।
11.	थाणे जिले में घटघाट पंप भंडारण की सकुरली चंडे संपर्क मार्ग को चौड़ा करना	कार्रवाई की जा रही है।

यात्री गाड़ियां

2784. श्री बसुदेव आचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिला मुख्यालयों के बीच यात्री गाड़ियों को चलाने में असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया जा रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों में रेल लाइनों से जुड़े सभी जिला मुख्यालय पैसेंजर गाड़ियों से सेवित हैं। नई गाड़िया चलाना एक सतत् प्रक्रिया है, तो यातायात की आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

[हिन्दी]

बाघ परियोजना

2785. **श्री रामदेव राय :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाघ अभयारण्यों के नाम क्या हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सरकार ने बाघ परियोजना के अंतर्गत अभयारण्य-वार कितनी राशि उपलब्ध कराई है; और

(ग) प्रत्येक अभयारण्य में बाघों की विभिन्न प्रजातियों संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। बाघ की एकमात्र उप प्रजाति पैथरा टिगरिस है।

विवरण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	रिजर्व/राज्य का नाम	बंटित की गई केन्द्रीय सहायता			बाघों की अनुमानित संख्या	टिप्पणियां
		1992-93	1993-94	1994-95	(1993 की गणना के अनुसार)	
1.	कार्बेट (उ.प्र.)	29.2450	67.7750	57.9500	123	
2.	पलामू बिहार	55.6960	54.2000	51.5000	44	
3.	सिमली बाल, उड़ीसा	45.6930	46.5200	69.3850	95	
4.	कान्हा, मध्य प्रदेश	61.3010	65.8900	65.3850	100	
5.	मानस, असम	38.8360	36.3821	42.3250	81	
6.	सरिस्का, राजस्थान	45.7000	50.5210	45.5000	24	
7.	बांदीपुर	24.3970	35.1960	47.7500	66	
8.	सुन्दरवन, पश्चिम बंगाल	30.6150	36.5860	36.9300	251	
9.	रणथम्भौर, राजस्थान	46.7790	55.2700	51.0250	36	
10.	मेलघाट, महाराष्ट्र	44.1470	36.7130	44.4750	72	
11.	पेरियार, केरल	48.8620	46.7300	16.6730	30	
12.	इंद्रावती, मध्यप्रदेश	20.8710	23.2430	22.3500	18	
13.	नाम्दफा, अरुणाचल	27.2740	32.0080	34.5400	47	
14.	दुधवा, उत्तर प्रदेश	28.4850	23.9400	32.6040	94	
15.	वाल्मीकि, बिहार*	-	-	-	49	
16.	नागार्जुन सागर, आंध्र प्रदेश	20.0760	25.2700	26.3810	44	
17.	बुक्सा, पश्चिम बंगाल	37.5250	47.7220	50.6100	29	
18.	कालाकड, मुंडनथूराई, तमिलनाडु	29.6300	40.8650	29.1200	17	
19.	पेंछ, मध्य प्रदेश	6.9200	28.0760	45.9050	39	*1993-94 में निर्मित
20.	ताडोवा-अंधेरी, महाराष्ट्र	-	-	18.6350	34	
21.	बांधवगढ़, मध्य प्रदेश	-	7.8950	8.9550	41	*1993-94 में निर्मित
22.	पन्ना, मध्य प्रदेश	-	-	-	25	*1994-95 में निर्मित
23.	धम्पा, मिजोरम	-	-	-	12	*1994-95 में निर्मित

1990-91 के दौरान बंटित की गई धनराशि का उपयोग नहीं किया गया। अतः आगे कोई धनराशि बंटित नहीं की गई।

टिप्पणी : इसी तरह उपर्युक्त 23 रिजर्वों से बाहर बाघों की काफी संख्या है।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों की आवागमन समय अवधि

2786. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्लैक डायमंड, कोलफील्ड्स असनसोल और शताब्दी एक्सप्रेस (हावड़ा-बोकरो) की आवागमन समय अवधि को कम करने के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). गाड़ियों की गति बढ़ाना और चालन समय में कमी करना भारतीय रेलों पर एक सतत् प्रक्रिया है। बहरहाल परिचालनिक तंगियों के कारण इन गाड़ियों की गति बढ़ाना फिलहाल व्यावहारिक नहीं है।

विज्ञापनों से अर्जित राजस्व

2787. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टेशनों पर निजी पार्टियों द्वारा विज्ञापनों हेतु स्थान के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) रेलवे द्वारा गत दो वर्षों के दौरान विज्ञापनों के माध्यम से जोनवार कुल कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) स्टेशन परिसरों में विज्ञापनों के लिए पार्टियों से प्राप्त अनुरोधों की पहले आओ पहले पाओ के आधार पर जांच की जाती है और यदि ये यात्रियों की संरक्षा या सुविधा और उनकी पंसद के अनुकूल होते हैं तो संबंधित प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्थान का आवंटन, ठेके का निष्पादन करके और निर्धारित प्रभार वसूल करके किया जाता है।

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान वाणिज्यिक विज्ञापनों से रेलवे-वार आमदनी इस प्रकार थी :

(करोड़ रुपयों में)

रेलवे	1993-94	1994-95
1	2	3
मध्य	4.31	5.19
पूर्व	0.79	0.90
उत्तर	2.87	3.48
पूर्वोत्तर	0.13	0.16
पूर्वोत्तर सीमा	0.04	0.05
दक्षिण	2.28	3.33
दक्षिण मध्य	0.30	0.34
दक्षिण पूर्व	0.32	0.49
पश्चिम	4.42	5.53

महरौली में उत्खनन कार्य

2788. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने महरौली में लाल कोटा में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्खनन कार्य पूरा हो गया है और इस संबंध में रिपोर्ट का प्रकाशन कब होगा;

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब पूरा होगा और क्या किसी अन्तरिम रिपोर्ट का प्रकाशन हो चुका है; और

(घ) यदि हां, तो परियोजना पर अनुमानित मूल व्यय, 31 मार्च, 1995 तक व्यय की गई धनराशि, परियोजना के कार्य को पूरा करने के लिए अनुमानित अतिरिक्त व्यय और वर्ष 1995-96 हेतु आवंटित धनराशि संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उत्खनन कार्यक्रम पूरा हो गया है। सार-रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं तथा प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित की गई हैं। तथापि विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने में समय लगने की संभावना है।

(घ) मूल रूप से अनुमानित 17,00,000 रुपये के स्थान पर 31.3.1995 तक 40,35,000 रुपये खर्च हुए। महरौली में लाल कोट का उत्खनन कार्यक्रम पूरा हो गया है अतः वर्ष 1995-96 के लिए अतिरिक्त व्यय का प्रश्न ही नहीं उठता।

रेल सुरक्षा संबंधी गोष्ठी

2789. श्री रामचन्द्र मारोतराव घंगारे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघों द्वारा 30 जून, 1995 को धनबाद में रेल सुरक्षा के बारे में कोई गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). 30 जून, 1995 को धनबाद मंडल में एक गैर मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था जिसमें संरक्षा मुद्दों पर सामान्य रूप से विचार किया गया था।

(ग) भारतीय रेलें गाड़ी परिचालन में संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और गाड़ी परिचालन में संरक्षा में सुधार करने के लिए विभिन्न मंचों/ट्रेड युनियनों और रेल कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाता है।

रेल बस

2790. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में शिमोगा एवं तालागुप्पा के बीच रेल बस सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल कोई पस्ताव नहीं है। तथापि, तालगुप्पा–शिमोगा टाउन खंड पर 2 जोड़ी रेल कार सेवाएं पहले ही चल रही हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अध्यापकों के लिए पात्रता परीक्षा

2791. श्री मनोरंजन भक्त : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) में बैठने के लिए क्या योग्यता, कितने प्रयास और क्या आयु सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सभी विश्वविद्यालय और राज्य सरकारों ने अपने नियंत्रणाधीन कालेजों में पदों के संदर्भ में उक्त पात्रता परीक्षा को लेक्चरार के पद के लिए आवश्यक योग्यता के रूप में निर्धारित किया है अथवा वे इसे वांछनीय योग्यता मान रही हैं;

(ग) क्या यह पात्रता परीक्षा योजना किसी विश्वविद्यालय अथवा राज्य सरकार के लिए वैकल्पिक है; और

(घ) उक्त योजना के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय की क्या स्थिति है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी, जिसके पास मानविकी, सामाजिक विज्ञानों तथा विशुद्ध विज्ञानों में मास्टर डिग्री अथवा समकक्ष परीक्षा में 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री हो, परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हैं।

इन परीक्षाओं में बैठने की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लेक्चररशिप के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।

(ख) लेक्चररशिप के लिए पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना एक आवश्यक अर्हता है। यद्यपि, वे अभ्यर्थी जिन्होंने पहले ही पी–एच. डी. कर ली है अथवा दिसम्बर, 1993 तक अपना शोध निबंधन प्रस्तुत कर दिया है अथवा 31 दिसम्बर, 1993 तक एम. फिल कर ली है अथवा वि.अ.आ./वै.औ.अ.परि. की जूनियर शोध अध्येतावृत्ति की परीक्षा पहले ही उत्तीर्ण कर ली है, उन्हें लेक्चररशिप की पात्रता परीक्षा में बैठने से छूट से दी गई है।

(ग) किसी भी राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासनों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा को छोड़ने का विकल्प नहीं हैं। तथापि, राज्य सरकारें तथा संघ शासित प्रशासन, लेक्चररशिप के लिए अपनी पात्रता परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं यदि उन्हें वि.अ.आ. द्वारा प्रत्यायित किया गया हो।

(घ) वि.अ.आ. के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय इस संबंध में वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित विनियमों का अनुसरण कर रहा है। फिर भी, निर्धारित शर्तों में किसी भी प्रकार की छूट, विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से दी जा सकती है।

[हिन्दी]

उपरि पुल

2792. डा. गुणवंत रामभाऊ सरोदे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य रेलवे के भुसावल डिवीजन में उपरि पुलों के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मंत्रालय द्वारा इनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) कितने प्रस्ताव लम्बित है तथा इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) इन प्रस्तावों को रेलवे निर्माण कार्यक्रम में शामिल किए जाने पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक पूर्वमिश्रित औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई है।

विवरण

भाग (ख)

क्र.स.	स्टेशन का नाम	खंड किस समपार सं. के बदले में तथा किस कि.मी. पर	अनुमान की कच्ची-पक्की लागत	
			रेलवे का भाग	लो.नि.वि. का भाग
1.	निफाड	(इगतपुरी-मनमांड) 218/8-9 कि.मी. पर समपार सं. 99-ख	73,68,900	54,12,000
2.	सेकरी	(भुसावल-भटनीरी) 449/0-1 कि.मी. पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 पर समपार सं. 1 क	65,58,000	65,58,000
3.	नजीराबाद	(मनमाड-भुसावल) 433/17-19 कि.मी. पर राष्ट्रीस राजमार्ग सं.6 मर समपार सं. 154 पर	1,29,27,200	1,36,19,100
4.	मूर्तिजापुर	(भुसावल-भटनीरा) 621/6-7 कि.मी. पर समपार सं. 51-क बड़ी लाइन तथा 621/3-4 कि.मी. पर समपार सं.21 (छो.ला.)	-	-
5.	नंदगांव	(नंदगांव-इगतपुरी-भुसावल) 285/2-4 कि.मी. पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 16 पर समपार सं. 114-क	97,71,300	70,08,100
6.	निम्बोला	(भुसावल-खण्डवा) 505/13-14 कि.मी. पर समपार सं. 175-क	78,57,200	1,21,69,200
7.	निफाड	(इगतपुरी-भुसावल) 215/11 कि.मी. पर	-	-
8.	भटनीरा	(भटनीरा-नागपुर) 664/7-8 कि.मी. पर	-	-

निजी कंपनियों द्वारा वन-रोपण

2793. **श्री विश्वनाथ शर्मा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष निजी कंपनियों/संगठनों तथा व्यक्तियों द्वारा राज्यवार लगभग कितने क्षेत्र में वन-रोपण किया जा रहा है;

(ख) क्या इन वनों के लिए ऐच्छिक अथवा अनिवार्य रूप से बीमा संबंधी कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन बीमा कंपनियों ने किन-किन राज्यों में इन वनों का बीमा किया है; और

(घ) बीमा की राशि क्या है और इसके अंतर्गत कितने वन-क्षेत्र को शामिल किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

चीनी विकास निधि

2794. **श्री जार्ज फर्नान्डीज :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी विकास निधि से गन्ने के विकास और चीनी मिलों के पुनर्वास/आधुनिकीकरण के लिए ऋण प्रदान करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) अब तक किन-किन मिलों ने ऋण प्राप्त किया है, मिल वार कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है और इनमें से प्रत्येक मिल के विरूद्ध बकाया राशि कितनी है;

(ग) आज की तारीख में शेष निधि कितनी है;

(घ) क्या सरकार की तेजी से पुनर्वास और आधुनिकीकरण करने हेतु इस समय लेवी की राशि को 14 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) वित्तीय संस्थानों द्वारा किए गए तकनीकी आर्थिक (टेक्नो-इकानामिक) मूल्य निर्धारण के आधार पर पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए चीनी विकास निधि से ऋण दिए जाते हैं। जहां यह महसूस किया जाता है कि उत्तक खेती, उन्नत पेड़ी तरीकों आदि को अपनाकर सुधरी कृषि प्रणाली, उत्तक खेती, समुन्नत पेड़ी (रेटूनिंग) तरीकों आदि को बढ़ावा देकर गन्ने की आपूर्ति में वृद्धि की जा सकती है वहां इसके साथ और गन्ना विकास के पृथक-पृथक प्रस्तावों पर भी सहायता प्रदान करने हेतु विचार किया जाता है।

(ख) और (ग). सूचना एकत्र की जा रही है।

(घ) और (ङ). उपकर में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

रेलवे पुल.

2795. श्री प्रभु दयाल कठेरिया :
श्री राम पूजन पटेल :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार कितने रेलवे पुलों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में शिकोहाबाद और फतेहपुर रेल फाटक पर एक उपरि पुल बनाने संबंधी एक प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 483. राज्यवार सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सिरसा एक्सप्रेस

2796. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या रेल मंत्री दिनांक 25 अप्रैल, 1995 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3115 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मई और जून 1995 के दौरान कितने दिन 4086 सिरसा एक्सप्रेस 9.40 म.पू. से पहले नई दिल्ली पहुंची थी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : मई, 95 में 28 दिन और जून, 95 में 25 दिन।

केरल की लम्बित परियोजनाएं

2797. श्री थाइल जॉन अंजलोस : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल की सिंचाई और औद्योगिक परियोजनाओं सहित कौन-कौन सी विकास परियोजनाएं पर्यावरण और वन विभाग की स्वीकृति हेतु रूकी पड़ी है;

(ख) ये परियोजनाएं सरकार के पास कब से लम्बित पड़ी हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). मंत्रालय के पास पर्यावरणीय और वानिकी मंजूरी से संबंधित विकासात्मक परियोजनाओं को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) परियोजना प्रस्तावकों से सभी आवश्यक सूचना और प्रासंगिक ब्यौरे की प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों की निर्धारित समयावधि में परियोजना प्रस्तावों की मंजूरी के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जाता है।

विवरण

मंत्रालय में पर्यावरण एवं वानिकी स्वीकृति के लिए लम्बित विकास परियोजनाओं की सूची

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्राप्ति की तिथि	लंबित रहने के कारण
1.	मैसर्स पीवीज पेट्रोलियम का प्रोडक्ट्स का कालीकट (एल.पी.जी.) की भराई तथा विपणन के लिए आयात	19.7.95	कार्रवाई चल रही है
	कोचीन में फिशरीज हार्बर चरण-2 का विकास	22.03.93	मांगी गई प्रासंगिक सूचना की प्रतीक्षा है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अन्तर्गत सहकारी समितियां

2798. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के पर्यवेक्षण/नियंत्रण में कौन-कौन सी सहकारी समितियां हैं;

(ख) इन सूचीबद्ध समितियों में से कौन-कौन सी समितियां उपभोक्ताओं के उपोग की वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री कर रही है;

(ग) 1993-94 और 1994-95 के दौरान समिति-वार इस समितियों का कारोबार और लाभ-हानि कितना रहा;

(घ) इन समितियों द्वारा किन-किन उपभोक्ता उत्पादों का उत्पादन ओर बिक्री की गई; और

(ङ) उक्त उत्पादों के विज्ञापन और संवर्धन पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ङ). सहकारी समितियां स्वायत्त संस्थान है, जिनका अधिपत्य तथा प्रबंध उनके सदस्यों के हाथ में होता है और ये समितियां संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियमों के अधीन पंजीकृत होती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सीधे पर्यवेक्षण और/अथवा नियंत्रणाधीन कोई सहकारी समिति नहीं है।

[हिन्दी]

अन्तर–नगरीय रेलगाड़ियां

2799. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल और इन्दौर के बीच हाल ही में आरम्भ की गई "इन्टर–सिटी एक्सप्रेस" के रुकने के स्थानों की संख्या में वृद्धि किए जाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन रेलगाड़ियें के चलने के समय में कटौती करने की दृष्टि से इनके ठहरने के स्थानों में कमी करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ओजोन क्षरण पदार्थ

2800. प्रो. प्रेम धूमल :
डा. जी.एल. कनौजिया :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री 9 मई, 1995 के तारांकित प्रश्न संख्या 496 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों हेतु लक्ष्य की तिथि तक चरणबद्ध कार्यक्रम के पूरा होने के कार्य की देखरेख के लिए कोई निगरानी एजेंसी बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मांट्रियल प्रोटोकोल फन्ड से निकाली गई धनराशि को उन उद्योगों को वितरित कर दिया गया है जिनकी परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने 1996 के बाद जब विकसित देश हलसन और ओजोन का क्षरण करने वाले पदार्थों के प्रयोग को समाप्त कर देंगे, भारतीय निर्यातकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) ओर (ख). सरकार ने मांट्रियल प्रोटोकोल के अंतर्गत स्थापित बहुपक्षीय निधि प्रस्तुत करने के लिए परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु तथा भारत में प्रोटोकाल के उपबंधों के कार्यान्वयन को पुनरीक्षा करने के लिए एक संचालन समिति गठित की है। एक मानिटरी स्थाई समिति, जिसमें सम्बन्धित सरकारी विभागों, औद्योगिक संघों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, संचालन समिति को ओजोन का ह्रास करने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के कार्यक्रम की निगरानी में सहयोग दे रही है।

(ग) से (ङ). प्रोटोकाल के कार्यान्वयन के लिए मंजूर राशि को वितरित करने की प्रक्रिया चल रही है। स्वीकृत निवेश परियोजनाओं की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(च) आजोन का ह्रास करने वाले पदार्थों से बने हुए या ओजोन मिश्रित उत्पादों का निर्यात करने वाले उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे वे शीघ्र ही ओजोन का ह्रास करने वाले पदार्थों से इतर उत्पादन की प्रौद्योगिकी अपना सकें ताकि 1996 के बाद उनका निर्यात प्रभावित न हो। बहुपक्षीय निधि में इस प्रकार की प्रौद्योगिकी परिवर्तन में सहायता देने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

स्वीकृत निवेश परियोजनाओं की स्थिति

क्र.सं.	परियोजना का नाम	भारतीय रुपये में सहायता की मात्रा	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	उपकेन्द्र शीतकों में एच.सी.एफ.सी.-123 के स्थान पर सी.एफ.सी.-11 प्रशीतक का प्रतिस्थापन (मैसर्स ब्ल्यू स्टार लिमिटेड)	18,144,000	वितरण आरम्भ
2.	सी.एफ.सी.-12 से एच.एफ.सी.-134 ए. डिजाइन के बने कम्प्रेसर का परिवर्तन (मैसर्स श्री राम इंडस्ट्रियल इन्टरप्राइसेस लि.)	21,920,000	वितरण आरम्भ
3.	एअॅरो फॉरमा एअरोसलि परिवर्तन (मैसर्स एअरो फारमा प्रा.लि.)	2,000,640	कागजात पूरे किए जा रहे हैं।

1	2	3	4
4.	एच.एफ.सी.-134 ए के लिए सी.एफ.सी.-12 मोबाइल एयर कंडीशनिंग निर्माण का संशोधन (मैसर्स सबरोज लि.)	54,720,000	वितरण आरम्भ
5.	सी.एफ.सी. 11/पोलयोल प्रणाली के स्थान पर निम्न/ओडीएस इतर पदार्थों के प्रतिपादन के परिवर्तन का अनुप्रयोग विकास (मैसर्स मनाली पैट्रोकेमिकल्स लि.)	22,400,000	कागजात पूरे किए जा रहे हैं।
6.	सी.एफ.सी. 11/पोलयोल प्रणाली के स्थान पर निम्न/ओडीएस इतर पदार्थों के प्रतिपादन के परिवर्तन का अनुप्रयोग विकास (मैसर्स यू.बी. पैट्रोप्रोडक्टस)	18,741,888	कागजात पूरे किए जा रहे हैं।
7.	रेफ्रीजरेटरर्स और उपकरणों के लिए सी.एफ.सी.-12 से एच.एफ.सी.-134 ए.कम्प्रेसर डिजाइन का परिवर्तन (मैसर्स किरलोस्कर कोपलैंड लि.)	17,532,000	-वही-
8.	थर्मोवेयर के लिए ठोस पी.यू.एफ. बनाने में सी.एफ.सी. के प्रयोग को धीरे-धीरे समाप्त करना (मैसर्स ईगल फ्लास्क इंडस्ट्रीज लि.)	11,680,000	-वही-
9.	निष्कासित पोलीथीलोन फोम शीट बनाने में सी.एफ.सी. के प्रयोग को धीरे-धीरे समाप्त करना (मैसर्स कैम्प्रोर एंड एलाइड प्रोडक्टस लि.)	8,960,000	-वही-
10.	पैनल्स के लिए ठोस पी.यू.एफ. के निर्माण में सी.एफ.सी. के प्रयोग को धीरे-धीरे समाप्त करना (मैसर्स सनपरा लि.)	13,248,000	-वही-
11.	एच.सी.एफ.सी.-22 प्रशीतक के साथ प्रयोग के लिए सी.एफ.सी. 12 "ओपन टाइप" कम्प्रेसर का फिर से डिजाइन और विकास करना (मैसर्स फ्रीज किंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.)	7,696,000	कागजात पूरे किए जा रहे हैं।
12.	पी.यू. फोएस के निर्माण में सी.एफ.सी. के प्रयोग को धीरे-धीरे समाप्त करना (मैसर्स यू.फोम प्रा. लि.)	10,496,000	-वही-
13.	फैमोलिक फोम और फोम उत्पादों के निर्माण में सी.एफ.सी. के प्रयोग को धीरे-धीरे समाप्त करना (मैसर्स बैकेलाइट हाइलम लि.)	11,744,000	-वही-
14.	ओजोन परत को क्षीण करने वाले घुलिता से एलक्ट्रोनिक प्रक्रियाओं की स्थान पर विस्फोटन और जलीय सफाई की पद्धति अपनाना (मैसर्स आई.टी.आई. मानकापुर)	19,525,120	-वही-
15.	ई.ओ./सी.एफ.सी.-12 के स्थान पर ई.ओ./सी.ओ.2 बन्ध्यीकरण और सीधे ही सिलिकानसेशन का प्रयोज्य सिरिंज के निर्माण की प्रक्रिया अपनाना (मैसर्स हिन्दुस्तान सिरिंजेस एंड मैडिकल डिवाइसिस)	15,392,000	-वही-
16.	पोलीयूरेथीन (पी.यू.) फोम सिस्टम में सी.एफ.सी.-11 ब्लोइंग एजेंट को निम्न और बिना ओजोन परत का क्षीण करने वाले पदार्थों से बदलना	16,068,160	-वही-
17.	अल्फा फोमस	7,036,800	मई, 1995 में स्वीकृत कागजात पूरे किए जा रहे हैं।
18.	ब्ल्यू स्टार	7,168,000	-वही-
19.	ड्यूरोफ्लैक्स	3,200,000	-वही-
20.	इन्डस्ट्रियल फोम	10,240,000	-वही-
21.	ईश्वर आर्ट्स	3,870,400	-वही-
22.	ईश्वर आशिश प्लास्टिकस	3,870,400	-वही-
23.	कर्नाटक	8,102,400	मई, 1995 में स्वीकृत। कागजात पूरे किए जा रहे हैं।

1	2	3	4
24.	मद्रास पोलीपाउन्डस	5,206,400	-वही-
25.	मिलटन पोलीप्लास	14 608,000	-वही-
26.	मिलटन पोलीप्लास	7,552,000	-वही-
27.	ठोस पी.यू.एफ. सैंडविपेनल्स के निर्माण में सी.एफ.सी. 11 को धीरे-धीरे समाप्त करना (श्री प्रप्रीकोटिड स्टील्स लि.)	7, 168,000	-वही-
28.	मोलिडड पी.यू.एफ. के निर्माण में सी.एफ.सी.-11 को धीरे-धीरे समाप्त करना (ट्रेनक्विल रबर)	6,888,000	-वही-
29.	थर्मोवेयर के लिए ठोस पी.यू.एफ. के निर्माण के लिए सी.एफ.सी.11 को धीरे-धीरे समाप्त करना (विक्रम प्लास्टिक्स)	7,552,000	-वही-
30.	मोलिडउ पी.यू.एफ. आटोमोटिव सीट्स के निर्माण के लिए सी.एफ.सी. को धीरे-धीरे समाप्त करना (पोलीफ्लेक्स प्रा.लि.)	6,938,880	जुलाई, 1995 में स्वीकृत
31.	मोलिडड पी.यू.एफ. आटोमोटिव सीट्स के निर्माण में सी.एफ.सी. को धीरे-धीरे समाप्त करना (विजयइपोट सीट्स लि.)	10,467,600	-वही-
32.	मोलिडड पी.यू.एफ. ओटोमोटिव सीटस के निर्माण के लिए सी.एफ.सी. को धीरे-धीरे समाप्त करना (रीयल पोलीमर्स)	8,617,440	-वही-

*ओ.डी.एस ओजोन परत का ह्रास करने वाले पदार्थ

खेसारी दाल

2801. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानव उपभोग हेतु खेसारी दाल की खेती और बिक्री पर लगे प्रतिबन्ध की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार को खेसारी दाल के उपयोग के संबंध में विद्यमान नीति/निर्णय की समीक्षा करने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जाएगी?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) खाद्य अपमिश्रणनिवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत खेसारी दाल की बिक्री पर प्रतिबन्ध बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों में जारी है। इसकी खेती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) जी, हां।

(ग) कृषि विषयक स्थायी समिति (1994-95) दसवीं लोक सभा की सिफारिश के अनुसार, महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

राज्य पुलिस बल की तैनाती

2802. श्री राम कापसे :
श्री मोहन रावले :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य पुलिस बल को मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे तथा दक्षिण पूर्व रेलवे में तैनात किया गया है;

(ख) क्या रेलवे पुलिस पर व्यय रेल प्रशासन तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर किया जाता है;

(ग) क्या रेलवे प्रशासन की रेलवे पुलिस व्यय की कुछ राशि महाराष्ट्र सरकार की ओर बकाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह धनराशि महाराष्ट्र सरकार द्वारा रेलवे प्रशासन को कब तक दिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). जी, हां।

(घ) और (ङ). महाराष्ट्र सरकार के बकाया दावों का विवरण इस प्रकार है :

1.	पश्चिम रेलवे	-	7.00 करोड़ रु.
2.	द.पू. रेलवे	-	0.39 करोड़ रु.
3.	द.म. रेलवे	-	1.48 करोड़ रु.
	जोड़	-	8.87 करोड़ रु.

इस राशि में, मध्य रेलवे द्वारा नकारे गए, महाराष्ट्र सरकार के 17.40 करोड़ रुपये के दावे शामिल नहीं हैं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1.4.79 से 31.3.95 के बीच रा.रे.पु. के कुल 1569 पद मध्य रेलवे के अनुमोदन के बिना सृजित किए गए थे।

संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा उपरोक्त राशि निम्नलिखित कारणों से रोकी गई है :

(क) महालेखा परीक्षक से, खर्च के औचित्य से संबंधित लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र का प्राप्त न होना।

(ख) रेल प्रशासन के अनुमोदन के बिना रा.रे.पु. के पदों का एकतरफा सृजन।

(ग) लौटाए गए बिलों का आवश्यक शोधन के पश्चात् प्राप्त न होना। विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर रेल मंत्रालय ने मामले की समीक्षा की तथा 30.3.95 को बकाया राशि का 50 प्रतिशत विनिर्मुक्त करने का विनिश्चय किया था। बकाया राशि के शेष को, विभिन्न राज्यों से वसूल किए जाने वाले रेलवे देयों के साथ समायोजित किया जाना था।

दोहरी लाइन

2803. श्री चितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के किस-किस सेक्शन में आज तक दोहरी लाइन नहीं है;

(ख) सरकार द्वारा दूसरी लाइन के निर्माण हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) क्या इनमें से कोई सेक्शन इन मानदंडों को पूरा करता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पश्चिम बंगाल के निम्नलिखित खंडों पर आज की तारीख तक दोहरी लाइन नहीं है :

छोटी लाइन खंड

1. न्यू जलपाईगुड़ी-सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग
2. बांकुरा-रायनगर
3. शांतिपुर-कृष्ण नगर सिटी-नबद्विपघाट
4. अहमदपुर-कटवा
5. कटवा-बर्धमान

मीटर लाइन खंड

1. न्यू मल-दोमोहानी-रामशाय
2. न्यू जलपाईगुड़ी-गलगलिया
3. बारसोई-राधिकापुर
4. सिलीगुड़ी-न्यू जलपाईगुड़ी-अलीपुरद्वार जं.
5. अलीपुर द्वार-न्यू कूच बिहार-गितलदाहा-बामनहाट

बड़ी लाइन खंड

1. ओल्ड मालदा -सिंहाबाद
2. दलखोला-अलुआबाड़ी
3. न्यू जलपाईगुड़ी-हल्दियाबाड़ी
4. रानीनगर-न्यू अलीपुरद्वार
5. चामग्राम-बंडेल-नैनाटी
6. नलहाटी-आजिमगंज
7. लालगोलाघाट-पेटरापोल
8. बनगांव-अशोक नगर
9. बारासात-हसनाबाद
10. सोनारपुर-कैनिंग
11. हावड़ा-बज बज
12. बरूईपुर-डायमंड हार्बर
13. बरूईपुर-करनजली
14. हवड़ा-बड़गछिया
15. शेवड़ाफुली-तारकेश्वर
16. सैंथिया-खाना
17. सैंथिया-भीमगढ़-पालसथाली
18. तापसी-गौरंडी
19. इकरा-बरहनी
20. हिजली-गोकुलपुर-खड़गपुर
21. पांसकुड़ा-हल्दिया
22. आद्रा-जयचण्डीपहाड़-अनोरा
23. काली पहाड़ी-दामोदर-कुल्टी
24. रामकनाली-चौरासी
25. पुरूलिया-कोटशिला
26. कल्याणी-कल्याणी सिमांता

(ख) वहन क्षमता संतृप्त हो जाने पर मौजूदा इकहरी लाइन खंडों का दोहरीकरण किया जाता है, माल यातायात की गहनता वाले खंडों को प्राथमिकता दी जा रही है।

(ग) जी, हां। निम्नलिखित खंड मानदंड पूरा कर रहे हैं और दोहरीकरण कार्य प्रगति पर है।

1. दत्तापुकुर-हाबरा-बनगांव, बनगांव-अशोकनगर खंड का भाग
2. खाना-सैंथिया
3. चंदनपुर-गुड़ाप-तीसरी लाइन
4. बज बज-आकरा बज बज-हवड़ा खंड का भाग

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्धारित/प्राप्त लक्ष्य

2804. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी :
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन सर्वेक्षण, वन संरक्षण, राष्ट्रीय वनारोपण तथा बाघ और हाथी परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में 1994-95 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कमी आने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों के बीच अन्तर को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ). सरकार द्वारा वन संरक्षण, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना जैसे क्षेत्रों में वर्ष 1994-95 के लिए कोई भौतिक लक्ष्य नहीं रखे गए थे। तथापि, वन सर्वेक्षण के क्षेत्र में भारतीय वन सर्वेक्षण के लिए निर्धारित 26,000 वर्ग कि.मी. के वन माल सूची के लक्ष्य की तुलना में 1994-95 की अवधि के दौरान 27,862 वर्ग कि. मी. की उपलब्धि सूचित की गई है। जहां तक वनीकरण और वृक्षा-रोपण के क्षेत्र का सम्बन्ध है, जो कि अनवरत गतिविधियां हैं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्ष्य, विभिन्न केन्द्रीय और राज्य योजना स्कीमों में निधियों की समग्र उपलब्धता को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए थे। लक्ष्यों को वन भूमियों सहित सरकारी भूमि पर वनीकरण के लिए कवरेज क्षेत्र तथा निजी भूमि पर पौधरोपण के लिए वितरित किये जाने वाले पौधों की संख्या के रूप में निर्धारित किया गया था। वर्ष 1994-95 में वृक्षारोपित क्षेत्र के मामले में लगभग 95 प्रतिशत और पौध वितरण के मामले में 89 प्रतिशत लक्ष्यों की अस्थाई प्राप्ति हुई। अलग-अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन की पर्यावरण और वन मंत्रालय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा निगरानी की जाती है। कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत क्रम निर्धारण के लिए जिन बातों को ध्यान में रखा जाता है, वनीकरण उनमें से एक मद है।

[हिन्दी]

कपास का उत्पादन

2805. डा. महादीपक सिंह शाक्य :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 में देश में कपास के उत्पादन के संबंध में सरकार के विभिन्न एककों द्वारा अलग-अलग आंकलन किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में किए गए अलग-अलग आंकलनों को ध्यान में रखते हुए कपास के उत्पादन के संबंध में कोई अंतिम रूप से आंकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में कपास की वास्तविक खपत के संबंध में भी कोई आंकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान देश में मिलों, लघु बुनकर एककों और निर्यातक एककों के साथ-साथ अन्य प्रयोजनों हेतु कुल कितने कपास की आवश्यकता थी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). विभिन्न एजेन्सियों द्वारा दी गई सूचनाओं और कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा लगाये गये अनुमानों के अनुसार देश में 1994-95 के कपास मौसम के दौरान कपास का अनुमानित उत्पादन इस प्रकार रहा है :

एजेन्सियों के नाम	कपास उत्पादन (प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठे)
कृषि मंत्रालय	112.69
भारतीय कपास निगम	130.00
कपास सलाहकार बोर्ड	130.00

(घ) और (ङ). कपास सलाहकार बोर्ड द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार 1994-95 के दौरान देश में मिलों, छोटी कताई इकाईयों, गैर-मिल क्षेत्र और निर्यातक इकाईयों के लिए कपास की कुल आवश्यकता इस प्रकार हैं:

क्षेत्र	अनुमानित खपत (प्रत्येक 170 कि.ग्रा. की लाख गांठे)
(i) मिलों में खपत	116.0
(ii) छोटी कताई इकाइयों द्वारा खपत	3.35
(iii) गैर-मिल (अन्य) द्वारा खपत	9.50
(iv) निर्यात	1.15
योग	132.00

उर्वरकों पर राजसहायता

2806. श्री गुमान मल लोढ़ा :
श्री नवल किशोर राय :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री प्रतापराव बी. भोंसले :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1992-93 से 1994-95 तक उर्वरकों के लिए दी जा रही राजसहायता राशि में वर्ष-दर वर्ष लगातार वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में उर्वरकों पर राजसहायता में लगातार वृद्धि के कारण उपभोक्ताओं को उर्वरक अपेक्षाकृत सस्ती दरों पर प्राप्त हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों के उपभोक्ता मूल्य क्या थे;

(ङ) यदि उपभोक्ताओं को उर्वरक सस्ती दरों पर नहीं मिले हैं तो उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(च) उपरोक्त अवधि के दौरान इनके मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(छ) सरकार द्वारा उर्वरकों के मूल्यों पर नियत्रंण हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) 1992-93 से 1994-95 की अवधि में नियंत्रण रहित फास्फेट युक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों पर प्रति मीटरी टन रियायत की दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). ये प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) से (छ). फास्फेटयुक्त तथा पोटाशयुक्त उर्वरकों को 25.8.92 से नियंत्रण रहित कर दिये जाने के फलस्वरूप इन उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि हुई। स्वदेशी डी.ए.पी. को नियंत्रण रहित करने के पहले यह 4680 रु. प्रति मी.टन था जो बढ़कर इस समय लगभग 9450 रु. 10,100 रु. प्रति मी.टन तक हो गया है। एम.ओ.पी. को नियंत्रण रहित करने के पहले यह 1700 रु. प्रति मी.टन था जो बढ़कर इस समय लगभग 3900 रु. से 4700 प्रति मी.टन हो गया है। इस मूल्य वृद्धि के प्रभाव को निरस्त करने के लिये भारत सरकार खेतिहर समुदाय को इन नियंत्रण रहित उर्वरकों की बिक्री पर रियायत देने संबंधी योजना क्रियान्वित करती रही है। फिलहाल, एम.ओ.पी. स्वदेशी डी.ए.पी., प्रत्येक पर 100 रु. प्रति मी.टन, एस.एस.पी. पर 340 रु. प्रति मी.टन तथा स्वदेशी सम्मिश्रणों (उनकी श्रेणी पर निर्भर करते हुये) पर 435 रु. से 999 रु. प्रति मी.टन तक की रियायत दी जा रही है।

[अनुवाद]

उर्वरकों का उत्पादन

2807. श्री एस.एम.आर. राजेन्द्र कुमार :
डा. के.वी.आर. चौधरी :
श्री रामपाल सिंह :
श्रीमती सुमित्रा महाजन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1993-94, 1994-95 और चालू वर्ष के दौरान उर्वरक-वार विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या अधिकांश राज्य सरकारों के समक्ष उर्वरकों की भारी कमी है जिसके कारण किसान खाद्यान्न उत्पादन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं;

(ग) यदि हां, तो उर्वरकों की कमी वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार ने देश में उर्वरकों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान देश में विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के उत्पादन को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को जारी किये गये औद्योगिक नीति के विवरण के अनुसार उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिये किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी एककों ने उर्वरकों की मांग तथा आपूर्ति के बीच के अन्तराल को कम करने के लिये निम्नलिखित नीति अपनाई हैं :

(i) मौजूदा उर्वरक संयंत्रों का विस्तार/पुनरूद्धार/रिट्रोफिटिंग तथा मौजूदा आधारभूत सुविधाओं व दूरस्थ स्थलों का बेहतर उपयोग।

(ii) वरीयता प्राप्त खाद्य-भण्डार सुविधाओं की स्थापना; और

(iii) कच्चे माल की प्रचुरता तथा सस्ते संसाधनों वाले देशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाओं की स्थापना करना, बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये उत्पादन में वृद्धि करने के उपायों में से है।

विवरण

1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान विभिन्न उर्वरकों का उत्पादन

(हजार मी.टन में)

उत्पाद का नाम	1993-94	1994-95	1995-96 (अप्रैल से जुलाई, 95 तक)
यूरिया	13,148.3	14,282.9	4,888.2
अमोनियम सल्फेट	621.9	582.5	194.1
कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	666.2	571.8	139.3
अमोनियम क्लोराइड	130.7	137.1	47.6
डाई-अमोनियम फास्फेट	1,950.9	2,823.3	946.5
सिंगल सुपर फास्फेट	1,900.0	2,636.9	819.1
सम्मिश्रण			
20:20:0	882.9	1,116.3	431.7
15:15:15	303.1	240.2	102.1
(20.7:20.7:0)	267.2	254.2	75.4
17:17:17	483.7	650.2	240.0
10:26:26	251.0	262.7	48.3
12:32:16	193.2	352.8	68.3
14:35:14	10.6	19.9	7.0
19:19:19	129.4	153.7	44.7
28:28:0	284.2	326.5	92.1
16:20:0	87.8	141.9	41.3
23:23:0	10.2	54.8	27.8

[हिन्दी]

खाद का उत्पादन

2808. श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को दिल्ली सरकार की ओर से कूड़ा कचरे से खाद तैयार करने संबंधी कोई प्रस्ताव स्वीकृति और वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया;

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार ने कूड़ा-कचरे की समस्या को निपटाने हेतु देश के कुछ अन्य राज्यों को निधि आवंटित करने का भी प्रस्ताव किया है;

(ङ) यदि हां, तो आवंटन हेतु प्रस्तावित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्य सरकार को इस प्रयोजनार्थ धनराशि कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). दिल्ली शहर के कूड़ा करकट से कम्पोस्ट खाद बनाने की एक परियोजना पर कार्यवाही शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विकास एवं शिक्षा मंत्री ने केन्द्रीय कृषि मंत्री को पत्र लिखा है। अपने प्रत्युत्तर में कृषि मंत्री ने यह आश्वासन दिया था कि दिल्ली सरकार से समुचित प्रस्ताव मिल जाने पर पूर्ण तकनीकी दिशानिर्देश एवं 20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जायेगी लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है।

(घ) से (च). "उर्वरकों का संतुलित और समेकित उपयोग" नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत आठवीं योजना में विभिन्न राज्यों से राज्य सरकारों की ओर से प्रस्ताव आने पर 10 कम्पोस्ट इकाईयों को स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। आठवीं योजना में अब तक केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब और असम राज्यों को 20-20 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।

अध्ययन दल का बीसालपुर का दौरा

2809. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के एक अध्ययन दल ने राजस्थान को बीसालपुर बांध परियोजना के कारण विस्थापित हुए परिवारों की पुनर्वास योजना और उन्हें दिये जा रहे मुआवजे का स्थिति जानने हेतु बीसालपुर का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त दल ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) अध्ययन दल जिसमें जून, 1995 में परियोजना क्षेत्र का निरीक्षण किया है, सिफारिश की है कि विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों पर जिनमें प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित कमी वाले कुछ आंकड़े परियोजना पर किसी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले परियोजना अधिकारियों से मांगे जाएं।

[अनुवाद]

अतिरिक्त मूल्य निर्धारण के लिए फार्मूला

2810. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खुली चीनी का तथा इसके सह-उत्पादों की बिक्री से प्राप्त अतिरिक्त लाभ के 50 प्रतिशत राशि को किसानों को देने के

लिए उन्हें देय अतिरिक्त कीमत संबंधी भुगतान हेतु भार्गव फार्मूला निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा तथा इसे कब से लागू किया गया है;

(ग) क्या पिछले वर्षों से घटक "एल" समय पर घोषित नहीं किये गए हैं; और

(घ) घटक "एल" का सम्बन्धी अद्यतन आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). न्यायमूर्ति भार्गव के अधीन एक चीनी आयोग की स्थापना की गई तथा इसका रिपोर्ट 1974 में प्रस्तुत की गई। चीनी फैक्ट्रियों द्वारा अधिशेष उत्पादित चीनी गन्ना उत्पादकों को दिए जाने के लिए एक फार्मूला बनाने का सुझाव दिया गया। अतः 1.10.1974 से प्रभावी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में एक नई धारा 5-क जोड़ी गई। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा 5-क के प्रावधानों के अंतर्गत, इस आदेश के अतंर्गत निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य के अतिरिक्त, किसानों को अतिरिक्त गन्ना मूल्य आदेश की दूसरी अनुसूची में दिए गए फार्मूले (भार्गव फार्मूले के नाम से प्रसिद्ध) के तदनुसार देय है। भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष के लिए चीनी उत्पादन की यूनिट लागत के क्षेत्रवार आंकड़ों की घोषणा कर दी है। चीनी वर्ष क दौरान उत्पादित कुल चीनी के वास्तविक बिक्री मूल्य तथा उत्पादन की यूनिट लागत के आधार पर परिकलित चीनी उत्पादन की कीमत के बीच के अंतर को अधिशेष के रूप में चीनी फैक्ट्रियों तथा गन्ना उत्पादकों के बीच बराबर-बराबर बांटा जाना है।

(ग) पिछले कुछ वर्षों से इसके निर्धारण के लिए अपेक्षित आंकड़े इकट्ठे करने में हुई देरी के कारण घटक "एल" की समय पर घोषणा नहीं की जा सकी।

(घ) घटक "एल" के राज्य-वार अद्यतन आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1993-94 चीनी मौसम के लिए चीनी की प्रति क्विंटल क्षेत्रवार यूनिट लागत "एल"

क्र.सं.	क्षेत्र	उत्पादन की यूनिट लागत (रुपये प्रति कुंतल)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	717.83
2.	असम, नागालैंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल	759.74
3.	बिहार (उत्तर)	824.12
4.	बिहार (दक्षिण)	811.35*
5.	गुजरात (दक्षिण)	668.74
6.	गुजरात (सौराष्ट्र)	711.36
7.	हरियाणा	762.35
8.	कर्नाटक	713.08
9.	केरल, गोवा और तटीय कर्नाटक	776.27
10.	मध्य प्रदेश	828.33
11.	महाराष्ट्र (दक्षिण)	712.62
12.	महाराष्ट्र (उत्तर)	781.89
13.	महाराष्ट्र (मध्य)	716.77
14.	पंजाब	755.03
15.	राजस्थान	916.54
16.	तमिलनाडु और पांडिचेरी	731.84**
17.	उत्तर प्रदेश (मध्य)	784.81
18.	उत्तर प्रदेश (पूर्वी)	823.47
19.	उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	779.69

* चीनी मौसम 1992-93 के लिए 1993-94 मौसम के दौरान कोई पेराई नहीं की गई।

** 1992-93 चीनी मौसम के लिए। तमिलनाडु सरकार से सही सूचना प्राप्त करने के लिए 1993-94 यूनिट लागत की निर्धारण नहीं किया जा सका।

वैकल्पिक रसोई ईंधन

2811. श्री बलराज पासी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों द्वारा रसोई ईंधन के रूप में उपयोग हेतु बड़े पैमाने की कटाई की जा रही है;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस बड़े पैमाने पर वनों की कटाई से अत्यधिक भू-स्खलन हो रहा है और परिणामस्वरूप बाढ़ें आ रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का ईंधन हेतु बहुमूल्य पेड़ों की कटाई रोकने पर इनकी सुरक्षा हेतु लोगों को कौन सा वैकल्पिक रसोई ईंधन उपलब्ध कराने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). ग्रामीणों द्वारा खाना पकाने के लिए अधिकांशतः सूखी और गिरी हुई लकड़ियां एकत्रित की जाती हैं। इन गतिविधियों से व्यापक मान पर वननाशन नहीं होता है। इसलिए भू-स्खलन और उसके परिणामस्वरूप बाढ़ आने को ही ईंधन की लकड़ी की निकासी के लिए पूर्णतः जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(ग) ईंधन के लिए काटी जा रही बहुमूल्य लकड़ी को बचाने के लिए राज्य सरकार जैव-गैस संयंत्रों, ईंधन की बचत वाले चूल्हों और स्टोवों के उपयोग को विशेषकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में लोकप्रिय बना रही है और जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक एल.पी.जी. और मिट्टी के तेल की आपूर्ति कर रही है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालय

2812. श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री बी.एल. शर्मा प्रेम :
डा. गुणवन्त रामभाऊ सरोदे :
श्री देवी बक्स सिंह :
श्री केशरी लाल :
डा. अमृत लाल कालिदास पटेल :
श्री प्रेम चन्द राम :
श्री सुरेशानन्द स्वामी :
श्री उदयसिंहराव गायकवाड़ :
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्यों से वर्ष 1995-96 के दौरान और केन्द्रीय विद्यालय कब खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी, राज्य-वार ब्यौरा क्या है और ये विद्यालय कब तक खोले जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). जी, हां।

केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों तथा वर्ष 1995-96 के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जिन पर विचार किया गया, उन्हें दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर निम्नलिखित 10 नए केन्द्रीय विद्यालय खोले हैं :

1. न्यूक्लियर फ्यूल काम्पलेक्स नगर, जिला रंगारेड्डी (हैदराबाद) आंध्र प्रदेश।
2. रोहतक, हरियाणा।
3. कोशीकोडे, केरल।
4. सियोनी मालवा, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश।
5. मुरैना, मध्य प्रदेश।
6. सिंधी, मध्य प्रदेश।
7. अंजुल, उड़ीसा
8. झालावार, राजस्थान
9. अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
10. बरहामपुर, जिला मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल

विवरण

केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की सूची

आंध्र प्रदेश

एन.एफ.सी. नगर, रंगारेड्डी

असम

डिबरूगढ़

बिहार

1. जहानाबाद
2. सहरसा
3. साहेबगंज

गुजरात

गोधरा, पंचमहल

हरियाणा

1. बल्लभगढ़
2. रोहतक

हिमाचल प्रदेश

1. नादौन
2. नुरपुर
3. घेरविन, बरसांद
4. कांगड़ा
5. ऊना
6. मदनपुर, बसोली, जिला ऊना
7. मोहन जिला, कुल्लु
8. रामपुर, जिला शिमला
9. शिल्लारू, जिला शिमला
10. इन्दौरा जिला कांगड़ा

केरल

1. कोझी-कोडे नं. II
2. चन्गानाचेरी, जिला कोट्टायम
3. किलोन

मध्य प्रदेश

1. सियोनी मालवा
2. सीधी
3. मुरैना
4. नरसिंहगढ़
5. ग्राम वैसी एवं ग्राम हाती, जिला राजगढ़

6. उमरिया, शाहडौल
7. भिंड
8. मंदसौर

उड़ीसा

1. अंजुल
2. बरबिली कियोझार
3. बारागढ़
4. भवानी पटना, जिला कालाहाण्डी

राजस्थान

1. डूंगरपुर, जिला बांसवाड़ा
2. बहरोड, जिला अलवर
3. झालावार
4. विद्याधर नगर, जयपुर
5. प्रतापनगर, जयपुर
6. बरन

उत्तर प्रदेश

1. भीमताल, नैनीताल
2. मेरठी दिदिहाट, पिथौरागढ़
3. छोला/सराय छबीला, बुलन्दशहर
4. नबागेश्वर, अल्मोड़ा
5. गोरखपुर
6. अकबरपुर
7. एटा
8. अलीगढ़
9. लोनी, जिला गाजियाबाद
10. बाराबंकी

पश्चिम बंगाल

बेहरामपुर जिला मुर्शिदाबाद

विश्व महिला सम्मेलन

2813. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995 के दौरान बेइजिंग (चीन) में होने वाले "विश्व महिला सम्मेलन" में भाग लेने के लिए देश की कितनी महिलाओं का चयन किया गया है;

(ख) महिलाओं के चयन के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है; और

(ग) इस पर कितना व्यय होगा और इसके परिणामस्वरूप देश को क्या लाभ होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवा राजेश्वरी) : (क) चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के लिये सरकारी प्रतिनिधि मण्डल को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अनुकंपा के आधार पर रोजगार

2814. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अनुकंपा के आधार पर जोन-वार कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई तथा ऐसे कितने मामले अभी तक लंबित हैं;

(ख) जोन-वार लम्बित पड़े मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसंधान कार्य

2815. श्री आनंद रत्न मौर्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में शोध वृत्ति पाने अथवा न पाने वाले शोध छात्रों के पालनार्थ कुछ मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालयों में बिना छात्रवृत्ति के शोध कार्य करने के लिए शोध छात्रों के नामांकन की कार्य पद्धतियां, विश्वविद्यालयों द्वारा स्वयं निर्धारित की जाती हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्/एन.ई.टी./अथवा जी.ए.टी.ई. परीक्षा के आधार पर तथा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा राष्ट्रीय महत्व की संस्था में एम फिल./पी-एच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश लेने पर जूनियर शोध अध्येतावृत्ति के लिए पात्र घोषित किये गये अभ्यर्थी जूनियर शोध अध्येतावृत्ति के पात्र समझे जायेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मुख्य शोध परियोजनाएं शुरू करने के लिए अपनी विभिन्न शोध योजनाओं में जूनियर शोध अध्येताओं के कुछ स्थान प्रदान करता है। एन.ई.टी./जी.ए.टी.ई. उत्तीर्ण जूनियर शोध अध्येताओं को वि.अ.आ. द्वारा निर्धारित अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। जूनियर शोध अध्येताओं को संतोषजनक कार्य करने पर तृतीय वर्ष में बढ़ी हुई अध्येतावृत्ति मिलती है तथा विश्वविद्यालय की सिफारिश पर पांचवे वर्ष के लिए अवधि भी बढ़ा दी जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बालिका शिक्षा

2816. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम मंत्रालय ने देश में बीड़ी कामगारों की प्रत्येक बालिका को पोस्ट प्राइमरी शिक्षा योजना के भाग लेने के लिए प्रति दिन एक रुपया देने की प्रोत्साहन योजना तैयार की है;

(ख) क्या विद्यालयों में बालिकाओं का अधिक संख्या में आना सुनिश्चित करने के लिए अन्य योजनाएं भी पहले से ही चल रही हैं;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने देश में लड़कियों को बड़े पैमाने पर शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहन देने संबंधी इस मामले को राज्य सरकारों के साथ भी उठाया है; और

(घ) सरकार ने अब तक कितनी योजनाएं तैयार की हैं और उनमें से कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी सैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के शुरू होने के पश्चात्, राज्यों और केन्द्रीय सरकार दोनों ने स्कूलों में लड़कियों की अधिक संख्या में भागीदारी के लिये सभी प्रकार के कार्यक्रम शुरू किये। राज्य योजनाओं में उपलब्ध निधियों से राज्य सरकारों और संघशासित प्रशासनों द्वारा लड़कियों को मुफ्त वर्दी देने, मुफ्त मध्याह्न भोजन, मुफ्त पाठ्यपुस्तकें प्रदान करने और उपस्थिति छात्रवृत्तियां जैसे आर्थिक पहलुओं के विभिन्न प्रोत्साहन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। शैक्षिक विषयों और प्रक्रिया में सुधार करने के क्षेत्र में केन्द्रीय स्तर पर कार्य शुरू किए गए थे और आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना, स्कूल बीच में ही छोड़ देने वालों के लिए अनौपचारिक शिक्षा को सुदृढ़ करना और पुनर्गठित करना, शिक्षक शिक्षा को पुनर्गठित करना और उसकी पुनर्संरचना करना, और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा मौलिक पाठ्यक्रम का विकास करना शामिल है।

गुजरात में मछली/झींगी उत्पादन

2817. श्री शंकरसिंह वाघेला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान गुजरात में अब तक मछली/झींगी का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्य के अंदर तथा बाहर घरेलू खपत हेतु मछली/झींगी का कितनी मात्रा में विक्रय किया गया; और

(ग) इस अवधि के दौरान राज्य से मछली/झींगी का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) 1993-94, 1994-95 के दौरान तथा अब तक गुजरात राज्य में उत्पादन की गई मछली/झींगी की मात्रा इस प्रकार है :—

वर्ष	(मीटरी टन में) मछली/झींगी का उत्पादन
1993-94	684855 (46825)
1994-95	715361 (81256)
1995-96 (अनन्तिम) (जून, 95 तक)	120000 (9500)

* कोष्ठक में दिये गये आंकड़े झींगी उत्पादन को दर्शाते हैं।

(ख) उक्त अवधि के दौरान घरेलू खपत के लिए राज्य में तथा राज्य के बाहर बिक्री की गई मछली/झींगी की मात्रा इस प्रकार है :

वर्ष	घरेलू खपत के लिए राज्य में ही की जाने वाली बिक्री	(मी.टन में) घरेलू खपत के लिए राज्य के बाहर की जाने वाली बिक्री
1993-94	339030	[illegible]5928
1994-95	304898	333634
1995-96 (अनन्तिम) (जून, 95 तक)	66000	38321

(ग) उक्त अवधि के दौरान गुजरात राज्य से निर्यात की गई मछली/झींगी की मात्रा और अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	मछली/झींगी का निर्यात (मी. टन में)	मूल्य करोड़ रुपये में
1993-94	59897	274.64
1994-95	76829	363.07
1995-96 (जून, 95 तक)	15679	86.14

[हिन्दी]

भूस्वामियों को मुआवजा

2818. श्री राम टहल चौधरी :
श्री राम कृपाल यादव :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन भूस्वामियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया है जिनकी भूमि अधिगृहीत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे मामलों का जोन-वार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). रेल परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य, राज्य सरकारों के अतंर्गत भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। भूमि अधिग्रहण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि, रेलवे द्वारा एकमुश्त रूप से तत्काल उनके पास जमा करा दी जाती है। चूंकि मुआवजे का वास्तविक संवितरण राज्य सरकार प्राधिकरणों द्वारा किया जाता है, मुआवजे का भुगतान न किए जाने से संबंधित सूचना रेलों के पास उपलब्ध नहीं है।

पेयजल सुविधा

2819. श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के अंतर्गत मुम्बई के रेलवे स्टेशनों पर पेयजल या तो उपलब्ध नहीं है अथवा यदि वहां पेयजल उपलब्ध है तो उस स्थान का उचित प्रकार से रखरखाव नहीं किया जाता है;

(ख) क्या मुम्बई के प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर शीतल पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). बंबई क्षेत्र में स्थित सभी रेलवे स्टेशनों पर शीतल पेयजल की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय बीज निगम

2820. डा. आर. मल्लू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय बीज निगम के कुछ कार्यकलापों के विरोध में आंध्र प्रदेश के कतिपय जिलों के किसानों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों के निपटारे हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). ऊपर उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू

2821. श्री हरिन पाठक :
श्री एस.एम. लालजान बाशा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् और इससे संबद्ध निकायों ने गैट समझौता लागू होने के पश्चात् कृषि उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में तम्बाकू की भावी संभावनाओं के बारे में क्या योजनाएं बनाई हैं;

(ख) क्या तम्बाकू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कम लागत का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ उठाने की भारी संभावनाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो गैट समझौता लागू होने के पश्चात् तम्बाकू की संभावनाओं का पता लगाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने क्या सुझाव दिए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा इससे संबद्ध निकाय निर्यात योग्य तम्बाकू के लिए उपयुक्त किस्मों तथा उत्पादन प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा गैट अवधि के पश्चात कृषि परिप्रेक्ष्य से लाभ उठाने के लिए योजना बना रहे हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) गैट स्थितियों के बाद निर्यात क्षमता के उपयोग हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

(i) खुशबू तथा कम खुशबू वाले अच्छी किस्म की सिगरेट वाले तम्बाकू के विकास पर जोर देना।

(ii) कम तारकोल (टार) तत्व वाली तथा उच्च गुणवत्ता वाली सिगरेट के तम्बाकू का विकास।

(iii) निकोटिन सल्फेट, सोलानिसोल, पत्ती, प्रोटीन आदि जैसी औषधीय तथा औद्योगिक उपयोग वाले कीमती रसायनों के विकास पर अनुसंधान।

खेल कूद विद्यालय और महाविद्यालय

2822. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में खेलकूद के विद्यालय और महाविद्यालय खोलने के लिए स्वीकृति और वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु गुजरात सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस उद्देश्यार्थ निर्धारित वास्तविक धनराशि कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

सांस्कृतिक योजनाएं

2823. श्रीमती शीला गौतम :
श्री राजवीर सिंह :
डा. के.वी.आर. चौधरी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसी सांस्कृतिक योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनमें धर्मार्थ स्वयंसेवी संगठन भाग ले रहे हैं;

(ख) इन योजनाओं के लिए गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बजट में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई और इस अवधि के दौरान वास्तव में कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए क्या तरीका अपनाया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

गोवा में पर्यावरण संबंधी योजनाएं

2824. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पर्यावरण में सुधार और वनों के विकास के लिए गोवा में पूरी की गई इस समय चल रही केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित/सहायता प्रदत्त योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; विलम्ब/धीमी प्रगति यदि कोई हो, के योजना-वार कारण क्या हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष योजना-वार अनुमोदित परिव्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या योजनाओं की प्रगति की आलोचनात्मक समीक्षा/मूल्यांकन/आंकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग). गोवा में पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यावरण के सुधार और वनों के विकास के लिए कार्यान्वित स्कीमों तथा उनकी भौतिक और वित्तीय उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ). इन स्कीमों में एक अन्तः निर्मित निगरानी और मूल्यांकन घटक है। इन स्कीमों की प्रगति की लगातार निगरानी की जाती है।

विवरण

(लाखों रुपयों में)

क्र. सं.	स्कीम का नाम	मुख्य उद्देश्य	स्थिति	निधिकरण की मात्रा	गत तीन वर्षों, 1992-93, 93-94 और 94-95 के दौरान उपलब्धि				
					भौतिक		वित्तीय		
					लक्ष्य	उपलब्धि	92-93	93-94	94-95
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	पर्यावरण वाहिनी स्कीम	जनता की सक्रिय भागीदारी से पर्यावरणीय जागरूकता पैदा करना।	जारी	100%	2 जिलों में पर्यावरणीय वाहिनियां गठित	2 जिलों में गठित	0.27	0.88	—
2.	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	औषधीय पौधों सहित लघु वन उत्पाद	जारी	100%	350 है. क्षेत्र	350 है. क्षेत्र शामिल	2.13	7.00	7.50
3.	क्षेत्रोन्मुख ईंधन की लकड़ी और चारा परियोजना	ईंधन की कमी वाले अभि-निर्धारित जिलों में ईंधन की लकड़ी और चारे की आपूर्ति बढ़ाना।	जारी	50%	542 है.क्षेत्र	542 है. क्षेत्र शामिल	5.32	6.15	6.26
4.	समेकित वनीकरण और पारिविकास स्कीम	वनीकरण पारि-विकास को बढ़ावा देना	जारी	100%	3550 है. क्षेत्र	3670 है. क्षेत्र शामिल	14.87	7.88	8.79
5.	बीज विकास स्कीम	गुणवत्ता बीजों के लिए आधार-भूत ढांचा तैयार करना	जारी	100%	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में निर्धारित		7.00	—	—
6.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	जारी	100%	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में निर्धारित		12.50	14.48	14.30
7.	कच्छ वनस्पतियों का संरक्षण	कच्छ वनस्पतियों का संरक्षण और प्रबंध	जारी	100%	लक्ष्य वित्तीय बंटनों के रूप में निर्धारित		5.00	4.80	5.55
8.	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण स्कीम	चिड़ियाघरों का दर्जा बढ़ाना	जारी	100%	I चिड़ियाघर	II चिड़ियाघर शामिल	3.00	—	

उड़ीसा में पर्यटन विकास परियोजनाएं

2825. श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ पर्यटन विकास परियोजनाएं पर्यावरण संबंधी स्वीकृति हेतु लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनके लम्बित होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). उड़ीसा में पर्यटन विकास की कोई परियोजना पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए लंबित नहीं है। तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत उड़ीसा के पुरी जिले के पुरी और कोणार्क समुद्र तट में होटलों के निर्माण हेतु 233 है. वन भूमि के अंतरण के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) पुरी जिले में वन भूमि के अंतरण के लिए उक्त प्रस्ताव पर शीघ्र निर्णय लिए जाने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

रेल पास

2826. श्री लाल बाबू राय :
श्री छेदी पासवान :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान और आज तक भूतपूर्व सांसदों सहित विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को श्रेणीवार कितने मुफ्त रेल पास जारी किए गए; और

(ख) प्रत्येक श्रेणी में ऐसे पासधारी व्यक्तियों और संगठनों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 01.04.94 से 31.7.95 तक जारी किए गए मुफ्त रेल पासों की संख्या इस प्रकार है :—

1. व्यक्तिगत/संस्थागत

प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी
265	14

2. भूतपूर्व सांसद

प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी
1356	कोई नहीं

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) 01.04.94 और 31.07.95 के बीच रेल मंत्रालय द्वारा जारी/नवीकरण किए गए मानार्थ कार्ड पासों का विवरण इस प्रकार है :—

क्र.सं.	नाम (श्री/श्रीमती)	पता	पास की श्रेणी
1	2	3	4
1.	केशव एच. कुलकर्णी	21-ए चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
2.	निर्मला देशपांडे	गांधी आश्रम, किंगसवे कैम्प, दिल्ली	प्रथम श्रेणी
3.	मनोज त्यागी		द्वितीय श्रेणी
4.	सुशीला नायर	कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसायटी, वर्धा	प्रथम श्रेणी
5.	लोकपति त्रिपति	20, मीना बाग, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
6.	पी.ए. रेड्डी	भारत सेवादल, कुमार करूपा रोड, बेंगलूरू	प्रथम श्रेणी
7.	कमला त्यागी	ए-213, पंडारा रोड, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
8.	जगदीश नारायन	बी-1/18, शतारका हाउसिंग सोसायटी, अंधेरी, बम्बई	प्रथम श्रेणी
9.	एम.जी. सैयद भाई	12, बम्बई रोड, पुणे-411003	प्रथम श्रेणी
10.	वी.वी. रमन	ए-31, इंद्रपुरी, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
11.	जीवा नंद झा	ई-315, जी.के.-II नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
12.	इंदु भूषण गोस्वामी	मनसा मंदिर, ब्रह्मा कुंड, वृंदावन	प्रथम श्रेणी
13.	राधिका रमण बलान	बिहार-जर्नल्स बिल्डिंग-बुद्धा मार्ग, पटना	प्रथम श्रेणी
14.	मोहिना किदवई	21, डा. बिशंबर दास मार्ग, नई दिल्ली।	प्रथम श्रेणी
15.	रमेश कालिया	कश्मीरी मोहल्ला, चम्बा (मध्य प्रदेश)-176310	प्रथम श्रेणी
16.	मधु दंडवते	42, मीना बाग, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
17.	आर.एम. सेलम	42, नैनी अप्पार स्ट्रीट मद्रास-600001	प्रथम श्रेणी
18.	हरूम रशीद	17.17 एम, कोवास जी पटेल स्ट्रीट, फोर्ट, बम्बई-400001	प्रथम श्रेणी
19.	रेहन असीफ सिद्दीकी	337/सी/47, बाटला आउस ओखला, नई दिल्ली-110025	प्रथम श्रेणी
20.	डी. सुन्द्रावी	मार्फत सम्ये आश्रम बुद्ध गया, बिहार	प्रथम श्रेणी
21.	सुन्दर लाल बहुगुणा	चिपको सूचना केन्द्र, सिलयाड़ा टेहरी-249001	प्रथम श्रेणी
22.	राजायोगीन्द्रा वीरीह	स्वामी, शास्त्री मठ गुरूजी	प्रथम श्रेणी
23.	ब्रह्मचारी सुबुदानंद	जगद्गुरू शंकराचार्य ज्योतिषपीठ, बारकापीठ	प्रथम श्रेणी
24.	विजय नारायण	एल-33, प्रेम चंद नगर प्रदरपुर, वाराणसी	प्रथम श्रेणी
25.	डी.के. पाठक	21, इरगू रोड, हिल साऊथ, रांची-I	प्रथम श्रेणी

1	2	3	4
26.	राजीव कुमार	31, आर.एस. बिल्डिंग, आर.ए. रोड, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
27.	एच.एच.एन. सरस्वती	गोवर्द्धन पीठ पूरी	प्रथम श्रेणी
28.	बी.आर. गौरी शंकर	श्री श्रीनगरी मठ श्री नगरी-577139	प्रथम श्रेणी
29.	भारत कुमार मकवाना	अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद, एफ-128/4, मोहम्मद पुर आर.के. पुरम, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
30.	हीरा लाल पीप्पल	अखिल भारत अनुसूचित जाति परिषद, एफ-128/4, मोह.पुरा आर.के.पुरम, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
31.	निर्मला भागेय	19बी.डी.मार्ग, नई दिल्ली-I	प्रथम श्रेणी
32.	रिशाद कमल किदवई	पी.ओ.मगौली, जिला-बाराबंकी (यू.पी.)	प्रथम श्रेणी
33.	पी.सी. सेठी	डी. जेड, आगरा बम्बई रोड इन्दौर (म.प्र.)	प्रथम श्रेणी
34.	दीपा कौल	यू.पी.पी.सी.सी. (एफ) 16, गोखलामार्ग, लखनऊ	प्रथम श्रेणी
35.	एच.एच.एस.एन. भारती	श्री श्रीनगरी निलामऊ समस्थानम, पो.आ. सिद्दापुर तालुक, उत्तरी कनाड़ा जिला	
36.	जॉर्ज फर्नांडिज	3, कृष्णा मेनन मार्ग, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
37.	शशि शर्मा	राष्ट्रीय महिला संस्थान, 16-बी इन्दरा नगर, लखनऊ	प्रथम श्रेणी
38.	के.सी. लेंका	194, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
39.	लल्लन प्रसाद व्यास	विश्व साहित्य संस्कृति संस्थान, सी-13, एल प्रेस एनक्लेन, साकेत, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
40.	पी. खलाल		द्वितीय श्रेणी
41.	अक्कल	कैमरा सहायक	द्वितीय श्रेणी
42.	के.एन. वेंकटेश	कुक हाई मीटिक	द्वितीय श्रेणी
43.	हफीज एस.मोह.	17-II क्रास मुर रोड, बेंगलूरू-5	प्रथम श्रेणी
44.	मजर अली		
44.	दर्शन सिंह यादव	केन्द्रीय समाज सेवा समिति (यू.पी.)	प्रथम श्रेणी
45.	मंगी लाल आर्य	अखिल भारतीय सरकारी मजदूर कांग्रेस, 16, अशोका रोड नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
46.	आर.एस. विष्णाइल	अखिल भारतीय ग्रामीण विकास परिषद, 1215, बहादुर गढ़ रोड, सदर बाजार नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
47.	सुरेश बहादुर सिंह	गांव हलदापुर, जिला मऊ (यू.पी.)	प्रथम श्रेणी
48.	सेखान	हाई मैट्रिक	द्वितीय श्रेणी
49.	शिश कुमार	कैमरा सहायक मै. हाई मैट्रिक टेली फिल्म स्टूडियों, बेगलूरू	प्रथम श्रेणी
50.	ताजामूर्ति	लाइट सहायक मै. हाई मैटिक टेली-फिल्म स्टूडियों, बेंगलूरू	प्रथम श्रेणी
51.	हरेन्द्र नाथ प्रसाद	समुदाय भवन रोज गार्डन, वैरिंग रोड पटना-800001	प्रथम श्रेणी
52.	सरला कुमारी	ई-768 माखन सिंह ब्लाक, एशियाड गांव एम.डी. 49	प्रथम श्रेणी
53.	मोह. जमन आरीफ	आरीफ मंजिल, विकानेर	प्रथम श्रेणी
54.	देवेन्द्र पांडेय	61, रायल होटल, लखनऊ	प्रथम श्रेणी
55.	अवधेश सिंह	निवास वाराणसी (यू.पी.)	प्रथम श्रेणी
56.	रमेश शर्मा	आचार्यकुल आश्रम पौनार, वर्धा	प्रथम श्रेणी
57.	शरद कुमार साधक	आचार्यकुल आश्रम, पौनार, वर्धा	प्रथम श्रेणी
58.	अनुभूषण भारद्वाज	आचार्यकुल आश्रम, पौनार, वर्धा	प्रथम श्रेणी

1	2	3	4
59.	विमल मल्होत्रा	बी/25, सर्वोदय नगर, कानपुर, (यू.पी.)	प्रथम श्रेणी
60.	जाफर इकबाल	1-ए कालोनी, बंसत बिहार, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
61.	जे.एम. चिंचलकर	आचार्यकुल आश्रम, पौनार आश्रम, वर्धा	प्रथम श्रेणी
62.	कामेश्वरी मिश्रा	15 ए बी, तिलक ब्रिज, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
63.	जी. वैद्यनाथन	199 ए, सैंट मेरी रोड, मद्रास	प्रथम श्रेणी
64.	खालिक अंजुम	उर्दू नगर, राऊज एवेन्यू, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
65.	माधव राव सिंधिया	27, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली-II	प्रथम श्रेणी
66.	मौलाना कारी मोतिद	सिद्दीक बंडवी मार्फत 1508, जमायत बिल्डिंग कासिमजसत्, बल्लीमारान दिल्ली-6	प्रथम श्रेणी
67.	सुफी बाबा मंलग	5, मौलाना आजाद मार्ग, उज्जैन म.प्र.	प्रथम श्रेणी
68.	अवंतिका ओकन	मार्फत राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
69.	जे.एन. कश्यज	7/50 लाजपत नगर-II, नई दिल्ली-24	प्रथम श्रेणी
70.	महावीर प्रसाद	साउथ एवेन्यु, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
71.	विमला फारूकी	1002, अंसल भवन, 16 के.जी. मार्ग नई दिल्ली-I	प्रथम श्रेणी
72.	तारा रेड्डी	-वही-	—
73.	पी. शोभा पांडित	आल इंडिया मध्य निषेद परिषद 49/टी आई एरिया नई दिल्ली-62	प्रथम श्रेणी
74.	रवि नारायण	एफ-13 साउथ एक्स-पार्ट-I, नई दिल्ली-49	प्रथम श्रेणी
75.	एस.एन. सुब्बाराव	निदेशक, राष्ट्रीय युवक परियोजना, 221, डी.डी.यू. मार्ग, नई दिल्ली।	प्रथम श्रेणी
76.	पी.वी. राजगोपाल	गांधी पीस फाउंडेशन, 221-223, डी.डी.यू. मार्ग, नई दिल्ली।	प्रथम श्रेणी
77.	भक्त चरण दास	54, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली।	प्रथम श्रेणी
78.	नवीन भाई शाह	ए 128, पाकेट-बी, मयूर बिहार फेज-II, दिल्ली-110091	प्रथम श्रेणी
79.	स्वामी हरीनारायनद	अखिल भारतीय साधु समाज, मुख्यालय-22, एस.पी. मार्ग, नई दिल्ली-21	प्रथम श्रेणी
80.	डा. संतोष गोइंदी	के.जी. नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, कस्तूरबा नगर, इंदौर (म.प्र.)	प्रथम श्रेणी
81.	श्रीमती मनोरमा	221,दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
82.	आभा बहन गांधी	कस्तूरबा आश्रम, पी.ओ. कस्तूरबाधाम	प्रथम श्रेणी
83.	राम सिंह परमार	221, डी.डी.यू. मार्ग, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
84.	एम.एस. बिट्टा	5, रायसीना रोड, नई दिल्ली-I	प्रथम श्रेणी
85.	टू ब्रदर्स ऑफ मिशनरीज चेरिटी	54-ए-ए.जे.सी.बोस रोड, कलकत्ता-16	द्वितीय श्रेणी
86.	अहमद अली कासमी	435, मोतिया महल, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
87.	जे.पी. गोदकड़ी	प्रेसिडेंट कर्नाटका एशोसियेशन ऑफ एम एंड पी हैंडीकेप्ड, बैंगलूरू	प्रथम श्रेणी
88.	जमील अहमद एलयासी	मस्जिद कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
89.	* 4 ऑफिस-बीयरर्स ऑफ रामा कृष्णा मिशन	फोर-ऑफिस बीयरर्स ऑफ राम कृष्णामिशन	प्रथम श्रेणी
90.	* 3 ऑफिस बीयरर्स ऑफ एम.जी. आई. ऑफ एम.साइंस।	महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस	प्रथम श्रेणी
91.	हरी कृष्ण गोस्वामी	47-जयहिंद सोसायटी, II नार्थ साउथ रोड, जुहू-पार्ले, बम्बई-400056	प्रथम श्रेणी

1	2	3	4
92.	एच.आर. ईश्वर जोइस	नं. 962, 9 वां क्रास, 25 वां मुख्य श्रीनगर, बैंगलूरू–50	प्रथम श्रेणी
93.	बूटा सिंह	16, अशोका रोड, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
94.	बी. लालके गोवड़ा	28 के एच/बी एम एस बिल्डिंग, 18 वां क्रास, 21 वां मुख्य विजय नगर, बैंगलूरू	प्रथम श्रेणी
95.	उमेश शर्मा	पी.ओ. खरसिया, जिला रायपुर	द्वितीय श्रेणी
96.	एम.एस. निजागुली	91, हॉस्पेट, पी.ओ., रामदुर्ग, जिला बेलगांव, कर्नाटका	प्रथम श्रेणी
97.	डी.एन. बनर्जी	किंग्जवे कैंप, दिल्ली–9	प्रथम श्रेणी
98.	केदार प्रसाद मंडल	जगत नारायण रोड, कदन कुंवर, पटना	प्रथम श्रेणी
99.	रमेश भाई	सर्वोदया आश्रम 8, खगेश्वर पुरवा, हरदोई (यू.पी.)	प्रथम श्रेणी
100.	लल्लन प्रसाद व्यास	सी–13, प्रेस इनक्लेव, साकेत, नई दिल्ली–17	प्रथम श्रेणी
101.	* केदार नाथ मिश्र * सी.एच. गंगराज * लूसी बरूचा * मधु सूदन दास	221, डी.डी.यू. मार्ग दिल्ली–2	प्रथम श्रेणी
102.	मनमोहन चौधरी	निवास नं. 8, बाकहरबाद, निकट सन साइन फिल्ड कटक (उड़ीसा)	प्रथम श्रेणी
103.	वेंकटेश्वर एन.के.	10, दूसरा मुख्य, चौथा क्रास, विजय नगर, दूसरा स्टेज, बैंगलूरू–560040	प्रथम श्रेणी
104.	काला बाबा	127, काला बाबा आश्रम, गोविंद नगर, कानपुर	प्रथम श्रेणी
105.	3 ऑफिस बीयरस ऑफ कस्तूरबा हैल्थ सोसायटी	कस्तूरबा हैल्थ सोसायटी, संग्राम, वर्धा–442102	प्रथम श्रेणी
106.	एस.पी. राणा	बाबा साहिब अम्बेडकर मेमोरियल ट्रस्ट, मार्फत II–ए, अशोका रोड, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
107.	एस.पी. सिंह	कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सिविल लाइन्स, सुल्तानपुर (यू.पी.)	प्रथम श्रेणी
108.	ए.के. सिंह	कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, सिविल लाइन्स, सुल्तान सुल्तानपुर (यू.पी.)	प्रथम श्रेणी
109.	3 ऑफिस बीयर्स ऑफ एल.बी.एस. सेवा निकेतन	लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन	प्रथम श्रेणी
110.	पंडित रमन त्रिवेदी	श्री महाकाल मंदिर, 77, साइगुर चौक, उज्जैन	प्रथम श्रेणी
111.	जनेश्वर मिश्र	प्रथम श्रेणी	
112.	* धर्मा बबल दास * ईश्वर चरण दास * संत चरन दास * भगवान भगत	8, गुजरात विहार, विकास मार्ग, नई दिल्ली–110092	प्रथम श्रेणी
113.	अजय सिंह	64–पूर्वी मार्ग, बसंत बिहार, नई दिल्ली–57	प्रथम श्रेणी
114.	दिवान एस.जेड.ए. अली खान	दिवान दरगाह, अजमेर, कुदीम हवेली दिवान साहिब, दरगाह बाजार, अजमेर (राजस्थान)	प्रथम श्रेणी
115.	दर्शन सिंह यादव	सचिव, केन्द्रीय समाज सेवा समिति (यू.पी.)	प्रथम श्रेणी
116.	बी.वी. ईश्वरन	सी–11/75, शाहजहां रोड, नई दिल्ली–11	प्रथम श्रेणी
117.	बाखेर हुसैन	गेट नं. 6114, एम स्ट्रीट	द्वितीय श्रेणी
118.	हाफीज सैयद मोह. मजहर	17, दूसरा रोड, फरासर, फरासर टाउन, बैंगलूरू–560005	प्रथम श्रेणी

1	2	3	4
119.	मधु लिमये	बी/11, पंडारा रोड, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
120.	चम्पा लिमये	बी/11, पंडारा रोड, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
121.	सरला कुमारी	ई 768/माखन सिंह ब्लॉक, एशियाड गांव, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
122.	मौलाना मोह. कासिम	पेरियामत, मद्रास-600010	प्रथम श्रेणी
123.	काजी अब्दुल हामीद	1, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-3	प्रथम श्रेणी
124.	किशोर कुमार झा	गांव एवं पी.ओ. गढ़बाड़, जिला मधुबनी, बिहार	प्रथम श्रेणी
125.	उस्मान एम.अश्मी	फोयनिक्स, 4/1713, बेक रोड, अलीगढ़-202001	प्रथम श्रेणी
126.	सैयद फिदा अली	फोटो-जर्नलिस्ट, 154, नई मस्जिद, हौजखास, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
127.	मौलाना अंजर शाह	बैतुल हिकमत, -247554 (यू.पी.)	प्रथम श्रेणी
128.	सुनील शास्त्री	1, मोती लाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
129.	टी.आर. रामाकृष्णा	राजभवन, पी.ओ. चित्तार, जिला पथनमथिट्टा, केरल।	प्रथम श्रेणी
130.	कनिज फातेमा	एच.एन. 193, जाकीर बाग, नई दिल्ली-25	प्रथम श्रेणी
131.	यू.एन. विद्यार्थी	चेयर मैन ऑफ बिहार टी.वी. एशोसियेशन, पटना।	प्रथम श्रेणी
132.	के नटराजन	डी-11-51, काका नगर, नई दिल्ली।	प्रथम श्रेणी
133.	जी. मुनी रतनम	8, ओल्ड हजूर ऑफिस तिम्पति (ए.पी.)	प्रथम श्रेणी
134.	द्वारका सुन्द्राणी	ससुम्बे आश्रम, बोध गया, जिला गया, बिहार।	प्रथम श्रेणी
135.	डा. पी. पेनुनसाला	इंटीग्रेटिड, कम्युनिटी डेवलपमेंट सोसायटी, राजनपेट, जिला कुड्डापाह (ए.पी.)	प्रथम श्रेणी
136.	डा. एम.सी. मोदी	डा.एम.सी. मोदी, ट्रेनिंग फ्री आई हास्पीटल, बैंगलूरू-86 (कर्नाटक)	प्रथम श्रेणी
137.	सैयद मोह. नासीर फाखरी	खानकास-ए-अजनाली डायरा शाह अजमल, इलाहाबाद-211003।	प्रथम श्रेणी
138.	मोह. रफिया वारसी	निहाल गढ़, जगदीशपुर सुल्तानपुर (जिला), यू.पी.	प्रथम श्रेणी
139.	शोभा राजू	अन्नामाचार्य भरना वाहिनी, प्लाट सं. 8-9, जगदीश नगर कालोनी, रसूलपुरा, सिकंदराबाद।	प्रथम श्रेणी
140.	सन्यासिनी योगामूर्ति	करूशना करूपा, 350, पहला तल ब्लाक, जयानगर बैंगलूरू-II।	प्रथम श्रेणी
141.	जे.एन. कश्यप	1-50, लाजपत नगर-II/, नई दिल्ली-24।	प्रथम श्रेणी
142.	एस.डी. आर्य	7, जंतर मंतर रोड, नई दिल्ली।	प्रथम श्रेणी
143.	2 सिस्टर्स ऑफ मिशनरी ऑफ चेरिटी	54/ए, ए.जे.सी. बोस रोड, कलकत्ता-16।	प्रथम श्रेणी
144.	के. मोहम्मद कलिका	महादूम मंजिल 9, थालाई मत्तुई स्ट्रीट, नगर शरीफ तमिलनाडु।	प्रथम श्रेणी
145.	एस. साहाबुद्दीन फौजदार	394-बी, फौजदार स्ट्रीट चन्नापटना-571501।	प्रथम श्रेणी
146.	विमल मेहरोत्रा	डी-25, सर्वोदय नगर, कानपुर (यू.पी.)	प्रथम श्रेणी
147.	दीपक कुमार पाठक	नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सदस्य जे आर यू सी सी, द.पू. रेलवे।	प्रथम श्रेणी
148.	अलामेलु अम्माल	केदार कुटीर, माहेरी खावा बस्ती	प्रथम श्रेणी
149.	सरस्वती अम्माल	प्रहलाद कालोनी, सिविल लाइन बस्ती।	प्रथम श्रेणी
150.	आर.के. शुक्ला	सैक्टर सी.टी./1416 वसंत कुंज, नई दिल्ली।	प्रथम श्रेणी
151.	मुफ्ती अब्दुल आर. खान	जमायत उल्मा-ए-एम पी, भोपाल, एम.पी.	प्रथम श्रेणी
152.	कृपा शंकर सिंह	राम भरोसे निवास, जवाहर नगर, खार (पूर्व) बम्बई-400051	प्रथम श्रेणी

1	2	3	4
153.	एस.ए.आर. खान	4, निसा अपार्टमेंट टोलवाल, टोलवाल, मस्जिद रोड, बुधवाड़ा, भोपाल-462001	
154.	स्वामी स्वरूपनंदा	रामाकृष्णा आश्रम, ग्वालियर, म.प्र.	प्रथम श्रेणी
	स्वामी कुमरानंद	-वही-	
	डा. डी.के.. चक्रावर्ती	-वही-	
155.	स्वामी अनुराकटानंद		प्रथम श्रेणी
156.	स्वामी तपानंदजी	रामाकृष्णा ट्यूबरक्लोसिस संटोरम, रांची, बिहार।	प्रथम श्रेणी
157.	एस.के. बंधोपाध्याय	गांधी स्मारक निधि, राजघाट, नई दिल्ली-2।	प्रथम श्रेणी
158.	चेन्नम्मा हल्लीकाई	बिनोबा आश्रम, पवनार-442211 वर्धा जिला।	प्रथम श्रेणी
159.	डी.एस.वेला	डायरेक्टर ऑफ गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन (जी एम सी एफ) वर्धा।	प्रथम श्रेणी
160.	राजेन्द्र चौधरी	कोटगाम, गाजियाबाद यू.पी.	प्रथम श्रेणी
161.	एम.एस. भटनागर	वाई-टाइप नं. 6-2/162, पेपर मिल, देवलाई।	द्वितीय श्रेणी
162.	सिस्टर मेरी	मगधी रोड, बैंगलूरू-79	प्रथम श्रेणी
163.	एच.एच. स्वामी	नारायण नंद भारती, समास्थानगर पी.ओ. सद्दापुर, तालुक नार्थ कहारा जिला।	प्रथम श्रेणी
164.	फुलजैल अहमद कासमी	मारकाजी जमीमत-उल्मा-ए-हिंदी, पो.बा. नं. 7075, नई दिल्ली-2	प्रथम श्रेणी
165.	मोलाना सदरूद्दीन	पो.बा. नं. 7075, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
166.	ए.एम.टी. रजाखान	राजा नगर मोहल्ला, सन्दाग्राम, बरेली (यू.पी.)	प्रथम श्रेणी
167.	मुजम्मी सिद्दीकी	4854, दर्जिया स्ट्रीट, बाड़ा हिंदू राव दिल्ली-110002।	प्रथम श्रेणी
168.	हफीज मोहम्मद उमर	71/148, शन्तूर फेज, कानपुर	प्रथम श्रेणी
169.	कौशिल्या रॉय	472, डबल स्टोरी, न्यू राजिन्दर नगर नई दिल्ली।	प्रथम श्रेणी
170.	हजाम एस.एम. शैख	नं. 29 मानत नॉर्थ स्ट्रीट, नागौर 611002	
171.	विरेन्द्र कुमार गौड़	मार्फत दिग्विजय सिंह 8-ए, लोधी एस्टेट	प्रथम श्रेणी
172.	निर्बला देशपांडे	गांधी आश्रम, किंग्सवे कैंप, दिल्ली-9	प्रथम श्रेणी
173.	एस.एम. गवास्कर	43-सूर्या अपार्टमेंट वार्ली, बम्बई	प्रथम श्रेणी
174.	कांची कामाकोटी मट का एक प्रतिनिधि	1. सलाई रोड, कांचीपुरम, तमिलनाडु	प्रथम श्रेणी
175.	कांची कामाकोटी मट का एक प्रतिनिधि	1. सलाई रोड, कांचीपुरम, तमिलनाडु	प्रथम श्रेणी
176.	एम.एस. बिड़ला	5,रायसीना रोड, नई दिल्ली-1	प्रथम श्रेणी
177.	बीना दुगल	51/2, शिवाजी मार्ग	प्रथम श्रेणी
178.	हाजी मोहम्मद हासन	जन.सैके. जमीयान उल्मा मस्जिद, भोपाल	प्रथम श्रेणी
179.	परमीला पी. बरूह	1-सी, सागर अपार्टमेंट, 6 तिलक मार्ग, नई दिल्ली-1	
180.	टू सिस्टर्स ऑफ मिशनरीज चेरिटी	12 कमीशनर्स लेन, दिल्ली-54	प्रथम श्रेणी
181.	टूसिस्टर्स ऑफ मिशनरीज चेरिटी	12 कमीशनर्स लेन, दिल्ली-54	प्रथम श्रेणी
182.	काला बाबा	127, काला बाबा आश्रम कुबीनाल नगर कानपुर	प्रथम श्रेणी
183.	गजेन्द्र सिंह	42-43, 4 बी, जवाहर नगर, दिल्ली-7	प्रथम श्रेणी

1	2	3	4
184.	डा. पी.पदमारथी	1एस-25, येरामंजिल कालोनी, हैदराबाद	प्रथम श्रेणी
185.	मोहसिना किदवई	21, डा. विसम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
186.	मधु दंडवते	42, मीना बाग, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।	प्रथम श्रेणी
187.	आर.एम. सलाम	42, मैनीप्पान स्ट्रट, मद्रास-1	
188.	द ऑफिस बीयरर्स ऑफ एन. एफ. ऑफ इंडियन वुमैन	द ऑफिस बीयरर्स ऑफ नेशनल फेड ऑफ इंडियन वुमैन	प्रथम श्रेणी
189.	सन्यासी योगेशरती	350, पहला तल, जयानगर, बेंगलूरू	प्रथम श्रेणी
190.	कासी मोहम्मद ईमान	जामामस्जिद	प्रथम श्रेणी
191.	फरूजुद्दीन शरीफ	निवास 9, अशोका रोड, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
192.	स्वामी श्रीनिवास गिरि		
193.	रेहन आरिफ सिद्दीकी	337, सी/77, बाटलाहोना, ओखला, नई दिल्ली-25।	प्रथम श्रेणी
194.	रंजनी ईश्वर	बनारस्कार्स 1 स्टेज, बेंगलूरू	प्रथम श्रेणी
195.	के. बिक्रम राव	1 एम्-डब्ल्यू जे, 3 विवेकानंद मार्ग बांद्रा बाग, लखनऊ।	प्रथम श्रेणी
196.	सशि शर्मा	16-डी, इंडियन नगर, लखनऊ	प्रथम श्रेणी
197.	ब्रह्मचारी सुबुंधा		प्रथम श्रेणी
198.	नारायन स्वरूप	ब्रह्मचारी ऑफ द्वारका	प्रथम श्रेणी
199.	मसरफ शाहीद	32 नियामतपुर	प्रथम श्रेणी
200.	राजीव कुमार	31, आर एस बिल्डिंग, आर ए रोड नई दिल्ली-7	प्रथम श्रेणी
201.	लोकपति त्रिपाठी	11, राज भवन, लखनऊ	प्रथम श्रेणी
202.	मोहम्मद फुरकी	7, बलवंत राय मेहतालानी, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-1	प्रथम श्रेणी
203.	डा. पी.एस. शंकर	एन.आर. मुरीयल कालेज, जी गुलबर्ग-585105	प्रथम श्रेणी
204.	राजेन्द्र तिवारी	महारपाना, रायपुर	प्रथम श्रेणी
205.	एस. रंगा रेड्डी	बोर्ड ऑफ एन टी सी एंड ऑयल सीड्स वेजीटेबल ऑयल हैदराबाद	प्रथम श्रेणी
206.	जी, भास्करन	19/2, जेमनामल स्ट्रीट	प्रथम श्रेणी
207.	प्रो. आर.के. नायक	जे. 92, एन डी एस ई पी टी.1, नई दिल्ली।	प्रथम श्रेणी
208.	अमर सिंह	बुड़ा निवास, मेवानपुर, जी के पी (यू.पी.)	प्रथम श्रेणी
209.	गोपाल सिंह	ए-1, नीति बाग, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
	विनीता सिंह	-वही-	प्रथम श्रेणी
210.	आद्या प्रसाद अनमेत्ता	सी-12, 426 यमुना विहार, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
211.	मोहम्मद अकबर	मुस्लिम स्ट्रीट, चिन्तूर नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
212.	मो. अनवर हुसैन	मुस्लिम स्ट्रीट, चिन्तूर ए-पी।	प्रथम श्रेणी
213.	परासत कुमार मकवाना		प्रथम श्रेणी
214.	वी. पट्टीरामन	मार्फत श्री कांची कुआकट्टी मुट्ट कांचीपुरम	प्रथम श्रेणी
215.	शकील चन्द्र	31/1248, डी.एन. नगर, अंधेरी (पश्चिम)	प्रथम श्रेणी
216.	दीपा कौल	16 गोखले मार्ग, लखनऊ	प्रथम श्रेणी
217.	रमेश कालिया	कश्मीर महल, चम्पा, एच.पी.	प्रथम श्रेणी

1	2	3	4
218.	दर्शन सिंह यादव	केन्द्रीय समाज सेवा समिति ए-3 चन्द्र विहार, दिल्ली-92	प्रथम श्रेणी
219.	केशव कुलकर्णी	21-ए, नई दिल्ली-53	प्रथम श्रेणी
220.	गोवरी शंकर	श्री शरद पीथम श्री नगरी	प्रथम श्रेणी
221.	मोहम्मद अबूबकर	ए/सी. एस्टेट जनरल सैक्रेटरी, जमीयात उल्मा-ई आंध्रा प्रदेश ए.पी.	प्रथम श्रेणी
222.	मोह. कायकब्ब हमीद	134, बी.सी.लाइन्स मार्किट कैंट, उत्तर प्रदेश	प्रथम श्रेणी
223.	एच.आर. ईश्वर जायस	रिटायर्ड आर्मी मेजर, नं. 962, 9वां क्रास, 25 वां मैन, श्रीनगर बैंगलूरू-560050	प्रथम श्रेणी
224.	ईश्वर चंद्र दास	अहमदाबाद शाहीबाग	प्रथम श्रेणी
	बीशवोर हरिदास	-वही-	प्रथम श्रेणी
225.	धर्म वत्सल दास	शाहीबाग, अहमदाबाद	प्रथम श्रेणी
	मुनी वत्सल दास	-वही-	प्रथम श्रेणी
226.	हबीबा किदवई	526, मटीर महल, जामिया मस्जिद दिल्ली-1100006	प्रथम श्रेणी
227.	गंगा प्रसाद	प्लेट-बी, शंकर मार्किट, नई दिल्ली-1	प्रथम श्रेणी
228.	मंत्री लाल आर्य	16, अशोका रोड, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
229.	एस. इशतीयाक अबीबी	105, ब्लाक-II, पुनम व्यू अपार्टमेंट, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16	प्रथम श्रेणी
230.	जी. ईश्वर	I-I-300/ए/4, अशोक नगर, हैदराबाद-20	प्रथम श्रेणी
231.	दिनेश सिंह	गांव श्री पुर पो.ओ. लोहारखास, जिला भदोई (यू.पी.)	द्वितीय श्रेणी
232.	डा. अवधेश सिंह	सी-19/102, कांशी विद्यापीठ, वाराणसी	प्रथम श्रेणी
233.	जे.डी.सीलम		प्रथम श्रेणी
234.	अर्शदुल क़ादरी	संस्थापक प्रेसिडेंट फैजुल उलूम, जमशेदपुर, बिहार	प्रथम श्रेणी
235.	कामेश्वरी मिश्रा	15 ए बी, तिलक मार्ग नई दिल्ली।	प्रथम श्रेणी
236.	परवीन आजाद	22 कटरा, मीर जहांगीर नरवास लखनऊ	प्रथम श्रेणी
237.	जे.एन. मिश्रा	12, पार्क स्ट्रीट, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
238.	शाहिल परवेल	बी-43 बट्ठा गली नं.1 जामियानगर, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
239.	वेणु माधव	वसारी कालोनी, वारंगल, आ.प्र. 506012	प्रथम श्रेणी
240.	पी.प्रकाश,		
	डा. एल.डी. सोटा	नयी दिल्ली	प्रथम श्रेणी
241.	डा. डी. के. मेहता	एस.पी.बी-इंडिया डा.आर.पी. सेन्टर नयी दिल्ली।	प्रथम श्रेणी
242.	राम लाल जावा	आल इंडिया सफाई कांग्रेस मजदूर संघ, 16, अशोक रोड, नयी दिल्ली-1	प्रथम श्रेणी
243.	वासुदेवराव चांगरे	आल इंडिया सफाई कांग्रेस मजदूर संघ 16, अशोक रोड, नयी दिल्ली-1	प्रथम श्रेणी
244.	* आर.पी. सराफ	4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-2	प्रथम श्रेणी
	*एन.के. वालीवाल		
	*कुसुम कपूर		
	*उफ. सी. पाहवा		
245.	विजय सारस्वत	गढ़वाल मंडल संख्या 10, पुराना पोस्ट आफिस रोड, ऋषिकेश, देहरादून	प्रथम श्रेणी
246.	नसीब पठान	सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, राष्ट्रीय एकता परिषद, उत्तर प्रदेश	
247.	सर्वशक्ति कुमार सिंह	ई.डी. 31 डायमंड डेरी कालोनी लखनऊ, उत्तर प्रदेश।	प्रथम श्रेणी
248.	पी.एन. रेड्डी	भारत से वादल कुमार कुसप रोड बैंगलूरू	प्रथम श्रेणी

1	2	3	4
249.	एस.वी.मीरजी	केन्द्रीय सर्तकता अधिकारी (सेवानिवृत्त) रेल मंत्री के राजनैतिक सलाहकार, बेंगलूरू	प्रथम श्रेणी
250.	फौजिया, आर	.	प्रथम श्रेणी
251.	देवेन्द्र पांडे	61, रायल होटल लखनऊ, उ.प्र.	प्रथम श्रेणी
252.	सी.एल.फजलुर रहमान	निवासी, 1869, साउथ एंड "सी" रोड, 28 वां मेन रोड नौवा ब्लाक (पूर्व) जयनगर	प्रथम श्रेणी
253.	टी.एस. यासुफ	4-ई/24 राजा कालोनी, कलैक्टर आफिस रोड त्रिची-620001	प्रथम श्रेणी
254.	जाफर इकबाल	हाकी ओलम्पियन I-ए कालोनी वसंत विहार, नयी दिल्ली	प्रथम श्रेणी
255.	घनश्याम	टी-686/1 भोलानगर कोटला, नयी दिल्ली	द्वितीय श्रेणी
256.	कैम्पा राव	मार्फत महादेवी ताई, नं.-19, बल्लभ निकेतन कुमार पार्क ईस्ट, बेंगलूरू-I	प्रथम श्रेणी
257.	जे.एम. सादिकुल्लाह	निवासी चाम राजपेट हौसदुर्ग, 577527, चित्रदुर्ग, कर्नाटक	प्रथम श्रेणी
258.	डा. बनारसी दास	निवासी सन्त नगर, पठान कोट, पंजाब	प्रथम श्रेणी
259.	कमला दुबे	ग्राम सुल्तानपुर पो.आ. गौसपुर, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	प्रथम श्रेणी
260.	प्रहलाद यादव	ग्राव एवं डाकखाना मैमारी जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश	प्रथम श्रेणी
261.	प्रेमा करियप्पा	नं. 21, पोस्ट आफिस रोड, मारूति सेवानगर, बेंगलूरू	प्रथम श्रेणी
262.	पी. देवराज	18, मरियम्मन कोली स्ट्रीय, 16 वां क्रास जय भारत नगर, बेंगलूरू-560033	प्रथम श्रेणी
263.	एस.एस. प्रकाशन	मधुकर राव बिल्डिंग गंगाम्मा मंदिर जलहल्ली पोस्ट बेंगलूरू-560013	प्रथम श्रेणी
264.	एम. आशीवार्दम	891, ए.के. कालोनी बी.एस.ए. रोड क्रांस बेंगलूरू	प्रथम श्रेणी
265.	एन.के. वेंकटेश्वर	10, दूसरा मेन चौथा क्रास आर.पी.सी. लेआउट, विजयनगर, बेंगलूरू	प्रथम श्रेणी
266.	मुहम्मद ओबेदुल्ला	25,1 गोवर रोड काक्स टाउन बेंगलूरू	प्रथम श्रेणी
267.	मो. बशीर	ग्राम एवं डाकखाना फफूंद, जिला इटावा, उत्तर प्रदेश	प्रथम श्रेणी
268.	गणेश शंकर	डी-462, मंदिर मार्ग, नई दिल्ली	प्रथम श्रेणी
269.	सी. अर्जुन	6,429, विशालाक्षी चिन्तुस पालघाट केरल	प्रथम श्रेणी
270.	कृष्णराव हिंगाकंर	23/1 सोमवारी क्वार्टर नागपुर-440009	प्रथम श्रेणी
271.	शेख अबु बफर	20.5.668/1, आशा टाकीज के सामने शाह अली, बांदा, हैदराबाद	प्रथम श्रेणी
272.	आई.ए.ई. एसोसिएशन के तीन पदाधिकारी	17बी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नयी दिल्ली	प्रथम श्रेणी
273.	राधा के. अवस्थी	117/601, पांडु नगर, नयी दिल्ली	द्वितीय श्रेणी
274.	निर्मल उपाध्याय	मुहल्ला जगदीशपुर, जिला-बलिया	प्रथम श्रेणी
275.	खान अब्दुल वदूद	1802, अहमद मंजिल कलां महल, दरियागंज, नयी दिल्ली	प्रथम श्रेणी
276.	डा. राजा रामन्ना	407, दूसरा ब्लाक आर.टी. नगर, बेंगलूरू-560032	प्रथम श्रेणी
277.	आयशा बेगम	48, साउथ एवेन्यु, नयी दिल्ली	प्रथम श्रेणी
	सईदुल हसन	48, साउथ एवेन्यु, नयी दिल्ली	प्रथम श्रेणी
278.	कारी मुहम्मद सिद्दीकी	हथोड़ा बांदा, उत्तर प्रदेश	प्रथम श्रेणी
279.	कुसुम कुमारी यादव	ए टी एवं पी.ओ. राजीवनगर, निकट भारती पब्लिक स्कूल, पटना, बिहार	प्रथम श्रेणी

नोट :— * एक समय में केवल एक द्वारा यात्रा के लिए

** एक समय में केवल दो द्वारा यात्रा के लिए।

[अनुवाद]

बिरसा मुण्डा समिति

2827. कुमारी फ्रिडा तोपनो : क्या मानव संसाधन मंत्री 20, दिसंबर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2117 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिरसा मुण्डा प्रतिमा समिति, राउरकेला को बिरसा मैदान, राउरकेला में बिरसा मुण्डा जनजातीय सांस्कृतिक केन्द्र स्थापित करने के लिए मंजूर की गई राशि जारी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसे कब तक जारी कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिरसा मुण्डा प्रतिमा समिति से आवश्यक दस्तावेज के साथ-साथ एक आवेदन विहित प्रपत्र में प्रस्तुत करने के लिए दो बार, प्रथम 14.12.94 और फिर 13.6.95 को अनुरोध किया गया है ताकि यह विभाग अनुदान की प्रथम किश्त जारी करने में समर्थ हो सके। उन्होंने अभी तक आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

सभी के लिए शिक्षा

2828. श्री राम कृपाल यादव : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सन् 2000 तक सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या आने वाले वर्षों में इस दिशा में कोई विशेष परियोजना शुरू किये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 तथा 1992 में संशोधित इसकी कार्रवाई योजना में सभी को शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्यनीति व कार्यक्रमों का उल्लेख है। सभी के लिए शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए 15 फरवरी, 1994 को मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन विशेष रूप से बुलाया गया। मुख्य मंत्रियों ने सभी को शिक्षित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जोरदार शब्दों में दोहराया। इस बात पर सहमति हुई कि शिक्षा के लिए परिव्यय बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत किया जाए जिसे अगली शताब्दी से लागू किया जाए। संसाधन जुटाने, राज्य योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा को उच्च प्राथमिकता देने तथा शिक्षा के विकेंद्रीकृत प्रबंधन में राज्य भी केन्द्र के प्रयासों को अनुपूरित करेंगे। उसके बाद 4 अप्रैल, 1995 को सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई जिसमें खासतौर पर लड़कियों और समाज के लाभ वंचित वर्गों के नामांकन में वृद्धि करने तथा पढ़ाई बीच में छोड़ जाने वाले की दर घटाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया गया।

(ख) और (ग). सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सहित अनेक कार्यक्रम पहले ही चल रहे हैं।

मदरसा शिक्षा

2829. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मदरसा शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा पर खर्च की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) मदरसों और मकतबों जैसी परम्परागत संस्थाओं की शिक्षा को आधुनिक और व्यापक बनाने को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 1993-94 से मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता की एक योजना कार्यान्वित की गई है ताकि उनके पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिन्दी और अंग्रेजी विषय शुरू किए जा सके।

(ख) वर्ष 1995-96 में इस योजना के लिए 40.00 लाख रु. का कुल बजट प्रावधान है। किसी भी राज्य के लिए कोई विशिष्ट राशि निर्धारित नहीं की गई है।

[अनुवाद]

व्हेल

2830. श्री श्रीकांत जेना : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागरीय प्रदूषण के कारण व्हेलों के लिए खतरा बढ़ रहा है;

(ख) क्या सरकार को लुप्तप्रायः प्रजातियों की संरक्षा हेतु समुद्र तट पर व्हेल देखने के साहसिक उद्यम शुरू करने के लिए प्राकृत

अनुसंधान परियोजना हेतु विश्व के अनेक देशों से धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने व्हेलों के संरक्षण हेतु क्या उपाय किये हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) समुद्रों के प्रदूषण से व्हेल के लिए बढ़ते हुए खतरे के बारे में इस मंत्रालय में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस प्रजाति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए :—

(1) व्हेल को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची एक में रखा गया है इसलिए उसको सर्वोच्च सुरक्षा प्राप्त है।

(2) इस प्रजाति और इसके अंगों व उत्पादों का तस्करी को रोकने के लिए देश के प्रमुख निर्यात केन्द्रों पर वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोले गए हैं।

(3) जीव जन्तुओं का संकटापन्न प्रजातियों और उनसे बनी वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को वन्य वनस्पति जात और प्राणिजात का संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन के उपबन्धों के तहत विनियमित किया जाता है। व्हेल की विभिन्न प्रजातियों की इस कन्वेंशन के परिशिष्ट 1 और 2 में शामिल किया गया है।

(4) पुलिस, सीमा शुल्क और तटरक्षक जैसे अन्य प्रवर्तन संगठनों के साथ अन्तः विभागीय समन्वय स्थापित किया गया है।

(5) भारत इण्टरनेशनल व्हेलिंग कमीशन का एक सदस्य है और कमीशन के अंतर्गत व्हेल के लिए संरक्षण के अनुकूल नीति के लिए दबाव बनाता रहा है।

[हिन्दी]

खिलाड़ियों हेतु परिसंघ

2831. श्री पंकज चौधरी : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के कल्याण हेतु एक परिसंघ की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, योग्य खिलाड़ियों को अभाव-ग्रस्त परिस्थितियों में वित्तीय सहायता देने हेतु कोष संचालन संबंधी निरीक्षण के लिए एक महासमिति है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

भाग II–महासमिति

गठन

4. कोष के प्रबन्ध और संचालन के लिए निम्नलिखित सदस्यों से एक महासमिति गठित की जायेगी, अर्थात :—

(i)	राज्य मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल,	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, भारत सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग,	सदस्य
(iii)	वित्तीय सलाहकार, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग,	सदस्य
(iv)	अध्यक्ष, भारतीय ओलम्पिक संघ,	सदस्य
(v)	महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण,	सदस्य
(vi)	अध्यक्ष, भारतीय वाणिज्य और उद्योग चैम्बर संघ,	सदस्य
(vii)	केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित तीन अनुभवी खिलाड़ी,	सदस्य
(viii)	केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित राज्य खेल परिषदों/राज्य सरकारों के पांच प्रतिनिधि,	सदस्य
(ix)	केन्द्रीय सरकार द्वारा नीति राष्ट्रीय खेल संघों के पांच प्रतिनिधि,	सदस्य
(x)	कार्यकारी निदेशक (शैक्षिणिक), भारतीय खेल प्राधिकरण,	सदस्य
(xi)	संयुक्त सचिव (यु.का. और खेल) युवा कार्यक्रम और विभाग	सदस्य-सचिव व कोषाध्यक्ष

गण-पूर्ति

5. (i) किसी भी बैठक की गण-पूर्ति के लिए समिति के आठ सदस्यों से कम नहीं होने चाहिए।

(ii) प्रत्येक मामला उपस्थित सदस्यों के बहुमत और मतदान द्वारा निपटाए जायेंगे और बराबर मतों की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

कार्य करना

6. (i) इसकी सदस्यता में कोई रिक्ति होते हुए भी समिति कार्य करेगी।

(ii) समिति अपना कार्य करने के लिए जैसा यह उचित समय-समय पर नियम बना सकेगी और बदल सकेगी, बशर्ते कि यह प्रावधानों में हो।

(iii) कोष में जमा राशि भारतीय धर्मार्थ-धर्मस्व के कोषाध्यक्ष के पास रहेगी।

(iv) समिति कोष के नियमन, प्रबन्ध और निष्पदान से संबंधित अन्य किसी प्रयोजन के लिए नियम बना सकती है।

(v) समिति बिक्री या किसी कोष के निसी अन्य परिसम्पत्ति के निपटान से प्राप्त राशि सहित अन्य राशि या सम्पत्ति जिसका प्रयोग कोष के लक्ष्यों के लिए तत्काल नहीं किया जाना है, जो कुछ समय के लिए ट्रस्ट राशि को लगाने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत, जैसा कि समिति उपयुक्त समझे एक या अधिक प्रकार से लगा सकती है।

(vi) समिति अपने एक या एक से अधिक सदस्यों को अपने ऐसे अधिकार प्रदान कर सकती है जो समिति के विचार में केवल मंत्रालय संबंधी कार्य है और जिसमें विवेक की आवश्यकता नहीं या सामान्य प्रयोग के लिए आवश्यक और सुविधाजनक है।

सदस्यता की अवधि

7. (i) समिति का नामित सदस्य अपने नामांकन की तिथि से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए कार्यभार सम्भालेगा, बशर्ते कि उस अवधि की समाप्ति से पहले उसका पुनः नामांकन किया गया हो।

(ii) समिति के सदस्य की सदस्यता उसकी मृत्यु, दिवालिया होने पर त्यागपत्र देने या दिमागी हालत ठीक न होने या दोष सिद्ध होने या चरित्रहीनता से संबंधित अपराधी होने पर समाप्त हो जायेगी।

(iii) सदस्यता का त्याग-पत्र समिति के अध्यक्ष को दिया जाएगा वह इसकी स्वीकृति या त्याग-पत्र की तिथि के तीस दिन बाद जो भी पहले हो से प्रभावी होगा।

समिति में रिक्तियां

8. समिति की रिक्तियां उसी ढंग से भरी जायेगी जैसा कि समिति मूल रूप में गठित की गई थी।

समिति की बैठकें

9. समिति कोष के कार्य के लिए आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें करेगी परन्तु हर हालत में उसकी बैठक कम से कम वर्ष में एक बार अवश्य होनी चाहिए।

भाग III – सहायता की मात्रा

10. (i) **एकमुश्त सहायता** : योजना के अन्तर्गत खिलाड़ी या उसके परिवार को एक मुश्त सहायता दी जाए :

(क) प्रशिक्षण के दौरान या अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने में हुई घातक दुर्घटना के लिए बशर्ते की यह अधिकतम एक लाख रुपये तक हो,

(ख) खिलाड़ी को कोई घातक चोट लगने के अतिरिक्त कोई अन्य चोट लगने के मामले में अधिकतम 25,000/- रु. बशर्ते कि किसी भी मामले में सहायता की राशि 2000/- रु. से कम न होगी।

10. (ii) **पेंशन** : उत्कृष्ट खिलाड़ी को अभावग्रस्त परिस्थितियों में मासिक पेंशन दी जा सकती है:

(क) ऐसे उत्कृष्ट खिलाड़ी के मामले में जो स्थाई तौर पर या अनिश्चित तौर पर सेवा से विकलांग हो गया है या अन्यथा को 1500/- रु. की राशि से अधिक न दी जाएगी, और

(ख) अन्य मामलों में 1000/- रु. की राशि नहीं होगी, बशर्ते कि प्रत्येक मामले में पेंशन (आजीवन पेंशन सहित) देने की अवधि का निर्णय समिति द्वारा तय किया जायेगा।

10. (iii) **उत्कृष्ट खिलाड़ियों के परिवारों को सहायता** : उत्कृष्ट खिलाड़ियों के परिवारों को अभावग्रस्त परिस्थितियों में 25,000/- रु. तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता दी जा सकती है।

10. (iv) **चिकित्सा निदान के लिए सहायता** : उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अभावग्रस्त परिस्थितियों में चिकित्सा निदान के लिए अधिकतम 25,000/- रु. की राशि की वित्तीय सहायता भी दी जाए।

बशर्ते की उत्कृष्ट खेल व्यक्ति किसी अन्य योजना जैसे कि बीमा योजना आदि, के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे मेडिकल सहायता के लिए तुरन्त सहायता के रूप में 5,000/- रु. तक की सहायता दी जाए।

10. (v) **खेलों प्रवर्तकों को सहायता** : 10,000/- रु. तक की एक मुश्त वित्तीय सहायता, दूरदर्शन या रेडिओ खेल कामेन्टेटरों, कोचों, अम्पायरों और अन्य वर्ग के प्रवर्तक जो प्रसिद्ध थे, परन्तु अब उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और अभावग्रस्त परिस्थितियों में हैं, को दी जा सकती है।

10. (vi) **अध्यक्ष का विवेकाधिकार** : अध्यक्ष योग्य मामले में सहायता मंजूर कर सकता है यदि तकनीकी तौर पर जो पात्र नहीं है तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों और

परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अध्यक्ष के पास सहायता की मात्रा का निर्णय लेने का भी विवेकाधिकार होगा।

भाग IV–वित्तीय सहायता देने के लिए पद्धति

आवेदन

11. कोष से वित्तीय सहायता लेने के लिए आवेदन संलग्न प्रोफार्मा में समिति के सदस्य सचिव कोषाध्यक्ष को सम्बोधित किया जाएगा।

आवेदन पत्रों पर विचार

12. (1) कोष से वित्तीय सहायता के लिए सभी आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा विचार किया जाएगा और निपटाए जायेंगे और यदि किसी कारणवश समिति की बैठक निकट भविष्य में न हो रही हो, तो प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार और निपटान, अध्यक्ष द्वारा नामित समिति के दो अन्य सदस्यों से बनी समिति द्वारा परिचालन द्वारा किया जायेगा।

(2) जल्दी के मामलों में समिति का अध्यक्ष स्वयं आवेदन पर विचार और निर्णय कर सकता है। इस योजना के अन्तर्गत देय किसी भी आवर्ती अनावर्ती किस्म के अनुदान को रोक या कम कर सकता है।

अनुदान बन्द करने का अधिकार

13. समिति का अध्यक्ष यदि जरूरी समझे तो ऐसा करने के कारणों को लिखित में दर्ज करके,

भाग V–कोष का प्रबंध

सदस्य–सचिव/कोषाध्यक्ष के अधिकार और कार्य

14. (क) सभी निविदाएं और अन्य आश्वासन समिति के नाम से होंगे और इसकी ओर से कम एक सदस्य और सदस्य–सचिव व कोषाध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित होंगे।

(ख) सदस्य सचिव व कोषाध्यक्ष

(i) कोष की राशि का नियमित लेखा रखेगा,

(ii) समिति के सभी रिकार्डों का कस्टोडियन करेगा,

(iii) समिति की ओर से सरकारी पत्राचार करेगा,

(iv) समिति की बैठक बुलाने के लिए सभी सूचनाएं जारी करेगा,

(v) समिति की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखेगा,

(vi) कोष की परिसम्पत्तियों और राशि का प्रबन्ध करेगा,

(vii) समिति द्वारा समय–समय पर दिए गए सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा और ऐसे सभी कार्य करेगा।

कोष की परिसम्पत्ति

15. कोष की परिसम्पत्ति में ऐसे सभी अनुदान और अंशदान, जो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों या किसी अन्य स्रोतों से कभी भी प्राप्त स्वैच्छिक दान और धमार्थ सहित केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा स्थापित संविधानिक या गैर संविधानिक किसी अन्य निकाय से प्राप्त शामिल किए जाएंगे।

कोष का आबंटन

16. समिति कुल राशि का हिस्सा निपटान के रूप में निर्धारित करेगी, जो विशेष वर्ष में इस योजना के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया जायेगा।

कोष का जमा

17. (1) कोष का सारा धन शुरू में समिति द्वारा भारतीय स्टेट बैंक या इसकी सहायक किसी शाखा या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में स्वीकृत किसी अनुसूचित बैंक में खोले गये लेखे में जमा कराया जायेगा।

(2) कोष का धन किसी कोष का लक्ष्य के लिए तत्काल प्रयोग नहीं किया जाना है, को ट्रस्ट धन का निवेश करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत किसी एक या अधिक तरीकों से कुछ समय के लिए लगाया जायेगा जो समिति का सदस्य–सचिव–कोषाध्यक्ष तय करेगा।

कोष से निकासी

18. समिति के लेखों से कोष की किसी भी निकासी का नियमन समिति द्वारा तय किए गए तरीके से किया जायेगा। ऐसे निकासी चैक या मांग–पत्र (जैसा भी मामला हो) द्वारा की जायेगी।

आमान परिवर्तन

2832. **श्रीमती भावना चिखलिया :**
श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में चालू वर्ष के दौरान कुल कितनी किलोमीटर की मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गुजरात की किन–किन छोटी लाइनों/मीटर लाइनों को बड़ी लाइन मे बदलने का प्रस्ताव है; और

(ग) रेलवे–द्वारा शेष मीटर गेज लाइन/छोटी लाइन को बड़ी लाइन में कब तक बदल दिया जायेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 95-96 में आमान परिवर्तन की जाने वाली लाइनें है:

खंड	लम्बाई	परियोजना के लिए मुहैया की गई राशि
1. मेहसाना-पालनपुर (अहमदाबाद-मारवाड़-फुलेरा आमान परिवर्तन परियोजना का भाग)	65 कि.मी.	पूरी परियोजना के लिए 226 करोड़ रुपये
2. विरमगांव-मेहसाना	65 कि.मी.	40 करोड़ रुपये
	130 कि.मी.	

(ख) आठवीं योजना के दौरान गुजरात में दिल्ली-अहमदाबाद लाइन और विरमगांव-मेहसाना के भाग के अलावा वाकानेर-मलिया-मियाणा के आमान परिवर्तन और गुजरात राज्य में गांधीधाम-भुज और राजकोट-वेरावल खंडों पर कार्य में प्रगति करने का प्रस्ताव है।

(ग) सुरेन्द्र नगर-भावनगर मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन करने और परिवर्तित लाइन का अलांग के रास्ते भावनगर में पीपावाव तक विस्तार करने के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस लाइन के आमान परिवर्तन के संबंध में निर्णय सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगा और जहां तक शेष लाइनों का संबंध है, इन पर कार्रवाई योजना के अगले चरण में देशभर की इसी प्रकार की अन्य छोटी लाइन/मीटर लाइनों के साथ विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

रेल मार्ग से जोड़ना

2833. डा. वी. राजेश्वरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे का आठवीं पंचवर्षीय योजना में बड़ी लाइन द्वारा रामेश्वरम को वाया रास्ता, टूटीकोरिन, कन्याकुमारी से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त शहरों को जोड़ने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

बागवानी के अंतर्गत क्षेत्र

2834. श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :
श्री ए. इन्द्रकरण रेड्डी :
डा. के.वी.आर. चौधरी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में बागवानी फसलों/वृक्षारोपण हेतु श्रेणी-वार कुल कितना क्षेत्र है;

(ख) प्रत्येक राज्य में श्रेणी-वार वृक्षारोपण की और कितनी क्षमता है;

(ग) क्या सरकार का आठवीं योजना के शेष वर्षों में फलों और सब्जियों की खेती के क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो आठवीं योजना के अंत तक क्षेत्र में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है; और

(ङ) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के दौरान प्रदान किये गये प्रोत्साहनों और वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रत्येक राज्य के फलों और सब्जियों के अंतर्गत फसल वार क्षेत्र के बारे में सूचना विवरण-I पर दी गई है।

(ख) प्रत्येक राज्य में बागवानी फसलों के अंतर्गत क्षेत्र में वृद्धि करने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए अब तक कोई चरणबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) फलों पर केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के क्रियान्वयन के जरिए आठवीं योजना के अंत तक फलों के अधीन क्षेत्र को बढ़ाकर 35000 है. करने का प्रस्ताव है। सब्जी फसल के लिए इसी प्रकार का कार्य नहीं किया गया है।

(ङ) फल की फसलों के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार के लिए प्रति लाभानुभोगी 0.5 है. क्षेत्र के लिए फसल के प्रकार पर निर्भर करते हुए प्रति है. 6000/- रुपये से 60,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है। इन फसलों में आम, लीची, नींबू जातीय फल, सपोटा, अमरूद, अंगूर, बेर, केला आदि शामिल हैं।

सब्जी के बीजों की आपूर्ति में वृद्धि करके तथा मिनिकिट की आपूर्ति के जरिए उच्च उत्पादक किस्मों के अधीन अधिक क्षेत्र कवर करके सब्जी के अंतर्गत क्षेत्र विस्तार करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय योजना के अंतर्गत विभिन्न घटकों के लिए अलग से सहायता नहीं दी जाती है। फिर भी 1994-95 के दौरान फलों और सब्जियों के विकास के लिए दी गई कुल सहायता और 1995-96 के लिए किए गए आवंटन क्रमशः विवरण-II और III में दिए गए हैं।

विवरण–I

1990–91 और 1991–92 में भारत में फसलों के अधीन क्षेत्र (अनन्तिम)

(हजार है.)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र/वर्ष	ताजा फल								सूखा फल			कुल फल
	आम	नींबू फल	केला	अंगूर	पोम फल	पपीता	अन्य	कुल	काजू	अन्य	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आन्ध्र प्रदेश												
1990–91	200	59	33	2	5	(a)	6	305	00	(a)	00	385
1991–92	200	57	34	2	5	(a)	7	313	84	(a)	84	397
अरुणाचल प्रदेश												
1990–91	1	3	2	–	5	1	8	20	–	–	–	20
1991–92	1	3	2	–	5	1	8	20(e)	–	–	–	20(e)
असम (ख)												
1990–91	6	9	35	(a)	(a)	5	9	64	(a)	(a)	(a)	64
1991–92	6	9	40	(a)	(a)	5	9	69	(a)	(a)	(a)	69
बिहार												
1990–91	93	–	13	–	1	–	15	122	–	–	–	122
1991–92	92	–	12	–	2	–	16	122	–	–	–	122
गोवा												
1990–91	4	–	2	–	–	–	(a)	6	48	–	48	54
1991–92	4	–	2	–	–	–	(a)	6	48	–	48	54
गुजरात												
1990–91	32	15	34	–	(a)	3	11	95	–	–	–	95
1991–92	34	18	32	–	1	3	12	100	–	–	–	100
हरियाणा												
1990–91	3	(a)	(a)	(a)	–	–	16	19	–	–	–	19
1991–92	3	–	(a)	(a)	–	–	14	17	–	–	–	17
हिमाचल प्रदेश												
1990–91	1	(a)	–	(a)	33	–	9	43	–	1	1	44
1991–92	(a)	(a)	–	(a)	N.A.	–	44	44	–	1	1	45
जम्मू व कश्मीर												
1990–91	–	–	–	–	–	–	45	45	–	1	1	46
1991–92	–	–	–	–	–	–	51	51	–	1	1	52
कर्नाटक												
1990–91	45	11	20	4	(a)	1	10	91	46	–	46	137
1991–92	47	11	20	4	1	1	11	95	46	–	46	141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
केरल												
1990-91	75	–	66	–	–	13	83	237	116	–	116	353
1991-92	77	–	65	–	–	12	84	238	112	–	112	350
मध्य प्रदेश												
1990-91	20	9	20	(a)	7	1	6	63	(a)	–	(a)	63
1991-92	19	10	18	(a)	7	1	6	61	(a)	–	(a)	61
महाराष्ट्र (ख)												
1990-91	29	61	57	14	13	1	7	182	22	–	22	204
1991-92	29	61	58	14	13	1	7	183	22	–	22	205
मणिपुर												
1990-91	–	1	3	–	–	(a)	3	7	–	–	–	7
1991-92	–	1	2	–	–	(a)	–	3	–	–	–	3
मेघालय												
1990-91	–	7	5	–	–	(a)	11	23	–	–	–	23
1991-92	–	7	5	–	–	(a)	9	21	–	–	–	21
मिजोरम												
1990-91	–	5	2	–	–	(a)	1	8	–	–	–	8
1991-92	–	5	3	–	(a)	(a)	1	9	–	–	–	9
नागालैंड												
1990-91	(a)	1	1	–	–	–	3	5	–	–	–	5
1991-92	(a)	–	1	–	–	–	4	5	–	–	–	5
उड़ीसा												
1990-91	52	11	25	–	–	10	30	128	83	–	83	211
1991-92	52	11	25	–	–	10	30	128	83	–	83	211
पंजाब												
1990-91	1	3	(a)	(a)	–	–	25	29	–	(a)	(a)	29
1991-92	(a)	1	–	(a)	–	–	39	40	–	(a)	(a)	40
राजस्थान												
1990-91	(a)	7	(a)	(a)	1	(a)	9	17	–	–	–	17
1991-92	(a)	7	(a)	(a)	1	(a)	8	16	–	–	–	16
सिक्किम (ख)												
1990-91	–	4	1	–	–	–	–	5	–	–	–	5
1991-92	–	4	1	–	–	–	–	5	–	–	–	5
तमिलनाडु												
1990-91	55	9	60	2	–	–	12	138	73	(a)	73	211
1991-92	55	9	66	2	–	–	13	145	73	–	73	210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
त्रिपुरा												
1990–91	5	11	4	–	–	1	22	43	9	–	9	52
1991–92	5	12	4	–	–	(a)	24	45	9	–	9	54
उत्तर प्रदेश												
1990–91	241	1	1	–	–	1	60	312	–	–	–	312
1991–92(b)	241	1	1	–	–	1	68	312	–	–	–	312
पश्चिम बंगाल												
1990–91	–	–	–	–	–	–	124	124	–	–	–	124
1991–92	–	–	–	–	–	–	128	128	–	–	–	128
अंदमान व निकोबार												
1990–91	(a)	(a)	1	–	(a)	(a)	(a)	1	(a)	(a)	(a)	1
1991–92	(a)	(a)	1	–	(a)	(a)	(a)	1	(a)	(a)	(a)	1
चण्डीगढ़ (आई.)												
1990–91	–	–	–	–	–	–	(a)	(a)	–	–	–	(a)
1991–92	–	–	–	–	–	–	(a)	(a)	–	–	–	(a)
दादर व नगर हवेली												
1990–91	1	–	(a)	–	–	–	(a)	1	–	–	–	1
1991–92	1	–	(a)	–	–	–	(a)	1	–	–	–	1
दिल्ली												
1990–91	(a)	–	–	–	–	–	(a)	(a)	–	–	–	(a)
1991–92	–	–	–	–	–	–	(a)	(a)	–	–	–	(a)
दमन व दीव (बी)												
1990–91	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1991–92	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
लक्षद्वीप												
1990–91	–	–	(a)	–	–	(a)	(a)	(a)	–	–	–	(a)
1991–92	–	–	(a)	–	–	(a)	(a)	(a)	–	–	–	(a)
पांडिचेरी												
1990–91	(a)	–	(a)	–	–	–	(a)	(a)	(a)	–	(a)	(a)
1991–92	(a)	–	(a)	–	–	–	(a)	(a)	(a)	–	(a)	(a)
अखिल भारत												
1990–91	864	227	385	22	65	37	533	2133	477	2	479	2612
1991–92	874	227	392	22	35	35	593	2178	477	2	479	2657

भारत में फसल के अधीन क्षेत्र, 1990–91 और 1991–92 (अनन्तिम)

(हजार है.)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र/वर्ष	सब्जियां						कुल फल और सब्जियां
	आलू	टेपिओका	चुकन्दर	प्याज	अन्य	कुल सब्जियां	
1	2	3	4	5	6	7	8
आन्ध्र प्रदेश							
1990–91	1	15	3	20	103	142	527
1991–92	1	14	2	21	107	145	542
अरुणाचल प्रदेश							
1990–91	5	–	(a)	–	8	13	33
1991–92	5	–	–	–	13	10	38
असम (ख)							
1990–91	59	2	9	6	63	139	203
1991–92	62	2	9	6	63	142	211
बिहार							
1990–91	161	–	23	14	122	320	442
1991–92	168	–	23	16	133	340	462
गोवा							
1990–91	–	–	–	–	7	7	61
1991–92	–	–	–	–	8	9	62
गुजरात							
1990–91	17	–	2	21	65	105	200
1991–92	19	–	2	19	66	106	206
हरियाणा							
1990–91	11	–	(a)	3	29	43	62
1991–92	13	–	(a)	3	31	47	64
हिमाचल प्रदेश							
1990–91	16	–	(a)	1	12	29	73
1991–92	14	–	–	1	9	24	69
जम्मू व कश्मीर							
1990–91	1	–	–	1	12	14	60
1991–92	1	–	–	(a)	12	14	66
कर्नाटक							
1990–91	19	1	7	43	65	135	272
1991–92	24	1	5	56	63	149	290
केरल							
1990–91	–	146	3	–	72	221	574
1991–92	–	142	2	–	73	217	567

1	2	3	4	5	6	7	8
मध्य प्रदेश							
1990-91	32	–	7	15	100	154	217
1991-92	33	–	7	18	101	159	220
महाराष्ट्र (ख)							
1990-91	13	–	5	67	146	231	435
1991-92	13	–	5	68	146	224	429
मणिपुर							
1990-91	2	(a)	(a)	–	15	17	24
1991-92	4	(a)	(a)	1	7	12	15
मेघालय							
1990-91	18	4	5	–	8	35	58
1991-92	18	4	5	–	6	33	54
मिजोरम							
1990-91	(a)	(a)	(a)	–	6	6	14
1991-92	1	(a)	1	–	7	9	18
नागालैंड							
1990-91	1	(a)	(a)	(a)	3	4	9
1991-92	2	1	(a)	(a)	2	5	10
उड़ीसा							
1990-91	9	–	55	46	675	785	996
1991-92	11	–	44	45	735	835	1046
पंजाब							
1990-91	23	(a)	(a)	1	31	55	84
1991-92	31	(a)	(a)	1	29	61	101
राजस्थान							
1990-91	2	–	2	17	37	58	75
1991-92	2	–	2	19	38	61	101
सिक्किम (ख)							
1990-91	5	–	–	–	–	5	10
1991-92	4	–	–	–	–	4	9
तमिलनाडु							
1990-91	5	77	2	22	41	147	356
1991-92	5	85	2	27	42	161	379
त्रिपुरा							
1990-91	3	(a)	1	(a)	28	32	84
1991-92	3	1	1	(a)	26	31	85
उत्तर प्रदेश							
1990-91	336	–	29	28	161	554	866
1991-92	357	–	25	32	161	575	887

1	2	3	4	5	6	7	8
पश्चिम बंगाल							
1990-91	194	-	-	-	552	746	870
1991-92	229	-	-	-	555	784	912
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह							
1990-91	(a)	(a)	-	1	1	2	
1991-92	(a)	(a)	-	1	1	2	
चण्डीगढ़ (आई)							
1990-91	(a)	-	-	(a)	(a)	(a)	(a)
1991-92	(a)	-	-	(a)	(a)	(a)	(a)
दादर व नगर हवेली							
1990-91	-	-	(a)	-	1	1	2
1991-92	-	-	-	-	(a)	(a)	1
दिल्ली							
1990-91	(a)	-	-	(a)	5	5	5
1991-92	(a)	-	-	(a)	3	3	3
दमन व दीव (ख)							
1990-91	-	-	-	-	-	-	-
1991-92	-	-	-	-	-	-	-
लक्षद्वीप							
1990-91	-	(a)	1	-	-	1	1
1991-92	-	(a)	1	-	-	1	1
पाण्डिचेरी							
1990-91	-	1	(a)	(a)	(a)	1	1
1991-92	-	1	-	-	(a)	1	1
अखिल भारत							
1990-91	933	246	154	305	2368	4006	6618
1991-92	1021	251	136	325	2437	4170	6827

(क) 500 है. से नीचे

(ख) असम, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और दमन और दीव के लिए बागानी फसलों, कुल मार्केटिबल के अलावा 42 ऐसी फसलों जिनके बारे में भविष्यवाणी की जाती है तथा पपीता, जिनके बारे में भविष्यवाणी नहीं की जाती है, के अंतर्गत क्षेत्र अनुमान का उपयोग भू उपयोग आंकड़े (1991-92) के अभाव में किया गया है। शेष फसलों के लिए भू उपयोग सांख्यिकी के अधीन अद्यतन उपलब्ध आंकड़ों की पुनरावृत्ति की गई है ताकि सकल फसल क्षेत्र का अनुमान लगाया जा सके। "एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्र शीर्ष के अंतर्गत समायोजन किया गया है।

(ग) वर्ष 1981-92 से संबंधित

(घ) तदर्थ अनुमान

(ङ) वर्ष 1990-91 और अरुणाचल प्रदेश और उड़ीसा के मामले में फसलों के ब्यौरे से संबंधित है।

(च) इसमें क्रमशः 1990-91 और 1991-92 का 114 हजार है, और मध्य प्रदेश और गुजरात में राज्य में गैर रिपोर्टिंग (ग्रन) क्षेत्रों में क्रमशः 1990-91 और 1991-92 के 54 हजार और 56 हजार है, शामिल नहीं है।

(छ) वर्ष 1988-89 से संबंधित है।

(ज) वर्ष 1974-75 से संबंधित है।

(झ) वर्ष 1987-88 से संबंधित है।

(ञ) भविष्यवाणी किए गए आंकड़ों से संबंधित है।

(ट) वर्ष 1985-86 से संबंधित है।

* गन्ना की बुवाई के लिए तैयार किया गया क्षेत्र।

∂ गन्ना की बुवाई के लिए तैयार किया गया क्षेत्र शामिल है।

** शुद्ध फसल क्षेत्र से संबंधित है।

एन.ए. उपलब्ध नहीं है।

\+ समायोजित।

विवरण-II

फलों और सब्जियों पर केन्द्रीय योजना के क्रियान्वयन के लिए 1994-95 के दौरान निर्मुक्त निधियां

(रु. लाख में)

	फल निर्मुक्ति	सब्जी निर्मुक्ति
	1	2
आन्ध्र प्रदेश	125.74	15.12
अरुणाचल	27.35	4.25
असम	8.82	5.63
बिहार	8.82	
गोवा	46.27	1.58
गुजरात	48.22	3.13
हरियाणा	66.48	12.13
हिमाचल प्रदेश	43.91	5.64
जम्मू व कश्मीर	68.24	8.69
कर्नाटक	187.92	14.96
केरल	96.71	4.52
मध्य प्रदेश	188.92	47.45
महाराष्ट्र	136.55	19.59
मणिपुर	70.95	1.58
मेघालय	21.50	1.88
मिजोरम	35.92	1.41
नागालैंड	35.84	6.58
उड़ीसा	85.99	13.34
पंजाब	84.78	15.38
राजस्थान	76.64	6.54
सिक्किम	29.59	3.71
तमिलनाडु	187.48	9.61
त्रिपुरा	38.45	1.50
उत्तर प्रदेश	181.88	41.58
पश्चिम बंगाल	8.88	5.95
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	29.91	1.48
चण्डीगढ़	1.88	1.38
दादर व नगर हवेली	4.81	1.79
दिल्ली	7.88	8.88
दमन व दीव	4.88	1.58
लक्षद्वीप	12.46	8.88
पाण्डिचेरी	6.88	1.58
कृषि विश्वविद्यालय	8.88	8.88
एस.एफ.सी.आई.	37.33	8.88
अनुसंधान संस्थान	8.88	8.88
काजू नि.	8.88	8.88
मसाला निदेशालय	8.88	8.88
सी.डी.बी.	8.88	8.88
एन.एच.बी.	8.88	8.88
एन.सी.पी.ए.	8.88	8.88
एन.एच.आर.डी.एफ.(के.ए.एस.)	8.88	12.88
अन्य	8.88	8.88
योग	1668.69	269.15

विवरण-III

1995-96 के दौरान फलों और सब्जियों पर केन्द्रीय योजना के क्रियान्वयनार्थ किया गया आवंटन

(रु. लाख में)

राज्य/संघ शा. क्षे.	फल	सब्जी
1	2	3
1. आन्ध्र प्रदेश	96.67	12.50
2. अरुणाचल प्रदेश	23.29	1.50
3. असम	17.40	-
4. अण्डमान व निकोबार	10.98	1.50
5. बिहार	71.14	7.00
6. चण्डीगढ़	1.00	1.50
7. दिल्ली	22.88	4.50
8. दमन और दीव	4.91	1.50
9. गोवा	43.00	1.50
10. दादरा व नगर हवेली	22.88	1.50
11. गुजरात	70.15	16.00
12. हरियाणा	60.83	10.00
13. हिमाचल प्रदेश	61.43	3.00
14. जम्मू व कश्मीर	106.92	1.50
15. केरल	51.12	4.50
16. कर्नाटक	92.43	9.50
17. लक्षद्वीप	11.80	-

1		2	3
18.	मध्य प्रदेश	83.16	30.00
19.	महाराष्ट्र	119.83	18.00
20.	मणिपुर	32.17	1.50
21.	मेघालय	33.90	1.50
22.	मिजोरम	32.13	1.50
23.	नागालैण्ड	32.06	1.50
24.	उड़ीसा	73.03	12.50
25.	पाण्डिचेरी	29.17	1.50
26.	पंजाब	67.98	15.50
27.	राजस्थान	62.64	7.00
28.	सिक्किम	29.26	2.50
29.	त्रिपुरा	35.22	1.50
30.	तमिलनाडु	92.20	5.50
31.	उत्तर प्रदेश	184.25	44.00
32.	पश्चिम बंगाल	89.90	-
	कुल	1764.73	221.00

[हिन्दी]

रेल लाइन

2835. श्री लक्ष्मण सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल से रामगंज मंडी तक रेल लाइन बिछाने के लिये सर्वेक्षण हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो उसकी लागत कितनी है;

(ग) क्या उक्त योजना मंजूर की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां, 1991-92 में।

(ख) 1991-92 की दरों पर 250 करोड़ रुपए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) सर्वेक्षण से पता चला था कि यह लाइन पूर्णतः अलाभप्रद होगी और इसकी प्रतिफल दर (-) 22.45 प्रतिशत होगी। लाइन के अलाभप्रद होने और संसाधनों की तंगी को देखते हुए यह कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

चीनी मिलों को स्वीकृति

2836. श्री एन.जे. राठवा :
श्री दत्ता मेघे :

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चीनी मिलें लगाने हेतु पर्यावरण तथा वानिकी संबंधी स्वीकृति पाने के लिये उनके मंत्रालय में प्राप्त हुए प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) स्वीकृत चीनी मिल परियोजनाओं तथा अस्वीकृत परियोजनाओं का कारण सहित स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी

2837. श्री डी. वेंकटश्वर राव :
प्रो. एम. कामसन :
श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा जुलाई, 1995 के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली में "विद्यालय स्तर पर प्रभाविता और प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्धि में अनुसंधान" (रिसर्च इन स्कूल इफेक्टिवनेस एंड लर्निंग एचीवमेंट एट प्राइमरी स्टेज) विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अन्य बातों के साथ-साथ इस संगोष्ठी में भाग लेने वाले देशों, प्रतिनिधियों की संख्या तथा चर्चा किए गये विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारतीय परिदृश्य और उनके मंत्रालय द्वारा शुरू किए जाने वाले जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में इस संगोष्ठी में चर्चा के फलस्वरूप उभर कर आये महत्वपूर्ण सुझावों का ब्यौरा क्या है?

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारी समितियों में निदेशकों का नामांकन

2841. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी समितियों जैसे इफको, कृभको, नैफेड आदि के निदेशक मंडल के सदस्यों में से निदेशक के नामांकन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये हैं अथवा इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या नामांकित निदेशक का चयन अथवा नामांकन, चेयरमैन के पद के लिए भी किया जा सकता है;

(ग) क्या इन राष्ट्रीय सहकारी समितियों के चेयर मैन पद के लिए भी केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी समितियों और उनके चैयरमैनों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सरकार बहुराज्यीय सहकारी समिति के निदेशक मण्डल में अधिक से अधिक 3 व्यक्ति नामित कर सकती है, जिनमें सरकार ने अंश पूंजी का योगदान दिया है या मूलधन की वापसी तथा डिबेंचर या ऋण पर ब्याज के भुगतान की गांरटी दी है। फिर भी समिति की उप-विधियों में सरकार द्वारा तीन से अधिक निदेशकों को नामित करने का प्रावधान किया जा सकता हे।

(ख) इस अधिनियम और नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ऐसे नामित निदेशकों को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किए जाने से विवर्जित करता हो।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय सहकारी समितियों के अध्यक्ष केन्द्र सरकार द्वारा नामित नहीं किये जाते हैं। अध्यक्ष का निर्वाचन निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है।

पूसा-9072

2842. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी राज्यों में पूसा-9072 के प्रचार के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में पूसा-9072 का कितना वितरण किया

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर सूचना एकत्र करने के लिए तैयार किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी प्रचालनात्मक पहलुओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा कंप्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पहले ही क्रियान्वित की जा चुकी है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कंप्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यान्वित किए जाने के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह बात प्रत्येक राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है।

हाल्ट स्टेशन

2846. प्रो. सुशांत चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा-बारगछिया सेक्शन पर बालितीकुटी में हाल्ट स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की इकाइयों सहित कई औद्योगिक इकाईयों तथा जनता ने यह मांग उठाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). बांकुड़ा नयाबाज और कोना स्टेशनों के बीच में बालतीकुरी में यात्री बुकिंग के लिए एक हाल्ट स्टेशन खोलने की मांग प्राप्त हुई है। लेकिन इसे परिचालनिक आधार पर औचित्यपुर्ण नहीं पाया गया है।

लकड़ी का विकल्प

2847. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संसाधन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए उनके मंत्रालय ने भवन निर्माण हेतु लकड़ी के विकल्प के रूप में गन्ने की खोई पर आधारित टिकाऊ सामग्री के बोर्डों का इस्तेमाल करने के संबंध में रेलवे, केन्द्रीय लोक कार्य विभाग, रक्षा, आदि सहित विभिन्न सरकारी विभागों के साथ उठाने का विचार है/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले को संबंधित विभागों के साथ उठाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारी समितियों में निदेशकों का नामांकन

2841. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी समितियों जैसे इफको, कृभको, नैफेड आदि के निदेशक मंडल के सदस्यों में से निदेशक के नामांकन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये हैं अथवा इस संबंध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या नामांकित निदेशक का चयन अथवा नामांकन, चेयरमैन के पद के लिए भी किया जा सकता है;

(ग) क्या इन राष्ट्रीय सहकारी समितियों के चेयर मैन पद के लिए भी केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी समितियों और उनके चैयरमैनों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) बहु राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत यह प्रावधान है कि सरकार बहुराज्यीय सहकारी समिति के निदेशक मण्डल में अधिक से अधिक 3 व्यक्ति नामित कर सकती है, जिनमें सरकार ने अंश पूंजी का योगदान दिया है या मूलधन की वापसी तथा डिबेंचर या ऋण पर ब्याज के भुगतान की गांरटी दी है। फिर भी समिति की उप-विधियों में सरकार द्वारा तीन से अधिक निदेशकों को नामित करने का प्रावधान किया जा सकता है।

(ख) इस अधिनियम और नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ऐसे नामित निदेशकों को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किए जाने से विवर्जित करता हो।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय सहकारी समितियों के अध्यक्ष केन्द्र सरकार द्वारा नामित नहीं किये जाते हैं। अध्यक्ष का निर्वाचन निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है।

पूसा-9072

2842. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी राज्यों में पूसा-9072 के प्रचार के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश में पूसा-9072 का कितना वितरण किया गया;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश की मिट्टी पूसा-9072 के लिए अत्यधिक उपयुक्त पाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) दक्षिणी राज्यों में मूंगबीन की किस्म पूसा-9072 के प्रसार के लिए उसके बीज के सम्बर्धन का कार्य रबी मौसम 1995-96 के दौरान शुरू किया जाएगा क्योंकि इस किस्म को नवम्बर, 1994 में जारी किया गया था।

(ख) शून्य।

(ग) और (घ). पूसा-9072 किस्म आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारत के तटवर्ती स्थितियों के अंतर्गत अवशिष्ट नमी के अन्तर्गत धान की परती भूमि में उगाने के लिए उपयुक्त है।

प्लाईवुड कम्पनियां

2843. श्री अनिल बसु : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्लाईवुड कम्पनियों को कितने वस्त्र क्षेत्र का आवंटन किया गया है;

(ख) ये क्षेत्र कहां-कहां स्थित है और उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्हें इन क्षेत्रों का आवंटन किया गया था;

(ग) इस आवंटन द्वारा प्रत्येक कम्पनी से कितना राजस्व प्राप्त होता है; और

(घ) पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर प्लाईवुड उद्योगों का क्या प्रभाव पड़ा है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) प्लाईवुड कंपनियों को कोई वन भूमि विकास हेतु, आबंटित नहीं की गई है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

केटरिंग ठेकेदार

2844. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम और मध्य रेलवे द्वारा केटरिंग ठेकेदारों से अतिरिक्त सुविधाओं जैसे चाय-स्टाल, ट्राली, क्योस्क, ट्रेन साइड वेंडर्स और अन्य अतिरिक्त वस्तुओं के लिए अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन रेलवे स्टेशनों पर प्राइवेट रेलवे केटरिंग ठेकेदारों को ऐसी अनुमति दी गई है;

(ग) क्या ऐसी अतिरिक्त सुविधाओं/वस्तुओं के लिए अनुमति प्रदान करते समय लाइसेंस शुल्क में भी वृद्धि की गई थी;

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें अतिरिक्त सुविधाओं की अनुमति प्रदान की गई थी पिछला और संशोधित लाइसेंस शुल्क कितना-कितना है;

(ङ) क्या इस प्रकार के सभी मामलों में बढ़े हुए लाइसेंस शुल्क की वसूली कर ली गई है; और

(च) यदि नहीं, तो ऐसे मामलों को ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करना

2845. श्री रवि राय :
डा. रमेश चन्द तोमर :
श्री गोपी नाथ गजपति :
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :

क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श कब तक कर लिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार ने कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रगति का अनुवीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र की सुविधाओं का उपयोग करने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए प्रपत्रों का एक सैट तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आंकड़ों के एकत्रीकरण और उनका प्रेषण करने के लिए भेजा गया है। ये प्रपत्र राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर सूचना एकत्र करने के लिए तैयार किए गए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली/संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी प्रचालनात्मक पहलुओं की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की होती है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा कंप्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पहले ही क्रियान्वित की जा चुकी है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कंप्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यान्वित किए जाने के बारे में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह बात प्रत्येक राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की प्रतिक्रिया पर निर्भर करती है।

हाल्ट स्टेशन

2846. प्रो. सुशांत चक्रवर्ती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा-बारगछिया सेक्शन पर बालितीकुटी में हाल्ट स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की इकाइयों सहित कई औद्योगिक इकाईयों तथा जनता ने यह मांग उठाई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). बांकुड़ा नयाबाज और कोना स्टेशनों के बीच में बालतीकुरी में यात्री बुकिंग के लिए एक हाल्ट स्टेशन खोलने की मांग प्राप्त हुई है। लेकिन इसे परिचालनिक आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

लकड़ी का विकल्प

2847. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन संसाधन और पर्यावरण के संरक्षण के लिए उनके मंत्रालय ने भवन निर्माण हेतु लकड़ी के विकल्प के रूप में गन्ने की खोई पर आधारित टिकाऊ सामग्री के बोर्डों का इस्तेमाल करने के संबंध में रेलवे, केन्द्रीय लोक कार्य विभाग, रक्षा, आदि सहित विभिन्न सरकारी विभागों के साथ उठाने का विचार है/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले को संबंधित विभागों के साथ उठाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख). पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा गठित लकड़ी के विकल्प संबंधी नीति सलाहकार दल ने अन्य बातों के अलावा, पैकिंग के लिए पुनः उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के ट्रे, गत्ते के डिब्बों, कोरोगेटेड फाइबर बोर्ड के डिब्बों बहु-सतही क्राफ्ट पेपर के टैंकों, पोलीथीन चढ़ाए गए जूट के डिब्बों का विकास व उपयोग करने, लकड़ी के स्लीपरों की जगह कंकरीट के स्लीपरों का उपयोग करने, खोई, धान की भूसी, जूट आदि जैसी गैर-कास्ट सामग्री से पैनलों के निर्माण को बढ़ावा देने और भवन निर्माण एवं फर्नीचर के लिए इमारती लकड़ी के बदले स्टील का उपयोग करने की सिफारिश की है।

(ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से नीति सलाहकार दल की सिफारिशों पर कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

रेल लाइन का विस्तार

2848. श्री सूरज मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुमका से मंदार हिल तक रेल लाइन के विस्तार हेतु कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) दुमका के रास्ते मंदारहिल से रामपुरहाट तक (130 कि. मी.) नई लाइन का निर्माण कार्य 170.47 करोड़ रुपये की लागत से शुरू किया गया है। अंतिम स्थान निर्धारिण सर्वेक्षण तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी नक्शे तैयार करने जैसे प्रारंभिक व्यवस्था संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम

2849. श्री शरत पटनायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय वन रोपण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड द्वारा अपने आरम्भ काल से लेकर पश्चिमी घाटों, अरावली और अन्य समस्याग्रस्त क्षेत्रों में चलाए गए पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड (नैब) निम्नलिखित स्कीमों, जिनका उद्देश्य दीर्घकालीन पारि-विकास करना है, को आर्थिक सहायता प्रदान करना है :

1. समेकित वनीकरण एवं पारि विकास परियोजनाएं -जलाशय आधार पर
2. क्षेत्रोंन्मुखी ईंधन लकड़ी तथा चारा परियोजनाएं -पता लगाए गए ईंधन की कमी वाले जिलों में
3. औषधीय पौधों सहित लघु वनोपज - सभी राज्यों में, और
4. स्वैच्छिक एजेंसियों को अनुदान सहायता - देश भर में

इस स्कीम में पश्चिमी घाट और अरावली पहाड़ियों सहित ऐसे समस्या ग्रस्त क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाता है जहां वनीकरण किए जाने की जरूरत होती है।

छात्रवृत्ति

2850. श्री जसवन्त सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय विभिन्न प्रयोजनार्थ छात्रवृत्तियां देता है;

(ख) ऐसी प्रत्येक छात्रवृत्ति के लिए पात्रता के मानदंड क्या हैं;

(ग) मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष दिए गये 20,000/- रुपये अथवा इससे अधिक की धनराशि की छात्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान 20,000/- रु. अथवा इससे अधिक वर्षवार छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों के राज्य-वार नाम और पते क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) पात्रता के मानदंड मुख्य रूप से योग्यता और प्रतिभा ही हैं। विशेष योजनाओं में "साधन" भी एक मानदंड है।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की राशि 20,000/- रु. प्रति वर्ष से कम है।

भारत सरकार के कोष से दी जाने वाली इस मंत्रालय की छात्रवृत्तियों के संबंध में विवरण संलग्न है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग प्रति वर्ष लगभग 130 विदेशी छात्रवृत्तियों के लिए चयन का कार्य करता है जिनके लिए विदेशी सरकारों से निधियां प्राप्त होती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण छात्रवृत्ति योजनाएं

क्र.सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	पात्रता	छात्रवृत्ति की दर	कैफियत
1	2	3	4	5	6
(1)	उत्तर प्रवेशिका अध्ययन के लिए योग्यता आधारित छात्रवृत्तियां प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना	जरूरतमंद और मेधावी विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे अपने उत्तर प्रवेशिका अध्ययन को स्नातकोत्तर स्तर पर जारी रख सकें।	पत्राचार पाठ्यक्रमों सहित पूर्णकालिक विद्यार्थियों को लिए योग्यता (अर्हकारी परीक्षाओं में 60 प्रतिशत और इससे अधिक अंक) और साधन (माता-पिता की आय की सीमा 25,000 रु. प्रति वर्ष)	दिवा छात्रों के लिए 60 से 120 रु. प्रति माह तथा छात्रवास के विद्यार्थियों के लिए 100 से 300 रु. प्रति माह जो अध्ययन के पाठ्यक्रम और स्तर पर निर्भर करता है।	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संचालित किया जा रहा है।
(2)	ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति योजना	शैक्षिक अवसरों की अधिक से अधिक समानता के उद्देश्य को प्राप्त करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को कक्षा VI से XII तक अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्रदान करके उनकी प्रतिभा के विकास के लिए प्रोत्साहन देना	योग्यता सूची से, प्रत्येक सामुदायिक विकास प्रखंडों से कक्षा VI/VIII के विद्यार्थियों द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संचालित प्रथम चरणीय परीक्षा और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परिषद द्वारा संचालित अंतिम परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के बाद।	दिवा छात्रों के लिए कक्षा XI और XII तक 60 रु. और कक्षा X तक 30 रु. शिक्षण शुल्क और छात्रावास के विद्यार्थयों के लिए 100 रु. प्रति माह।	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संचालित किया जा रहा है।
(3)	हिन्दी में उत्तर प्रवेशिका अध्यन के लिए गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां।	जहां हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है वहां शिक्षकों और अन्य पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को उपलब्ध कराने हेतु गैर-हिन्दी भाषी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहन देना।	गैर हिन्दी भाषी राज्यों के गैर-हिन्दी भाषी विद्यार्थी; गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के ऐसे विद्यार्थी जो हिन्दी भाषी राज्यों में रह रहे हैं किन्तु उनके रहने की अवधि 5 वर्षों से कम हो और हिन्दी का एक विषय के रूप में अध्ययन कर रहे हैं, उत्तर प्रवेशिका से आगे।	गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में 50 से 100 रु. प्रतिमाह और हिन्दी भाषी राज्यों में 80 से 125 रु. प्रतिमाह जो अध्ययन के स्तर पर निर्भर करता है।	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा संचालित किया जा रहा है।
(4)	विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों के युवा कलाकारों के लिए छात्रवृत्तियां।	संगीत, नृत्य, नाटक, ललित कला, अनुप्रयुक्त कला आदि में उच्च प्रशिक्षण के लिए युवा कलाकारों को।	सामान्य शिक्षा, चुनिन्दा क्षेत्र/विषय में प्रवीणता और ज्ञान, आयु-18-28 वर्षों के बीच।	1000/- रु. प्रतिमाह	संस्कृति विभाग

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत छात्रवृत्तियों/वित्तीय सहायता के और अधिक ब्यौरे वर्ष 1994-95 की वार्षिक रिपोर्टों-भाग I (शिक्षा विभाग), भाग II (संस्कृति विभाग) और वर्ष 1993-94 की वार्षिक रिपोर्ट, भाग III (युवा मामले एवं खेल-कूद विभाग), में उपलब्ध है। ये रिपोर्टें सभापटल पर रख दी गई थी और ये संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है।

वन्यजीवों संबंधी समिति

2851. श्रीमती महेन्द्र कुमारी :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु सिफारिशें देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो समिति का स्वरूप और उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). समिति का गठन और उसके विचारार्थ विषय संलग्न विवरण में दिए गए हैं। समिति को अधिसूचना की तारीख 19 जुलाई, 1995 से छः महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

विवरण

समिति का गठन इस प्रकार है:

(1)	श्री एम.एफ. अहमद, वन महानिरीक्षक एवं पदेन विशेष सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार	अध्यक्ष
(2)	श्री एस. देवराय, पूर्व अपर वन महानिरीक्षक, (वन्यजीव), भारत सरकार	सदस्य
(3)	श्री वाल्मीक थापर, सदस्य, संचालन, समिति बाघ परियोजना	सदस्य
(4)	श्री फतेह सिंह राठौर, सेवानिवृत्त क्षेत्र निदेशक रणथम्भौर और सरिस्का बाघ रिजर्व, राजस्थान	सदस्य
(5)	श्री मदन लोकुर, केन्द्र सरकार का स्थायी परामर्शदाता, दिल्ली उच्च न्यायालय	सदस्य
(6)	श्री राज पंजवानी, एडवोकेट, दिल्ली उच्च न्यायालय	सदस्य
(7)	श्री अशोक कुमार, सदस्य, संचालन समिति (बाघ परियोजना) एवं परामर्शदाता (केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण)	सदस्य-सचिव

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं :

(क) रिट याचिका सं. 4918/1993 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी निदेशों का कार्यान्वयन और निगरानी करना।

(ख) सामान्यतः वन्यजीवों और अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों और वन रिजर्वो में सीमित वन्यजीवों के परिरक्षण और सुरक्षा के संबंध में सिफारिशें और सुझाव देना।

(ग) जीव जन्तुओं से बनी वस्तुओं के अन्धाधुन्ध व्यापार को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सिफारिशें करना।

(घ) विद्यमान वन्यजीव कानूनों और नियमों की जांच करना और उनमें संशोधन करने तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपाय सुझाना और सिफारिश करना।

(ङ) वन्यजीवों के त्वरित और स्वस्थ वृद्धि के लिए सिफारिश और सुझाव देना।

(च) सिफारिशें और सुझाव देते समय राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और उनके आसपास रहने वाले लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखना।

(छ) मवेशियों के मालिकों और वन अधिकारियों के बीच विवाद के आधार की जांच करना और विशिष्ट समस्याओं से निपटने के लिए समाधान खोज निकालना।

(ज) विभिन्न अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों की विद्रोह और चोरी-छिपे शिकार जैसी विशिष्ट समस्याओं पर विचार करना।

(झ) और अधिक अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने की आवश्यकता पर विचार करना।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम

2852. श्री जगमीत सिंह बराड़ :
डा. चिन्ता मोहन :
श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के व्यय में लगातार वृद्धि के कारण सरकार को गेहूं तथा चावल पर क्रमशः 171.20 रुपये तथा 137.90 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राज सहायता देनी पड़ी है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के खर्च में वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) और (ख). जी, नहीं। 1994-95 के दौरान गेहूं पर 159.80 रुपये प्रति क्विंटल और चावल पर 114.67 रुपये प्रति क्विंटल की उपभोक्ता सब्सिडि (संशोधित अनुमान) परियोजित की गई है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किए गए खर्च का ब्यौरा निम्नानुसार है :

दर: रुपये/प्रति क्विंटल

	1993-94		1994-95 (संशोधित अनुमान)		1995-96 (बजट अनुमान)	
	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं	चावल
अनाज की एकीकृत लागत	325.31	500.40	343.96	553.20	355.84	576.84
वसूली प्रासंगिक खर्चे	89.28	40.25	100.53	44.36	101.76	45.96
वितरण लागत (हानि रहित)	113.04	114.48	113.57	115.33	114.40	115.30
आर्थिक लागत (हानि रहित)	527.63	655.13	558.06	712.89	572.00	738.10
बिक्री प्राप्तियां	355.88	500.42	398.98	598.22	400.80	600.20
सब्सिडि	171.75	154.71	159.08	114.67	171.20	137.90

(घ) से (च). औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम की प्रचालन लागत का अध्ययन किया था। अध्ययन का एक निष्कर्ष यह था कि भारतीय खाद्य निगम अपनी वास्तविक लागत (सब्सिडि रहित) पर खाद्यान्नों की आपूर्ति कर सकता है जो कि निजी व्यापारियों द्वारा ली जाने वाली कीमतों से ज्यादा महंगी नहीं होगी। अध्ययन से यह भी पता चला है कि भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत बाजार मूल्यों के साथ तुलना करने योग्य है और कई मामलों में विशेष रूप से अभाव वाले क्षेत्रों में ये मूल्य कम है।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किए जाने वाले कुल व्यय का लगभग 80 प्रतिशत इसके नियंत्रण के बाहर है जिसमें अनाज की प्रभार रहित लागत (नेकेड कास्ट), बैंकों को अदा किया जाने वाला ब्याज, रेलवे भाड़ा और परिवहन लागत, क्रय कर, मंडी लेवी और बोरियों की लागत शामिल है। शेष 20 प्रतिशत खर्च जो कि नियंत्रण योग्य है उसमें श्रम एवं हैंडलिंग लागत, भंडारण लागत और अनाज की कमियां शामिल है। औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम खर्च के नियंत्रण योग्य घटक में कमी करने के लिए सभी प्रयास कर रहा है।

उर्वरकों पर राजसहायता

2853. श्री नवल किशोर राय :
श्री गुमान मल लोढा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या के आधार पर उर्वरकों पर राजसहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से इस वर्ष के दौरान उर्वरकों पर राज सहायता देने के लिये उनके राज्यों में रहने वाले छोटे और सीमान्त किसानों की संख्या के संबंध में उनसे ब्यौरा देने को कहा है;

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों से इस संबंध में ब्यौरा प्राप्त हो गया है;

(ङ) उन्हें कब तक राजसहायता प्रदान कर दी जायेगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ङ). छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी वर्गों के किसानों को नियंत्रणमुक्त फास्फेट और पोटाश युक्त उर्वरकों पर रिआयतें दी जाती हैं तथा विभिन्न राज्यों के छोटे और सीमांत किसानों की संख्या के आधार पर सब्सीडी दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बछड़ों के मांस का निर्यात

2854. श्री देवी बक्स सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी बछड़ों के मांस का लगातार निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने बछड़ों के मांस के निर्यात पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी संबंधित संगठनों से एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

धान की खरीद

2855. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में समर्थन मूल्य पर उत्तम किस्म के धान के रूप में स्वर्ण मसूरी धान की खरीद की जा रही है; और

(ख) क्या इस किस्म के धान को मध्य प्रदेश में भी उत्तम किस्म के धान के रूप में खरीदा जायेगा?

खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह) : (क) उड़ीसा राज्य में धान की स्वर्ण मसूरी किस्म की बढ़िया धान के रूप में समर्थन मूल्यों पर खरीदारी की जा रही है।

(ख) 1994 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त धान की स्वर्ण मसूरी किस्म के नमूनों का विश्लेषण खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार की केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला में किया गया है और सभी नमूनों में साधारण समूह की धान का अपमिश्रण पाए जाने के कारण मध्य प्रदेश में इस साधारण किस्म के रूप में वर्गीकृत किया गया था। अतः मध्य प्रदेश में इसकी वसूली एक समान विनिर्दिष्टियों के अनुसार साधारण धान के रूप में की जाएगी।

[अनुवाद]

स्व-विवेकाधीन अनुदान

2856. श्री जसवन्त सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मंत्री के विवेकाधीन कोष से किन-किन व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को 20000/- रुपये अथवा इससे अधिक अनुदान दिया गया;

(ख) विवेकाधीन अनुदानों के लिए किन मामलों को उचित समझा जाये, यह आंकलन करने के लिए कोई नियम/दिशानिर्देश हैं; और

(ग) यदि हां, तो ये नियम/दिशानिर्देश क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग). मंत्रीजी के विवेकाधीन अनुदान से सहायता के लिए प्रार्थनापत्रों पर इस प्रयोजन के लिए बनाए गए नियमों/मार्गदर्श सिद्धांतों के अनुसार कार्रवाई/जांच की जाती है। एक विवरण-I में संलग्न है, जिसमें उन व्यक्तियों/संस्थाओं/संगठनों के नाम दिये गये हैं, जिन्हें पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्रदान की गई है। नियमों/मार्गदर्श सिद्धांतों की एक प्रति विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

क्र.सं.	व्यक्ति, संस्थाओं तथा संगठनों के नाम	संस्वीकृत राशि
1	2	3
	1993-94	
1.	श्री महम्मद शाहिद शिक्षा संबंधी उपयोगी काम हेतु	30,000/- रु.
2.	सचिव सामुदायिक विकास केन्द्र, चुरहट	50,000/- रु.
3.	अखिल भारतीय नेत्रहीन संगठन, दिल्ली नेत्रहीनों के कल्याण हेतु	25,000/-
	1994-95	
4.	श्री मोहिन्द्रा रे, प्रसिद्ध कवि को उनके कल्याण के लिए	30,000/- रु.
5.	श्री गुलशन खां साहनी, प्रसिद्ध लेखक को उनके उपचार के लिए	1,60,000/- रु.
	1995-96 (अब तक)	
6.	डॉ. वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रसिद्ध गणितज्ञ को उनके कल्याण/ उपचार के लिए	75,000/- रु.
7.	मध्य प्रदेश बधिर मूक कल्याण संस्थान, ग्वालियर	25,000/- रु.

विवरण-II

मंत्री जी के विवेकाधीन निधि से संवितरण संबंधी नियम

1. निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्री की विवेकाधीन निधि से संस्वीकृत किए जा सकते हैं :

(क) सामान्य/तकनीकी शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्रों में उपयोगी कार्य कर रही संस्थाओं/संगठनों और व्यक्तियों को।

(ख) जन संपर्क माध्यमों जैसे पत्रकारिता, फिल्म प्रसारण, प्रसार, दूरदर्शन, नाटक, कविता, संगीत और प्रदर्शन कला क्षेत्रों में उपयोगी कार्य कर रही संस्थाओं/संगठनों और व्यक्तियों को।

(ग) समाज कल्याण/सामाजिक सुरक्षा में उपयोगी कार्य कर रही संस्थाओं/संगठनों और व्यक्तियों को तथा विकलांग व्यक्तियों को ताकि वे शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अपने आप को जीवन में स्थापित कर सकें।

(घ) पूर्वी पाकिस्तान (अब बांगला देश) और पश्चिमी पाकिस्तान के सुयोग्य व्यक्ति और उनके परिवार वालों तथा बर्मा, श्रीलंका, इत्यादि के देश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों तथा तात्कालिक वित्तीय सहायता की आवश्यकता होने पर तिब्बती शरणार्थियों को।

(ङ) सामान्य/तकनीकी शिक्षा, संस्कृति, जनसंपर्क माध्यम जैसे प्रसारण पत्रकारिता अथवा फिल्में, समाज कल्याण/सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्यों के लिए व्यक्तियों को और उनको जिन्हें सेवा के दौरान अथवा राष्ट्रीय

स्वतंत्रता आंदोलन के लिए राष्ट्रभक्तों के तौर पर क्षति हुई हो।

(च) असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए (प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले वे विद्यार्थी जिन्हें पिछली परीक्षा में अंकों की उच्च प्रतिशतता प्राप्त हुई हो, जो कि या तो विकलांग हों अथवा जिनके अभिभावकों की आय 500/- रु. से अधिक नहीं हो।) इस सहायता के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों के किसी भी विभाग से बच्चा, कोई भी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो।

(छ) जरूरतमंद और अभावग्रस्त पत्रकारों, फिल्म उद्योग कार्यकर्ताओं और कलाकारों के परिवारजनों को सहायता प्रदान करना जब एकमात्र अर्जक की मृत्यु हो जाने पर इन परिवारों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता हो।

2. (क) पूर्ण अथवा पर्याप्त परिसम्पत्तियों को हासिल करने के लिए इस निधि से सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

(ख) विवेकाधीन अनुदान अलग-अलग व्यक्तियों को निजी खैरात के तौर पर वितरित किए जाने के लिए नहीं है।

(ग) सरकारी कर्मचारी (केन्द्र तथा राज्य के) इस निधि को सहायता प्राप्त करने के पात्र नहीं है।

(घ) चिकित्सीय शिक्षा के लिए इस निधि से सहायता उपलब्ध नहीं होगी।

3. सभी अनुदान, शिक्षा मंत्री के स्वनिर्णय पर, उनके द्वारा निजी तौर पर लिखित आदेशों के अंतर्गत दिए जाएंगे।

4. संस्थान/संगठन/व्यक्तियों को दी गई अनुदान राशि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान सामान्यतः 10,000/- रु. से अधिक नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में, बड़ी राशियां, वित्त मंत्रालय की सहमति के पूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा उचित समझे जाने वाले कारणों के आधार पर दी जा सकती है।

5. सभी अनुदान अनावर्ती प्रकृति के होंगे और कोई भी आवर्ती दायित्व नहीं लिया जाएगा।

6. अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा अनुदान राशि का इस्तेमाल संस्वीकृति के एक वर्ष के भीतर किया जाएगा।

7. अनुदान सामान्यतः उन व्यक्तियों/संस्थानों अथवा संगठनों को नहीं किए जाएंगे जहां उसी प्रयोजन के लिए किसी मंत्रालय अथवा विभाग द्वारा अनुदान अथवा सहायता राशियां प्रदान की गई हों अथवा प्राधिकारियों द्वारा मना की गई हों :

i. भारत के उप राष्ट्रपति,

ii. भारत सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की मंत्रालय परिषद के सदस्य;

iii. भारत सरकार के मंत्रिमण्डल सचिव।

iv. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रालय/विभाग।

v. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी अन्य प्राधिकारी।

इस संबंध में अनुदान प्राप्तकर्ता द्वारा एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा (प्रमाणपत्र फार्म-1 में संलग्न है)।

8. भुगतान कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, जनपथ, नई दिल्ली के चैक के माध्यम से किया जाएगा। यह चैक अनुदान प्राप्त कर्ता के नाम पर वेतन एवं लेखा कार्यालय (शिक्षा) द्वारा नियंत्रक कार्यालय के निदेश के अंतर्गत जारी किया जाएगा। अवर सचिव (रोकड़) शिक्षा विभाग आहरण एवं वितरण अधिकारी होंगे, शिक्षा मंत्री की विवेकाधीन निधि से संस्वीकृति जारी करने वाले-संबंधित अनुभाग को चाहिए कि वह साधारण रसीद पर बिल तैयार करे और उसे संबद्ध संस्वीकृति आदेश सहित रोकड़ अनुभाग को भेजे ताकि वे वेतन एवं लेखा कार्यालय से चैक प्राप्त कर लें।

9. प्राप्तकर्ता द्वारा फार्म-II में संलग्न रसीद प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

10. शिक्षा विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव, जो कि शिक्षा मंत्री के विवेकाधीन अनुदानों के लिए नियंत्रक अधिकारी हैं, इन नियमों के साथ संलग्न फार्म-III में संस्वीकृतियों के एक रजिस्टर के रख रखाव के उत्तरदायी होंगे जिसमें समय-समय पर निधि और शेष राशि से शिक्षा मंत्री द्वारा संस्वीकृत संवितरणों को क्रम से प्रविष्ट किया जाएगा।

11. वितरण अधिकारी फार्म-IV में, जारी चैकों के रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा और अनुदान प्राप्तकर्ता की रसीद को भुगतान होते ही वेतन एवं लेखा अधिकारी (शिक्षा) को भेजेगा।

12. नियंत्रक अधिकारी, संस्वीकृति रजिस्टर और जारी चैकों के रजिस्टर का आवधिक निरीक्षण करेगा और संवितरणों के उचित लेखा करण के लिए ऐसी अन्य जांचे भी करेगा जिन्हें वह आवश्यक समझे।

13. नियम 1 के अंतर्गत अनुदान प्राप्तकर्ता से अपेक्षित होगा कि वह फार्म V में इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे कि अनुदान राशि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है जिसके लिए उसे संस्वीकृत किया गया था। उपयोगिता प्रमाणपत्र के साथ अनुदान प्राप्तकर्ता परीक्षित लेखा विवरण (चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा परीक्षित) अथवा मामले के अनुसार संबद्ध रसीद वाउचरों इत्यादि सहित व्यय विवरण प्रस्तुत करेगा।

14. अलग-अलग व्यक्तियो को दिए गए अनुदानों के मामले में, इस प्रयोजन के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र पर्याप्त माना जाएगा।

प्रपत्र–I

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि ——————————————————————
——————को जिस उद्देश्य हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा उनके पत्र सं.——————————
दिनांक ———————————————— द्वारा अनुदान स्वीकृत किया गया है, उसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य मंत्रालय/विभाग द्वारा कोई अनुदान अथवा सहायता नहीं दी गई है तथा उसी उद्देश्य के लिए भारत सरकार के किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा अनुदान अस्वीकृत नहीं किया गया है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अब स्वीकृत अनुदान स्वीकृति के एक वर्ष के अंदर प्रयोग कर लिया जायेगा।

हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

प्रपत्र–II

पावती पत्र

मंत्रालय/विभाग———————————————————————————से
शिक्षा मंत्री के विवेकाधीन निधि से संस्वीकृत————————————————रु.
(———————————————————————————— रुपये केवल)
रेखांकित चैक के जरिए—————————————————————— बैंक, नई दिल्ली
को नाम प्राप्त हुए।

(टिकट)

हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

(प्रपत्र संख्या-3)

(शिक्षा विभाग)

शिक्षा मंत्री के विवेकाधीन निधि रजिस्टर की संस्वीकृतियां

क्र.सं.	अनुदानग्राही का नाम	प्रस्ताव से संबंधित मंत्रालय/विभाग का नाम	किस स्तर पर प्रस्ताव की सिफारिश की गई है	शिक्षा मंत्री के आदेश का दिनांक	संस्वीकृत सं. दिनांक	संस्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6	7

बिल सं. एवं दिनांक	चैक सं. एवं दिनांक	राशि	कुल व्यय	अप्रयुक्त बकाया राशि
8	9	10	11	12

प्रपत्र–IV

शिक्षा मंत्री के विवेकाधीन अनुदान से जारी किए गए चैकों का रजिस्टर

संस्वीकृत	चैक संख्या तथा दिनांक	लाभग्राही का नाम	राशि रु.	वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर	चैक भेजने की संख्या एवं दिनांक	भुगतानकर्ता की चैक की रसीद	उपयोगिता प्रमाणपत्र की रसीद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्रपत्र–V

उपयोगिता प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मंत्रालय/विभाग द्वारा उनके पत्र संख्या—————————— दिनांक—————————————के द्वारा संस्वीकृत किए गए अनुदान की राशि निर्धारित अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए खर्च की गई है, जिसके लिए संस्वीकृत की गई थी। खर्च न की गई अनुदान की ——————————————— रु. की राशि ———————————————— सरकारी कोष में—————————————को——————————————शीर्ष के अंतर्गत जमा कर दी गई है।

(चालान की प्रति संलग्न)

हस्ताक्षर

संस्थान के प्रधान

सनदी लेखाकार के हस्ताक्षर

या

खर्च के विवरण, संबंधित रसीद
वाउचर के साथ होना चाहिए।
जैसी भी स्थिति हो।

केरल में दुग्ध उत्पादन

2857. श्री रमेश चेन्नितला : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन और खपत कितनी है;

(ख) क्या यह राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केरल में प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन और खपत बढ़ाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं शुरू की गई हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). 1992-93 के अनन्तिम प्राक्कलनों के अनुसार 181 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन की राष्ट्रीय औसत की तुलना में केरल में दुग्ध उत्पादन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 173 ग्राम है। केरल में औसत दुग्ध उत्पादन कम है क्योंकि राष्ट्रीय औसत की तुलना में यहां प्रति हजार जन संख्या के पीछे दुधारू पशुओं की संख्या कम है।

(घ) राज्य सरकार के कार्यक्रमों के अतिरिक्त केरल में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित केन्द्रीय/केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है:

(1) हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण कार्यक्रम का विस्तार।

(2) आहार एवं चारा विकास के लिए राज्यों का सहायता।

(3) राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना

(4) पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।

(5) राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।

(6) व्यावसायिक क्षमता विकास।

(7) आपरेशन फ्लड-3 के अंतर्गत कार्यक्रम।

लोक सभा में दिनांक 1 अगस्त, 1995 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 216 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

प्रश्न संख्या 216 के उत्तर में आठवीं पंक्ति के पांचवे शब्द को दूसरी के स्थान पर "तीसरी" पढ़ा जाए।

12.00 मध्याह्न

धनबाद के निकट दुगदा में धरना देते समय छः खनिकों की कथित हत्या के बारे में

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, अत्यधिक चिंता के साथ में यह मामला उठा रहा हूं। कल एक सवारी गाड़ी एक अन्य सवारी गाड़ी से भिड़ गई और हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, क्या यह एक दुर्घटना थी और क्या सरकार की ओर से लापरवाही बरती गई थी?

आज, मैं आपके माध्यम से समस्त सभा का ध्यान इस एक भिड़न्त की ओर आकर्षित करता हूं-जो न तो मतभेद के माध्यम से और न ही ईश्वर के हाथों अपितु जानबूझ की गई थी-यह भिड़न्त धनबाद के निकट दुगदा कोयला धोवनशाला में भाग्यहीन कोयला खनिकों के साथ कोयला डैम्पर द्वारा की गई थी। इससे यह हुआ कि छः व्यक्तियों की मृत्यु हो गई क्योंकि डैम्पर उनपर चढ़ गया था। उन्होंने क्या अपराध किया था? वे आदिवासी हैं। उनके नाम हैं श्री किशोर मांझी, श्री रामदेव महतो, प्रमोद महतो, श्री यूपेन मांझी, श्री कोकिल चन्द्र महतो और श्री राम अवतार प्रजापति, उनका यही कसूर है कि वे आदिवासी थे। उनकी गलती यह थी कि कल 21 तारीख को कोयला खनिकों द्वारा हड़ताल का आवाहन किया गया था और हड़ताल हेतु और अपनी मांगों की रक्षा के लिये ये श्रमिक धरने पर बैठे थे। यह कल्पनातीत और मानव की कल्पना के परे है कि भारत कोकिंग कोल लि. ने, श्रमिकों को हतोरसाहित करने के लिये, कोल डैम्पर को उनके ऊपर-चलवा दिया। कल यह कृत्य हुआ है। इस सभा में मैंने अनेक नेताओं को कहा है। वे यह बात, विश्वास करने योग्य की स्थिति में नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। कोयला मंत्री यहां नहीं है। मुझे दिन में देर से सूचना मिली और मैंने अध्यक्ष महोदय को सूचित कर सका। इसलिये आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं कि यह जो कुछ हो सभा उसपर और उन्हें किस प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जानी है, के बारे में तत्काल एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये। यदि यह सच है तो हड़ताल श्रमिकों की इस प्रकार हत्या किये जाने के बारे में सम्पूर्ण राष्ट्र से क्षमा मांगनी होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। प्रश्न यह है कि यदि भारत कोकिंग कोल जैसा केन्द्रीय उपक्रम श्रमिकों को गेट से हटाने के लिये विशाल डैम्पर को आन्दोलन कारी श्रमिकों पर यदि जानबूझ कर चढ़वा देता है तो उसका यह कृत्य केवल अमानवीय ही नहीं अपितु जानबूझ कर किया गया अपराध है। क्या देश के श्रमिकों की यही नियति है? 60 प्रतिशत श्रमिकों ने इस हड़ताल में भाग लिया है। हो सकता है कि प्रबंधन को यह पसन्द न हो। प्रबंधन ने कहा था कि सबकुछ सामान्य था। यदि यह सब सामान्य था तो यह घटना किस प्रकार हुई।

महोदय, क्या हम सभ्य समाज में रहते हैं अथवा नहीं? क्या यह सही तरीका है? उनकी परेशानी यह है कि प्रबंधन द्वारा जो वेतन देने के लिये सहमति दी गई है अथवा उन पर लादी जा रही है, वह दूसरों को दिये गये वेतन से कम है। अधिकारियों को वही वेतनमान दिये गये हैं किन्तु श्रमिकों को नहीं। श्रमिकों को निम्न वेतनमान दिये जा रहे हैं। उनका यही विरोध है। महोदय, यदि वे कुछ अनुचित कर रहे थे, और यदि प्रबंधन को पसंद नहीं था, तो श्रमिकों को गिरफ्तार किया जा सकता था अथवा कानूनी तौर से उनसे निपटा जा सकता था। किन्तु जानबूझ कर एक ट्रक उन पर चढ़ा दिया गया।

श्री बूटा सिंह यहां बैठे हैं। वह सरकार में मंत्री है। यह किस प्रकार की सरकार है, हमें नहीं पता। मैंने सोचा था कि कोयला मंत्री स्वेच्छा से एक वक्तव्य देंगे। हम उन्हें क्यों सूचित करते? देश में यह घटना घटी है—जो न केवल मेरे और आपके समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है- अपितु स्पष्ट रूप से यह सरकार की जानकारी में है।

महोदय, मेरा कहना है कि उन व्यक्तियों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जाये और उन्हें कठोर सजा दी जाए। यह और कुछ नहीं बल्कि जानबूझ कर की गई हत्या है।...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी : महोदय, आज सभा के स्थगित होने से पूर्व कोयला मंत्री को एक वक्तव्य देना चाहिये।

[हिन्दी]

प्रो. रीता वर्मा (धनवाद) : अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय निर्मल जी और सोमनाथ जी की बातों से अपने आपको सम्बद्ध करना चाहती हूं। मनुष्य के प्राणों का मूल्य है। चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, राजनीति से उठकर उनके प्राणों का मूल्य होता है। प्रजातंत्र में धरने पर बैठने और विरोध करने का हम सबको जन्मसिद्ध अधिकार है। धरने पर जो मजदूर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं उसके औचित्य के बारे में तो विवाद किया जा सकता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन पर डम्पर चढ़ा दिया जाए और इस तरह उनके प्राण ले लिए जाएं। यह तो बिलकुल मर्डर है और इस हत्या के लिए कड़े से कड़ा दण्ड उनको मिलना चाहिए। मैं आपके द्वारा माननीय कोयला मंत्रीजी से सबसे पहले यह मांग करूंगी कि वे हाउस में आकर एक स्टेटमेंट दें और बताएं कि क्या घटना हुई है। इसकी एक ज्युडिसियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्या सर्कमस्टांसेज थे। जैसा कि कुछ लोग कह रहे थे कि स्किड कर गया, लेकिन इसकी प्रोपर इंक्वायरी होनी चाहिए कि हुआ क्या था और जो लोग मारे गए हैं उनकी हत्या हुई है तो जो भी कंसर्न ऑफिसर हैं उनको कड़े से कड़ा दण्ड मिलना चाहिएं। पूरी मिनिस्ट्री इसके लिए रेस्पोंसिबल है। जो लोग मारे गए हैं उनको कम्पनसेशन मिलना ही चाहिए, जैसा कि आजकल न्यु केन्डा कोलेरी के मामले में मिला है। उस तरह का कम्पनसेशन तथा उनके आश्रितों को तो मिलना चाहिए लेकिन उससे गए हुए प्राण वापस नहीं आ सकते, इसलिए उनके प्राण जाने के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनको कड़े से कड़ा दण्ड मिलना चाहिए और कोयला मंत्रीजी को तुरन्त हाउस में आकर स्टेटमेंट देने चाहिए।

श्री हाराधन राय (आसनसोल) : 8 अगस्त को इसी सदन में मैंने यह सवाल उठाया था कि खनन के मजदूरों के लिए अभी तक नेवा-एसका फैसला नहीं किया जिसकी वजह से पेमेंट नहीं हुआ। इसलिए 21 तारीख को भारत के 7 लाख खनन मजदूर हड़ताल पर जाएंगे। सीटू के आहवान पर 7 लाख मजदूर हड़ताल पर गए थे। बी.सी.सी.एल. में जो 6 मजदूरों की हत्या हुई है इसकी ज्युडिसियल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो मजदूर मारे गए हैं उनको कम्पनसेशन और उनके आश्रितों को नौकरी देने का प्रबन्ध अभी होना चाहिए। खनन के मजदूरों का फैसला अभी नहीं किया और जो लोग ऐसे मारे गए हैं उनका अभी तक फैसला नहीं हुआ, उसक पनिशमेंट होना चाहिए और मंत्री जी इसकी जिम्मेदारी लें। हम मांग करते हैं कि उनका फैसला जल्दी से जल्दी किया जाए तथा मजदूरों को शांत किया जाए, नहीं तो और गड़बड़ी पैदा होगी, कोयले के उत्पादन में गड़बड़ी पैदा होगी। हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए इसकी ज्युडिसियल इंक्वायरी हो और उनके आश्रितों को नौकरी देने तथा उनको कम्पनसेशन देने के काम किया जाए, यही मेरा कहना है।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : मंत्री महोदय, को आना चाहिये; अपराधी को दण्ड मिलना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, निर्मल चटर्जी साहब और सोमनाथ दादा ने जो सवाल में उठाया है, जैसा अभी प्रो. रीता वर्मा ने भी कहा, मैं उनकी सारी भावनाओं से अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मंत्री जी को इस विषय पर बयान देना चाहिये। लेकिन मैं जिस विषय को उठाने के लिये खड़ा हुआ हूं, वह दूसरा है।

अध्यक्ष महोदय : उसे फिर आप बाद में उठाईये।

श्री शरद यादव : मैं इस सवाल पर नहीं उठा था। मैं अपनी बात कहने के लिये उठा था।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उसे बाद में उठाईये। मैं आपको टाइम दूंगा। मैं आपको बाद में एलाव करूंगा।...

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में आपको अनुमति दूंगा। अब, सरकार को इसके बारे में क्या कहना है।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : मैं इसकी सूचना तत्काल ही कोयला मंत्री को दूंगा जिससे कि वह इस सभा में समक्ष सही स्थिति वाला एक वक्तव्य दे सके।

अध्यक्ष महोदय : उसमें यह भी होना चाहिये कि किस प्रकार की कार्यवाही की जायेगी और किस प्रकार का मुआवजा दिया जायेगा।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : बहुत अच्छा, महोदय, **(व्यवधान)**

डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा) : मुझे भी कुछ कहने दीजिये क्योंकि मैं आज सलाहकार समिति की बैठक में था।

अध्यक्ष महोदय : सलाहकार समिति की बैठक में जो कुछ हुआ है, उस की चर्चा यहां नहीं करनी है। सभा में मैं यह सब आपको नहीं सिखाना चाहता हूं। आप उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं।

डा. मुमताज अंसारी : मुझे पत्ता है कि सुबह की बैठक में आज क्या हुआ था। इसीलिये मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है।

[अनुवाद]

आप उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। नियमानुसार आप विधि निर्माता है—आप उसकी चर्चा नहीं कर सकते हैं। आपको यह समझना चाहिये....

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, कल समूचे सदन में फिरोजाबाद की रेल दुर्घटना के संबंध में चर्चा हुई। उस पर मैं यहां बहुत विस्तार में जाना नहीं चाहता। लेकिन चारों ओर से, उस इलाके से जो फोन आ रहे हैं, खबरें आ रही हैं, लोग यहां दौड़कर आ रहे हैं, उनके जरिये हमें जो सूचना मिली है, कल यहां कहा गया था कि इस घटना की बाबत, सरकार सदन को लगातार सूचना देगी कि वहां क्या हो रहा है?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह सूचना देकर आये कि वह इसके बारे में सभा को सूचित करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, आप मेरी बात तो सुनेंगे?

अध्यक्ष महोदय : वहीं तो आप मांग रहे हैं।

श्री शरद यादव : मैं दूसरी बात कहना चाहता था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्या मालूम आपकी दुसरी बात के बारे में मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं है। कुछ भी नहीं है।

श्री शरद यादव : आप इस तरह से बात कर रहे हैं कि मुझे कुछ मतलत समझ नहीं आ रहा है। आपने मुझे खड़ा क्यों किया? आप नाराज क्यों होते हैं, इतनी जल्दी नाराज क्यों होते हैं। यह अच्छा नहीं लगता, अध्यक्ष जी। मैं क्या कह रहा हूं, उसे भी आप सुनना नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे क्या मालूम, आप हाउस में क्या कहना चाहते हैं, बिना जाने, बिना बोले। मेरे पास कोई नोटिस नहीं है।

श्री शरद यादव : मैंने आपको नोटिस [illegible]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह यहां नहीं है। यदि वह यहां नहीं है तो मैं इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आपका नोटिस है?

श्री शरद यादव : आज जिस तरह से बात कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, इस विषय पर मैंने आपको बोलने का मौका दिया। आपका दूसरा विषय क्या है, मुझे मालूम नहीं है। मैं किस प्रकार से कहूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री मल्लिकार्जुन) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कल सभा में कहा था कि मैं सभा को अद्यतन स्थिति के बारे में अवगत कराऊंगा, मैं कहता हूं कि आज 8 बजे तक की अद्यतन स्थिति यह है... (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप पहले सुन लीजिये। अगर कुछ बोलना हो तो बाद में बोलिये।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : सुबह 8 बजे तक कि अद्यतन स्थिति है :

मृतक	275
घायल	218

और 135 शवों की पहचान हो गई है।

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, यदि आपको कुछ और कहना है तो आप बोल सकते हैं...

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : आप सब लोगों को चांस देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको तीन बार चांस दिया है।

श्री शरद यादव : मुझे इस पर अब कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। आपके मैं हाथ जोड़ता हूं। आपने बहुत अच्छा किया। मैं अब इसे छोड़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव।..

(व्यवधान)

12.14 म.प.

तत्पश्चात् श्री शरद यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : कल आपने कहा था कि मृतकों की संख्या 260 है और आज आप 175 बता रहे हैं। यह कैसे हो सकता है।

श्री मल्लिकार्जुन : यह 275 है। कल मैंने स्वयं कहा था कि 260 व्यक्ति मरे थे। आज उनकी संख्या 175 कैसे हो सकती है?... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चरणजीत यादव को पुकारा है। आप अपने बीच स्वयं ही निर्णय ले रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं सभा पर किस प्रकार नियंत्रण रखूं।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, खेद है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है, हमारे कुछ साथी बाहर चले गए हैं। आप इजाजत दें, तो मैं उन सब लोगों को बुला लाता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप बुला लाइए। इस प्रकार से नहीं होता है। उनको अपनी बात कहने का तीन बार समय दिया गया है।

12.17 म.प.

सी.एन.एन. का दूरदर्शन के साथ हुए समझौते के बारे में

[हिन्दी]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से जो दूरदर्शन और सीएनएन का टाइ-अप हुआ है, इस प्रश्न को आज सदन में उठाना चाहता हूं। इस वक्त ऐसा लगता है कि सरकार ने अपनी जो उदारवादी नीति आर्थिक क्षेत्र में अपनाई है और एक ओपन मार्केट, खुले बाजार की नीति पर चलने का फैसला किया है, उसमें कहीं कोई सोच-विचार नहीं किया गया है और कहां राष्ट्र का हित है कहां अहित है, इसको बिल्कुल किनारे लगा दिया है। उसका कोई ध्याम नहीं रखा गया है और सरकार का हर मंत्रालय हर विभाग अपने-अपने ढंग से इस वक्त घोषणा करने में, जैसे कोई बड़ा गौरव और श्रेय महसूस करता है कि हमारी पूरी की पूरी नीति उदारवादी नीति है, खुला निमंत्रण देश के निजी क्षेत्रों को, विदेशी क्षेत्रों को, सबको इस देश में मनमाने ढंग से आने का जो एक निर्णय ले लिया है, वह प्रतिबिम्बित होता है हमारे दूरदर्शन और सीएनएन के इस समझौते के अंदर।

अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा, यह नया प्रश्न नहीं है। सन् 1956 में जब हमारे देश की नीति, राष्ट्र की नीति बन रही थी, उस समय बीबीसी, जो दुनिया का जानामाना संगठन है और बीबीसी की बराबर यह इच्छा थी कि वह भारत के अंदर आए और भारत के अंदर एक बड़े बाजार, बड़ी जनसंख्या और एक महत्वपूर्ण देश और इसके माध्यम से जो सारे विकसित देश है, उनके ऊपर अपनी एक छाप डालने की कोशिश उसने की थी। मगर पं. जवाहर लाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साफतौर पर इंकार कर दिया और कहा कि नहीं, हम जानते हैं कि अगर किसी देश को गुलाम बनाना हो या किसी देश के ऊपर अपनी संस्कृति इम्पोज करनी हो या किसी देश की संस्कृति को विकृत करना हो और किसी देश के लोगों को मिसइन्फार्म करना हो, तो उसका एक कारण यह होता है कि अपनी भाषा को उस देश पर लादें, अपने प्रचार के तंत्र को उस देश पर लादें, अपनी जीवन-पद्धति को उस देश पर लादें, अपनी संस्कृति को उस देश पर लादें। यह साम्राज्यवादी देशों का, औपनिवेशिक देशों को एक प्रभावी तरीका है और जानामाना तौर तरीका है। मुझे खेद है कि अनावश्यक रूप से दूरदर्शन ने सीएनएन के साथ टाई-अप कर लिया है।

अध्यक्ष जी, सीएनएन का यह प्रयास बहुत दिनों से था। पहले भी, हमारी उदार नीति के आने से पहले भी था, पर इसी सरकार ने सीएनएन को बराबर इंकार किया कि नहीं हमको आवश्यकता नहीं है। हमारे रेडियो दूरदर्शन की जो कमजोरियां हैं, जो कमियां हैं हम उनको खुद दूर कर सकते हैं। हम सक्षम हैं। हमारे देश के समाचार पत्र, हमारे देश के पत्रकार, हमारे देश के मीडिया के व्यवहार के कारण उनकी दुनिया में आवश्कता है। दुनिया इनकी मांग कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनकी सेवा मांगी है। इनका इस्तेमाल किया है।

दुनिया के दूसरे विकासशील देशों ने हमारे यहां के पत्रकारों को, हमारे मीडिया विशेषज्ञों को बुलाकर उनकी सेवाओं को लिया है। आज नॉन एलाइन्मेंट मूवमेंट में इसके लिए जो व्यवस्था बनी है, उसमें हमारे देश के लोग मदद कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इस बात को कहा है कि इससे हमें बहुत लाभ हुआ है, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक था और इससे इस देश की जनता को लाभ हुआ है। इस समझौते के अनुसार पहले दिन जब उन्होंने बम्बई में इसका उद्घाटन किया तो उसमें हमारे देश के नक्शे को गलत ढंग से पेश किया गया और हमारे देश के भागों को या तो पाकिस्तान में दिखा दिया या भारत का अंग दिखाया ही नहीं। क्या यह कोई गलती नहीं है? अभी पिछले सप्ताह यूरोप की एक बड़ी मानी जाने वाली संस्था ने एक ऐसे भारत का नक्शा दिखाया जिसमें बंगाल और असम भी नहीं था। उन्होंने उसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिखा दिया। हमारे देश के जो लोग उस सम्मेलन में हिस्सा लेने गये थे, उन्होंने भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो जान बूझकर भारत के खिलाफ प्रचार करते हैं, भारत के हितों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, भारत की मर्यादा को तोड़ने की कोशिश करते हैं और भारत की जो

आत्मनिर्भरता की नीति है, उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं।...(व्यवधान) हमारे देश की राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की नीति को हमारे लोगों ने माना है। मैं सरकार से इस बात की मांग करना चाहता हूं कि वह दूरदर्शन और सीएनएन के समझौते को समाप्त करे। इसको समाप्त करने के बाद हमारी जो राष्ट्रीय नीति बनेगी, उस पर इस संसद में बहस होनी चाहिये क्योंकि आज के जमाने में, आज दुनिया में यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रचार के साधन हैं और जिस प्रकार से हम नयी दुनिया के लिए इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसमें कम्प्यूटर का भी इस्तेमाल हो रहा है, उसमें दुनिया के दूसरे देशों की नयी-नयी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। हमारी एक ऐसी स्थिति है जो सारी दुनिया में भ्रम पैदा कर सकती है। इसलिए सरकार इसको समाप्त करे और इस नीति पर इस सदन में पूरी बहस करने के बाद आगे हमारी क्या नीति होगी, उसके ऊपर सदन को निर्णय लेना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं आपका आभारी हूं क्योंकि कुछ समय से मैं किसी न किसी रूप में इस मामले को उठाने की अनुमति दिए जाने का अनुरोध कर रहा था। किन्तु अब, जिस भी रूप में इसे लाया गया है उसके बारे में कुछ मेरे जो साथी यहां कह चुके मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं।

मुद्दा यह है कि, यह प्रश्न हमारी मीडिया नीति के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। यह इस प्रश्न से इस हद तक जुड़ा हुआ है कि हमें विदेशी मीडिया, विशेष कर इलैक्ट्रानिक मीडिया, उपग्रह मीडिया को हमारे देश में वस्तुतः कहा जा सकता है प्रत्येक भारतीय के घर में दखलंदाजी करने की अनुमति देनी है अथवा नहीं।

यह केवल पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीति की ही अवहेलना नहीं की गई है। द्वितीय दूसरे प्रेस आयोग ने भी इस मुद्दे की पुष्टि की थी कि जहां तक समाचारों के प्रस्तुतीकरण का संबंध है, चूंकि यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, किसी भी रूप में इसका नियंत्रण विदेशी मीडिया के अधिकार में नहीं दिया जाना चाहिये।

अब यह कहा जा रहा है कि चूंकि लगभग $1^1/_2$ मिलियन डालर की धनराशि फीस के रूप में दूरदर्शन को मिलने वाली है, यह हमारे लिये लाभकारी है। किन्तु यह वाणिज्यिक मामला नहीं है। यह नीतिगत प्रश्न हैं। और यहां मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि इस समझौते से इस देश में प्रभावी वर्तमान अनेक विधियों का उल्लंघन किया गया है। चलचित्र अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम का भी उल्लंघन किया गया है। अन्य अनेक अधिनियमों का उल्लंघन किया गया है जैसा कि मैं आपको लिख चुका हूं। इसके अलावा इस मामले को स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिये संसद के समक्ष कभी नहीं लाया गया। यह आवश्यक है, ऐसा नहीं है कि वे जो चाहे अपनी इच्छा से कर सकते है। मुद्दा यह है। कुछ लोग यह तर्क दे रहे हैं कि इस समझौते के बिना भी, सी.एन.एन. की केबल सेवा के आधार पर, हमारे चैनलों तक पहुंच है। यह ठीक है और इससे सरकार को मनमाने रूप से किसी समझौते करने का अधिकार तो नहीं मिल जाता और वे अपनी मरजी से हमारे टेलीविजन चैनलों के समझौते के माध्यम से सी.एन.सी. को ले आये जैसा कि किया गया है। उन्हें हमें बताना चाहिये कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। अब, हमें पता है कि यह मामला केवल समाचारों को तोड़-मरोड़ कर देने से संबंधित है।

क्या मैं, संक्षेप में एक उदाहरण द्वारा आपका ध्यान आकर्षित कर सकता हूं? यह ठीक तरह से प्रत्यक्ष रूप से सी.एन.सी. से संबद्ध नहीं है, इससे मैं सहमत हूं। किन्तु विदेशी मीडिया जब समाचार प्रस्तुत करता है तब इस प्रकार का कार्य करता है। 'टाइम' पत्रिका का नवीनतम अंक का उल्लेख करना चाहता हूं। यदि मैं कुछ वाक्यों का ही उद्धरण दूं तो इससे यह तथ्य प्रकट होता है कि अमेरिका में 'ओह डार्लिंग' दिस इस इंडिया" नामक फिल्म सिनेमाघरों में दिखाई जा रही है। फिल्म का अन्त एक भवन से लगाई गई बोली पर होता जिसकी छवि राष्ट्र संघ के मुख्यालय से मिलती है- महोदय, जहां आप शीघ्र ही जा रहे हैं। जिसमें खलनायक की आकृति भारत के राष्ट्रपति जैसी है, जो विदेशी राजनयिक और बहुराष्ट्रिक उच्च अधिकारियों के ग्रुप को समग्र देश को समर्पित करता है। यह छद्म राष्ट्रपति बोली लगाने वालों से कहता है "सैकड़ों वर्ष पूर्व इस देश का शासन एक कम्पनी के हाथ में रहा था और यह अत्यधिक लाभकारी था" ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह जटिल होता जा रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने तथ्य बताया है। हमें पता है कि विदेशी मीडिया द्वारा कैसे समाचार प्रस्तुत किये जा रहे हैं। यह प्रश्न भारत के नक्शे को गलत कर दिखाने और केवल यह दिखाने से संबंधित नहीं है कि कश्मीर भारत का अंग नहीं है। उन्होंने और भी बहुत सारे कार्य किये हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भारत की संस्कृति और नैतिकता के हमारे परम्परागत मानदण्डों आदि का उल्लंघन किये जाने के अतिरिक्त लोग अब शिकायतें कर रहे हैं कि अब ऐसे दृश्य दिखाये जा रहे हैं जिन्हें आप अपने परिवार में बैठकर बच्चों को देखने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। सभी ये जानते हैं। नग्नता, बेहूदापन, ड्रगस की लत, अपराध, हिंसा और सब प्रकार का अनियन्त्रित सैक्स प्रदर्शन-यह सब दिखाया जा रहा है। मुझे कहते हुए दुःख होता है कि हमारे देश की आबादी में से बहुत कम संख्या में लोग संभवतः इन सब का आनंद लेते हैं।

किन्तु बात यह है समाचारों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किये जाने के अलावा इसका हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर, और हमारे नैतिक मूल्यों की उस भावना पर दीर्घकालिक विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा, जिसका हम देश में परम्परागत रूप से गर्व करते रहे हैं। इसलिये मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री को इस मुद्दे पर हमारी दीर्घकालिक नीति को ध्यान में रखकर देखना चाहिये था कि इसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें यह कहकर बहलाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिये कि वाणिज्यिक विज्ञापनों

के लिये, जिन्हें हम दिखाने जा रहे हैं, हमें लगभग $1^1/_2$ मिलियन डालर प्राप्त होने वाले हैं। हम मांस के शोरवे के सहभोज के लिये सम्पूर्ण देश के मूल्यों को नहीं बेच सकते।

इसलिये मैं अपने देश में पुराने समय से पालन की जा रही नीति का इस प्रकार घोर उल्लंघन किये जाने का दृढ़ता से विरोध करता हूं। मैं इस मांग का समर्थन करता हूं कि इस समझौते की समीक्षा की जानी चाहिये और इसकी समीक्षा करने के लिये एक समिति द्वारा, सक्षम व्यक्ति द्वारा समुचित समीक्षा किये जाने का निश्चित रूप से प्रावधान किया जाना चाहिये और इस पर इस सभा में चर्चा होनी चाहिये और तत्पश्चात् ही इस मामले को अंतिम रूप दिया जाना चाहिये।

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में बोलूंगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि आपकी एक बैठक में चर्चा को लिये इस मामले को उठाया गया था तब आपने यह टिप्पणी की थी कि आप इस पर विचार प्रकट करने की उस समय अनुमति देंगे जब मंत्री महोदय भी उपस्थित हों जिससे कि हम सरकार की ओर से कुछ प्रत्युत्तर भी मांग सकें।

मेरे वरिष्ठ साथी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो विचार प्रकट किये हैं; उससे मैं सहमत हूं और विस्तृत विश्लेषण के बिना ही मैं बहुत ही संक्षेप में कुछ कहना चाहूंगा क्योंकि यह सब कुछ मीडिया नीति के अभाव में किया जा रहा है। दूसरे, इस आरोप के इसकी पुष्टि करने के आधार हैं-कि इससे दृश्य मीडिया तथा मुद्रण मीडिया के बारे में वर्तमान सभी निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन हो रहा है। तीसरे हमारी आपत्ति क्या है? यदि इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है, तो हमारे संविधान में भी भारतीय नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को दी गई है न कि विदेशी राष्ट्रिकों को। इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भारतीय संविधान की यह एक विशेषता है।

तीसरे जब आप दृश्य मीडिया की अनुमति दे रहे हैं, तो समाचारों का राष्ट्रीय प्रसारण कर्ता दूरदर्शन है। यदि समाचारों का राष्ट्रीय प्रसारण किसी अन्य प्रसारण के माध्यम से किया जाता है, तो मैं यह मानता हूं कि उसका कोइ अर्थ नहीं रह जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण चाहे तो समाचारों को किसी के भी साथ तकनीकी आदान-प्रदान कर सकता है। किन्तु हमारे राष्ट्रीय प्रसारण का गठ-बंधन किसी और के साथ नहीं हो सकता। यह एक बहुत ही मौलिक प्रश्न है।

[हिन्दी]

आज हमारा खबरों का साधन दूरदर्शन है और दूरदर्शन किसी और से ब्याह रच ले, इसलिए क्योंकि उसे अपने समाचार और सुविधाजनक तरीके से प्रस्तुत करने हैं, कहीं बहुत दिक्कत खड़ी होती है, इसलिए हम सरकार से जानना चाहेंगे, अभी तो हमें जानकारी भी नहीं है।

[अनुवाद]

उन्होंने वास्तव में क्या किया है-उप-लिंकिंग अथवा डाउन लिंकिंग? शर्तें क्या हैं।

[हिन्दी]

एकमात्र 15 लाख डालर के लिए यह सब बिक जाय, यह तो कहीं गले नहीं उतरता। मेरा आपसे निवेदन होगा, अध्यक्ष जी.... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : **यह तो इण्डियन फिल्म है।**

श्री जसवन्त सिंह : नहीं, अब जैसे इण्डिया की बात आ गई, फिल्म की बात आ गई और यह अश्लीलता के मामले हैं, मेरा थोड़ा एक मतान्तर है, माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी से......**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : सेंसर ने इसकी स्वीकृति कैसे दी है? ...**(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : यह सर्वथा पृथक मामला है।

यह एक अश्लीलता का प्रश्न है। मेरे वरिष्ठ कामरेड इन्द्रजीत ने जो कुछ कहा है, उसका समुचित आदर करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि आज वस्तुतः भारतीय फिल्मों, जी.टी.वी. और अन्य प्रदर्शनों में मुख्य रूप से अश्लीलता का प्रदर्शन हो रहा है।

इसलिये हमें वस्तु स्थिति पृथक-पृथक कहनी होगी। मेरे विचार से किसी और तरफ से बुराई आरम्भ हुई है। इसके बावजूद, मुख्य बात, जिसे मैं दोहराता हूं वह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपकी अति कृपा है कि आपने मुझे बहुत ही संक्षेप में बोलने की अनुमति दी है जिसका मैंने अनुपालन भी किया है। किन्तु यह अधिक उपयोगी होता यदि माननीय मंत्री जी भी यहां उपस्थित होते।

[हिन्दी]

चाहे वह दुल्हे की तरह आयें, चाहें दुल्हन की तरह आयें, पर आकर हमको यह जो नई नई शादी हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बारे में बतायें। इस शादी के बारे में हम यहां बिना दुल्हन या दुल्हे के चर्चा कर लें, तो वह ठीक नहीं रहेगा, इसलिए उन्हें बुलवा लिया जाये तो हम उनसे पूछ लें।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : अध्यक्ष महोदय, यह हम सभी के लिये-सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है। इस वर्ष 30 जून को दूरदर्शन का तथा सी.एन.एन. के साथ सौदा होने के बाद कुछ बातें हमारे ध्यान में आई है। सरकार की ओर से महानिदेशक (दूरदर्शन) ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। दूरदर्शन दर्शन द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि इस सौदे के परिणामस्वरूप बहुत अधिक राजस्व अर्जित किया जा सकता है। किन्तु हमारा मानना है कि 50वें दशक के मध्य से हम जिस नीति का पालन कर रहे हैं, उससे यह काफी हट कर है।

कुछ महीनों पहले, 'हीरो कप' के प्रसारण के बारे में विरोधाभास था। अतः अनेक घटनायें घटी। उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय

दिया था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। हमने यह देखा था कि सरकार ने हम सभी से अनुरोध किया था कि हम सभी सरकार का समर्थन करें कि दूरदर्शन के माध्यम से खेलों का प्रसारण करने के मामले में दूरदर्शन को अवसर दिये जाने से इन्कार किया जा रहा है। कुछ ही महीनों के भीतर, सरकार के रवैये में प्रमुख परिवर्तन हुआ। हमें याद है कि जब फाइनन्सियल टाइम्स और बिजनैस स्टेण्डर्ड के गठबंधन का मामला उठा था तब सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा था उसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

एजेन्सियों के मामले में, यह प्रश्न आया था कि हमारी समाचार एजेंसी के अलावा किसी भी विदेशी समाचार एजेंसी को अनुमति न दी जायें। महोदय, मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं कि पाकिस्तान का 1990 से सी.एन.एन के साथ समझौता है और उस समझौते के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण मामलों में, जिनसे हम भी प्रभावित हो सकते हैं, पाकिस्तान के विचारों को प्रस्तुत करने की अनुमति है। हमने इस प्रश्न के बारे में महत्वपूर्ण व्यक्तियों से पूछा था जिनका कहना है कि सी. एन.एन. समाचारों के प्रस्तुतिकरण पर हमारा संपादकीय नियंत्रण नहीं है। उस स्थिति में क्या होगा जब पड़ोसी देशों अथवा अन्य देशों के साथ हमारे कुछ कटु संबंध होंगे? इससे हमारे विदेशी संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा। इससे सरकार पर विदेशी नीति के निहितार्थ पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसका उपयोग महत्वपूर्ण व्यक्तियों और प्राधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा क्योंकि इस प्रकार के सी.एन.एन. समाचार और विचारों का प्रस्तुतिकरण हमारे निर्वाचन की आचरण संहिता के अंतर्गत नहीं आ पायेगा। उसके द्वारा इस पर नियन्त्रण नहीं रखा जा सकेगा। यह डर है कि सत्तारूढ़ दल अपने हित में सी.एन.एन. का दुरुपयोग कर सकता है। इसीलिये, अपने राजनैतिक हित में इस सौदे में जल्दबाजी की गई है। मैं चाहता हूं कि इस सौदे को रद्द कर दिया जाये।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्षजी, इस बारे में मेरी पहली टिप्पणी यह है कि संसद में इस चीज को न लाकर सरकार ने युनीलेटरली एलान कर दिया कि दूरदर्शन का सीएनएन के साथ टाई-अप होगा। हम लोगों ने इस सदन में सवाल उठाया था। अध्यक्ष महोदय, आपको भी पता है कि सरकार ने डेढ़ साल पहले साल्वेजी के नेतृत्व में कमेटी बिठाकर प्रिंट मीडिया के क्षेत्र में विदेशी लोगों को बुलाने का काम किया था। हम लोग इस पर लड़े और हमारे प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन दिया कि हम लोग इसको नहीं करने जा रहे हैं। डेढ़ साल पहले कमेटी की बात लीक हुई कि कमेटी फेवर में है। प्रिंट मीडिया ने सरकार से वादा लिया कि सरकार यह नहीं करेगी। लेकिन अब सीएनएन की बात आ गई। मेरा यह कहना है कि जो राष्ट्र हित में है, वह करना चाहिए। मेरा यह भी कहना है कि क्या सरकार यह बतायेगी कि 1956 में हमारे देश में जो मीडिया पालिसी बनी थी कि किसी मीडिया को भारत में न आने दिया जाये, उसमें परिवर्तन हुआ क्या; सरकार ने एलान कर दिया जोकि राष्ट्र हित में नहीं है। सरकार मीडिया को सशक्त बनाने पर नहीं सोचती है। उसको सशक्त बनाने के लिए अच्छे कार्यक्रम बनाये जायें, इस चीज पर बहस नहीं हो रही है। सीएनएन और दूरदर्शन का टाई-अप हुआ उसके सिलसिले में सरकार ने एक भी तर्क ऐसा नहीं दिया है जो देश हित में है। कभी ऐसी चीज हो जाये कि ईरान और अमरीका में युद्ध हो जाये, मेरे मन में कोई संदेह नहीं और आप लोग भी इससे सहमत होंगे कि सीएनएन अमरीका का समर्थन करेगा। यह तर्क दिया जाता है कि कुछ रुपया मिल जायेगा और कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए हम ला रहे हैं। हमारे ऊपर जो कल्चरल इनवेजन होगा हमारी संस्कृति के ऊपर, सभ्यता के ऊपर और लीगेसी के ऊपर, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सरकार इस बारे में पुनर्विचार करे और सदन में जो राय बने उसको देखकर इसको रद्द करे।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : मुझसे पहले माननीय सदस्य जो कह चुके हैं, उसे मैं नहीं दोहराऊंगा। इस बात की जानकारी न होने के कारण कि विदेशी मुद्रण मीडिया को इस देश में सम्पादन करने का कार्य किसी प्रकार सौंपा गया है, मैं इस सभा को यह याद दिलाना चाहूंगा कि 1956 और उससे पूर्व जो नीति निर्धारित की गई थी, मेरी जानकारी के अनुसार उसमें भारत में आने वाले विदेशी मुद्रण मीडिया की पुनरीक्षा नहीं की गई है और मेरे विचार से यह निर्णय केवल परिक्षण के आधार पर अपनाया गया है क्योंकि मुद्रण मीडिया का विषय नीतिगत निर्णय से संबंधित है। उन्होंने इलैक्ट्रानिक मीडिया के नाम पर यह समझौता किया है जिसका वास्तविक उद्देश्य अन्ततोगत्वा 1956 के नीति संबंधी निर्णय में परिवर्तन करने का है। उनमें स्पष्टरूप से इतना कहने का साहस नहीं है कि हम उसमें संशोधन कर रहे हैं और नई नीति पुरःस्थापित कर रहे हैं। वस्तुतः उस नीति को गोल मोल और घुमा फिराकर प्रस्तुत कर दोषारोपण से बचने का तरीका निकाला गया है।

मेरे विचार से संसद में इस पर अवश्य ही विचार-विमर्श किया जाना चाहिये और तदुपरांत ही इसे कार्यान्वित किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अध्यक्ष महोदय, मुझे सी.एन.एन. को समुचित और नियमित रूप से देखने का अवसर मिला है और उसकी आदत मुझे तब पड़ी जब मैं 1991 में विदेश मंत्री था। साउथ ब्लाक में विदेश मंत्रालय के विदेश कार्यालय में सी.एन.एन. को जोड़ने वाले टी.वी. सेट थे। ये टी.वी. सेट और कनेक्शन पूर्व दो गैर-कांग्रेसी सरकारों द्वारा स्थापित किये गये थे, ताकि खाड़ी युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त की जा सके। उस समय भूतपूर्व दोनों गैर-कांग्रेसी सरकारों द्वारा उसे विदेश मंत्रालयों और सचिवालयों के कक्षों में रखा गया था और यह सहमति व्यक्त की गई थी कि विदेश मंत्रालय तक के लिये सूचना संसाधन के रूप में सी.एन.एन. की भूमिका महत्वपूर्ण है।

इसीलिये मैं इसका हवाला दे रहा हूं...**(व्यवधान)**... मैं यह भी अवश्य कहूंगा कि मैंने सी.एन.एन. पर निरंतर निगरानी रखी क्योंकि देश में एन्टीना कहीं भी लगाये जा सकते हैं और सी.एन.एन. देश में हर जगह उपलब्ध है। मैं यह बात केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं।

राजनीति के प्रश्न के आधार पर मैं इस वाद-विवाद को सूचना और प्रसारण मंत्री को प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, यह अति दुर्भाग्य की बात है कि कुछ मंत्रियों की हर बात को भूतपूर्व सरकार पर लादने की आदत हो गई है। यह सच है कि सी.एन.एन. खाड़ी देशों में और कुछ युद्ध स्थानों में सशस्त्र युद्ध का ब्योरा प्रस्तुत कर रहा था। उसे खाड़ी क्षेत्रों में हो रही घटनाओं की निगरानी रखने का काम सौंपा गया था। मुझे नहीं पता कि यह मंत्री महोदय इसके बारे में क्या कह रहे हैं। यहां हम सरकार की नीति की चर्चा कर रहे हैं न कि इसकी की भारत सरकार के कार्यालयों में क्या-क्या संस्थापित किये गये थे। विश्व में सुरक्षा विभागों में क्या हो रहा है, उस पर निगरानी रखनी है। उसका मतलब यह तो नहीं है कि हम पूरी आबादी में नेटवर्क उपलब्ध करा रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : माननीय मंत्री ने सैट स्थापित किए जाने का उल्लेख किया है। विदेश कार्यालय में उस सैट स्थापना के बारे में मैंने कुछ किया था। उस समय खाड़ी युद्ध हो रहा था।

"मेरे विचार से भारत सरकार को उच्चतम स्तर पर भली भांति अवगत कराना चाहिये था और यह नीति संबंधी कोई मामला तो नहीं है.....**(व्यवधान)**

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : इसमें हर्ज ही क्या है? ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया, संबंधित मंत्री को वक्तव्य के रूप में उत्तर देने दीजिये।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं आपने मुझे एक महत्वपूर्ण मामला उठाने का अवसर दिया है। केन्द्र राज्य सम्बन्ध हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। संविधान में अधिकारों का, सत्ताओं का बंटवारा है। कानून और व्यवस्था राज्य सरकार के क्षेत्र में आती है लेकिन उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने यह गम्भीर आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक यज्ञ को लेकर जो विवाद उठ खड़ा हुआ था और जिसे प्रदेश सरकार शांति से, सद्भावना से हल करने का प्रयास कर रही थी और अंत में उस कार्य में भी सफल हुई उसका लाभ उठाकर केन्द्र ने उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने का एक षडयन्त्र रचा। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री इस समय सदन में उपस्थित नहीं है, मुख्य मंत्री महोदया ने उनका नाम लेकर यह आरोप लगाया है कि वे 11 अगस्त को मथुरा में गए और उन्होंने उत्तेजनात्मक वक्तव्य दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश के आफिसरों पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वे उत्तर प्रदेश सरकार से कहें कि वह मथुरा का प्रशासन केन्द्र को दे दें, अनुच्छेद 355 के अन्तर्गत जिससे केन्द्र प्रदेश में हस्तक्षेप कर सकें। संविधान के अनुच्छेद के अनुसार अगर राज्य सरकार तैयार हो, तो केन्द्र हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन राज्य सरकार पर दबाव डालने और इसके लिए आफिसरों से बात करना कहां तक उचित है? लेकिन केन्द्र अधिकार मांग रहा था हस्तक्षेप का। इसके साथ ही केन्द्र ने यह सुझाव भी रखा कि सी.आर.पी.सी. (आपराधिक दण्ड संहित) की धारा 30 के अन्तर्गत सी.आर.पी.एफ. कमान्डेंट्स को यह अधिकार होना चाहिए कि मैजिस्ट्रेट के नाते काम कर सके, संक्षेप में उन्हें मैजिस्ट्रेट के अधिकार दे दिये जाने चाहिए। यह राज्य के भीतर एक राज्य स्थापित करने की साजिश थी और इसमें गृह राज्य मंत्री ने खुलकर काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री महोदया का वक्तव्य है, उसमें एक और भी गम्भीर आरोप है और मैं उस वक्तव्य के एक हिस्से को पढ़कर सुनाना चाहता हूं-"केन्द्रीय सरकार की ओर से वहां केन्द्रीय रिजर्व सुरक्षा बल उपलब्ध कराया गया। अब इस बल में भी कुछ लोग ऐसे भेजे गए, जो जान-बूझकर कर राज्य सरकार को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोई ऐसी हरकत करेंगे, जिससे वहां की स्थिति बिगड़े।" मैं उद्धृत कर रहा हूं, अगर सदस्य मांग करेंगे, तो मैं टेबल पर रखने के लिए तैयार हूं।....**(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने यह कहा कि केन्द्रीय सुरक्षा बल भेजा जाए और उसके बाद वक्तव्य दिया, उसमें सिपाही ऐसे थे या कुछ अधिकारी ऐसे थे, जो गड़बड़ पैदा करना चाहते थे, तो क्या यह सदन में उसकी बहस की जाएगी।...**(व्यवधान)**

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : जान-बूझ कर भेजे गए।... **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, मैं पूछना चाहता हूं...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कोई सुरक्षा बल भेजने की मांग करें...(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : गुरू जी, मैं आपसे ज्ञान चाहता हूं। अगर कोई राज्य सरकार सुरक्षा बल मांगे और केन्द्रीय सरकार सुरक्षा बल भेजे, तो क्या एक-एक आदमी की स्क्रूटनी होगी कि कौन क्या काम करने वाला है या नहीं। अगर मुख्य मंत्री ऐसा वक्तव्य देता है, तो वक्तव्य देने के पहले उसके पास क्या आधार है। हमारे यहां एक परम्परा बनती जाती है, मैं उस मुख्य मंत्री की नहीं कहता, केन्द्रीय सरकार के लोगों ने भी यह काम किया है और मैंने इस सदन में यह बात उठाई है। जब भी सुरक्षा बल के लोग अपना कर्तव्य निर्वाह करते हैं, तो हम लोग राजनैतिक कारणों से अपनी चमड़ी बचाने के लिए उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं। यह प्रवृत्ति, अध्यक्ष महोदय, चलती रही, तो

मैं नहीं समझता कि इस देश में शान्ति और व्यवस्था कैसे रह सकेगी। ...(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सुरक्षा बल पर आरोप नहीं किए जा रहे हैं, गृह मंत्रालय पर आरोप लगाए जा रहे हैं, केन्द्रीय सरकार पर आरोप किए जा रहे हैं। कोई भी प्रदेश केन्द्र सरकार से सुरक्षा बलों की मांग करेगा, सहायता लेगा, तो क्या सुरक्षा बल को भेजने के साथ इस तरह की हरकतें होंगी। यह शिष्य कैसा है जो गुरू को बोलने नहीं देता।

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, हमारे यहां पुरानी परम्परा है कि जब गुरू पथभ्रष्ट हो तो शिष्य का कर्तव्य है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, अगर गुरू के पथभ्रष्ट होने की आशंका थी। तो फिर ऐसा गुरू क्यों बनाया गया? ...(**व्यवधान**) महोदय, आरोप गंभीर हैं, इन आरोपों को इस तरह से टाला नहीं जाना चाहिए। यह आरोप विधान सभा में लगाए गए हैं, मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार इनका खंडन करे। यह आरोप गंभीर हैं, मुख्य मंत्री द्वारा लगाए गए हैं और एक प्रदेश की मुख्य मंत्री ने विधान सभा में लगाए हैं। इन आरोपों का उत्तर चाहिए।...(**व्यवधान**)

श्री अर्जुन सिंह (सतना) : महोदय, आदरणीय वाजपेयी जी यह भी हम सबको बता दें कि इस वक्तव्य को यहां आने में 11 दिन कैसे लग गए?....(**व्यवधान**) यह घटना 11 अगस्त की बताई गई है।.. .(**व्यवधान**)

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : यहां आप कम आते हैं इसलिए आपको पता नहीं है।...(**व्यवधान**)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : आप मध्य प्रदेश में ज्यादा घूम रहे हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, उत्तर प्रदेश की विधान सभा में कल ब्यान दिया गया।

श्री अर्जुन सिंह : हां, मैं वही तो पूछ रहा हूं।...(**व्यवधान**)

श्री राजवीर सिंह : कल छुट्टी के बाद विधान सभा का पहला दिन था।...(**व्यवधान**)

श्री अर्जुन सिंह : क्या विधान सभा के बाहर वक्तव्य नहीं होता?...(**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : महोदय, अर्जुन सिंह जी के कांग्रेस के मेम्बर विधान सभा में बैठे हुए हैं, वह यह सवाल पूछ सकते हैं पहले कि वक्तव्य क्यों नहीं दिया। मेरा सम्बन्ध केन्द्र सरकार से है। अगर केन्द्र सरकार का रवैया आपत्तिजनक है, अगर केन्द्र सरकार वहां गड़बड़ी करा कर राष्ट्रपति राज लागू करना चाहती थी, तो यहां मामला उठेगा। यह आरोप एक मुख्य मंत्री का आरोप है और ऐसे मुख्य मंत्री का आरोप है जिसे कांग्रेस पार्टी का भी प्रारंभ में समर्थन मिला था।...(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : अब भी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह आरोप गम्भीर है और इस आरोप का स्पष्टीकरण आना चाहिए। मैं तो चाहता था कि गृह राज्य मंत्री जी इस अवसर पर उपस्थित होते। लेकिन मुझे वक्तव्य की प्रति आज सवेरे मिली है इसलिए मैं आज उठा रहा हूं, मेरे ऊपर विलम्ब से उठाने का कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। लेकिन एक बार जब कोई मुख्य मंत्री आरोप लगाता है कि केन्द्र ने साजिश की थी और वह भी मथुरा में जन्माष्टमी के अवसर पर की थी जिससे केन्द्र को हस्तक्षेप करने का मौका मिल जाए तो यह गंभीर आरोप है और केन्द्र सरकार कटघरे में खड़ी है।....(**व्यवधान**)

श्री हरचन्द सिंह (रोपड़) : आप यह क्या कह रहे हैं? ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने, संकट दूर करने के लिये राज्य सरकार को केन्द्र सरकार का सक्रिय समर्थन देने के लिये, हमारे माननीय प्रधान की खुले रूप से प्रशंसा की है। वही मुख्य मंत्री विधान सभा में कैसे झूठा वक्तव्य दे सकती है और जनता में खुला वक्तव्य दे सकती हैं? वह सदा से ही भारत सरकार और प्रधान मंत्री की प्रशंसा करती रही हैं। विपक्ष के माननीय नेता के वक्तव्य का मैं पूरी तरह से विरोध करता हूं।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुथुराई) : महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के नेता की स्मृति 11 अगस्त, 1995 तक ही सीमित होकर रह गई है। किन्तु इस सभा की स्मृति इसमें पीछे 6 दिसम्बर तक भी है। 6 दिसम्बर, 1992 की बात है जबकि अयोध्या में जो घटनायें हो रही थी, भारत की 5000 वर्ष की मिश्रित संस्कृति को शर्म नाक ढंग से ध्वस्त होते राष्ट्र ने देखा था जो केन्द्र सरकार के समय पर हस्तक्षेप न कर पाने के कारण हुआ था** अयोध्या में जो कुछ हुआ उससे पूर्णतः स्पष्ट है कि न केवल श्री अटल बिहारी, अपितु श्री लालकृष्ण आडवानी तथा आगे की बैंचों पर बैठे भारतीय जनता पार्टी के अन्य सदस्य का कोई नियंत्रण है ही नहीं** महोदय, इसी संसद के एक अधिनियम में यह कहा गया कि किसी भी पूजा स्थल की स्थिति में अगस्त, 1947 को उसकी जो स्थिति थी उस से कोई अन्तर नहीं होगा और यदि संघ परिवार के सदस्यों द्वारा, जिन पर श्री वाजपेयी का कोई नियंत्रण नहीं है, यह घोषणा की जाती है कि जन्माष्टमी के अवसर पर वे भगवान कृष्ण का जन्म दिन मनाने नहीं बल्कि ईदगाह का विध्वंस करने जा रहे हैं, तो केन्द्र सरकार का यह सुनिश्चित करने का दायित्व हो जाता है कि वह ऐसे सभी अपेक्षित कदम उठाये जिससे कि 6 दिसम्बर, 1992 को अयोध्या में इन लोगों और इनके सहयोगियों द्वारा जिस प्रकार हिंसात्मक कार्यवाही की गई, उसकी पुनरावृत्ति कदापि न हो। इस प्रकार की उद्वेलित साम्प्रदायिकता के कारण हजारों लोग, हजारों निर्दोष मुसलमान और हजारों निर्दोष हिन्दू मारे गये जिसके लिये श्री अटल बिहारी दोषी नहीं है क्योंकि वह एक अच्छे व्यक्ति हैं, किन्तु संघ परिवार दोषी है, जिससे वह संबद्ध हैं। जिस प्रकार का कार्य

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उन्होंने किया है, उसके कारण केन्द्र सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि वह इन लोगों की कथनी का कदापि विश्वास न करे जो संसद में**, न्यायालय में और भारत के लोगों के समक्ष झूठ बोले थे। हमें उन पर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिये।

जैसी कि 1992 में स्थिति थी, वैसी ही वर्तमान में है। उत्तर प्रदेश में वही सरकार है, जिसका जीवन संघ परिवार और उसकी राजनैतिक आवाज, भा.ज.पा. के अधीन है। इस दृष्टिकोण से मैं गृह मंत्री और उनके साथियों को अपेक्षित कार्यवाही करने के लिये बधाई देता हूं जिससे की यह सुनिश्चित हो सका कि संघ परिवार समुचित व्यवहार करने के लिये शांत रहे।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री मणि शंकर अय्यर का कथन ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

श्री मणिशंकर अय्यर : चूंकि संघ परिवार की कार्यसूची में यह बात है कि वे इस संसद द्वारा पारित अधिनियम का, मथुरा तथा वाराणसी दोनों मामलों में, उल्लंघन करेंगे; अतः मैं गृह मंत्री से इस सभा मे पुनः आने और सबको यह विश्वास दिलाने का अनुरोध करूंगा कि उस सरकार के साथ सख्ती से निपटा जायेगा जिसे ऐसे दल का समर्थन प्राप्त है जिसने उस सभा को धोखा दिया है, जिसने लोगों को छला है, और जिसने न्यायालयों को धोखा दिया है। मैं श्री राजेश पायलट को, उनके द्वारा की गई कार्यवाही के लिये, बधाई देता हूं। मैं यह भी चाहता हूं कि श्री एस.बी. चाह्वाण वहां जाये और ऐसी ही कार्यवाही करें। मैं, एक क्षण के लिये भी, कदापि शर्मिंदा नहीं हूं।

किन्तु गृह मंत्रालय को लिखे अपने पत्र में उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जो झूठा दोषारोपण किया है, कि संबंध में, मैं आशा करता था कि वयोवृद्ध सांसद श्री अटल बिहारी वाजपेयी जिन्हें मैने उन गेलरियों से देखा है और कालेज के एक छात्र के रूप मे मैंने जिनकी सराहना की है, इस बात को समझते होंगे कि यदि कोई पत्र मुख्य मंत्री द्वारा केन्द्र सरकार को लिखा जाता है, तो केन्द्र सरकार को, इस सभा मे उन मामलों को उठाने से पूर्व, केन्द्र सरकार द्वारा उसका उत्तर देने का एक अवसर तो दिया ही जाना चाहिये।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा कोई विवाद खड़ा करने का नहीं था। केन्द्र सरकार का जो रवैया रहा है और जिस पर मुख्य मंत्री ने बात की है, उस रवैये पर चर्चा होनी चाहिए। अगर मथुरा में अयोध्या की पुनरावृत्ति नहीं हुई तो वह केन्द्र सरकार के कारण नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पुनरावृत्ति को रोका, समझौता करवाया। केन्द्र तो मथुरा में अयोध्या की पुनरावृत्ति करना चाहता था। ...**(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, वह पुनरावृत्ति रोक ली गई, मगर केन्द्र पर आरोप है कि उसने मथुरा में अयोध्या की पुनरावृत्ति करने की साजिश की और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने बयान में प्रमाण दिए हैं। इसका जवाब केन्द्र सरकार दे। अय्यर साहब के इस तरह से उत्तर देकर काम नहीं चला सकते।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, अटल जी ने जो कुछ कहा, वह उन्होने अपने हिसाब से कहा होगा, लेकिन कुछ तो नियम होते हैं, कुछ तो आदमी को सोचकर करना पड़ता है। पहले एक बार सब देख चुके हैं, उस समय भी सेंट्रल फोर्सेस भेजी गई थी, उस वक्त वहां की सरकार ने उन फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि उनको कहा गया था की सब आपके अधिकार में है, आप करिए। तो उस घटना को देखते हुए क्या अब बंदोबस्त नहीं किया जाना चाहिए था। यह सारा किया, इसलिए इस तरीके की बात करते हैं। एक दफा हो चुका है, एक दफा आप पर ऐतबार किया था, इसलिए ऐसी बात हम करते हैं। ...**(व्यवधान)** देखिए मेजर साहब, मैने अटल जी की बात शांति से सुनी है, इसलिए अब मेरी बात भी सुनिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक-फूंक कर पीता है। एक दफा आप करवा चुके हैं, अब दूसरी दफा करवाना चाहते थे, अब करने नहीं देंगे, यह बड़ी सिंपल बात है। ...**(व्यवधान)**

1.00 म.प.

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जायें ...**(व्यवधान)** लोढ़ा जी, आप बैठ जायें। वाजपेयी जी ने बड़े अच्छे ढ़ग से इस मैटर को रखने की कोशिश की है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि गवर्नमैंट उसको रीबट करे। अगर कोई स्टेटमैंट राज्य सभा में होता है तो हम उसे यहां डिसकस नहीं करते और हम विधान सभा में होने वाला स्टेटमैंट यहां डिसकस करेंगे तो कल को कोई उठ कर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ यहां कुछ कह देगा तो क्या वह चर्चा में चला जायेगा? ये चीजें नहीं हो सकती है। वाजपेयी जी ने अंत में कहा है कि गवर्नमैंट को इसको रीबट करना चाहिये और यह बात ठीक है। इससे ज्यादा इसे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने संघ परिवार के लिये....** शब्द का प्रयोग किया है। यह अपमानजनक शब्द है। इसको कार्यवाही से निकाला जाये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खण्डूरी : (गढ़वाल) : महोदय, उन्होने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में मुझपर इसके लिये दबाव नहीं डाला जा सकता है। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता हूं। यदि आप नहीं चाहते हैं तो मैं सभा में से उठकर चला जाऊंगा। जिस प्रकार का व्यवहार आप बाहर करते हैं, वैसा ही व्यवहार यहां कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी हां, श्री नाईक। श्री नाईक के कथन के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सभा में इस प्रकार की चर्चा के लिये बाध्य नहीं कर सकते हैं। यदि मैं अनुमति दूंगा, तभी आप बोलेंगे। अन्यथा आप नहीं बोलेंगे। मैंने केवल श्री नाईक को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयीजी, मैं कह रहा हूं कि सदस्य इस सभा में मेरी अनुमति से बोलेंगे। मैं आप सभी को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ सदस्यों को देखा है। वे जबरदस्ती सभा में अपनी बात कहना चाहते हैं। यदि वे ऐसा इस सभा में कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि बाहर क्या होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आज इन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं। वह समुचित सूचना दें। मैं उसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : महोदय, उन्होंने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां कि हैं ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई भी आपत्ति जनक वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने कहा था कि मैं इसकी जांच करूंगा। यदि उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात कही है तो वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका हाऊस है, हम यहां से चले जायेंगे। आपको जैसा चलाना है चला लीजिये।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन, आप कृपया यहां आ जाइये और जिस तरह चाहे सभा की कार्यवाही का संचालन करें। मैं किसी भी सदस्य के इस प्रकार के दबाव में नही आ सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढ़ा : वह जो बोलना चाहते हैं, वह बोलते हैं। हम मूक दर्शक नहीं है। हम यह सुनने के लिये यहां नहीं आये हैं। हम उसका उत्तर अवश्य देंगे...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढ़ा, आप एक न्यायाधीश रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस सभा की कार्यवाही इस तरह नियन्त्रित नहीं की जा सकती है। आप ऐसा नहीं कर सकते है...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्षपीठ ने यह कहा है कि वह इसकी जांच करेंगे। आप इस पर जोर क्यों दे रहे हैं? अध्यक्षपीठ ने कहा है कि वह उसकी जांच करेंगे और यदि कुछ आपत्तिजनक है, वह उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देंगे... **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप अध्यक्षपीठ को इस प्रकार धमकी नहीं दे सकते हैं...**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : हम इस सभा को इस तरह नहीं चलने देंगे. ..**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री नाईक।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष जी, लालफीताशाही का एक अजीब नमूना संचार मंत्रालय के कलकत्ता टेलीफोन ने जो प्रस्तुत किया है वह मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं मांग करता हूं कि अगर हो सके तो संचार मंत्रालय को एक विशेष पुरस्कार दिया जाये।

दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर को कौन नहीं पहचानता। हिन्दुस्तान का सर्वोत्तम खिलाड़ी होने के नाते उनको पद्म-भूषण पुरस्कार भी मिला है और वह मुम्बई के शेरिफ भी हैं तथा मुम्बई की टेलीफोन एंडवायजरी कमेटी के सदस्य भी हैं। उन्होंने कलकत्ता में एक टेलीफोन के लिए ऐप्लीकेशन दी। ऐप्लीकेशन करने बाद कलकत्ता टेलीफोन ने अनको कहा कि आप क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, उसका सर्टिफिकेट पेश करो। आपको पद्म-भूषण मिला है तो

उसका सर्टिफिकेट दो। अध्यक्ष जी, टेलिफोन विभाग में भ्रष्टाचार चलता है वह तो सबको मालूम है। यह जो बात हुई है, यह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अपमान है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की बात न हो इस प्रकार की सूचना संचार मंत्रालय कलकत्ता टेलीफोन को दे दे और साथ उनको टेलीफोन जल्दी मिले।

मैंने यह बात इसलिए छेड़ी है कि यह केवल सुनील गावस्कर की बात नहीं है। देश में जहां-जहां भी टेलीफोन के लिए कोई अर्जी लेकर जाता है तो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, इसलिए यह बात मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस संबंध मे वक्तव्य दें और बताएं कि इस प्रकार से क्यों हो रहा है और आगे ऐसा न हो, इसके लिए सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें हमारे कोट से टेलीफोन प्राप्त हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुनील गावस्कर को टेलीफोन मिल जायेगा। इसकी कोई समस्या नहीं है। मेरे विचार से, कार्यवाही वृतांत के लिये संभवतः उन्होंने इसके बारे में पुछा है।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी : अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तराखण्ड के विषय में यहां समय-समय पर बात उठाता रहा हूं। मैं आज सरकार के ध्यान में एक और बात लाना चाहता हूं। पिछले हफ्ते उत्तराखण्ड जन संघर्ष मोर्चा जो कि एक निर्दलीय संस्था है, उसने दिल्ली में एक रैली की थी और उसमें पुलिस वालों ने काफी लोगों को पकड़ा और अस्थायी जेल में उनको रखा हुआ है। मैं सरकार के ध्यान में दो बातें रखना चाहता हूं। पहली बात यह है कि इन लोगों को जिस अस्थायी जेल में रखा गया है वहां पर इनके नेता जगदीश नेगी पांच दिन तक आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और कल रात उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। उनको ए आई आई एम एस ले जाया गया और रात को 12 बजे मैं उनको देखने गया। मैंने कोशिश की कि वह अपना अनशन खत्म करें, लेकिन यह अपना अनशन खत्म नहीं कर सकते क्योंकि सबकी मांग रही है कि सरकार इस बारे में कुछ कहे, मगर केन्द्र की तरफ से किसी तरह का बयान इस बारे में नहीं दिया जा रहा है। मेरा सरकार से निवेदन है कि कृपया ऐसी व्यवस्था करें ताकि श्री जगदीश नेगी की आमरण अनशन में जान न जाए। कृपया इस संबंध में आप अपनी बातचीत आगे बढ़ाएं और उनका आमरण अनशन तुड़वाएं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि उनको जेल में सी क्लास का दर्जा दिया गया है। ये राजनीतिक ऐक्टिविस्ट हैं, इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जेल में उनके रहने का दर्जा ठीक करें और जगदीश नेगी ने जो अनशन किया है, उसके विषय में केन्द्र सरकार तथा गृह मंत्री कुछ करें ताकि वह अपना अनशन तोड़ सकें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

1.07 म.प.

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1995 और चीनी (वर्ष 1994-95 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) आदेश, 1995

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1995, जो 19 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी. 32(7)/89 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी.-8019/95]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत चीनी (वर्ष 1994-95 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) आदेश, 1995 जो 27 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 451(अ)/आ.व./चीनी में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी.-8020/95]

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम अधिसूचना 1972 के अन्तर्गत

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : श्री कमल नाथ की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) वन्य जीव (संरक्षण) नियम, 1995, जो 18 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 348(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) वन्य जीव (विनिर्दिष्ट पौधे-अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्वामित्व की शर्तें) नियम, 1995, जो 18 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.349 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) वन्य जीव (विनिर्दिष्ट पौधों के स्टॉक की घोषणा) अन्तरिम नियम, 1995, जो 18 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 350(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी.-8021/95]

गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1991-92 और आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, हैदराबाद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :-

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) गुजराज कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, अहमदाबाद का वर्ष 1991-92 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी.-8022/95]

(ख) (एक) आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी.-8023/95)

(ग) (एक) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी.-8024/95)

(घ) (एक) असम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड गुवाहाटी के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1993-94 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी.-8025/95]

टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (सदर्न रीजन), मद्रास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा की गई समीक्षा और उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) (एक) टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (सदर्न रीजन), मद्रास के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (सदर्न रीजन), मद्रास के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी.-8026/95]

1.09 म.प.

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

तैंतालीसवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : मैं मझगांव डाक लिमिटेड के संबंध में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का तैंतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं।

1.09 1/4 म.प.

याचिका समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : मैं याचिका समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.09 ½ म.प.

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

सोलहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्रीमति चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : मैं श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार-पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1995 के संबंध में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति का सोलहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूं।

1.10 म.प.

कार्य मंत्रणा समिति के चौवनवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा 21 अगस्त, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के चौवनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

> "कि यह सभा 21 अगस्त, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के चौवनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1.11 म.प.

लोक लेखा समिति

एक सौ छठा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मैं "बाह्य निर्माण-दूरदर्शन" के बारे में लोक लेखा समिति (दसवीं लोक सभा) के सतावनवें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी लोक लेखा समिति का एक सौ छठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

1.11 ½ म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) पूर्वोत्तर क्षेत्र का शीघ्र बहुमुखी विकास किये जाने की आवश्यकता

श्री बालिन कुली (लखीमपुर) : देश में पूर्वोत्तर क्षेत्र की एक अद्वितीय स्थिति है। इस क्षेत्र में छोटे राज्य सम्मिलित हैं जहां विविध जाति की आबादी और संस्कृति है। अनके जन-जातीय समूह इस क्षेत्र में रहते हैं। कठिन भू-प्रदेश और भौगोलिक स्थिति के कारण, देश के अन्य भागों की तुलना में यह सम्पूर्ण क्षेत्र अविकसित रह गया है। इस स्थिति के कारण वहां विद्रोही और अन्य अवैध गतिविधियां चलती रहती हैं जिसके कारण एक ओर जहां स्थानीय प्रशासन के समक्ष कानून और व्यवस्था की समस्यायें बनी रहती हैं वहीं दूसरी ओर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां विद्यमान रहती हैं जो हमारे राष्ट्रीय हित के सर्वथा विपरीत होती है। यहां की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जो अन्तर्राष्ट्रीय रूप से पृथकतावादी है, यह अत्यधिक आवश्यक एवं अत्यधिक वांछनीय हो गया है कि इस अद्वितीय क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं की देख-रेख एक पृथक मंत्रालय द्वारा की जाये। इस कदम से इस क्षेत्र का निश्चित रूप से शीघ्र विकास हो पायेगा और इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के असंतुष्ट युवकों में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हो सकेगी।

इसलिये संघ सरकार से मेरा अनुरोध है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के बहुमुखी विकास और राष्ट्र के वृहत्तर हित में केवल इस क्षेत्र की गतिविधियों की देख-रेख के लिये एक पृथक मंत्रालय की स्थापना की जाये।

(दो) कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिलों में खनन कार्य रोके जाने की आवश्यकता

श्री के.जी. शिवप्पा (शिमोगा) : गत वर्ष तक अनाहोण्डा (उत्तर कन्नड) एक पवित्र झील थी जिसकी उपासना स्थानीय लोगों द्वारा की जाती थी। आज इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। यह एक बालू की झील में परिवर्तित हो गई है।

10 से अधिक सिंचाई कुयें अब रेत के कुएं बन गये हैं और वर्षा-पोषित धान पैदा करने वाली सैकड़ों एकड़ भूमि अब बालू से ढक गई है।

यदि इस क्षेत्र में इसी गति से मनमाने ढंग से खनन कार्य होता रहा तो उत्तर कन्नड़ जिले का विशाल बन सहारा रेगिस्तान जैसा दिखाई देने लगेगा।

खनन कार्य से इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी नष्ट हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप बन क्षेत्र में भारी कमी आई है, बहुत अच्छी मिट्टी वाली उपजाऊ जमीन कम हुई है, बड़े पैमाने पर भू-स्खलन हुआ

है काली नदी में गाद जम गई है और लेटराइट मिट्टी की प्रवृति बदल गई है।

इस क्षेत्र में मनमाने ढंग से खनन कार्य किये जाने के विरूद्ध 27 जनवरी को सिरसी में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया था।

इसलिये माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से मेरा अनुरोध है कि कम्पनियों की लीजों और लाइसेंसो का नवीनीकरण न करके क्षेत्र में खनन कार्य रोका जाये और कर्नाटक के वन की दीर्घकालीन सुरक्षा की जाये।

(तीन) उड़ीसा के राउरकेला रेलवे स्टेशन पर अधिक सुविधायें उपलब्ध कराने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़) : महोदय, राउरकेला उड़ीसा का एक गौरवशाली नगर है जहां एक इस्पात संयन्त्र है और जिससे देश भर के सैकड़ो लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। यह आदिवासी क्षेत्र के मध्य में स्थित है और इस कारण क्षेत्र के विकास में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है। इसकी महत्त्वपूर्ण स्थिति तथा महत्वपूर्ण भूमिका होने के बाद इसे रेलवे द्वारा अपेक्षित सुविधायें प्राप्त नहीं है। राउरकेला रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल सुविधायें नहीं है जिसके कारण देश के अन्य भागों से जोड़ने वाली नई रेलगाड़ियां यहां से नहीं चलाई गई है।

राउरकेला में टर्मिनल सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये सरकार को कदम उठाने चाहिये। यदि राउरकेला में सफाई करने वाले प्लेटफार्म स्थापित करने के लिये पर्याप्त स्थान नहीं है तो बोण्डमुडा रेलवे यार्ड में इसे स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा यहां प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 पर शैड नहीं है जिसके कारण वर्षा के मौसम में यात्रियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्लेटफार्म संख्या 4 और 5 पर शैड बनाने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये।

मैं सरकार से इन अनुरोधों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह करती हूं।

(चार) चंडीगढ़ में विज्ञान संग्रहालय और तारामंडल स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, चंडीगढ़ पंडित नेहरू की कल्पना का एक आधुनिक नगर है ओर दो राज्यों पंजाब और हरियाणा राज्यों की राजधानी है। इसके इलावा यह संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ का भी मुख्यालय है और उत्तर भारत में एक प्रमुख शिक्षा केन्द्र एव ज्ञान अर्जन का स्थान है। यहां प्रसिद्ध पंजाब विश्वविद्यालय, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एजूकेशन एण्ड रिसर्च, पंजाब इंजीनियरिंग कालेज, चण्डीगढ़ मेडिकल कालेज और सुप्रसिद्ध कालेज और स्कूल हैं। तथापि यहां अच्छे विज्ञान संग्रहालय, विज्ञान केन्द्र और तारामंडल का अभाव है जो युवा छात्रों को सुरूचि पूर्वक प्रभावी ढंग से ज्ञानवर्धन कर सके।

चंडीगढ़ का, चार उत्तरी राज्यों के मुख्य द्वार के रूप में, स्वदेशी पर्यटन केन्द्र के रूप में तेजी से विकास हो रहा है। अतः वहां एक विज्ञान संग्रहालय एवं एक तारामंडल का होना सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र के लिये अत्यधिक उपयोगी होगा।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि चण्डीगढ़ में इस प्रकार का केन्द्र और तारामंडल स्थापित करने के लिय तत्काल कदम उठाये जायें।

[हिन्दी]

(पांच) कालका और पटना के बीच बरास्ता चंडीगढ़ - अम्बाला - मुरादाबाद - बेरली - लखनऊ एक नई रेलगाड़ी शुरू करने की आवश्यकता

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश एवं बिहार के लगभग चार लाख लोग रोजी-रोटी की तलाश में चंडीगढ़ में रहते हैं। इन लोगों को वापस घर जाने के लिय चंडीगढ़ में उपयुक्त रेल सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण इन्हें अनेक परेशानियों का समाना करना पड़ता है।

अतः मैं मांग करता हूं कि चंडीगढ़ में रहने वाले लाखों लोगों को उत्तर प्रदेश एवं बिहार स्थित अपने गांवों में जाने एवं आने के लिये एक रेलगाड़ी कालका से चंडीगढ़ -अम्बाला-मुरादाबद-बरेली एवं लखनऊ होते हुए पटना के लिये शीघ्र प्रारम्भ करयी जाये, ताकि बिहार एवं उत्तर प्रदेश के लोगों की यात्रा सुलभ हो सके।

(छः) उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में शुक्लागंज और गंगाघाट नगरों में और अधिक डाकघर खोलने की आवश्यकता

श्री देवी बक्स सिंह (उन्नाव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से संचार मंत्री जी का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र उन्नाव जनपद के शुक्लागंज एंव गंगाघाट नगर पालिका के लोगों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहूंगा।

गंगाघाट और उन्नाव में उप-डाक घरों की पर्याप्त शाखाएं न होने के कारण इस क्षेत्र के लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों का डाकघर में आने-जाने के लिय काफी समय खर्च होता है। तार करने, पत्र डालने एवं डाक घर के अन्य कार्यों के लिये आने-जाने में काफी समय लगता है। गंगाघाट में एक ही डाक घर है, जिसको क्षमता बहुत ही कम है।

अतः मेरा संचार मंत्री जी से अनुरोध है कि गंगाघाट, उन्नाव जनपद की समस्या को देखते हुये सरकार यहां पर डाक घर की शाखायें खोलने की स्वीकृति दे तथा जो प्रमुख डाक घर कार्य कर रहा है, उसकी क्षमतायें वृद्धि की जाये जिससे लोगों को पत्र, टेलीग्राम, रजिस्टर लैटर आदि समय पर मिल सकें।

[अनुवाद]

(सात) नगर कोइल – मुम्बई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को सप्ताह में तीन दिन चलाये जाने और तूतीकोरिन और दिल्ली के बीच सीधी रेलगाड़ी शुरू किये जाने की आवश्यकता

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : महोदय, मैं केन्द्रीय सरकार का ध्यान मदुराई से आगे आमान परिवर्तन किये जाने के पश्चात् लम्बी दूरी की एक्सप्रेस रेलगाड़ी में यात्रा करने में कामराज, तिरूनेलवेली चिदाम्बरानार और कन्याकुमारी जिले में सामान्य जनता को हो रही कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

आमान परिवर्तन के बाद से उपरोक्त जिलों की जनता को सप्ताह में केवल एक बार कन्याकुमारी - मद्रास और नगर कोइल - मुम्बई से केवल एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की सुविधा उपलब्ध है। तिरुनेलवेली कामराज, चिदाम्बरानार और कन्याकुमारी जिलों में जनता की कठिनाइयों को दूर करने के लिये मंत्रालय को नगरकोइल - मुम्बई एक्सप्रेस गाड़ी को सप्ताह में तीन दिन और तूतीकोरिन से दिल्ली तक एक सीधी रेलगाड़ी चलानी चाहियें। नगरकोइल से मदुराई तक सभी रेलगाड़ियां चलाने के लिये तूतीकोरिन पर सम्पर्क स्थल (लिंक) बनाने का प्रबंध किया जाना चाहिये।

(आठ) केरल के मालापुरम जिले में अनक्कायम में एक कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की मंजूरी दिये जाने की आवश्यकता

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : केरल में मालापुरम जिला एक पिछड़ा जिला है जिसका भौगालिक क्षेत्रफल 3,550 वर्ग किलो मीटर और जनसंख्या 30 लाख से अधिक है। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है जिसकी जनसंख्या का घनत्व 871 कि. वर्ग है। यहां की 75 प्रतिशत जनसंख्या जोत योग्य 2.75 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आश्रित है। मालापुरम जिला का कृषि उत्पाद केला, पान की बेल, काजू, अर्कानर, काली मिर्च, अदरक, दाल, तपीओका, रबर आदि जैसी वस्तुयें है जिनपर सम्पूर्ण राज्य आश्रित है। धान जिले की मुख्य फसल है। प्रमुख सब्जियां जैसे बिटरगौर्ड, आशगोर्ड, स्नेकगोर्ड, कद्दू के अलावा जिले में मुख्य रूप से चावल की खेती होती है। किन्तु यह अत्यधिक दुर्भाग्य की बात है कि प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अन्तरण के अभाव के मुख्य कारणवश जिले में अधिक पैदावार देने वाली किस्म की कृषि फसल कम है।

यह अति चिंताजनक स्थिति है जिसके लिये विशेषकर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य निर्धन किसानों के मध्य सघन प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिये केरल कृषि विश्वविद्यालय ने अनक्कायम जिलें में एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव अभी तक भारतीय कृषि अनुसंस्थान के समक्ष विचाराधीन हैं और इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

मैं केन्द्र सरकार से केरल के मालापुरम जिले में कृषि विज्ञान की स्वीकृति देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : सभा पुनः 2.30 म.प. पर समवेत होने के लिय स्थगित होती है।

1.22 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.30 म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

2.38 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.38 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जम्मू और कश्मीर बजट
अनुदानों की मांगे – जम्मू और कश्मीर

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम 1995-96 के लिये जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुदानों की मागों पर चर्चा और मतदान करेंगे। इस चर्चा के लिये तीन घंटे का समय आवंटित किया गया है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27 के सामने दर्शायी गई मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों के पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा-संबंधी राशियों में से अनाधिक संबंधित राशियां जम्मू और कश्मीर की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाये।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगें—बजट (जम्मू और कश्मीर)

मांग संख्या	मांग का नाम	सदन द्वारा दिनांक 30-3-95 को स्वीकृत लेखानुदान संबंधी मांगों की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदानों की मांगों की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	10,60,70,000	4,55,20,000	10,60,70,000	4,55,19,000
2.	गृह विभाग	120,50,62,000	2,83,91,000	120,50,61,000	2,83,92,000
3.	योजना और विकास विभाग	1,89,91,000	85,83,000	1,89,91,000	85,83,000
4.	सूचना विभाग	2,24,57,000	28,11,000	2,24,58,000	28,10,000
5.	लद्दाख कार्य विभाग	54,11,81,000	29,48,93,000	-	-
6.	विद्युत विकास विभाग	218,41,23,000	145,82,37,000	218,41,22,000	145,82,37,000
7.	शिक्षा विभाग	167,02,61,000	8,18,78,000	167,02,61,000	8,18,79,000
8.	वित्त विभाग	90,87,45,000	92,50,000	90,87,45,000	92,50,000
9.	संसदीय कार्य विभाग	83,70,000	-	83,70,000	
10.	विधि विभाग	4,96,99,000	-	4,97,00,000	
11.	उद्योग और वाणिज्य विभाग	19,81,85,000	30,06,09,000	19,81,85,000	30,06,08,000
12.	कृषि विभाग	39,98,22,000	32,03,88,000	39,98,23,000	32,03,88,000
13.	पशु पालन विभाग	22,32,83,000	5,59,36,000	22,32,83,000	5,59,35,000
14.	राजस्व विभाग	39,26,17,000	1,02,25,000	39,26,18,000	1,02,25,000
15.	खाद्य पूर्ति और परिवहन विभाग	21,57,94,000	276,90,14,000	21,57,95,000	276,90,15,000
16.	लोक निर्माण कार्य विभाग	63,03,08,000	34,21,93,000	63,03,08,000	34,21,93,000
17.	स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग	74,06,42,000	13,39,45,000	74,06,41,000	13,39,46,000
18.	सामाजिक कल्याण विभाग	13,95,75,000	2,14,80,000	13,95,74,000	2,14,79,000
19.	आवास और शहरी विकास विभाग	13,28,69,000	31,20,98,000	13,28,70,000	31,20,97,000
20.	पर्यटन विभाग	5,07,84,000	6,56,22,000	5,07,84,000	6,56,23,000
21.	वन विभाग	22,96,45,000	13,10,51,000	22,96,46,000	13,10,51,000
22.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग	30,47,49,000	19,87,44,000	30,47,50,000	19,87,44,000
23.	लोक स्वास्थ्य, सफाई और जल-आपूर्ति	37,66,50,000	23,62,22,000	37,66,50,000	23,62,21,000
24.	सम्पदा अतिथ्य और नयाचार, बाग और उद्यान विभाग	6,85,60,000	1,36,50,000	6,85,60,000	1,36,50,000
25.	श्रम, लेखन-सामग्री और मुद्रण विभाग	5,35,16,000	8,82,75,000	5,35,16,000	8,82,76,000
26.	मत्स्य पालन विभाग	2,11,67,000	1,14,28,000	2,11,67,000	1,14,29,000
27.	उच्च शिक्षा विभाग	25,53,08,000	6,34,87,000	25,53,08,000	6,34,86,000

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक आपत्ति उठानी है। जम्मू और कश्मीर की अनुदानों की मांगों के बारे में जब चर्चा निर्धारित की गई थी, तब माननीय अध्यक्ष महोदय ने विशेष रूप से कहा था कि यह साधारण चर्चा नहीं है, जो वित्त मंत्रालय द्वारा चलाई जायेगी और यह अनुदानों की नैमित्रिक मांगें नहीं हैं। चूंकि इसका संबंध जम्मू और कश्मीर से है, अतः उस राज्य की समग्र राजनीतिक स्थिति की जांच करनी होगी। इसलिये उन्होंने कहा था कि गृह मंत्री उपस्थित रहेंगे और गृह मंत्री चर्चा में हस्तक्षेप करेंगे, यद्यपि यह कार्य करने का कोई अधिक कारगर तरीका नहीं है। किन्तु यह एक पृथक मामला है। जम्मू और कश्मीर राज्य के लिय एक पृथक मंत्री है जो राज्य के मामलों का निपटारा करता है। जम्मू और कश्मीर के मामले से संबंधित मंत्री अनुपस्थित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के यह कहने के बावजूद कि गृह मंत्री इस चर्चा के भागीदार होंगे, गृह मंत्री भी अनुपस्थित है।

महोदय, मेरा तात्पर्य अपने सम्माननीय साथी, माननीय श्री चन्द्रशेखर मूर्ति का अनादर करने का नहीं है। वह बहुत ही योग्य वित्त राज्य मंत्री हैं और वह वित्त मंत्रालय से संबंधित मामालों के बारे में कारगर ढंग से उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

इस पूरी बहस का आयाम बड़ा है, राजनैतिक मुद्दे हैं, कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वह अटल जी बयान करेंगे। यहां सरकार की हवाइयां ही नहीं उड़ी हुई, मंत्री जी भी नदारद हैं। यह तो हमारे साथ अत्याचार है।

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री बूटा सिंह) : ऐसा नहीं है कि मंत्री जी नदारद हैं।

[अनुवाद]

कुछ मंत्री यहां उपस्थित हैं। उनमें कोई कमी नहीं है। हम पूर्णतः उत्तरदायी हैं। माननीय गृह मंत्री भी आने वाले हैं और वे उन सभी मुद्दों का उत्तर देंगे जैसा कि उन्होंने सम्माननीय सभा के समक्ष आश्वासन दिया था वह आयेंगे और माननीय सदस्यों द्वारा कश्मीर के बारे में जो मामले उठाये गये हैं, उनका उत्तर देंगे। अतः हम लोग चर्चा आरम्भ करें।

श्री जसवंत सिंह : जी, नहीं महोदय, माननीय श्री बूटा सिंह जी ने जो कुछ कहा है उसके संबंध में मैं मंत्री की अनुपस्थिति के बारे में मुद्दा नहीं उठा रहा हूं। वस्तुतः मुझे अपने नेताओं से इसे कहने की अनुमति नहीं मिली है। किन्तु मुझे जो कहना है, वह यह है कि जब विपक्ष के नेता कोई चर्चा आरम्भ करते हैं, तो मेरे विचार सरकार की ओर से प्रारम्भिक विनम्रता यह बरती जानी चाहिये कि सभा का नेता उपस्थित रहे। इस आकस्मिक तरीके पर मैं वस्तुतः विस्मित हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : वह आ गये। आपकी आवाज उन्होंने सुन ली।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : जसवंत सिंह जी, आपकी इच्छा तत्काल पूरी हो गई है।

[हिन्दी]

श्री सत्यदेव सिंह (बलरामपुर) : चव्हाण साहब कश्मीर अफेयर के मिनिस्टर तो हैं नहीं। कश्मीर तो माननीय चव्हाण साहब से अलग है।

श्री अन्ना जोशी (पुणे) : उपाध्यक्ष जी, उनसे पूछे तो सही कि कहां है। यहां से ज्यादा जरूरी फंक्शन उनको कहां है, काम कहां है?

श्री बूटा सिंह : मैंने कहा न कि आ रहे हैं।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : चूंकि मुझे राज्य सभा में किसी अन्य मामले का उत्तर देना था, अतः मैं राज्य सभा में था। इस कारण ही मैं देर से आ पाया हूं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : उपाध्यक्ष महोदय, हम जम्मू–कश्मीर एप्रोप्रिएशन (न. 2) बिल पर चर्चा कर रहे हैं। यदि जम्मू कश्मीर की स्थिति सामान्य होती तो इस विधेयक की यहां लाने की आवशकता नहीं थी, लेकिन जम्मू–कश्मीर की स्थिति असामान्य है और इसलिए संसद अनेक ऐसे दायित्वों का निर्वाह कर रही है, जिनका निर्वाह जम्मू–कश्मीर की विधान सभा को करना चाहिए था।

लगभग 44 अरब रुपये जम्मू–कश्मीर में विभिन्न कामों के लिए, विभिन्न गतिविधियों के लिए वहीं के कन्सोलिडेटेड फण्ड से निकाले जा रहे हैं और यह सदन उसकी स्वीकृति दे रहा है। इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, होम है, प्लानिंग एण्ड डवलपमेंट है, इन्फोर्मेशन है, पावर डेवलपमेंट है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, पार्लियामेंटरी एफेयर्स है, टूरिज्म है, फोरेस्ट है, लेबर है, स्टेशनरी एण्ड प्रिण्टिंग है, फिशरीज है, हायर एजुकेशन है। इसको पढ़ने के बाद तो ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक–ठाक है और खाली धन देने की आवश्यकता है। लेकिन धन खर्च कौन करेगा, क्या धन ठीक तरह से खर्च होगा क्या गांव के स्तर पर, जिले के स्तर पर, प्रदेश के स्तर पर प्रशासन नाम की कोई चीज है?

जो लोग श्रीनगर गये हैं, कश्मीर की घाटी में घूमे हैं, वह लौटकर यह रिपोर्ट लाये हैं कि जम्मू–कश्मीर के विकास के लिए जो भी धन दिया जाता है, उसमें से अधिकांश आतंकवादियों के हाथ में चला जाता है, कुछ भय के कारण और कुछ मिलीभगत के कारण। लेकिन हम जिस जनता की भलाई के लिए, कल्याण के लिए धन देते हैं, धन भेजते हैं, उसका जन–कल्याण पर व्यय नहीं हो रहा। अब इस सदन का यह उद्देश्य तो नहीं हो सकता कि आतंकवादियों की जो धन की आवश्यकता है, वह हम यहां से पूरी करें, न इस सरकार का यह उद्देश्य

हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा है जो बात सिर्फ इतना बताती है कि अभी वहां स्थिति खराब है।

बीच में ऐसा लगा था कि स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है, लोग आतंकवाद से त्रस्त हैं, लोग सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन चरार–ए–शरीफ की घटना के बाद आतंकवादियों को एक बार फिर से अपना प्रभाव जमाने का मौका मिला है। आज जब हम लोग यहां चर्चा कर रहे हैं, मेरा ध्यान जाता है उन विदेशी पर्यटकों की ओर जो 4 जुलाई से बंधक हैं, आतंकवादियों की गिरफ्त में हैं। वे भारत भ्रमण के लिए आये थे। वे भारत की भूमि पर कश्मीर जिसे स्वर्ग कहा जाता है, उसके भ्रमण के लिए आये थे, वे तो नर्क से भी ज्यादा बदतर स्थिति में पहुंच गये। एक पर्यटक की हत्या कर दी गई, अब चार बाकी हैं, उनका क्या होगा? सारी दुनिया का ध्यान जिस तरह से नार्वे के प्रर्यटक की हत्या हुई है उसकी ओर गया है। विश्व का जनमत उसके खिलाफ मुखर हुआ है। सुरक्षा परिषद में भी उसके विरूद्ध आवाज उठाई गई है। मुस्लिम देशों ने, अरब देशों ने भी उस हत्या की निन्दा की है। लेकिन हम हत्या को रोक नहीं सके। हम हत्या से पहले उनकी रिहाई नहीं करा सके। सदन जानना चाहेगा इस चर्चा के उत्तर के रूप में कि जो 4 विदेशी पर्यटक इस समय भाड़े के टट्टुओं के हाथ में हैं, इससे निबटने के लिये सरकार क्या करने जा रही है। मेरी जानकारी के अनुसार अपहरणकर्त्ताओं में पाकिस्तानी हैं और कुछ अफगानिस्तानी भी हैं, उसमें कश्मीर घाटी के ज्यादा लोग नहीं हैं, पहलगांव के पास उनको 4 जुलाई को बंधक बना लिया, अब उनको लेकर घूम रहे हैं, उन पर सौदा कर रहे हैं। उनकी रिहाई का आश्वासन देकर अन्य दुर्दांत आतंकवादियों की रिहाई कराना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो दृढ़ता दिखी है, वह अच्छी है। आगे भी इस मामले में दृढ़ रहना होगा। इसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिलेगा। एक गलती हो गई जिस समय जनता शासन के दौरान, जिसका हम समर्थन कर रहे थे, मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की को छुड़ाने के लिए जो समझौता किया गया वह समझौता गलत था। उससे आतंकवादियों के हौंसले बढ़े। उसके बाद इस सरकार ने भी अधिकारी को छुड़ाने के लिए आतंकवादियों को जेल से रिहा किया।

मैं पढ़ रहा था ब्रिटिश वीकली स्पैक्टेटर ने इस सम्बन्ध में जो टिप्पणी की है। वह हमसे कह रहे हैं कि डटे रहो! आतंकवादियों के सामने सिर न झुकाना, क्योंकि एक जगह आतंकवादियों के सामने सिर झुक गया तो वह दूसरी जगह सिर उठायेंगे। स्पैक्टेटर ने लिखा है कि लेबनान में जहां आतंकवादियों के सामने समर्पण किया गया उसका नतीजा यह है कि कश्मीर में अब आतंकवादी अपने घृणित कृत्य कर रहे हैं। मैं उद्धृत करना चाहता हूं :-

[अनुवाद]

स्पैक्टेटर के अनुसार : कुछ न करने की नीति जो कठोर और निर्दय प्रतीत होती है, वह इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि बंधक के तौर पर शत्रु से ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा करने का एक मात्र तरीके के तौर पर बंधकों के आगे हार मानना कदापि नहीं है।

[हिन्दी]

सबसे अच्छा तरीका यह है कि जिन्होंने अपहरण किया है उनके सामने झुकना नहीं, लेकिन मामला यहां समाप्त नहीं होता, उपाध्यक्ष महोदय, आखिर उनको छुड़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? क्या उनके कब्जे में जो विदेशी मेहमान हैं वे कश्मीर घाटी में हैं या उनको डोडा ले जाया गया है? हम उनको घेरने में अभी तक क्यों सफल नहीं हुए हैं? क्या ऐसा होगा कि सरकार इस मामले में दृढ़ तो रहेगी, मगर कुछ करेगी नहीं?

उन्होंने एक विदेशी मेहमान की हत्या कर दी। वे और हत्यायें कर सकते हैं, उसको रोकना चाहिए। अगर वे सब हत्यायें करने में सफल रहे, तो हमें यह कहने को तो होगा कि हम झुके नहीं और हम दृढ़ता से खड़े रहे। वह भी अपने में एक उपलब्धि होगी, लेकिन हमें तो पर्यटकों को छुड़ाना है और जिन्होंने पर्यटकों को गिरफ्तार किया है, जिस तरह की नारकीय यात्नायें दी हैं, उन्हें गिरफ्तार करना है और उन्हें सजा दिलानी है। क्या सरकार के पास इसकी कोई योजना है?

अगर इस मामले में कुछ मित्र देश आपको सलाह देना चाहते हैं, कोई सहायता देना चाहते हैं, तो उसे लेने में किसी तरह का संकोच नहीं होना चाहिए। आतंकवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय खतरा है। उसका सामना करने के लिए, सभी जो लोकतंत्र में, शान्ति में विश्वास करते हैं, उनको एक जुट होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारी सरकार के पास जो तंत्र है, वह अपने आप में सक्षम है और हम उनकी रिहाई के लिए कदम उठा सकते हैं, उसमें सफलता पा सकते हैं। मुझे लगता है कि जिस निर्णय की आवश्यकता है, उसमें एक संकल्प शक्ति के भाव की कमी है। आत्म विश्वास के साथ कदम उठाने की जरूरत है। इस काम में दलबन्दी का सवाल नहीं है, आपको सारे सदन का समर्थन मिलेगा, सारे देश का समर्थन मिलेगा।

लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस सरकार की कश्मीर के बारे में कोई नीति ही नहीं है। कौन संचालन करता है नीति का, यह प्रश्न तो बाद में उठेगा और उठना स्वाभाविक है, लेकिन नीति क्या है? क्या घटनाचक्र को भगवान के भरोसे छोड़ देना और आशा करना कि कुछ अच्छा हो जाएगा, यह तो नीति नहीं हो सकती। न एक संकट से दूसरे संकट तक जिन्दा रहना, यह नीति नहीं हो सकती है। न काम चलाऊ फैसले करना, यह नीति हो सकती है। नीति क्या है? हम आतंकवादियों को और जो आतंकवादियों के आका हैं, जो सीमा पार बैठे हैं, उन्हें क्या संदेश भेजना चाहते हैं। अगर हम उन्हें दृढ़ता का संदेश भेजना चाहते हैं, तो उस पर अमल करना पड़ेगा। नीति के निर्धारण में स्पष्टता होनी चाहिए और लक्ष्य भी ऐसा हो, जिस पर हम सचमुच चल सकें, जिसको पा सकें।

अब जम्मू–कश्मीर में एक गवर्नर हैं। मैंने सुना है कि आजकल वे कहते हैं, मुझे चेयरमैन ऑफ दि क्राइसेस मैनेजमेंट कमेटी कहा जाए, गवर्नर नहीं। उनकी और उनके सलाहकारों की आपस में बात नहीं होती। गवर्नर तो शायद गृह मंत्री से भी बात सीधे नहीं करते हैं। इससे भी और जरा ऊपर बात करते हैं। कितनी बातें करते हैं, मालूम नहीं। अभी तक पायलट साहब गृह मंत्रालय में थे। वे और कुछ न

करते हो, कभी कभी हवाई जहाज लेकर वहां घूम जरूर आते थे। अब तो वह भी बन्द है। अब तो गृह मंत्री जी एक तरह से स्वतन्त्र हैं, नीति निर्धारण के लिए और उस नीति पर अमल करने के लिए। लेकिन अब पी.एम.ओ. नीति के निर्धारण में कितनी मदद देता होगा। मैं नहीं समझता, वहां कोई काश्मीर का विशेषज्ञ है, काश्मीर का कोई अनुभवी आफिसर हैं, काश्मीर से सतत् संपर्क में रहने वाला कोई आदमी है। मैं नहीं जानता, प्रधान मंत्री जी कितना समय दे सकते होंगे। उन्होंने तो इतना भार उठा रखा है कि जब कोई संकट होता होगा, तो ही प्रधान मंत्री से बात होती होगी।

एक बात मैं कहना चाहूंगा, हम जब कभी प्रधान मंत्री जी से मिले, और मिलते रहते हैं जम्मू काश्मीर के बारे में, और लोग भी मिलते रहते हैं और वे भी प्रधान मंत्री को सुझाव देते हैं कि जम्मू काश्मीर में जो वर्तमान गवर्नर हैं, उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है और अगर वहां कोई नया अध्याय शुरू करना है, तो उसके लिए नये गवर्नर की आवश्यकता है। प्रधान मंत्री से मिलने के बाद हम लौटकर यह धारणा लेकर आते हैं कि गवर्नर बदलने वाला है, गवर्नर के बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मगर वह आशा कभी पूरी नहीं होती। मैं गवर्नर महोदय के व्यक्ति के रूप में खिलाफ नहीं हूं। एक संस्था का प्रश्न है। अगर वह अपने ऐडवाइजरों को विश्वास में लेकर नहीं चल सकते तो वह जनसमर्थन कैसे जुटाएंगे?

अब स्थिति को सामान्य बनाने की बात हो रही है। उसके लिए लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों में जो भय की भावना व्याप्त है, उसे निकालना पड़ेगा और लोगों को दृढ़ता के साथ समझदारी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। वहां राजनीतिक नेता नहीं हैं। जो हैं वह अधिक सक्रिय नहीं हैं। पहले गृह मंत्री महोदय ने माना था कि दिल्ली में कोई ऐडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। वह तो अस्तित्व में नहीं आई कभी-कभी जम्मू में या लद्दाख में या श्रीनगर में भी कोई बैठकें हो जाती हैं और उसके बाद सब मामला ठप्प हो जाता है। यह धन जो हम दे रहे हैं, यह धन लोगों की भलाई में लगे, इसके लिए वहां किसी न किसी रूप में कोई न कोई प्रशासन का तन्त्र होना चाहिए। यह धन ठीक तरह से खर्च होना चाहिये। पहले भी धन नई दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए जाने में कभी कमी नहीं हुई, कभी कोताही नहीं हुई। मैं आंकड़े नहीं बताना चाहता। 40-45 सालों में कितना धन यहां से गया है और गया है तो ठीक गया है, स्वाभाविक गया है। जम्मू-कश्मीर हमारा भाग है, अटूट अंग है हमारा, और उसके विकास के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम उन पर कोई खर्च करते हैं तो हम उन पर कोई अहसान नहीं करते, अपने दायित्व का पालन करते हैं। लेकिन धन ठीक तरह से खर्च हो इसके लिए वहां प्रशासन चाहिए। प्रशासन में ईमानदार लोग चाहिए। न तो आतंकवादियों से डरने वाले लोग चाहिए और न आतंकवादियों के साथ सांठ-गांठ करने वाले लोग चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, जम्मू कश्मीर की बिगड़ती हुई स्थिति में कुछ उज्जवल पक्ष भी हैं। एक उज्जवल पहलू तब दिखाई दिया जब अमरनाथ की यात्रा के लिए देश के कोने-कोने से हजारों यात्री मौत का खतरा मोल लेकर, अपने जीवन को संकट में डालकर आतंकवादियों को चुनौती देते हुए और उनके जो आका सीमा के पार बैठ हैं, उनके मुंह पर भी जैसे एक करारी चपत लगाते हुए अमरनाथ की ओर बढ़े, कश्मीर की घाटी को पार करके गए। बर्फ गिर रही थी, बरसात हो रही थी। लोगों के पास जाड़े में पर्याप्त कपड़े नहीं थे, मगर एक तो भक्ति का भाव उन्हें ले गया और दूसरा अमरनाथ भारत की भूमि में है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, इसका भी उनकी यात्रा से परिचय मिला, उनकी यात्रा से इस बात का भी संकल्प प्रकट हुआ। आतंकवादी भी यात्रियों की संख्या देखकर चौक गए। स्थानीय लोगों ने यात्रा में मदद की। मैं सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं। पहले तो ऐसा लगा था कि शायद सरकार प्रबन्ध नहीं कर पाएगी, लेकिन सरकार ने प्रबन्ध किया और आतंकवादियों की एक नहीं चली। तो इसका मतलब यह है कि सरकार अगर मन में ठान ले और उस पर पार्लियामेंट का पर्याप्त दबाव हो और देश का दबाव हो तो इस सरकार को भी, जैसी भी है और जब तक है, कुछ अच्छा काम कराया जा सकता है। अमरनाथ की यात्रा का यह उज्जवल पक्ष है। आम आदमी जैसा मैंने कहा शान्ति चाहता है। वह तंग है। वह भारत से अलग होना नहीं चाहता। कभी आजादी के नारे ने कुछ गुमराह नौजवानों को लुभाया होगा, लेकिन वे भी अब समझ रहे हैं कि आजादी का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान उन्हें आजाद नहीं रहने देगा। पाकिस्तान में जो हालत सिन्ध में हो रही है, जो मुहाजिर यहां से गए हैं, उनकी जो दुर्दशा हो रही है, पाकिस्तान में अन्य भाषा-भाषियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उससे भी लोगों की आंखें खुली हैं।

3.00 म.प.

अन्तर्राष्ट्रीय मत में भी एक परिवर्तन हुआ है, लेकिन हम अपने घर को तो ठीक करें, अपनी नीतियां तो प्रभावी बनाएं और नीतियों को कार्यान्वित करने का जो तंत्र है उसे भी प्रभावी बनाएं।

अब उपाध्यक्ष महोदय, हम इनसरजेंसी से लड़ रहे हैं। वहां 5 साल से इनसरजेंसी चल रही है लेकिन अभी तक हम इनसरजेंसी से लड़ने का प्रभावी ढांचा तैयार नहीं कर सके हैं। वहां गवर्नर हैं, गवर्नर के एडवाइजर हैं, वहां एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्मी है, सी.आर.पी.एफ. है, वहां बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जम्मू-कश्मीर की पुलिस है। कोर्डिनेशन कौन करता है? क्या इनका कोई यूनिफाइड कमांड है? हमारे गवर्नर सेना के रिटायर्ड सी.इन.सी. हैं, लेकिन उनके पास तो सेना नहीं है, उन्हें तो और औजारों से काम लेना है, और शस्त्रों से काम लेना है। वे शस्त्र कैसे हैं, क्या उनमें तालमेल है? अभी तक पता नहीं लगा कि चरारे-शरीफ में क्या हुआ? उससे पहले हजरत बल में क्या हुआ था? हम कहां गलती कर जाते हैं? कहां हमसे भूल होती है? भविष्य में ऐसी भूल न होने पाए इसके लिए जरूरी है कि जो कमियां हुई है, कुछ खामियां हुई हैं उनका ईमानदारी से विश्लेषण होना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती रही है कि जम्मू-कश्मीर के बारे में भारत सरकार एक श्वेत-पत्र प्रकाशित करे। श्वेत-पत्र में यह बताने की जरूरत है कि किस तरह से जम्मू-कश्मीर स्वेच्छा से भारत का भाग बना था। उसमें यह भी बताने की जरूरत है कि हमारा पड़ोसी किस तरह से वहां हस्तक्षेप कर रहा है, किस तरह

से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। इस समय अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में पाकिस्तान डिफेंसिव पर है, पाकिस्तान को अपना बचाव करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी जो मुद्रा आक्रामक होनी चाहिए, वह नहीं है।

जिस तरह से ये विदेशी मेहमान अपहृत किए गए, किस तरह से इन्हें रखा जा रहा है वह एक चुनौती है। आखिर 2-4 लोग नहीं रख सकते, वहां 15-20 लोग होने चाहिए। उनके लिए खाने की जरूरत है, अगर बीमार पड़ते हैं तो दवा का भी आतंकवादियों को प्रबन्ध करना पड़ता होगा। वैसे तो उन्हें कोई चिन्ता नहीं है कि पर्यटकों का क्या होता है। लेकिन क्या उनका पता नहीं लगाया जा सकता है? क्या छापा, कमाण्डो एक्शन नहीं लिया जा सकता है?

चरारे-शरीफ से मस्त गुल निकलकर चला गया। दरगाह भी नहीं बची, मस्त गुल भी चला गया। अब वह पाकिस्तान में प्रकट हुआ है। पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। लेकिन हमने उसे जाने दिया। मुझे डर है कि कहीं ये भी न चले जाएं और यदि पर्यटकों को मारने के बाद गया तो हमारे लिए अपनी स्थिति का समर्थन करना बहुत मुश्किल होगा। सरकार झुके, इसका तो सवाल ही नहीं है। अब आतंकवादियों के सामने देश नहीं झुकेगा, यह मन में संकल्प होना चाहिए, और है। लेकिन इस संकल्प के साथ तंत्र भी जरूरी है कि किस तरह से रिहा कराया जाए और जैसा मैंने कहा कि इसमें मिलकर-बैठकर योजना बनाकर तैयारी करिए, सदन को भी विश्वास में लीजिए। अगर सदन को सब बातें नहीं बतायी जा सकती तो विरोधी दलों के नेताओं को बुलाकर सम्पर्क रखना चाहिए कि क्या हो रहा है, हम जानना चाहते हैं। यह कोई पार्टी का मामला नहीं है। आज आप है, कल हम आने वाले हैं, आप चले जाने वाले हैं। कोई और आ सकता है। लेकिन यह विचार-विनिमय की पद्धति चलती रहनी चाहिए, परम्परा चलती रहनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, एक मामला उठाया जाता है कि जम्मू-कश्मीर को और अधिक स्वायत्तता की जरूरत है। मैं समझता हूं कि जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता थी, स्वायत्तता है और अगर स्वायत्तता बढ़ाने का सवाल है तो उस पर शांति स्थापना के बाद, चुनाव के पश्चात् जब जन-प्रतिनिधि चुनकर आये तो उनके साथ विचार-विनिमय में तय किया जा सकता है कि वे सचमुच में कितनी स्वायत्तता चाहते हैं और क्यों चाहते हैं? कथित स्वायत्तता की कमी से उनके विकास में किसी तरह की बाधा पैदा नहीं हुई है। लेकिन जो स्वायत्तता थी, उसका लाभ कुछ मुट्ठीभर नेताओं ने उठाया, आम आदमी ने नहीं, चाहे वह सब्सिडी का सवाल हो या धारा 370 का सवाल हो। जब धारा 370 पर संविधान परिषद में बहस हो रही थी तो गोपालास्वामी आयंगर ने कहा था कि यह धारा अस्थाई धारा है। यह उनका वक्तव्य है, जो संविधान परिषद में उन्होंने दिया था। मैंने सदन में एक प्रस्ताव लाकर कि धारा 370 को समाप्त कर दिया जाए, यह मामला उठाया था। तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उस बहस का जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी आप जरा जल्दी कर रहे हैं, धारा 370 घिस रही है और घिसते घिसते घिस जायेगी। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह कोई लक्ष्मण रेखा है या पत्थर की लकीर है, जिसे मिटाने का सवाल ही नहीं है। हमारे संविधान निर्माताओं की भूमिका स्पष्ट थी क्योंकि वे जानते थे कि कश्मीर का आम आदमी सुप्रीम कोर्ट का संरक्षण चाहेगा। कश्मीर का आम आदमी यह चाहेगा कि वहां जो भी धन जाता है, भारत के कंट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल उसके हिसाब-किताब की जांच करें। कश्मीर का आम आदमी यह चाहेगा कि वहां चुनाव निष्पक्ष हों, स्वतंत्र हो। इसके लिये वह हिन्दुस्तान के इलैक्शन कमीशन के ज्यूरिस्डिक्शन के भीतर आना पसंद करेगा। धारा 370 के अंतर्गत यही सुविधायें हैं, इन्हीं का विस्तार किया गया है। वह कोई दीवार नहीं है, कोई रूकावट नहीं है।

मैं मानता हूं कि कुछ लोग वहां स्वायत्तता चाहते हैं मगर याद रखिये कि स्वायत्तता केवल कश्मीर के लोग ही नहीं चाहते, जम्मू के लोग भी चाहते हैं और लद्दाख के लोग भी चाहते हैं। लद्दाख के लोगों को संतुष्ट करने के लिये तो आपने कुछ कदम उठाये हैं, मगर जम्मू के लोग दुखी हैं। जम्मू के लोगों की पीड़ा की कोई सीमा नहीं है।

जब कश्मीर घाटी में आतंकवादियों पर दबाव पड़ता है तो वे डोडा पहुंच जाते हैं, किश्तवाड़ या भदरवाह पहुंच जाते हैं। वहां के लोगों का अपहरण कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं। मेरे पास पूरी जानकारी है लेकिन मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता।

अभी 14 अगस्त को ठकराई क्षेत्र में एक पूर्व सैनिक रतन चन्द की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गयी। एक आतंकवादी भी मारा गया। फिर 17 अगस्त को उसी क्षेत्र में दुली चन्द की हत्या कर दी गयी। उसके टुकड़े कर दिये गये और उसकी आंखें निकाली गयी। विदेशी पर्यटकों का सिर काटने का जो कांड वहां हुआ है, वह पहला कांड नहीं है, मगर विदेशियों के साथ पहला है। वहां आतंकवादी कितने निर्मम हैं, कितने निष्ठुर हैं, कितना पशु की तरह व्यवहार करने वाले हैं कि वह इसी से स्पष्ट है कि वे लोगों को मारते हैं, मारकर टुकड़े करते हैं और टुकड़े करने के बाद मांस को माता और पिता को खाने के लिये मजबूर करते हैं। आंखें निकालते हैं। ऐसी एक नहीं अनेकों घटनाएं वहां हो चुकी हैं। इस समय डोडा में दो दर्जन के करीब लोग अपहृत हैं। आतंकवादी उन्हें पकड़कर ले गये हैं। लगभग 100 मुस्लिम नौजवानों को वहां आतंकवादियों द्वारा उनके घरों से जबर्दस्ती ले जाया गया ताकि वे आतंकवादियों की श्रृंखला में शमिल हो सकें, आतंकवादी आन्दोलन में शमिल हो सके। सरकार उन 100 नौजवानों को अभी तक रिहा नहीं करा पाई है। वहां के हिन्दू आज ऐसा अनुभव करते हैं जैसे उन्हें पूछने वाला कोई नहीं है।

मैं सारी घटनाएं नहीं बता रहा हूं। जम्मू में बम-विस्फोट हुए। उन्होंने हमारी असम राईफल्स की एक पिकेट पर 22 जुलाई को हमला किया। पहले आतंकवादियों ने उनसे दोस्ती कर ली और फिर धोखे से आकर सैनिकों को मार दिया, वायरलैस औपरेटर की हत्या कर दी, एक रसोईये का गला काटा और फिर दो हथगोले फेंके जिससे टैंट में 5 जवान मारे गये, 5 घायल हो गये और उनमें से 2 बाद में मर गये।

डोडा से जो खबरें आ रही हैं, उनका एक पहलू चिन्ताजनक है। हमारे सुरक्षा बलों को वहां क्या निर्देश है। अभी एक ऐसी घटना हुई

जहां आतंकवादियों ने हमला किया, एक आदमी को मारा, उसके पास ही हमारी एक पिकेट थी, हो सकता है वह बी.एस.एफ. की पिकेट हो या कोई और पिकेट हो लेकिन उस पिकेट के जवानों ने कुछ नहीं किया। जब उनसे कहा गया कि आप कुछ करते क्यों नहीं है तो वे कहते हैं कि हमें आदेश नहीं है। उन्हें क्या आदेश हैं?

उस इलाके के लोगों का मनोबल टूट रहा है। वहां से माइग्रेशन हो रहा है। एक हजार के करीब परिवार रामबन चले आए हैं। शहर में स्थिति सुधरी है, लेकिन गांवों में आतंकवादी घूम रहे हैं। पहाड़ों पर अड्डे बने हुए हैं, लोगों को लूटते हैं, औरतों को उठा ले जाते हैं, और उनका जिस तरह से मुकाबला होना चाहिए, यह नहीं हो रहा है इसलिए नहीं कि हमारे सुरक्षा बल मुकाबले के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन इसलिए कि स्पष्ट निर्देश नहीं हैं। अगर वे कार्रवाई करते हैं, तो उन्हें दोष दिया जाता है और उन्हें कटघरे में खड़ा करने कोशिश की जाती है। इसलिए वे "बचकर चलो", यह नीति अपनाते हैं। इसलिए उनके मनोबल की रक्षा करना बहुत जरूरी है।

जम्मू की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये जो घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं की श्रृंखला है, इन्हें रोका जाना चाहिए। जम्मू में बड़ी संख्या में एक्ससर्विसमैन रहते हैं। वे एक्ससर्विसमैन सेवा करने के लिए तैयार हैं और आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। उन्हें ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है, वे सब ट्रेंड हैं। उन्हें हथियारों की जरूरत है। वे देशभक्त लोग हैं। आज वे अपनी दुर्दशा पर आठ-आठ आंसू रो रहे हैं। सुरक्षा बल कार्रवाई नहीं करते क्योंकि दिशानिर्देश स्पष्ट नहीं हैं और वे कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास हथियार नहीं हैं। आतंकवादियों ने कई एक्ससर्विसमैन मारे हैं। अब उनकी स्थानीय दलों का संगठन किया जा सकता है। लोगों को संगठित किया जा सकता है। रक्षा के काम में लगाया जा सकता है आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए लोगों को खड़ा किया जा सकता है। अब वह स्थिति आ गई है। मगर सरकार न घाटी में यह कर पा रही है न जम्मू में यह कर पा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा। हम लोग चाहते थे कि जम्मू-कश्मीर पर विस्तार से चर्चा हो। इसीलिए स्पीकर महोदय के कमरे में कहा गया था कि गृह मंत्री आएं और हमलोगों की बातें सुनकर सरकार की नीति को स्पष्ट करें। वर्तमान में सरकार के पास कश्मीर नीति जैसी कोई नीति नहीं है। एक ड्रिफ्ट है, एक एडहाक पालिसी है। टुकड़ों-टुकड़ों में समस्याएं हल करने की कोशिश होती है।

चुनाव की चर्चा हो रही है, मगर बन्दूक का भय कायम है। ऐसे में चुनाव कैसे होंगे? हम चाहते हैं कि चुनाव हों और स्वतंत्र चुनाव हों। 1989 में चुनाव में जो धांधली हुई उसके कारण भी जम्मू-कश्मीर की स्थिति बिगड़ी। लोगों को भरोसा होना चाहिए कि उन्हें अपनी इच्छा से वोट डालने की छूट होगी, लेकिन घर से निकल सके, पालिटिकल पार्टियां वहां प्रचार कर सकें, इतना वातावरण तो बनाना पड़ेगा और यह जिम्मेदारी सरकार की है। अभी तक सरकार इसमें पूरी तरह विफल रही है।

जहां तक इस एप्रोप्रिएशन का सवाल है, हम उसकी स्वीकृति देते हैं। वह उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ध्यान इतना ही रखना चाहिए कि जो धन है, वह जिनके लिए दिया जाता है वह उनके ऊपर खर्च हो, वह आतंकवादियों को शक्तिशाली न बनाए।

श्री उमराव सिंह (जालंधर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि वाजपेयी जी ने आज बड़ी कंस्ट्रक्टिव बातें कहीं हैं और जम्मू-कश्मीर की नीति के बारे में और स्पष्ट करने के लिए कहा है और अपनी पार्टी का सहयोग भी देने के लिए कहा है। अगर यही हालात इस देश में कुछ साल पहले होते, तो शायद जम्मू-कश्मीर, पंजाब और दूसरी जगहों में ये हालात पैदा न होते जैसे कि हुए हैं। मैं चूंकि पंजाब से संबंधित हूं और जम्मू-कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वही कुछ पंजाब में हुआ है, उनमें बहुत सिमिलैरिटी है, इसलिए अगर इसमें पंजाब का कोई जिक्र कर लूं, तो कोई इर्रेगुलैरिटी नहीं होगी। इस सिलसिले में वहां हमने जो कुछ स्टैप्स लिए थे और उनसे पंजाब में जो सुधार हुआ है, उससे जम्मू-कश्मीर में हालात सुधारने में काफी आसानी हो सकती है।

इसमें कोई दो राय नहीं है हमारे इस बोर्डर पर यह हालत क्यों हुई? पाकिस्तान ने किस तरीके से हमारे नौजवानों को बरगला कर, उनको ट्रेनिंग देकर, उनको घुसपैठिये

3.15. म.प.

(प्रो. रीता वर्मा पीठासीन हुईं)

बनाकर पंजाब, असम व अन्य जगहों में भेजा। उनको सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दी बल्कि हथियार भी दिये और मोस्ट मार्डन वैपन किस्म के हथियार दिये जो उस वक्त हमारी पुलिस के पास भी नहीं थे, हमारे जो सुरक्षा दल थे, उनके पास नहीं थे। इसमें ए.के.47 व दूसरे जो साथी किस्म के हथियार हैं, उससे भी ज्यादा मिसाइल टाइप के और ऐसे-ऐसे बम, जो कि रिमोट कंट्रोल से बहुत दूर से चलाये जाते हैं, दिये गये। ऐसी जो चीजें हैं वे पहले टेरोरिजम में इस्तेमाल नहीं होती थीं। अब उनका इस्तेमाल शुरू हुआ है। उनको सिर्फ उन लोगों ने शह नहीं बल्कि डर की वजह से उनके प्रति हमदर्दी भी पैदा हो गयी। मजहब की बना पर व पोलिटिक्स मुखालफत की वजह से ऐसी बातें होना शुरू हो गयी जिससे उसको हवा मिली। अगर मैं यह कहूं उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रोल है। बहुत से समय में तो जनता पार्टी की सरकार थी। मैं जम्मू-कश्मीर के बारे में तो नहीं जानता लेकिन पंजाब में उस वक्त हालात ज्यादा बिगड़े। जब पंजाब में बरनाला सरकार थी तो जितने भी आतंकवादी पकड़े हुए थे, उन सबको छोड़ दिया गया। हमारे बेअंत साहब की कमेटी बनी जो कि अपने आपको ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट कहते हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और उसमें उनकी बहुत बुरी तरह जमानत जब्त हुई। वे अपने आपको हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट कहते हैं। ऐसे लोगों की कमेटी बनी और आतंकवादियों को छोड़ दिया गया। जब पंजाब में हालात खराब हुए तो जम्मू-कश्मीर में भी हालात खराब हो गये क्योंकि उनका आपस-में मेल जोल था। आंतकवादी

यहां से भागकर जम्मू जाते थे और वहां से भागकर यहां आते थे। पाकिस्तान के जो रास्ते खुले थे, उस रास्ते से आतंकवादी जम्मू-कश्मीर और पंजाब में आते थे।

सभापति महोदय, वाजपेयी जी ने जो बातें आज कहीं, उन सारी बातों का हमें सामना करना पड़ा। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। मगर मैं यह कह सकता हूं कि पंजाब के लोग बहादुर थे। वे बाहर नहीं भागे बल्कि उन्होंने उसका डटकर मुकाबला किया। इसलिए आज पंजाब सुरक्षित है। आज यही कौन्फीडैंस जम्मू-कश्मीर के लोगों को देना पड़ेगा। अभी वाजपेयी जी सिक्योरिटी फोर्सिस के मनोबल की बात कर रहे थे। उनको सर्विस की सिक्योरिटी तो है लेकिन यदि वे आंतकवाद का शिकार हो जाते हैं तो उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती। पंजाब में तो उनको बहुत से बेनीफिट दिये गये हैं। यदि वहां कोई आंतकवादियों के हाथों मारा जाता है तो उनके रिश्तेदारों को दो लाख रुपये दिये जाते हैं व उनके परिवार के एक आदमी को रोजगार दिया जाता है तथा उसका विधवा को सारी उम्र के लिए वह पेंशन दी जाती है जिसके वे हकदार होते हैं। इससे हमारी सिक्योरिटी फोर्सिस में मनोबल आया। उन्होंने लड़नी शुरू की। यदि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सिस को लड़ने के लिए तैयार नहीं करते तो फिर आतंकवाद से कौन लड़ेगा। जिनके पास बड़े मार्डन किस्म के हथियार हैं, पूरी सप्लाई है और उसके साथ मजहब का प्रपोगंडा है।

ये सारी बातें हैं। मैं समझता हूं कि आज सारे देश में इस बात की मांग है कि हमें जम्मू-कश्मीर में सख्ती करनी चाहिए। मैं सरकार से यह जरूर कहूंगा कि वहां सख्ती होनी चाहिए क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। हम पंजाब में जो कुछ देख रहे हैं, मैं महसूस करता हूं कि वह चीजें जम्मू-कश्मीर को भी देखनी पड़ेंगी। यदि एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में दरख्वास्त देता है तो हमारी सारी सिक्युरिटी फोर्स को वहां पेश होना पड़ता है। अब उसे कैसे डिफेंड करें। यह आतंकवाद की बात नहीं है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रौक्सी वार हैं, हमारे देश पर हमला है, हमारे देश के कुछ हिस्से पर कब्जा करने की साजिश है। यह तो स्पष्ट है कि पाकिस्तान ने उनको फाइनेंशियल हैल्प दी है,ऐड भी दे रहे हैं, असला भी दे रहे हैं। हमारी तरफ से ये चीजें इंटरनेशनल फोरम पर रही हैं। उसमें वाजपेयी जी भी गए थे। वहां हमारे देश की पॉलिसी की बड़ी प्रशंसा और मुस्लिम देशों ने हमारे स्टैंड को सपोर्ट किया। मैं समझता हूं कि जहां मुल्क की बात होती है वहां मजहब की बात नहीं होती। यदि मजहब की बात होती तो इराक और कुवैत में लड़ाई न होती, यदि मजहब की बात होती तो बंगलादेश पाकिस्तान से जुदा नहीं होता। यह दो मुल्कों की बात है और यदि हम इस बात को लोगों में ले जाएंगे तो वह वक्त दूर नहीं है जब हम इस लड़ाई को जीत सकेंगे।

कई बार आतंकवाद की लड़ाई लम्बी हो जाती है। लड़ाई जितनी लम्बी होगी आंतकवादी उतने ही कमजोर होंगे। उनकी लाइफ बहुत कम होती है, 3-4 साल से ज्यादा नहीं होती। इसके अलावा उनकी बहुत सारी प्रॉबल्म्स होती हैं। यदि पुलिस का दबाव रहे तो बहुत से लोग इस मूवमैंट को छोड़ देते हैं। जब तक उनको डराया न जाए तभी तक वे मूवमैंट के साथ लड़ाई में होते हैं। जब हम यह लड़ाई लड़ रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इस इशू पर सबकी यूनैनिमिटी होनी चाहिए और देश में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिससे जो लोग वहां लड़ रहे हैं, उनका स्टैंड कमजोर हो जाए।

वाजपेयी जी की स्पीच बहुत कनस्ट्रक्टिव थी। मैं उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहता जिससे हिन्दु और सिखों में असर हो। यदि हम यहां सबको हिन्दुस्तानी बनाकर रखें तो कोई वजह नहीं है कि जम्मू-कश्मीर के लोग हमारे साथ नहीं चलेंगे।

जम्मू-कश्मीर के लिए जो बजट रखा गया है, मैं समझता हूं कि जम्मू में काफी डैवलपमैंट हो रही है। जहां अच्छा काम हो रहा है, वहां यह जरूरी है कि लोगों को इनवॉल्व करें। पहले हाउस में यह बात हुई कि वहां इलैक्शन होने चाहिए।

पंचायतों के इलैक्शन होने चाहिए, लोकल बॉडीज के होने चाहिए तो ऐसे साधन शुरू करने चाहिए। पर उससे ज्यादा जिम्मेदारी हम पोलिटीशियंस की है, हमारी पोलिटीकल पार्टीज की हैं। हम पोलिटिकल पार्टीज वाले पहले वहां पोलिटिकल एक्टिविटी तो जाकर शुरू करें, यह तो हमारा फर्ज बनता है। मैं तो प्रधान मंत्री जी से और होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि एम.पीज. के ग्रुप बनाकर वहां ले जायें, हम वहां के लोगों से मिलें, लोगों को भी हमसे अपनी बात करने का मौका मिले और हमको भी मिले। इण्टरैक्शन से हमारे देश में जो शान्ति है, इसको लाया जाए। इसके साथ-साथ पोलिटिकल एक्टीविटीज वहां शुरू की जायें, मिलकर की जायें, छोटे-छोटे जलसे किये जायें। जब पंजाब में आतंकवाद था तो उस वक्त हमने पंजाब में पोलिटिकल एक्टीविटीज जारी रखीं, उसमें हमारे बहुत से साथी मारे गये। मुझे याद है कि जहां जाकर हम जलसा करते थे, दूसरे दिन वहां का हमारा जो आर्गेनाइजर होता था, उसको कत्ल किया जाता था, मगर जम्मू-कश्मीर में पंजाब से थोड़े से हालात बेहतर हैं। इस तरीके से बेहतर हैं कि वहां जो इण्डीविजुअज कत्ल हैं, सिविलियंस का जो कत्ल है, वह पंजाब से बहुत कम हैं। पंजाब में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था, जहां कि बहुत से लोग और खासकर सिविलियन और वह लोग, जिनका बिल्कुल किसी बात से कोई लगाव नहीं होता था, जैसे लोग बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं या वैसे ही सड़क पर, साइकिल पर जा रहे हैं, ऐसे लोग वहां कत्ल होते रहे हैं, ऐसी बातें जम्मू-कश्मीर में कम हैं। लोगों में जो डर, भय पंजाब में था, वहां उससे बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि वहां सिविलियंस का जो कत्ल है या सिविलियंस का मर्डर है या सिविलियंस को मारने का जो प्रोग्राम है, वह पंजाब से बहुत कम है।

यह ठीक है कि वहां से एक कम्युनिटी के लोग माइग्रेट कर गये हैं। जो लोग माइग्रेट कर गये हैं, उनके मन को भी भरोसा देने के लिए हमें काम करना चाहिए। उनमें से कुछ जम्मू में है, कुछ पंजाब में भी बैठे हैं। उनको पूरी रिलीफ देनी चाहिए और रिलीफ का प्रबन्ध भारत सरकार को करना चाहिए और जम्मू-कश्मीर की सरकार को करना चाहिए। मैंने भी उनके एक कैम्प देखे हैं, जहां वह लोग रह रहे हैं,

वहां उनकी बड़ी मिजरेबल हालत है। खास तौर पर इस दफा पंजाब में यह जो बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, इससे माइग्रेंटस की कण्डीशन बहुत ज्यादा खराब है, खास तौर पर उस पर भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए। चूंकि अगर हम उनका मनोबल कायम रखेंगे, उनको मजबूत करेंगे, तभी हम दोबारा उनको वहां लेकर जा सकते हैं। जिस तरह से पंजाब से जो लोग बाहर गये थे, उससे कम नहीं, बल्कि ज्यादा तादाद में लोग अब पंजाब में वापस आ गये हैं। इसी तरह से सारा देश चाहेगा, यह संसद चाहेगी कि यहां से लोग वापस अपने-अपने घरों में जायें।

इसके साथ-साथ हमारी पोलिटिकल एक्टीविटीज शुरू हों। मैं समझता हूं कि पोलिटिकल एक्टीविटीज के साथ-साथ जितना भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें ऐसी कमेटियां बनाई जायें, जिसमें लोगों के नुमाइन्दे हों। अगर हम इम्मीडिएटली इलैक्शन नहीं करा सकते तो ऐसे लोगों को शोर्ट आउट किया जाय, जो एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग देने के लिए तैयार हैं। जो लोग एक दफा एसोसिएट हो जायेंगे, उनका हौसला बढ़ जायेगा और कल को अगर इलैक्शन होंगे तो वह इलैक्शन में भी खड़े हो सकते हैं। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इलैक्शन हमें कराने चाहिए। मगर इलैक्शन कराते हुए हमें यह बात जरूर देखनी चाहिए कि कौन सी पार्टी आगे आ रही है। जिस पार्टी का हिन्दुस्तान के आईन में विश्वास नहीं हैं, मैं समझता हूं कि उस पार्टी को या व्यक्ति को बिल्कुल इलैक्शन में इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वह इलैक्शन में खड़ा हो सके। पंजाब में ऐसी सूरत हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि पंजाब का इलैक्शन खालिस्तान के लिए एक रिफ्रैण्डम होगा, लेकिन वह चीज नहीं चल सकी, वह खालिस्तान की बात वहां नहीं चली। इसी तरीके से जम्मू-कश्मीर में भी जो इलैक्शन हों, बेशक पंचायत लेविल का करायें, लोकल बॉडीज का करायें, उसके साथ-साथ स्टेट असेम्बली का भी करायें, उसमें ऐसे लोग आने चाहिए, जिससे कि आज हमारी कुछ सिक्योरिटी हो। वहां भी कोई बेअन्त सिंह जैसा मर्द होता, जो कि वहां खड़ा होकर कहता कि हम जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद नहीं होने देंगे।

अब जो लोग हैं उनको हमें मजबूत बनाना है। उनको और ताकत देनी है ताकि वे ताकत के साथ काम कर सकें। जैसा अभी वाजपेयी ने कहा कि वहां गवर्नर रूल है, वहां प्रशासन नाम की चीज नहीं है, कल को अगर हमें वहां के लोगों के हाथ में ताकत देनी है तो यह जरूरी है कि प्रशासन जिम्मेदार हो इसलिए "रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन" को मजबूत करने की बात होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवादी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं आखिर में बजट का समर्थन करते हुए यह कहूंगा कि भारत सरकार को सख्ती के साथ जम्मू-कश्मीर की स्थिति से निपटना चाहिए। इसमें सिर्फ भारत के लोग ही उसके साथ नहीं हैं, विश्व में ऐसा माहौल बन रहा है कि सारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हमारे साथ आ रहा है। वहां हालात को सामान्य बनाने के लिए, आतंकवादियों को जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए या बाहर निकालने के लिए कदम उठाने चाहिए।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि इस सभा को जम्मू और कश्मीर के लिये अनुदानों की मांगों पर चर्चा करनी पड़ेगी और उनकी स्वीकृति प्रदान करनी पड़ेगी। किन्तु वर्तमान स्थिति में इससे बचा नहीं जा सकता। हमें यह पता है। किन्तु प्रश्न यह है कि भारत सरकार की नीति क्या है? क्या जम्मू और कश्मीर के बारे में उसकी कोई नीति है? यह स्थिति कब तक बनी रहेगी? क्या केन्द्र सरकार की कोई भूमिका या कोई कार्य योजना है?

महोदया, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि केन्द्र सरकार बिल्कुल निष्क्रय हैं। स्वतंत्रता दिवस पर हमने प्रधान मंत्री का भाषण सुना था और उसमें कश्मीर के बारे में बड़ी बाक्पटुता थी। गत वर्ष भी उन्होंने कुछ धमकी दी थी। किन्तु तत्पश्चात-वह उस समय तक निष्क्रय बने रहते हैं जब तक कि कोई भयानक और भंयकर घटना नहीं घटती; हमें लगता है कि सरकार को जम्मू और कश्मीर के बारे में जरा भी चिंता नहीं है; जब कभी संसद में इस मामले को उठाया जाता है, जब कभी इस सभा में मामला उठाया जाता है और, तब प्रधानमंत्री द्वारा यह निरर्थक वक्तव्य दिये जाते हैं कि हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्वायत्तता, अल्प आजादी देंगे। उसका क्या हुआ? यह किस प्रकार की स्वायत्तता है? क्या कोई भी कार्यवाही की गई है? अब आपने गृहमंत्री को भी पृथक कर दिया है। वह भी अनुपस्थित है? स्वाभाविक रूप से जम्मू और कश्मीर के बारे में उनकी कोई रूचि नहीं है। उन्हें यहां समय बिताने की क्या आवश्यकता है? इस सरकार द्वारा इस सभा के प्रति यह सम्मान दर्शाया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण विषय पर, कश्मीर के मंत्री, जो कि प्रधान मंत्री होने चाहिये, यहां उपस्थित नहीं है। कश्मीर के लिये कौन मंत्री है?

[हिन्दी]

चतुर्वेदीजी हो गये।

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : मैं तो आपका असिस्टेंट हूं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : तब तो आप बेहतर ढंग से काम कर रहे होते। आपने एक गलत साधन का चयन किया है। वह एक अच्छे व्यक्ति हैं। हम उन्हें सहन करते हैं। किन्तु वह कश्मीर पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। आपका नेता, जैसा कि मैंने कहा था, कभी-कभी यहां आते हैं और किसी प्रकार का वक्तव्य दे देते हैं। आजकल, मैं देखता हूं, कि वह नाराज हो रहे हैं। संभवतः यह सुरंग का अंतिम छोर है और इसीलिये वह नाराज हो रहे हैं...**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : किससे नाराज हैं?

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभी से। कल उन्होंने क्या उत्तर दिया था? तथापि मुझे मालूम नहीं है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। अब प्रश्न यह है कि : क्या हो रहा है और क्या होने वाला है? हमें पता है कि यह स्थिति विशेषरूप से हाल ही में बंधक बनाये जाने के मामले और नोर्वे के पर्यटक की अमानवीय रूप से हत्या किये जाने के बाद उत्पन्न हुई है। उनका अपराध केवल इतना ही था कि वह एक पर्यटक के रूप में हमारे देश के सुंदर भाग को देखने आया था और इसीलिये उसका मूल्य उन्हें अपना जीवन देकर चुकाना पड़ा। आज की स्थिति क्या है? कम से कम विश्व जाग उठा है। आज की स्थिति यह है कि कुछ आतंकवादी सुरक्षा करनेपर लगे हैं। पाकिस्तान रक्षा करने की स्थिति में है। किन्तु हमारी सरकार क्या कर रही है? आप यह सुनिश्चित करने की चेष्टा क्योंकर कर रहे हैं कि इस स्थिति का उपयोग जम्मू और कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिये किया जायेगा जिससे कि सामान्य स्थिति बहाल करने में उन्हें संबद्ध किया जा सके? हम ऐसी कोई बात नहीं देखते हैं। यह देखा गया है, मेरा विश्वास है कि यह प्रत्यक्ष है-कि बंधक के मामले में समस्त कार्यवाही आतंकवादियों और पाकिस्तान के हित में, प्रति-उत्पादक रही है। और अब यह पाकिस्तान समर्थक दल रक्षा में लगे हुए हैं, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि विश्व मत उनके विरूद्ध बनता जा रहा है। इंग्लैण्ड के गार्जियन में कहा गया है :

> "गत एक वर्ष से अधिक समय से पाकिस्तानी और अफगान सैनिक बड़ी संख्या में घाटी में सक्रिय रहे हैं। इसके सम्पादकीय लेख में कहा गया है कि कश्मीर समस्या का समाधान तक तक संभव नहीं है जब तक कि पाकिस्तान हथियारों और सैनिकों की सप्लाई बंद करने को सहमत नहीं होता और जब तक स्वतंत्र पर्यवेक्षक यह विश्वास नहीं करते कि विश्व का अंत हो जायेगा।"

तथापि दी टाइम्स कहता है :

> "पाकिस्तान को बलवा करने के लिये गुप्त धन और बन्दूकों से मदद की जा रही है और यह प्रत्यक्ष तौर पर राजनैतिक और राजनयिक समर्थन से हो रहा है। उसकी गतिविधि से एक तरह से धर्मोन्माद को बढ़ावा मिला है जिसके परिणाम स्वरूप नोर्वे के पर्यटक की हत्या हुई। उसकी बंदूकें धन और व्यक्ति तथा कथित युद्ध-विराम रेखा का उल्लंघन करते रहेंगे और दोनों देशों को युद्ध के कगार पर रखेंगे जबकि कश्मीर के व्यक्ति असहाय देखते रहेंगे।"

जैसा कि मैं कह चुका हूं, अपहरणकर्ताओं द्वारा बंदियों को मुक्त करने की हाल ही में अल-फरान द्वारा मांग की गई है, वह एक नई तैयारी है, जिसके बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। वे गिरफ्तार किये गये जिन व्यक्तियों को छोड़ने की मांग कर रहे हैं, वे हरकत-उल-अंसार और हिजबुल-मुजअहीदीन के उन ग्रुपों से संबंधित हैं जो कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने के लिये युद्ध कर रहे हैं। अब तक की यह जानकारी रही है और यही कारण है कि अब यह स्थिति हो गई है कि लोग इन आतंकवादियों की गतिविधियों से और इस अशांति की स्थिति से तंग आ चुके हैं और अब वे शान्ति वापस लौटना चाहते हैं। जहां तक इस जमात-ए-इस्लामी और जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चा (जे.के.एल.एफ.) का संबंध है, उसके संबंध में अब तक आप क्या करते रहे। जमात-ए-इस्लामी मिलाने की मांग कर रहे हैं। वे कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलाने की मांग कर रहे हैं। जे.के.एल.एफ. शबीर शाह के वर्तमान रवैये के अनुसार ऐसा लगता है कि कम से कम वह पाकिस्तान के लिये नहीं लड़ रहा है। यह सच है कि वे भी आजादी की मांग करते रहे हैं। किन्तु वे कश्मीर की पहचान, कश्मीर के लोगों की, उनकी संस्कृति और उनकी परम्पराओं को बनाये रखने के बारे में बहुत ही गंभीर और चैतन्य है। इसीलिये, इन क्षेत्रों में भी, हमें पता चला है कि शबीर शाह को लोगों का पर्याप्त समर्थन प्राप्त हो सका है और अन्ततोगत्वा उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहां तक उसका संबंध है, वह कट्टरपंथ के विरूद्ध है। वह धर्म को राजनीति से जोड़ने का विरोधी है।

उसे पृथक ही रखना होगा, जमाइत-ए-इस्लाम की नीति की निंदा करते हुए, अन्ततोगत्वा वह खुले तौर पर उसके विरूद्ध लड़ना चाहता है और लड़ता रहा है। किन्तु हमारी सरकार की तो कोई नीति ही नहीं है। क्या कोई अन्तरकार्यवाही की गई है? क्या सरकार उन्हें विश्वास में लेने और जम्मू और कश्मीर की राजनीति में वापस लाकर वहां की शक्तिविधि में भाग लेने के लिये सचेष्ट है? संभवतः कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

हम सभी को पाकिस्तान की भूमिका के बारे में पता है। अब यह पूर्णतः स्पष्ट हो चुका है। सभी को इसके बारे में पता है। पाकिस्तान अलगाववादियों और आतंकवादियों को धन दे रहा है, प्रशिक्षण दे रहा है, अस्त्र दे रहा है और किराये के सैनिक भेज रहा है। अब वस्तुतः हमारी सरकार के समक्ष केवल एक ही उपाय रह गया है, वह है, आतंकवाद के विरूद्ध जनता को शामिल और सक्रिय बनाये बिना सुरक्षा बलों पर भरोसा करना। पंजाब में तो ऐसा ही हुआ था किन्तु पंजाब की स्थिति पृथक थी। वहां जनता आतंकवाद के विरूद्ध थी। यह बड़ी सहायक स्थिति थी। जब एक बार आतंकवाद पर नियन्त्रण कर लिया गया तब उनकी गतिविधियां सामान्य हो गई। किन्तु कश्मीर घाटी में स्थिति पृथक है। इसलिये यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि वे हमारी मुख्यधारा से अलग न हो जायें।

हमें निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिये कि जम्मू और कश्मीर के लोगों ने स्वेच्छा से स्वयं को हमारे साथ जोड़ा था और जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। हमने सदा ही यह घोषणा की है और हम अब भी यह घोषणा करते हैं कि यह भारत का अभिन्न अंग ही रहेगा संसार की कोई शक्ति भी उसे हमसे पृथक नहीं कर सकती है। यह हमारा वायदा है। एक बार उन्होंने यही कदम उठाया था तब भारत के साथ जुड़े रहने अथवा विलय होने के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। उन्हें बहुत यातना दी गई थी और उन्हें बहुत सताया गया था क्योंकि वे भारत के साथ रहना

चाहते थे और हम उन्हें अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। यह हमारा वायदा है कि जम्मू और कश्मीर को अपने साथ रखने और इस प्रकार उनकी मदद करने के लिये हमें सब कुछ करना चाहिये।

अतः हम यह महसूस करते हैं कि कोई अनुवर्ती कार्यवाही किये बिना केवल चिंता व्यक्त करके, स्वायत्तता देने की बात करके तथा कोई कार्यवाही न करके सरकार द्वारा उन्हें यदा-कदा केवल मौखिक तसल्ली दी जाती रही है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब इस सभा में प्रधान मंत्री ने स्वायत्तता की बात की थी। तब उनके मन में किस प्रकार की स्वायत्तता की धारणा थी।

प्रधान मंत्री द्वारा कश्मीर के मामले का प्रभार लिये जाने के बाद-चरार-ए-शरीफ में क्या हुआ और प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई-इसके बारे में सुप्रसिद्ध पत्रकार ने लिखित में उसका उल्लेख किया है। आपरेशन का कुल मिलाकर यह परिणाम निकला कि इबादत स्थल को पूरी तरह जला दिया गया, नगर को नष्ट कर दिया गया, विद्रोही पाकिस्तान में विजय की रैलियां निकालने के लिये बच निकले और कश्मीर में हर व्यक्ति यही विश्वास करता है कि इस सबके लिये सेना दोषी है। प्रधान मंत्री कार्यालय की यह देन है। और आज प्रधान मंत्री ने इस सभा में, राष्ट्र के समक्ष यह आश्वासन दिया है कि चरार-ए-शरीफ में प्रभावित सभी लोगों के पुनर्वास के लिये हर संभव कदम उठाये जायेंगे। सरकार ने अब तक क्या किया है? कितने व्यक्तियों का पुनर्वास दिया गया है? कितने मकानों का निर्माण किया गया है? कुछ धन व्यय किया गया है। किन्तु उसका उपयोग सेवा कर रहे अपने ही लोगों के लिये किया गया है। क्या भारत सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है? यह आशा कैसे की जा सकती है कि कश्मीर के लोग उनपर विश्वास करेंगे? वहां ऐसी दुखद घटना घटी, कि इतने सारे निर्दोश व्यक्ति मारे गये और जैसा कि हम सभी जानते हैं मस्त गुल पाकिस्तान में मौज करता है। हमें यह कहना ही चाहिये कि उसे जाने दिया गया। यदि आप उन्हें पकड़ नहीं सकते तो इन सुरक्षा बलों का क्या लाभ है? इसके अलावा प्रधान मंत्री ने केवल आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं किया है। अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने के लिये बम विस्फोट किया गया तो क्या हो गया? विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच मतभेद पैदा करने के लिये यह आतंकवादियों द्वारा जान-बूझ कर किया गया प्रयास था। हमें जम्मू के लोगों के साथ भी सहानुभूति है। इनका कसूर क्या है? अतः ये आतंकवादी कहीं भी जा सकते हैं, और बेधड़क कुछ भी कर सकते हैं और जो चाहें कर सकते हैं। जैसा कि कहा जा रहा है, हम ऐसा कोई कार्यवाही नहीं करना चाहते हैं जिससे कि बंधक के मामले में केवल परेशानियां हीं बढ़ सकती हैं। एक मायने में, सरकार ने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है। किन्तु हमें नहीं पता कि उन्हें मुक्त कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है। किन्तु हम महसूस करते हैं कि पाकिस्तान सुरक्षात्मक रवैया अपना रहा है, आतंकवादी सुरक्षात्मक रवैया अपना रहे हैं क्योंकि विश्व मत उनके विरूद्ध हो गया है। मैं श्री हरीश खरे के लेख से कुछ उद्धृत कर रहा हूं :

"स्वतंत्रता-समर्थक हाल ही के वर्षों में पहली बार जम्मू और कश्मीर में विभिन्न राजनैतिक संगठनों ने अलगाववादी अल-फरान, विद्रोही दल, जिसने गत सप्ताह बंधक बनाये गये पांच विदेशियों में से एक व्यक्ति की हत्या करने का निर्णय लिया था, की गतिविधियों के विरूद्ध बंद का आह्वान किया है।"

इस अपहरण के विरूद्ध अब यह विरोध प्रकट किया गया था।

महोदया, हमारी अपनी ही धारणायें हैं। हम सभी को पता है कि घाटी में भारी संख्या में एक वर्ग को हम लोगों से अलग क्यों रखा गया है। यहां यह है कि हमें राजनैतिक गतिविधियां आरम्भ करनी है और हमें लोगों को विश्वास में लेना है।

वहां एक राज्यपाल है जो अपनी जगह से हिलता तक नहीं है। उसकी जनता में कोई पहुंच नहीं है। इस दृष्टिकोण से वहां कोई राजनैतिक प्रशासन नहीं है कि वहां लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित कोई निकाय नहीं है, वहां जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं है। वहां कोई प्रशासक है, जिसका कार्यकाल तबाही को कम करने का रहा है। जैसा कि श्री वाजपेयी ने कहा था, प्रधान मंत्री ने संकेत दिया है कि वह व्यक्ति जायेगा किन्तु वह सुखपूर्वक छिपकर बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में भी जम्मू और कश्मीर की सरकार और प्रशासन सम्पर्क बनाये रखने या जनता के साथ सम्पर्क बनाये रखने की चेष्टा किस प्रकार कर सकता है। हर व्यक्ति आतंकवादी तो नहीं है। क्या तरीका अपनाया गया है? क्या पृष्ठ-भूमि है? क्या जनता और प्रशासन के बीच कोई पारस्परिक कार्यवाही है? वे अपनी परेशानियां कहने कहां जायेंगे? उनकी कौन सुनेगा? ये सब कुछ ऐसे मामले हैं जिनका निर्णय केवल कर्मचारी प्रशासन पद्धति द्वारा दिल्ली में नहीं लिया जा सकता है। प्रधान मंत्री कार्यालय में कुछ आकस्मिक बैठकें होती हैं। मुझे नहीं पता कि माननीय प्रधान मंत्री किसके साथ सामान्य चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि राव-चतुर्वेदी संबंध अथवा धुरी से कोई भी उपलब्धि मिल भी पायेगी अथवा नहीं।...(व्यवधान) आप कुप्रबंध करने में दक्ष हैं। क्या सरकार यह मानती है कि आतंकवादी स्वयं ही बाहर हो जायेंगे? क्या आपका विचार है कि समय व्यतीत होने पर वे इतने हताश और निराश हो जायेंगे कि वे मिट जायेंगे? यदि आपकी यही धारणा है तो आप कल्पना लोक में विचरण कर रहे हैं और देश को धोखा दे रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे वास्तव में हताश हो सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे अपने ही विरोधियों से हताश हैं।

इसीलिये, अब हम ब्यौरा जानना चाहेंगे। संचालन तो आपके ही हाथ में है। आप हमें कहते रहे हैं कि आप इसे सुलझाने वाले हैं। आप एक बहादुरी की भंगिमा बनाये हुए हैं कि आप हाल ही में, एक महीने या दो महीने में चुनाव कराने वाले हैं। आप ऐसा किस प्रकार कर पायेंगे? हम कहते हैं कि 'हम चुनाव चाहते हैं, सामान्य स्थिति चाहते हैं और लोकतांत्रिक शासन आरम्भ करना चाहते हैं।' किन्तु प्रश्न यह है कि क्या यह उचित समय है और क्या उसके लिये अनुकूल स्थिति है? क्या चुनाव से सामान्य स्थिति होने की शुरूआत

हो जायेगी अथवा क्या इससे राजनैतिक प्रक्रिया की समाप्ति तो नहीं हो जायेगी? किन्तु वह राजनीतिक प्रक्रिया है कहां? इसीलिये हम बार-बार सुझाव देते रहे हैं कि आपको घाटी के लोगों के साथ लोकाचार के बारे में विचार करना होगा। उनकी स्वयं की अपनी ही पहचान है, अपनी संस्कृति है अपनी ही भावना है और आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं? वे अन्य देशीय कैसे बने हुए हैं? आपको उन्हें जीतना होगा क्योंकि वहां कम से कम लोगों को पाकिस्तान की ओर अनुरक्त हो रहे हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं वहां बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के साथ स्वयं को मिलाना नहीं चाहते हैं। किन्तु उन्हें मुख्य धारा में आने नहीं दिया जा रहा है। और मैं आपको कह सकता हूं कि सरकार की प्रतिदिन की निष्क्रियता का अर्थ है कि आप पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं और आप एक तरह उन्हें पुनः सक्रिय होने, अपनी गतिविधियां चालू रखने की छूट दे रहे हैं और इसका तात्पर्य यही है कि स्थिति कभी भी नहीं सुधरेगी और आप सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं तथा इसका परिणाम जो है, वह आप जानते ही हैं कि सुरक्षा बलों की गतिविधियों के बारे में भी वहां कुछ शिकायतें हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। यही कारण है कि इससे भी लोग अलग हो गए हैं। और कुछ ऐसे जन संगठन हैं जो संकट की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं।

महोदया, मैं, इसलिये, अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। यह आवश्यक है कि प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन किया जाये। आपने इस राज्यपाल को पर्याप्त समय दे दिया है। कृपा करके उन्हें जाने दीजिये और किसी और को आने दीजिये। सलाहकारों की क्या स्थिति है? वहां राजनीतिक व्यक्ति और स्थानीय व्यक्ति सलाहकार क्यों नहीं हैं? आप उन्हें क्यों नहीं शामिल करते हैं? आप अन्य स्थानों से ही सदा ही सलाहकार क्यों भेजते रहे हैं।

ये सब बातें वहां सुनने को मिली हैं। मैं उन बातों को सभा में नहीं कहना चाहता हूं। अतः आप ऐसे व्यक्तियों को लीजिये जो वस्तुतः जम्मू और कश्मीर के प्रति समर्पित हैं, जो उन लोगों के हितैषी हैं जिन्हें बहुत अधिक सताया जा रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। वहां न कोई रोजगार है और न कोई उद्योग। विकासशील गतिविधियां वहां क्या हैं?

अब मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बोलूंगा। अनेक परेशानियां पैदा की जा रही हैं। मेरे विचार से इस समय श्री बूटा सिंह उसके प्रभारी हैं। मुझे आशा है कि वह कुछ कर रहे हैं। संभवतः उन्होंने एक दौरा किया है। किन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली व्यापक होनी चाहिए। और इसे सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए। मैंने इन लोगों की दयनीय दशा के बारे में पढ़ा है। अस्पताल ढंग से नहीं चले रहे हैं। जब बाढ़ आती है तो वहां बाढ़ से लोगों की रक्षा करने के लिये कोई नहीं है। क्या यही आपका प्रयास है जिससे आप सामान्य स्थिति बहाल करने के लिये प्रयत्नशील हैं? क्या इसी उदासीनता और निष्क्रियता तथा इसी निर्दय उपेक्षा से आप लोगों का हृदय जीतने की चेष्टा कर रहे हैं?

जहां तक विकास परियोजनाओं का संबंध है, हम यह जानना चाहेंगे कि कौन-कौन सी विकास परियोजनायें आरम्भ की गई हैं। कल यूनियन कार्बाइड कर्मचारी संघ के कुछ प्रतिनिधि आये थे और हमसे मिले थे। निसंदेह यह एक गैर सरकारी एकक है। वहां यूनियन कार्बाइड का एक एकक है जिसमें 262 व्यक्ति कार्य करते रहे हैं। उन्हें अब भी वेतन मिल रहा है किन्तु कम्पनी ने अब उसे बंद करने का निर्णय लिया है। सरकार ने उन्हें बंद करने की अनुमति नहीं दी है और वे न्यायालय में गये हैं। किन्तु किसी भी समय उसे बंद किया जा सकता है। राज्य में केवल दो या तीन एकक हैं। यदि इस एकक को बंद कर दिया गया तो 262 कर्मचारियों और उनके परिवारों को भूखा मरने की नौबत आ जायेगी। वे प्रधान मंत्री तथा उद्योग मंत्री को बार-बार अभ्यावेदन करते रहे हैं। आप इस पर विचार क्यों नहीं करते? यह एकक बैटरी निर्माण करता है और इसके लिये पहले से ही बाजार बना हुआ है। कम से कम कश्मीर के लिये, कृपया इस पहलु पर कुछ ध्यान दीजिये। क्या किया जा रहा है? माननीय गृह मंत्री जी क्या मैं आप से अनुरोध कर सकता हूं कि आप प्रधान मंत्री से बात करें और यह सुनिश्चित करें कि यूनियन कार्बाइड एकक, जो कश्मीर घाटी में, श्रीनगर में 'नाइको' के नाम से जाना जाता है, बंद न कर दिया जाये। अन्ततोगत्वा इससे सरकार का यह इरादा तो सुनिश्चित हो जायेगा कि वस्तुतः कश्मीर की समस्याओं को सुलझाने के बारे में गंभीर है।

इस समय तीन अथवा चार प्रतिनिधि दिल्ली आए हुए हैं और वे लोग यहां मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि वे इस चर्चा का परिणाम जानने के लिये यहां प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे कि वे यहां से जाकर अपने लोगों को बता सकें। यूनियन कार्बाइड की यह एक शाखा श्रीनगर में है और मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि इस मामले में अपेक्षित कार्यवाही की जाये। यह निजी क्षेत्र में है जिस पर आपका कोई नियन्त्रण नहीं है। यदि यह उसे चालू रखने का इच्छुक नहीं है तो आप उसका राष्ट्रीयकरण कर दें, उसका प्रबंध अपने हाथ में ले लें। यह कोई बहुत बड़ा प्रतिष्ठान नहीं है कि आप उसे चला नहीं सकते हैं। इससे कश्मीर के लोगों को तथा वहां कार्यरत कर्मचारियों को आपके आश्वासन के बारे में एक संदेश मिलेगा। जैसा कि वहां की स्थिति है, वहां रोजगार के अवसर मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिये, मैं मांग करता हूं कि यदि आवश्यक हो तो सरकार इस एकक को अपने हाथ में ले ले और इसे चलाये।

निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया के संबंध में, निश्चित रूप से सभी प्रयास करने होंगे। किन्तु उसके लिये सामान्य स्थिति होने तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। इसके लिये आवश्यक है कि राजनीतिक प्रक्रिया आरम्भ की जाये। इसके लिये भी हमें यह पता लगाना होगा कि कौन से व्यक्ति इस प्रक्रिया को आरम्भ करें। वहां अच्छे व्यक्ति हैं जो ऐसा करना चाहेंगे। वे थोड़ा सा प्रोत्साहन चाहते हैं। भारत सरकार को उनके लिये यह स्थिति सम्भव बनानी चाहिये और अनुकूल स्थिति पैदा करनी चाहिये। तब वे लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में लाने का प्रयास करेंगे। किन्तु वहां पूर्णतः निष्क्रियता है। महोदया, ऐसा प्रतीत होता है कि वहां केन्द्र सरकार का शासन है ही नहीं। मैं ऐसा इसलिये कह रहा

हूं क्योंकि जम्मू और कश्मीर की सरकार पर भारत सरकार का नियन्त्रण है। सुरक्षा बलों और राज्यपाल, जो अपने आवास में रहता है, को छोड़कर भारत सरकार का वहां कोई अस्तित्व है ही नहीं।

श्री जसवंत सिंह : सोमनाथ जी, क्या वह सरकार कहीं और है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप स्पष्ट बातों का उल्लेख क्यों कर रहे हैं।

अब, कम से कम संसद में तो हम निश्चय लें और स्वयं को आश्वासन दें कि यह संसद और यह देश जम्मू और कश्मीर की पहचान, संस्कृति, भाषा और लोकाचार को बनाये रखने के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

4.00 म.प.

हम उन्हें सहायता देंगे। उनमें यह अशंका व्यक्त है कि वे समूह में विलीन हो जायेंगे और उनकी पहचान समाप्त हो जायेगी। इसलिये हम मांग करते हैं कि उन्हें भारत के संविधान में निहित अधिकतम स्वायत्तता उपलब्ध कराई जानी चाहिये। यह तो देनी ही पड़ेगी। क्या मैं कह सकता हूं कि प्रधान मंत्री कुछ कहते हैं और कहकर चले जाते हैं किन्तु कुछ भी नहीं हो रहा है। यह एक मजाक हो रहा है। दुर्भाग्यवश प्रधान मंत्री के आश्वासन मजाक बन कर रह गये हैं वह कुछ कहते हैं और बोफोर्स संबंधी अपनी दिन-प्रति-दिन की जांच की तरह कुछ नहीं करते हैं। इसलिये, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुझे बजटीय मांगों का समर्थन करना होगा। वस्तुतः यह बहुत ही संदेहास्पद है कि उसमें से कितना कश्मीर के वास्तविक व्यक्तियों के पास पहुंच पायेगा। मुझे यह विश्वास है कि गृहमंत्री भी यह आश्वासन नहीं दे सकते और हमारे अच्छे मित्र श्री चन्द्रशेखर मूर्ति भी नहीं कह सकते कि वह कहां जाता है। इसलिये कम से कम आप इतना तो बता ही सकते हैं कि गत वर्ष धन का इस्तेमाल किस प्रकार किया गया था। क्या उपलब्धियां रहीं हैं? विकास परियोजनायें क्या हैं? रोजगार उपलब्ध कराने के बारे में क्या रहा? क्या आप उन्हें उनके उत्पादन के लिये बाजार उपलब्ध करा रहे हैं? स्थिति यह है कि यद्यपि वे विश्वविख्यात उत्तम कारीगर रहे हैं तो भी न तो उनके पास पूंजी है और न ही किसी ने उनका साथ दिया है। उनमें अपना माल बेचने की व्यवस्था नहीं है। उनके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। पर्यटकों का आना जाना बंद हो गया है। वे सर्वाधिक पीड़ित हैं और इसीलिये उनमें हर प्रकार का रोष आरम्भ हुआ है। वे इससे ऊब गये हैं।

4.02 म.प.

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)

यहां हमें और अधिक सुस्पष्ट विचारों से, और अधिक प्रभावशाली ढंग से, और अधिक विकास और जनहित की भावना से आना चाहिये था। इस दृष्टिकोण से सरकार असफल रही है। कुछ ऐसे मामले हैं, जिनमें जम्मू और कश्मीर का भी ऐसा ही एक मामला है, जिनमें हमें राजनीति से ऊपर उठना होगा। किन्तु जब हम देखते हैं कि वहां एक ऐसी सरकार है- जिसका प्रारम्भिक उत्तरदायित्व है-जो कुछ नहीं कर रही है और स्थिति को और अधिक से अधिक उलझन पूर्ण बना रही है। वहां न कोई कार्य योजना है, न कोई उद्देश्य है, न कोई समय सीमा निर्धारित की गई है और न ही कोई आपातकालीन दृष्टिकोण अपनाया गया है। यदि प्रशासन जनता से बिलकुल ही पृथक है तब तो हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि आप जम्मू और कश्मीर, जो हमारे राष्ट्र का एक अभिन्न अंग रहा है, मैं साहसी, महान और मित्र व्यक्तियों को मूर्ख बना रहे हैं। उनके साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

जहां तक आंतकवाद का संबंध है, केवल सुरक्षा बलों से काम नहीं चलेगा, जैसा कि मैं कह चुका हूं, आपको लोगों को साथ में लेना होगा। ये आवश्यक गतिविधियां हैं जिनको आपको गतिशील करना होगा। प्रशासन को संविधान में निहित अधिकतम स्वायत्तता प्रदान करनी चाहिए, अपेक्षित विकास कार्य करने चाहिये, कारगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपलब्ध करानी चाहिये और निर्माण कार्य आरम्भ करना चाहिये। चरार-ए-शरीफ दुर्घटना के पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास शीघ्र कराना चाहिये, क्योंकि पर्याप्त समय बीत चुका है। अब मौसम बदल रहा है और उन्हें कटु शिशिर का सामना करना पड़ेगा। इसलिये उनके पुनर्वास के लिये तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिये। मुझे दुबारा दोहराना होगा क्योंकि यह एकक, अर्थात, इण्डियन यूनियन कार्बाइड एक महत्वपूर्ण एकक है और इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि इसे पुनः कार्यक्षम बनाया जाये। चुनाव तभी कराये जायें जब कि स्थिति नियन्त्रण में और सामान्य हो।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं एक संक्षिप्त स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमें सूचित किया गया था कि माननीय गृहमंत्री हस्तक्षेप करेंगे और तत्पश्चात प्रधान मंत्री भी कुछ कहेंगे और इसके बाद श्री चन्द्रशेखर मूर्ति चर्चा का उत्तर देंगे क्योंकि यह इनका विषय है।

अब तीन वक्ता और हैं। हमारे सदस्यों की उपस्थिति एवं विद्यमान रहने की सुविधा के लिये, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या यह चर्चा कल तक चलेगी अथवा ये सब हस्तक्षेप आज ही होंगे, और यदि आज ही होंगे तो हमारे पास किस प्रकार समय रहेगा क्योंकि हम लोग अध्यक्ष महोदय के इस निदेश पर यहां एकत्र हुए हैं कि सबकुछ आज ही समाप्त होगा। किन्तु आज हम लोग जिस प्रकार चल रहे हैं उससे मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसके लिये दुबारा आश्वासन देने का कोई औचित्य है।

सभापति महोदय : वास्तव में, तीन घंटे का समय आवंटित किया गया है और हमारे पास पर्याप्त समय बचा है। मेरे विचार से हम चर्चा आज समाप्त कर सकते हैं, और इसीलिये ऐसा निर्णय लिया गया था। गृह मंत्री यहां उपस्थित हैं, यदि आवश्यक हुआ तो हम समय बढ़ा सकते हैं और सभी सदस्यों के लिये इसमें भाग ले सकने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

श्री एस.बी. चव्हाण : कल चर्चा के लिए हमारे पास वोहरा समिति का प्रतिवेदन है और इसीलिये दो दिन के बजाये, हम केवल

एक दिन ले रहे हैं। इसका यह भी तात्पर्य है कि इस चर्चा में अनेक सदस्य भाग लेना चाहेंगे और तब कल भी यही समस्या उत्पन्न होगी।

सभापति महोदय : यह अच्छा है कि श्री जसवंत सिंह ने इसका संकेत अभी कर दिया। अभी केवल 4 बजे हैं और मेरे विचार से हम चर्चा आज ही समाप्त कर सकेंगे।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, मैं केवल संकेत चाहता था। क्या मैं इसका संकेत पा सकता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री किस समय हस्तक्षेप करेंगे?

श्री एस.बी. चव्हाण : प्रधान मंत्री इस चर्चा का उत्तर नहीं देने वाले हैं।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, मैं व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। हम लोग इस आशा में थे कि प्रधान मंत्री उत्तर देंगे किन्तु अब माननीय गृह मंत्री ने यह कह कर उसे झुठला दिया कि प्रधान मंत्री आज इस चर्चा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। निश्चित रूप से उनका यह विशेषाधिकार है कि वह हस्तक्षेप करना चाहते हैं अथवा नहीं। वह कश्मीर संबंधी मामलों के प्रभारी मंत्री हैं। मैं यह जानता हूं कि वित्त राज्य मंत्री को संविधान द्वारा विशेष स्थिति में बजट प्रस्तुत करने का अधिकार प्रदान किया है। उन्हें ऐसा करने का अधिकार है और हम बजट का समर्थन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। किन्तु जो आधारभूत मामले विपक्ष के नेता ने उठाये हैं, माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी ने उठाये हैं और जिसे हममें से अनेक सदस्यों ने उठाना चाहा है, वह मूलरूप से नीति संबंधी मामलों से संबंधित है, मूल मामले केवल हमारे देश के उस अभागे भाग का भला करने से ही संबंधित नहीं है, अपितु उनसे इस देश का भविष्य भी उससे गंभीर रूप से प्रभावित होता है। अतः मेरे विचार से यदि प्रधान मंत्री अनुपस्थित रहते हैं तो यह इस सभा के लिये बहुत ही अनुचित होगा। हमारे गृह मंत्री के लिये मेरे मन में अत्यधिक व्यक्तिगत सम्मान है। वह ऐसे करने में सक्षम थे, किन्तु अब उनके पास इसका प्रभार नहीं है। विशिष्ट रूप से उन्हें इस प्रभार से वंचित कर दिया गया है। महोदय, हमें इस मामले से खिलवाड़ नहीं करना चाहिये। क्या इस खाली कुर्सी से हम संतुष्ट हो सकेंगे? क्या वह खाली कुर्सी देश या इस सभा से कुछ कह सकेगी? इसीलिये, कल मैंने कहा था कि इस संसद के सम्मान के प्रति उनमें अत्यधिक अवमानना है। मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में अपनी व्यवस्था दें कि क्या यह सभा इस विषय के प्रभारी मंत्री की अनुपस्थिति में इस महत्वपूर्ण चर्चा को आगे बढ़ा सकता है।

सभापति महोदय : वास्तव में चर्चा का विषय तो 1995-96 के लिये जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुदानों की मांगों पर चर्चा करने से संबंधित है और इस चर्चा का उत्तर देने के लिये वित्त मंत्री सही व्यक्ति हैं। वित्त मंत्री सभा में उपस्थित हैं, और वही वह व्यक्ति हैं जो इस चर्चा का उत्तर देंगे। वस्तुतः इसका अन्य पहलू भी है। विपक्ष के माननीय नेता ने यह कहा था कि गृह मंत्री को भी उपस्थित रहना चाहिये। इसके बावजूद कि माननीय गृह मंत्री राज्य सभा में चर्चा में अत्यधिक व्यस्त थे, उन्होंने स्वयं को वहां से मुक्त कराया और यहां आये तथा सदस्यों की भावनाओं का सम्मान किया। वित्त मंत्री और गृह मंत्री दोनों ही सभा में उपस्थित हैं।

श्री अर्जुन सिंह : यह अत्यधिक अनुचित है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : निश्चित रूप हमें प्रसन्नता होगी यदि गृहमंत्री श्री चव्हाण मामले में हस्तक्षेप करें। मुझे विश्वास है कि अपनी इच्छा के विपरीत उन्होंने अपना कश्मीर संबंधी मामलों के मंत्री का पद खो दिया है। अब हस्तक्षेप का प्रश्न और उत्तर देने की बात दो पृथक चीज हैं। सरकार के बहुत ही वरिष्ठ और आदरणीय सदस्य होने के नाते वह हस्तक्षेप कर सकते हैं, किन्तु तो भी वक्तव्य तो प्रधान मंत्री की ओर से ही आना है क्योंकि वह कश्मीर संबंधी मामलों के प्रभारी मंत्री भी हैं। इस पर सहमति भी हुई थी क्योंकि हम केवल बजट पर ही नहीं अपितु कश्मीर में सामान्य स्थिति पर भी चर्चा कर रहे हैं।

इसलिये उत्तर तो प्रधान मंत्री, जो संबंधित मंत्री हैं, द्वारा ही दिया जाना है। अन्यथा गृह मंत्री चर्चा में केवल हस्तक्षेप ही कर सकते हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की सूचना गृह मंत्री तथा अध्यक्ष पीठ को भी देनी है। जब अध्यक्ष ने सभी नेताओं की बैठक बुलाई थी तब हमारी मांग थी कि जम्मू और कश्मीर में व्याप्त स्थिति के बारे में पृथक रूप से चर्चा की जानी चाहिये। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तब सरकार की तरफ से यह सुझाव दिया गया था कि बजट और जम्मू और कश्मीर में राजनैतिक स्थिति पर चर्चा दोनों को जोड़ दिया जाये। यह भी निर्णय लिया गया था कि जब चर्चा हो तब गृह मंत्री और प्रभारी मंत्री भी उपस्थित रहेंगे? केवल प्रधान मंत्री ही नहीं अपितु प्रधान मंत्री कार्यालय में एक राज्य मंत्री भी हैं जो जम्मू और कश्मीर के मामले देख रहे हैं। इस समय वह भी उपस्थित नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह बोलेंगे अथवा नहीं। हो सकता है कि अन्ततोगत्वा वह वहां हों। श्री जसवंत सिंह जी कह रहे हैं कि वह बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। किन्तु मेरे विचार से वह महत्वपूर्ण है। मैं हमारे गृह मंत्री का बहुत सम्मान करता हूं। हमें अवश्य ही उनका कृतज्ञ होना चाहिये क्योंकि विगत बैठक में वह भी उपस्थित थे और उन्होंने कहा था कि "मैं चर्चा में उपस्थित रहूंगा।" वह यहां उपस्थित हैं। श्री अर्जुन सिंह जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है कि प्रधान मंत्री जम्मू और कश्मीर के प्रभारी मंत्री हैं और जो चर्चा हो रही है उसका संबंध नीति से है। यह कहना ठीक नहीं है कि मूल बात बजट पर चर्चा की है। ऐसा नहीं है। यह निर्णय किया गया था कि बजट और जम्मू तथा कश्मीर में राजनैतिक स्थिति की चर्चा को एक साथ जोड़ा जायेगा और इसीलिये यह कहा गया था कि "हम बजट पारित कर देंगे।" चर्चा बजट पर नहीं होनी है। श्री सोमनाथ चटर्जी जैसे विरोधी दल के नेता की भावणों से हम देख रहे हैं कि यह चर्चा बजट पर ही नहीं है। बजट पारित करने के बारे में हमें आपत्ति नहीं है। यह महत्वपूर्ण है। अतः संसदीय परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए यह अच्छा होता कि प्रधान मंत्री उत्तर देते।

श्री एस.बी. चव्हाण : सभापति महोदय, चूंकि श्री चन्द्रजीत यादव ने कार्य मंत्रणा समिति का उल्लेख किया है तो मुझे विश्वास है कि वहां जो कुछ भी हुआ था वह सब उन्हें याद आ गया होगा और

वहां ऐसी कोई मांग नहीं थी कि प्रधान मंत्री को वहां रहना होगा। दूसरी ओर, वास्तव में कुछ सदस्यों ने मुझे यहां उपस्थित रहने को कहा था। यथा संभव मैं स्थिति स्पष्ट करने की चेष्टा करूंगा और यदि आप संतुष्ट नहीं होंगे तब मैं श्री चतुर्वेदी को आने के लिये तथा आपको स्पष्ट करने के लिये कह सकता हूं।

श्री अर्जुन सिंह : किसी दिन हम यह सुनेंगे कि प्रधान मंत्री का मुख्य सचिव हमें संतुष्ट करेगा। यदि यही सब हो रहा है तो मेरे विचार से इस संसद के इतिहास में यह बहुत ही दुःख का दिन है। मैं केवल माननीय गृह मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं। जैसा कि मैं कह चुका हूं हम सबमें उनके प्रति अत्यधिक सम्मान है। वह ऐसा करने में सक्षम हैं। किन्तु दुर्भाग्यवश उन्हें उस उत्तरदायित्व से वंचित कर दिया गया है और वह भी सार्वजनिक रूप से। हम उन्हें कैसे हतोत्साहित कर सकते हैं? ऐसा करना उचित नहीं है। मेरे विचार से माननीय सदस्यगण यही चाहेंगे कि माननीय प्रधान मंत्री यहां की अपनी उपस्थिति को कुछ महत्वपूर्ण समझ सकते हैं और वही सर्वोत्तम व्यक्ति होंगे जो यहां न केवल माननीय सदस्यों को संतुष्ट करेंगे बल्कि वह इस अवसर का सदुपयोग देशवासियों को, कश्मीर के पीड़ित व्यक्तियों को कुछ कहने के लिये कर सकेंगे। क्या वे सब इस देश के प्रधान मंत्री द्वारा संबोधित किये जाने योग्य नहीं है? उन्होंने चार वर्षों से वहां जाने की चिन्ता ही नहीं की है। किन्तु निश्चित रूप से वह यहां संसद में बैठ सकते हैं और उन्हें कुछ कह सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह : मेरे विचार से माननीय गृह मंत्री पूर्णतः ठीक कहते हैं। जी हां, हमने किया था। यद्यपि आम तौर पर संदर्भ नहीं दिया जाता है, किन्तु ऐसा किया गया है। जी हां, हमने कार्य मंत्रणा समिति में यह अनुरोध किया था कि इस विशेष चर्चा के समय गृह मंत्री को हमारे साथ होना चाहिये। किन्तु उस अनुरोध में तारीख भी बदल दी गई थी। हमारा मामला यह नहीं है कि केन्द्रीय गृह मंत्री उपस्थित नहीं हैं। हमारे मामले का आधार सर्वथा भिन्न है। सर्वप्रथम जैसा कि हम बार-बार कह चुके हैं, गृहमंत्री वास्तव में कश्मीर से संबंधित मामले की देख-रेख नहीं कर रहे हैं। मैं इसे कहना नहीं चाहता हूं। वास्तव में, यदि हम विषमता देखें, तो हम पायेंगे कि केन्द्रीय गृह सचिव कश्मीर के मामले की देख-रेख कर रहे हैं। किन्तु केन्द्रीय गृह मंत्री उसकी देख-रेख नहीं करते हैं। प्रधान मंत्री के कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से प्रधान मंत्री कश्मीर के मामले की देख-रेख करते हैं।

[हिन्दी]

इनका बड़प्पन है कि यह यहां उपस्थित भी हैं।

[अनुवाद]

जिसकी देख-रेख केन्द्रीय गृह मंत्री नहीं करते हैं और जब उसकी देख-रेख केन्द्रीय गृह सचिव करते हैं, तब इस मामला का निपटारा जिनके द्वारा किया जाता है वह माननीय प्रधान मंत्री है। और उन्होंने अपने कुछ कार्य प्रधान मंत्री कार्यालय के किसी मंत्री को सौंप रखे हैं। मेरे विचार से इस सभा को संबंधित मंत्री से यह जानने का अधिकार है कि प्रधान मंत्री कौन हैं, और विपक्ष के नेता द्वारा जो विभिन्न मुद्दे उठाये गये हैं, इस चर्चा में भाग लेने वाले विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा जो उठाये जायेंगे उनके बारे में उनका विचार क्या है।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : लीडर ऑफ ओपोजीशन?

श्री जसवंत सिंह : जी हां, लीडर ऑफ ओपोजीशन भी हैं इस हाउस में कल्पनाथजी, आप उनसे परिचित हैं?

श्री कल्पनाथ राय : वह बोल नहीं रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह : वह बोल चुके हैं, यह बहस उन्होंने शुरू की थी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आप कृपया अपना मुद्दा कहें।

श्री जसवंत सिंह : मैंने अपना मुद्दा व्यक्त किया मेरे विचार से केवल यही उचित है कि सभा के सदस्यों की भावना को ध्यान में रखा जाये और प्रधान मंत्री से यहां आने को अनुरोध किया जाये जम्मू और कश्मीर जैसे मामले पर।

[हिन्दी]

इतना मजाक तो न हो, इतनी जग हंसाई न हो।

[अनुवाद]

यह एक दुःखद स्थिति होगी यदि ऐसे अवसर पर जम्मू और कश्मीर पर चर्चा का उत्तर देने के लिये प्रधान मंत्री समय न निकाल सकें। इसके अलावा और मैं क्या कह सकता हूं?

सभापति महोदय : दो बातें उठाई गई हैं। एक मामला स्वामित्व के अधिकार से संबंधित है, जिसका उत्तर माननीय मंत्री दे चुके हैं। कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा बहुत स्पष्ट थी। श्री जसवंत सिंह जी को शायद याद होगा कि कार्य मंत्रणा समिति में उन्होंने आपत्ति की थी और उन्होंने चाहा था कि गृह मंत्री उपस्थित रहें। उस चर्चा में आपने यह नहीं कहा था कि आप चाहते हैं कि चर्चा में प्रधान मंत्री उपस्थित रहें। आप चाहते थे कि गृह मंत्री उपस्थित रहें और गृह मंत्री सभा में आये। हम अपने निर्णय को बदल तो नहीं सकते। नियमानुसार सभा जो चाहती है, उसक उत्तर देने के लिये वित्त मंत्री हैं।

दूसरी बात यह है कि श्री अर्जुन सिंह अध्यक्ष पीठ से इस मामले में व्यवस्था चाहते थे। मैं व्यवस्था देना चाहता हूं। आवश्यकतानुसार, इसका उत्तर देने के लिये वित्त मंत्री हैं। कार्य मंत्रणा समिति में जो चर्चा हुई थी, उसे दृष्टि में रखते हुए तथा सभा में भी जो चर्चा हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए, गृह मंत्री यहां हैं। और किसी का भी ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिससे वह परेशान हो जायें। पूरी सरकार का, पूर्ण

प्राधिकार के साथ, प्रतिनिधित्व करने के लिये गृह मंत्री यहां हैं। इसलिये प्रधान मंत्री की अनुपस्थित को अनादर नहीं माना जा सकता है। प्रधान मंत्री की अनुपस्थिति के बारे में श्री अर्जुन सिंह ने प्रश्न उठाया था। मैं कहता हूं कि इसे अवमानना नहीं कहा जा सकता है। हम लोग चर्चा जारी रखें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आने अथवा न आने की बात आप प्रधान मंत्री पर छोड़ रहे हैं?

सभापति महोदय : इसका निर्णय पहले किया गया था। पहले यह निर्णय लिया गया था कि गृह मंत्री उपस्थित रहेंगे और गृह मंत्री हस्तक्षेप करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इसमें क्या कोई नुकसान है। उन्हें आने दीजिये।

सभापति महोदय : प्रधान मंत्री के आने से कोई नुकसान नहीं है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री को यहां नहीं होना चाहिये। मैं केवल यह कह रहा हूं कि गृह मंत्री को अधिकार है और वह यहां उपस्थित हैं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं।

सभापति महोदय : हमारे पास बहुत ही सीमित समय है।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं जो यहां व्याप्त है। वह बात यह है कि कश्मीर के लोगों को कोई संदेश जाना चाहिये। क्या आप समझते हैं कि गृह मंत्री या किसी अन्य व्यक्ति का संदेश वही होगा जो प्रधान मंत्री का संदेश होगा।

सभापति महोदय : गृह मंत्री के उत्तर के बाद आप समझ पायेंगे। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : जी नहीं, यह मामला सुनने के बाद का नहीं है। आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कश्मीर के लोगों को दिये गये प्रधान मंत्री संदेश की स्थिति ही भिन्न होगी। हम आपका विनिर्णय स्वीकार करते हैं। इसे अस्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ ही क्या हमारे लिये आपसे यह अनुरोध करना संभव नहीं है आप प्रधान मंत्री को एक संदेश भेजे कि सभा की यह इच्छा है कि वह यहां आने की चेष्टा करें? यही मुद्दा है कि जिसपर मैं आप ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री के उत्तर के बाद ही हम यह जान पायेंगे कि कश्मीर के लोगों को किस प्रकार का संदेश भेजा जा रहा है। हमें उसे सुनने दीजिये। अब आपने व्यवस्था स्वीकार कर ली है। हमें चर्चा चलाने दीजिये।

***श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण मध्य) : सभापति महोदय, जैसे ही भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, पाकिस्तान ने भारत के विरूद्ध आक्रमण किया और बलपूर्वक भारत के बड़े भाग पर कब्जा कर लिया। भारत की सेना पाकिस्तान के आक्रमण को रोकने में सर्वथा समर्थ थी। किन्तु पंडित जवाहर लाल ने गलती की और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गये। इसीलिये अनुच्छेद 370 हम पर लगाया गया। जम्मू और कश्मीर में आये दिन जो हत्यायें हो रही वह इस सरकार की कमजोर और समर्पण नीति के कारण हैं। यही कारण है कि शत्रुता न केवल भारत और पाकिस्तान में अपितु दो समुदायों के बीच विद्यमान है।

कश्मीर में हरदिन लोगों की हत्या होती है। हाल ही में नारवे के एक पर्यटक की हत्या की गई। कश्मीर में अब तक 13000 व्यक्ति मारे जा चुके हैं। सम्पूर्ण सुरक्षा प्रणाली की रोज ही स्वयं ही हत्या होती है। हाल ही में नोर्वे के पर्यटक और अन्य विदेशी पर्यटकों का अपहरण किया गया और उनकी हत्या की धमकी दी गई और उनमें से एक की हत्या कर दी गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अब वहां बड़ी संख्या में हुई हत्या के विरूद्ध आवाज उठाई है। हमने श्री पद्मनाभैया को दूरदर्शन पर सिनेटर से यह कहते हुए सुना है कि पर्यटकों को नहीं छोड़ा जायेगा। हमने उनकी सुरक्षा पर ध्यान दिया है। वे सुरक्षित हैं। किस आधार पर वह ऐसा कह रहे थे? उन्होंने जो कुछ भी कहा था उससे यह स्पष्ट है कि इस कृत्य के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। जब प्रधान मंत्री ने कहा था तब हमने विचार किया था कि वह इसका उल्लेख करेंगे। सभी इस बात को जानते हैं कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों को अस्त्र सप्लाई कर रहा है। माननीय प्रधान मंत्री के गत वर्ष के संबोधन में यह कहा गया था कि देश के समक्ष पाकिस्तान द्वारा हथियाये गये कश्मीर के भाग को मुक्त कराना है। हमने जो नारा दिया था क्या हम भूल गये हैं? ऐसी स्थिति में जबकि कश्मीर में निरंतर हत्यायें की जा रही हैं हमें श्री लाल बहादुर के वे शब्द याद आ जाते हैं जो उन्होंने लाल किले से उद्घोषित किये थे "पाकिस्तान हमें गाली दे रहा है। किन्तु गाली का उत्तर हमें गाली से नहीं बल्कि गोली से देना है।" किन्तु उस समय हमने पाकिस्तान से मित्रता कर ली।

हम जम्मू और कश्मीर के लिये बजट पारित कर रहे हैं। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि धन कहां नहीं पहुंच रहा है। युवाओं को कोई सहायता नहीं मिल रही है। इसलिये जम्मू और कश्मीर में यह स्थिति व्याप्त है। वहां अनेक युवा व्यक्तियों की हत्या की जा चुकी है। मैं एक मांग करना चाहूंगा कि आतंकवादियों के आक्रमण से जो भी मारा जाये उसके लिये प्रत्येक व्यक्ति के लिये कम से कम 2 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिये जायें। जैसा कि मैंने कहा था। यह स्थिति जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू करने के कारण उत्पन्न हुई है। जब पाकिस्तान की सेना ने आक्रमण किया तब राजा हरि सिंह ने 26 अक्तूबर, 1947 को एक समझौता किया था। वास्तव में राजा हरि सिंह ने 1920 में डोगरा समुदाय के साथ एक समझौता किया था कि जम्मू और कश्मीर में किसी विदेशी अथवा घुसपैठियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। इसके बावजूद 1947 में वह समझौता किया गया था। हमने भारत में रहने के लिये जम्मू और

* मूलतः मराठी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

कश्मीर की मदद की थी। किन्तु हम अनुच्छेद 370 को समाप्त नहीं कर पाये और उसमें दिये उपबंध राष्ट्र के हित में नहीं हैं। वास्तव में संविधान के निदेशानुसार अनुच्छेद 370 एक अस्थायी उपाय था। वस्तुतः राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद को समाप्त करने का आदेश जारी करने की शक्ति है । किन्तु इसके लिये संविधान सभा की सहमति आवश्यक है । किन्तु चूंकि संविधान सभा 1957 में स्वतः ही समाप्त हो गई थी, अतः राष्ट्रपति किस प्रकार ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं? इसीलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि गतिरोध को समाप्त करने के लिये, हमें अनुच्छेद 378 का सहारा लेना पड़ेगा जिसके अन्तर्गत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, अथवा अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सकते हैं। उस समय, सरदार वल्लभभाई पटेल ने रजवाड़ों को मिलाने की चेष्टा की थी। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी रजवाड़ों का विलय 1949 में हो गया था। इसलिये जम्मू और कश्मीर में स्थिति सुधारने के लिय इस प्रतिबंध को हटा देना चाहिये। जम्मू और कश्मीर के निर्वाचित प्रतिनिधि जम्मू और कश्मीर के विलय की अपनी अनुमति की पुष्टि कई बार कर चुके हैं। इसलिये हमें प्राचीन और अस्थाई उपलबंध, जो अनुच्छेद 370 के रूप में विद्यमान है की आवश्यकता नहीं है जिसके कारण विलय में अड़चन पड़ती है। यह अनुच्छेद हमारे राष्ट्र के हित के विपरीत है क्योंकि इस अनुच्छेद के कारण जम्मू और कश्मीर हमारे हाथों से निकला जा रहा है। इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार विलय की प्रक्रिया पूरी करे जो अभी तक अधूरी है।

मेरा यह भी अनुरोध है कि हमें विस्थापितों की समस्याओं की ओर भी ध्यान देना है श्री मणि शंकर ने कहा था कि हिन्दुओं से अधिक मुसलमान मारे गये थे। किन्तु सरकार उन मुसलमानों की सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सकी जो इस देश में रहना चाहते हैं। यदि अन्य लोगों को वहां रहने की अनुमति दी गई होती, तो जम्मू और कश्मीर में और अधिक देशभक्त लोग होते। 1948, 1965 और 1971 में संकट के समय इन्ही लोगों ने भारत का साथ दिया था और जब पाकिस्तान ने भारत पर चढ़ाई की थी तब राष्ट्र की रक्षा के लिये वे ही आगे आये थे। किन्तु अनेक लोगों को कश्मीर से बाहर कर दिया गया है। इसीलिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि विस्थापितों तथा शरणार्थियों की सरकार द्वारा समुचित क्षतिपूर्ति की जाये जिनकी भूमि और सम्पत्ति उनसे छीन ली गई है। सरकार को देश छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों, जिन्हें कश्मीर छोड़कर जाना पड़ा, के पुनर्वास का उत्तरदायित्व भी निभाना चाहिये।

यह आश्चर्य की बात है कि सरकार जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने के विचार से खिलवाड़ करती है। हर रोज कितने ही व्यक्ति मारे जा रहे हैं, बम विस्फोट हो रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के बाद से कश्मीर में बम विस्फोट की कितनी घटनायें घटी हैं। हर रोज कितने ही निर्दोष व्यक्ति मारे जा रहे हैं। चुनाव कराने से पहले, यह आवश्यक है कि हम कश्मीरी लोगों से मिलें और उन्हें विश्वास में लें उनमें विश्वास जाग्रत करें। अन्यथा वहां चुनाव कराना किस प्रकार संभव हो सकेगा? यदि आप वास्तव में वहां चुनाव कराना चाहते हैं, तो आपको वहां रहने वाले व्यक्तियों की भावनाओं को समझना होगा।

मैं सरकार से एक मुद्दे पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। "अल-फरान" आतंकवादी संगठन, जिसने पर्यटकों का अपहरण किया था, पाकिस्तान के जमात-ए-इस्लाम से संबद्ध एक संगठन है। इस संगठन का सरदार कश्मीर में कैसे आया? उसे वीजा किसने जारी किया? सरकार इस बात को स्पष्ट करे। आतंकवादियों से निपटने के लिये कठोर कानून पारित कये जाने चाहिये।

कल, एक समाचार पत्र में यह खबर छपी थी कि सात सुरक्षा जवानों का अपहरण किया गया। उनमें से छः तो बच निकले। इसलिये हमें कश्मीर को आतंकवादियों के चंगुल से छुड़ाना होगा। यदि कश्मीर को सेना को सौंपने की आवश्यकता पड़े तो वह भी किया जाये। किन्तु कोई भी कठोर कार्यवाही करने से पूर्व हमें भेद-भाव की भावना से ऊपर उठना होगा। मैं केवल इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं।

मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

मुझे बोलने का जो अवसर दिया गया उसके लिये मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय हमारे समक्ष एक और दुखद कार्य है। वह है जम्मू और कश्मीर के बजट पर चर्चा करना और उसे पारित करना। इस सभा में कुछ महीनों पूर्व लेखानुदान स्वीकृत करना पड़ा था। उस समय, ऐसा लगता था कि हम देश के इस सुन्दर भाग में, जिसे 'पृथ्वी का स्वर्ग' कहा जाता है चुनाव करवा सकेंगे। उस समय, यह भी सोचा गया था कि चालू वर्ष के लिये दूसरा लेखानुदान पारित करने का उत्तरदायित्व राज्य की विधान सभा का होगा। प्रधान मंत्री, जो जम्मू और कश्मीर संबंधी मामलों के प्रभारी मंत्री भी हैं, के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में, भारत सरकार चुनाव कराने की दिशा में अग्रसर थी। जब स्थिति अनुकूल हो रही थी पुनः उन्माद के मौके में, आतंकवादियों ने चरार-ए-शरीफ को जला दिया, और इसके परिणाम स्वरूप, जैसाकि आपको पता है, वातावरण में निश्चित रूप से भारी परिवर्तन आया, पूरे कश्मीर में उत्तेजना थी और कुछ आतंकवादियों ने पांच विदेशियों को बंधक बना लिया।

यह संतोष की बात है कि जम्मू और कश्मीर में मूल स्थिति में सुधार हो रहा है, स्थिति अच्छी हो रही है और अमरनाथ की सफलपूर्वक यात्रा इसका साक्ष्य है। अब लोग दृढ़ निश्चित हैं। अमरनाथ यात्रा एक वार्षिक धार्मिक आयोजन है और गत वर्ष स्थानीय लोगों ने सहयोग नहीं दिया था जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रक बलों को बाहर से बुलाना पड़ा था, क्योंकि स्थानिय बल उपलब्ध नहीं था और स्थानीय सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे। किन्तु इस बार चरार-ए-शरीफ की घटना के बावजूद और विदेशी बंधकों की कहानी के बाद भी, प्रत्येक व्यक्ति ने सहयोग दिया, और यात्रियों की अपार भीड़, लगभग 60 से 75 हजार व्यक्ति, अमरनाथ गए और उन्होंने 'हिमलिंग' के दर्शन किये।

विपक्ष दल यह आलोचना करते हैं कि कश्मीर के बारे में हमारी कोई नीति नहीं है। मैं नहीं समझता कि यह पूर्णतः सही है। बजटीय आबंटन में बढ़ोतरी हुई है। आर्थिक गतिविधियों को आरम्भ करने, विकासात्मक कार्यवाही को चलाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि विकास कार्यों के लिए दी गई निधि का उपयोग-अन्यत्र न हो तथा यह सुनिश्चित करने के लिये कि बेरोजगार युवकों को विभिन्न क्षेत्र में रोजगार मिल सके, सरकार की ओर से दृढ़ता पूर्वक प्रयास किया गया है। इसके अलावा सुस्पष्ट की नीति अपनाई गई है। सरकार ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण नीति अपनाई है। यहां तक कि मानव अधिकार आयोग तथा विदेशी पत्रकारों ने जम्मू और कश्मीर का दौरा किया है। उन पर न कोई निषेध था और न ही कोई प्रतिबंध था। यहां तक कि उन्हें निमन्त्रित किया गया है। वे वहां गये उन्होंने वहां की यात्रा की, वहां घूमें फिरे और स्वतंत्रता की कहानियां कलमबंद की। इस प्रकार सरकार द्वारा अपनाई गई सुस्पष्टता की नीति के परिणाम आने लगे हैं। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में अमरीकी राजदूत श्री फ्रेंक विन्सर वहां गये थे, उन्होंने चार दिन वहां बिताये और वहां विभिन्न ग्रुपों के लोगों के सम्पर्क में आये। और जैसा कि पता चला है अमरीका की नीति भी जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराने और आतंकवाद की स्थिति को रोकने के भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करने की प्रतीत होती है। संयोगवश श्री विनसर द्वारा हुर्रियात नेताओं को स्पष्ट शब्दों में यही सलाह दी गई है। न केवल अमरीकी राजदूत अपितु ब्रिटेन के उच्चायुक्त और अन्य पश्चिमी देशों के राजदूतों ने भी कश्मीर का दौरा किया था। इस सुस्पष्टता की नीति को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वहां के विभिन्न संगठनों के नेताओं को यही सलाह दी कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें और बातचीत करने का प्रयास करें। प्रजातंत्र में आतंकवाद से नहीं अपितु बात-चीत से काम चलता है।

श्रीमती छेवर इस समय भारत भ्रमण पर हैं। उनका वक्तव्य अत्यधिक स्वागत योग्य है। विश्व के विभिन्न भागों में आतंकवाद बढ़ रहा है। यह केवल भारत में ही नहीं है। लोकतंत्र वादियों के लिये स्वाभाविक रूप से यह गंभीर चिंता का विषय है। आतंकवाद स्वतंत्रता पर एक आक्रमण है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में इस प्रकार के अलगाव बाद को समाप्त करने की स्पष्ट रूप से मांग की है।

आज विपक्ष यहां चाहे जो कहे, पाकिस्तान हमारी सीमाओं पर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, आतंकवाद को उकसा रहा है, आतंकवाद फैला रहा है और परेशानियां पैदा कर रहा है। गत चार या पांच साल से जम्मू और कश्मीर में हलचल मची हुई है। इस नीति के कारण पाकिस्तान अलग-अलग पड़ गया है। पाकिस्तान संयुक्त राज्य से भी अलग पड़ गया है। वे भी पाकिस्तान की भूमिका को ठीक नहीं समझ रहे। आपको पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। वहां करांची में तथा अन्य स्थानों में जातीय समस्या है।

षडयंत्र के बारे में कोई संदेह नहीं हैं। कट्टरपंथी घाटी में अफगानिस्तान जैसी स्थिति पैदा करने लिये पूरी ताकत से लगे हुए हैं। अमरीकी राजदूत द्वारा जो सलाह उन्हें दी गई है, वह महत्वपूर्ण विकास है। किन्तु वह संगठन विभाजित है। जो भी हो अन्य आतंकवादी संगठनों ने भी अल-फरान की भर्त्सना की थी जिन्होंने विदेशी पर्यटकों को बंधक बनाया था। औरों ने भी भर्त्स्ना की है। इस प्रकार आतंकवादियों में भी आपस में मतभेद है। ऐसी स्थिति में, और विशेषकर अमरनाथ यात्रा के बाद, यह स्पष्ट हो गया है कि स्थानीय लोग सामान्य स्थिति बहाल करने के पक्ष में हैं। ये भी संकेत मिले थे कि धीरे धीरे सामान्य स्थिति बहाल होती जा रही है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है राजनीतिक रूप से इस मामले को राजनीतिक रंग देकर इसका लाभ नहीं उठाना चाहिये।

ऐसा नहीं है कि केवल कांग्रेस के शासन काल के दौरान एक दिन में ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई थी। आपको पता है कि 1989-90 या 1990-91 में, जो कोई भी दल सत्तारूढ़ था, उस समय भी गृह मंत्री की पुत्री तक को बंधक बनाया गया था। उस समय क्या हुआ था? पूरे देश को उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अनेक शीर्षस्थ आतकंवादियों के बदले में उसे छोड़ा गया था। बहुत से खतरनाक आतंकवादी छोड़ने पड़े। उस दिन से ही हालात तेजी से बिगड़े हैं। वह सब स्वाभाविक रूप से चल रहा था। अब भी उन्होंने विदेशी पर्यटकों को बंधक बनाया। वे मांग कर रहे हैं कि 15 या 20 अथवा 20 शीर्षस्थ आतंकवादी मुक्त कर दिये जायें।

किन्तु यह अच्छी बात है कि सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे रही है, उनकी बात नहीं मान रही है और आतंकवाद के प्रति समर्पण नहीं कर रही है बल्कि सरकार राजनयिक आधार पर राजनयिक युद्ध कर रही है कि लोगों को किस तरह मुक्त कराया जाये। 1988-89 और 1990-91 में वह विधान सभा भंग कर दी गई थी। आज वहां कोई संगठन नहीं है। महत्वपूर्ण कार्य कि वहां एक नीति होनी चाहिये, कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को और स्वत्रंता दी जाये, विचाराधीन है। यही नीति बनाई जा रही है। आर्थिक समझौते और राजनीतिक समझौते के तहत यही नीति बनाई जा रही है। किन्तु दुर्भाग्य से वहां कोई भी ऐसा विश्वसनीय संगठन नहीं है जिसके साथ वार्ता और चर्चा की जा सके और विचार-विनिमय किया जा सके। इस समय घाटी में एक भी ऐसा विश्वसनीय संगठन या प्रतिनिधि निकाय नहीं है जिसके साथ केन्द्र वार्ता कर सके। हमारे लिये यह बहुत बड़ी समस्या है।

आज स्थिति धीरे-धीरे अनुकूल होती जा रही है और यही समय है जबकि सभा में वक्तव्य अथवा भाषण देने के बजाये सभी दलों द्वारा वहां गतिविधियां आरम्भ करनी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि ऐसा करना बहुत महत्वपूर्ण है; यह एक राष्ट्रीय संसद है और यहां नीति पर चर्चा तो करनी ही होगी।

किन्तु इसके अलावा, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में एक भूमिका अदा करनी है। भा.ज.पा. विशेषकर जम्मू भाग में वहां मौजूद है। भा.ज.पा. के नेताओं से मैं अपील करना चाहूंगा कि अन्य भागों और प्रांतों के अलावा जहां तक जम्मू और कश्मीर का संबंध है, वे जो कुछ भी कहें बड़े सोच समझ कर कहें जिससे कि घाटी में रह रहे अन्य समुदाय में कोई कटुता न पैदा हो।

उन्हें घाटी की पूरी स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये और भेद-भाव पूर्ण बात नहीं करनी चाहिये।

अतः महोदय, यह राजनीतिक गतिविधि में इसका विशेष उल्लेख कर रहा हूं वह आरम्भ की जाए और उसमें तेजी लायी जानी चाहिये।

महोदय मैं जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के पद के बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। वहां का एकमात्र प्राधिकारी होने के नाते उसे सेना और अन्य अनुभवशील वाले सलाहकारों की समुचित सहायता मिलनी चाहिये। मेरे विचार से यह उचित समय है जबकि जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के पद पर राजनीतिक पृष्ठ भूमि और जन क्षेत्र में अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति हो जिसके पास राजनीतिक सक्षमता, राजनीतिक समझ और राजनीतिक विशेषज्ञता हो। इस प्रकार, मेरे विचार से सरकार को वहां के राज्यपाल के पद के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

इसके साथ ही, आरम्भ मे वहां कुछ स्थानीय चुनाव कराये जा सकते हैं। मैं पुनः कहता हूं कि भाषण देने और सरकार की आलोचना करने के बजाये, हमारे पास कुछ राजनीतिक पैकेज और आर्थिक पैकेज होने चाहिये। इस प्रकार बेरोजगार युवकों की भावनाओं को काफी हद तक शांति मिलेगी। कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां देश में पढ़े-लिखे बेरोजगार सर्वाधिक हैं और जहां तक जम्मू और कश्मीर का संबंध है वहां प्रत्येक शांति-प्रिय, अनुशासित और शिक्षित युवक को उपयुक्त रोजगार मिलना ही चाहिये। यदि पूर्ण निष्ठा के साथ ऐसी घोषणा की जाये तो मेरे विचार से वहां के युवकों को इससे काफी अधिक सांत्वना मिलेगी। वे आतंकवादियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं और उनकी तरफ से स्थिति के प्रति जो निराश भाव है वह भी दूर हो जायेंगे तथा वे मुख्य धारा से जुड़ जायेंगे। इसलिए, इस प्रकार से यह उचित समय है जबकि सभी राजनैतिक दल इस गंभीर स्थिति के बारे में एक साथ मिल कर कार्य करें। आम स्थिति में वहां बहुत अधिक सुधार हुआ है। चरार-ए-शरीफ की घटना और विदेशी पर्यटकों के अपहरण की घटनाओं के बावजूद, वहां स्थिति में सुधार हुआ है। अमरनाथ की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होना, विदेशी पत्रकारों, हमारे अपने पत्रकारों और राजनयिकों के दौरों से इस तथ्य की सच्चाई सिद्ध होती है। भारत तथा विदेश के पत्रकारों, राजनयिक आदि को ऐसा लगता है और स्थानीय लोगों में यह भावना व्यक्त हुई है कि प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सभी दलों के लिये इस समस्या के समाधान का यह उपयुक्त समय है अनेक बार समाचार पत्रों में हमें अनेक सम्मेलनों, बैठकों आदि के आयोजनों का और संसद सदस्यों के शिष्टमंडलों द्वारा की गई घाटी की यात्राओं का उल्लेख मिल जाता है । उसे चालू रखना होगा। क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है, अतः विपक्षी दलों को जब सही स्थिति चल रही हो इस मामले का राजनैतिक लाभ उठाने का कोई प्रयास नहीं करना चाहिये। सब लोगों को एक जुट होकर इस प्रयास को सफल बनाने की चेष्टा करनी चाहिये जिससे कि सरकार और प्रधान मंत्री के दृढ़ निश्चय से जम्मू और कश्मीर में चुनाव आयोजित कराये जा सके।

मेरे विचार से, भविष्य में जम्मू और कश्मीर के बजट पर चर्चा करने और बजट पारित करने की दुःखद कार्य नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में 'कानून और व्यवस्था' का मामला संवेदनशील मामला है और यह एक ऐसी समस्या है जो सभी के लिए सरदर्द बनी हुई है, इस समस्या से हमें कानून और व्यवस्था पर चर्चा करने का अवसर मिला है। इस संदर्भ में यह बहुत उपयोगी हैं।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री द्वारा लाये गये जम्मू और कश्मीर के बजटीय प्रस्तावों और अनुदान मांगों का हार्दिक समर्थन करता हूं।

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर का बजट 1990 से लेकर इस संसद में पास हो रहा और जैसा प्रतिपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि यह काम तो वहां की विधान सभा में होना चाहिये था, लेकिन परिस्थितियां जिस प्रकार की हैं, उनको देखते हुए, सारा देश इस समस्या का हल चाहता है और 4,222 करोड़ रुपय से अधिक का जो धन स्वीकृत करने का प्रस्ताव माननीय वित्त राज्य मंत्री महोदय लाए हैं इसका पूरा सदन समर्थन भी कर रहा है, परन्तु जो मुख्य मुद्दा मेरे पूर्व वक्ताओं ने उठाया है, वह है वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार।

सभापति महोदय, जम्मू-कश्मीर प्रशासन में कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी मैं केवल एक मिसाल देकर अपनी बात कहना चाहूंगा। अभी गत दिनों वहां पर फारेंसिक साइंस लेबोरेट्री के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एडीशनल चीफ सैक्रेटूरी ने कहा कि मिसएप्रोप्रिएशन आफ फंड्स, चीटिंग एंड फोर्जरी हुई है। इसलिए विजिलेंस डिपार्टमेंट को यह केस दिया गया। सभापति महोदय, आप जानकर हैरान होंगे कि अभी वह जांच चल रही है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेट्री के जो डायरैक्टर थे, जिनके खिलाफ ये चार्ज थे, उनको स्पैशल सैक्रेट्री होम बना दिया गया। यानी प्रमोशन दे दी गई उन्हें पदोन्नति दे दी गई। अभी जांच चल रही है, विजिलेंस के पास वह केस है, लेकिन उनको पदोन्नत कर दिया गया।

सभापति महोदय, इसी विभाग में एक स्टोर कीपर के खिलाफ भी यह जांच चल रही थी, उनको साइंस आफीसर बना दिया गया हालांकि वे साइंस आफीसर बनने के लिए टैक्नीकल क्वालीफाइंग योग्यता नहीं रखते हैं। इसी विभाग में अकाउंटस आफीसर हैं, लेकिन अकाउंट का काम एक सीनियर स्टोर कीपर देख रहे हैं। वे कैशीयर का काम भी देख रहे हैं। जिन एडीशनल चीफ सैक्रेट्री ने यह मामला उठाया था, उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस-चांसलर बना दिया गया। मुझे उम्मीद है कि गृह मंत्री महोदय इस बात का नोट ले रहे होंगे कि इस सदन द्वारा जो धन स्वीकृत कर के हम दे रहे हैं वह किन लोगों के हाथों में दे रहें हैं, उसके ऊपर भी चैक रखना पड़ेगा। जिन सज्जन के खिलाफ यह इन्क्वायरी चल रही है वे तो स्पैशल सैक्रेट्री होम हो गए और जिन आफीसर्स ने उनके खिलाफ गवाही दी, वे अब उनको तंग कर रहे हैं।

सभापति महोदय, यहां से 4,222 करोड़ रुपये से अधिक का धन स्वीकृत होकर यदि उन्हीं अधिकारियों के पास जाना है जिन्होंने

भ्रष्टाचार किया है, जिनके खिलाफ जांच चल रही है और अभी तक अंतिम निर्णय नहीं आया है और आप उनको पदोन्नति दे रहे हैं।

तो फिर भ्रष्टाचार कैसे मिटेगा। इस धन का सदुपयोग देश और प्रदेश के लिए किस प्रकार होगा? भ्रष्टाचार विरोधी अभियान वहां पर है, केन्द्रीय गृह सचिव को उसने विस्तृत रिपोर्ट भेजी है क्योंकि प्रधान मंत्री महोदय के अधीन केन्द्रीय गृह सचिव इस मामले को देख रहे हैं। उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। हम चाहेंगे कि इसकी जांच हो और ऐसे अधिकारी जिनके ऊपर स्पष्ट आरोप लगे हैं, उनको पदोन्नति देने की अपेक्षा सजा दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, अभी गत दिन पहले यह समाचार भी आया कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित मरकश दावतें अरशाद के द्वारा आतंकवादियों को पंजाबी और हरियाणवी भाषा सिखाई जा रही है क्योंकि सेना में अधिकतर लोग पंजाब और हरियाणा से हैं और वे पंजाबी और हरियाणवी में ही बात करते हैं। ये आतंकवादी फौजियों की वर्दी डालकर अपने आपको सेना का दिखाकर आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं। क्या सरकार को इसकी जानकारी है? अगर है तो इसको रोकने के लिए सरकार क्या काम कर रही है? प्रतिपक्ष के नेता ने जम्मू क्षेत्र की लगातार अवहेलना किये जाने का प्रश्न उठाया है। जम्मू क्षेत्र के लोग 1947 से शरणार्थियों की समस्या का सामना कर रहे हैं। आज कश्मीर घाटी के ढ़ाई लाख विस्थापित घाटी छोड़कर आ गये हैं । बहुत से मित्रों ने चरार-ए-शरीफ में जिन लोगों के घर जल गये थे, उनके पुनर्वास की बात की है, उनके लिए घर बनाने की बात कही है। हम भी चाहेंगे कि चरार-ए-शरीफ में सरकार की गलती के कारण जो कुछ हुआ, जिन लोगों के घर जल गये, उनको घर मिले। लेकिन आप अभी तक शरणार्थियों के बारे में, विस्थापितों के बारे में बात क्यों नहीं कर रहें हैं? जो ढाई लाख लोग घर छोड़कर आये हैं, उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही है?

मैं श्री उमराव सिंह को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने शरणार्थी कैम्पों में जाकर जो हालत देखी, उसके बारे में यहां कहा है। आखिर वे लोग किस कारण से यहां आये हैं? अगर वे लोग भी आजादी का नारा देते, आतंकवादियों की हां में हां मिलाते तो वे भी वहां रहते। उनको इसलिए यहां आना पड़ा क्योंकि वे वहां पर तिरंगा लहराया जाना देखना चाहते थे। वह भारत मां की जय बोलते थे इसलिए वे घाटी से निकाले गये। क्या इस राष्ट्र का उन राष्ट्र भक्तों के प्रति कोई कर्त्तव्य नहीं हैं? क्या सरकार के ध्यान में उनके पुनर्वास की कोई बात नहीं आती?

सभापति महोदय, इतना ही नहीं डा. करण सिंह, जो कि केन्द्र के मंत्री रहे, कांग्रेस के नेता रहे, उन्होंने स्वयं लिखा है कि जम्मू क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या जो वह अनुभव कर रहे हैं, वह है पोलिटिकल डोमिनेसन बाई दी मैली पिपल जम्मू की आबादी ज्यादा है। आपने अभी डीलिमिटेशन की, आपने घाटी में सीटें बढ़ाई और अब हमें उपदेश देते हैं। शायद पाणिग्रही जी अपना भाषण करके चले गये कि हम पोलिटिकलाईज नहीं करें। किसी ने भी दलगत नीति की यहां बात नहीं की लेकिन उन्होंने बी.जे.पी. का नाम लेकर अपना भाषण शुरू किया। अगर आप शुरू करेंगे तो फिर जवाब सुनने के लिए यहां बैठो। हम पूछना चाहते हैं कि डीलिमिटेशन किया गया, घाटी में कांस्टीट्यूंसी बढ़ाई गयी। आप इस तरफ न जायें। आप क्यों नहीं कर रहे थे। जम्मू के लोगों की छोटी सी मांग है कि डोगरी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये। आपने नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को किया है लेकिन उसके साथ डोगरी लिखने में क्या बाधा थी। डोगरी को साहित्य अकादमी का अवार्ड भी मिला है, उसको स्वीकृत माना गया है लेकिन उसके लिए आप तैयार नहीं है। जम्मू के लोगों के साथ हर बार भेदभाव होता है।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि समय बहुत कम है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। एक विदेशी पर्यटक ऑस्ट्रो की हत्या के बाद भारत सरकार को विश्व भर में समर्थन मिला है कि आप उग्रवादियों के आगे हथियार मत डालें। आप उनका सख्ती से मुकाबला करें। मैं स्वयं डोडा गया था। हमने गृह मंत्री को भी लिखा। प्रधान मंत्री जी को भी लिखा। 1990 से लेकर आज तक हम पत्र लिखते आये हैं। जो भी रिप्रजेंटेशन वहां से आती है, उन सबको हम सरकार को भेजते हैं। आप सुनकर हैरान होंगे और मैं यह चुनौती देता हूं कि इस हाउस में से कोई भी मंत्री उठकर यह कहे कि हमारे लिखे हुए जो सुझाव हैं, उनके अनुसार शरणार्थियों और विस्थापितों के लिए आपने कोई कार्यवाही की हो।

हमें यह कह दो कि गलत है। कोई उत्तर ही नहीं आता। आपने एक भी मामला सुलझाया हो तो बताइए। वास्तव में मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल ऑस्ट्रो का ही गला नहीं काटा बल्कि कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यकों की बहु-बेटियों की इज्जत लूटी गई। उनके सिर पर कुछ गोदा गया था, गरम सरिए से लिखा गया था। वे बातें भी सरकार के ध्यान में आई थीं वे बातें हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व को बता नहीं सके, वहां भारत का पक्ष रखने में असफल रहे कि जो उग्रवादी है, वे उस प्रदेश में क्या-क्या कर रहे हैं। उनके खिलाफ विश्वभर में जो जनमत तैयार करना चाहिए था, वह हम नहीं कर पाए।

जब मैं डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह गया था तो उन दिनों कुछ नौजवानों को आतंकवादी पकड़कर ले गए थे। जिस दिन हम पहुंचे, उस दिन उनकी लाशें वापिस आई थीं। उनके हाथ काटे हुए थे, उनकी आंखे निकाली हुई थी, हड्डियां तोड़ी हुई थी। यह बात तब भी हुई, 4-5 साल से लगातार हो रहा है। जैसे अटल जी ने अभी कहा कि वहां पर बच्चों को मारा जाता है, कई बार मां-बाप को उनका खून पीने के लिए विवश किया जाता है, मांस खाने के लिए मजबूर किया जाता है।

गुलाम नबी आजाद केन्द्रीय मंत्री हैं, कई बार जबरदस्त बातें करते हैं। उनके अपने गांव से लोग पलायन करके हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले में आ गए थे। पाणिग्रही जी कह रहे थे कि बी.जे.पी. वाले घाटी में जाएं और वहां राजनैतिक गतिविधियां शुरू करें। हम जानना चाहेंगे कि गुलाम नबी आजाद वहां पर जाकर कितनी गतिवधियां कर

सकते हैं। हमारी चुनौती है। गुलाम रसूल कार, जो उनके प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि पायलट साहब ने बहुत बढ़िया काम किया था लेकिन गुलाम नबी आजाद कोई बढ़िया काम नहीं कर रहे। दो मंत्रियों के काम में तुलना। यदि पायलट साहब ने बढ़िया काम किया था तो फिर उनसे कश्मीर का काम वापिस क्यों ले लिया। क्या प्रधान मंत्री और कार साहब की राय में अन्तर है? मैं इस बात का ध्यान दिलाना चाहता था कि भारतीय नागरिकों की जो निर्मम हत्याएं हुई, यदि हमारी सरकार की तरफ से उस बात के तथ्य भी विदेशों के सामने रखे जाते तो आज जो भावना ऑस्ट्रो की निर्मम हत्या के बाद उनके विरोध में हुई है और विश्वम्भर की शक्तियों कह रही हैं कि सख्ती से निपटो तो इसके लिए पहले भी परिस्थितियां तैयार की जा सकती थी।

अमरनाथ यात्रा की बात की गई है। हमारे नेता ने सरकार को इस बात के लिए बधाई दी है कि उसने अच्छा काम किया, वह यात्रा बड़ी सफलता से सम्पन्न हो गई। लेकिन पिछले वर्ष पाकिस्तान के इशारे पर अनन्तनाग जिला प्रशासन के अनेक कर्मचारियों ने अमरनाथ यात्रा पर सहयोग करने से इन्कार कर दिया था परन्तु उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। आतंकवादियों की अपेक्षा आस्तीन के सांप कहीं अधिक खतरनाक हैं, फिर उनको दूध क्यों पिलाया जा रहा है? यही बात मैं कह रहा हूं। हम 4,422 करोड़ रुपये से ज्यादा का धन उस प्रदेश को दे रहे हैं लेकिन जो कर्मचारी वहां पर आज भी पाकिस्तान के साथ अपने संबंध बनाए हुए हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं होती? अच्छा हुआ पायलट साहब बाद में आए, मैने पहले ही इनकी तारीफ़ पढ़ दी।

मेरे पूर्व वक्ता ने वहां की बेरोजगारी की बात कही। यह समस्या हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में अब बहुत भयंकर रूप से सामने आ रही है। पहले सेना और अर्धसेना में विलिंग सोलजर्स की भर्ती होती थी, जो भर्ती होना चाहते थे, वे हो जाते थे। अब ऐसा नियम बना है कि उस प्रदेश की आबादी क्या है। आबादी के आधार पर सेना में भर्ती होगी।

[अनुवाद]

क्या वह इच्छुक सिपाही हैं अथवा नहीं,

[हिन्दी]

वह डिज़र्विंग है या नहीं, यह प्रश्न नहीं है। आतंकवाद के कारण पर्यटन का काम वैसे ही ठप्प पड़ गया है। जो बेरोजगारी फली हुई है, मैं फिर आग्रह करना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जो यहां बैठे हैं, वैसे बात तो इनकी आपस में हो रही है।

5.00 म.प.

मैं चाहूंगा कि इस पाइण्ट को राजेश पायलट जी जरूर नोट कर लें कि सेना और अर्धसैनिक बलों में ... (व्यवधान) जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के नौजवानों को, जो भर्ती होना चाहते हैं, प्राथमिकता के तौर पर भर्ती किया जाए तो बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी और सेना को अच्छे फाइटर सोल्जर्स भी मिलेंगे, जो परम्परा से देश के लिए सदा लड़ते रहे हैं।

अन्त में, प्रधान मंत्री महोदय का एक बयान जब वह अपने क्षेत्र में नांदयाल गये थे, तो छपा था। इन्होंने कहाः

[अनुवाद]

कश्मीर समस्या के लिये लोक सभा के चुनावों से पूर्व समाधान।

[हिन्दी]

आप जब अपने चुनाव क्षेत्र नांदयाल गये, तो आपने वहां कहा, वह प्रैस में छपा है, बड़ी हैडलाइंस में हैः

[अनुवाद]

लोक सभा के चुनावों से पूर्व समाधान होना सम्भव।

[हिन्दी]

हम चाहेंगे, चाहे पोल जल्दी करवा लो, लेकिन सोल्यूशन तो निकालो, जिसके लिए सभी लोग मांग कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि कश्मीर की नीति की स्पष्ट घोषणा हो, कश्मीर पर आप क्या नीति अपनाने जा रहे हैं और वहां जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको रोकने के कड़े कदम उठाये जायें, ताकि विकास के कार्य वहां लगातार चलते रहें।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, सभापति महोदय, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : सभापति महोदय, मुझे इस बात की प्रसन्नता है - इसकी मुझे आशा थी-कि सदस्यों द्वारा किये गये अनेक अनुरोधों एवं अपीलों, जिनमें से कुछ आपके माध्यम से की गई, पर कश्मीर मामलों के प्रभारी मंत्री इस समय सभा में उपस्थित हैं। वास्तव में, इतना बड़ा मंत्रीमंडल है जो असामान्य सी बात है और मुझे आशा थी कि मंत्रियों का यह समूह इस बात पर प्रकाश डालेगा कि कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए सरकार वास्तव में क्या नीति अपना रही है और क्या अपनाने का विचार रखती है क्योंकि हम अंधेरे में हैं। राष्ट्रपति शासन केवल छः महीने के लिये बढ़ाया गया था और अभिलेखों से पता चलता है कि अगले महीने की पांच या छः तारीख तक - तीन महीने बीत चुके होंगे। राष्ट्रपति शासन का लगभग आधा समय बीत चुका होगा और हमें आश्वासन दिया गया था कि इस अवधि के दौरान चुनाव कराने के लिये राजनैतिक प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। अभी तक मुझे नहीं मालूम कि कहीं सरकार चुनाव कराने के अपने आश्वासन से पीछे तो नहीं हट गयी। यदि वह इस से पीछे नहीं हटी है तो उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि शेष तीन महीनों अथवा तीन महीनों से कुछ अधिक दिनों की बाकी अवधि के दौरान यदि स्थिति आज जैसी ही बनी रही तो वे चुनाव कराने का इरादा कैसे पूरा कर पायेंगे।

आजकल हम सुस्पष्टता के बारे में और सुस्पष्टता की कमी होने आदि के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं। चूंकि यहां अनेक माननीय मंत्री उपस्थित हैं, जिनका इस मामले से - सीधा संबंध है अत: मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि अब कौन सी नीति अपनाने का विचार किया जा रहा है जिससे कि देश के समक्ष अगले तीन महीने के भीतर कुछ अर्थपूर्ण परिणाम आ सके। तीन महीनों का यह समय बहुत कम है और मैं, वस्तुतः अपने से पहले यहां बोलने वाले अपने साथी वक्ताओं की बातों का समर्थन करता हूं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

विदेशी पर्यटकों को बंधक बनाये जाने की पूरी घटना जिन्हें हम अब मुक्त नहीं करा पाये हैं - के बारे में मैं सरकार से यह स्पष्ट करने की आशा नहीं करता कि उन व्यक्तियों को मुक्त कराने के मामले में वे क्या तरीका अपना रहे हैं। उनमें से एक की तो निर्दयता पूर्वक हत्या की जा चुकी है। किन्तु वे काम पर लगे हुए हैं, ऐसा संभवतः टेलीफोन के माध्यम से हमें समाचार-पत्रों से पता चलता रहता है कि बातचीत चल रही है। किन्तु क्या हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या सरकार को यह विश्वास है अथवा यह आशा है कि अन्य लोग कोई सही परिणाम प्राप्त हो सकेगा।

बंधक जितने अधिक समय तक बंधक बने रहेंगे, उससे मुझे नहीं लगता कि आतंकवादियों - विशेष रूप से अल-फरान संगठन का कुछ भला होगा किन्तु, दुर्भाग्यवश बंधको का वास्तविक नियन्त्रण उनके हाथ में है। वे कुछ भी कर सकते हैं। मुझे आशा है कि कम से कम विश्व समुदाय तथा मानव अधिकारों के प्रति अत्याधिक चिंतित रहने वाले व्यक्ति अब यह महसूस करेंगे कि घाटी में मानव अधिकारों का उल्लंघन जैसा कि केवल सुरक्षा बलों द्वारा प्रायः कहा जा रहा है। यहां कुछ हो रहा है जिसकी अपेक्षा विश्व नहीं कर सकता है और इससे निश्चित रूप से पता चल जायेगा कि इन आतंकवादी संगठनों को किसी के मानव अधिकार के बारे में जरा भी चिंता नहीं है।

यह एक अच्छा संकेत है कि हुर्रियात विदेशियों को बंधक बनाये जाने और उनमें से एक की हत्या किये जाने और शेष को मुक्त न किये जाने के इन लोगों के कार्य के विरोध में घाटी में एक हड़ताल का आवाहन किया है। हुर्रियात एक काफी प्रभावशाली संगठन है और उनका दावा है कि उनकी छत्र छाया में लगभग 47 संगठन हैं और जब उन्होंने ही घाटी में एक हड़ताल का आवाहन किया है तो वह सुरक्षा बलों अथवा सरकार के विरूद्ध नहीं अपितु अल-फरान लोगों के विरूद्ध किया गया है। मेरे विचार से निराशा में यह एक आशा की किरण है। हम उसे ध्यान में रखें और तदनुसार कार्य करें। किन्तु मूल प्रश्न अब यह रहता है कि क्या सरकार का इरादा जहां तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से बहाल करने का प्रश्न है, क्या करने का है।

मैं एक बात स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। कुछ समय पूर्व प्रधान मंत्री ने स्वायत्तता देने की बात की और जो आश्वासन दिया है, कि हम स्वायत्तता देने को तैयार हैं किन्तु वस्तुतः हर चीज की सीमा होती है उन्होंने एक बार कहा था और जब उनसे प्रश्न पूछा गया तब उन्होंने भारतीय संविधान के तहत स्वायत्तता देने की बात कही है। मेरे विचार से, हमें यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि इसका प्रयोग केवल घाटी के लिये किया जायेगा। अन्य लोगों ने स्वायत्तता की मांग नहीं की है, जम्मू ने स्वायत्तता की मांग नहीं की है, लद्दाख ने स्वायत्तता की मांग नहीं की है। जहां तक मुझे पता है, जम्मू भारत का अंग बना रहना चाहता है उनकी शिकायतें और परेशानियां और किस्म की है। उनकी शिकायत उनके विरूद्ध किये जा रहे हैं, भेदभाव के प्रति हैं क्योंकि उनका कहना है कि उनके खर्चे पर घाटी का पोषण किया जा रहा है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जम्मू और लद्दाख दोनों की आबादी कुल आबादी की 51 प्रतिशत है और राज्य के पूरे भू क्षेत्र का 90 प्रतिशत है। अतः हम ऐसा कोई काम क्यों करें जिससे यह विदेशों में अथवा किसी देश को यह प्रतीत हो कि पूरा राज्य-अर्थात् लद्दाख, जम्मू और घाटी-स्वायत्तता अथवा आजादी या इसी प्रकार की किसी चीज की मांग कर रहा है ऐसा नहीं है। हमें अपने प्रयासों में, और अपनी बात-चीत में चतुराई से काम लेना चाहिये और इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि कश्मीर के उन तीनों भागों इन तीनों क्षेत्रों के दृष्टिकोणों, मांगों और उनके प्राचीन इतिहास में अंतर है।

संयोग बस, मैं यह जानना चाहूंगा कि उस विचार की हम बिना शर्त किसी से बात-चीत करने को तैयार हैं बशर्ते कि वे लोग नहीं हैं जो इसे पाकिस्तान का अंग बनना चाहते हैं। संक्षेप में प्रधान मंत्री की ओर से श्री चतुर्वेदी द्वारा कश्मीर में संभवतः यह वक्तव्य दिया गया था कि "हम बिना शर्त किसी से भी बात करने को तैयार हैं।" क्या उसके बाद किसी से कोई बात हुई? वास्तव में, उत्तर यदि होगा कि बंदूक आदि के डर के मारे कोई भी बातचीत के लिये आगे नहीं आया। अतः हमारी वार्ता इस स्थिति में कैसे आगे बढ़ेगी?

अतः महोदय, एक सदस्य इस तथ्य से बड़े प्रसन्न थे कि अमरीकी और ब्रिटेन के राजदूत, जिन्हें कश्मीर का दौरा करने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने हुर्रियात लोगों और अन्य समूहों को चुनाव के मामले में सहयोग देने की सलाह दी है। मुझे नहीं पता उन्होंने हमें क्या सलाह दी थी।

मेरे विचार से मैं उन्हें सक्षम या प्राधिकृत सलाहकार बिल्कुल नहीं समझता। उन्हें जनता को सलाह देने के लिए अधिकार किसने दिया था अमरीका के राजदूत अथवा ब्रिटेन के उच्चायुक्त मेरी राय में उनका कोई काम नहीं है। वह यदि चाहें तो घाटी में जा सकते हैं और वहां का भ्रमण कर सकते हैं और यदि वे स्वयं वहां की स्थिति देखना चाहें तो देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है। किन्तु निश्चित रूप से उन्हें वहां कश्मीर के जनसमूह के साथ गुप्त बैठकें करना और उन्हें यह समझाने का कोई अधिकार नहीं हैं कि उन्हें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। मुझे इस पर घोर आपत्ति है। उन्हें ऐसा क्योंकि नहीं करना चाहिए कि जैसे उन्हें विशेष प्राधिकार है। यहां के लोगों को यह सलाह देने का कि उन्हें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये। जो भी हो, अब मैं पुनः अपने प्रश्न पर वापिस आना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं कि मुझे बताया जाये कि इस स्थिति में सरकार की क्या नीति है। जबकि तीन महीने बीत चुके हैं और तीन महीने शेष रहे हैं।

जहां तक मुझे याद है, चरार-ए-शरीफ की घटना से पूर्व माननीय प्रधान मंत्री संसद में इस बात पर एक विस्तृत वक्तव्य देना चाहते थे कि कश्मीर की क्या-क्या समस्यायें हैं और सरकार का क्या करने का विचार है । हमें ऐसा हो बताया गया था। इसके बाद चरार-ए-शरीफ की घटना घट गयी बात काफी पीछे रहे गई। किन्तु उसके बाद भी पर्याप्त समय बीत गया है और इस सभा में इस मामले पर कई बार चर्चा हो चुकी है। एक बार हमने इस पर 15 मई को चर्चा की थी। रिकार्ड यहां है। चरार-ए-शरीफ की घटना के बाद 15 मई को यहां विस्तृत चर्चा हुई थी। पुनः तीन जून उद्घोषणा को यथावत रखने के लिये सांविधिक संकल्प पर चर्चा हुई थी और आज तीसरी बार अगस्त के महीने में, हम इस मामले पर पुनः चर्चा कर रहे हैं। अतः चर्चा में कोई कमी नहीं है और सरकार यह नहीं कह सकती कि वह इस सभा में विभिन्न दलों की रायों, अथवा जो सुझाव और रायें सरकार को बार-बार दी गई है, से अनभिज्ञ हैं। वस्तुतः - यदि वह चाहें तो उनकी उपेक्षा कर सकती है। किन्तु निश्चय ही आपको इस सभा के दलों के साथ चलना ही होगा। सभी प्रमुख दल इस विचार के प्रति बचन बद्ध है कि वहां लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुनः बहाल होनी चाहिये और वहां निश्पक्ष चुनाव होने चाहिये।

मैंने एक प्रस्ताव किया था कि सभी प्रमुख राजनैतिक दलों के साथ भारत सरकार को पृथक रूप से नहीं बल्कि सबों को मिलकर, एक उचित समय पर यह घोषणा करनी चाहिये कि वे संयुक्त रूप से इसका उत्तरदायित्व लेते हैं कि चुनाव जब कभी भी होंगे स्वतंत्र और निश्पक्ष होंगे। जम्मू और कश्मीर के विगत इतिहास को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जिसके कारण वहां के लोगों को कड़वाहट भर गया है और उन्हें उनमें अलगाव आ गया हमें बहुत से लोगों को विश्वास ही नहीं है कि वहां स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव कभी हो भी सकते हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार का तथा यहां सभी दलों का यह दायित्व है कि वे संयुक्त रूप से वक्तव्य दें और यह जिम्मेवारी लें कि जब कभी भी चुनाव होंगे, इस तरह की धांधली नहीं होगी और चुनाव स्वतंत्र और निश्पक्ष होंगें। कम से कम इस देश के विभिन्न दलों से इतना आश्वासन तो मिलना ही चाहिये।

पिछली बार जब मैं राष्ट्रपति शासन की घोषणा के चलते रहने के बारे में बोला था, उस समय मैंने जो कुछ कहा था अपने उस भाषण से एक या दो वाक्यों को उद्धरित करने की मुझे अनुमति दी जाये।

"छः महीने या पांच महीने अथवा चार महीने अथवा जो भी हो, की इस अवधि के दौरान हम क्या करेंगे? हर बार यही होता रहा, हमें यही आश्वासन दिया गया कि राष्ट्रपति शासन की इस अवधि में घाटी में राजनैतिक प्रक्रिया आरम्भ की जायेगी और यथा संभव स्थिति को सामान्य बनाया जायेगा और हर बार छः महीने बीतने के बाद यही पाया गया कि कुछ भी नहीं किया गया है और स्थिति यथावत रही बल्कि पहले से भी बदतर हो गई है। इस बार भी यदि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति होती है तो मेरे विचार से इसके परिणाम अत्याधिक दुःखद होंगें अतः सरकार का इस देश और इस सभा के प्रति यह उत्तरदायित्व है कि जब हम राष्ट्रपति शासन का पुनः सहारा लें तो सरकार हमें स्पष्ट रूप से बताये कि राजनैतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पुनः बहाल करने के लिये सरकार क्या करने वाली है।

कुछ ठोस कदम उठाये जाने चाहिए। कुछ विशिष्ठ उपाय किये जाने चाहिए। अन्यथा केवल राष्ट्रपति शासन के लिये हम राष्ट्रपति शासन नहीं चाहते। वहां के लोगों को यह विश्वास हो जाना चाहिये कि सरकार उनके प्रतिनिधि चुनने के लिये गंभीरतापूर्वक तैयारी कर रही है। राज्य विधान सभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। संसद में कोई प्रतिनिधि नहीं है, इसीलिये हमें यहां बजट पारित करना पड़ रहा है जिसे वास्तव हम पारित करेंगे। कम से कम इस स्थिति में परिवर्तन होना चाहिये। यह ऐसी स्थिति है जिसे और अधिक समय के लिये सहन नहीं किया जा सकता है।

अतः कृपया हमें सूचित कीजिये। मुझे मालूम है कि चुनाव कराने में कई समस्यायें हैं। वस्तुतः पूरी स्थिति कठिनाइयों और समस्याओं से परिपूरित है। किन्तु आप स्वयं ही चुनाव कराने के लिये वचनबद्ध हैं। लोग कह रहे थे कि चुनाव कराने के लिये यह समय अनुकूल नहीं है। किन्तु अन्ततोगत्वा सरकार ने यही कहा थाः 'जी नहीं, चुनाव से ही समस्या का समाधान होगा, यदि बड़ी संख्या में लोग चुनाव में भाग नहीं ले पाते हैं, तब भी चुनाव होने चाहिये और तभी चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ स्वायत्तता के बारे में विस्तृत और विशिष्ठ चर्चा करेंगे। ठीक है, आप आगे बढ़िये। इस मामले में हम आपका साथ देने को तैयार हैं।

5.17 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

किन्तु आप हमें बतायें कि अगले तीन महीनों के भीतर आपका इसके लिये क्या करने का विचार है।

इसके अलावा, महोदय, केवल इस समय ही नहीं अपितु समय से सभी दल राज्यपाल को बदलने की कहते रहे हैं। वास्तव में, चरार-ए-शरीफ की घटना के बाद, यदि आप मुझे क्षमा करें तो मैं कहूंगा कि जब मैंने प्रधान मंत्री और गृह मंत्री दोनों को पृथक पृथक बताया, कि हमारे शिष्टमण्डल ने वहां क्या देखा और चरार-ए-शरीफ में लोगों के साथ क्या अन्तरकार्यवाही की गई, तब उन्होंने हमें ऐसा आभास दिया कि वे भी ऐसा महसूस करते हैं कि यह राज्यपाल स्थिति से निपटने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं है और हमें आशा थी कि वे इस बात को गंभीरता से लेंगे और यह देखेंगे करेंगे कि राजनीति समझने वाले किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जायेगा जो लोगों के साथ मिलने, उनकी बात सुनने और उनसे बात-चीत करने में, समझने में सक्षम होगा। किन्तु मुझे खेद है कि कुछ भी नहीं किया गया।

एक आर्थिक और राजनैतिक पैकेज का आश्वासन दिया गया था। मुझे नहीं पता है इस संदर्भ में अभी भी कार्यवाही की जा रही है अथवा नहीं। मैं देखता हूं कि हमारे पड़ोसी देश श्री लंका में एक उलझन पूर्ण स्थिति चल रही है जहां की स्थिति बहुत ही कठिन होती जा रही है और श्री लंका की सेना और तमिल चीतों के बीच सशस्त्र युद्ध हो रहा है। किन्तु जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे विचार से

किसी को भी श्री लंका की राष्ट्रपति श्रीमती चन्द्रिका कुमार तुंगे की प्रंशसा करनी होगी – वह सफल हो अथवा असफल किन्तु एक विस्तृत पैकेज का प्रस्ताव रखने के लिये उनके महान साहस और प्रयास की सराहना करनी ही पड़ेगी और शक्तियों के विभाजन के बारे में उनके कहने तथा अनेक रियायतें देने के लिये उनके तैयार हो जाने से अब गेंद तमिल चीतों के पाले में है जिससे कि श्री लंका में स्वायत्तता प्राप्त तमिल क्षेत्र अस्तित्व में आ सके जहां निर्वाचित प्रतिनिधियों को वे शक्तियां प्राप्त हो सकें जो उन्हें कभी प्राप्त न थीं। उन्हें इस प्रकार के पैकेज की एकतरफा घोषणा करनी पड़ी। किन्तु हमारी सरकार, जो लम्बे समय से इस प्रकार के आर्थिक अथवा राजनीतिक पैकेज का वायदा करती रही है, अभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव तैयार नहीं कर पाई है।

इस समय मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हम सभी इस समय कोई नई, उत्साहवर्धक और सकरात्मक बात सुनने के इच्छुक हैं एक ऐसी बात जो देश की जनता और जम्मू और कश्मीर की जनता के समक्ष किसी प्रकार की संभावनायें लेकर आयें जिससे कि शेष तीन महीनों की अवधि के भीतर हम सही लक्ष्य निर्धारित कर सकें जिससे कि हम लोकतंत्र, चाहे उसका स्वरूप कैसा भी हो, पुनः स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। पिछली बार भी मैंने कहा था कि यदि हुर्रियात ने चुनावों का बहिष्कार करने का आवाहन करता है और जैसा कि उन्होंने ऐसा करने की धमकी दी थी, तो मुझे बहुत अधिक संदेह है कि कितने प्रतिशत लोग चुनाव में भाग ले सकेंगे। किन्तु जो भी स्थिति हो, आपने कहा है कि : यदि दो प्रतिशत या पांच प्रतिशत लोग भी भाग लेते हैं तो चुनाव कराये जायेंगे और तब कम से कम चुने हुए प्रतिनिधि तो होंगे जिनसे हम बात कर सकें और तब स्थिति धीरे-धीरे सही हो सकेगी। अतः हम जानना चाहेंगे कि अब आपका क्या करने का प्रस्ताव है, क्या कोई पैकेज तैयार है, क्या आपका चुनाव कराना एक मजाक तो नहीं है क्योंकि आपके पास न कोई तंत्र है और न कोई मूलभूत आधार है, आपके पास न कोई अधिकारी है, न कोई मतदान अधिकारी और न कोई पीठासीन अधिकारी। कोई भी स्थानीय व्यक्ति इस काम से सहमत नहीं होंगे। आपके लोगों को बाहर लाना होगा जैसे कि हमने एक बार असम के मामले में किया है जहां लोगों को विमान द्वारा असम से बाहर से लाया गया था। फिर भी लोगों ने चुनावों का बहिष्कार किया था और इस समय भी यही स्थिति हो सकती है। आपको बताना चाहिये कि क्या तैयारी की जा रही है। और राज्यपाल के बारे में क्या आपने पुनः अपना विचार बदल दिया है? क्या आप नहीं समझते हैं कि यह राय जो एकमत से अनेक दलों के लोगों के द्वारा व्यक्त की जा रही है – मैं जानता हूं कि सत्तारूढ़ दल के भी अनेक लोग ऐसा महसूस करते हैं – महत्वपूर्ण है? राज्यपाल के प्रति मेरी कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है। किन्तु दिक्कत यह है कि वह इस कार्य के लिये उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं। क्या करना होगा? वह एक बहुत अच्छे सिपाही हो सकते हैं अथवा किसी समय में अच्छे सिपाही रहे होंगे, यह बात मुझे नहीं पता है। हम उनसे मिल के, उनके साथ लम्बी बात-चीत की है। किन्तु मुझे लगता है हम सब की राय है कि वह कश्मीर में वार्ता आरंम्भ करने का यह कोई तरीका नहीं हैं। उनके स्थान पर विभिन्न किस्म के विभिन्न दृष्टिकोण के व्यक्ति की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि सरकार इस मामले पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी और कुछ करेगी।

कृपया जम्मू और लद्दाख को स्वायत्तता देने की बात ही मत करते जायें । वे स्वायत्तता नहीं चाहते हैं। उन्होंने आजादी की मांग कब की? वे आजादी नहीं मांग रहे हैं। लद्दाख के मामले में आप उन्हें स्वायत्त परिषद जैसी कोई चीज देने को बाध्य हैं। ठीक है। जम्मू में लोग भारत के साथ रहने की बात करते हैं। वे न तो आजादी चाहते हैं, और न स्वायत्तता वस्तुतः वे घाटी के लोगों से एक प्रकार की स्वतंत्रता चाहते हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। वे सोचते हैं कि घाटी के लोगों को उनको देय हिस्से से हिस्सा मिल रहा है। उन्हें क्या मिल रहा है? उन्हें अभी तो केवल गोलियां ही मिल रही हैं। इसके अलावा क्या मिल रहा है किन्तु, कुछ भी हो, जब पूरे राज्य के अधिकांश व्यक्ति इस प्रकार की आजादी या स्वायत्तता के पक्ष में नहीं है तो सरकार को आगे कार्यवाही करनी चाहिये। मैं जम्मू और कश्मीर को तीन स्वतंत्र राज्यों में विभाजित करने अथवा उस जैसी कोई चीज देने के विरूद्ध नहीं हूं। कुछ लोग इसकी वकालत कर रहें हैं । मुझे नहीं पता कि श्री विन्सर इसकी वकालत कर रहे हैं अथवा नहीं। हो सकता है कि श्री विन्सर कोई चालबाज़ी कर रहे हों। वे कश्मीर को और अधिक भागों में विभाजित करना चाह सकते हैं जिससे शायद उन्हें बाहर से कुछ दखलंदाजी करने का अवसर मिल सके। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि हमें सावधान और सचेत रहना होगा। किन्तु इसका अर्थ यह तो नहीं कि आप उनको भी जबदस्ती स्वायत्तता देना चाहे जो स्वायत्तता नहीं चाहते। यदि राज्य का कोई खण्ड कोई क्षेत्र भारत के साथ रहना चाहता है तो इसका कोई कारण नहीं है कि आप उन्हें उत्साहित न करें और ऐसा करने का कोई रास्ता न निकालें।

किन्तु घाटी का मामला तो हमारे लिये सरदर्द बना हुआ है, आपको उसके लिय अन्य बातों के साथ-साथ स्वायत्तता को एक पैकेज की रूपरेखा तैयार करनी होगी और उसमें बिना चुनावों को सफलता नहीं मिल पायेगी। अतः मुझे आशा है कि आपके पास सम्पूर्ण मामले पर विचार करने तथा कोई नीति निर्धारित करने का पर्याप्त समय था। बात केवल इतनी है कि उसके लिये आप किसी को विश्वास में लेने से इन्कार करते हैं। चूंकि यह भारत की संसद है, अतः मेरे विचार से यह अच्छा अवसर है, यह उचित अवसर है जब यहां उपस्थित माननीय मंत्रीगण हमें बता सकते हैं कि वास्तव में उनके मन में क्या है, और एक वृहत पैकेज के साथ वे इस समस्या का समाधान किस प्रकार करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कहूंगा कि जम्मू और कश्मीर के बारे में सरकार के पास कोई नीति नहीं है किन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि उसमें लम्बे समय से चली आ रही इस समस्या के समाधान के लिए सामंजस्य और स्पष्ट दृष्टिकोण की कमी है। दुर्भाग्यवश, कुछ लोग इस समस्या को भारत बनाम पाकिस्तान या केरल आतंकवाद की समस्या मानते हैं। मूल रूप से यह जम्मू और कश्मीर की और कश्मीर घाटी की समस्या है। यह

कोई नई समस्या नहीं है। यह समस्या हमारे आजाद होने के समय से है। दुर्भागयवश आरम्भ से ही मैं कहूंगा कि हमारे देश के इस अत्याधिक संवेदनशील क्षेत्र के लिये, जिसे हिमालय की विस्मय लोक और धरती का स्वर्ग कहा जाता है, कोई समुचित दीर्घकालीन नीति नहीं रही है। बाद में कुछ ऐसी बातें हुई और कश्मीर घाटी के जन साधारण यह महसूस करने लगे कि उनके साथ भेद-भाव किया गया और उन्हें अपना मतदान करने के मूल भूत लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। चुनाव एक बार नहीं अनेकों बार टाले गये इसलिये उनकी यह भावना बढ़ती चली गयी। अन्ततोगत्वा एक ऐसा समय आया जब जनता को लोकतान्त्रिक प्रणाली, भारत सरकार के स्थिति से निपटने और आर्थिक स्थिति जो निरंतर गिरती जा रही थी, को सुधारने के बारे में कोई विश्वास न रहा। युवा पीढ़ी जो इस स्थिति में विकसित हुई, के साथ समझदारी के साथ व्यवहार नहीं किया गया। उनकी समस्याओं पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। मैं स्वयं वहां अने बार गया। मुझे वहां जाने तथा कश्मीर विश्व विद्यालय के युवकों को संबोधित करने का अवसर मिला। उस समय वहां के अधिकारियों और स्थानीय प्राधिकारियों ने यह कहकर मुझे वहां जाने से रोकना चाहा कि अधिकांश विद्यार्थी पाकिस्तान समर्थक हैं। श्री लोनी - जो अब उस तरफ हैं और हुर्रियाल के एक प्रमुख सदस्य हैं - ने स्वयं मुझे सलाह दी थी कि महोदय आपको वहां नहीं जाना चाहिये। किन्तु मैंने जोर दिया और वहां गया। मैंने लगभग एक घंटे तक उन्हें संबोधित किया। संबोधन के बाद मैंने प्रश्न पूछने को कहा किन्तु कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। मैंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ी है और जब मैंने प्रश्न पूछने पर जोर दिया तो उन्होंने मेरी टांग को दबाया मेरे कानों में बुदबुदाये कि उनमें से अधिकांश छात्र पाकिस्तान समर्थक हैं। और वे जेल में रह चुके हैं अतः प्रश्न पूछने पर जोर मत दीजिये। किन्तु मैंने फिर भी प्रश्न पूछने को कहा और यह देखा कि प्रत्युतर अत्याधिक सहयोगात्मक था और वे छात्र मेरे अतिथिगृह में आये और उन्होंने मुझे बताया कि जब कभी भी हम फीस बढ़ाये जाने अथवा बस का किराया बढ़ाये जाने के बारे में प्रश्न करते हैं या किसी प्रकार का आन्दोलन करते हैं जैसा कि विश्वविद्यालय के छात्र प्रायः किया करते हैं तब प्राधिकारी हमें पाकिस्तान समर्थक कहते हैं, और हमें जेल में ठूस देते हैं। मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं कि उनमें क्या भावना थी और उनके साथ न तो ढंग का व्यवहार किया जाता था और न उन्हें ढंग से समझा जाता था। वस्तुतः उनकी समस्याओं पर न तो गंभीरता से विचार किया जाता है और न उन पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार बातें बढ़ती रहीं। दुर्भाग्यवश व्यापक स्तर पर आतंकवादी गति-विधियां आरम्भ होने से पूर्व वहां भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे। प्रशासन के दुरूपयोग के गंभीर आरोप थे। अत्याचार के गंभीर आरोप थे। यह आरोप थे कि उनके उद्योगों को समुचित सहायता नहीं दी जाती है और उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तथा बेरोजगारी बढ़ रही है। महोदय, अब यह एक गंभीर समस्या बन चुकी है और इस बात को ध्यान मे रखते हुए कि हमारे देश का यह अति कठिन क्षेत्र है, हमें जम्मू और कश्मीर के संबंध में हमें एक दीर्घकालीन संगत नीति बनानी होगी। इसके चारों और हिमालय की घाटी की वादियां है। राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने के लिये उनके पास बहुत अधिक सुअवसर नहीं है। देश के विभिन्न भागों में आवागमन करने और जन समुदाय का अंश बनने का सुयोग उन्हें कम प्राप्त हैं। हाल ही में, कुछ कदम उठाये गये थे और जम्मू और कश्मीर के कुछ छात्रों को विभिन्न राज्य के विश्वविद्यालयों, कुछ मेडिकल कॉलेजों, कुछ इंजीनियरी कॉलेजों में प्रवेश दिया गया था और कुछ रोजगार भी आरक्षित किये गये थे। किन्तु इस काम में अब बहुत देर हो चुकी है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमें पाकिस्तान के उस जाल में नहीं फंसना चाहिये जो वे हमारे लिये बिछाना चाहते हैं। वह चाहता है कि इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाये। इस मामले को भारत बनाम पाकिस्तान का मामला माना जाना चाहिए। वास्तव में इसमें पाकिस्तान पुरी तरह शामिल है। इसलिये हम अपनी आंखे बंद करके यह नहीं कह सकते कि इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं है, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम पाकिस्तान की पूरी तरह उपेक्षा करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। वास्तव में यह आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान की शह पर चल रही है जो धन देकर, अस्त्र-शस्त्र देकर और अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के विरूद्ध आवाज इस मुद्दे पर उठाने के लिये हर संभव प्रयास कर रहा है। हम जनता को साथ में लेने तथा कोई तरीका निकालने की बात कर रहे हैं। प्रधान मंत्री महोदय, मुझे यह कहते हुए अत्याधिक दुःख है कि कभी-कभी विश्वसनीयता कितनी कम हो जाती है। जम्मू और कश्मीर पर चर्चा करते समय एक वर्ष पूर्व मैंने यह सुझाव दिया था कि वहां सर्वदल परामर्शदात्री समिति होनी चाहिये। गृहमंत्री ने मेरा सुझाव स्वीकार किया था। समिति का गठन भी किया गया किन्तु उसकी एक भी बैठक नहीं हुई। बाद में इस समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया और पुनः 3 जून, 1995 को जब गृह मंत्री बोल रहे थे तब मैंने यह छोटा सा स्पष्टीकरण मांगा था। मैंने कहा था :

"संभवतः, मैं आपको याद दिलाता हूं कि एक वर्ष पूर्व, इस सभा के समक्ष यह मांग की गई थी कि जम्मू और कश्मीर के संबंध में आप एक परामर्श दात्री समिति बनाये। आप उससे सहमत थे। समिति गठित की गई थी किन्तु उसकी एक भी बैठक नहीं हुई और समिति निष्प्रभावी हो गई। अतः क्या आप परामर्शदात्री समिति बनाने के इस प्रस्ताव पर पुनः विचार करेंगे।"

और गृह मंत्री ने यह उत्तर दिया था।

"महोदय, समिति गठित न किये जाने के लिये मैं दोषी महसूस करता हूं। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। हम निश्चित ही उसे पुनर्गठित करेंगे और इस मामले में उसकी सलाह लेने की चेष्टा करेंगें। मैंने तथा प्रधान मंत्री ने सार्वजनिक घोषणा की है कि हमारे संविधान के दायरे के अनुरूप जो भी सलाह देना चाहें, हम उसका स्वागत करेंगे।"

किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद है कि गृह मंत्री इस सभा में दिये गये अपने आश्वासन को पूरा करने में असफल रहे हैं। इसी तरह विश्वासनीयता समाप्त होती है। यदि इस संसद को, राजनैतिक दलों को, राष्ट्रीय दलों को विश्वास में नहीं लिया जाता है, तो जम्मू और

कश्मीर के लोगों के मन में यही भावना आयेगी कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर बहुत सी सार्वजनिक घोषणा करने के बावजूद आप स्वयं को इस स्थिति में पाते हैं कि आपको चुनाव को टालना पड़ा है और ऐसी स्थिति में आप केवल सुरक्षा बलों, सैनिकों नौकरशाही तंत्र के द्वारा शासन करना चाहते हैं। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक ही कहा है कि इस बार, कम से कम इस सभा को पक्का आश्वासन दिया गया था कि यह अंतमि संशोधन है और आप छः महीने के भीतर चुनाव करायेंगे। तीन महीने बीत चुके हैं, कृपया ऐसा मत कीजिये। यदि आप महसूस करते हैं कि परिस्थिति बहुत अनुकूल नहीं है और चुनाव कराना संभव नहीं है तो कृपया ऐसी घोषणा मत कीजिये। कृपया लोगों के साथ काम कीजिये, कोई उपयुक्त समय देखकर चुनाव कराइये। अन्ततोगत्वा हम बचनबद्ध हैं कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करेंगे और चुनाव करवायेंगे। लेकिन यदि लोग आपको ऐसा नहीं करने दे रहे हैं, परिस्थिति कठिन होती जा रही है और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी विश्वसनीयता कम हो रही है तो आप ऐसा मत कीजिये।

महोदय, मैं यह कहूंगा कि यह प्रश्न हिन्दू बनाम मुसलमान का नहीं है जैसा कि हमारे पाकिस्तानी मित्र कहने की चेष्टा करते हैं। हम भाग्यशाली हैं कि भारत में विश्व के सभी धर्मों के लोग रहते हैं जिन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं, जो पूर्ण सम्मान के साथ और स्वतंत्रता के साथ अपने धार्मिक दायित्व को पूरा करने और अपने धर्म पर विश्वास करने के लिये स्वतंत्र है। यह हमारे देश की महान विशेषता है। अतः जम्मू और कश्मीर के लिये आप जो भी नीति बनायें उसे जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिये व्यापक बनायें।

एक बात ने हमें बुरी तरह प्रभावित किया है और जिसका मेरा व्यक्तिगत अनुभव है वह यह है कि जब हमारे देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक दंगे हुए थे और हम उनपर ढंग से नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे तब अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकांश लोगों को कष्ट उठाना पड़ा था और बड़ी संख्या में लोग मारे गये थे, तो उसका भी प्रभाव जम्मू और कश्मीर के लोगो पर भी पड़ा था। मैंने देखा है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों का धर्म निरपेक्षता मुें दृढ़ विश्वास है। जब शेख अब्दुला का निधन हुआ था, और जब मैं भी शव यात्रा के साथ था तब पूरी घाटी में यही नारा गूंजता मैंने सुना था कि "हम धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते हैं। धर्म निरपेक्षता में विश्वास करने वाले हमारे नेता को निधन हो गया है।" हम धर्म निरपेक्षता के उनके महान दान को सहेज कर रखेंगे।

ये ऐसी बातें हुई है जिसका प्रभाव न केवल शहर या वहां के निवासियों पर पड़ा है अपितु देश के अनेक भागों पर पड़ा है। एक यह भी कारण है कि हमें भविष्य में प्रभावी कदम क्यों उठाना चाहिये। साम्प्रदायिक दंगे क्यों हो और लोगों को निर्दोष की तरह क्यों छोड़ दिया जाता है? आयोग बैठाये जाते है और लोग को सजा नहीं दी जाती है। साम्प्रदायिक दंगों में हत्या की आयोजना करने वाले तथा हत्या करने वालों को मृत्यु दण्ड देने की प्रावधान क्यों नहीं किया जाता है? यदि समय है जबकि हमें इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिये कि साम्प्रदायिक दंगों आयोजित करने वाले और उसमें भाग लेने वाले तथा साम्प्रदायिक दंगों में निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों को सजा दी जाये तथा उन्हें सजा देना हमारा कर्त्तव्य भी है। उन्हें मत्यु दण्ड दिया जाना चाहिए और इसके बाद ही हम साम्प्रदायिक दंगे समाप्त कर पायेंगे।

हाल ही में, भारत सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बार-बार यही कहा है कि हम पाकिस्तान से बात करने को तैयार हैं और यदि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पर भी बात करना चाहता है तो हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है।" उन्होंने यह भी अनेक बार कहा है कि बहकाये गये जो व्यक्ति उग्रवादी अथवा आतंकवादी बन गये हैं, यदि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें और भारतीय संविधान को स्वीकार कर लें तो वे आयें और बात-चीत करें।" लेकिन केवल समाचार पत्रों के माध्यम से अपील करना पर्याप्त नहीं है। गृह मंत्री और प्रधान मंत्री को कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिये जिससे कि उनमें विश्वास जाग्रत हो जायें और वे मेज पर वार्ता करने को तैयार हो जायें। ऐसी स्थिति स्वीकार्य होनी चाहिये। कश्मीर के बारे में मैने एक पाकिस्तानी लेख पढ़ा है। पाकिस्तान के राजदूत के आमंत्रण पर हुर्रियात के कुछ नेताओं और जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने जब दिल्ली आना चाहा तो उन्हें आने की अनुमति दी गई थी वे अपने राष्ट्रीय दिवस आयोजन में भाग लेना चाहते थे। उन्हें उस समय भी पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिलने की अनुमति दी गई थी, जब वह दिल्ली में उपस्थित थे। पाकिस्तान में इस बात की प्रशंसा की गई थी कि भारत सरकार यह एक अच्छा रवैया था कि उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिलने से नहीं रोका। यदि हम भारतीय नागरिक के रूप में पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के आयोजन में जा सकते है और भाग ले सकते हैं तो जिन्हें कश्मीर से आमन्त्रित किया गया है, उन्हें क्यों रोका जाये? यह एक अच्छा रवैया है। पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों द्वारा पाकिस्तान में इसकी सराहना की गई थी क्योंकि हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारा संदेश विभिन्न देशों तक भी पहुंचे।

मैं यह भी कहूंगा कि वार्ता आरम्भ करने का आज सही समय है क्योंकि अल-फरान आतंकवादियों ने उन चार-पांच विदेशियों का अपहरण करके जो कुछ किया उससे वे पूरे विश्व में नंगा हो गये हैं। वे मौन हैं? वे हाल ही में सामने आये हैं। किसी को भी नहीं पता कि अल-फरान क्या है अब यह भली-भांति विदित हो गया है और यह सिद्ध हो गया है कि पाकिस्तान उनकी सहायता करता है और उन्हें बरगलाता है और उन्होंने ही यह कार्य किया है और इसीलिये आज उनकी असलियत खुल चुकी है। मेरे विचार से सही समय पर अन्तर्राष्ट्रीय नजरों में पाकिस्तान की असलियत खुल गयी है। अन्य चर्चा के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर पर खुले चर्चा करने की भारत की नीति, हाल ही में हुए अध्यक्ष सम्मेलन सहित दक्षिण एशिया में अनेक सम्मेलन आयोजित करने के लिये भारत के प्रयास, जिसे सौभाग्य से पाकिस्तान के अध्यक्ष ने भाग लिया और जिसमें पाकिस्तान का शिष्टमंडल आया था और भाग लिया था, इन सब बातों का एक अच्छा प्रभाव पड़ा है। उन्हें स्वयं ही पता चल गया कि इस मामले में हमारा दृष्टिकोण कितना स्पष्ट है।

मेरे विचार से आप कोई न कोई ऐसी तरकीब निकालें कि वे बात-चीत करने के लिये तैयारे हो जायें। हुर्रियात भी अपना आधार बढ़ा रहा है। इसमें अधिक लोग शमिल होते जा रहे हैं। जो पहले इसके विरूद्ध थे, अब इसमें शामिल होते जा रहे हैं और ऐसी सलाह दे रहे हैं कि शायद किसी उचित समय यदि वार्ता के लिये आमन्त्रित किया जाता है तो हम इंकार न कर दें। मुझे ऐसा बताया गया है इसके बारे में हुर्रियात के लोगों के बीच गंभीर चर्चा हो रही है। और यदि समुचित अवसर आता है तो इस चर्चा से विमुख नहीं होना चाहिये। अतः मैं इस बात पर जोर देता हूं कि हमें किसी जरिए का पता लगाने की चेष्टा करनी चाहिये। हमें नेशनल कांफ्रेस को भी पूर्णतः विश्वास में लेना चाहिये। नेशनल कांफ्रेंस एक प्रमुख राजनैतिक दल रहा है। यह स्व. शेख अब्दुल्ला का दल रहा है। इस दल का वहां बहुमत रहा है। हो सकता है कि आज उनका उतना अधिक बहुमत न हो। किन्तु यही वह दल है जो भारत के साथ रहा है। घाटी में श्री शेख अब्दुल्ला के साथ सीमा क्षेत्र में कई सभाओं में मैंने भाषण दिया है। जिसमें वह एक अत्यधिक देशभक्ति के साथ जनता को कहा करते थे, "आप सीमा के पार देख रहे हैं। क्या आज यह नहीं कह रहे हैं कि आप उस ओर की सेना के जूतों तले पिसना चाहते हैं? क्या यह एक धार्मिक मसला है? पाकिस्तान और बंगलादेश दो देशों में विभक्त हो गये। किन्तु आप पाकिस्तान की ओर क्यों देख रहे हैं? आपको यहां लड़ने के लिये, अपनी आवाज उठाने के लिये और भारत का एक अच्छा नागारिक होने का पूरा अधिकार है।" अतः हमें ऐसे मित्रों का परित्याग नहीं करना चाहिये। वे सदा हमारे साथ रहे हैं। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि वे भी अपनी राजनैतिक गतिविधियों में सक्रिय भाग लें।

हमें प्रशासन में सुधार करना होगा। मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। इससे पहले भी यह मांग की गई थी और इस बार भी राज्य-पाल को बदलने की मांग की गई है। इसका निर्णय आपको लेना है कि आप उसे रखना चाहते हैं अथवा बदलना चाहते हैं। किन्तु जम्मू और कश्मीर के स्थानीय प्रशासन में परिवर्तन करना आवश्यक है। हमारे गुप्तचर और सुरक्षा बलों के संयुक्त कमान, जो वास्तव में वहां है ही नहीं, के बारे में संदेह है। कभी-कभी वहां स्पष्ट मतभेद भी हो जाता है। आपको इस पर अधिक ध्यान देना चाहिये कि वास्तव में वे सजातीय संयुक्त सुरक्षा कमान बनें। मतभेद प्रकट नहीं होने चाहिये क्योंकि इससे हमें बहुत नुकसान होता है।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ सुझाव दिये गये हैं। यह आपके ऊपर है कि आप उन पर विचार करें। श्री नगर को एक शुष्क पत्तन बनाया जाये। हमारे देश में कुछ शुष्क पत्तन है। श्री नगर भी एक शुष्क पत्तंन बनाया जाये जहां से लोग चीजें आयात-निर्यात कर सकें। उन्हें मुम्बई और कलकत्ता आने की आवश्कता न पड़े। श्री नगर में ही उन्हें ये सारी सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कृपया आप शिक्षा प्रणाली पर अधिक ध्यान दें। आज हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि जम्मू और कश्मीर में युवा लड़के और लड़कियों को उपयुक्त आधुनिक शिक्षा प्राप्त हो। अन्यथा ऐसी स्थिति में अनेक कट्टरपंथी आयेंगे और हस्तक्षेप करेंगे तथा लोगों के मन में जहर भर देंगे। अनेक भावनात्मक मुद्दे उठाये जाते हैं। अतः अन्य बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिये। मैं आपसे इस बात पर भी विचार करने का अनुरोध करूंगा कि क्या यह संभव है कि ये शरणार्थी, पंडित शरणार्थी अथवा हिन्दू शरणार्थी जो घाटी छोड़कर जम्मू या देश में विभिन्न भागों में आ बसे हैं, उन्हें फिर से उनके अपने-अपने स्थानों पर भेजा जा सकता है।

5.45 म.प.

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

क्या यह सम्भव है कि सुरक्षा की पूरी गांरटी के साथ उन्हें अपने-अपने स्थानों पर लौटाया जा सकता है और उनके पुनर्वास, उनकी आजिविका के लिये कदम उठाये जा सकते हैं जो इस दुर्भाग्यपूर्ण, स्थिति के कारण नष्ट हो चुके हैं। इसलिये हम इस बारे में विचार करें कि यदि हम पूर्ण सुरक्षा और समुचित सहायता के साथ उन्हें वापस भेज सके तो इससे हमारी विश्वसनीयता बढ़ेगी।

मैं प्रधान मंत्री जी से भी यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यह नीति संबंधी विषय है- कि मैं नहीं चाहता कि किसी विशेष राज्य को पृथक रूप से स्वायत्तता की प्रदान की जाये अपितु मैं तो यह अनुरोध करना चाहूंगा कि यही उपयुक्त समय है जबकि हमें सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। अनेक अन्य राज्य जो राज्यों को अधिक अधिकार देने की मांग करते हुए केन्द्र राज्य संबंध को पुनः परिभाषित करने की मांग कर रहे हैं हमें इसी संदर्भ में जम्मू और कश्मीर समस्या का विचार करना चाहिये। निसंदेह जम्मू और कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 में व्यवस्था है। यह एक विशेष अनुच्छेद है और इसे यथावत रखा जाये। इस समय इस मुद्दे को उठाने की आवश्यकता नहीं है। इस मुद्दे को उठाने का अर्थ होगा कि लोगों के मन में पुनः शंका होगी विशेष कर उस स्थिति में जबकि हम उनके साथ अधिक सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने की चेष्टा कर रहे हैं।

महोदय, मेरे विचार से इन सभी सुझावों पर विचार करने के लिये मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे जम्मू और कश्मीर परामर्शदात्री समिति का पुनः गठन करें, जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया था किन्तु यह उसका गठन न कर सके अतः वह इसका पुनर्गठन करें। यह समिति लोगों से परामर्श लेगी और उन्हें चाहिये कि वह यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक कदम उठाये जायें। प्रधान मंत्री ने ठीक ही कुछ हमारे मंत्रियों को कुछ आर्थिक सहायता के साथ कुछ विशेष सहायता देने के लिये जम्मू और कश्मीर भेजा है। पैकेज अथवा जो भी हो देने के लिये जम्मू और कश्मीर भेजा है उसे कारगर ढंग से लागू किया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे आशा है कि हम आपने संविधान के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर के लोगों को पूर्णतः संतुष्ट रख सकेंगे और वे हमारे देश की मुख्य धारा में खुशी से शामिल हो जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास बोलने वाले माननीय सदस्यों का एक लम्बी सूची है और यह निर्णय लिया गया था कि हमें आज ही इस

बजट को पारित करना चाहिये क्योंकि कल परसों और शेष अवधि के लिये अनेक अन्य कार्य हैं। क्या मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूं कि माननीय सदस्य बहुत ही संक्षेप में बोलें और किसी भी मुद्दे को न दोहरायें। मेरे पास बोलने वाले लगभग नौ सदस्य हैं। माननीय मंत्री को उत्तर देना है और बजट को पारित भी करना है। अतः कृपया सहयोग दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, कोयला मंत्री उपस्थित हैं। मैं यह जानना चाहती हूं कि वह वक्तव्य कब देंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने वक्तव्य की प्रति मुझे भेज दी है। मैंने उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दे दी है। किन्तु हमें इसे पूरा करने दें।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : किन्तु मैं समय जानना चाहता हूं जिससे कि मैं उस समय यहां उपस्थित रहूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको समय नहीं बता सकता क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि माननीय सदस्य कितना समय लेते हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : महोदय, मैं तैयार हूं। यह बहुत ही छोटा वक्तव्य है। यदि महोदय, आप मुझे अनुमति दें तो मैं उसके लिए तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको पता है कि इससे सब कार्य का क्रम बदल जायेगा।

(व्यवधान)

श्री अजित पांजा : आपको जिस तरह सुविधा हो, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बाद में वक्तव्य दें। यदि आप बुरा न मानें तो आप बाहर जा सकते हैं और कुछ देर बाद आयें।

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : अध्यक्ष महोदय, हमारे राष्ट्र की उत्पत्ति के समय से ही कश्मीर एक समस्या रहा है किन्तु कश्मीर की समस्या में 1947 की तुलना में 1994 की समस्या में मौलिक अन्तर है। हमें यह स्मरण करते हुए गर्व होता है कि कश्मीर की जनता, जो अधिकांश मुसलमान है, ने कभी भी पाकिस्तान में जाने की इच्छा या इरादा व्यक्त नहीं किया। उन्होंने यही घोषणा की कि वे भारत के साथ रहेंगे। कश्मीर के यही मुसलमान हमारे साथ रहे और आज जब हम गुमराह युवकों, आतंकवादियों और इनसे संबंधित बातों की चर्चा कर रहे हैं, तो इस स्थिति के लिये कौन उत्तरदायी है। कश्मीर के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से पूर्ण इरादा और इच्छा प्रकट किये जाने के बावजूद हम उन्हें पृथक करने की चेष्टा कर रहे हैं।

जो तथ्य हैं वे सरकार के स्थिति में सुधार होने के दावे के सर्वथा विपरीत हैं। जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में 1989 से बम विस्फोट की घटनायें आये दिन होती रही हैं। सबसे अधिक नुकसान सुरक्षा बलों को हुआ है और 1994 में मृतकों की संख्या सर्वाधिक थी। हजरतबल संकट के समय में उग्रवादियों को जो अमूल्य रियायतें दी गई उससे प्रोत्साहित होकर उग्रवादियों ने उसका दुरूपयोग चरार-ए-शरीफ में किया।

चरार-ए-शरीफ की घटना से कश्मीर समस्या की जटिलता और बढ़ गई है। इससे नीति आयोजन की अदूरदर्शिता को पुनः प्रकट किया है। महत्वपूर्ण यह है कि कम से कम कश्मीर के लोगों को यह जानना चाहिये कि हिंसा से कोई समाधान नहीं होता, हिंसा से हिंसा ही भड़कती है। इससे विश्व में किसी समस्या का समाधान कभी नहीं हुआ। अन्ततोगत्वा मामले का समाधान वार्ता द्वारा ही होता है।

उग्रवादियों द्वारा जिस तरह नार्वे के एक पर्यटक को बंदी बनाया गया और जिस बर्बरता और क्रूरता से उसकी हत्या की गई, उससे एक शोक की लहर व्याप्त हो गई है विशेषकर इसलिये कि जब तक यह घटना नहीं घटी थी तब तक निरंतर यह आशा बनी हुई थी कि विदेशी बंधकों को मुक्त कर दिया जायेगा। यह सच है कि सरकार असमंजस की स्थिति में थी किन्तु इससे जो कठोर सबक मिला है उससे अब यह समझ लेना चाहिये कि नम्र बने रहने से कोई समाधान नहीं होने वाला है और उसे उग्रवादियों के विरूद्ध अत्यधिक कठोर और उग्र-कार्यवाही करने के लिये तैयार रहना चाहिये जिससे कि उन्हें निर्दोष व्यक्तियों की हिंसा और हत्या करने से रोका जा सके। सभी विदेशियों को बंधक बनाये जाने की घटना के बाद से सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि बंधकों के जीवन को कोई खतरा न हो।

मुद्दा यह है कि यह सच है कि पाकिस्तान कश्मीरी आतंकवादियों को न केवल समर्थन दे रहा है बल्कि नैतिक समर्थन, सैनिक और युद्ध सामग्री भी दे रहा है। इसके पर्याप्त प्रमाण है कि पाकिस्तान कश्मीर की स्थिति का अन्तर्राष्ट्रीय करण करने में सफल रहा है और उसे विश्व के विविध स्थानों से समर्थन मिलता रहा है।

सैनिकों की सक्रिय सहायता के साथ राज्यपाल शासन के कारण, बड़े पैमाने पर लोग प्रशासन से अलग-थलग रहे और इस स्थिति को रोका जा सकता था यदि आरम्भ से ही राजनैतिक प्रक्रिया संचालित की गई होती। इसका उत्तर अधिकांश रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार किस हद तक आतंकवाद को समाप्त कर पाई है।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं यह कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान जहां कहीं भी जाता है यह कहता है कि कश्मीर एक विवादास्पद क्षेत्र है, तो ऐसी स्थिति में हमें विनम्र नहीं बने रहना चाहिये बल्कि हमें अपने राजनयिक साधनों और अन्तवर्ती एजेन्सियों का इस्तेमाल करते हुए इस कुप्रचार के विरूद्ध लड़ना चाहिये जिससे कि कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान द्वारा कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा करने की जो घृणित साजिश की जा रही है उसे नाकामयाब किया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

श्री अर्जुन सिंह जी, क्या आप बोलना चाहेंगे?

श्री अर्जुन सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया जिसका संबंध न केवल इस देश के एक भाग से

प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है बल्कि मेरे विचार से इसका संबंध इस राष्ट्र की स्वाभाविक विशिष्टता और इस देश की भावी राजनैतिक स्थिति से पूरी तरह सम्बद्ध है।

कश्मीर, जैसा कि सभी को पता है, एक ऐसी कड़ी परीक्षा का स्थान रहा है जहां स्वतन्त्रता के बाद भारतीय राष्ट्र के वास्तविक स्वरूप को बाध्यकारी बनाया गया। कश्मीर ऐसा स्थान है जहां 'दो राष्ट्र के सिद्धांत, की जिससे दुर्भाग्यवश देश का विभाजन हुआ था के हानिकारक सिद्धांत को दफन किया गया था। जैसा कि मेरे साथी श्री यादव ने कहा है, वास्तव में कश्मीर ने हमें यह दर्शाया है कि साम्प्रदायिकता के तनाव से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं जो इस देश की राजनीति में प्रवेश कर गया है। देश का यह भाग अनेक बार उतार-चढ़ाव की स्थिति से गुजरा है। आज जो भी हो रहा है उससे वे सभी विवश हैं किन्तु दुःखी हैं जो यह चाहते हैं कि भारत एक महान देश बने, भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश बने और इससे भी बढ़कर जो यह चाहते हैं कि भारत लोकतांत्रिक प्रणाली का एक आदर्श बने, जिसे हमने, भारत की जनता ने अपनाया और अपने लिये एक संविधान की रचना की। कश्मीर में आज जो अनेक प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, वह न केवल सरकार बल्कि इस देश के नागरिकों के लिये भी गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं। देश के एक भाग में जो घटना घटती है उसकी प्रतिक्रिया सामान्य रूप से दूसरे भाग में जो होती वैसी स्थिति भारत या भारत के अन्य भागों और कश्मीर के बीच विद्यमान नहीं है। ऐसी स्थिति होने का अत्यधिक दुःखद कारण अनुकूल अवसर का न होना, जानबूझकर की गई गलतियां और यहां तक कि सुगमता से टाली जा सकने वाली कभी कभी की गई गलत परिगणना हैं।

माननीय सदस्य जो कुछ इस सभा में कह चुके हैं, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं और उससे स्थिति बहुत ही व्यापक रूप से स्पष्ट हो चुकी है। उन मुद्दों को दोहराने का अर्थ है इस सभा के बहुत ही मूल्यवान समय को नष्ट करना। मैं दो या तीन मुद्दे लेना चाहूंगा। किन्तु उन्हें कहने से पूर्व मैं यहां उपस्थित सभी के साथ नोर्वे के उस पर्यटक की क्रूर हत्या पर अपनी गहरी सम्वेदना व्यक्त करता हूं जो भारत भ्रमण पर आया था और कश्मीर की उस भूमि को देखने गया था जो अपने सौन्दर्य और आतिथ्य सत्कार के लिये सुप्रसिद्ध है। हम लोग उन अन्य बंधकों के लिये उसी प्रकार दुखी और चिंतित हैं जिन्हें अभी तक छोड़ा नहीं गया है।

'कश्मीर से संबंधित नीति' का प्रश्न उठाया गया था। इसके बारे में अन्य सदस्यों के समान मैं भी अनभिज्ञ हूं। श्री यादव ने समनुगत नीति के बारे में कहा है। केवल समनुगत और सुविचरित नीति ही अभिव्यक्त की जा सकती है। अन्यथा आप यदा-कदा केवल यही बातें ही कर सकते हैं; जो किसी दिन कुछ घटित जो जाये, जिसके बारे में कुछ टिप्पणियां की जायें, कुछ प्रतिक्रियायें हों ओर तदन्तर, समय के अन्तराल में हमारे दावे भी धूमिल हो जायेंगे। दुर्भाग्यवश हाल ही में जो हो रहा है वही होता रहा है। यह कुछ ऐसी घटना हुई है जिससे हम दुःखी हो गये हैं। किन्तु फिर भी मैं यह महसूस करता हूं कि इस उदासी से हमें निराश नहीं होना चाहिये। कश्मीर की छवि जो धुमिल नहीं हुई है, उसमें भी आज कुछ कुछ आशा की उज्जवल किरण झलक रही है। चूंकि यह पहलू उजागर नहीं है, इसलिये हम इस छवि को देख नहीं पा रहे हैं।

कश्मीर और इस देश के शेष भागों के बीच संचार की जो कड़ी है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। कश्मीर में उन सभी उपभोग्य वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता जिनका वहां उपयोग होता है। वे कहां से आती हैं? वे न तो पाकिस्तान से आती है और न विदेशों से आयात की जाती हैं। वे भारत से ही आती है। जिसे माध्यम से सभी वस्तुयें देश के अन्य भागों में पहुंच रही हैं, उसी माध्यम से वे कश्मीर के लोगों के पास भी पहुंच रही हैं। मैं चाहूंगा कि इसी माध्यम को और अधिक सुदृढ़ और पूर्ण किया जाये और यदि उनके पास किसी चीज की कमी है तो उसे बुद्धिमत्ता से निश्चित रूप से दूर किया जाये।

दूसरा मुद्दा ढांचे के बारे में है– इस ढांचे के अन्तर्गत क्या अधिक स्वायत्तता देने या इसी प्रकार की कोई बात है, वह विचारणीय है।

6.00 म.प.

जहां तक हमारे संविधान के ढांचे के अन्तर्गत इसका संबंध है, मेरे विचार से हम इस प्रकार की चर्चा करने के वास्तविक अधिकारी नहीं है। इस प्रकार की चर्चा और निर्णय जम्मू और कश्मीर के लोगों की तरफ से लिया जाना चाहिये। हम उनके बारे में न तो सोच सकते हैं और न कोई सुझाव दे सकते हैं। वह वार्ता, जो लोकतंत्र के किसी कार्यकरण की बहुत ही प्रमुख भूमिका है, जो भी हो-मैं इसे आसाध्य तो नहीं किन्तु गंभीरता पूर्वक अशांत कहूंगा वह वार्ता अवश्य ही आरम्भ की जानी चाहिये।

मैं विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करता हूं। किन्तु एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मैं भी यही महसूस करता हूं कि कश्मीर से हमारे देशवासियों के मन में यह धारणा व्याप्त है कि दिल्ली में हमारे प्राधिकारी एवं प्रतिनिधि केवल बंदूक के माध्यम से वार्ता कर सकते हैं। बंदूक की आवश्यकता किसी देश के मौलिक हित की रक्षा लिये होती है। बंदूकों की आवश्यकता तब होती है जब देश की स्वतंत्रता और अखंडता को खतरा हो। किन्तु बंदूकें किसी देश की जनता के बीच संचार का माध्यम कदापि नहीं बन सकती।

यदि ऐसा होता है तो ऐसी अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें घटेंगी जो दशकों तक मस्तिष्क में कौंधती रहेगी आज जो कोई जम्मू और कश्मीर जाता है और यदि वह अपने नेत्र और कर्ण खुला रखता है, तो उनके मन में यही छाप पड़ेगी कि प्रशासन संचालन करने वाले उत्तरदायी व्यक्तियों और जनता के बीच संचार का पूर्णतः अभाव है। ऐसा कैसे हुआ? मुझे विश्वास है कि भारत का कोई भी प्राधिकारी मेरे इस विचार से असहमत नहीं होगा। जो मैंने अभी अभी अभिव्यक्त किया है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी (गढ़वाल) : महोदय, समय बढ़ाया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, हम सब इस बात पर सहमत हुए थे कि हम यहां बैठेंगे और इस कार्य को पूरा करेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आज ही?

अध्यक्ष महोदय : अन्यथा, सारा कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो जायेगा।

श्री अर्जुन सिंह : किन्तु तथ्य यह है कि वहां ऐसा हो रहा है। मैं संक्षेप मे यह जानना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर में इस चुप्पी को तोड़ने के लिये क्या कार्यवाही की गई है। इस स्थिति को पैदा करने के लिये उत्तरदायी चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे वह राज्यपाल हो अथवा सचिव या कोई अन्य व्यक्ति, क्या उसे उत्तरदायी ठहराया गया है। और यदि कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है और कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, तो हम कहां जाये और क्या करें?

मैं राज्यपाल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। पिछली बार भी मैंने कहा था कि मैं उन्हें जानता हूं कि वह एक सत्य निष्ट व्यक्ति एक अच्छे सिपाही रहे हैं। किन्तु स्वाभाविक रूप से जब किसी को एक नागरिक के रूप में और एक सिपाही होने के नाते उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र में सेना की कमान संभालनी पड़ती है तो ऐसी स्थिति में चाहे भूतपूर्व मुख्य सेना कमान्डर ही क्यों न हो, उसके बारे में विरोधाभास तो होना स्वाभाविक ही है। वे परम्परावादी हैं। क्या हम उनकी ओर ध्यान देने में असमर्थ हैं? क्या हम उन्हें पहचानने में असमर्थ हैं? इस मौलिक विरोधाभास के कारण ही प्रशासन में अधिक समस्यायें उत्पन्न हुई हैं। बिना किसी पूर्वाग्रह के किसी व्यक्ति के प्रति बिना किसी द्वेष के जितनी जल्दी हम उस राज्य के प्रशासन की ओर ध्यान देंगे, उतनी ही जल्दी स्थिति में सुधार होगा।

मेरे अन्य मित्रों ने अन्य मुद्दे भी उठाये हैं किन्तु मैं इस पर जोर देना चाहूंगा कि जम्मू और कश्मीर में प्रशासन की सत्यनिष्ठा नष्ट हुई है उसके भी गम्भीर और गहन कारण हैं। आप चाहे जहां जा सकते हैं। सड़कों पर करोड़ों रुपये व्यय किये जा चुके हैं किन्तु वहां सड़क है ही नहीं। इस सभा में हमारे माननीय राज्य मंत्री ने कुछ धन मांगा है जिसके लिये हरएक ने यही कहा है कि बिना किसी आना कानी के वह दे दिया जायेगा। क्या कोई भी व्यक्ति यह बता सकता है कि उस धनराशि में से अनुमानतः कितनी राशि उग्रवादियों और प्रशासन में भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जायेगी? मैं अनुमान लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहता हूं क्योंकि हमारे आपके अनुमान में जमीन आसमान का अंतर होगा। किसी भी प्रशासन की ये मूल बातें हैं और यदि ऐसे उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र में इन मौलिक बातों की उपेक्षा की जाती है और उन्हें ध्यान में नहीं रखा जाता है, जहां अन्य देश की पूरी पैठ है और वह उस क्षेत्र की सामान्य कार्यकलापों को अव्यवस्थित करने का हर संभव प्रयास कर रहा है, तो इससे देश को खतरा ही होगा।

अंत में, मैं नीति के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जो मुझे आशा है कि कभी-कभी बहुत ही गंभीर विमर्श ओर चिंतन अथवा आकस्मिक रूप से बनती है। किन्तु उसके संबंध में कुछ ऐसी बातें हैं जिनपर ध्यान देना आवश्यक है। जैसा कि श्री वाजपेयी ने अपने भाषण में कहा है कि जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में जम्मू के लोगों और घाटी के लोगों के बीच दरार बढ़ रही है जिससे बढ़ते रहना हितकर नहीं है। अभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है कि उसे सुधारा नहीं जा सकता है किन्तु यदि उसकी उपेक्षा की जाती रही तो मेरे विचार से यह समस्या अत्यधिक गंभीर हो जायेगी और इससे जम्मू और कश्मीर की समस्या कई गुणा बिगड़ जायेगी। इसका प्रयोग लद्दाख में स्वायत्तता प्राप्त एकक के साथ हो चुका है। संविधान के अन्तर्गत राज्य में एक सुदृढ़ एकक के रूप में समानता वित्तीय प्रशासन और विकास शक्तियों के साथ हर क्षेत्र के लिये स्वायत्त परिषदों की प्रतिष्ठापना की वांछनीयता और अवांछनीयता के बारे में संभवतः विचार किया जा सकता है, अन्ततोगत्वा उसका परिणाम जो भी हो। मैं संविधान के संबंध में नहीं कहना चाहता हूं किन्तु यह एक विचार है जिसकी चर्चा अनेक लोगो ने की है। यदि इस पहलू पर यदि सभा चाहे तो विचार कर सकती है और सरकार प्रयास कर सकती है।

हाल ही में, इस देश में दूसरे शक्तिशाली मित्र देशों और उनके प्रतिनिधियों से उपचारात्मक सुझाव प्राप्त हुए हैं। हमने विश्व के राष्ट्रों के साथ प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये हैं। किन्तु हमें ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे वे उपचार निदेश बन जायें। यदि यह दृष्टिकोण अपनाया गया तो मेरे विचार से इससे हमारी प्रतिष्ठा नहीं घटेगी अपितु अन्ततोगत्वा हमारे लिये बहुत पहले बंद हो चुके वे मार्ग खुल जायेंगे जो इस देश के महान नेताओं ने दृढ़तापूर्वक एंव दूरदर्शिता के साथ निर्धारित किय थे। मुझे आशा है कि आज की इस चर्चा से हम मुद्दों पर जो यहां उठाये गये है, गंभीरतापूर्वक विचार कर सकेंगे और एक ऐसी कार्य प्रणाली और एक ऐसी नीति निर्धारित कर सकेंगे जो एक समनुगत नीति का पूर्ण हिस्सा होगा। हम सभी का आशा है कि भारत का वह अशांत क्षेत्र देश के लोकतांत्रिक ढांचे में सम्मिलित हो जायेगा, स्पष्ट रूप से उन परिस्थितियों के अन्तर्गत जो लोकतंत्र को बहाल करने के पक्ष में हैं, न कि ऐसे लोकतंत्र जिस पर संगीन की परछाई है।

श्री चित्तबसु (बारसांट) : अध्यक्ष महोदय, कश्मीर समस्या एक निरंतर बनी हुई समस्या है। समय बीतने के साथ-साथ इसकी उलझनें कई गुनी बढ़ गई हैं और इसका प्रभाव हमारे देश की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता पर पड़ा है। इसीलिये इस सम्माननीय सभा ने पहले भी और आज भी कश्मीर समस्या का वास्तव में एक राजनैतिक हल निकालने के लिये सभी पहलुओं से विचार किया है। समस्या का राजनैतिक हल निकालने के लिये हमें इस समस्या के मूल कारणों की पहचान करनी होगी।

महोदय, अत्यधिक संक्षेप में, मैं इस समस्या के कुछ मूल संघटकों के पहलुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। इसका एक मूल संघटक कश्मीरी लोगों का अलगाव है। पाकिस्तान द्वारा छद्म युद्ध और पाकिस्तान द्वारा इस मामले का अन्तर्राष्ट्रीय करण द्वारा किये जाने के उत्तर में सरकार की निष्क्रियता रही है।

लोगों के अलगाववादी होने की समस्या का मूल कारण सरकार की उदासीनता रही है। हम चाहते हैं कि हम अनुच्छेद 370, जिसे देश के संविधान में बड़ी दूरदर्शिता से रखा गया था, उसकी भावना में योजनाबद्ध तरीके से जो गिरावट आई है उसके क्या कारण हैं, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

महोदय यदि हम स्थिति में आई गिरावट के मूल संघटक को वास्तव में समझ सकते हैं तो उसका राजनैतिक समाधान केवल बात-चीत के माध्यम से, कश्मीर के लोगों के हृदय को जीतने के द्वारा ही संभव है।

महोदय, मैं मानता हूं कि सरकार का इरादा कश्मीर को जीतने का नहीं है किन्तु हम कश्मीरियों का दिल जीतना चाहते हैं। इस संदर्भ में मैं प्रधान मंत्री द्वारा गत सत्र में दिये गये भाषण की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा था कि सरकार किसी प्रकार की आजादी के अलावा सभी विषयों पर बात-चीत करने के लिये तैयार है। स्वायत्तता के मामले से इसका कोई संबंध प्रतीत नहीं होता। किन्तु मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस आजादी के बिना स्वायत्तता से उनका वास्तव में क्या तात्पर्य है यही उपयुक्त समय है जबकि हम इसके बारे में जान लें और कश्मीर के लोग भी समझ लें कि विशेषकर प्रधान मंत्री का मंतव्य क्या है?

महोदय, सरकार ने इस बात का भी संकेत दिया था कि वह आर्थिक पैकेज और राजनैतिक पैकेज के बारे में विचार कर रही है। इसके बारे में यहां तथा कश्मीर दोनों स्थानों पर बहुत अधिक लोगों की राय है कि ये राजनैतिक और आर्थिक पैकेज चुनावों के पूर्व ही घोषित कर दिए जाए। स्वाभाविक रूप से वहां चुनाव कराने के लिये, जो कि सरकार का उद्देश्य भी है, उपयुक्त स्थितियां तैयार हो सकेंगी। मैं जानना चाहता हूं कि आर्थिक और राजनैतिक पैकेज के बारे में वास्तव में क्या किया जा रहा है।

महोदय, इसका समाधान केवल वार्ता ही है और सरकार की ओर से यह आश्वासन है कि वार्ता की संभावना से सरकार की ओर से कोई रूकावट नहीं है। इस मामले में कश्मीर में कुछ परिवर्तन आये हैं। अनेक उग्रवादी, विशेष रूप से मैं यासीन मलिक और शाबिर शाह का उल्लेख करना चाहता हूं, जो उग्रवाद और हिंसा के कट्टर समर्थक थे, अब सरकार की घोषणा के बाद उन्होंने खुले आम घोषणा की है कि वे बातचीत के द्वारा कुछ समाधान चाहते हैं। वे कहते हैं कि 'धर्म को राजनीति से अलग करना होगा।' उन्होंने अलगाववाद का विचार छोड़ दिया है। क्या हमें इसका लाभ नहीं उठाना चाहिये? क्या हमें इस अवसर का उपयोग नहीं करना चाहिये? सरकार को उनके साथ बातचीत के लिये किसी तंत्र का पता लगाना चाहिये।

महोदय, मुझे समय सीमा का पता है। जहां तक कश्मीरी लोगों की आर्थिक स्थिति का संबंध है, मेरे विचार से उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया है। आज भी जो उत्पादन वे करते हैं, विशेष कर फल, जो उस राज्य के अधिकांश व्यक्तियों के जीवन-यापन का एक मात्र साधन है, वे भी भारतीय बाजार में समुचित ढंग से और आसानी से नहीं आने दिया जाता है। जब तक हम उनके जीवन-यापन के लिये धन कमाने में उनकी कुछ आर्थिक सहायता नहीं देंगे तब तक, मेरे विचार से आतंकवाद के पनपने की पृष्ठभूमि बनी रहेगी।

महोदय, कश्मीर घाटी के एक भाग में बाढ़ आई है। मुझे बताया गया है कि बाढ़ पीड़ितों को समुचित आर्थिक सहायता और पुनर्वास राहत नहीं दी गई है। इसके बारे में भी घोषणा की जानी चाहिये। प्रशासन का पुनर्गठन किये जाने का भी आवश्यकता है। यदि ये सब स्थितियां एक साथ सृजित की जायें तो वहां स्वच्छ और सही चुनाव कराने के लिये अनुकूल स्थिति बन सकती है, जो हमारे देश के उस उत्पीड़ित भाग में सामान्य स्थिति लाने का साधन बन सकती है।

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : अध्यक्ष महोदय, यह खेद का विषय है कि हम आज पुनः इस सभा में इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं जबकि जम्मू और कश्मीर की पूरक अनुदान पर पिछली बार चर्चा करते हुए हमें आशा थी कि वह अंतिम चर्चा होगी क्योंकि हमने आशा की थी अब तक वहां एक निर्वाचित विधान सभा मिलेगी और वह स्वयं उस पर चर्चा करेगी जिसे हमने इस समय चर्चा के लिये लिया है।

चुनाव कराने संबंधी प्रक्रिया जहां चल रही थी, चरार-ए-शरीफ को जलाए जाने की दुर्घटना के बाद से दुर्भाग्यवश वह प्रक्रिया चरमरा गई और उसके परिणाम स्वरूप हमारे पास उसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा कि जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय प्रशासन तब तक चलने दिया जाये, जब तक कि कश्मीर समस्या के हल का कोई लोकतांत्रिक, राजनैतिक और धर्मनिरपेक्ष समाधान नहीं निकल आता।

महोदय, ऐसा समाधान पाने के लिये हम गत चार से भी अधिक वर्षों से एक नीति का पालन करते आ रहे हैं। मैं अपने वरिष्ठ नेता श्री अर्जुन सिंह की इस बात से असहमत हूं कि हम उस नीति का पालन नहीं कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि सरकार, जिसके वे भी सदस्य रहे थे, ने एक संगत नीति बनाई थी जिसका पालन अब भी किया जा रहा है।

श्री अर्जुन सिंह : मैं यह कहना चाहूंगा कि जो मैंने पिछली बार भी इस सभा में कहा था कि मैं सरकार में चार वर्ष तक रहा किन्तु मेरे अपने और अन्य साथियों के प्रयास के बावजूद भी मंत्रीमंडल में कश्मीर नीति पर चर्चा नहीं हो पाई।

श्री मणि शंकर अय्यर : मंत्रिमंडल कक्ष की प्रकट न की जाने वाली गुप्त वार्ता को इस सभा में प्रकट करने के लिये मैं अपने वरिष्ठ नेता का आभारी हूं। 31 मई, 1990 के बाद, जब जम्मू और कश्मीर में इस स्थिति के लिये उत्तरदायी राज्यपाल को हटाया था, तब से हमारी संबद्धता की नीति का अविर्भाव हुआ था। इसके बाद से हम उस समस्या के राजनैतिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाधान ढूंढते रहे हैं। उसके लिये निश्चित ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। सर्वप्रथम आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई जारी रखनी होगी जिससे कि घाटी से आतंकवाद मिट जाये, दूसरे अधिक से अधिक उग्रवादियों को लोकतांत्रिक पथ पर लाना; तीसरे उनके साथ वार्ता की जाये जिससे कि हमने जो समाधान निकाला है वे उसके लिये राजी हो सकें। मेरे विचार से हम इन तीनों बातों में काफी सफल रहे हैं। यह स्पष्ट है कि घाटी में उग्रवाद समाप्ती की ओर है। यद्यपि वे नाटकीय घटनायें करने में समर्थ है जैसी कि चरीरार-ए-शरीफ में हुई घटना थी, तथापि घाटी में जैसी स्थिति हो रही है, उसे दीर्घकालीन स्थिति का सूत्रधार मानकर, यदि हम देखें तो हम पायेंगे कि उग्रवाद की जो स्थिति चार या पांच

साल पहले थी, उसकी तुलना में एक या दो वर्ष पहले की स्थिति में उग्रवाद की स्थिति में कमी आई है।

दूसरे, हम उग्रवादियों से खुले दिल से मिले हैं और उसका पता ऐसे अनेक लोगों को मुक्त करने से पता चलता है जो कुछ वर्ष पूर्व ही अत्यधिक अपेक्षित सूची में थे और राजनैतिक परिवेश में उनके उभरकर आने से हमें पता चल सका कि उग्रवादी के दुष्ट चेहरे के पीछे शब्बीर शाह या यासीन मलिक अथवा सैयद गिलानी जैसे लोगों में मानव हृदय छिपा हुआ है जिनके माध्यम से एक भारतीय का दूसरे से सम्पर्क हो सकता है।

महोदय, विगत में भारत में, उग्रवादियों के साथ व्यवहार करने का हमें अनुभव है वे महसूस करते थे कि केवल राजनीतिक प्रणाली उनकी उन बातों का उत्तर नहीं दे सकती है जो वे चाहते हैं और इसी से हमें उत्तर मिला है। उसका एक अत्यधिक नाट्यात्मक उदाहरण यह था कि 1987, 1988, 1989 में त्रिपुरा में जब हमने त्रिपुरा की भारतीय कम्युनिस्ट (भा.) पार्टी की सरकार को हराया, वहां कांग्रेस की सरकार बनी थी और उसका संरक्षण उस व्यक्ति को ही सौंपा गया था जो भारतीय सेना का केवल एक भूतपूर्व कमांडर-इन चीफ था जो आज तक चिरस्थायी है। महोदय, उसी व्यक्ति के संरक्षण के अधीन हम नागालैण्ड को भी भली भांति नियंत्रण में रख सके। मेरे विचार से इस सभा के सभी सदस्य का हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि जब से उन्होंने मणिपुर छोड़ा है तब से वहां की स्थिति अच्छी होने के बजाये उत्तरोत्तर खराब होती गई है। महोदय, एक सरकार के रूप में, अपने दल के भीतर और समग्र रूप से इस देश में हमारा पर्याप्त अनुभव है और हममें उग्रवादियों के वार्ता करने की क्षमता है।

आज स्थिति की विडम्बना यह है कि शब्बीर शाह, यासीन मलिक, सैयद गिलानी और अब्दुल घाली लोन को भारतीय सेना से कोई भय नहीं है। केवल भारतीय सेना ही उनके बीच में है और उनके द्वारा हुर्रियात में उनके कुछ साथी मारे गये हैं। यह एक असाधारण विरोधात्मक स्थिति है। मेल-जोल का ही यह परिणाम है कि हुर्रियात के प्रमुख वक्ता भारतीय सुरक्षा बलों के संरक्षण के अधीन अपने जीवन की रक्षा कर पा रहे हैं और अपनी राजनैतिक गतिविधियां चला पा रहे हैं। और यह पता लगाना संभव हो सका है कि कश्मीर में राजनीति में ऐसे कौन से तत्व हैं जो पाकिस्तान के पक्ष में हैं और कौन से वे तत्व हैं जो समस्या के समाधान में पाकिस्तान को शामिल करना नहीं चाहते हैं। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि जमात-ए-इस्लामी, हरकत-उल-अंसार और हिजबुल मुजाइद्दीन ही ऐसे तीन तत्व हैं जो पाकिस्तान समर्थक हैं और दुश्मन हैं। इन तीन तत्वों के अलावा कोई भी व्यक्ति चाहे वह राष्ट्रीय कांफ्रेंस को चाहता है अथवा कांगेस से नफरत करता है, जहां तक कश्मीरियों का संबंध हैं, वे भारतीय हैं। उन्हें हमसे असहमत होने का अधिकार है। किन्तु अब हमें पता चल गया है कि कौन दुश्मन हैं और अब केवल दुश्मनों के विरुद्ध बलों का प्रयोग किया जा रहा है। जनवरी से मई 1990 के बीच जिस प्रकार बिना भेद-भाव के कश्मीर के लोगों के विरुद्ध जैसी लड़ाई छेड़ी गई थी, वह स्थिति अब नहीं रही है और अब हम ऐसी स्थिति में है कि अब हमारे पक्ष में अधिक से अधिक उग्रवादी हैं और हम आतंकवादियों के पीछे पड़े हैं।

जहां तक वार्ता का संबंध है, कश्मीर में वास्तवकि समस्या यह है कि वार्ता किसके के साथ की जायें और हम जिसके साथ बात-चीत करना चाहें वे किनका प्रतिनिधित्व करते हैं? हुर्रियात स्वयं अमीवा की तरह हैं। यह भी बहुमुखी फन वाले सर्प के समान है जीवाणु स्वयं को विभाजित करके प्रजनन करता है और बहुमुखी फन वाला सर्प स्वयं को स्वयं से प्रजनित करता है। अब, उनमें और भी विभाजन हो रहे हैं और जब तक हम इन विभाजनों को दूर कर पाते हैं तब तक उनमें और विभाजन हो जाते हैं। किसी समय हुर्रियात में जब हम 27 दल देखते तभी किसी अन्य समय में उनके दल घटकर 15 रह जाते हैं। उनका दल 30 तक हो जाता है। हमें पता है कि इन विभेदक टुकड़ियों में आन्तरिक रूप से हुर्रियात कश्मीर में किसी न किसी का प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। किन्तु हमें यह नहीं पता है कि वे कितने व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, किनका प्रतिनिधत्व करते हैं और आबादी की किस टुकड़ी का वे प्रतिनिधित्व करतें हैं। सरकार की इस संगत नीति का यही प्रयास था कि मतदान पेटियों के माध्यम से पता लगाया जाये कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है। अब कम से कम फिलहाल तो वह प्रक्रिया स्थगित हो गई है। राज्य विधान सभा के चुनाव तो जुलाई 1995 तक हम नहीं करा पाये जो हमारा मूल उद्देश्य था। हम यहां से कहां जायें?

अध्यक्ष महोदय, मैं सभा के समक्ष अपना एक प्रस्ताव पुनः रखना चाहूंगा जिसे हमारी सरकार विगत में दो या तीन बार अस्वीकृत कर चुकी है। किन्तु आश्वास चूंकि हमारा दल लोकतांत्रिक हैं, अतः मुझे सरकार के विचारार्थ उसे पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति है। वह यह है कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कौन जनता का सही प्रतिनिधि है। चूंकि राज्य विधान सभा का दलगत राजनीति के आधार चुनाव यदि असंभव न सही किन्तु अत्यधिक कठिन प्रतीत हो रहा है, अतः क्यों न दल विहीन पंचायत के चुनाव आरम्भ किये जायें? यदि हम दलविहीन पंचायत चुनाव कराते हैं तो बहुत बड़े जन समुदाय से ऐसे व्यक्ति उभर कर आयेंगे जिनमें साथ हम समझौते का प्रस्ताव कर सकते हैं। चाहे, कांग्रेस उनके साथ समझौता करें, नेशनल कांफ्रेंस करे, चाहे की शब्बीर शाह और मलिक उनके साथ समझौते का प्रस्ताव करें और कोई भी जो चाहे उनके साथ समझौते का प्रस्ताव कर सकता है। किन्तु तब वहां का प्रशासन जनता द्वारा निर्वाचित होगा जिसके साथ हम कम से कम विकास के मामलों में वार्ता कर सकते हैं।

आज समस्या यह है कि जम्मू और कश्मीर के लिये जो करोड़ों रुपया दिया जा रहा है, उसमें से एक बड़ी राशि, जैसा कि श्री अर्जुन सिंह ने कहा, वह जनता के पास पहुंचने की बजाय प्रशासन पर खर्च हो जाती है। जैसा हाल कश्मीर का है, वैसा ही हाल शेष भारत के मामले में भी है। प्रशासन एक रुपये में से 85 पैसे निगल लेता है और लोगों तक 75 पैसे पहुंच पाते हैं। उनमें से भी भलाई भ्रष्टाचार ले जाता है और केवल कुछ पैसे 6 या 7 पैसे जनता तक पहुंच पाते हैं। यही स्थिति कश्मीर में है और यही शेष भारत के मामले में। इस

समस्या का समुचित तरीका यही है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि उन निम्नतर स्तर के लोगों में से होने चाहिये जिनके पास यह धन जाता है और वे उसे जनता के लाभ के लिये खर्च करेंगे। हम पंचायत में भ्रष्टाचार का बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते हैं? मेरे विचार से, समग्र रूप से देखा जाये तो भ्रष्टाचार के धन से जो पंचायतें अनेक भ्रष्टाचार कर सकती है, उस भ्रष्टाचार की मात्रा उससे कहीं कम है जो नौकरशाही के चंद व्यक्तियों द्वारा किया जाना संभव है। अतः इसका उत्तर है पंचायत चुनाव। मैं श्री अर्जुन सिंह की इस बात से सहमत हूं कि जम्मू और कश्मीर की एक स्वयात्तता प्राप्त परिषद की शर्तों के बारे में उन्हीं लाइनों पर विचार किया जा सकता है जैसी कि लद्दाख के मामले में है। चूंकि लद्दाख के मामले में असाधारण सफलता ही नहीं मिली है बल्कि वहां से 26 से 22 कांग्रेसी सदस्य भी लौटे हैं। अतः यह एक स्वागत योग्य बात है। मुझे विश्वास है कि जम्मू और कश्मीर के मामले में वहीं परिणाम हासिल किये जा सकते हैं।

जैसा कि श्री अर्जुन सिंह ने कहा था, इस स्वायत्त परिषद के तंत्र के माध्यम से जम्मू के लोगों और कश्मीर के लोगों के बीच की दरार को पाटते समय हम इन स्वायत्त परिषदों का दूसरी पंक्ति का इस्तेमाल चुनावों के लिये कर सकते हैं जो दलगत आधार होंगे और यदि यह संभव है तो राज्य विधान सभाओं और संसद के लिये चुनाव कराने की तीसरी प्रक्रिया भी आसान हो जायेगी जो संभवतः देश के अन्य भागों मे होने वाले चुनावों के साथ वहां चुनाव कराये जा सकते हैं जो संभवतः 1996 के बसंत ऋतु में होने संभावित है। इस बीच, मेरे विचार से, जिसे श्री अर्जुन सिंह ने गलती से कहा है, हमें निश्चित रूप से राजनयिक साहसिक अभियान जारी रखना चाहिये। क्या प्रधान मंत्री के लिये यह एक राजनयिक साहसिक अभियान नहीं है कि अक्तूबर, 1993 में जो एकमात्र अत्यधिक महत्व कदम उठाया गया था कि कश्मीर के मामले में 1947 से जो विदेश नीति अपनाई गई है। प्रधान मंत्री को लिखा गया यह उनका पत्र था जिसमें बेनज़ीर भुट्टो ने कश्मीर के मामले पर चर्चा का प्रस्ताव रखा था। 1993 तक पाकिस्तान इस बात जोर देते रहे थे कि हम उनसे कश्मीर के बारे में वार्तालाप करें। प्रधान मंत्री श्री राव ने उनसे कहा "ठीक है, हम कश्मीर के मामले में बात करने को तैयार हैं" तब पाकिस्तान के क्या किया? तब से वह हर पक्ष के पास गये हैं। हमने अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के दृष्टिकोण से यह कहकर सही कदम उठाया है कि हम कश्मीर के बारे में पाकिस्तान के साथ शिमला समझौते के अनुरूप द्विपक्षीय वार्ता करने को तैयार हैं और हमने सबसे बड़ी गलती 1972 और 1993 के बीच की थी, जब कश्मीर का मामला गर्म जोशी पर था, वह यह था कि हमने कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान से बात ही नहीं की। हमें ऐसा करना चाहिये था किन्तु बीती बातों पर चर्चा करना बेकार है। हम अब भी इस पर उनके साथ बात कर सकते हैं। हम अब भी उनसे बात करने का दावा कर सकते हैं। यदि वे हमसे बात करने को तैयार नहीं है तो जबाव देही उनकी होगी, हमारी नहीं। राजनयिक दृष्टिकोण के इस प्रदर्शन का यह परिणाम हुआ, जैसा कि गत दो वर्षों में पहले कभी नहीं हुआ था- और हमारे विपक्ष के नेता को भी इसके लिये बहुत धन्यवाद है कि वे श्री सलमान खुर्शीद के साथ जेनेवा गये- और 1994 के आरम्भ से ही कश्मीर से संबंधित मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की स्थिति और अधिक स्पष्ट रही है। अब उनके द्वारा की गई हत्या के माध्यम से पाकिस्तान और उसके एजेंटों की वे काली करतूतें उजागर हो गई हैं जिसकी शुरूआत इस युवक हंस ओस्ट्रो की हत्या से हुई है। मैं इस बात से निश्चित हूं कि कश्मीर के मामले में 1947 से लेकर आज तक विश्व कभी भी इतना हमारे पक्ष में नहीं रहा जितना आज है। इसका कारण राजनयिक साहसिक कार्य नहीं अपितु यह स्थिति राजनयिक दृष्टिकोण ओर राजनयिक सूझ-बूझ के कारण बन पाई। मैं प्रधान मंत्री के माध्यम से, जो यहां उपस्थित हैं, सरकार से यह अनुरोध करता हूं सरकार कश्मीर तथा पाकिस्तान दोनों की जनता से बातचीत का सिलसिला जारी रखे।

श्री प्रमथेश मुखर्जी (बहरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुदान मांगों पर अपने विचार प्रकट करने का मुझे जो अवसर दिया, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अपने दल आर.एस.पी. की ओर से मैं अपने विचार प्रकट करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि केवल संवैधानिक विवशता के कारण मैं बजट का समर्थन करता हूं।

इस विषय पर सभा में मैंने अनेक मूल्यवान भाषण सुने। मैं लम्बा भाषण देना नहीं चाहता हूं किन्तु मैं थामस मोरे की अति प्रसिद्ध कविता को उद्धरित करने की अनुमति चाहता हूं। मैं केवल एक या दो लाइनें ही उद्धरित करूंगा। इसमें कहा गया है :

> "हूं हैज नाट हर्ड आफ दी भेली आफ कश्मीर, विद इट्स रीजन दी ब्राइटेस्ट दैट अर्थ एवर गेव, इट्स टेम्पिल्स एण्ड ग्रेटोस एण्ड फाउन्टेंस ऐज क्लीयर एज दी लव-लाइटेड आईज दैट हैंग ओवर हेयर देम।

इन लाइनों के माध्यम से कवि थामस मोरे ने कश्मीर का परिचय पाश्चात्य विश्व के लोगों से कराया है। यह कश्मीर है जिसकी भूमि प्रकृति और सौन्दर्य की देन है। यह कश्मीर है जिसकी भूमि शांति और निश्छलता की देन है। किन्तु वही कश्मीर आज जल रहा है; कश्मीर स्वयं को बर्बाद करने के लिये लहू-लुहान हो रहा है और कश्मीर के लोग आज अपनी संस्कृति की धरोहर खो चुके है। मेरे विचार से 1953 में कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने के समय से केन्द्रीय सरकार ने उसकी जो दशा बनाई है, उसके कारण ही यह दुःखद स्थिति पैदा हुई है।

महोदय, कश्मीर के प्रतिभावान और सुन्दर बच्चे गुमराह हो रहे हैं और यही मुख्य समस्या है। आज वे अपनी इच्छा से गुमराह नहीं हो रहे हैं अपितु वे केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थिति को ढंग से न निपटाने की वजह से गुमराह हो रहे हैं। यह सरकार बेरोजगार युवकों के लिये रोजगार के अवसर पेदा नहीं कर सकी है। यह सरकार कश्मीर राज्य की परम्परागत क्षमता का उपयोग नहीं कर सकी है। यह सरकार कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों, जैसे जल क्षमता, वनसम्पदा और कृषि प्रसंस्करण का उपयोग नहीं कर सकी।

महोदय, सरकार राजनैतिक प्रक्रिया आरंभ करने के लिये वचनबद्ध है। किन्तु राजनैतिक प्रक्रिया लागू करने का अर्थ केवल चुनाव कराए जाने तक ही सीमित नहीं है। आपको राजनैतिक प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व आर्थिक गतिविधियां आरम्भ करनी होगी और लोगों का आर्थिक स्थिति सुरक्षित करनी होगी। लेकिन गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या नीति है? यदि हम स्थिति का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि सरकार जम्मू और कश्मीर राज्य की आर्थिक दशा आत्मनिर्भरता नहीं बना पाई है। वह इस जल क्षमता का उपयोग नहीं कर पाई; वह सामाजिक वानिकी का उपयोग नहीं कर पाई और वह इस कृषि प्रसंस्करण का उपयोग नहीं कर पाई, वह लोगों के आर्थिक सुधार के लिये जम्मू और कश्मीर के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाई, यदि वहां आर्थिक संतुष्टि की गई होती तो कश्मीर के लोग भी अवश्य समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए होते।

महोदय, गत बजट सत्र के दौरान हमने सरकार से उद्योगों विशेषकर कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में सघन निवेश पर जोर दिए जाने की मांग की थी। शाल बुनकरों की आज क्या स्थिति है? बागवानी और हस्तशिल्प पर जीवन यापन करने वालों की आज क्या स्थिति है? गरीब किसानों की स्थिति क्या है? सरकार ने गरीब लोगों की निर्धनता और संकट पर ध्यान नहीं दिया। अतः मैं सरकार से आज के कश्मीर की समग्र आर्थिक स्थिति पर ध्यान देने और तत्पश्चात् उन्हें भारतीए समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिये कुछ करने का निर्णय लेने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री याइमा सिंह, कृपया बहुत ही संक्षेप में जैसा कि आप प्रायः करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री याइमा सिंह को आमन्त्रित किया है न कि श्री ए. अहमद को

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, मेरा नाम ई. से आरम्भ होता है।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आन्तरिक मणिपुर) : मैं सदस्यों की मांग का विरोध नहीं कर रहा हूं।

मैं समझता हूं कि जम्मू और कश्मीर की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए जो कि परिस्थिति की मांग है, चर्चा की जाये। इस चर्चा में, मैं कश्मीर के बारे में अपनी राय व्यक्त कर सकूंगा।

मेरा दृढ़ विचार है कि कश्मीर में चुनाव होने चाहिये। हमें चुनाव अवश्य कराने चाहिये और जन प्रतिनिधियों को चुनना चाहिये। इससे ही समस्या का समाधान हो सकेगा। यदि हम चुनाव के अनुकूल परिस्थिति होने की प्रतीक्षा करते रहे तो चुनाव नहीं हो सकते हैं। मणिपुर और पंजाब के संबंध में मेरा यही अनुभव है। आतंकवादियों की गतिविधियों के कारण जब पंजाब जल रहा था, तब वहां चुनाव कराये गये और स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सका। मणिपुर के बारे में भी ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह चर्चा कश्मीर पर है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, मैं केवल दो या तीन मिनट लूंगा। यह उनके लिये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मेरा अनुभव है। मणिपुर में ऐसी स्थिति थी कि कोई भी वहां चुनाव कराने को सहमत न था।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, यह बात अनेक लोगों ने कही है कि वहां चुनाव होने चाहिये।

श्री याइमा सिंह युमनाम : हमने वहां चुनाव कराने का प्रस्ताव किया और तब मणिपुर मे चुनाव कराये गये। इसलिये उम्मीदवारों को धमकी दी गई और यहां तक कि प्रचार करते समय उम्मीदवारों पर हमला भी किया गया और यहां तक कि दिन–दहाड़े भारतीय जनता पार्टी को एक नेता की हत्या भी की गई थी। अतः ऐसी स्थिति होने के बावजूद चुनाव कराये गये क्योंकि उस समय वहां प्रचार अभियान जोरों पर था, श्रमिकों ने उन भूमिगत तत्वों की गोलियां सीने पर झेली जिन्होंने चुनावों का बहिष्कार किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं यहां यही कहना चाहता था। अतः हमें वहां चल रही परिस्थितियों या दशाओं के अनुकूल होने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये। किसी भी हालत में वहां चुनाव कराये जायें। किन्तु मैं श्री मणि शंकर अय्यर के दल–विहीन चुनाव के प्रस्ताव से सर्वथा असहमत हूं। हमें दलगत आधार पर ही चुनाव कराने चाहिये। दलों की भागीदारी होनी ही चाहिये। जब दलों में आपस में प्रतिस्पर्धा थी, तब चुनाव में विजय चाहने वाले दलों के कार्यकर्त्ताओं ने सीने पर गोलियां झेली, तथा हथगोलों और गोलियों का मुकाबला किया। आप को मालूम है कि मणिपुर में बम विस्फोट हुए थे। मतदान केन्द्रों पर हथगोले फेंके गये थे। लोगों की हत्या की गई थी। इसके बावजूद 90 प्रतिशत लोगों ने मत डाले और वहां चुनाव हुए। यही स्थिति यहां भी है। कश्मीर में भी, हम दो या तीन महीनों में चुनाव करवा सकते हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अगला मुद्दा लीजिये। चुनाव के बारे में कोई संदेह नहीं है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय, दूसरा मुद्दा यह है कि समाचार पत्रों में मैं देखता हूं कि संभवतः कुछ विदेशी ताकतों ने कश्मीर में राजनीतिक विषय को निर्वाचित सदस्यों के सम्मुख रखने के लिये प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा था। यदि हम इसे स्वीकार करते हैं तो यह राष्ट्र के लिये आत्मघात होगा। पहले की अवधि में भी, इसे नेहरू के समय स्वीकार में किया गया था। हमें इसका विरोध करना चाहिये और इस पर सहमत नहीं होना चाहिये।

चूंकि समय का अभाव है, इसलिये महोदय मैं आपसे सहयोग करूंगा। अन्यथा मेरे पास एक लम्बी सूची है। मैं भी किसी भी सदस्य की तरह बोल सकता हूं। किन्तु जब कभी भी मेरी पार्टी को बोलने का अवसर दिया जाता है तब आप मुझे केवल दो या तीन मिनट का समय ही देते हैं। अतः जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता देने के संबंध में मैं अपनी अंतिम बात किस प्रकार स्पष्ट कर पाऊंगा।

मैं इसका विरोध नहीं करता हूं, किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि कश्मीर के किसी हद तक स्वायत्तता दी जाती है तो हमारा राज्य भी वही देने की मांग उठायेंगे। यह हमारी शर्त है। सरकार कृपया इस पर विचार करे। ऐसी स्थिति में मेरे विचार से सरकार कभी भी ऐसा करने की नहीं सोचेगी।

मेरी अंतिम बात यह है कि मैं कश्मीर में विदेशी पर्यटक की हत्या की भर्तस्ना अपने अन्य साथयों के समान ही करता हूं और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि और सभी विदेशी पर्यटकों को मुक्त कराने के लिये भरसक प्रयास किया जायें।

इन अल्प शब्दों के साथ मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री ई. अहमद : समय के अभाव के कारण मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो मेरे मित्र कह चुके हैं। तथापि अल्प समय के भीतर मुझे कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालने की अनुमति दी जाये।

सर्व प्रथम मैं अपने दल, दी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से अल-फरान नाम से कुख्यात इन विदेशी आतंकवादियों द्वारा श्री हैन्स ओस्ट्रो की क्रूर हत्या पर गहरा शोक और क्षोभ व्यक्त करता हूं। इस देश का नागरिक होने के नाते मैं संतप्त परिवार और इस देश की जनता की भावनाओं में सांझीदार हूं और इस्लाम के नाम पर इस गैर-इस्लामी कृत्य की भर्तस्ना करता हूं। इन लोगों का इस्लाम के असूलों के प्रति कोई आदर नहीं है और मानव मात्र के प्रति इस्लाम में जो शांति, और निश्छलता तथा आदर का संदेश दिया गया है उसके प्रति उनको कोई सद्भावना नहीं है। अतः मैं कश्मीर घाटी के अपने भाइयों के साहस की सराहना करता हूं जिन्होंने इस क्रूर हत्या की भर्तस्ना करने के लिये हड़ताल करके अपनी भावना प्रकट की है।

यह दुर्भाग्य की बात है कि कश्मीर के जन-साधारण महिलाओं स्त्री और पुरूषों के साथ अन्तरकार्यवाही करने का समय नहीं है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि कश्मीर के बारे में दो दृष्टिकोण से सोचना होगा, एक है इस देश के विरूद्ध पाकिस्तान का बेतहाशा कुप्रचार, जिसके विरूद्ध यह सभा और इस देश के लोग एक जुट हैं और इस घृणित कुप्रचार के विरूद्ध लड़ रहे हैं। हमें कहना होगा कि इस्लाम के नाम पर कश्मीर के बारे में कुछ कहने का अधिकार पाकिस्तान को कतई नहीं हैं। यदि इस्लाम के सिद्धान्तों के प्रति उनका थोड़ा सा भी आदर है तो वह उसे अपने लोगों पर प्रदर्शित करें। मैं किसी देश के आंतरिक मामले के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। यह ठीक नहीं है। मैं यह कहने का बाध्य हूं कि जब कोई देश किसी देश के बारे में धर्म के नाम पर बोलता है और तत्पश्चात् भारत के मुसलमानों के धर्म के नाम पर इस देश के मामलों में हस्तक्षेप करता है तो उनके जो धर्म साथी पाकिस्तान में हैं उनके प्रति पाकिस्तान को अपने देश के लोगों के प्रति कुछ आदर प्रदर्शित करना चाहिये। इसीलिये मैं कहता हूं कि कश्मीर के बारे में बोलने का पाकिस्तान को कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

वास्तव में मुझे इसका उल्लेख करते हुए बड़ा दुःख है। मुझे मेरे पाकिस्तानी भाई का लंदन से एक अन्तर्राष्ट्रीय संस्था, जो एम.क्यू.एम. मोहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम विख्यात है, जिसका नेता अमताफ हुसैन है का एक पत्र प्राप्त हुआ है।

उसे पढ़कर मुझे दुःख हुआ। अंतिम वाक्य मैं पढ़ता हूं- मैं सारा पत्र पढ़कर इस सभा का मूल्यवान समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं- "यदि न्यायालय के आदेश राज्य के दबाव में अपराधियों के पक्ष में जारी किये जाते हैं तो इस प्रकार के न्यायालय के आदेशों के कार्यान्वयन में हर शेष बाधा विद्यमान रहेगी।" और मुझसे अनुरोध किया गया है कि "हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पाकिस्तान के पुलिस राज्य द्वारा इतनी व्यापकता से किये जो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन की घटनाओं की ओर ध्यान देने की कृपा करें।" महोदय उनकी स्थिति कितनी दुःखद है?

यही वह देश है जो अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अब यह कह रहा है अथवा प्रचार कर रहा है कि चूंकि घाटी में अधिकांश आबादी मुसलमानों की है अतः वह पाकिस्तान को दिया जाना चाहिये। देश में 15 करोड़ या 1500 लाख मुसलमान रहते हैं इस्लामी आबादी उन्होंने शिक्षा के बाद सर्वाधिक भारत में है। यदि 15 करोड़ मुसलमान हमारे देश में है और हम कहते हैं कि हमारी समस्यायें है। लोकतंत्र में यह स्वाभाविक है हमारी समस्यायें है। लोकतंत्र में अपनी समस्या को बताने की एक प्रणाली होती है। जो भी हम 15 करोड़ मुसलमान यहां रह रहे हैं और हमें इस देश के अधिसंख्यकों का पूर्ण समर्थन प्राप्त है और यदि 15 करोड़ मुसलमान इस प्रकार इस देश में रह सकते हैं तो घाटी में रहने वाले 30 या 40 लाख मुसलमानों के लिये यहां क्या कठिनाई है? मैं यही पूछना चाह रहा हूं। इस देश और पाकिस्तान के बीच इतना ही अंतर है। संयोगवश मैं कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान राज्य में अपने ही उन लोगों के साथ भेद-भाव किया जाता है, जो एक ही धर्म के हैं और वे लोगों को विभिन्न आधार नियमों में विभाजित कर रहे हैं। किन्तु यहां किसी के साथ किसी विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के विरूद्ध यदि कोई भेद-भाव किया जाता है तो हिन्दुओं की बहुसंख्यक आबादी उस भेद-भाव का विरोध करती है और अपने अल्पसंख्यक भाइयों का समर्थन करती है। यह बात 7 दिसम्बर को भी हमने यहां देखी थी जब बाबरी मस्जिद ढ़ाही गई थी। उस समय श्री ई. अहमद या श्री सैयद शहाबुद्दीन अथवा श्री इब्राहिम सुलेमान सेट नहीं थे जिन्होंने मुसलामानों के अधिकारों की रक्षा की थी और तोड़-फोड़ के विरूद्ध मुसलमानों के लिये लड़े थे। उस समय इस सभा के भाजपा सदस्यों को छोड़कर मेरे बायें और दाहिने बैठने वाले मेरे प्रिय भाई मुसलमानों के हित के लिये तथा मस्जिद तोड़े जाने के विरूद्ध लड़े थे। हम इसे कैसे भूल सकते हैं? किन्तु, दुर्भाग्यवश, ऐसा जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ नहीं हुआ। मैं अपने माननीय प्रधान मंत्री को दोषी नहीं ठहराता हूं। माननीय प्रधान मंत्री ने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जिससे देश को कश्मीर के बारे पाकिस्तान द्वारा बेहताशा प्रचार को रोकने में इस देश को सहायता मिली है।

संयुक्त राष्ट्र को जाने वाले शिष्टमंडल में सदस्य था। गत वर्ष पाकिस्तान ने कुछ इस्लामी देशों को प्रेरित किया था, जो ओ.आई.सी.

जैसे सउदी अरब और टर्की के सदस्य हैं- जिनके साथ हमारे भी अच्छे संबंध है- और सेनेगल को भारत के विरूद्ध प्रस्ताव लाने को कहा था। मैं इस्लामी देशों के साथ भारतीय शिष्ट मंडल के सदस्य के रूप में अन्तरकार्यवाही कर रहा था। माननीय प्रधान मंत्री के वक्तव्य से हमें देशों को भारत के पक्ष में लाने में मदद मिली थी। प्रधान मंत्री का यह वक्तव्य था कि वह पाकिस्तान के प्रधान मंत्री सहित किसी भी देश के साथ बिना किसी शर्त के बात-चीत करने को तैयार हैं और जिसके कारण परिस्थिति बदल गई तथा वह संकल्प संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित नहीं हुआ। माननीय प्रधान मंत्री के समय पर दिये गये भाषण से अपार सफलता प्राप्त हुई।

महोदय, पुनः हमें कश्मीरियों के विचार जानने चाहिये। पहले वहां की बहुसंख्यक आबादी पाकिस्तान के पक्ष में थी। किन्तु अब अधिकांश व्यक्तियों का भ्रम पाकिस्तान द्वारा पालन की जा रही नीति के कारण टूट गया है। मूलतः कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। उनके पास पानी की सुविधा नहीं हैं, उनके पास अच्छी सड़कें नहीं है, उनके पास मूलभूत सुख सुविधायें नहीं है, उनके पास रोजगार के अवसर नहीं है, और उनके पास शिक्षा की सुविधा नहीं है। ये सुविधायें अन्य राज्यों के लोगों को उपलब्ध है किन्तु कश्मीरियों को नहीं। इसीलिये केन्द्र सरकार को निष्ठापूर्वक उनकी कठिनाइयों पर ध्यान देना होगा।

दूसरी चीज, जिसके लिये हमें कश्मीरी लोगों का आदर करना चाहिये, वह है उनकी 'कश्मीरियत' की भावना इसमें बुराई ही क्या है? आंध्र प्रदेश के लोगों को आंध्र का होने का गौरव है, पश्चिम बंगाल के लोगों का अपना गौरव है। कर्नाटक के लोगों का अपना और असामियों को अपना गौरव। तब कश्मीरी लोगों को "कश्मीरियत" होने को गौरव क्यों न हो? इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें कश्मीरियत की भावना का आदर करना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री सोमनाथ चटर्जी, श्री अर्जुन सिंह और श्री मणि शंकर अय्यर जैसे कुछ माननीय वरिष्ठ सदस्यों ने कहा है कि भारत के लोगों को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिये। कश्मीर के मामले के निपटाने में उसका अत्यधिक महत्व है। हमें यह संदेश कश्मीर के लोगों को देना होगा।

इन कुछ शब्दों के साथ, मैं सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री तवलीन सिंह ने श्री नगर की यात्रा के बाद जो कुछ लिखा है, उसे उद्धृत करना चाहूंगा।

"श्री नगर बर्बाद होने के कगार पर खड़ा एक नगर प्रतीत होता है, जिसकी गलियां अनियन्त्रित कचरे के ढेर और रेत से भरे थैलों में भरी हुई हैं, जिसकी सड़कों की मरम्मत वर्षों से नहीं हुई है, यदि बिजली की सप्लाई कहीं है भी तो वह दोषपूर्ण है और 20 वर्षों से अधिक समय में फैली बाढ़ ने पूरे क्षेत्र को निगल लिया है। उससे सैकड़ों व्यक्ति भी मारे गये हैं और करोड़ों रुपयों की फसल नष्ट हो गई है किन्तु (नागरिक प्रशासन) के लिये इन बातों का कोई महत्व नहीं है।

महोदय, इसीलिये मैं माननीय प्रधान मंत्री से तत्काल कदम उठाने, राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने तथा आर्थिक और राजनैतिक पैकेज की घोषणा करने की अपील करता हूं जिससे कि जम्मू कश्मीर में एक महत्वपूर्ण चुनाव हो सके।

महोदय, स्थिति यह है। इसलिये मैं माननीय प्रधान मंत्री से कश्मीर के लोगों को प्रभावित करने वाले मामलों पर बोलने का अनुरोध करता हूं। कश्मीर के लोग भारत के साथ रहेंगे और भारत कश्मीर के साथ रहेगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय इस सभा के समक्ष बहुत ही संक्षेप में कश्मीर पर अपने विचार प्रकट करने का मुझे जो अवसर दिया गया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। इस सभा में अनेक मित्रों ने कश्मीर पर स्पष्ट अथवा स्वच्छ नीति न रखने के लिये सरकार को दोषी ठहराया है। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि यह आलोचना सरासर अनुचित और सच्चाई से सर्वथा दूर है। वस्तुतः यदि मैं कह सकता तो मैं यही कहूंगा कि यह आलोचना चकित करने वाली तथा फिजूल है।

महोदय, कश्मीर के मामले में हमारी सरकार की नीति स्पष्ट और स्वच्छ नीति है, जिसकी शुरूआत पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा की गई थी और बाद में इन्दिरा गांधी, राजीव जी तथा अन्य प्रधान मंत्रियों ने जिसका पालन किया और यथावत जारी रखा। महोदय, इस नीति के सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट है। सांविधिक और संवैधानिक रूप से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। मैं यह कहने का साहस भी कर सकता हूं कि यह नैतिक रूप से भारत का एक अभिन्न अंग है। भारत का एक अभिन्न अंग होने के नाते, इस सरकार ने तथा इससे पूर्व की कांग्रेसी सरकारों ने कश्मीर में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का पालन किया।

वर्षों के अन्तराल में चुनाव नियमित रूप से होते रहे हैं। मुझे पता है कि 1989 में हुए चुनावों की आलोचना होती रही है। किन्तु केवल इसलिये कि 1989 में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई, इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम पूरे चुनाव की ही भर्त्सना करें। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि कश्मीर के लिये विधान सभा का गठन करने के लिये जो चुनाव हुए थे उसकी भर्त्सना करने में राष्ट्र विरोधी तत्वों का हाथ था। वे चुनाव सही हुए थे, वे चुनाव निर्विवाद हुए थे और कश्मीर के सभी लोगों ने शेख अब्दुल्ला के पक्ष में मतदान किया था और उनसे प्राप्त अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया था। इसलिये ऐसी हालत में कश्मीर में हुए चुनावों की आलोचना करते हैं तब मैं इस सभा से 60 वें ओर 70 वें दशकों में हुए चुनावों और उसके बाद हुए चुनावों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचने का निवेदन करूंगा। यदि ऐसा न किया गया तो यह सर्वथा अनुचित होगा।

महोदय, हमारी नीति का अगला मुद्दा बहुत ही स्पष्ट है। हम कश्मीर के लिये विशेष दर्जे का समर्थन करते हैं और वह इसलिये कि हमने यह स्वीकार किया है कि उसे स्वायत्तता मिलनी चाहिये। इस बात की चर्चा मैं कुछ देर बाद करूंगा कि किस प्रकार की स्वायत्तता दी जानी चाहिये।

अगला मुद्दा यह है कि हम इसके बारे में भी स्पष्ट हैं हम पाकिस्तान के साथ जम्मू और कश्मीर के मामले में अंतिम समझौता करना चाहते हैं। किन्तु वह हमें शिमला समझौते के अन्तर्गत और द्विपक्षीय आधार पर करना होगा। पारदर्शिता के मामले में भी हमारी नीति बहुत ही स्पष्ट है। हमने यह दृष्टिकोण धारण करना चाहा है और हमने पूर्ण पारदर्शिता अपनाई है। वस्तुतः यह अति गौरव का विषय है कि बहुत पहले से ही हमें कोई आपत्ति नहीं थी और हमने इसकी अनुमति दी थी कि हुर्रियात के नेतागण दिल्ली आयें और पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मुलाकात करें। मेरी यहां यह शिकायत है, महोदय कि हम विश्व में अन्य देशों के साथ यह पारदर्शिता बनाने का पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाये। अतः दूसरे शब्दों में, अति संक्षेप में हमारी नीति बहुत ही स्पष्ट है। हमारी समानुपात नीति है। कोई भी सहमत हो अथवा कोई भी इस नीति को कार्यान्वित करने के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकता है। किन्तु हमारी कोई भी नीति गलत नहीं है और यह पूर्णतः अनुचित नहीं है।

मैं दूसरा मुद्दा लेता हूं। यहां से कहां जायें? वार्ता के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। हम वार्ता के लिये तैयार हैं। वार्ता अत्यधिक आवश्यक है। इस सभा में मैं यह कहना चाहता हूं कि चार दिन पूर्व श्री यासीन मलिक की दिल्ली में मुझसे बातचीत हुई थी। श्री यासीन मलिक यहां थे और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वह मुझसे मेरा निर्णय जानना चाहते थे। मैंने कहा कि "मैं बिना किसी शर्त किसी से भी बात करने को तैयार हूं।" वस्तुतः जैसा कि कुछ मित्रों को याद होगा कि दार्जिलिंग के बारे में हमने यही किया था। सरदार बूटा सिंह जी यहां हैं। हमने कहा था कि हम किसी से भी और हर एक से बिना पूर्व–शर्त बात करेंगे। इसलिये मैंने श्री यासीन मलिक से जानना चाहा था कि क्या उन्हें यह प्रस्ताव मंजूर है। महोदय यह देख कर गहरा दुःख और शोक हुआ है कि उन्होंने बिना पूर्व शर्त वार्ता के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और कहा "जी हां, हम वार्ता के लिये तैयार हैं किन्तु इस वार्ता में आपको पाकिस्तान को शामिल करना होगा। मैंने इसका उत्तर दिया और कहाः "मुझे खेद है कि आप शर्तें नहीं रख रहे हैं।" अतः मैं इस सरकार को साहसपूर्वक पहल करने और यह कहने के लिये बधाई देना चाहता हूं कि वह किसी से भी और प्रत्येक से बिना पूर्व शर्त बातचीन करने को तैयार है।

महोदय, इस संदर्भ में जब मैं श्री यासीन मलिक के रवैये की बात करता हूं तो उसका प्रत्युत्तर दर्शाता है कि वही चलने दिया जाये जो चल रहा है। मेरे विचार से इस सभाओं इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिये कि हाल ही में श्री यासीन मलिक हुर्रियात में शामिल हुआ है। इससे यही पता चलता है कि जहां तक हुर्रियात नेताओं और श्री यासीन मलिक का संबंध है, वे अब स्वतंत्र एजेन्ट नहीं है। अब वे आकर हमसे अपनी तरह से बात करने की स्थिति में नहीं है। जिस समय हम उनसे बिना कोई शर्त रखें वार्ता करने की बात की कहते हैं तो वे यह कहकर उसे नकार देते हैं कि "आपको पाकिस्तान को साथ में लेना होगा।" इसलिये, मेरे विचार से हमारा पहला कार्य यह होना चाहिये कि हम इन नेताओं को पाकिस्तान के चंगुल से निकालने में उनकी मदद करें और यह सुनिश्चित करें कि वे अब पाकिस्तान की कैद में नहीं है। कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण इस समय वे तथा अन्य नेता पाकिस्तान के चुंगल में है।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हम कानून और व्यवस्था की ओर ध्यान दें और वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान हमारे विरूद्ध 'प्रोक्सी' युद्ध को बढ़ावा देता रहा है। मैं "प्रोक्सी वार" शब्दों पर जोर देता हूं, क्योंकि यही वे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल मैंने इसी सभा में चार वर्ष पूर्व किया था। महोदय, सर्वप्रथम हमें इस 'प्रोक्सी' युद्ध को असफल करना होगा। हम बात–चीत करें और हम राजनैतिक प्रक्रिया की बात करें।

इस समय कश्मीर घाटी में कुछ भी करना सम्भव नहीं है। मेरा कश्मीर घाटी से बहुत पुराना और बहुत चाहत का सम्पर्क है। इसलिये मैं कहता हूं कि हम जब तक 'प्रोक्सी' युद्ध समाप्त नहीं कर पाते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते जब तक हम बात चीत न कर लें, तब तक चुनाव न करायें। हम सीधे चुनाव करायें। किन्तु मुद्दा यह है कि सर्वप्रथम 'प्रोक्सी' युद्ध समाप्त करना होगा।

महोदय, हम चुनाव चाहते हैं। मुझे पता है कि यह आसान काम नहीं है। विश्वभर से हर प्रकार के लोगों से हमें निदेश मिलें हैं, कि हम निश्चित ही चुनाव करायें और राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करें किन्तु वे आधारभूत सच्चाई की उपेक्षा कर रहे हैं। आधारभूत सच्चाई क्या है? महोदय, मानव अधिकार आयोग की बैठक में भाग लेने के लिये जेनेवा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कुछ पाश्चात्य राजदूतों और ब्रिटेन के राजदूत सहित प्रमुख वक्ताओं ने मुझसे कहा : "आज राजनीतिक प्रक्रिया क्यों नहीं बहाल करते।" महोदय, यदि कहने की अनुमति हो तो मैं कहूंगा कि मैंने ब्रिटेन के राजदूत से कहा, "मुझे पता है कि आप एक महान राजनयिक है। किन्तु मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आपके निर्वाचन क्षेत्र में कुछ आतंकवादी होते और वे यह कह रहे होते कि यदि आप अपना वोट डालने जायेंगे तो आपको गोली मार दी जायेगी तो क्या ऐसी स्थिति में भी आप वोट डालने जाते।" महोदय, उन्होंने बड़े विचित्र ढंग से हुंकार भरी और कहाः "ठीक है, मैं अवश्य ही जाऊंगा और अपना वोट डालूंगा किन्तु मैं नहीं सोचता कि मेरे परिवार के लोग मुझे जाने देंगे।" महोदय मामले सार यह है। अपने आलीशान महलों में बैठकर उनके लिये हमें यह उपदेश देना बड़ा सरल काम है। किन्तु हमें सच्चाई की ओर ध्यान देना होगा। मेरे विचार से हमारी प्रथम प्राथमिकता कानून और व्यवस्था की पुनः स्थापना करना होगा। कानून और व्यवस्था हमारी सबसे बड़ी समस्या है। किन्तु कानून और व्यवस्था के सुधारने भर से समस्या का समाधान नहीं होगा। इसके साथ साथ हमें और भी अनेक काम करने होंगे।

हमें प्रशासन में आमूल–चूल परिवर्तन करना होगा। महोदय, कुछ मित्रों ने कश्मीर की घटनाओं के सिलसिलें में बात की है। कुछ दिन पहले तीन पाश्चात्य राजदूतों, जो कश्मीर गये थे, ने मुझसे जो कहा मैं उसके बारे में सभा को अवगत करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप बातें बता सकते हैं किन्तु आप चर्चाओं और वार्तालाप का उल्लेख न करें।

श्री इन्द्र जीत : मैं वार्तालाप का उल्लेख नहीं करूंगा। महोदय, उन्होंने यह बताया था कि वे एक टैक्सी में साथ आतंकवादियों से मिलने गये थे और उन्हें जो पता चला उससे उन्हें आश्चर्य हुआ। जैसे ही वे वहां पहुंचे उन्होंने देखा कि सुरक्षा व्यक्ति, जो उनके साथ गये थे, आतंकवादियों को आलिंगन कर रहे थे और एक दूसरे को चूम रहे थे। वे यह देखकर भयभीत थे कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में कितनी प्रगाढ़ता थी। महोदय, मुझे यह भी बताया गया कि गत छः महीनों के भीतर उन्होंने वहां अप्रत्याशित भवन निर्माण कार्य देखा। कुछ मित्र भ्रष्टाचार पर बातचीत कर रहे थे। राजदूतों ने बताया कि वहां जितना धन भेजा जाता है उसका 50 प्रतिशत आतंकवादियों की जेब में चला जाता है। जो अब यह बताया गया है। मुझे इसका अनुमान नहीं था। इसलिये, महोदय, हमें प्रशासन में आमूल-चूल परिवर्तन करना होगा।

इसके बाद हमें सही संकेत देना है। मुझे इस बात की अति प्रसन्नता है कि हमने कुछ सही संकेत भेज दिये हैं। सरकार ने बंधकों के मामले पर बहुत ही कठोर रूख अपनाया है और मुझे प्रसन्नता है कि विरोधी दल के नेता ने सरकार को कड़ा रवैया अपनाने के लिये बधाई दी है।

7.00 म.प.

मेरे विचार से हमें इस कठोर रवैये के साथ ही बात जारी रखनी चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि अमरनाथ यात्रा के मामले पर सरकार ने बहुत ही मजबूत रूख अपनाया है। मेरे विचार से हमें बहुत ही स्पष्ट होना चाहिये कि हम क्या चाहते हैं।

महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं किन्तु मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आना चाहता हूं। समय-समय पर और आज भी हम स्वायत्तता की बात करते रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधान मंत्री ने दूसरे सदन में बता दिया है कि इसकी कोई सीमा नहीं है उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि आजादी का कोई प्रश्न ही नहीं है। स्वायत्तता की मात्रा पर चर्चा की जा सकती है। स्वायत्तता की मात्रा के प्रश्न पर बात की जा सकती है। स्वायत्तता की मात्रा पर बात करते हुए मैं एक महत्वपूर्ण बात सभा के अपने सभी मित्रों को बताना चाहता हूं। मैं साहस करके यह कहना चाहता हूं कि गत चार दशकों से अधिक समय से कश्मीर को पूर्ण कार्यकरण संबंधी और आर्थिक स्वायत्तता देते रहने के कारण आज हम इस दुःखद स्थिति में पहुंचे हैं। मेरे मित्र श्री ई. अहमद ने अभी अभी बताया कि वहां न सड़कें हैं, न अस्पताल हैं और कुछ भी नहीं है। जो भी धन वहां दिया जाता है वह संभ्रांत व्यक्तियों तक पहुंचता है और गरीबों की उपेक्षा होती है। अतः जब हम स्वायत्तता की बात करें तब हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिये।

महोदय, स्वायत्तता का एक और पहलू भी है। मेरे मित्र याइमा सिंह जी ने जो कुछ कहा वह ठीक ही है जिसे मैंने अनेक बार नागालैंड में, अरुणाचल में, मेघालय में और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुना है जहां का दौरा मैं अनेक बार कर चुका हूं। मैं प्रधान मंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि स्वायत्तता की जिस मात्रा का देने का उनका विचार है, उसके बारे में उन्हें याद रखना होगा कि उतनी ही स्वायत्तता की मात्रा की प्रतीक्षा सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को है जो वह कश्मीर को देना चाहते हैं। वास्तव में, जब कभी भी मैं वहां गया, हर बार उन्होंने मुझसे पूछा कि कश्मीर मॉडल कैसा होगा? वास्तव में हर बार उन्होंने मुझसे पूछा कि कश्मीर का मॉडल कैसा होगा।" श्री याइमा ने अभी-अभी इसके बारे में पूछा है और अन्य लोगों ने भी पूछा है। हम सब स्वायत्तता देने के बारे में बात करते हैं तब हमें इस बारे में बहुत ही स्पष्ट होना चाहिये कि राष्ट्रीय संदर्भ में इसकी क्या स्थिति होगी।

महोदय, मैं यह कहते हुए शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त करूंगा कि दार्जिलिंग के अनुरूप हमने लद्दाख में एक परिषद बनाई है। जम्मू में परिषद बनाने की बात भी आई है। हम जो भी करें, महत्वपूर्ण यह है कि हमें दृढ़ निश्चयी और स्पष्ट होना चाहिये। हमारी नीति स्पष्ट और मेल जोल की नीति है। इसका कार्यान्वयन दृढ़ता और साहस के साथ होना चाहिये। सरकार से उस दल से, जिससे मैं संबद्ध हूं, मेरा यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : अध्यक्ष जी, आज इस सदन के माध्यम से 12वीं बार विनियोग विधेयक पारित होने जा रहा है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा जिस विषय के ऊपर बहुत से माननीय सदस्यों ने भी अंगुली उठाई है कि यह जो खरबों रुपया जा रहा है, उसका उपयोग क्या हो रहा है? आपके माध्यम से क्या इसकी जानकारी हम लोगों को मिल सकती है। मेरी जानकारी में वहां पर जितना भी व्यय हो रहा है, उसका 30 प्रतिशत ही सही कार्यों में व्यय हो रहा है तथा बाकी का 70 प्रतिशत लोगों की जेबों में जा रहा है जिसके अंदर मिलिटेंट्स भी मिले हुए हैं। अभी हमारे साथी श्री धूमल जी ने इस बात को कहा कि वहां पर जिन लोगों के ऊपर अंगुली उठाई गयी, करप्शन के चार्ज लगाये गये, उन्हीं को पदोन्नत कर दिया गया। यह एक ऐसी बात है जो कि सदन के सामने एक बड़े प्रश्न के रूप में खड़ी होती है कि यह जो खरबों रुपया वहां जा रहा है, उसका वहां की जनता, वहां का यूथ विरोध नहीं करेगा तो और क्या करेगा। जब तक हम उस रुपये पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक हम जम्मू-कश्मीर की जनता के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। वहां की जनता भूखों मर रही है और वे लोग उस धन का दुरूपयोग करके मजे उड़ा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से इस सदन में मैं यह जानना चाहूंगा कि मस्तगुल चरार-ए-शरीफ में बैठे रहे और उसके बाद वह जल गयी। हमारी गुप्तचर एजेंसियों की इससे ज्यादा गलत भूमिका और क्या हो सकती है। यही नहीं, पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, वहां उनका स्वागत हो रहा है। यह पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम के सामने बेनकाब हो रहा है कि उन सारी गतिविधियों से पाकिस्तान किस प्रकार से लिप्त है। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी को

बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने पंजाब की समस्या का समाधान किस तरह से किया। उसका एक ही कारण था कि डायरेक्टर जनरल पुलिस जिनको पूर्ण रूप से, सशक्त हाथों से वहां पर नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की गयी।

उसके पूर्व भी गिल वहां पर डी.जी. पुलिस रहे थे। मैं चाहूंगा उसी शक्ति के साथ कश्मीर वैली में भी टैरोरिस्टों को फेस किया जाए।

हमारे माननीय सदस्य श्री अय्यर जो कह रहे थे, मुझे उसमें विश्वास नहीं है। क्या दुनिया में कहीं पर भी टेबल टॉक द्वारा टैरोरिस्टो से समझौता हुआ है या उसके माध्यम से कोई समाधान निकला है? टैरोरिस्टो का एक ही इलाज है – क्रश, क्रश, और कोई इलाज नहीं है। पंजाब की सफलता के पीछे यही एक कारण है। . ..(व्यवधान)

मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वहां पर क्या इंडस्ट्रियलाईजेशन हुआ। वहां की कंडीशन को देखते हुए आज 40 प्रकार के उद्योग धंधों की स्थापना वहां की जा सकती है जिसमें हजारों परिवारों को जोड़ा जा सकता है, लाखों लोगों को काम में लगाया जा सकता है। जो रुपया बंट रहा है, भारत सरकार उससे अपनी कोई नीति क्यों नहीं घोषित करती कि वहां एक वर्ष में इतने उद्योगों की स्थापना होगी, इतने बेरोजगार लोगों को काम मिलेगा। क्यों नहीं इंडस्ट्रियल एक्सपर्टस वहां भेजे जाते?

आज जम्मू वैली में मात्र 30 हजार की पुलिस फोर्स है जिसमें से 20 हजार पुलिकर्मी बड़े लोगों के रख-रखाव के लिए हैं, मात्र 10 हजार ऐक्टिव फोर्स है। 40 हजार फोर्स की मांग की हो रही है। मैं कहना चाहूंगा कि यदि 40 हजार लोगों की नियुक्ति हो जाए तो वह रुपया भी काम में आने लगा जाएगा। हमारी गुप्तचर एजेंसी की भूमिका कमजोर सिद्ध हो रही है। जम्मू-कश्मीर वैली के लोग हमारी गुप्तचर एजेंसी के माध्यम से समस्या का समाधान करने में सहयोगी बन सकेंगें।

हमारे बार्डर पर बारब्ड वायर फैनसिंग करने की योजना थी। जब हमने कार्य प्रारम्भ किया तो वहां से फायरिंग हुई। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि 100 मीटर के स्थान पर 300 मीटर पीछे जाया जाए। क्यों जाया जाए? यदि ऐसा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

कश्मीर में 5 वर्ष की सर्विसेज में लोगों को छूट दी गई है। जम्मू और लद्दाख के लोगों की भी मांग है कि उनको भी यह छूट मिलनी चाहिए। इस प्रकार का डिसक्रिमनेशन वहां की जनता में आक्रोश का कारण बनता है। इसके साथ ही वैल्थ टैक्स से ऐग्जेम्पशन भी कश्मीर के लोगों को मिला है। यह जम्मू और लद्दाख के लोगों का भी अधिकार है। लाखों परिवार कश्मीर घाटी से बेघर-बार हो चुके हैं। शायद पूरे संसार में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि अपने ही देश में हम रिफ्यूजी बनकर बैठे हुए हैं। उनके लिए कोई विशेष योजना नहीं बनाई जा रही है। अभी इस प्रकार का वातावरण भी नहीं बना कि उनको वापिस कश्मीर में भिजवा दिया जाए। मैं चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय इसमें विशेष रूचि लेकर वहां की जनता में विश्वास पैदा करे जिससे की चुनाव का वातावरण बने।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अब उत्तर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उन्हें निर्णय करने दीजिये कि कौन पहले आरम्भ करेगा। इस बीच श्री हन्नान मोल्लाह को अवसर दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि बोलने वाले वह अंतिम व्यक्ति हैं। श्री मोल्लाह आप दो या तीन मिनट ले सकते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) **:** महोदय, मैं केवल चार या पांच प्रश्न पूछूंगा और कोई भाषण नहीं दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : भाषण देने के समय आप प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न पूछने के समय आप भाषण देते हैं।

श्री हन्नान मोल्लाह : धन्यवाद महोदय। इस मामले पर हम अंतिम बार चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि यह बारहवीं बार है अथवा पन्द्रहवीं बार, किन्तु हम इस विषय पर चर्चा करते रहे हैं। अंतिम बार, चरार-ए-शरीफ की घटना के बाद हमने मांग की थी कि निर्माण कार्य कराया जाये। सरकार ने ऐसा करने का वायदा किया था किन्तु मुझे पता है कि कुछ भी नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितना निर्माण कार्य किया गया है।

दूसरे हमने यह मांग की थी कि राव-से-राव मामला चलता रहे और राज्यपाल को जाना चाहिये। उस मामले पर क्या कार्यवाही की गई है।

तीसरे, हमने मांग की थी कि हमें स्वतंत्रता समर्थक बलों और पाकिस्तान समर्थक बलों के बीच पहचान करनी चाहिये और समुचित वार्ता आरम्भ की जानी चाहिये। उन्होंने क्या वार्ता आरम्भ की है और वे अब तक वहां पहुंचे हैं?

चौथे, हमने आजादी पर राजनैतिक पैकेज के संबंध में आपको कम से कम सभी राजनीतिक दलों को आमन्त्रित करना चाहिये और एक मत पर पहुंचना चाहिये। इसके बारे में आपने क्या किया?

पांचवें, हमने मांग की थी कि देश भर में हमें अपने विचारों का प्रचार करना चाहिये। पाकिस्तान के पास भारत के विरूद्ध प्रचार करने का एक ही मुद्दा है। हमारा प्रचार कमजोर है। दूरदर्शन को जो कार्य दिया जाता है, वह वही करता है। वे पूर्णतः असफल रहे हैं और इसीलिये मैंने यह एक प्रश्न उठाया था तथा माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि प्रचार के लिये यह कोई तंत्र नहीं है। वे चुनाव के लिये प्रत्येक दिन प्रधान मंत्री के बारे में प्रचार कर रहे हैं। किन्तु वे पाकिस्तान के कुप्रचार और गलत प्रचार का उत्तर देने में अक्षम हैं। माननीय मंत्री ने कहा कि यह कोई प्रचार नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे

शत्रुओं द्वारा किये जा रहे, कुप्रचार अभियान के विरूद्ध के किस प्रकार के इलैक्ट्रानिक मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते हैं।

मैं माननीय मंत्री से ये पांच प्रश्न पूछता हूं। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री एस.बी. चव्हाण : अध्यक्ष महोदय, मुझे दोनों पक्षों के उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिये जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये। इसके बारे में हम बाद में विचार करेंगे कि वे कहां तक व्यवहारिक होंगे। किन्तु कम से कम प्रत्येक व्यक्ति को निष्ठापूर्वक यह महसूस करना चाहिये कि कश्मीर यह महसूस करे कि वह भारत का ही है और जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं, यदि वे उस मामलें को उठाना चाहते हैं, तो हमें पृथक तरीके से प्रत्युत्तर देना चाहिये। कम से कम मुझे तो यह याद नहीं है कि कभी हमने कहा हो या यह कह कर कश्मीरियों पर कोई आपत्ति की हो कि कश्मीरियत का उन्हें विशेष दर्जा मिला हुआ है।

कश्मीरियत से विशेष दर्जा होना पृथक बात है। हर राज्य यही करता रहा है और इसमें कोई बुराई नहीं है यदि कश्मीर के लोगों को कश्मीरियत के बारे में पुछने को कहा जाये। माननीय चन्द्रजीत यादव ने सरकारिया आयोग का उल्लेख किया है। मैं यह नहीं समझ पाया कि वस्तुतः क्या कहना चाहते थे कि कश्मीर को क्या दिया जा रहा है अथवा क्या देने का विचार किया जा रहा है। अथवा क्या वह यह कहना चाहते हैं कि सभी अन्य राज्यों को कुछ दिया जाना चाहिये या सभी राज्यों के लिये जो सुझाव दिये जा रहे हैं उन्हें कश्मीर के मामले में भी लागू किया जाना चाहिये? इन दोनों के बारे में जानना चाहूंगा कि वास्तव में उनका क्या विचार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उन्हें दोनों ही चीजों के बारे में पता नहीं है। वह कैसे कह सकते हैं?

श्री एस.बी. चव्हाण : उन्हें सरकारिया आयोग की सिफारिशों के बारे में पता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : गृह मंत्री महोदय, यदि आप अभी यह जानना चाहते हैं कि मेरा मंतव्य क्या था जब मैंने सरकारिया आयोग का उल्लेख किया था, तो मुझे यह स्पष्ट करना ही होगा कि मैंने उस संदर्भ में कहा था जब कश्मीर को किसी प्रकार की स्वायत्तता देने की बात कही जा रही थी। मैं यह कह रहा था कि जबसे केन्द्र-राज्य संबंध के बारे में एक उच्च शक्ति सम्पन्न आयोग की रचना की गई है, तबसे अनेक राज्य अधिक शक्ति की मांग कर रहे हैं। आपको सारे देश के लिये जो करना है, उसके संबंध में आप सरकारिया आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखें और अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत कश्मीर को दिये गये विशेष दर्जा को ध्यान में रखते हुए, आप समग्र रूप से उसके बारे में विचार करें और एक निर्णय लें।

श्री एस.बी. चव्हाण : मेरे विचार से सरकारिया आयोग ने जो सिफारिशें की हैं अथवा सभी राज्यों के लिये जो मॉडल तैयार किया है, उससे कुछ अधिक हमें कश्मीर के लिये करना होगा। मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह सर्वथा असफल होगी और हम लोग कश्मीर के लोगों की विश्वसनीयता खो देंगे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश लोग आतंकवादी गतिविधियों, पाकिस्तान के साथ विलय अथवा कश्मीर की स्वतंत्रता में विश्वास खो चुके हैं। इनमें कोई भी बात अब उनके पसंद की नहीं हैं। अब उनकी रूचि इस बात में है कि उनका दैनिक कार्य आरम्भ हो सके। बैंकों ने उन्हें पर्याप्त धन दिया है। उन्हें जो भी रियायतें दी गई हैं, उसके बावजूद व्यवहारिक रूप से लोगों के पास जो कुछ था उसे वे खो चुके हैं। वस्तुतः आवश्यकता इस बात की है कि, ऐसी स्थिति पैदा की जा सके जससे कि वे अपना व्यवसाय पुनः आरम्भ कर सकें। उन्हें उपनी रोजी-रोटी कमाने के योग्य होना चाहिये। उन्हें जो भी धन दिया जाता है वह विकास के प्रयोजन के लिये नहीं है। मुझे इस बात को कहने में कोई हिचक नहीं है कि उसमें से कुछ धन निश्चित रूप से आतंकवादियों के पास है। किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि कितने प्रतिशत। सब कुछ ठीक है। रसीदें का उत्तर ठीक-ठाक है। यदि आप लेखा परीक्षा करते तो कुछ भी गलती नहीं पायेंगे। किन्तु इसके साथ ही यह कहने में कोई इनकार नहीं है कि अधिकारी, कर्मचारी और, अन्य लोग दबाव एवं जोर जबर्दस्ती में काम कर रहे हैं। वहां बदूंक का डर है बंदूक की नोक पर किसी विशेष परियोजना पर धन व्यय किया जा रहा है। मुझे इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं होगा यदि उन्हें अपने धन का दस प्रतिशत, बीस प्रतिशत अथवा तीस प्रतिशत देने को कहा जाता होगा। वहां यह सब हो रहा है। मैं इससे इन्कार नहीं कर रहा हूं। इस स्थिति को स्वीकारने में मुझे कोई हिचक नहीं है। इसके साथ ही मैं यह महसूस करता था कि वे सर्वथा अलग हैं। अब धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है और उन्हें इसका विश्वास है, यदि उन्हें ढंग से अपने कर्त्तव्य पालन करने दिया जाये तो निश्चित रूप से इसमें डर की कोई बात नहीं है। किन्तु आम आदमी की तरह उन्हें भी बंदूक का डर है। इस डर के कारण ही संभवतः वे अपना कर्त्तव्य पालन सही प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं। यद्यपि दिल से वे उसे करना चाहते हैं किन्तु कदाचित बंदूक की नोंक पर उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है। अतः हमें वातावरण तैयार करना होगा। उन्होंने हड़ताल का आवाह्न किया था और वह पूरी तरह सफल रही। उनमें इससे पहले ऐसा साहस कभी न था।

इस बार हमने जिस प्रकार की अमर नाथ यात्रा देखी है, पहले ऐसी कभी नहीं देखी गई थी। इसमें अधिक संख्या में लोगों ने भाग लिया। कुछ आतंकवादी गुटों के द्वारा सभी प्रकार की धमकी दिये जाने के बावजूद उनमें भय नहीं था। लगभग 70 से 75 हजार लोग अमर-नाथ गये और वहां से सुरक्षित लौटे। उन्हें बंदूक का डर नहीं था। जैसा कि श्री ई. अहमद ने भी कहा और उनका कहना बहुत सही है, हमारी नजरें पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था उस स्थिति पर लगी हुई थी। इस्लाम के नाम पर बात करने का वह नैतिक अधिकर खो चुके हैं। इसके लिये मुख्य रूप से मुजाहीदीन उत्तरदायी है। उत्तर प्रदेश के कुछ मुसलमान थे, जिनके वस्तुतः अलग प्रकार के सपने थे, वही पाकिस्तान बनाने के लिये उत्तरदायी हैं। और अब स्थिति यह है कि वे शरणार्थी के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्हें पीटा जा रहा है, निर्दयता पूर्वक उनकी हत्या की जा रही है, उन्हें उस देश के समुचित नागरिक

के रूप में उनके साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है। वे द्वितीय श्रेणी के नागरिक बन कर रह गए हैं। एम.क्यू.एम. के किसी व्यक्ति ने पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में सभी मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। अतः यह बात उनके द्वारा उठाई गई है। इसमें कोई सार नहीं है। उन्होंने युद्ध किये। वे जीत न सके। यह एक ऐवजी युद्ध जो उन्होंने अब आरम्भ किया है। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि लोगों के सहयोग से और प्रशासन में लोगों को शामिल करके हमने एक प्रकार का वातावरण तैयार करने का विचार किया है। विभिन्न स्तरों पर हमने विभिन्न समितियां गठित की है शिकायत निवारक समिति जिला स्तर, राज्य स्तर और तालूक स्तर पर गठित की गई हैं। वे कभी भाग लेते हैं, कभी नहीं। किन्तु यह सच है कि वे अधिक से अधिक अपना ध्यान नई सड़कों के निर्माण, एक प्रकार के आधारभूत ढांचे पर दे रहे हैं, जिसकी उन्हें आवश्यकता है।

पहले जब कभी हम वहां जाते थे, तब वे सेना, अर्द्ध सैनिक बलों के बारे में कुछ न कुछ कहते थे कि उन्होंने मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है। एक राजदूत ने तो यहां तक कहा था कि पाकिस्तान को आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला राज्य कहने के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने स्वयं तथा अन्य सभी राजदूतों ने यह स्थिति देखी है। हमने उन्हें विभिन्न हथियार दिखाये जिन्हे बरामद नहीं कर पाये थे। उनमें से अधिकांश लोग वहां गये हैं और यह पर्याप्त सबूत नहीं है, गुल मस्त वहां जाते हैं और उसे हीरो का सम्मान मिलता है ...**(व्यवधान)**

कुछ माननीय सदस्य : मस्त गुल।

श्री एस.बी. चव्हाण : मुझे खेद है। मस्त गुल वहां जाता है और उसका वहां हीरो की तरह स्वागत किया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप उसे जाने ही क्यों देते हैं?

श्री एस.बी. चव्हाण : इस मामलें में पाकिस्तान का बहुत अधिक हाथ है इसे सिद्ध करने के लिये और क्या साक्ष्य चाहिये?

श्री अर्जुन सिंह : इसे मैं 'राजनयिक साहसिकता' कहता हूं।

श्री एस.बी. चव्हाण : ओह, मुझे खेद है। मैं उस समय उपस्थित नहीं था जब आप बात कर रहे थे। इसलिये मुझे नहीं पता चल पाया कि आपने क्या बातचीत की।

किन्तु, फिर भी, इस बात के अब आवश्यकता से अधिक सबूत हैं और विभिन्न देशों को भी इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि पाकिस्तान का इसमें बहुत अधिक हाथ है और पाकिस्तान इसे प्रो-ाहित कर रहा है। यह तथ्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण है कि हुर्रियत लोगों ने भी हड़ताल का आवाहन किया है। इससे स्पष्टतः पता चलता है कि आन्दोलन उनके काबू से बाहर हो गया हैं अब इसका नियन्त्रण स्थानीय उग्रवादियों द्वारा नहीं किया जा रहा है अपितु यह विदेशी टट्टू हैं जो वास्तव में समग्र स्थिति पर नियन्त्रण रखे हुए है और मेरे विचार से उन पर दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सारी स्थिति को स्पष्ट करके अल-फरान का भांडा फोड़ने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, जो वस्तुतः उन पर्यटकों का जो वहां गए थे, अपहरण करने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है पांच में से एक ही हत्या कर दी गई थी। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में इस सभा से छिपाने की कोई बात नहीं है। हम इसका भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उनको कोई नुकसान न पहुंचे और उन्हें मुक्त कर दिया जाये। शेष बातें मैं नहीं खोल पाऊंगा कि इससे कैसे निपटा जा रहा है किन्तु मैं इतना ही कह सकता हूं कि हम राजनयिक चैनलों के माध्यम से, उनसे सीधी वार्ता के माध्यम से, उनमें से कुछ के साथ वार्ता करके, हम इसके समाधान के लिए भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु इसके साथ ही हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम उस पर अडिग हैं। हम उन लोगों के बदले, हमारे अधिकार में जो अपराधी हैं, उनमें से किसी को भी मुक्त नहीं करने वाले हैं। मैं नहीं सोचता कि हम ऐसा कर भी सकते हैं क्योंकि इससे तो इन लोगों द्वारा की जा रही आतंकवादी गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रयोजन के लिये सरकार को हर प्रकार का सहयोग मिलेगा।

कुछ माननीय सदस्य उनसे इस पर चर्चा करने के लिये दलीय बैठक बुलाने की सोच रहे थे। इससे पहले हमें इस पर निर्णय लेना चाहिये। मुख्य बात तो यह है कि सरकार को गंभीरता से यह सोचना होगा कि हमें क्या रवैया अपनाना होगा। क्या कोई भी व्यक्ति यह कह सकता है कि कश्मीरी लोगों का वही सच्चा प्रतिनिधि है और हमें केवल उससे बात करनी चाहिये। यहां तक कि हुर्रियात में भी 70 से 74 तक छोटे संगठन हैं जो उसके सदस्य हैं। अब, यदि उनमें से हर सदस्य यह कहे कि 'केवल यासीन मलिक से ही वार्ता क्यों? हम सबको समान अधिकार है। केवल वही तो एक व्यक्ति नहीं है और भी अनेक दल हैं। अतः हम यह नहीं देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई भी प्रतिनिधि है जो दावे के साथ कह सके कि 'मैं कश्मीर का प्रतिनिधित्व करता हूं, आप हमारे साथ कश्मीर मामले पर वार्ता कीजिये आप किस प्रकार का राजनैतिक पैकेज देना चाहते हैं, आपके मस्तिष्क में किस प्रकार की स्वायत्तता देने का विचार है।' चुनावों के बाद वहां निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार होगी। वे हमसे वार्ता करने की स्थिति में होंगे और हम एक तरफा निर्णय नहीं ले सकते हैं। हमारी आगे की वार्ता का वहीं आरम्भ होगा। इस मामले में हम इस तरह का खतरा संभवतः नहीं ले पायेंगे।

सर्वप्रथम तो हमें यह करना होगा जिससे वहां यथा संभव सामान्य स्थिति बन सके। हम लोगों को नितांत स्पष्ट होना चाहिये। मैं सभा को विश्वास में लेना चाहूंगा। यदि लोग सोचते हैं कि हम यह हिंसा रोक सकते हैं और चुनाव करवा सकते हैं तो ऐसा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान इस स्थिति को पैदा करने में लगा हुआ है कि हम चुनाव न करवा पायें। पाकिस्तान ने इन सभी आतंकवादी संगठनों को यही हिदायत दी है। और निश्चित ही हम पाकिस्तान पर अनुग्रह नहीं करना चाहते हैं। वस्तुतः इस तरह के खतरों के रहते हम चाहते हैं कि चुनाव कराये जायें मतदान की प्रतिशतता कम होगी। किन्तु यही एक समाधान है। मैं नहीं समझता कि कोई भी अन्य समाधान अंतिम समाधान हो सकता है। यदि एक समाधान है तो वह यही है जिसमें हम घाटी, जम्मू क्षेत्र और लद्दाख क्षेत्र में कोई भेद-भाव किये बिना कश्मीर के लोगों को विश्वास में ले सकते हैं।

लद्दाख के मामला में, यह एक वादा था और इसलिये हमें उसका सम्मान करना होगा। हमने उन्हें लेह और कारगिल की जिला परिषदें दी थीं। मेरे विचार से उस क्षेत्र के लिये कोई अन्य प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम स्वयं 'घाटी' की रचना करेंगे और उनके साथ पृथक किस्म का व्यवहार करेंगे। इस स्थिति में संभवतः हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। यदि निर्वाचित सरकार सत्तारूढ़ होती है और तत्पश्चात् यदि वह सोचे कि इन दिशाओं में कुछ करने की आवश्यकता है, तो उसे समुचित प्राधिकार होगा कि वह इस मामले में निर्णय ले सकेगी।

कुछ और भी मुद्दे उठाये गये थे। मैं यथा संभव संक्षेप में बात करने की चेष्टा कर रहा हूं। मेरा विचार है कि कश्मीर के लोगों में एक विश्वास की भावना उत्पन्न होनी चाहिये। अनेक नवयुवक संलिप्त हैं किन्तु इस समय वे पूर्णतः मतिभ्रम में हैं। रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने होंगे और हमने अर्ध सैनिक बल आरम्भ कर माध्यम से यह कार्य उनमें से बड़ी संख्या में भर्ती किया गया है और हम सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बड़े उपक्रमों में जहां भी संभव है, उनमें से अधिकांश लोगों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे।

नीति के मामले में, मैं अपने मित्र श्री इन्द्र जीत से पूर्णतः सहमत हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की है कि कश्मीर के मामले में क्या करने की आवश्यकता है। हम ऐसी नीति का पालन करते रहे हैं जिसमें वे कार्यान्वित हो रही है। उस क्षेत्र में जो स्थिति है उसके कारण कुछ कमियां हो सकती हैं। किन्तु स्थिति में थोड़ा-सा सुधार हुआ है और आप देखेंगे कि नीतियों को ढंग से लागू किया जा रहा है। हमें उनमें अपेक्षित विश्वास पैदा करना होगा।

संविधान के अनुच्छेद 370 हर समय कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता है। मैंने सरकार की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि हम इस अनुच्छेद 370 को तब तक नहीं हटायेंगे जब तक कि कश्मीर के लोग यह नहीं कहते कि वे इस अनुच्छेद 370 को नहीं चाहते और इसे हटा दिया जाये। तब तक, यदि हम अनुच्छेद 370 पर एक पक्षीय निर्णय लेते हैं, तो हम व्यर्थ ही उन लोगों को एक और अवसर देंगे जो उस क्षेत्र के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि उन्हें अधिक अवसर प्राप्त होंगे और वे भारत के लोकतांत्रिक गठन में पूर्णतः भाग लेंगे। वे भारत के विरुद्ध कभी नहीं थे और दूसरी ओर, पंडित नेहरू ने ठीक ही कहा था कि कश्मीर हमारी धर्म निरपेक्ष राजनीति का प्रतीक है और यदि किसी भी हालत में कश्मीर को पृथक करना पड़ता है, तो इस देश में धर्म निरपेक्षता के बारे में बात करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम कश्मीर को भारत से कभी जुदा न होने देंगे और इस सभा के सभी सदस्यों से हमारा यह वायदा है और इस सभा के माध्यम हम पुरे देश को यह संदेश देना चाहते हैं कि कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है और इस मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता है चाहे कोई भी प्राधिकारी सही या गलत रूप से यह कहने की चेष्टा करे किन्तु सरकार निश्चित रूप से इसका शिकार नहीं होगी।

मैं केवल इतना ही कहना चाहता था और मेरा विचार था कि मुझे इन मुद्दों को स्पष्ट कर देना चाहिये। मेरे विचार से हस्तक्षेप करने के कारण अधिक समय की आवश्यकता नहीं है। मुझे जो इतना अधिक समय दिया गया, उसके लिये मैं अध्यक्ष महोदय का वास्तव में आभारी हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय वित्त मंत्री की भी वही रवैया है।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : आटोनोमी का क्या हुआ?

[अनुवाद]

उन्होंने पहले कहा है कि आजादी स्वायत्तता प्रदान की जायेगी। ...**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री पी.वी. नरसिंह राव) : इन्होंने सब कुछ बोल दिया है और आपकी समझ में भी आ गया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का मैं धन्यवाद करता हूं।

मैं राज्य की आर्थिक स्थिति और विशेषकर जम्मू और कश्मीर में विकास की गतिविधियों के बारे में कहना चाहता हूं। जब कभी भी हम बजट पर चर्चा करते हैं—इससे पहले भी तो अनेक माननीय सदस्य विकासशील कार्यकलापों के कार्यान्वयन में धन के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार के बारे में अपनी आवाज उठाते हैं। सरकार ने आठ जिलों के लिये समितियां गठित की हैं जिसके अध्यक्ष जिला विकास आयुक्त है और वे 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले कार्यों वास्तविक रूप से जांच-पड़ताल करते हैं। गत वर्ष 700 कार्यों का वास्तविक निरीक्षण किया गया और यह प्रक्रिया इस वर्ष भी चल रही है और वे सरकार द्वारा किये गये 847 कार्यों की अकस्मात जांच करने जा रहे हैं। इसके अलावा केन्द्र से दो उच्च स्तरीय दलों ने जून और जुलाई में राज्य का दौरा किया। उन्होंने कुछ प्रमुख कार्यों को वास्तव में देखा और कार्य के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। इसके अलावा माननीय प्रधान मंत्री के सचिव की अध्यक्षता में केन्द्रीय सचिवों के एक दल ने यदा-कदा विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया और प्रमुख कार्यों की प्रगति देखी।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यूनियन कार्बाइड का क्या हुआ, उसके बारे में भी बोलिये।

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : धन के समुचित उपयोग की निगरानी करने के लिये सरकार ने ये कदम उठाये हैं।

बहुत से सदस्यों ने कहा है कि क्षेत्र में आंतकवाद होने के कारण खाद्य उत्पादन में गिरावट आई है। यह सही नहीं है। वर्ष 1993-94 के 16.41 लाख टन के उत्पादन की तुलना में गत वर्ष के दौरान खाद्यान्न का 19.73 लाख टन का उत्पादन हुआ जो कि हमेशा से ज्यादा है।

फलों का उत्पादन भी पर्याप्त बढ़ा है। 1990-91 के दौरान उनका 7.7 लाख टन उत्पादन था। 1994-95 के दौरान उसका उत्पादन लगभग 9 लाख टन हुआ है। हस्तशिल्प के उत्पादन में पर्याप्त बढ़ोत्तरी हुई है। 1990-91 में उसके उत्पादन का स्तर केवल 200 करोड़ रुपये था। 1993-94 के दौरान वह 245 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : हाल में आई बाढ़ से करोड़ों रुपये की फसल नष्ट हो गई। उनका कोई प्रतिनिधि यहां नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार उन किसानों की क्षतिपूर्ति करेगी जिनकी फसलें नष्ट हुई हैं।

[हिन्दी]

श्री सोमनाथ चटर्जी : चरारे शरीफ का कांस्ट्रक्शन कब होगा. ..(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : पेय जल के मामले में हम सभी क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था कर चुके हैं। अब केवल 46 गांव हैं... (व्यवधान)

श्री ई. अहमद : मैं प्रधान मंत्री से अनुरोध करूंगा क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : कृपया मुझे समाप्त करने दीजिये। अब केवल 46 गांव बचे हैं जहां पानी की सप्लाई के पाइप नहीं हैं। चालू वर्ष के दौरान इन गांवों में भी यह व्यवस्था कर दी जायेगी।

ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में बसे हुए 6,477 गांवों में से ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत 6,198 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

ग्रामीण क्षेत्र में रोजगारोन्मुख योजनायें पर बल दिया जा रहा है। जवाहर रोजगार योजना, रोजगार आश्वासन स्कीम और सघन नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत 1994-95 के दौरान 153.33 लाख श्रम दिवस के मंजूरी रोजगार सृजित किये गये। इसके अलावा प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत गत वर्ष 1,950 एकक स्वीकृत किये गये। चालू वर्ष के दौरान प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत 3,100 एकक और स्व-रोजगार स्कीम के अन्तर्गत 6,200 एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है। हमने चल रही अनेक परियोजनायें पूरी की हैं।

6.68 करोड़ रु.की लागत पर झेलम नदी पर अब्दुल्ला पुल पूरा किया जा चुका है। पर 1.41 करोड़ रुपये की लागत पर कथुआ नल्लाह पुल पूरा हो चुका है। लद्दाख में 300 के.वी. माइक्रो हाईडेल परियोजना आरम्भ कर दी गई है। दोहरी सर्किट ट्रांसमीटर लाइनों को 60 कि.मी. तक पूरा किया जा चुका है। गांवों को जोड़ने के लिये घाटी में 61 बैली पुल आरम्भ किये जा चुके हैं।

बिजली का उत्पादन बढ़ गया है। चालू वर्ष के दौरान किशनपुर से पोमपोर तक 220 के.वी. लाईन डालने का काम आरम्भ हो जायेगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह केवल कागज पर है। किन्तु पन्ने और भी बचे हुए हैं।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : जी, नहीं। उद्योगों के विकास के बारे में हम राज्य को 'पिछड़ा' घोषित कर चुके हैं। उन्हें पांच वर्ष के लिये आय-कर मुक्त कर दिया गया है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : आतंकवादियों ने जिस तरीके से सरकारी भवनों को...(व्यवधान)...उसके बारे में सरकार ने क्या किया है?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : श्री सोमनाथ जी ने श्रीनगर स्थित यूनियन कार्बाइड के बंद होने के बारे में प्रश्न उठाया है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। महोदय, मैं इसका पता लगवाऊंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यह आश्वासन दें कि इसे बंद नहीं होने दिया जायेगा। कृपया ऐसा ही कीजिये। 262 व्यक्ति उसमें लगे हुए हैं...(व्यवधान)

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : यह उद्योग निजी कम्पनी द्वारा चलाया जा रहा है। इसका आश्वासन मैं कैसे दे सकता हूं।... (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रमुख लोगों ने तो मौनधारण किया हुआ है। मैं क्या कर सकता हूं, महोदय, मैं तो केवल छोटों से ही बात कर सकता हूं।...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री पी.वी. नरसिंह राव : वह पहली बार आया है ...(व्यवधान) ठीक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ठीक है, तो ठीक है।

[अनुवाद]

तब मैं लोगों से कहूंगा कि प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : बाढ़ के कारण फसलों का नुकसान होने के संबंध में मुआवजे के बारे में विचार द्वारा राहत निधि के अन्तर्गत राज्य सरकार को किया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से 1995-96 के लिये जम्मू और कश्मीर के संबंध में अनुदान की मांगें पारित करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं 1995-96 के लिये बजट (जम्मू और कश्मीर) के संबंध में अनुदानों की मांगें मतदान के लिये रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 27 के सामने दर्शायी गई मांग शीर्ष के संबंध में 31 मार्च, 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के संदाय के दौरान होने वाले खर्चों की अदायगी करने हेतु आवश्यक राशियों को पूरा करने के लिये कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा और पूंजी संबंधी राशियों में से अनधिक संबंधित राशियां जम्मू और कश्मीर की संचित निधि से राष्ट्रपति को दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

7.42 म.प.

जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री महोदय विचार के लिये प्रस्ताव प्रस्तावित कर सकते हैं।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1995-96 की सेवाओं के लिए जम्मू-कश्मीर राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी :

खण्ड 2 और 3

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एम.वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सहयोग के लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

7.45 म.प.

धनबाद के निकट दुगदा में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के हड़ताल कर रहे कुछ श्रमिकों के दुर्घटना में मारे जाने के बारे में वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : अब, मंत्री महोदय, को एक वक्तव्य देना है, कृपया...

7.45 म.प.

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित पांजा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार कोलयरी कामगार यूनियन, जो भारती मजदूर संघ में

के महासंघ (सीटू) से सहबद्ध है, ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (भा. को. को. लि.) धनबाद, बिहार में दुगदा कोयला वारारी के प्रशासनिक इमारत के सामने धरना दिया। यह धरना दिनांक 2 अगस्त, 1995 को कोयला कम्पनियों में सीटू द्वारा की गई आखिल भारतीय हड़ताल का एक हिस्सा था । उस दिन लगभग 12.30 बजे (अपराह्न) को एक ट्रक, जोकि एक परिवहन ठेकेदार का था सिन्दरी स्थित ए.सी. सी. एंटक से माइनिंग एंड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (एम.ए.एम.सी.) के लिये सीमेंट ले जा रहा था जो कि उपरोक्त वारारी में एक डिशोलिंग संयन्त्र की स्थापना कर रहे हैं। यह ट्रक पंडाल में घुस गया, जहां कुछ हड़ताली श्रमिक और अन्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस दुर्घटना के परिणाम स्वरूप छः व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, जिनमें से पांच कर्मचारी दुगदा कोयला वाशरी के थे। मृतक व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हैं :-

1. श्री किशन मांझी
2. श्री राम अवतार प्रजापति
3. श्री कोकिल चन्द्र मेहता
4. श्री रामदेव महतो
5. श्री प्रमोद महतो
6. मूधान मांझी (बाह्य व्यक्ति)

महोदय, यह प्रतीत होता है कि दुर्घटना ट्रक चालक द्वारा नियन्त्रण खो जाने के कारण हुई है। जिला पुलिस प्राधिकारी इस दुर्घटना की जांच कर रहे हैं।

मुझे अभी-अभी उस स्थान से एक एम.ए.एम.सी. से, जो सीमेंट की दुलाई कर रहे थे, एक और सूचना मिली है कि दुगदा में कार्मिक अधिकारी के कार्यालय के निकट, जहां से श्रमिक हड़ताल कर रहे थे, ट्रक के सामने अचानक एक बच्चे के आने जाने पर उस ट्रक चालक ने उसे बचाने की चेष्टा की थी।

महोदय, समाचार मिला है कि कानून और व्यवस्था की स्थिति नियन्त्रण में है। जिला प्रशासन और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) जो वारारी में तैनात हैं, एहतियाती कदम उठाये हैं।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के प्रबंधक से मारे गये कम्पनी के पांच कर्मचारीयों के नजदीकी रिश्तेदारों को रोजगार देने का प्रस्ताव किया है। प्रबंधक प्रत्येक मृतक के दाह संस्कार का खर्चा भी वहन करेगा।

महोदय, यद्यपि यह मृत्यु वास्तव में काम पर तैनात होने के समय नहीं हुई किन्तु चूंकि वे लम्बे समय से हमारे कर्मचारी थे, हमने अनुरोध किया है और भारत कोकिंग कोल लि. ने भी प्रत्येक मृतक के परिवार के आश्रित को रोजगार देने की स्वीकृति दे दी है।

इसलिये माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी और निर्मल कांति चटर्जी ने जो यह सूचना दी है कि भारत कोकिंग कोल कम्पनी का डम्पर पंडाल में छुट गया वह सही सूचना नहीं हैं। श्री चटर्जी ने यह भी कहा है कि भारत कोकिंग कोल ने श्रमिकों के आन्दोलन से निपटने के लिये, उन्हें गेट से हटाने के लिये, एक भारी डम्पर उनपर चढ़ा दिया। यह भी एक गलत सूचना है जो किसी ने निश्चित रूप माननीय सदस्यों को दी है। ये सूचनायें सही नहीं हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे इसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्या था...**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : आप उस छठे व्यक्ति का क्या कर रहे हैं जो ठेकेदार की तरफ से था?

श्री अजित पांजा : जहां तक छठे व्यक्ति का संबंध है, वह हमारा कर्मचारी नहीं था और कानूनन जो उत्तरदायी है, वह क्षतिपूर्ति करने को बाध्य है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल, 23 अगस्त, 1995 को 11.00 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिये स्थगित होती है।

7.48 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 23 अगस्त, 1995/1 भाद्र 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।